चतुर्दश माला, खंड 23, अंक 8

शुक्रवार, 1 दिसम्बर, 2006
10 अग्रहायण, 1928 (शक)

# लोक सभा वाद-विवाद

## (हिन्दी संस्करण)

नौवां सत्र
(चौदहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'
Acc. No. 61
Dated 30.01.2007

(खंड 23 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : अस्सी रुपये

## सम्पादक मण्डल

पी.डी.टी. आचारी
महासचिव
लोक सभा

ए.के. सिंह
संयुक्त सचिव

हरनाम दास टक्कर
निदेशक

प्रतिमा श्रीवास्तव
संयुक्त निदेशक-I

सरिता नागपाल
संयुक्त निदेशक-II

अरुणा वशिष्ठ
सहायक सम्पादक

---

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

# विषय-सूची

*[चतुर्दश माला, खंड 23, नौवां सत्र, 2006/1928 (शक)]*

**अंक 8, शुक्रवार, 1 दिसम्बर, 2006/10 अग्रहायण, 1928 (शक)**


| विषय | कॉलम |
|---|---|
| **अध्यक्ष द्वारा उल्लेख** | 5–6 |
| विश्व एड्स दिवस के अवसर पर | 5–6 |
| **प्रश्नों के लिखित उत्तर** | 9–238 |
| तारांकित प्रश्न संख्या 142–161 | 9–66 |
| अतारांकित प्रश्न संख्या 1491–1664 | 66–238 |
| **सभा पटल पर रखे गए पत्र** | 239–254 |
| **मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति** | |
| 186वां प्रतिवेदन | 255 |
| **सभा का कार्य** | 255–256 |
| **गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के तेईसवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव** | 257 |
| **राज्य सभा से संदेश तथा राज्य सभा द्वारा यथापारित विधेयक** | 258 |
| **अनुबंध-I** | |
| तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका | 259 |
| अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका | 260–262 |
| **अनुबंध-II** | |
| तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका | 263–264 |
| अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका | 263–264 |

# लोक सभा के पदाधिकारी

**अध्यक्ष**

श्री सोमनाथ चटर्जी

**उपाध्यक्ष**

श्री चरणजीत सिंह अटवाल

**सभापति तालिका**

श्री गिरिधर गमांग

डा. सत्यनारायण जटिया

श्रीमती सुमित्रा महाजन

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय

श्री बालासाहिब विखे पाटील

श्री वरकला राधाकृष्णन

श्री अर्जुन सेठी

श्री मोहन सिंह

श्रीमती कृष्णा तीरथ

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव

**महासचिव**

श्री पी.डी.टी. आचारी

## लोक सभा

**शुक्रवार, 1 दिसम्बर, 2006/10 अग्रहायण, 1928 (शक)**

*लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।*

**[उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन* हुए]**

*[अनुवाद]*

**श्री बसुदेव आचार्य** (बांकुरा): महोदय, मैंने प्रश्न काल के निलंबन के लिए नोटिस दिया है। ...*(व्यवधान)* एक लोकतांत्रिक संस्थान पर हमला किया गया है। ...*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री ब्रजेश पाठक** (उन्नाव): उपाध्यक्ष महोदय, हमने भी दलितों पर अत्याचार के विरोध में और बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा को खंडित करने के विषय पर प्रश्न काल स्थगित करके स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा का नोटिस दिया है। ...*(व्यवधान)* इसलिए हमें सुनने का कष्ट करें। ...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**उपाध्यक्ष महोदय:** मैं प्रश्न काल के पश्चात् आप सबकी बात सुनूंगा।

...*(व्यवधान)*

**उपाध्यक्ष महोदय:** मैं प्रश्न काल के पश्चात् आप सबकी बात सुनूंगा।

...*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री संतोष गंगवार** (बरेली): ममता बनर्जी के साथ कल जो घटना हुई, वह काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। ...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**श्री बसुदेव आचार्य:** एक लोकतांत्रिक संस्थान पर हमला हुआ है। महोदय, इसलिए मुझे बोलने का अवसर प्रदान करें। यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। ...*(व्यवधान)*

**उपाध्यक्ष महोदय:** श्री आचार्य, मैं आपको 'शून्य काल' के दौरान समय दूंगा।

...*(व्यवधान)*

**उपाध्यक्ष महोदय:** कृपया बैठ जाइए। कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

...*(व्यवधान)**

*[हिन्दी]*

**उपाध्यक्ष महोदय:** मेरे पास श्री ब्रजेश पाठक का प्रश्न काल को स्थगित करने का नोटिस आया है और दूसरा नोटिस श्री बसुदेव आचार्य का है। ब्रजेश पाठक जी का स्थगन प्रस्ताव बाबा साहेब की मूर्ति को खंडित करने के विषय में है। मैं समझता हूं यह बड़ा सीरियस मामला है। इसलिए मेरी आपसे विनती है कि प्रश्न काल को चलने दें। उसके बाद शून्य काल में मैं आपको बोलने का अवसर दूंगा। आचार्य जी को भी मैं बोलने का मौका दूंगा।

...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**उपाध्यक्ष महोदय:** कृपया बैठ जाइए। कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

...*(व्यवधान)**

**उपाध्यक्ष महोदय:** मैं प्रश्न काल के पश्चात् आपको बोलने का समय दूंगा।

...*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**उपाध्यक्ष महोदय:** ऐसा रिकार्ड में कुछ नहीं जाएगा।

**श्री ब्रजेश पाठक:** हम बाबा साहेब का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। उपाध्यक्ष जी, हमें बोलने के लिए पांच मिनट का समय दिया जाए। ...*(व्यवधान)*

**उपाध्यक्ष महोदय:** एक मिनट आप बैठ जाइये।

**श्रीमती कृष्णा तीरथ** (करोल बाग): मैं भी अपने को इससे संबद्ध करना चाहती हूं। ...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*[अनुवाद]*

**उपाध्यक्ष महोदय:** माननीय सदस्यों, कृपया बैठ जाइए।

*...(व्यवधान)*

**उपाध्यक्ष महोदय:** मैं प्रश्न काल के पश्चात् आपको बोलने का अवसर दूंगा।

*[हिन्दी]*

**श्री राजेश वर्मा** (सीतापुर): पूरे देश के अंदर आग लगी हुई है, हम इस देश के संविधान निर्माता का अपमान सहन नहीं कर सकते हैं। *...(व्यवधान)*

**श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव** (झंझारपुर): इस देश के संविधान निर्माता की प्रतिमा खंडित की गयी है, यह बहुत गंभीर मामला है। *...(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**उपाध्यक्ष महोदय:** माननीय सदस्यों, कृपया बैठ जाइए। कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

*...(व्यवधान)**

**उपाध्यक्ष महोदय:** श्री ब्रजेश पाठक के भाषण के अलावा कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाए।

*...(व्यवधान)**

*[हिन्दी]*

**उपाध्यक्ष महोदय:** यादव जी, आप बैठ जाइये, पाठक जी, आप भी बैठ जाइये। देखिये सभी पार्टियों की तरफ से यह राय आई है कि इस पर कुछ टाइम दिया जाए। मैं क्वैश्चन आवर को सस्पेंड करना नहीं चाहता हूं। लेकिन इसके बावजूद भी मैं पाठक जी से कहूंगा कि वे अपनी बात दो मिनट में समाप्त करें। इसलिए मैं पाठक जी को समय दे रहा हूं।

**श्री ब्रजेश पाठक:** उपाध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश के कानपुर में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा को तोड़े जाने के बाद, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और देश के अन्य राज्यों में तनाव की जो स्थिति पैदा हो गयी है, उसकी ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। महाराष्ट्र में आंदोलन के दौरान एक ही परिवार के चार लोग मारे गये हैं और वे सभी दलित लोग आंदोलन कर रहे थे। पूरे हिन्दुस्तान की कानून व्यवस्था के सामने आज एक चुनौती खड़ी हो गयी है। जिन लोगों को सदियों से दबा, कुचला और पिछड़ा रखा गया है, आज भी उन पर लगातार अत्याचार, बाबा साहेब की प्रतिमा को तोड़ने के बाद किया जा रहा है। यह दलितों का अपमान है। हिंदुस्तान के उन लोगों का अपमान है जिनको भारत के संविधान ने मजबूती देने का काम किया है। इस मामले को लेकर और भी ज्यादा स्थिति बिगड़ सकती है क्योंकि बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा को तोड़ने वाले मुलजिमों को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। जिनको गिरफ्तार किया गया है उनको इरादतन फंसाया गया है। दलितों को बदनाम करने के लिए, दलित समाज के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। दलितों में आपसी फूट डालने के लिए बाल्मीकि समाज के एक आदमी को फंसाया गया है जो निर्दोष है। एक शराबी व्यक्ति किसी भी दशा में 10-12 फुट ऊंची लगी हुई प्रतिमा तक नहीं चढ़ सकता है और प्रतिमा के सिर को नहीं तोड़ सकता है। एक दलित ऐसा कभी कर ही नहीं सकता है क्योंकि वह बाबा साहेब को अपना मसीहा मानता है। इसलिए इस मामले की सीबीआई जांच कराई जाएं। ...* इसलिए उत्तर प्रदेश की सरकार को तुरंत बर्खास्त किया जाए और वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। *...(व्यवधान)*

**श्री रामजीलाल सुमन** (फिरोजाबाद): यह उत्तर प्रदेश सरकार को बदनाम करने की साजिश है। *...(व्यवधान)*

**पूर्वाह्न 11.10 बजे**

*(इस समय श्री तूफानी सरोज और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए)*

*...(व्यवधान)*

**पूर्वाह्न 11.11 बजे**

*(इस समय श्री तूफानी सरोज और कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने-अपने स्थानों पर वापस चले गए।)*

*...(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**उपाध्यक्ष महोदय:** आरोप को कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित न किया जाए।

*...(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*[हिन्दी]*

**उपाध्यक्ष महोदय:** सुमन जी, एलिगेशन को कार्यवाही से निकाल दिया गया है।

*...(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**उपाध्यक्ष महोदय:** कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

*...(व्यवधान)**

*[हिन्दी]*

**उपाध्यक्ष महोदय:** सुमन जी, एलिगेशन को कार्यवाही से निकाल दिया गया है।

*...(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**उपाध्यक्ष महोदय:** सभा पूर्वाह्न 11.30 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

**पूर्वाह्न 11.12 बजे**

*तत्पश्चात् लोक सभा पूर्वाह्न 11.30 बजे तक के लिए स्थगित हुई।*

---

**पूर्वाह्न 11.30 बजे**

*लोक सभा पूर्वाह्न 11.30 बजे पुन: समवेत हुई।*

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन* हुए]

## अध्यक्ष द्वारा उल्लेख

### विश्व एड्स दिवस के अवसर पर

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय:** माननीय सदस्यों, आज विश्व एड्स दिवस है। यह एक ऐसा दिन है जब हमें विश्व की वर्तमान सबसे बड़ी चुनौती से निपटने के लिए किए गए उपायों की समीक्षा करनी होगी। एच.आई.वी.-एड्स जिसका अब तक कोई समुचित इलाज नहीं है, की निरन्तर वृद्धि को तत्काल रोके जाने की आवश्यकता है।

इस बीमारी की रोकथाम के लिए, चिकित्सा उपायों के अतिरिक्त अन्य प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। चूंकि एच.आई.वी. एड्स किसी को भी हो सकता है और इसलिए अनजान लोग भी इसके शिकार हो जाते हैं। आज हम एच.आई.वी. एड्स के संबंध में जागरूकता पैदा करने, एड्स पीड़ितों को सामाजिक समर्थन और अनुकूल वातावरण प्रदान करने तथा उनके लिए सहायता सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए पुन: प्रतीज्ञा करें।

---

*...(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री राजेश पाठक** (उन्नाव): अध्यक्ष महोदय, मैंने एक महत्वपूर्ण विषय पर आज प्रश्न काल स्थगित करने का नोटिस दिया है। *...(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय:** कृपया अपने स्थान पर जाइए।

*...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** श्री आठवले, कृपया अपने स्थान पर जाइए। आप सुबह से ही अप्रसन्नता का माहौल क्यों बना रहे हैं? मुझे कुछ तो खुशी दीजिए।

*...(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**अध्यक्ष महोदय:** मैं आपकी बात वहां से सुनूंगा और 12 बजे सुनूंगा।

*...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** मैं आपकी बात 12 बजे सुनूंगा।

*...(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय:** राजेश वर्मा जी, मैं इस घटना से बहुत चिंतित हूं; मुझे विश्वास है कि समस्त सभा इसकी निंदा करेगी। मैं भारत की संसद, लोक सभा के अध्यक्ष के रूप में इस घटना की कड़ी निंदा करता हूं। ऐसी बीभत्स घटना नहीं होनी चाहिए थी। मैं मध्याह्न 12.00 बजे प्रश्न काल के पश्चात् अर्थात् 28 मिनट बाद निश्चित रूप से बोलने की अनुमति दूंगा। मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं।

*...(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*[हिन्दी]*

**अध्यक्ष महोदय:** आप अपनी बात 28 मिनट बाद उठाइए।

*...(व्यवधान)*

**श्री ब्रजेश पाठक:** अध्यक्ष महोदय, मैं पांच मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा। *...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** फिर दूसरे मैम्बर्स भी बोलेंगे।

*...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** ब्रजेश पाठक जी, आपका बहुत अहम मुद्दा है। आप इसे 28 मिनट बाद उठाइए।

*...(व्यवधान)*

**श्री ब्रजेश पाठक:** अध्यक्ष महोदय, इससे महत्वपूर्ण सवाल कोई नहीं हो सकता है।

*...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** इसकी सीरियसनेस कम नहीं होगी। मैं आपको तुरन्त 12 बजे बुलाऊंगा।

*...(व्यवधान)*

**श्री ब्रजेश पाठक:** अध्यक्ष महोदय, मैं पांच मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा। *...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** क्वैश्चन आवर का क्या होगा?

*...(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय:** डा. अम्बेडकर हमारे संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। उन्होंने सभा को सर्वोपरि बनाया। उन्होंने सुझाव दिया कि प्रश्नकाल सुबह प्रारंभ होना चाहिए। डा. अम्बेडकर के सम्मान में हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभा का संचालन सुचारू रूप से हो और यही मेरा भी सम्मान है।

*...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** प्रश्न संख्या 142

*...(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**अध्यक्ष महोदय:** मैं आपको 12 बजे बुलाऊंगा।

*...(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय:** मैं पहले ही इस घटना की निंदा कर चुका हूं।

*...(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री ब्रजेश पाठक:** अध्यक्ष महोदय, बाबा साहेब अम्बेडकर का अपमान किया गया है।

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय:** मैंने कल स्वयं इस मामले को उठाने की अनुमति दी और इस पर चर्चा भी हो चुकी है।

*...(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री ब्रजेश पाठक:** इससे संविधान का अपमान हुआ है। इस कारण प्रश्न काल स्थगित किया जाए। *...(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय:** क्या आप प्रश्न काल को स्थगित करेंगे? एक माननीय सदस्य को बोलने दीजिए।

*...(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**अध्यक्ष महोदय:** केवल एक मैम्बर ही बोले। दूसरे मैम्बर्स बैठ जाएं।

*...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** सब के बोलने से रिकार्ड नहीं होगा।

*...(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय:** केवल श्री ब्रजेश पाठक ही बोलेंगे।

*...(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री ब्रजेश पाठक:** अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में बाबा साहेब भीम राव अम्बेडकर जी की मूर्ति को जो नुकसान पहुंचाया गया, की तरफ दिलाना चाहता हूं। बाबा साहेब अम्बेडकर हिन्दुस्तान के दबे, कुचले और पिछड़े लोगों के नेता थे। उन्होंने भारतीय संविधान का निर्माण किया। उन्होंने हिन्दुस्तान के संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी। उनकी प्रतिमा को कानपुर. में कुछ असामाजिक तत्वों ने खंडित किया। उत्तर प्रदेश सहित हिन्दुस्तान भर के लोगों ने, दलित समाज के लोगों ने *...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** आप आहिस्त-आहिस्ता बोलिए।

**श्री ब्रजेश पाठक:** अध्यक्ष महोदय, इसे लेकर पूरे हिन्दुस्तान के दलित समाज के लोगों में रोष व्याप्त है। *...(व्यवधान)*

**श्री मोहन सिंह** (देवरिया): अध्यक्ष महोदय, आपको भी हमारी बात सुननी पड़ेगी। ...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय:** मैं राज्य सरकार के सभी संदर्भों का लोप कर दूंगा।

...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** आप डा. अम्बेडकर का सम्मान नहीं कर रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** कृपया एक शब्द भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित न किया जाए।

...*(व्यवधान)**

**अध्यक्ष महोदय:** प्रत्येक व्यक्ति डा. अम्बेडकर का बहुत सम्मान करता है। मैं इस घटना की निंदा कर चुका हूं। मैं आपको बोलने की अनुमति दूंगा। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है।

...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** आप डा. अम्बेडकर का अपमान कर रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** कृपया अपने स्थान पर जाइए।

...*(व्यवधान)*

## प्रश्नों के लिखित उत्तर

*[अनुवाद]*

### ग्रामीण विकास हेतु लंबित प्रस्ताव

***142. श्री जी. करूणाकर रेड्डी:**
**श्री मंजुनाथ कुन्नुर:**

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा तालुकों में सर्वेक्षण दस्तावेजों की जांच सहित ग्रामीण विकास के विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित भेजे गए प्रस्तावों/परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) इन परियोजनाओं/प्रस्तावों की अनुमानित लागत कितनी है;

(ग) क्या सरकार ने इन प्रस्तावों/परियोजनाओं पर विचार किया है;

(घ) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) राज्यों विशेषकर कर्नाटक को इस प्रयोजनार्थ वित्तीय सहायता कब तक जारी किए जाने की संभावना है?

**ग्रामीण विकास मंत्री (डा. रघुवंश प्रसाद सिंह):** (क) से (ङ) ग्रामीण विकास मंत्रालय राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों के माध्यम से रोजगार सृजन, गरीबी उन्मूलन, क्षेत्र विकास तथा ग्रामीण अवसंरचना तथा सुविधाओं जैसे ग्रामीण सड़कें, ग्रामीण आवास तथा पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था करने के लिए अनेक ग्रामीण विकास कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहा है। मंत्रालय ने स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई), प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई), समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम (आईडब्ल्यूडीपी), सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डीपीएपी), मरूभूमि विकास कार्यक्रम (डीडीपी), भू-अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण (सीएलआर), राजस्व प्रशासन को सुदृढ़ बनाना तथा भू-अभिलेखों को अद्यतन बनाना (एसआरए तथा यूएलआर), संपूर्ण स्वच्छता अभियान (टीएससी) ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं का प्रावधान (पुरा) की योजनाओं के अंतर्गत अनेक परियोजनाएं प्राप्त की हैं। विभिन्न परियोजनाओं के लिए निधियां योजनाओं के दिशानिर्देशों के अनुरूप रिलीज की जाती हैं।

वर्ष 2003-04 तथा 2004-05 के दौरान ग्रामीण मानचित्रों की जांच करने तथा उन्हें डिजिटल बनाने का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ था। वर्ष 2005-06 के दौरान चार राज्यों ने, बनाए जा रहे ग्रामीण मानचित्रों की जांच करने तथा उन्हें डिजिटल बनाने के प्रस्ताव भेजे थे तथा उन्हें निम्नानुसार निधियां रिलीज की गई हैं-

| | | |
|---|---|---|
| 1. | आंध्र प्रदेश (जिला-मेडक) | 5.31 करोड़ रु. |
| 2. | उत्तर प्रदेश | 8.50 करोड़ रु. |
| 3. | उत्तरांचल | 12.08 करोड़ रु. |
| 4. | तमिलनाडु | 8.67 करोड़ रु. |

इसी तरह, निम्नलिखित राज्यों से चालू वित्तीय वर्ष के दौरान सर्वेक्षण रिकार्डों/भूकर-मानचित्रों की जांच करने तथा उन्हें डिजिटल बनाने के प्रस्ताव नीचे दिए गए ब्यौरों के अनुसार प्राप्त हुए हैं। इन प्रस्तावों की भू-अभिलेखों की जांच करने तथा उन्हें डिजिटल बनाने के लिए लागू मानदंडों के अनुसार जांच की गई है तथा

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

स्वीकार्यता के अनुसार निधियों की रिलीज के लिए उन्हें अनुमोदित किया गया, जो निम्नानुसार है:-

| क्र.सं. | राज्य | मांगी गई धनराशि | अनुमोदित धनराशि |
|---|---|---|---|
| 1. | आंध्र प्रदेश | 27.00 करोड़ रु. | 8.44 करोड़ रु. |
| 2. | गुजरात | 6.00 करोड़ रु. | 5.56 करोड़ रु. |
| 3. | कर्नाटक | 16.78 करोड़ रु. | 8.84 करोड़ रु. |
| 4. | राजस्थान | 15.03 करोड़ रु. | 4.14 करोड़ रु. |
| 5. | त्रिपुरा | 11.18 करोड़ रु. | 0.09 करोड़ रु. |
| 6. | झारखंड | 13.52 करोड़ रु. | 3.26 करोड़ रु. |
| 7. | बिहार | 50.00 करोड़ रु. | राज्य से प्रस्ताव के ब्यौरे मांगे गये हैं। |

विभाग में इस समय अनुमोदित योजनाओं के अंतर्गत भू-अभिलेखों की जांच करने तथा उन्हें डिजिटल बनाने का कोई अन्य प्रस्ताव लंबित नहीं है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) की शुरूआत से लेकर अब तक योजना के अंतर्गत 34584.52 करोड़ रु. की परियोजनाएं मंजूर की गई हैं। 19,915.69 करोड़ रु. रिलीज किए गए हैं। इसके अलावा, मंजूरी किए गए 57444 सड़क कार्यों में से 33658 सड़क कार्य पूरे कर लिए गए हैं तथा बनाई गई सड़कों की लम्बाई 99985.65 कि.मी. है। राज्य-वार स्थिति को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) के अंतर्गत 113 विशेष परियोजनाएं मंजूर की गई हैं तथा विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान विभिन्न राज्यों को 351.48 करोड़ रु. रिलीज किए गए हैं। स्वीकृत परियोजनाओं और रिलीज की गई निधियों के राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम (आईडब्ल्यूडीपी), सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डीपीएपी), मरूभूमि विकास कार्यक्रम (डीडीपी) के अंतर्गत अनुमोदित परियोजनाओं तथा उनकी लागत के राज्यवार तथा वर्षवार ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिए गए हैं।

संपूर्ण स्वच्छता अभियान (टीएससी) के अंतर्गत विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान 302 परियोजनाएं मंजूर की गई थी, जिनका परियोजना परिव्यय 4,427.84 करोड़ रु. है। इसमें 2784.60 करोड़ रु. केंद्रीय अंश है, जिसमें से 1560.06 करोड़ रु. रिलीज कर दिए गए हैं। परियोजना परिव्यय, केंद्रीय अंश तथा केंद्रीय रिलीज के राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-IV में दिए गए हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं का प्रावधान (पुरा) योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश राज्यों में प्रायोगिक आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं का प्रावधान के कार्यान्वयन के लिए 7 समूह चुने गए थे। योजना के अंतर्गत परियोजनाओं के लिए 20.50 करोड़ रु. रिलीज किए गए हैं।

प्रशिक्षण के लिए वर्ष 2003-04 से लेकर 2006-07 तक भवनों के निर्माण, फर्नीचर आदि के लिए गैर आवर्ती अनुदान हेतु राज्य सरकारों तथा राज्य ग्रामीण विकास संस्थान (एसआईआरडी) से 262.17 करोड़ रु. के प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। पिछले तीन वर्षों में 69.05 करोड़ रु. मंजूर किए गए थे तथा 56.24 करोड़ रु. रिलीज किए गए थे। राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण-V में दिए गए हैं।

***विवरण I***

*पीएमजीएसवाई की शुरूआत से लेकर अब तक इसके अंतर्गत वास्तविक और वित्तीय प्रगति*

(करोड़ रु.)

| क्र.सं. | राज्य | स्वीकृत सड़क कार्यों की सं. | स्वीकृत प्रस्तावों का मूल्य | रिलीज की गई राशि (20.1.2006 तक) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 4580 | 1632.95 | 1101.40 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 446 | 437.74 | 181.45 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 3. | असम | 1294 | 1601.11 | 1010.88 |
| 4. | बिहार | 1516 | 1384.03 | 962.14 |
| 5. | छत्तीसगढ़ | 2094 | 2220.21 | 1416.50 |
| 6. | गोवा | 90 | 9.72 | 10.15 |
| 7. | गुजरात | 1553 | 438.34 | 375.32 |
| 8. | हरियाणा | 176 | 457.72 | 203.49 |
| 9. | हिमाचल प्रदेश | 1506 | 1353.08 | 489.06 |
| 10. | जम्मू-कश्मीर | 277 | 312.40 | 146.31 |
| 11. | झारखण्ड | 629 | 633.03 | 508.12 |
| 12. | कर्नाटक | 1993 | 759.36 | 510.54 |
| 13. | केरल | 443 | 196.73 | 122.93 |
| 14. | मध्य प्रदेश | 5562 | 5159.95 | 2722.50 |
| 15. | महाराष्ट्र | 3717 | 1792.67 | 603.88 |
| 16. | मणिपुर | 849 | 273.04 | 104.47 |
| 17. | मेघालय | 373 | 145.72 | 123.66 |
| 18. | मिजोरम | 114 | 333.23 | 227.52 |
| 19. | नागालैंड | 208 | 194.43 | 163.53 |
| 20. | उड़ीसा | 3323 | 2820.49 | 15550.50 |
| 21. | पंजाब | 525 | 300.31 | 258.09 |
| 22. | राजस्थान | 8865 | 4502.01 | 2627.13 |
| 23. | सिक्किम | 182 | 298.37 | 112.46 |
| 24. | तमिलनाडु | 2604 | 724.18 | 493.84 |
| 25. | त्रिपुरा | 344 | 200.99 | 133.15 |
| 26. | उत्तरांचल | 12473 | 3633.47 | 2225.22 |
| 27. | उत्तर प्रदेश | 292 | 360.83 | 229.02 |
| 28. | पश्चिम बंगाल | 1274 | 2328.20 | 1261.95 |
| | कुल राज्य | 57302 | 34504.31 | 19875.21 |
| | संघ राज्य क्षेत्र | 142 | 80.21 | 40.48 |
| | कुल योग | 57444 | 34584.52 | 19915.69 |

*विवरण II*

*विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान एसजीएसवाई के अंतर्गत स्वीकृत की गई विशेष परियोजनाओं की कुल संख्या और रिलीज की गई निधियां*

| क्र.सं. | राज्य | स्वीकृत की गई परियोजनाओं की कुल संख्या | रिलीज की गई कुल निधियां (लाख में) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 10 | 2239.59 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 2 | 280.74 |
| 3. | असम | 2 | 1654.64 |
| 4. | बिहार | 6 | 1446.50 |
| 5. | छत्तीसगढ़ | 6 | 1881.84 |
| 6. | गोवा | 1 | 294.70 |
| 7. | गुजरात | 6 | 1938.05 |
| 8. | हरियाणा | 0 | 0.00 |
| 9. | हिमाचल प्रदेश | 1 | 1518.85 |
| 10. | जम्मू-कश्मीर | 2 | 133.05 |
| 11. | झारखण्ड | 1 | 438.58 |
| 12. | कर्नाटक | 4 | 1023.71 |
| 13. | केरल | 7 | 1839.64 |
| 14. | मध्य प्रदेश | 7 | 3753.14 |
| 15. | महाराष्ट्र | 9 | 1698.45 |
| 16. | मणिपुर | 3 | 519.91 |
| 17. | मेघालय | 2 | 144.41 |
| 18. | मिजोरम | 1 | 663.02 |
| 19. | नागालैंड | 4 | 958.83 |
| 20. | उड़ीसा | 0 | 470.17 |
| 21. | पंजाब | 0 | 110.05 |
| 22. | राजस्थान | 7 | 4123.97 |
| 23. | सिक्किम | 1 | 0.00 |
| 24. | तमिलनाडु | 5 | 1979.01 |
| 25. | त्रिपुरा | 1 | 153.56 |
| 26. | उत्तरांचल | 5 | 1832.40 |
| 27. | उत्तर प्रदेश | 5 | 1670.10 |
| 28. | पश्चिम बंगाल | 2 | 1177.84 |
| 29. | विविध राज्य | 13 | 1203.24 |
| | कुल | 113 | 35147.97 |

*विवरण III*

(लाख रु. में)

| क्र.सं. | राज्य | आईडब्ल्यूडीपी | | | | डीपीएपी | | डीडीपी | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | स्वीकृत परियोजनाओं की सं. | परियोजना मूल्य | केंद्रीय अंश | कुल रिलीज | स्वीकृत परियोजनाओं की सं. | परियोजना मूल्य | स्वीकृत परियोजनाओं की सं. | परियोजना मूल्य |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 64 | 22830.00 | 20927.51 | 5653.76 | 1276 | 38280.00 | 502 | 15060.00 |
| 2. | बिहार | 63 | 18720.00 | 17520.00 | 2656.50 | 308 | 9240.00 | | |
| 3. | छत्तीसगढ़ | 59 | 17113.64 | 15687.51 | 4205.41 | 507 | 15210.00 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | गोवा | 4 | 775.20 | 710.60 | 106.60 | | | | |
| 5. | गुजरात | 57 | 17250.00 | 15812.51 | 3847.27 | 1085 | 32550.00 | 1386 | 41580.00 |
| 6. | हरियाणा | 19 | 4642.94 | 4301.03 | 1047.78 | | | 535 | 16050.00 |
| 7. | हिमाचल प्रदेश | 39 | 11440.50 | 10487.13 | 2337.74 | 174 | 5220.00 | 181 | 5430.00 |
| 8. | जम्मू-कश्मीर | 30 | 9642.66 | 9051.41 | 1391.61 | 286 | 8580.00 | 193 | 5790.00 |
| 9. | झारखण्ड | 21 | 6674.02 | 6259.03 | 917.68 | 776 | 23280.00 | | |
| 10. | कर्नाटक | 63 | 19529.67 | 17902.20 | 5289.41 | 984 | 28520.00 | 750 | 22500.00 |
| 11. | केरल | 26 | 7166.19 | 6569.01 | 985.36 | | | | |
| 12. | महाराष्ट्र | 64 | 19272.66 | 17862.31 | 3139.61 | 1395 | 41850.00 | | |
| 13. | मध्य प्रदेश | 85 | 26615.16 | 24397.24 | 6865.38 | 1181 | 35430.00 | | |
| 14. | उड़ीसा | 59 | 18230.34 | 16902.06 | 3542.83 | 635 | 19050.00 | 3885 | 116550.00 |
| 15. | पंजाब | 13 | 3067.62 | 2833.21 | 523.86 | | | | |
| 16. | राजस्थान | 61 | 18374.28 | 16843.10 | 4800.59 | 427 | 12810.00 | | |
| 17. | तमिलनाडु | 58 | 17459.34 | 16004.40 | 4858.79 | 718 | 21540.00 | | |
| 18. | उत्तर प्रदेश | 89 | 26896.62 | 25134.22 | 6577.26 | 711 | 21330.00 | | |
| 19. | उत्तरांचल | 36 | 11470.80 | 10514.90 | 2210.93 | 394 | 11820.00 | | |
| 20. | पश्चिम बंगाल | 28 | 6755.10 | 6334.15 | 1243.56 | 304 | 9120.00 | | |
| | कुल | 938 | 283926.739 | 262053.522 | 62201.91 | 11161 | 334830.00 | 7432 | 222960.00 |
| **पूर्वोत्तर राज्य** | | | | | | | | | |
| 1. | अरुणाचल प्रदेश | 115 | 16980.00 | 264.00 | 2770.56 | | | | |
| 2. | असम | 108 | 36655.20 | 693.00 | 7236.34 | | | | |
| 3. | मणिपुर | 25 | 9000.00 | 247.50 | 1614.36 | | | | |
| 4. | मेघालय | 98 | 8850.00 | 231.00 | 1765.50 | | | | |
| 5. | मिजोरम | 35 | 16800.00 | 330.00 | 2310.00 | | | | |
| 6. | नागालैंड | 18 | 8670.00 | 330.00 | 3840.39 | | | | |
| 7. | सिक्किम | 16 | 4229.82 | 148.50 | 680.61 | | | | |
| 8. | त्रिपुरा | 16 | 4375.74 | 0.00 | 840.96 | | | | |
| | कुल | 431 | 105560.76 | 2244.00 | 21058.72 | | | | |
| | कुल (आईडब्ल्यूडीपी) | 1369 | 389487.499 | 264297.522 | 83260.630 | | | | |

**विवरण IV**

*पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान संपूर्ण स्वच्छता अभियान (टीएससी) के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं की सं., परियोजना परिव्यय, केंद्रीय अंश और केन्द्रीय रिलीज की राशि*

| क्र.सं. | राज्य | स्वीकृत परियोजनाओं की सं. | परियोजना परिव्यय | केन्द्रीय अंश | केन्द्रीय रिलीज की राशि |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 4 | 19491.47 | 12235.37 | 21900.91 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 10 | 2395.45 | 1608.13 | 482.42 |
| 3. | असम | 11 | 10869.29 | 6990.15 | 2147.65 |
| 4. | बिहार | 22 | 43517.17 | 27978.63 | 6195.91 |
| 5. | छत्तीसगढ़ | 12 | 33678.93 | 22447.42 | 8441.03 |
| 6. | गोवा | 1 | 727.57 | 425.58 | 134.67 |
| 7. | गुजरात | 20 | 32342.21 | 18834.14 | 7539.90 |
| 8. | हरियाणा | 13 | 9628.84 | 5422.1 | 3064.68 |
| 9. | हिमाचल प्रदेश | 5 | 2643.09 | 1619.68 | 718.07 |
| 10. | जम्मू-कश्मीर | 10 | 5100.52 | 3215.8 | 1121.36 |
| 11. | झारखण्ड | 16 | 35273.98 | 23083.44 | 6440.81 |
| 12. | कर्नाटक | 24 | 29749.56 | 18928.59 | 6214.60 |
| 13. | केरल | 1 | 445.17 | 205.27 | 2870.63 |
| 14. | मध्य प्रदेश | 30 | 31411.39 | 20204.43 | 10713.40 |
| 15. | महाराष्ट्र | 13 | 29442.38 | 18932.01 | 9712.92 |
| 16. | मणिपुर | 1 | 434.85 | 305.96 | 194.37 |
| 17. | मेघालय | 4 | 2699.88 | 1509.25 | 446.17 |
| 18. | मिजोरम | 7 | 2730.89 | 1838.64 | 458.70 |
| 19. | नागालैंड | 3 | 783.02 | 542.35 | 231.67 |
| 20. | उड़ीसा | 15 | 40448.2 | 26675.36 | 7681.39 |
| 21. | पांडिचेरी | 0 | 0 | 0 | 0.00* |
| 22. | पंजाब | 11 | 5404.57 | 2956.67 | 894.00 |
| 23. | राजस्थान | 22 | 29442.5 | 19050.67 | 6322.18 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24. | सिक्किम | 0 | 0 | 0 | 529.98* |
| 25. | तमिलनाडु | 7 | 17900.35 | 10461.44 | 14101.23 |
| 26. | त्रिपुरा | 0 | 0 | 0 | 1549.66* |
| 27. | उत्तर प्रदेश | 29 | 46932.06 | 28632.8 | 27525.66 |
| 28. | उत्तरांचल | 7 | 2783.09 | 1807.44 | 695.83 |
| 29. | पश्चिम बंगाल | 4 | 6108.24 | 2549.00 | 7629.09* |
| | कुल | 302 | 442784.67 | 278460.32 | 156006.31 |

*इन वर्षों में परियोजनाओं के लिए रिलीज की गई निधियां केन्द्रीय अंश से अधिक हैं क्योंकि इन वर्षों में निधियां उन परियोजनाओं के लिए रिलीज की गई थीं जो पूर्व के वर्षों में मंजूर की गई थीं।

## *विवरण V*

*प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य सरकारों के लिए मंजूर किए गए प्रस्ताव और रिलीज की गई राशि*

(रु. लाख में)

| क्र.सं. | राज्य का नाम | 2003-04 से 2006-07 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | अनुमानित लागत | मंजूर की गई राशि | रिलीज की गई राशि |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 780.93 | 107.05 | 107.05 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 601.91 | 211.38 | 203.78 |
| 3. | असम | 1243.19 | 163.06 | 163.06 |
| 4. | बिहार | 335 | 335 | 111.6 |
| 5. | छत्तीसगढ़ | 1122.46 | 705.72 | 705.72 |
| 6. | गोवा | 119.5 | 8.3 | 7.05 |
| 7. | गुजरात | 0 | 0 | 0 |
| 8. | हरियाणा | 502.55 | 55.46 | 37.21 |
| 9. | हिमाचल प्रदेश | 1554.6 | 142.1 | 138.29 |
| 10. | जम्मू-कश्मीर | 2549.43 | 1057.2 | 832.2 |
| 11. | झारखण्ड | 189.81 | 0 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 12. | कर्नाटक | 1497 | 74.05 | 42.77 |
| 13. | केरल | 1760.96 | 365.07 | 281.57 |
| 14. | मध्य प्रदेश | 126.82 | 24.7 | 16.01 |
| 15. | महाराष्ट्र | 3118.07 | 375.63 | 317.38 |
| 16. | मेघालय | 359.55 | 53.44 | 47.03 |
| 17. | मणिपुर | 83.9 | 40 | 40 |
| 18. | मिजोरम | 362.24 | 81.77 | 62.98 |
| 19. | नागालैंड | 897.41 | 395.86 | 291.29 |
| 20. | उड़ीसा | 685.41 | 63.33 | 37.29 |
| 21. | पंजाब | 871.77 | 671.27 | 508.71 |
| 22. | राजस्थान | 733.56 | 206.41 | 181.27 |
| 23. | सिक्किम | 350.53 | 251.03 | 88.28 |
| 24. | तमिलनाडु | 93 | 0 | 0 |
| 25. | त्रिपुरा | 253.1 | 34.03 | 23.46 |
| 26. | उत्तरांचल | 1232.23 | 778.6 | 778.59 |
| 27. | उत्तर प्रदेश | 1872.81 | 362.37 | 289.54 |
| 28. | पश्चिम बंगाल | 2919.06 | 341.78 | 311.78 |
| | कुल | 26216.8 | 6904.61 | 5623.91 |

**सौर ऊर्जा**

*143. **डा. एम. जगन्नाथ:** क्या **नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार को सुदूर ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत सौर ऊर्जा उपलब्ध कराने हेतु विभिन्न राज्यों से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

**नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार):** (क) से (ग) जी, हां। राज्यों से प्रस्ताव प्राप्त होना और मंत्रालय द्वारा उन्हें मंजूरी प्रदान करना एक निरंतर प्रक्रिया है। उन गांवों/बस्तियों, जिनके लिए पिछले 3 वर्षों अर्थात् वर्ष 2003-04 से 2005-06 के दौरान दूरस्थ ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत सौर ऊर्जा युक्तियां उपलब्ध कराने हेतु प्रस्तावों को मंजूरी दी गई थी, के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। इन्हें वर्ष 2005-06 के ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आरईसी) द्वारा गांवों के प्रमाणन के आधार पर उपलब्ध कराया जाता है जिनके संबंध में प्रस्ताव राज्य सरकारों से प्राप्त होते हैं। आज की तारीख के अनुसार राज्यों से प्राप्त ऐसे सभी पूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई है।

*विवरण*

*दूरस्थ ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत सौर ऊर्जा युक्तियां उपलब्ध कराने के लिए पिछले तीन वर्षों अर्थात् वर्ष 2003-04 से 2005-06 के दौरान मंजूर किए गए गांवों/बस्तियों का राज्यवार ब्यौरा*

| क्र.सं. | राज्य | गांवों/बस्तियों की संख्या |
|---|---|---|
| 1. | अरुणाचल प्रदेश | 168 |
| 2. | असम | 33 |
| 3. | गुजरात | 38 |
| 4. | हरियाणा | 45 |
| 5. | जम्मू-कश्मीर | 50 |
| 6. | झारखण्ड | 341 |
| 7. | कर्नाटक | 20 |
| 8. | मध्य प्रदेश | 50 |
| 9. | महाराष्ट्र | 174 |
| 10. | मणिपुर | 40 |
| 11. | मिजोरम | 20 |
| 12. | राजस्थान | 230 |
| 13. | तमिलनाडु | 152 |
| 14. | त्रिपुरा | 518 |
| 15. | उत्तरांचल | 164 |
| 16. | उत्तर प्रदेश | 97 |
| 17. | पश्चिम बंगाल | 265 |
| | कुल | 2405 |

*[हिन्दी]*

**इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत राशि में वृद्धि एवं अतिरिक्त आबंटन करना**

***144. श्री जसवंत सिंह बिश्नोई:** क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारी बारिश और बाढ़ आदि को देखते हुए विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा चालू वर्ष के दौरान इंदिरा आवास योजना (आई.ए.वाई.) के अंतर्गत राशि में वृद्धि करने एवं अतिरिक्त आबंटन करने के संबंध में किए गए अनुरोधों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा उन पर क्या कार्यवाही की गई/की जानी है और राज्य-वार कितनी राशि आबंटित की गई/की जानी है?

**ग्रामीण विकास मंत्री (डा. रघुवंश प्रसाद सिंह):** (क) और (ख) निम्नलिखित राज्य सरकारों ने चालू वर्ष के दौरान आई बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुए मकानों के निर्माण के लिए इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत अतिरिक्त निधियां रिलीज करने का अनुरोध किया है:-

| | |
|---|---|
| आंध्र प्रदेश | 04 लाख मकानों का निर्माण |
| उड़ीसा | 1 लाख मकानों का निर्माण |
| कर्नाटक | 12,753 मकानों का निर्माण |
| राजस्थान | आईएवाई के अंतर्गत मकानों के निर्माण के लिए बाढ़ प्रभावित 12 जिलों के प्रति जिला 50.00 लाख रु. तथा बाड़मेर और जैसलमेर जिलों के लिए 11.00 करोड़ रु. रिलीज के लिए। |

इसके अलावा, गुजरात विधान सभा में प्रतिपक्ष के नेता ने भी गुजरात में बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त हुए अतिरिक्त 10,000 मकानों के निर्माण का अनुरोध किया है।

इंदिरा आवास योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा के कारण उत्पन्न हुई आकस्मिकताओं को पूरा करने के लिए प्रति जिला 50.00 लाख रु. (राज्य अंश सहित) तक की धनराशि रिलीज की जा सकती है, जो प्रति जिला केवल 200 मकानों के निर्माण के लिए ही पर्याप्त है। इस प्रयोजनार्थ, राज्य सरकार अपेक्षित दस्तावेज जैसे-बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त हुए मकानों की जिलेवार संख्या तथा बीपीएल लाभार्थियों, जिन्हें सहायता दी जानी है, की ब्लाकवार, ग्रामवार सूची के साथ प्रस्ताव भेज सकती है। तथापि, राजस्थान, जिसके 12 जिलों के लिए प्रति जिला 18.75 लाख रु. की दर से, पहली किस्त के रूप में 2.25 करोड़ रु. रिलीज कर दिए गए हैं, को छोड़कर उपर्युक्त राज्यों द्वारा ये ब्यौरे नहीं दिए गए हैं। अन्य राज्य सरकारों को अब इसकी जानकारी दे दी गई है।

इन राज्यों की अतिरिक्त मांगों के संबंध में गृह मंत्रालय ने यह जानकारी दी है कि निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अंतर-मंत्रालय केन्द्रीय दलों ने इन राज्यों का दौरा किया तथा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कीं, जिन पर अंतर-मंत्रालय समूह (आईएमजी) द्वारा विचार किया गया। इन राज्यों के मामले में अंतर-मंत्रालय समूह की सिफारिशों पर उच्च स्तरीय समिति द्वारा वित्तीय सहायता के अनुमोदन हेतु शीघ्र विचार किया जाएगा।

**क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा किसानों को ऋण**

***145. श्री विजय कुमार खंडेलवाल:**
**श्री कृष्णा मुरारी मोघे:**

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) द्वारा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कितने छोटे किसानों को ऋण प्रदान किया गया;

(ख) क्या सरकार को यह जानकारी है कि किसानों को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से ऋण लेने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा किसानों को आसानी से ऋण मिलना सुनिश्चित करने हेतु क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं?

**वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम):** (क) अ.जा./अ.ज.जा. के छोटे किसानों, जिन्हें गत तीन वर्षों के दौरान देशभर के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा ऋण प्रदान किया गया, की संख्या निम्नांकित है:-

| वर्ष | खातों की संख्या | |
|---|---|---|
| | अनुसूचित जाति | अनुसूचित जाति |
| 2003-2004 | 489674 | 235486 |
| 2004-2005 | 615473 | 292333 |
| 2005-2006 | 648875 | 304904 |

चूंकि किसी वर्ष का आंकड़ा वार्षिक आधार पर समेकित किया जाता है, इसलिए चालू वर्ष का आंकड़ा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात ही उपलब्ध हो पाएगा।

(ख) और (ग) किसानों हेतु ऋण प्रवाह को सुकर बनाना सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न उपाय किए गए हैं। इनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नांकित शामिल हैं:-

(1) बैंकों से कहा गया है कि वे किसानों को उचित ब्याज दर पर ऋण देते समय प्रक्रियाओं को सरलीकृत करें तथा मार्जिन राशि और जमानत संबंधी मानदण्डों के संदर्भ में अपने विवेक का इस्तेमाल करें। 50,000/- रुपए तक का ऋण संपार्श्विक एवं मार्जिन अपेक्षाओं से मुक्त होता है।

(2) शाखा प्रबंधकों को अपने स्तर से किसानों को शीघ्र ऋण मंजूर करने का पर्याप्त अधिकार दिया गया है।

(3) ब्लाक स्तरीय और जिला स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठकों में ऋण की मंजूरी में हुई प्रगति तथा लंबित मामलों की भी समीक्षा की जाती है।

(4) ऐसे अनुदेश हैं कि आवेदन प्राप्त होने के 15 दिनों के अंदर किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) जारी किए जाएं।

(5) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित बैंकों के लिए चालू वित्तीय वर्ष में 50 लाख नए किसानों को संस्थागत ऋण के तहत लाने का विशेष लक्ष्य निर्धारित किया गया है। संयुक्त देयता समूह तंत्र के माध्यम से काश्तकारों/बंटाईदारों को ऋण देने के लिए भी लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं।

(6) सरकार ने वित्तीय विवेक की सीमा के भीतर निम्नांकित श्रेणियों के किसानों को ऋण राहत देने का निर्णय लिया है:-

क. व्यथित किसान

ख. बकाया वाले किसान

ग. छोटे और सीमांत किसानों के लिए एकबारगी निपटान स्कीम

(7) सरकार ने निर्णय लिया है कि वर्ष 2004-05 से शुरू होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के भीतर कृषि ऋण के प्रवाह को दुगुना किया जाए. तदनुसार ही, सभी अभिकरणों को कृषि उधार के तहत अपने संवितरण में वृद्धि करने की सलाह दी गई थी ताकि वे अपने लक्ष्य को पूरा कर सकें।

(8) सरकार ने खरीफ और रबी 2006-07 के लिए किसानों को 3 लाख रुपए की मूलधन राशि तक 7% वार्षिक की ब्याज दर पर अल्पावधि ऋण देने का निर्णय लिया है। सरकार ने सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को नाबार्ड के माध्यम से क्रमश: 2.5% और 4.5%

वार्षिक की ब्याज दर पर रियायती पुनर्वित्त प्रदान किया है। सरकारी क्षेत्र के बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों को उनके अपने संसाधनों से उधार पर 2% वार्षिक की ब्याज सहायता दी जाएगी।

*[अनुवाद]*

**विद्युत उत्पादन हेतु धनराशि का उपयोग**

*146. **श्री के.एस. राव:**
**श्री सर्वे सत्यनारायण:**

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में विद्युत की काफी कमी है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान राज्यों द्वारा अपनी विद्युत उत्पादन क्षमता में की गई वृद्धि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ राज्य सरकारों ने केंद्र सरकार द्वारा आबंटित धनराशि का उपयोग अपनी विद्युत उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने हेतु नहीं किया है;

(घ) यदि हां, तो इसके कारण सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

**विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे):** (क) अप्रैल-अक्तूबर, 2006 के दौरान 7% की अभूतपूर्व विद्युत उत्पादन वृद्धि के बावजूद देश में विद्युत की समग्र कमी विद्युत की उपलब्धता की तुलना में मांग से अधिक होने के कारण है। यह कमी विभिन्न राज्यों, मौसमों एवं दिनों तथा घंटों में विद्युत मांग एवं आपूर्ति के आधार पर भिन्न-भिन्न होती है।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान राज्य क्षेत्र में राज्यों द्वारा की गई विद्युत उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि निम्नानुसार रही-

(मेगावाट में)

| वर्ष | हाइड्रो | थर्मल | कुल |
|---|---|---|---|
| 2003-04 | 165.00 | 651.60 | 816.60 |
| 2004-05 | 515.00 | 653.92 | 1168.92 |
| 2005-06 | 1060.00 | 428.00 | 1488.00 |
| 2006-07* | 374.00 | 0 | 374.00 |
| कुल | 2114.00 | 1733.52 | 3847.52 |

*25.11.2006 तक

परियोजना-वार ब्यौरे विवरण के रूप में संलग्न हैं।

(ग) से (ङ) विद्युत मंत्रालय के पावर फाइनेंस कारपोरेशन तथा रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन विद्युत उत्पादन परियोजनाओं, विशेषकर राज्य क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए ऋण वित्तपोषण उपलब्ध कराते हैं। किंतु अच्छी परियोजनाओं का काम निधियों के अभाव में बाधित न हो, इसके लिए इन संस्थाओं ने आवश्यक निधि एकत्र करने के लिए अपने आपको तैयार कर लिया है ताकि सभी अच्छी परियोजनाओं के लिए पर्याप्त निधियां उपलब्ध हो सके। विगत तीन वर्षों के दौरान पीएफसी तथा आरईसी द्वारा वर्ष-वार रूप से स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों समेत राज्य विद्युत उत्पादन परियोजनाओं को दी गई स्वीकृति के ब्यौरे निम्नानुसार हैं-

(करोड़ रुपये में)

| संगठन | 2003-04 | 2004-05 | 2005-06 |
|---|---|---|---|
| पीएफसी | 8,648 | 12,756 | 15,654 |
| आरईसी | 5,811 | 5,496 | 5,873 |
| कुल | 14,459 | 18,252 | 21,527 |

राज्यों को विद्युत की कमी को दूर करने के लिए 11वीं योजना की राज्य क्षेत्र वाली विद्युत उत्पादन परियोजनाओं और स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों की पहचान व निर्धारण करने तथा पीएफसी और आरईसी को अपनी संभावित वित्तपोषण संबंधी आवश्यकताओं को इंगित करने के लिए कहा गया है।

**विवरण**

*गत तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में 25.11.2006 तक राज्यों द्वारा राज्य क्षेत्र में की गई ताप एवं जल विद्युत क्षमता अभिवृद्धि के ब्यौरे*

| परियोजना का नाम | ताप एवं जल विद्युत क्षमता अभिवृद्धि (मेगावाट) | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 2003-04 | 2004-05 | 2005-06 | 2006-07 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **आंध्र प्रदेश** | | | | |
| श्रीसेलम एलबीपीएच<br>6×150 मेगावाट | 150 | – | – | – |
| **कर्नाटक** | | | | |
| अलमाती<br>1×15+5×55 मेगावाट | 15 | 165 | 110 | – |
| **गुजरात** | | | | |
| सरदार सरोवर*<br>सीएचपीएच 5×50 मेगावाट<br>आरबीपीएच- 6×200 मेगावाट | – | 350 | 800 | 200 |
| धुवरण सीसीपीपी<br>जीटी<br>एसटी | 67.85<br>38.767 | | | |
| अकरीमोटा टीपीपी | – | 125 | 125 | |
| धुवरण सीसीपीपी<br>जीटी | – | | 72 | |
| **तमिलनाडु** | | | | |
| पाइकारा अल्टीमेट<br>3×50 मेगावाट | – | – | 150 | – |
| भवानी बैराज-1<br>2×15 मेगावाट | – | – | – | 30 |
| कुट्टालम सीसीपीपी<br>जीटी<br>एसटी | 63<br>37 | | | |
| **हिमाचल प्रदेश** | | | | |
| लारजी<br>3×42 मेगावाट | | | | 84 |
| **मध्य प्रदेश** | | | | |
| माधीखेड़ा<br>2×20 मेगावाट | – | – | – | 40 |
| बाणसागर टॉस फेज-4<br>2×10 मेगावाट | – | – | – | 20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| **उत्तर प्रदेश** | | | | |
| परीछा टीपीएस विस्तार 2×210 मेगावाट | | | 210 | |
| **राजस्थान** | | | | |
| सुरतगढ़ टीपीपी चरण-III यू-5 | 250 | – | – | – |
| कोटा टीपीपी चरण-4 यू-6 | 195 | | | |
| **हरियाणा** | | | | |
| टीडीएल (पानीपत) टीपीएस 2×250 मेगावाट (यू-7 व 8) | | 500 | | |
| **मिजोरम** | | | | |
| बैराबी डीजीपीपी 4×5.73 मेगावाट (डीजी 1 से 4) | | 22.92 | | |
| **अंडमान व निकोबार** | | | | |
| रंगतबे डीजीपीपी 5×1.2 मेगावाट (डीजी 1 से 5) | | 6.0 | | |
| **त्रिपुरा** | | | | |
| रोखिया जीटी विस्तार 1×21 मेगावाट जीटी-8 | | | 21 | |
| कुल | 816.6 | 1168.92 | 1488 | 374 |

*इस परियोजना से गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का हिस्सा है।

### आयकर विवरणियां दाखिल करना

*147. **श्री बृज किशोर त्रिपाठी:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने कर विवरणी तैयारकर्ताओं (टी.आर.पी.) के द्वारा आयकर विवरणियां भरने में सहायता करने के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त योजना की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं;

(घ) कर विवरणी तैयारकर्त्ताओं को कर कानून और आय कर विवरणियों में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए किस एजेंसी का चयन किया गया है; और

(ङ) देश में ऐसे आयकर विवरणी तैयारकर्ताओं का चयन करने संबंधी मानदंड क्या हैं?

**वित्त मंत्री ( श्री पी. चिदंबरम ):** (क) जी, हां। केन्द्र सरकार ने आयकर विवरणियां दाखिल करने में छोटे और मझौले करदाताओं की मदद करने के लिए 'कर विवरणी तैयारकर्त्ताओं' के रूप में उनको सहायता उपलब्ध कराने का प्रस्ताव किया है।

(ख) कर विवरणी तैयारकर्ता (टीआरपी) आय विवरणी तैयार करने और प्रस्तुत करने में व्यष्टियों एवं हिंदू अविभाजित परिवारों (एचयूएफ) की सहायता करेंगे। तथापि, कर विवरणी तैयारकर्त्ताओं द्वारा ऐसी विवरणियां तैयार नहीं की जाएंगी जिनमें जटिलता जैसे कि सांविधिक लेखा परीक्षा, शामिल होगी। इस योजना के तहत छोटे एवं मझौले करदाताओं के लिए अनुपालन लागत घटाना और इस प्रकार उन्हें कर कानूनों का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करना तथा पूरे देश में बेरोजगार स्नातकों को स्व-रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना जैसे दोहरे लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रस्ताव है।

(ग) कर विवरणी तैयारकर्ता योजना के तहत बेरोजगार स्नातकों का चयन, उनको प्रशिक्षण देना, कर विवरणी तैयारकर्ता के रूप में उनके प्रमाणन से पूर्व प्रशिक्षणोत्तर परीक्षा का आयोजन शामिल है।

प्रशिक्षण में कक्ष प्रशिक्षण, स्वाध्याय और वेब आधारित प्रशिक्षण शामिल होगा। वित्त वर्ष 2006-07 के दौरान, यह योजना 5000 कर विवरणी तैयारकर्ताओं को प्रशिक्षित करने और सफल अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र जारी करने के लिए प्रायोगिक आधार पर फरवरी, 2007 में शुरू की जा रही है।

(घ) अभ्यर्थियों का चयन करने तथा कर विवरणी तैयारकर्ताओं को प्रशिक्षण देने के लिए एजेंसी के रूप में एन आई आई टी को चुना गया है। एन आई आई टी के पास कंप्यूटर आधारित प्रशिक्षण में व्यापक अनुभव एवं राष्ट्रव्यापी नेटवर्क है।

(ङ) अभ्यर्थियों से प्राप्त आवेदनों की स्नातक स्तर पर उनके प्राप्तांकों के आधार पर छंटनी की जाएगी। कर विवरणी तैयारकर्ता के रूप में प्रशिक्षण पाने हेतु न्यूनतम अर्हता वाणिज्य, विधि, अर्थशास्त्र, गणित, सांख्यिकी और व्यवसाय प्रबंध/प्रशासन में स्नातक डिग्री है, छांटे गए अभ्यर्थियों की परीक्षा ली जाएगी तथा 5000 अभ्यर्थियों का चयन एवं नामांकन किया जाएगा। चयनित अभ्यर्थी प्रशिक्षण लेंगे तथा प्रशिक्षण के अंत में उनकी समीक्षा होगी तथा सफल अभ्यर्थियों को ही कर विवरणी तैयारकर्ताओं के रूप में प्रमाणित किया जाएगा।

**केन्द्रीय बिक्री कर की समाप्ति**

***148. श्री बालासोवरी वल्लभनेनी:**
**श्री इकबाल अहमद सरडगी:**

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्रीय बिक्री कर (सी.एस.टी.) को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या सी.एस.टी. को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के फलस्वरूप राज्यों को होने वाले राजस्व घाटे की पूर्ति करने के लिए किसी क्षतिपूर्ति पैकेज को अंतिम रूप दे दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम):** (क) से (ग) केन्द्रीय बिक्री कर (के.बि.क.) माल की अन्त:राज्यीय बिक्री पर कर है जो केन्द्रीय सरकार द्वारा लगाया जाता है परन्तु आरम्भ करने वाले राज्य अर्थात् वह राज्य जहां से माल का चलन आरम्भ होता है, संग्रहण और पूर्णरूप से समायोजित किया जाता है। केन्द्रीय बिक्री कर मूल-आधारित पर होने के कारण मूल्यवर्धित कर के गन्तव्यस्थान-आधारित कर की धारणा के अनुरूप नहीं है। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय बिक्री कर, मूल्य वर्धित कर के प्रति छूट के योग्य नहीं है इसलिए यह निरन्तर लगने वाली प्रकृति का कर है। इन पहलुओं के परिप्रेक्ष्य में इस पर व्यापक मतैक्य है कि राज्य स्तर पर एक सतत कर सुधार प्रक्रिया के संदर्भ में केन्द्रीय बिक्री कर को समाप्त किया जाना चाहिए।

राज्य के वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति इस विषय पर विचार विमर्श कर रही है। अधिकार प्राप्त समिति का मत रहा है कि केन्द्रीय बिक्री कर की समाप्ति के कारण राजस्व की हानि के लिए राज्यों को प्रतिपूर्ति की जानी चाहिए। यह मामला राज्य के वित्त मंत्रियों की दिनांक 16.12.2005, 17.02.2006 और 22.03.2006 को हुई बैठकों में भी चर्चा हेतु आया था। दिनांक 22.3.06 को आयोजित बैठक में इस पर सहमति हुई कि गैर-वित्तीय और वित्तीय उपायों के एक मिश्रित प्रतिपूर्ति पैकेज को कुछ सीमित वर्षों के लिए अन्तिम रूप दिया जाना चाहिए। इस पर भी सहमति हुई थी कि अधिकार प्राप्त समिति ऐसी प्रतिपूर्ति के लिए विकल्प और उसकी निश्चित मात्रा का सुझाव देने के लिए राज्य के कर आयुक्तों की एक तकनीकी समिति गठित करेगी। तनुदसार अधिकार प्राप्त समिति ने एक समिति का गठन किया जिसने अधिकार प्राप्त समिति की अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और अधिकार प्राप्त समिति ने रिपोर्ट पर सम्यक् विचार-विमर्श के बाद केन्द्रीय सरकार को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। अधिकार प्राप्त समिति के प्रस्ताव की जांच की गई और तत्पश्चात् उस पर सरकार के विचारों एवं सुझावों को इस मामले पर और आगे विचार करने के लिए अधिकार प्राप्त समिति को सम्प्रेषित किए गए थे। अधिकार प्राप्त समिति इस मामले पर और आगे विचार विमर्श कर रही है। अधिकार प्राप्त समिति का उत्तर प्रतीक्षित है।

इस प्रकार केन्द्रीय बिक्री कर को समाप्त करने के कारण राज्यों को राजस्व की हानि के लिए प्रतिपूर्ति के पैकेज को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। इस वजह से केन्द्रीय बिक्री कर को समाप्त करने की प्रक्रिया अभी आरम्भ नहीं हुई है।

*[हिन्दी]*

**गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को ऋण**

***149. श्री हेमलाल मुर्मू:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में बैंकों के कार्यनिष्पादन की व्यापक समीक्षा की गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले;

(ग) क्या देश के विभिन्न राज्यों में गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले (बीपीएल) परिवारों सहित विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को ऋण सुविधाओं से वंचित किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

**वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम):** (क) और (ख) 30 सितम्बर, 2006 को समाप्त छमाही के लिए, सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के कार्यनिष्पादन की समीक्षा दिनांक 6.11.2006 को उनके मुख्य कार्यपालकों के साथ हुई बैठक में की गई थी। बैंक

ऋण में लगातार हो रही उच्च वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, पीएसबी को जमा वृद्धि पर ध्यान केन्द्रित करने तथा अपने पोर्टफोलियो को पुन: संतुलित करने हेतु यह सुनिश्चित करने की सलाह दी गई है कि अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्रों को पर्याप्त ऋण उपलब्धता रखी जाए।

(ग) और (घ) भारत सरकार गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले समाज के विभिन्न वर्गों के लिए ऋण देने हेतु स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई), प्रधान मंत्री रोजगार योजना (पीएमआरवाई), आदि सहित विभिन्न योजनाएं कार्यान्वित कर रही है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार, सरकारी एवं गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने वर्ष 2005-06 के दौरान एसजीएसवाई के अंतर्गत 1,125 करोड़ रुपए तथा पीएमआरवाई के अंतर्गत 1,526 करोड़ रुपए की राशि के ऋण संवितरित किए। इसके अतिरिक्त, देश में स्व-सहायता समूहों (एसएचजी) को 31 मार्च, 2006 तक 11,398 करोड़ रुपए की कुल वित्तीय सहायता के साथ ऋण-संबद्ध कर दिया गया है। तथापि, आरबीआई द्वारा किए गए अध्ययन में यह बताया गया है कि विभिन्न कारणों से बैंकों द्वारा ऋण के संवितरण में विलम्ब के कुछ उदाहरण देखे गए हैं जिनमें बैंकों द्वारा प्राप्त आवेदनों की अपर्याप्त संख्या, वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक आवेदनों को एकत्र कर सब्सिडी प्राप्त न होना/प्राप्ति में विलम्ब होना, कार्यान्वयनकर्त्ता अभिकरणों में समन्वय की कमी, आवेदकों द्वारा औपचारिकताएं पूरी न करना, त्रुटिपूर्ण आवेदन, उधारकर्त्ताओं द्वारा आस्तियों के सृजन में विलम्ब, आदि शामिल हैं।

(ङ) सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक ने इन योजनाओं के अंतर्गत ऋण की शीघ्र संस्वीकृति एवं संवितरण हेतु विभिन्न कदम उठाए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ, घरेलू अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के कार्यनिष्पादन की नियमित आधार पर निगरानी, राज्यों से योजनाएं कार्यान्वित करने के लिए सक्रिय होने का अनुरोध, एसजीएसवाई के अंतर्गत मंजूर किए गए अग्रिमों को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिमों के रूप में मानना, ऋण आवेदनों के तुरन्त निपटान के लिए समय-सीमा निर्धारित करना, शाखा प्रबंधक को संस्वीकृति हेतु पर्याप्त अधिकार देने की अपेक्षा करना, आदि शामिल हैं।

*[अनुवाद]*

## सहकारी बैंकों को पुनर्गठन हेतु ऋण

*150. **श्री असादुद्दीन ओवेसी:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कृषि क्षेत्र के लिए ऋण प्रवाह में वृद्धि करने हेतु सहकारी बैंकों का पुनर्गठन करने के लिए विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक से ऋण प्राप्ति को अंतिम रूप दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो इससे संबंधित निबंधन और शर्तों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पुनर्गठन प्रक्रिया में केन्द्र और राज्यों द्वारा किस अनुपात में व्यय वहन किए जाने की संभावना है; और

(घ) इस प्रक्रिया के कब तक पूरा होने की संभावना है?

**वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम):** (क) और (ख) अल्पावधि सहकारी ऋण ढांचे को मजबूती प्रदान करने संबंधी पुनरुद्धार पैकेज के क्रियान्वयन के लिए संसाधन जुटाने हेतु एशियाई विकास बैंक (एडीबी), केएफडब्ल्यू जर्मनी और विश्व बैंक के साथ वार्ता की गई है। ये ऋण समझौते विचार-विमर्श के विभिन्न चरणों में हैं और इन ऋणों के लिए निबंधन और शर्तों का पर्याप्त विचार-विमर्श के पश्चात् ही पता चल पाएगा।

(ग) राज्य सरकारों के परामर्श से अनुमोदित पुनरुद्धार पैकेज में 13,596 करोड़ रुपए का अनुमानित वित्तीय परिव्यय शामिल है जिसमें पूरे देश के लिए समग्र रूप से केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों और सहकारी ऋण ढांचे का हिस्सा क्रमश: 68:28:4 के अनुपात में होगा।

(घ) पुनरुद्धार पैकेज में भागीदारी को अपनाने वाले राज्य वित्तीय सहायता के पात्र होंगे यदि वे यथा व्यवस्थित कानूनी और संस्थागत सुधार के क्रियान्वयन (चरणबद्ध रूप से और तीन वर्ष की अवधि के भीतर) के लिए केन्द्र सरकार के साथ औपचारिक समझौता ज्ञापन या सहमति पत्रों के विनियम तंत्र के माध्यम से सहमत होते हैं। तत्काल चयन करने को तैयार न होने वाले राज्यों को इस मामले में निर्णय लेने के लिए दो वर्ष का समय दिया जाएगा। अब तक छ: राज्यों ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। पांच अन्य राज्यों ने भी इस पैकेज को स्वीकार करने की सहमति दे दी है।

## अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट्स

*151. **श्री जी.वी. हर्ष कुमार:**
**श्रीमती जयाप्रदा:**

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट्स का ब्यौरा क्या है जिन्हें स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है और इन प्रोजेक्ट्स को किन-किन स्थानों पर स्थापित किया जाएगा;

(ख) प्रत्येक प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत कितनी है और इससे कुल कितनी विद्युत का उत्पादन किया जाएगा;

(ग) क्या इन प्रोजेक्ट्स हेतु रुचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रत्येक प्रोजेक्ट के प्रति क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) क्या इन प्रोजेक्ट्स के संबंध में बोली लगाने वालों का चयन किया गया है और यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(च) इन प्रोजेक्ट्स को समय पर पूरा करने के लिए आगे क्या कदम उठाए गए हैं?

**विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे):** (क) और (ख) अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट पहल टैरिफ आधारित प्रतियोगी बोली की प्रक्रिया के माध्यम से लगभग 16000 करोड़ प्रत्येक की अनुमानित लागत से प्रत्येक 4000 मे.वा. की व्यापक क्षमता वाली कोयला आधारित परियोजनाओं के विकास की परिकल्पना करती है। 7 परियोजनाओं, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, कर्नाटक और छत्तीसगढ़ में एक-एक परियोजना को पहले ही चिह्नित किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त, झारखंड और तमिलनाडु ने अपने राज्यों में अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट (यूएमपीजी) की स्थापना के लिए अनुरोध किया है।

(ग) से (च) रूचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) सासन (मध्य प्रदेश), मुन्द्रा (गुजरात), गिरये (महाराष्ट्र) और ताद्री (कर्नाटक) यूएमपीपी में स्थित यूएमपीपी स्थलों के लिए आमंत्रित की गई थी।

इनमें से, अपेक्षित स्वीकृतियों और स्थल पुष्टि के आधार पर मध्य प्रदेश में सासन और गुजरात में मुन्द्रा के संबंध में बोली प्रक्रिया आरंभ की गई है। इन दो परियोजनाओं के संबंध में पूर्व अर्हता वाले बोलीकर्त्ताओं की सूची संलग्न विवरण में दी गई है। सासन और मुन्द्रा परियोजनाओं के लिए निर्धारित समय सीमा के अनुसार दिसम्बर, 2006 तक सफल बोलीकर्त्ताओं की पहचान किया जाना निर्धारित है।

इन परियोजनाओं के अलावा, आंध्र प्रदेश में कृष्णापट्टनम यूएमपीपी के संबंध में भी बोली प्रक्रिया शुरू की गई है।

***विवरण***

*सासन यूएमपीपी, एमपी के लिए पूर्व अर्हता वाले बोलीकर्ता*

| क्र.सं. | | कंपनी/कंसोर्टियम |
|---|---|---|
| 1 | | 2 |
| 1. | **घरेलू** | सीईएससी लि. |
| 2. | | टोरेंट पावर |
| 3. | | स्टर्लाइट इंडस्ट्रीज लि. |
| 4. | | टाटा पावर लि. |
| 5. | | एलएण्डटी लि. |
| 6. | | एस्सार पावर लि. |
| 7. | | जिंदल स्टील एण्ड पावर लि. |
| 8. | | रिलायंस इनर्जी लि. |
| 9. | | जयप्रकाश एसोसिएट्स लि |
| 10. | **विदेशी/कनसोर्टियम** | एनटीपीसी लिमिटेड |
| 11. | | जीएमआर (सीएलपी के साथ कनसोर्टियम) |
| 12. | | लेनको (गलोबेलेग लि. के साथ कनसोर्टियम) |
| 13. | | एसईएस इंडिया लि. |

*मुंद्रा यूएमपीपी, गुजरात के लिए पूर्व अर्हता वाले बोलीकर्ता*

| | | |
|---|---|---|
| 1. | **घरेलू** | अदानी एक्सपोर्ट लि. |
| 2. | | टोरेंट पावर |
| 3. | | स्टर्लाइट इंडस्ट्रीज लि. |
| 4. | | टाटा पावर लि. |
| 5. | | एलएण्डटी लि. |
| 6. | | एस्सार पावर लि. |
| 7. | **विदेशी** | रिलायंस इनर्जी लि. |
| 8. | | एसईएस इंडिया लि. |
| 9. | | एसएनसी लवालिन इंटरनेशनल+ लेनको |
| 10. | | सुमिटोमो कारपोरेशन |
| 11. | | सीएलपी पावर (आई) प्राइवेट लि. |

**आवास इकाइयों की कमी**

***152. श्री जसुभाई धानाभाई बारड़:** क्या आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने नौवीं पंचवर्षीय योजना के अंत में शहरी क्षेत्रों में आवासीय इकाइयों की कमी के संबंध में कोई आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) दसवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान सरकारी तथा निजी क्षेत्र में अलग-अलग कितने आवासों का निर्माण किया गया/किए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) दसवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक आवासीय इकाइयों की अनुमानत: कितनी कमी होगी; और

(ङ) इस समस्या से निपटने के लिए इस संबंध में क्या भावी रणनीति बनाई जा रही है?

**आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा):** (क) और (ख) दसवीं योजना दस्तावेज के अनुसार नौवीं योजना के अंत में तथा दसवीं योजना के प्रारंभ में शहरी क्षेत्र में 8.89 मिलियन आवासों की कमी थी। अनुमान था कि दसवीं योजना अवधि के दौरान संचयी रूप से कुल संख्या 22.44 मिलियन आवासों की आवश्यकता होगी।

(ग) दसवीं योजना अवधि के लिए निजी/सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा आवासों का निर्माण करने हेतु अलग से कोई अनुमान नहीं लगाया गया है। तथापि, विभिन्न आवासीय वित्त संस्थाओं द्वारा तथा विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत वर्ष 2002-03 से 2005-06 तक की अवधि के दौरान उपलब्धियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) 11वीं योजना दस्तावेज तैयार करने के संदर्भ में शहरी क्षेत्रों में आवासों की कमी का अनुमान लगाने के लिए मंत्रालय द्वारा गठित तकनीकी दल द्वारा लगाए गए प्रारंभिक अनुमान के अनुसार 11वीं पंचवर्षीय योजना के प्रारंभ (अर्थात् 2007) में शहरी क्षेत्रों में आवासों की कमी 24.71 मिलियन होंगे।

(ङ) 63 चुनिंदा शहरों में मिशन मोड में इस समस्या से निपटने हेतु भारत सरकार द्वारा जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) दिसम्बर, 2005 में शुरू किया गया है। जेएनएनयूआरएम के उप-मिशन "शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवाओं" के अंतर्गत शहरी गरीबों के लिए किफायती कीमत पर टेन्यूर की सुरक्षा के साथ बेहतर आवासों का प्रावधान करने का लक्ष्य है। मिशन के अंतर्गत शामिल नहीं किए गए शेष शहरों के लिए "समेकित आवास और स्लम विकास कार्यक्रम" (आईएचएसडीपी) नामक बहुप्रयोजनी स्कीम जेएनएनयूआरएम के साथ शुरू की गई है। इस स्कीम के अंतर्गत सहायता के घटक में आवासों के उन्नयन/नए निर्माण तथा स्लम सुधार के भाग के रूप में जल आपूर्ति और सीवरेज जैसी अवस्थापनात्मक सुविधायें शामिल हैं।

आवास तथा संबंधित अवस्थापनाओं के विकास की गति में तेजी लाने तथा विशेषकर शहरी गरीबों के लिए किफायती आवासीय स्टाक के सृजन के लिए एक संशोधित राष्ट्रीय शहरी आवास एवं पर्यावास नीति विचाराधीन है।

***विवरण***

*10वीं योजना अवधि 2002-2007 के दौरान शहरी आवास स्कीमों की प्रगति*

1. दो मिलियन आवास कार्यक्रम

| वर्ष | लक्ष्य | स्वीकृति | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | हडको, सहकारी आवास तथा आवास वित्त संस्थानों का संचयी लक्ष्य | हडको* | एनसीएचएफ** द्वारा यथा सूचित सहकारी आवास | आवास वित्त संस्थान*** | रिहायशी यूनिटों की कुल सं. |
| | | स्वीकृत यूनिटों की कुल सं. (शहरी) | स्वीकृत यूनिटों की कुल सं. (शहरी) | स्वीकृत यूनिटों की कुल सं. (शहरी) | |
| 2002-03 | 700000 | 459969 | 73461 | 637091 | 1170521 |
| 2003-04 | 700000 | 427455 | 89948 | 621331 | 1138734 |
| 2004-05 | 700000 | 254885 | 71280 | 434675 | 760840 |
| 2005-06 | 700000 | 184597 | 64687 | 317077 | 566361 |
| कुल | 2800000 | 1326906 | 299376 | 2010174 | 3636456 |

*हडको - आवास एवं नगर विकास निगम लिमिटेड
**एनसीएचएफ - भारतीय राष्ट्रीय सहकारी आवास संघ
***एचएफआई - सार्वजनिक क्षेत्र बैंक सहित आवास वित्त संस्थान

2. वाल्मीकि अम्बेडकर आवास योजना (वाम्बे)

| वर्ष | जारी राशि (लाख रु. में) | शामिल रिहायशी यूनिटों की संख्या | शामिल शौचालय सीटों की संख्या |
|---|---|---|---|
| 2002-03 | 10329.285 | 105449 | 21393 |
| 2003-04 | 23815.565 | 108160 | 3090 |
| 2004-05 | 26941.161 | 112143 | 35086 |
| 2005-06 | 16401.820 | 89772 | 1420 |
| कुल | 86487.831 | 415524 | 60989 |

वाम्बे स्कीम को राष्ट्रीय स्लम विकास कार्यक्रम (एनएसडीपी) के साथ 3.12.2005 से "शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवा" (बीएसयूपी) और "एकीकृत आवास और स्लम विकास कार्यक्रम" (आईएचएसडीपी) में मिला दिया गया है।

3. शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवाएं (बीएसयूपी)

(25.11.2006 के अनुसार)
(करोड़ रु. में)

| अनुमोदित परियोजना | | | पहली किस्त (केन्द्रीय अंश का 25%) |
|---|---|---|---|
| परियोजनाओं की सं. | अनुमोदित परियोजना लागत | अनुमोदित केन्द्रीय अंश | |
| 34 | 2097.78 | 1043.96 | 260.99 |

4. एकीकृत आवास और स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी)

(25.11.2006 के अनुसार)
(करोड़ रु. में)

| अनुमोदित परियोजना | | | केन्द्रीय सहायता की पहली किस्त (क्षेत्रीय अंश का 50%) |
|---|---|---|---|
| परियोजनाओं की सं. | कुल अनुमोदित लागत | अनुमोदित केन्द्रीय अंश | |
| 61 | 647.79 | 467.21 | 233.60 |

*[हिन्दी]*

**ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों की शाखाओं को बंद करना**

*153. **श्री पंकज चौधरी:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत कुछ वर्षों में कई वाणिज्यिक बैंकों ने ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित अपनी शाखाओं को बंद किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान बैंक-वार कितनी ग्रामीण शाखाओं को बंद किया गया है; और

(घ) इस प्रकार से शाखाओं को बंद करने को रोकने हेतु और ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग का विकास करने और इसे लोकप्रिय बनाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

**वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम):** (क) से (घ) जी, नहीं। पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के 30 सितम्बर, 2006 तक के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों की बंद कर दी गई ग्रामीण शाखाओं तथा समीपस्थ शाखाओं के साथ विलय के कारण बंद कर दी गई कुछ शाखाओं की बैंक-वार संख्या का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 8 सितम्बर, 2005 को घोषित चालू शाखा प्राधिकरण नीति के अनुसार, बैंकों को ग्रामीण और कम

बैंकिंग सुविधाओं वाले क्षेत्रों में शाखाएं खोलने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। तथापि, कतिपय आपवादिक परिस्थितियों में, अर्थात् कानून एवं व्यवस्था की समस्याएं, प्राकृतिक आपदा या निरंतर हानियां होने पर, बैंकों को अपनी ग्रामीण शाखाओं को बंद करना पड़ सकता है। साथ ही, बैंकों में प्रौद्योगिकी संबंधी बदलाव होने पर, किसी शाखा को समीपस्थ शाखा में विलय करने की आवश्यकता हो सकती है।

बैंकों की ग्रामीण शाखाओं को बंद करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्वानुमति आवश्यक है। जहां किसी एक वाणिज्यिक बैंक की शाखा वाले ग्रामीण केन्द्रों में हानि उठाने वाली शाखाओं को भी बंद करने की अनुमति नहीं दी जाती है, वहीं एक से अधिक बैंक शाखाओं वाले केन्द्र में शाखाओं को बंद करने के प्रस्तावों को जिला परामर्शदात्री समिति (डीसीसी) का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद बैंक की वार्षिक शाखा विस्तार योजना में शामिल किया जाना होता है। कुछ मामलों में, जिला परामर्शदात्री समिति (डीसीसी) द्वारा अनुमोदित, ग्रामीण शाखाओं को बंद करने के प्रस्तावों पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुकूल दृष्टि से विचार नहीं किया जाता है।

***विवरण***

*पिछले तीन वर्षों, 1 अप्रैल से 31 मार्च के दौरान और 30.9.2006 तक, बंद की गई तथा समीपस्थ शाखाओं के साथ विलय होने के कारण बंद की गई सरकारी क्षेत्र के बैंकों की ग्रामीण शाखाओं की बैंक-वार संख्या*

| बैंक का नाम | 2003-04 | | 2004-05 | | 2005-06 | | 2006-07 सितम्बर 2006 तक | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | बंद की गई शाखा | विलय के कारण बंद की गई शाखा | बंद की गई शाखा | विलय के कारण बंद की गई शाखा | बंद की गई शाखा | विलय के कारण बंद की गई शाखा | बंद की गई शाखा | विलय के कारण बंद की गई शाखा |
| भारतीय स्टेट बैंक | – | 3 | – | 2 | – | 1 | 1 | – |
| स्टेट बैंक आफ इन्दौर | – | – | – | – | – | 5 | – | – |
| स्टेट बैंक आफ मैसूर | – | 1 | – | – | – | – | – | – |
| स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर | – | 1 | – | – | – | – | – | – |
| इलाहाबाद बैंक | – | 1 | – | – | – | – | – | – |
| बैंक आफ बड़ौदा | – | 1 | – | 2 | – | 3 | – | – |
| बैंक आफ इंडिया | – | 3 | – | 1 | – | – | – | – |
| देना बैंक | – | – | – | 1 | – | – | – | – |
| इंडियन बैंक | – | 4 | – | – | – | – | – | – |
| इंडियन ओवरसीज बैंक | – | 1 | – | – | – | – | – | – |
| पंजाब नैशनल बैंक | – | – | – | – | – | 1 | – | – |
| यूको बैंक | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – |
| कुल | 1 | 15 | 1 | 6 | – | 10 | 1 | – |

*[अनुवाद]*

**पीयूआरए योजना**

**154. श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील:** क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रोविजन आफ अर्बन एमिनिटिज इन रूरल एरियाज (पीयूआरए) योजना को लागू किए जाने के बाद से इसके क्रियान्वयन हेतु वर्ष-वार और राज्य-वार कितनी धनराशि आबंटित की गयी और कितनी धनराशि व्यय की गई है;

(ख) क्या सरकार पीयूआरए योजना के दिशानिर्देशों को संशोधित करने पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**ग्रामीण विकास मंत्री (डा. रघुवंश प्रसाद सिंह):** (क) सरकार, वर्ष 2004-05 से तीन वर्षों की अवधि के लिए प्रायोगिक आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं का प्रावधान (पुरा) योजना को कार्यान्वित कर रही है। योजना के अंतर्गत वर्ष 2004-05, 2005-06 और 2006-07 में प्रत्येक वर्ष के लिए बजटीय प्रावधान 10 करोड़ रु. रहा है। राज्य-वार और वर्ष-वार रिलीज की गई निधियां और खर्च की गई राशि इस प्रकार है:-

(रुपए लाख में)

| क्र.सं. | राज्य | रिलीज की गई राशि 2004-05 | रिलीज की गई राशि 2005-06 | रिलीज की गई राशि 2006-07 | रिलीज की गई कुल निधियां | 31.10.2006 को राज्य द्वारा सूचित संचयी व्यय |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | असम | 150.00 | 136.00 | – | 286.00 | 233.70 |
| 2. | आंध्र प्रदेश | 150.00 | 78.80 | 50.00 | 278.80 | 199.00 |
| 3. | बिहार | 150.00 | 150.00 | – | 300.00 | 126.96 |
| 4. | महाराष्ट्र | 100.00 | 147.30 | – | 247.30 | 79.00 |
| 5. | उड़ीसा | 150.00 | 200.00 | – | 350.00 | 182.02 |
| 6. | राजस्थान | 150.00 | 130.00 | – | 280.00 | 165.39 |
| 7. | उत्तर प्रदेश | 150.00 | 157.90 | – | 307.90 | 186.19 |
| | कुल | 1000.00 | 1000.00 | | 2050.00 | 1172.26 |

(ख) और (ग) सरकार ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में पुनर्गठित 'पुरा' योजना के कार्यान्वयन के लिए प्रस्ताव तैयार कर रही है।

*[हिन्दी]*

**बैंकिंग ओम्बड्समैन**

***155. डा. राजेश मिश्रा:**
**श्री अवतार सिंह भडाना:**

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2006 के दौरान आज की तिथि तक बैंकिंग ओम्बड्समैन को कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं और ये शिकायतें किस प्रकार की हैं;

(ख) कितनी शिकायतों का निपटान किया गया है; और

(ग) उपभोक्ताओं की शिकायतों का समाधान करने में बैंकिंग ओम्बड्समैन कितना सफल रहा है?

**वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम):** (क) दिनांक 01.01.2006 से 31.10.2006 की अवधि के दौरान, बैंकिंग ओम्बड्समैन कार्यालयों को 35,503 शिकायतें प्राप्त हुई थीं, जो मुख्यत: वसूली/विप्रेषण में देरी, जमा खातों में अप्राधिकृत विकलन, न्यूनतम शेष राशि को न बनाए रखने के लिए अर्थ दंड, एटीएम कार्ड संबंधी मुद्दे, पूर्व सूचना के बिना सेवा शुल्क लगाना, क्रेडिट कार्ड, ऋण की गैर-मंजूरी अथवा मंजूरी में विलम्ब, ऋण पर प्रभारित ब्याज दर, इत्यादि से जुड़ी हुई हैं।

(ख) और (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने 01 जनवरी, 2006 से संशोधित बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम को लागू किया है, जिसमें कई नए क्षेत्रों को शामिल किया गया है तथा शिकायतों को आनलाइन और ई-मेल के जरिए दर्ज कराने की अनुमति दी गई है। वर्ष 2005 में प्राप्त 14,687 शिकायतों की तुलना में 01.01.2006 से 31.10.2006 की अवधि में प्राप्त शिकायतों की अधिक संख्या के बावजूद बैंकिंग ओम्बड्समैन ने उक्त अवधि के दौरान 29,691 शिकायतों को सफलतापूर्वक निपटा दिया है।

**शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के कल्याण हेतु कपार्ट द्वारा सहायता**

***156. श्री सुनिल कुमार महतो:**
**श्री काशीराम राणा:**

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के कल्याण हेतु लोक कार्रवाई ग्रामीण प्रौद्योगिकी प्रगति परिषद (कपार्ट) द्वारा सहायता प्रदान की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान कितनी धनराशि जारी की गई तथा खर्च की गई; और

(ग) उन गैर-सरकारी संगठनों का ब्यौरा क्या है, जिन्हें उक्त अवधि के दौरान इस प्रयोजनार्थ सहायता प्रदान की गई तथा किन-किन परियोजनाओं के लिए कितनी-कितनी धनराशि प्रदान की गई?

**ग्रामीण विकास मंत्री (डा. रघुवंश प्रसाद सिंह):** (क) जी, हां। कपार्ट द्वारा, अपनी अपंगता योजना के अंतर्गत, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों/अपंग व्यक्तियों के कल्याण के लिए सहायता प्रदान की जाती है।

(ख) और (ग) पिछले तीन वर्षों अर्थात् 2003-04, 2004-05 एवं 2005-06 और चालू वर्ष में 20.11.2006 तक गैर-सरकारी संगठनों को अपंगता योजना के अंतर्गत स्वीकृत, जारी तथा उपयोग की गई राशि का वर्षवार/राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

***विवरण***

*अपंगता योजना के अंतर्गत वर्षवार/राज्यवार/गैर-सरकारी संगठनवार ब्यौरा*

| क्र.सं. | स्वैच्छिक संगठन का नाम, पता | योजना | स्वीकृत राशि | जारी राशि | उपयोग की गई राशि |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **2003-04** | | | | | |
| **राज्य - आंध्र प्रदेश** | | | | | |
| 1. | कम्युनिटी डेवलपमेंट सेन्टर<br>रामभद्रपुरम, जिला विजयनगरम | अपंगता | 580900 | 00 | 00 |
| 2. | नरेन रिहेबिलीटेशन इन्स्टीट्यूट डी. नं. 15/40,<br>बर्मा स्ट्रीट, मदनापल्ली, जिला-चित्तूर | अपंगता | 36800 | 36800 | 36800 |
| 3. | पीपल एक्शन इन डेवलपमेंट (पीएआईडी)<br>डी. नं. 20/1030-2, आर.के. नगर,<br>कोआपरेटिव कालोनी, कुडप्पा | अपंगता | 36800 | 36800 | 36800 |
| 4. | रूरल स्माल इंडस्ट्रीज डेव. सोसा.<br>5-43, कार स्ट्रीट, पुंगानूर, चित्तूर | अपंगता | 542110 | 542110 | 542110 |
| 5. | सेलेथा एसो. फार इंटिग्रेटेड डेव. फार वुमेन डी. नं. 1-23,<br>सैनिक कालोनी, कोठापेटा, धर्मावरम, जिला अनंतपुरम | अपंगता | 36800 | 36800 | 36800 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6. | स्नेहा डी. नं. 15/40, बर्मा स्ट्रीट, मदनापल्ली, जिला चित्तूर | अपंगता | 36800 | 36800 | 36800 |
| 7. | श्री वेंकटेश्वरा खादी ग्रामीण प्राएसरमला, डी. नं. 15/40, बर्मा स्ट्रीट, मदनापल्ली, जिला चित्तूर, एपी संस्था, हरीपलेम गांव, अनाकापल्ली, जिला विशाखापट्टनम | अपंगता | 36800 | 36800 | 36800 |
| **राज्य - बिहार** | | | | | |
| 1. | लोहिया जय प्रकाश खादी ग्रामोद्योग मानव विकास संस्था, पो. बाघरा, ब्लाक-मोहनपुर, जिला-समस्तीपुर | अपंगता | 520000 | 280000 | 174000 |
| 2. | महिला शिल्प कला केन्द्र गांव-पो.-कोइलवाड़, ब्लाक कोलवाड़, जिला-भोजपुर | अपंगता | 36800 | 36800 | 36800 |
| 3. | विनोबा आरोग्य एवं लोक शिक्षा केन्द्र गांव-जयकृष्ण नगर, पो. बदाय, ब्लाक-इस्मालपुर, जिला नालंदा | अपंगता | 784450 | 543450 | 198325 |
| **राज्य - गुजरात** | | | | | |
| 1. | सोशल वेलफेयर ट्रस्ट ए-24, शुभलक्ष्मी नगर, चक्करगढ़ रोड, ब्लाक, अमरेली | अपंगता | 36800 | 00 | 00 |
| **राज्य - हिमाचल प्रदेश** | | | | | |
| 1. | लेयुल ट्राइबल्स वेलफेयर एसोसिएशन 157/3, गोनपा रोड, मनाली, ब्लाक-नागर, जिला कुल्लू | अपंगता | 36800 | 36800 | 36800 |
| **राज्य - कर्नाटक** | | | | | |
| 1. | रूरल एजुकेशन एंड अवेयरनेस डेव. आर्गेनाइजेशन, 2/56, प्राहरेंस स्ट्रीट, हर्षिता काम्प्लेक्स, पंताजली नगर, पावगाड़ा | अपंगता | 36800 | 00 | 00 |
| **राज्य - मध्य प्रदेश** | | | | | |
| 1. | शिवांगी एजुकेशन एंड रूरल डेव. सोसायटी, हनुमान कालोनी, गुना | अपंगता | 501250 | 501250 | 501250 |
| 2. | युवा महिला मंडल, गुलाबगंज, केंट, ब्लाक/जिला-गुना | अपंगता | 36800 | 36800 | उपयोग प्रमाण-पत्र प्रतीक्षित |
| **राज्य - उड़ीसा** | | | | | |
| 1. | अंत्योदय चेतना मंडल, गांव-रंगमटिया, पो. पाटागडिया वाया ब्लाक - रसगोविन्दपुर, जिला मयुरभंज | अपंगता | 332861 | 300000 | 300000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | फोरम फार रूरल एजुकेशन एवं एम्पावरमेंट आन डेव. आर्गेनाइजेशन, निर्माण पीठ, चाकासोलाना, पो.-जापान, पीएस पिपली, वाया बालंगा, जिला पुरी | अपंगता | 36800 | 36800 | 36800 |
| 3. | इंस्टीट्यूट फार सेल्फ एम्प्लाएमेंट एंड रूरल डेव., पंडापोखरी, पो.-पानसपड़ा, ब्लाक-कृष्णाप्रसाद | अपंगता | 36800 | 36800 | 36800 |
| 4. | इंस्टीट्यूट फार यूथ एंड वुमेन डेवलपमेंट, गोरंडीजुडी (नजदीक-रिवर देव), सहरपाडा | अपंगता | 36800 | 36800 | 36800 |
| 5. | प्रोग्रेसिव यूनियन आफ दी विज्युअली हैंडीकेप्ड फार फ्रेटरनिटी प्लाट नं. 1236, शास्त्रीनगर, यूनिट-4, भुवनेश्वर, जिला खुर्दा | अपंगता | 36800 | 36800 | उपयोग प्रमाण-पत्र प्रतीक्षित |
| 6. | श्री नुरसिंहदेव आंचलिक युवा परिषद गोलासाही, पो.-खादीपाडा-752002, जिला-पुरी | अपंगता | 297000 | 227100 | 89300 |
| 7. | विकास डी-2/7, इंडस्ट्रीयल एस्टेट, रसूलगढ़, भुवनेश्वर | अपंगता | 479030 | 169040 | उपयोग प्रमाण-पत्र प्रतीक्षित |
| **राज्य - तमिलनाडु** | | | | | |
| 1. | अनुग्रह ट्रस्ट फार हैन्डीकेप्ड, 24/4-77, ई-3, नेसामणी नगर, नागरकोइल, जिला कन्याकुमारी | अपंगता | 697750 | 562500 | 145250 |
| 2. | चेतना विकास काडाचेनेंदल, पो.-काठकिनारू, जिला-मदुरै | अपंगता | 36800 | 36800 | 36800 |
| 3. | मदर टेरेसा सोसायटी फार दा हैन्डीकेप्ड उदुमलपेट, नं. 375, पलानी रोड, एसवी मिल्स (पोस्ट), ब्लाक उदुमलपेट, जिला-कोयम्बटूर | अपंगता | 36800 | 36800 | 36800 |
| 4. | रिसोर्स सेन्टर फार इकोलाजी एग्रीकल्चर एंड कम्युनिटी डेव., चेंकजिकारा, कादया, कलियाल, ब्लाक-मेलपुरम, जिला कन्याकुमारी | अपंगता | 541600 | 541600 | 178900 |
| 5. | थंजाई जनसेवा भवन 48/90, अन्ना कालोनी, पत्तुकोट्टाई रोड, जिला-तंजाबूर | अपंगता | 36800 | 36800 | 36800 |
| 6. | ट्रस्ट फार रूरल अपलिस्ट एंड एजुकेशन डाक्टर थोट्टम, मेन रोड (नजदीक-बस स्टैंड), वाडाकांगुलम, जिला तिरून्नेवेली | अपंगता | 738700 | 256850 | 256850 |
| **राज्य - पश्चिम बंगाल** | | | | | |
| 1. | इकोनोमिक रूरल डेव. सोसायटी 6, किरण शंकर राय रोड, भू-तल कमरा सं. 3, कोलकाता | अपंगता | 36800 | 36800 | 36800 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | प्रयासी ग्राम विकास केन्द्र<br>गांव-पो.-गब्बेरिया, पीएस/ब्लाक मंदिर बाजार | अपंगता | 36800 | 36800 | 36800 |
| 2004-2005 | | | | | |
| राज्य - आंध्र प्रदेश | | | | | |
| 1. | आदित्य इंडस्ट्रीयल एजुकेशनल सोसा., म.नं. 3-79,<br>शिवुनिपल्ली, धानपुर (स्टेशन), जिला वारंगल | अपंगता | 387000 | 189900 | 189900 |
| 2. | मनोचेतना दी वारंगल रिहेबिलीटेशन सेंटर फार दा<br>वेलफेयर आफ मैन 3-112, पश्चिम कालोनी,<br>वड्डेपल्ली, ब्लाक-हनामकोंडा, जिला-वारंगल | अपंगता | 691305 | 344700 | उपयोग प्रमाण-पत्र प्रतीक्षित |
| 3. | मूवमेंट वालंटरी आर्गेनाइजेशन एमआईजी-69,<br>एपीएचबी कालोनी, ब्लाक भोंगीर, जिला-नालगोंडा | अपंगता | 449400 | 169800 | 169800 |
| 4. | प्रगति सेवा समिति सं. 2-5-898,<br>सर्किट हाउस रोड, हानमकोंडा | अपंगता | 1291100 | 616150 | 316594 |
| 5. | राष्ट्रीय सेवा समिति नं. 9, ओल्ड हजूर आफिस बिल्डिंग<br>तिरूपति, जिला-चित्तूर | अपंगता | 120000 | 96000 | 96000 |
| 6. | रिलीफ आर्गेनाइजेशन फार हैन्डीकेप्ड<br>सेवा मंदिर, हिन्दुपुर, जिला-अनंतपुर | अपंगता | 459900 | 229950 | 229950 |
| राज्य - असम | | | | | |
| 1. | मानव सारथी 147, उद्यान,<br>आरजीबी रोड, गणेशगुड़ी | अपंगता | 1106800 | 553300 | 553300 |
| राज्य - बिहार | | | | | |
| 1. | बिहार ग्राम विकास परिषद गांव-माणिकपुर,<br>मुशहरनिया, पो.-अंदोली, जिला-सीतामढ़ी | अपंगता | 36800 | 36800 | 36800 |
| 2. | महिला उत्थान मंडली<br>झानुकिया स्थान, ब्लाक-राजगीर, वार्ड नं. 1. जिला नालंदा | अपंगता | 36800 | 00 | 00 |
| राज्य - जम्मू तथा कश्मीर | | | | | |
| 1. | सोशल आर्गेनाइजेशन फार अपलिफ्टमेंट एंड रिसर्च सेंटर<br>स्वंख मोड, पो.-विजयपुर, ब्लाक-सांबा | अपंगता | 114500 | 111600 | 91600 |
| राज्य - झारखंड | | | | | |
| 1. | नवभारत जागृति केन्द्र गांव-बहेड़ा, पो.-वृन्दावन,<br>वाया चौपारन, जिला-हजारीबाग | अपंगता | 113500 | 94549 | 94549 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| **राज्य - कर्नाटक** | | | | | |
| 1. | एक्शन आन डिस्सेबिलिटी एंड डेव. इंडिया 4005, 19वां क्रास, बनाशकरी II चरण विस्तार, जिला बंगलौर | अपंगता | 105250 | 52625 | 52625 |
| **राज्य - महाराष्ट्र** | | | | | |
| 1. | शील बहुउद्देशीय अपंग विकास संस्था तिरोरा, जिला-गोंडिया | अपंगता | 592000 | 296000 | 296000 |
| 2. | सर्वोदय बहुउद्देशीय सामाजिक संस्था 2625, तपस्या काम्प्लेक्स, समर्थ नगर, तहसील-भूम | अपंगता | 957800 | 478900 | 478900 |
| **राज्य - मणिपुर** | | | | | |
| 1. | आल बैकवर्ड क्लासेज एंड इकोनामिक डेव. आर्गेनाइजेशन समाराम बाजार, थोबल सीडी ब्लाक | अपंगता | 476680 | 429012 | 238340 |
| **राज्य - तमिलनाडु** | | | | | |
| 1. | सोसायटी फार कम्युनिटी आर्गेनाइजेशन एंड रूरल डेव. अलंगोट्टाई, ब्लाक-मन्नारगुडी, तिरूवरूर | अपंगता | 454800 | 220550 | 220550 |
| **राज्य - उत्तर प्रदेश** | | | | | |
| 1. | सौरभ सेवा संस्थान गांव-पो.-मवाईपरियाण, सरोजिनी नगर, लखनऊ | अपंगता | 712200 | 353600 | 353600 |
| **राज्य - उत्तरांचल** | | | | | |
| 1. | दिव्य प्रेम सेवा मिशन सेवा कुंज, दिव्य प्रेम सेवा मिशन, चंडीघाट, हरिद्वार | अपंगता | 110000 | 107000 | 88000 |
| **2005-2006** | | | | | |
| **राज्य - आंध्र प्रदेश** | | | | | |
| 1. | इंदिरा प्रियदर्शिनी वूमेन्स वेलफेयर एसोसिएशन 31-106, गौरीशंकर कालोनी, जदचेरल, जिला महबूबनगर | अपंगता | 1369500 | 459900 | 459900 |
| 2. | निड्स इफेक्टिव वेलफेयर सोसा. सं. 25, 11/601 पहला क्रास रोड, सावित्री नगर, जिला-नेल्लोर | अपंगता | 2518570 | 915930 | 915930 |
| **राज्य - असम** | | | | | |
| 1. | नार्थ ईस्ट वालंटरी एसोसिएशन आफ रूरल डेव. लाइफलाइन, क्लिनिकल हास्विटल एंड रिसर्च सेंटर, दोखिनगांव, पो. कहिलीपारा, गुवाहाटी | अपंगता | 104500 | 83600 | 83600 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| **राज्य - कर्नाटक** | | | | | |
| 1. | श्री माणिक प्रभु शिक्षण समिति, माणिकनगर, हुमनाबाद | अपंगता | 324000 | 160000 | उपयोग प्रमाण-पत्र प्रतीक्षित |
| **राज्य - मध्य प्रदेश** | | | | | |
| 1. | आशा ग्राम ट्रस्ट, आशाग्राम ट्रस्ट, बीएलके एंड जिला-बड़वानी | महिलाओं, अ.जा., अ.ज.जा. तथा पीडब्ल्यूडी सशक्तीकरण | 92600 | 00 | 00 |
| **राज्य - मणिपुर** | | | | | |
| 1. | सेन्टर आफ रूरल अपलिफ्टमेंट सर्विस बंगवाल, पो.-थौबाल | अपंगता | 794800 | 321700 | 321700 |
| **राज्य - त्रिपुरा** | | | | | |
| 1. | त्रिपुरा चेरिटेबल हेल्थ सोसायटी इंद्रनगर, आईटीआई रोड, अगरतला | महिलाओं, अ.जा., अ.ज.जा. तथा पीडब्ल्यूडी सशक्तीकरण | 109250 | 87400 | 87400 |
| **राज्य - उत्तर प्रदेश** | | | | | |
| 1. | सोशल एंड लिटरेसी डेव. एसोसिएशन 219/70ए, पटनाला चौक, जिला-लखनऊ | अपंगता | 748300 | 362800 | उपयोग प्रमाण-पत्र प्रतीक्षित |
| **राज्य - उत्तरांचल** | | | | | |
| 1. | सोशल वर्क एंड रूरल डेव. एसोसिएशन, ग्राम-मुंडेट, पो.-मंगलौर, जिला-हरिद्वार | अपंगता | 1077800 | 538800 | उपयोग प्रमाण-पत्र प्रतीक्षित |
| **राज्य - पश्चिम बंगाल** | | | | | |
| 1. | संचार एआरओडी ए2/6, डायमंड पार्क, कोलकाता | अपंगता | 83900 | 00 | 00 |
| **2006-2007 ( 20.11.2006 तक )** | | | | | |
| **राज्य - आंध्र प्रदेश** | | | | | |
| 1. | ब्रेथरन इंस्टीट्यूट फार रूरल डेव. बस्तवारापेट, जिला प्रकाशम | अपंगता | 2132800 | 735400 | उपयोग प्रमाण-पत्र प्रतीक्षित |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | रूरल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव. आर्गेनाइजेशन जादी जमालपुर गांव, बोधन मंडल, जिला निजामाबाद | अपंगता | 1523000 | 00 | 00 |
| 3. | वसंत लक्ष्मी चेरिटेबल ट्रस्ट एंड रिसर्च सेन्टर, डी. 16-11/131, कस्तुरी देवी नगर, पोगाथोता, जिला नेल्लोर | अपंगता | 1357100 | 445800 | उपयोग प्रमाण-पत्र प्रतीक्षित |
| **राज्य - झारखंड** | | | | | |
| 1. | नवभारत जागृति केन्द्र गांव-बहेड़ा, पो.-वृन्दावन, वाया चौपारन, जिला-हजारीबाग | अपंगता | 3393000 | 00 | 00 |
| **राज्य - उड़ीसा** | | | | | |
| 1. | आईना बी-31, शहीद नगर, भुवनेश्वर, जिला खुर्दा | अपंगता | 943700 | 00 | 00 |
| 2. | सेवक ग्राम/पो. बिनायकपुर, वाया-सारनकुल ब्लाक-ओडागांव | अपंगता | 443460 | 00 | 00 |
| **राज्य - उत्तरांचल** | | | | | |
| 1. | यूनिसेस रिसर्च एंड डेव. सोसायटी ग्राम - रूभवाला, पो.-साहसपुर | अपंगता | 2026500 | 00 | 00 |
| **राज्य - पश्चिम बंगाल** | | | | | |
| 1. | ग्राम संघ ग्राम - कंटनफुल्ली, पो.-भखाना, ब्लाक-फलटा, जिला - दक्षिण 24 परगना | महिलाओं, अ.जा., अ.ज.जा. तथा पीडब्ल्यूडी सशक्तीकरण | 988185 | 00 | 00 |

**महानगरों में पेयजल की समस्या**

***157. प्रो. महादेवराव शिवनकर:** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश के महानगरों और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण शहरों की पेयजल समस्या से अवगत है;

(ख) यदि हां, तो दसवीं योजना के दौरान ऐसे शहरों को पेयजल उपलब्ध कराने हेतु निर्धारित किए गए लक्ष्य की कितनी प्राप्ति हुई है; और

(ग) इस स्थिति में और अधिक सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

**शहरी विकास मंत्री (एस. जयपाल रेड्डी):** (क) जी, हां।

(ख) जल आपूर्ति राज्यों का विषय है। शहरी आबादी को पर्याप्त मात्रा में साफ पेयजल उपलब्ध कराने का दायित्व राज्य सरकारों और शहरी स्थानीय निकायों का है। भारत सरकार केन्द्र प्रवर्तित योजना/कार्यक्रम के माध्यम से तकनीकी और वित्तीय सहायता मुहैया कराकर राज्य सरकार और शहरी स्थानीय निकायों के प्रयासों में सहायता करती है। 10वीं पंचवर्षीय योजना दस्तावेज में यह उल्लेख है कि शत-प्रतिशत शहरी आबादी के लिए जल आपूर्ति सुविधा की व्यवस्था करने के लिए लगभग 28240 करोड़ रु. के संसाधनों की आवश्यकता होगी। राज्य सरकारों और शहरी स्थानीय निकायों द्वारा की गई सूचना के अनुसार यह आंकलन है कि 31 मार्च, 2004 की स्थिति के अनुसार 91% शहरी आबादी को पीने का पानी उपलब्ध है।

(ग) व्यापक जल प्रबंधन कार्यक्रमों को लाने के लिए भारत सरकार ने सुधारों द्वारा विभिन्न उपाय किए हैं। इन उपायों में जल के स्रोत, संचरण, समान वितरण, पानी की बेहिसाबी में कमी, सांस्थानिक सुदृढ़ीकरण, लागत वसूली, प्रभावशाली परिचालन एवं अनुरक्षण आदि से संबंधित मुद्दों का समाधान शामिल है। देश के महानगरों और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नगरों में शहरी आबादी को उपलब्ध पेयजल की आपूर्ति में सुधार के लिए भारत सरकार ने दिसंबर, 2005 में जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) तथा छोटे व मझोले कस्बों के लिए शहरी अवस्थापना विकास योजना (यूआईडीएसएसएमटी) शुरू की है।

*[अनुवाद]*

**विधि आयोग का पुनर्गठन**

***158. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:** क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार विधि आयोग का पुनर्गठन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

**विधि और न्याय मंत्री (श्री हंस राज भारद्वाज):** (क) से (ग) जी हां। 1 सितंबर, 2006 से 31 अगस्त, 2009 तक की तीन वर्ष की अवधि के लिए 18वें विधि आयोग का गठन किया गया है। तथापि, अभी आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति नहीं की गई है।

**आईपीओ को स्वीकृति देने में विलम्ब**

***159. श्रीमती निवेदिता माने:**
**श्री एकनाथ महादेव गायकवाड़:**

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) बाजार विनियामक होने के नाते कंपनियों के आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ) संबंधी आवेदनों को स्वीकृति प्रदान करने में निर्धारित समय से अधिक समय लेता है, जैसाकि दिनांक 16 अक्तूबर, 2006 के "द टाइम्स आफ इंडिया" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ग) "सेबी" की कार्य प्रक्रिया को सुचारू बनाए जाने हेतु क्या उपाय किए गए हैं/किए जाने का प्रस्ताव है?

**वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम):** (क) और (ख) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) आरंभिक सार्वजनिक पेशकशों के लिए कंपनियों के आवेदन-पत्रों को स्वीकृति नहीं देता बल्कि केवल कंपनियों द्वारा दायर की गई मसौदा विवरणिकाओं पर अपने अवलोकन जारी करता है। अवलोकन जारी करने की ओर अग्रसर करने वाली प्रक्रिया में विभिन्न अभिकरणों तथा मर्चेंट बैंककारों, अन्य विनियामकों तथा एक्सचेंजों के साथ अंत:क्रिया तथा उनसे प्राप्त निविष्टियां अंतर्ग्रस्त हैं। सेबी ने सूचित किया है कि अधिकांश मामलों में इसने संबंधित अभिकरणों से पूर्ण निविष्टियां प्राप्त होने के 21 दिनों के भीतर अवलोकन जारी कर दिए हैं।

(ग) सेबी ने सूचित किया है कि यह प्रकटन एवं अन्य मानकों के साथ समझौता किए बिना निर्गमकर्त्ताओं के लिए बाजार में प्रवेश सुकर बनाने हेतु प्रक्रियाविधि को सुप्रवाही बनाने का निरंतर प्रयास कर रहा है। उदाहरणार्थ, यह उन निर्गमकर्त्ताओं के पेशकश दस्तावेजों पर कार्रवाई करने के लिए आंतरिक प्रक्रियाविधि को सुप्रवाही बनाने के लिए कार्यरत है जिनके विरुद्ध कुछ विनियामक कार्रवाई की जा रही है।

**आवास क्षेत्र हेतु विनियामक प्राधिकरण**

***160. श्री नवीन जिन्दल:** क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण (डी.डी.ए.) ने दिल्ली के 1962 के मास्टर प्लान में निर्धारित आवासीय लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो इन लक्ष्यों की कितनी प्राप्ति हुई है;

(ग) लक्ष्यों को पूर्णत: प्राप्त न कर पाने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या आवासीय क्षेत्र हेतु एक स्वतंत्र विनियामक प्राधिकरण स्थापित करने का विचार है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इसकी स्थापना कब तक की जायेगी?

**शहरी विकास मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी):** (क) से (च) दिल्ली मास्टर प्लान 1962 में वर्ष 1981 तक दिल्ली की जनसंख्या के 45.85 लाख होने तथा 97 व्यक्ति प्रति एकड़ के

औसत रिहायशी घनत्व के साथ लगभग 47,360 एकड़ रिहायशी क्षेत्र की आवश्यकता होने का अनुमान लगाया गया था। तथापि, इस मास्टर प्लान में कोई आवासीय लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया था।

दिल्ली विकास प्राधिकरण ने व्यक्तियों, ग्रुप हाउसिंग सोसायटियों तथा पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना कालोनियों के लिए प्लाट/भूमि के आवंटन के साथ-साथ निर्मित आवास के जरिए लगभग 11 लाख आवास के आवासीय स्टाक का सृजन किया है। इसमें वर्ष 1966 और 2006 के बीच दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित 3.03 लाख से अधिक आवास शामिल है।

दिल्ली मास्टर प्लान 2021 के प्रारूप में यह बताया गया है कि वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार दिल्ली में जीर्ण-शीर्ण संरचनाओं को बदलने के लिए अपेक्षित एक लाख आवास सहित चार लाख रिहायशी आवासों की कमी है। दिल्ली मास्टर प्लान 2021 के प्रारूप में दिल्ली के भीतर लगभग 27,000 हेक्टेयर के शहर विस्तार के साथ-साथ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आबादी के पुनर्वितरण तथा आवास स्टाक में वृद्धि के जरिए वर्ष 2021 तक 230 लाख व्यक्तियों की अनुमानित आबादी के लिए 24 लाख अतिरिक्त आवासों के सृजन की परिकल्पना की गयी है। इसमें भूमि जुटाने तथा आवास निर्माण के विकास में निजी क्षेत्र की भागीदारी की भी संकल्पना की गयी है। यह उम्मीद की जाती है कि इससे दिल्ली में आवास की बढ़ती मांग के साथ-साथ उसकी आपूर्ति भी होती रहेगी।

दिल्ली में स्थावर संपदा क्षेत्र के कुछ पहलुओं के विनियमन के लिए प्रावधान करने का प्रस्ताव भी है। इस विधान का प्रारूप बनाने का कार्य प्राथमिक चरण में है।

**पवन ऊर्जा का उत्पादन**

***161. श्री बसुदेव आचार्य:**
**श्री के. सुब्बारायण:**

क्या **नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में प्रति इकाई विद्युत उत्पादन लागत सहित पवन ऊर्जा की वर्तमान उत्पादन क्षमता कितनी है;

(ख) क्या सरकार ने देश में पवन ऊर्जा की कुल क्षमता का आकलन किया है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार वर्ष 2020 तक पवन ऊर्जा उत्पादन क्षमता को परमाणु ऊर्जा क्षमता के स्तर से अधिक बढ़ाने का है; और

(घ) यदि हां, तो अब तक पर्यावरण अनुकूल विद्युत को बढ़ावा देने और इसकी प्रति इकाई विद्युत उत्पादन लागत में कमी करने हेतु क्या कार्रवाई शुरू की गई है?

**नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार):** (क) दिनांक 30 सितम्बर, 2006 की स्थिति के अनुसार देश में कुल 6070 मेगावाट की पवन विद्युत क्षमता स्थापित की गई है। औसत उत्पादन लागत 2.75 रु. से 3.50 रु. प्रति यूनिट के बीच है जो स्थल-विशेष पवन दशाओं और अवसंरचना विकास लागत पर निर्भर करती है।

(ख) जी, हां। देश में 45,000 मेगावाट से अधिक सकल पवन विद्युत संभाव्यता का अनुमान लगाया गया है। तथापि, अधिकांश संभाव्यता उन निम्न पवन दशाओं में मौजूद है जहां पवन विद्युत घनत्व 200-300 वाट प्रति वर्गमीटर है।

(ग) पवन विद्युत उत्पादन क्षमता पहले की नाभिकीय विद्युत उत्पादन क्षमता से अधिक हो चुकी है।

(घ) सरकार द्वारा कुछ संघटकों पर रियायती सीमा शुल्क उपलब्ध कराकर, उत्पाद शुल्क से छूट, त्वरित मूल्य ह्रास, भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था (इरेडा) से ऋण, आगे संभाव्यता वाले स्थलों का पता लगाने के लिए विस्तृत पवन संसाधन मूल्यांकन के माध्यम से देश में पवन विद्युत परियोजनाओं की स्थापना को प्रोत्साहित किया जा रहा है। अनुसंधान एवं विकास प्रयासों के अंतर्गत उद्योग संबंधी विभिन्न समस्याओं, पवन टरबाइन ब्लेडों के डिजाइन, स्वदेशी गियर बाक्स के विकास, पवन संसाधन मूल्यांकन और प्रति यूनिट विद्युत उत्पादन की लागत को कम करने के लिए प्रमुख संघटकों के स्वदेशीकरण पर बल दिया जाता है।

**शहरी विकास की पुनर्संरचना हेतु समिति का गठन**

**1491. श्री एस.के. खारवेनथन:** क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को राजधानी में शहरी विकास पर ध्यान दे रहे एक से अधिक प्राधिकरणों तथा कार्य की धीमी गति की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार के पास एकीकृत एवं सुगम शहरी विकास हेतु एक समिति गठित करने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस समिति को कब तक गठित किए जाने की संभावना है, इसके मुख्य कार्य क्या हैं तथा इसकी रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत किए जाने की संभावना है?

**शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री अजय माकन ):** (क) से (घ) गृह मंत्रालय ने यह बताया है कि दिल्ली में शहरी विकास के मुद्दों पर विचार करने के लिए एक से अधिक संस्थान होने के संबंध में एक समिति अप्रैल, 2006 में गठित की थी। समिति के विचारार्थ विषयों में अन्य बातों के साथ-साथ दिल्ली में शहरी विकास और नागरिक सुविधाओं से संबंधित विभिन्न कार्य करने वाले प्राधिकरणों/एजेंसियों का पता लगाना, उनकी अपनी-अपनी भूमिकाएं, जिम्मेवारियां एवं समन्वयन के लिए मौजूदा व्यवस्था निर्धारित करना ताकि इनके बीच तालमेल बैठाया जा सके तथा अपनायी जा सकने वाले वैकल्पिक प्रक्रिया तंत्रों का पता लगाना शामिल थे। समिति ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 21 नवंबर, 2006 को गृह मंत्री को प्रस्तुत कर दी है।

**टिहरी जल विद्युत परियोजना**

**1492. श्री मणी कुमार सुब्बा:** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या टिहरी जल विद्युत परियोजना की पहली यूनिट इस वर्ष अगस्त में इसकी शुरूआत के एक महीने के भीतर ही ट्रिप्ड हो गई;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इससे विद्युत उत्पादन का कितना नुकसान हुआ; और

(घ) इस परियोजना की शेष यूनिटों को आरंभ किए जाने में कितनी प्रगति हुई है?

**विद्युत मंत्री ( श्री सुशील कुमार शिंदे ):** (क) और (ख) टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कारपोरेशन (टीएचडीसी) ने सूचित किया है कि टिहरी एचपीपी स्टेज-1 (1000 मेगावाट) की 250 मेगावाट की प्रथम यूनिट (संख्या-4) को प्रारंभ में 17.7.2006 को राष्ट्रीय ग्रिड के साथ समकालित और जोड़ने के बाद कुछ आवश्यक परीक्षण और जांच कार्य, जो कि मशीन को वाणिज्यिक प्रचालनाधीन घोषित करने से पूर्व आवश्यक होते हैं, किए गए थे। इस यूनिट को इन व्यापक परीक्षणों के सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद 22.9.2006 को वाणिज्यिक प्रचालनाधीन घोषित किया गया था।

(ग) विद्युत उत्पादन में कोई हानि नहीं हुई थी क्योंकि वाणिज्यिक प्रचालनाधीन घोषित होने के बाद से यह यूनिट उपलब्ध रही है।

(घ) टिहरी एचपीपी चरण-1 परियोजना की 250 मेगावाट की दूसरी यूनिट (संख्या-2) पहले ही 9.11.2006 से वाणिज्यिक उत्पादन आरंभ कर चुकी है। 250 मेगावाट की तीसरी यूनिट (सं.-2) का यांत्रिकी प्रचालन 24.11.2006 को आरंभ हो गया है और इसके 13.12.2006 तक चालू हो जाने की संभावना है। 250 मेगावाट की चौथी यूनिट (सं. 1) के 31.12.2006 तक चालू होने की संभावना है।

*[हिन्दी]*

**नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मिशन**

**1493. श्री रघुवीर सिंह कौशल:** क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अनुसंधान एवं विकास के स्थानीय मिशन के बारे में जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस क्षेत्र के विकास हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मिशन का वर्तमान नेटवर्क कितना है;

(ङ) क्या सरकार का विचार इस क्षेत्र में प्रभावी अनुसंधान कार्य को बढ़ावा देने के लिए अधिक धनराशि आवंटित करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री ( श्री कपिल सिब्बल ):** (क) और (ख) जी, हां। सरकार नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के उभरते हुए क्षेत्र को बढ़ावा देने के अपने प्रयासों में आगे और तेजी लाने के लिए नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मिशन (नैनो मिशन) के लिए योजनाएं प्रारंभ कर रही है। नैनो मिशन के हिस्से के रूप में विभिन्न शैक्षिक और मानव संसाधन विकास कार्यक्रम, अनुसंधान और विकास कार्यक्रम प्रारंभ करने, उत्कृष्टता के केन्द्र स्थापित करने, बढ़ी हुई सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से संस्थान - उद्योग सहयोजित परियोजनाओं को बढ़ावा देने, व्यावसायिक इन्क्यूबेटरों की स्थापना के माध्यम से उद्यमिता को बढ़ावा देने आदि की योजना है। नैनो मिशन के माध्यम से न केवल सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से बल्कि निजी क्षेत्र को भी इस उदीयमान प्रौद्योगिकी में निवेश करने तथा उनका उन्नयन करने के लिए प्रोत्साहित करने और सक्षम बनाकर नैनो प्रौद्योगिकी के विकास और वाणिज्यीकरण के लिए विशेष प्रयास करने की योजना है।

(ग) और (घ) नैनो मिशन अनुसंधान के इस नए क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा पहले से ही किए गए महत्वपूर्ण संवर्धनात्मक प्रयासों का परिणाम होगा। 100 से अधिक अनुसंधान परियोजनाओं का निधिकरण किया गया है। नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर उत्कृष्टता के अनेक केन्द्र भी स्थापित किए गए हैं। अनेक पोस्ट डाक्टोरल अध्येतावृत्तियां प्रदान की गई हैं। अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों, स्कूलों आदि का आयोजन किया गया है। सरकार ने इस क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए विगत 5 वर्षों के दौरान लगभग 200 करोड़ रु. खर्च किया है। यह वैज्ञानिक, सुविधाएं और केन्द्र नैनो मिशन के नेटवर्क का हिस्सा होंगे।

(ङ) और (च) जी हां। नैनो मिशन के लिए आबंटन की राशि बढ़ाकर 200 करोड़ रु. प्रति वर्ष करने का प्रस्ताव है।

*[अनुवाद]*

**विभिन्न योजनाओं की समीक्षा**

**1494. श्री सनत कुमार मंडल:** क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन की कोई समीक्षा की है; और

(ख) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला?

**आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा):** (क) और (ख) स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई) का अखिल भारतीय स्तर पर मूल्यांकन 2004-05 में मानव बसाव एवं प्रबंध संस्थान (एचएसएमआई), नई दिल्ली द्वारा किया गया। संस्थान द्वारा किए गए मूल्यांकन अध्ययन के मुख्य निष्कर्ष संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

***विवरण***

मानव बसाव एवं प्रबंध संस्थान (एचएसएमआई) द्वारा किए गए स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई) के मूल्यांकन अध्ययन के मुख्य निष्कर्ष इस प्रकार हैं-

(1) सभी राज्यों में रोजगार अवसरों पर अच्छा प्रभाव।

(2) अधिकतर लाभार्थी जिन्हें दक्षता प्रशिक्षण दिया गया, 18 से 30 वर्ष के आयु वर्ग में आते हैं।

(3) ऋण मंजूरी के अधिकतर मामलों में उत्तर और पश्चिमी भारत की तुलना में दक्षिणी और पूर्वी भारत में बैंकों ने कम समय लिया।

(4) एसजेएसआरवाई कार्यकलापों से संतोषजनक आय प्राप्त करने वाले लाभार्थियों की प्रतिशतता अच्छी है।

(5) कुछ पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों, जहां अधिकांश महिला समूहों को अपना सामान बेचने के लिए मध्यस्थ की जरूरत है, को छोड़कर महिला समूह अपने उत्पाद स्वयं बेच लेते हैं और उन्हें इसके लिए किसी मध्यस्थ की आवश्यकता नहीं है।

(6) शहरी क्षेत्रों में महिला एवं बाल विकास समूह (डीडब्ल्यूसीयूए) के गठन का महिला सदस्यों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है क्योंकि इससे स्वरोजगार प्राप्त करने की उनकी इच्छा और विश्वास दोनों बढ़े हैं। इसके परिणामस्वरूप उनकी आय व बचत में वृद्धि हुई जिससे उनके स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सम्मान में भी सुधार हुआ है।

(7) थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट सोसायटियों ने स्वास्थ्य कैंप के आयोजन, राशन कार्ड बनाने में सहायता मुहैया कराने और स्थानीय बच्चों को प्राथमिक विद्यालयों में दाखिला दिलाने जैसे कार्यों में सक्रिय योगदान दिया है। ये सोसायटियां लघु बचत और लघु रोजगार को बढ़ावा देने, समूह में एकता को बढ़ावा देने, सामाजिक व पारिवारिक मतभेदों के समाधान और बच्चों को शिक्षा में मदद दिलाने में भी काफी सक्रिय रही हैं।

(8) योजना के शहरी मजदूरी रोजगार कार्यक्रम (यूडब्ल्यूईपी) घटक के अंतर्गत अधिकतर दिहाड़ी मजदूरों को औसतन 3 महीने से कम रोजगार मिलता है और निरंतर रोजगार न मिलने के कारण वे गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं।

(9) अनेक राज्यों द्वारा वास्तविक लक्ष्य प्राप्त न कर पाने के मुख्य कारणों में बैंक अधिकारियों ने अन्य के साथ-साथ अपर्याप्त दक्षता प्रशिक्षण, परियोजनाओं का गलत चुनाव, परियोजनाओं का व्यवहार्य न होना, पर्याप्त प्रचार का अभाव बताया है।

**सेबी तथा चीन के सिक्युरीटीज रेग्युलेटरी कमीशन के बीच समझौता ज्ञापन**

**1495. श्री रवि प्रकाश वर्मा:**
**श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:**
**श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:**

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) ने सेबी तथा सीएसआरसी के बीच विनियमन समन्वयन को बढ़ाने के संबंध में चीन के सिक्यूरीटीज रेग्यूलेटरी कमीशन (सीएसआरसी) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इससे क्या लाभ प्राप्त होने की संभावना है?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल):** (क) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने प्रतिभूतियों और भावी (फ्यूचर्स) विनियामक सहयोग के संबंध में 15 सितम्बर, 2006 को चीन के प्रतिभूति विनियामक आयोग के साथ द्विपक्षीय समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं।

(ख) इस समझौता ज्ञापन (एमओयू) के जरिए दोनों क्षेत्राधिकार एक दूसरे के द्वारा अपेक्षित ऐसी सूचना को प्रदान करने/उसका आदान-प्रदान करने में समर्थ होंगे जो उनके संबंधित कानूनों के तहत कार्य करने के लिए अनिवार्य हैं।

यह समझौता ज्ञापन संचार के माध्यमों, परस्पर अवबोधन के वर्धन तथा विनियामक एवं तकनीकी सूचना के विनिमय सहित सहयोग के लिए एक ढांचा उपलब्ध करा कर दोनों क्षेत्राधिकारों की प्रतिभूतियों, फ्यूचर्स एवं अन्य संबंधित निवेश उत्पादों की अखंडता एवं निवेश संरक्षण का संवर्धन करेगा।

*[हिन्दी]*

## काम के बदले अनाज के राष्ट्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत अनियमितताएं

1496. **डा. धीरेंद्र अग्रवाल:**
**श्री सुनिल कुमार महतो:**

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में झारखंड में काम के बदले अनाज के राष्ट्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत सरकार के ध्यान में अनियमितताएं आई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

**ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू):** (क) से (ग) जी, हां। काम के बदले अनाज का राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनएफएफडब्ल्यूपी) झारखंड के 14 जिलों में नवम्बर, 2004 में शुरू किया गया था। दिनांक 2.2.2006 से अब इस कार्यक्रम को एनआरईजीए में मिला दिया गया है। जिस अवधि में एनएफएफडब्ल्यूपी परिचालन में था, राज्य में कार्यक्रम के कार्यान्वयन में अनियमितताओं के पांच मामलों की जानकारी मंत्रालय को दी गई थी। इन मामलों की जांच के लिए राज्य सरकार को भेजा गया है और उन मामलों में उठाए गए मुद्दों पर की गई कार्रवाई पर रिपोर्ट भेजने के लिए कहा गया है।

## कुटुम्ब न्यायालय

1497. **श्री ब्रजेश पाठक:** क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में कुटुम्ब न्यायालयों की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार कितने शहरों में कुटुम्ब न्यायालयों की स्थापना करने का है;

(ग) कुटुम्ब न्यायालयों के न्यायाधिकार के अंतर्गत आने वाले विवादों की प्रकृति क्या है; और

(घ) सरकार का विचार किस प्रकार यह सुनिश्चित करने का है कि कुटुम्ब न्यायालयों की कार्यवाही में कोई विलम्ब न हो?

**विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. वेंकटपति):** (क) से (घ) कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 की धारा 3 यह उपबंध करती है कि राज्य सरकार, उच्च न्यायालय से परामर्श करने के पश्चात् राज्य में किसी नगर या कस्बे के ऐसे प्रत्येक क्षेत्र के लिए, जिसकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक है और राज्य में ऐसे अन्य क्षेत्रों के लिए जिन्हें वह आवश्यक समझे, कुटुम्ब न्यायालय स्थापित करेगी। कुटुम्ब न्यायालयों की स्थापना सुकर बनाने के लिए, केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार के बराबर के अंश के साथ 10 लाख रुपए प्रति न्यायालय की दर से वित्तीय सहायता प्रदान करती है तथा 5 लाख रुपए प्रति न्यायालय प्रति वर्ष कुटुम्ब न्यायालय के आवर्ती व्यय की पूर्ति के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं। कुटुम्ब न्यायालयों की स्थापना करने का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों का है। तथापि, सरकार ने सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों से प्रत्येक जिले में कुटुम्ब न्यायालय स्थापित करने का अनुरोध किया है।

कुटुम्ब न्यायालयों की अधिकारिता के अधीन आने वाले विवादों की प्रकृति का उल्लेख कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 की धारा 7 में किया गया है। कुटुम्ब न्यायालयों द्वारा मामलों के निपटान का विषय, जिसके अंतर्गत यह सुनिश्चित करना भी है कि

कुटुम्ब न्यायालयों में कोई मामले लंबित न हों, एक न्यायिक कृत्य है और यह संबंधित राज्यों के उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है।

**अन्य देशों को ऋण**

**1498. श्री रामदास आठवले:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कई देशों में भारत सरकार द्वारा उन्हें दिए गए ऋण को वापस नहीं लौटाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी देश-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इन ऋणों की वसूली हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार इन अशोध्य ऋणों को उन देशों के निजी उद्यमों में निवेश करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल):** (क) और (ख) भारत सरकार द्वारा विभिन्न देशों को दिए गए ऋण की वापसी अदायगी एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है। 31 अक्तूबर, 2006 की स्थिति के अनुसार, मूलधन तथा ब्याज राशियों की अधिदेयता का देश-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) देय राशियों की वापसी अदायगी करना ऋण प्राप्त करने वाले देशों की सरकारों का दायित्व है। देय राशियों की आपसी अदायगी का मामला जहां भी आवश्यक हुआ, समय-समय पर विदेश मंत्रालय के माध्यम से ऋण प्राप्त करने वाले देशों की सरकार के साथ उठाया गया है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

***विवरण***

*विदेशी सरकारों को भारत सरकार द्वारा दी गई ऋण श्रृंखलाओं के संबंध में मूलधन तथा ब्याज की अधिदेयता*

| क्र.सं. | देश का नाम | मूल अधिदेयता | ब्याज अधिदेयता |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | बंगलादेश | 56000000.00 भारतीय रुपया | 58277111.94 भारतीय रुपया |
| 2. | कम्बोडिया | 14602948.00 भारतीय रुपया | 196153.87+ अमरीकी डालर |
| | | | 8025614.00 भारतीय रुपया |
| 3. | कजाकिस्तान | 3150468.00 अमरीकी डालर | 2206716.67 अमरीकी डालर |
| 4. | केन्या | 596299.45 भारतीय रुपया | 7547298.10 भारतीय रुपया |
| 5. | किरगिजीस्तान | 910357.06 अमरीकी डालर | 248201.35 अमरीकी डालर |
| 6. | लाओस पीडीआर | – | 173967.58 अमरीकी डालर |
| 7. | मारीशस | 75.00 भारतीय रुपया | 666837.23 भारतीय रुपया |
| 8. | म्यांमार | 3500000.00 अमरीकी डालर | 4229206.16 अमरीकी डालर |
| 9. | सेशल्स | 2120723.00+ अमरीकी डालर | 1356951.74+ अमरीकी डालर |
| | | 23719698.60 भारतीय रुपया | 17946586.44 भारतीय रुपया |
| 10. | श्रीलंका | 4792926.00+ अमरीकी डालर | 3667716.26+ अमरीकी डालर |
| | | 65373824.00 भारतीय रुपया | 20746826.00 भारतीय रुपया |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 11. | सूरीनाम | 550000.00 अमरीकी डालर | 158375.16 अमरीकी डालर |
| 12. | तुर्कमेनिस्तान | 1280513.41 अमरीकी डालर | 3322044.82 अमरीकी डालर |
| 13. | उजबेकिस्तान | 5469375.29 अमरीकी डालर | 3518231.04 अमरीकी डालर |
| 14. | वियतनाम | 17720000.00 भारतीय रुपया | 2278217.76 भारतीय रुपया |
| 15. | यमन | 7540519.00 भारतीय रुपया | 49475945.00 भारतीय रुपया |

*[अनुवाद]*

**मेट्रो रेल**

**1499. श्री एल. राजगोपाल:** क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हैदराबाद में मेट्रो रेल संबंधी कार्य को वर्ष 2009 तक पूर्ण करने के कार्य में सरकार द्वारा क्या प्रगति की गई है;

(ख) क्या इस संबंध में डीपीआर तैयार कर ली गई है;

(ग) यदि हां, तो हैदराबाद में मेट्रो परियोजना हेतु पहचान किए गए आरंभिक मार्ग कौन से हैं; और

(घ) बीओटी डेवेलपर्स की पहचान हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

**शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री अजय माकन ):** (क) शहरी परिवहन राज्य का विषय है और विशिष्ट शहरों में मेट्रो रेल परियोजनाओं के प्रस्ताव संबंधित राज्य सरकारों द्वारा तैयार किए जाते हैं।

(ख) और (ग) आंध्र प्रदेश सरकार (जीओएपी) ने यह सूचित किया है कि हैदराबाद में मेट्रो रेल परियोजनाओं के लिए निम्नलिखित रूटों के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्टें तैयार कर ली गई हैं:-

| | | |
|---|---|---|
| मियापुर-एलबी नगर | - | 29.87 कि.मी. |
| सिकन्दराबाद-फलकनुमा | - | 14.78 कि.मी. |
| हब्सीगुडा-शिल्परामम | - | 21.74 कि.मी. |
| कुल | - | 66.39 कि.मी. |

(घ) आंध्र प्रदेश सरकार/कार्यान्वयन एजेंसी की बीओटी डेवेलपर्स की पहचान करनी है। आंध्र प्रदेश सरकार ने यह सूचित किया है कि बीओटी डेवेलपर्स की पहचान शीघ्र ही कर ली जाएगी।

**मेगा सिटी योजना**

**1500. श्री सुव्रत बोस:** क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दसवीं योजना अवधि के दौरान मेगा सिटी योजना के लिए वर्ष-वार तथा शहर-वार कितना आवंटन किया गया तथा इसका वास्तविक संवितरण कितना किया गया;

(ख) इसकी खामियां, यदि कोई हों, तो क्या हैं तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) उक्त अवधि के दौरान संबद्ध राज्य सरकारों द्वारा इसके लिए कितना व्यय किया गया;

(घ) इसी अवधि के दौरान कितना संस्थागत ऋण जुटाया गया;

(ङ) योजना की उपलब्धियों के संबंध में सरकार का आंकलन क्या है;

(च) क्या इस योजना को ग्यारहवीं योजना के दौरान जारी रखा जाएगा; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री अजय माकन ):** (क) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) ऐसी कोई कमी नहीं देखी गई, क्योंकि उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने तथा संबंधित शहरों की मांग के अनुसार धनराशि जारी की गई है।

(ग) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(च) और (छ) इस स्कीम को जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) में मिला दिया गया है तथा केवल चालू परियोजनाओं का वित्तपोषण किया जा रहा है और इन्हें 31.3.2007 तक पूरा किया जाना अपेक्षित है। यह स्कीम ग्यारहवीं योजना के दौरान जारी नहीं रहेगी। तथापि, वर्ष 2007-08 के दौरान चालू परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता उपलब्ध करायी जा सकती है, बशर्ते कि योजना आयोग इसे अनुमोदित करे।

*विवरण*

*दसवीं योजना अवधि के दौरान वर्ष-वार और शहर-वार मेगा शहर स्कीम के लिए आवंटन तथा वास्तविक वितरण*

| वर्ष | बजट अनुमान | संशोधित अनुमान | वास्तविक रूप से जारी धनराशि (केन्द्रीय अंश) (करोड़ रुपए में) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | मुम्बई | कोलकाता | चेन्नई | हैदराबाद | बंगलोर | कुल |
| 2002-03 | 124.90 | 119.90 | 25.32 | 26.23 | 22.12 | 24.49 | 21.74 | 119.90 |
| 2003-04 | 119.90 | 119.90 | 47.77 | 41.30 | 34.82 | 38.55 | 34.23 | 196.67 |
| 2004-05 | 220.00 | 220.00 | 73.64 | 63.65 | 53.66 | 59.42 | 52.75 | 303.12 |
| 2005-06 | 150.00 | 175.00 | 57.49 | 15.70 | 42.03 | 46.27 | 13.01 | 174.50 |
| 2006-07 | 120.00 | – | 23.541 | – | 17.3275 | 18.8810 | – | 59.749 |

**विज्ञान और प्रौद्योगिकी संबंधी प्रस्ताव**

**1501. श्री तुकाराम गंगाधर गदाख:** क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश की विभिन्न अनुसंधान संस्थाओं द्वारा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के संबंध में कितने प्रस्ताव भेजे गए;

(ख) स्वीकृत तथा अस्वीकृत प्रस्तावों की संख्या कितनी है; और

(ग) सरकार के पास अभी भी लंबित पड़े प्रस्तावों की संख्या कितनी है?

**विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल):** (क) से (ग) विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा विगत 3 वर्षों के दौरान देश के विभिन्न अनुसंधान संस्थानों से प्राप्त विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रस्तावों की संख्या 3542 से लेकर 4767 तक अलग-अलग है। प्रतिवर्ष लगभग 1250 परियोजना प्रस्ताव स्वीकृत किए जाते हैं जबकि प्रतिवर्ष 2000 प्रस्तावों को अस्वीकृत किया जाता है और प्रतिवर्ष लगभग 775 प्रस्ताव परियोजना कार्यान्यन के विभिन्न चरणों में लंबित रहते हैं।

**समेकित शहरी विकास योजनाओं के अंतर्गत विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं**

**1502. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर:** क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या समेकित शहरी विकास योजनाओं के अंतर्गत विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक तथा जापान बैंक फार इंटरनेशनल कोओपरेशन जैसी बहुपक्षीय एजेंसियों ने भारतीय जल परियोजनाओं हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की है; और

(ख) यदि हां, तो गत एक वर्ष के दौरान समेकित शहरी विकास योजनाओं के अंतर्गत विभिन्न एजेंसियों द्वारा कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है?

**शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन):** (क) और (ख) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

**त्वरित न्याय हेतु माध्यस्थम् प्रणाली**

**1503. श्री कुलदीप बिश्नोई:** क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार अधीनस्थ न्यायपालिका पर बोझ कम करने के लिए अधिकरण तथा ऐसी अन्य माध्यस्थम् प्रणालियों की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए एक वैकल्पिक निपटान प्रणाली प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या नए कदम उठाए गए हैं?

**विधि और न्याय मंत्री (श्री हंस राज भारद्वाज):** (क) से (ग) न्यायालयों के समक्ष लंबित मामलों की बढ़ती संख्या में कमी लाने के लिए सरकार ने प्रक्रियात्मक विधियों का सरलीकरण करके तथा वैकल्पिक विवाद समाधान प्रणाली का संवर्धन करके नालसा (राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण) के माध्यम से, मुकदमेबाजों को शीघ्र न्याय प्रदान करने के लिए अनेक उपाय किए हैं। लोक अदालत एक ऐसा तंत्र है, जिसमें न्यायालय के बाहर विवादों का समाधान किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय वैकल्पिक विवाद समाधान केन्द्र (आईसीएडीआर), जो इस मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त निकाय है, भी विवादों का शीघ्र समाधान सुकर बनाने और न्यायालय में लंबित मामलों के बोझ को कम करने के लिए वैकल्पिक विवाद समाधान की पद्धतियों को बढ़ावा दे रहा है। आईसीएडीआर मध्यस्थों और सुलहकारों को प्रशिक्षण देने के लिए संगोष्ठियों/कार्यशालाओं का आयोजन कर रहा है।

## भूमि पर अवैध कब्जा

**1504. श्री जोवाकिम बखला:** क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत एक वर्ष के दौरान दिल्ली/नई दिल्ली के प्रत्येक भाग में अतिक्रमणों को हटाने/तोड़ने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) इस संबंध में तोड़े गए व्यावसायिक केन्द्रों का स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वसंत कुंज कुछ संपत्तियां अभी भी अवैध कब्जे में हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में की-गई-कार्यवाही का ब्यौरा क्या है?

**शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन):** (क) और (ख) भूस्वामी एजेंसियों द्वारा उनकी भूमि से अतिक्रमण हटाने/गिराने के लिए समय-समय पर कार्रवाई की जाती है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण ने यह सूचित किया है कि अतिक्रमण हटाने के बाद भूमि की पुन: प्राप्ति के लिए नियमित रूप से निर्माण गिराने के कार्यक्रम चलाए जाते हैं। वर्ष 2005-06 के दौरान डीडीए द्वारा ऐसे 326 कार्यक्रम चलाए गए थे। किसी व्यावसायिक केन्द्र में कोई निर्माण गिराया नहीं गया, हालांकि 15 दुकानों में अनधिकृत निर्माण हटाया गया था।

नई दिल्ली नगरपालिका परिषद ने स्वेटर/लेबर हट के रूप में सार्वजनिक भूमि पर अस्थायी अतिक्रमणों को दैनिक आधार पर हटाए जाने की सूचना दी है।

दिल्ली छावनी बोर्ड ने यह बताया है कि दिल्ली छावनी बोर्ड के प्रबंधन वाली भूमि पर अतिक्रमण हटाने/गिराने के लिए पीपीई अधिनियम के अंतर्गत की जाती है और यह भी बताया है कि गत एक वर्ष के दौरान बोर्ड द्वारा कोई भी व्यवसायिक केन्द्र गिराया नहीं गया है।

दिल्ली नगर निगम से सूचना की प्रतीक्षा है।

(ग) और (घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने यह बताया है कि वसंत कुंज में अभी भी कुछ सम्पत्तियों पर अनधिकृत कब्जा है। अधिकतर मामलों में न्यायालय से यथापूर्व स्थिति/स्थगन आदेश के कारण कार्रवाई नहीं की जा सकी।

## पी.एम.जी.एस.वाई. के अंतर्गत निधियों को जारी करने में विलम्ब

**1505. श्री जी.एम. सिद्दीश्वर:** क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पी.एम.जी.एस.वाई.) के चौथे चरण के लिए कर्नाटक सहित कतिपय राज्यों को कोई धनराशि जारी नहीं की है जबकि अन्य राज्यों में इसके सातवें चरण के लिए धनराशि जारी कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस संबंध में राज्य-वार कुल कितनी धनराशि देय है; और

(घ) विशेष रूप में कर्नाटक सहित प्रभावित राज्यों को उक्त धनराशि कब तक जारी किए जाने की संभावना है?

**ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील):** (क) से (घ) प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के अंतर्गत सातवें चरण के लिए किसी भी राज्य के लिए अब तक कोई योजना मंजूर नहीं की गई है। इसलिए, प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना परियोजनाओं के सातवें चरण के लिए निधियों की रिलीज का प्रश्न नहीं उठता। प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के कार्यान्वयन के लिए निधियां कार्यक्रमों के दिशानिर्देशों के अनुसार रिलीज की जाती हैं जिसमें यह निर्दिष्ट है कि मंजूर की गई परियोजनाओं के लिए राज्य ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी को दो किस्तों में निधियां उपलब्ध कराई जाती हैं। परियोजनाओं की स्वीकृत लागत की 50% की राशि (या वार्षिक आबंटन, इनमें से जो भी कम हो) की पहली किस्त शर्तों, यदि पहले निर्धारित की गयी हों, के पूरा होने के अध्यधीन रिलीज की जाती है। दूसरी किस्त तब रिलीज की जाती है जब 60% उपलब्ध निधियों का उपयोग कर लिया गया हो और पूर्ववर्ती वर्ष से पहले के वर्ष में दिए गए कम से कम 80% सड़क कार्य और उस वर्ष के पहले के सभी वर्षों में दिए गए शत-प्रतिशत सड़क कार्य पूरे कर लिए गए हों। किसी वर्ष में दूसरी किस्त निम्नलिखित वर्षों को पूरा किए जाने के बाद ही रिलीज की जाती है:-

(1) पहले रिलीज की गई निधियों के लिए निर्धारित प्रपत्र में वर्ष-वार उपयोग प्रमाण-पत्र।

(2) बैंक प्रबंधक का प्रमाणपत्र जिसमें प्रमाणपत्र जारी करने की तारीख को शेष राशि और जमा ब्याज का उल्लेख हो।

(3) कार्यों के अपेक्षित वास्तविक समापन के संबंध में प्रमाणपत्र।

(4) विगत वित्त वर्ष के खातों के लिए, वर्ष के अक्तूबर के बाद की सभी रिलीजों के लिए खातों का लेखा परीक्षित विवरण और बैलेंस शीट एवं संबंधित विवरण, जो चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा विधिवत सत्यापित हो।

(5) राज्य ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी द्वारा विधिवत् सत्यापित आन लाइन मानिटरिंग एवं प्रबंध प्रणाली से संबद्ध माड्यूल का नतीजा जो सही हो।

कर्नाटक सरकार से प्राप्त निधियों की रिलीज के आवेदन की जांच निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार की जा रही है। अनुमोदन प्रस्तावों के मूल्य चरण-IV की परियोजनाओं के लिए रिलीज की गई राशि और बकाया शेष राशि को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण में है।

*विवरण*

(करोड़ रु. में)

| क्र.सं. | राज्य | प्रस्तावों का मूल्य | रिलीज की गई राशि | बकाया राशि |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 369.24 | 184.14 | 185.10 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 106.22 | 52.00 | 54.22 |
| 3. | असम | 244.46 | 246.91 | -2.45 |
| 4. | बिहार | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5. | छत्तीसगढ़ | 412.59 | 412.59 | 0.00 |
| 6. | गोवा | 1.08 | 0.00 | 1.08 |
| 7. | गुजरात | 49.31 | 24.66 | 24.65 |
| 8. | हरियाणा | 40.22 | 40.22 | 0.00 |
| 9. | हिमाचल प्रदेश | 136.11 | 0.00 | 136.11 |
| 10. | जम्मू-कश्मीर | 144.41 | 0.00 | 144.41 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 11. | झारखण्ड | 113.78 | 0.00 | 113.78 |
| 12. | कर्नाटक | 101.17 | 50.58 | 50.59 |
| 13. | केरल | 52.76 | 25.00 | 27.76 |
| 14. | मध्य प्रदेश | 736.59 | 527.96 | 208.63 |
| 15. | महाराष्ट्र | 143.16 | 71.58 | 71.58 |
| 16. | मणिपुर | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17. | मेघालय | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18. | मिजोरम | 92.79 | 46.40 | 46.39 |
| 19. | नागालैंड | 37.51 | 37.51 | 0.00 |
| 20. | उड़ीसा | 398.72 | 199.36 | 199.36 |
| 21. | पंजाब | 78.87 | 39.44 | 39.43 |
| 22. | राजस्थान | 302.81 | 302.81 | 0.00 |
| 23. | सिक्किम | 63.10 | 25.00 | 38.10 |
| 24. | तमिलनाडु | 117.27 | 58.95 | 58.32 |
| 25. | त्रिपुरा | 84.80 | 0.00 | 84.80 |
| 26. | उत्तर प्रदेश | 1007.76 | 503.88 | 503.88 |
| 27. | उत्तरांचल | 102.87 | 0.00 | 102.87 |
| 28. | पश्चिम बंगाल | 311.90 | 150.00 | 161.90 |
| | कुल योग | 5249.50 | 2998.99 | 2250.51 |

**सीए/सीएस की सेवाओं में सुधार**

**1506. श्री के.सी. पल्लानी शामी:** क्या **कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स, कास्ट एण्ड वर्क्स एकाउन्टेंट्स तथा कंपनी सेक्रेट्रीज की सेवाओं में अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप सुधार लाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार का विचार इन सेवाओं से संबंधित अधिनियमों/नियमों में कुछ संशोधन करने का है?

**कंपनी कार्य मंत्री (श्री प्रेमचंद गुप्ता):** (क) से (ग) संसद में चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स (संशोधन) अधिनियम, 2006, कास्ट एण्ड वर्क्स एकाउन्टेंट्स (संशोधन) अधिनियम, 2006 तथा कम्पनी सचिव (संशोधन) अधिनियम, 2006 के माध्यम से चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स अधिनियम, 1949, कास्ट एण्ड वर्कस एकाउन्टेंट्स अधिनियम, 1959 तथा कम्पनी सचिव अधिनियम, 1980 में संशोधनों को अधिनियमित किया है। इस संशोधनों के अंतर्गत अधिनियमों द्वारा नियमित व्यवसायिकों द्वारा की जाने वाली सेवाओं के स्तर में सुधार करने के लिए निम्नलिखित उपबन्ध बनाए गए हैं:-

(1) व्यवसायिकों द्वारा दी जाने वाली सेवाओं में पारदर्शिता तथा जवाबदेही को सुनिश्चित करने के लिए अनुशासनीय तंत्र का पुनर्गठन।

(2) तीनों संस्थानों के लिए संस्थानों के सदस्यों द्वारा दी जाने वाली सेवाओं के स्तर के पुनरीक्षण के लिए, दी जाने वाली सेवाओं के स्तर पर सिफारिशें देने और सेवाओं के स्तर को सुधारने के लिए सदस्यों को मार्ग-दर्शन देना तथा विभिन्न सांविधिक तथा अन्य नियामक अपेक्षाओं के लिए स्तर पुनरीक्षण बोर्ड की स्थापना।

(3) उक्त अधिनियमों द्वारा नियमित व्यवसायिकों को बहु-उद्देश्यीय एनटिटी को बनाने व भाग लेने के लिए अनुमति देना।

उक्त मानदण्ड उपरोल्लिखित अधिनियमित रूप में पहले से विद्यमान सांविधिक ढांचे के अतिरिक्त हैं।

*[हिन्दी]*

## कापार्ट के अंतर्गत गैर-सरकारी संगठनों द्वारा बरती गई अनियमितताएं

**1507. श्री गिरिधारी यादव:** क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) लोक कार्रवाई एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी प्रगति परिषद (कापार्ट) की स्थापना से अब तक बिहार के जनजातीय और ग्रामीण क्षेत्रों में स्थान-वार कितनी परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं;

(ख) उक्त अवधि के दौरान कापार्ट द्वारा प्रत्येक एजेंसी को स्वीकृत और वितरित की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन एजेंसियों द्वारा बरती गई कोई अनियमितता सरकार के ध्यान में आई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसी प्रत्येक एजेंसी के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

**ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील):** (क) से (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

*[अनुवाद]*

## सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क संग्रहण

**1508. श्री सुग्रीव सिंह:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चालू वित्तीय वर्ष में सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्कों के संग्रहण में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और अभी तक कितने प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है; और

(ग) चालू वित्तीय वर्ष हेतु सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के संग्रहण के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम):** (क) से (ग) अप्रैल-सितम्बर, 2006 के दौरान सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से संग्रहित राजस्व पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में संग्रहित राजस्व तथा वर्ष 2006-07 के लिए बजट अनुमान निम्नवत् हैं:

(करोड़ रु. में)

| अप्रत्यक्ष कर | 2006-07 के लिए बजट अनुमान | अप्रैल-अक्तूबर के दौरान राजस्व संग्रहण* (अस्थाई) | | पिछले वर्ष वृद्धि का % |
|---|---|---|---|---|
| | | 2005-06 | 2006-07 | |
| सीमा शुल्क | 70066 | 37085 | 49216 | 32.7 |
| केन्द्रीय उत्पाद शुल्क | 119000 | 57104 | 60401 | 5.8 |

*उत्पाद शुल्क से राजस्व संग्रहण राजस्व विभाग द्वारा नहीं लगाए गए उपकर को छोड़कर है।

## एक से अधिक पैन कार्ड धारक

**1509. श्री किसनभाई वी. पटेल:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में बड़ी संख्या में लोगों ने एक से अधिक पैन कार्ड प्राप्त कर लिए हैं;

(ख) यदि हां, तो देश में कितने लोगों के पास एक से अधिक पैन कार्ड है;

(ग) उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) कितने व्यक्तियों ने अभी तक ऐसे कार्ड वापिस किए हैं/जमा कराए हैं?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम):** (क) और (ख) जी, हां। आयकर विभाग ने एक स्वचालित प्रक्रिया के माध्यम से संभावित डुप्लीकेट स्थायी खाता संख्याओं

की पहचान की है। ऐसे व्यक्ति जिनके पास एक से अधिक पैन होने की संभावना है, की संभावित संख्या 13,10,127 है।

(ग) और (घ) संबंधित पैन धारकों को सलाह देते हुए संभावित डुप्लीकेट पैनों के बारे में सूचित किया जा रहा है कि वे संभावित डुप्लीकेट पैनों में से पहचानकृत एक पैन का ही प्रयोग करें। उनके उत्तरों, यदि कोई हों, पर विचार करने के पश्चात, डुप्लीकेट पैनों को निष्क्रिय कर दिया जाएगा। दिनांक 31.10.2006 तक 710617 पैन धारकों को पत्र जारी कर दिए गए हैं।

**कापार्ट द्वारा गैर-सरकारी संगठनों को सहायता**

**1510. श्रीमती प्रिया दत्त:** क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कापार्ट से वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले गैर-सरकारी संगठनों (एन.जी.ओ.) का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) निधियों के उपयोग और इनकी निगरानी का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील):** (क) और (ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

**भूमि का दुरूपयोग**

**1511. श्री अधीर चौधरी:** क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डीडीए ने संस्थाओं और गैर-सरकारी संगठनों को रियायती दरों पर भूमि के आवंटन की नीति में परिवर्तन करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गत कुछ वर्षों में संस्थाओं और गैर-सरकारी संगठनों ने रियायती दर पर आवंटित भूमि का अन्य उद्देश्यों के लिए दुरूपयोग किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है और सरकार द्वारा ऐसे मामलों में क्या कार्रवाई की गई है?

**शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन):** (क) और (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने यह बताया है कि संस्थानों को भूमि देने की नीति को पहले ही संशोधित किया जा चुका है तथा डीडीए ने अस्पतालों, क्लबों, उच्चतर एवं तकनीकी शिक्षण संस्थानों एवं वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों के लिए प्रायवेट निकायों को संस्थानिक दरों पर भूमि-आवंटन की नीति के स्थान पर उन्हें भूमि देने के लिए नीलामी की विधि शुरू की है। जहां तक विद्यालयों का संबंध है, सभी प्राथमिक विद्यालयों के प्लाट दिल्ली नगर निगम को दिए जाएंगे तथा प्रत्येक प्रतिवेश में वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय स्थलों में से 50% स्थान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को दिए जायेंगे। सामुदायिक भवनों के संबंध में यह निर्णय लिया गया है कि इस उद्देश्य के लिए चयनित स्थल स्थानीय निकायों को दिए जायेंगे तथा शेष स्थलों की नीलामी की जाएगी। धार्मिक संगठन स्थलों एवं विविध सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्थानों के लिए भूमि आवंटन की नीति में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

(ग) और (घ) डीडीए ने यह भी बताया है कि दुरुपयोग के कुछ मामलों का पता चला है। जब कभी किसी संस्थान द्वारा दुरूपयोग करने के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त होती है, उस दुरूपयोग को हटाने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है। यदि दुरूपयोग जारी रहता है तब पट्टे को रद्द करने के लिए कार्रवाई की जाती है। संबंधित स्थानीय निकाय भी ऐसे भवन को सील करने के लिए कार्रवाई शुरू करता है।

*[हिन्दी]*

**नए विमानपत्तनों के बिल्डर्स को कर में छूट**

**1512. श्रीमती भावना पुंडलिकराव गवली:**
**श्री संजय धोत्रे:**

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा नए विमानपत्तनों की स्थापना में लगे संगठनों को कर में छूट उपलब्ध करायी जाती है अथवा कराए जाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमणिक्कम):** (क) और (ख) आयकर अधिनियम की धारा 80झक के अंतर्गत निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अध्यधीन अवसंरचनात्मक सुविधा के (1) विकास; अथवा (2) प्रचालन एवं अनुरक्षण; अथवा (3) विकास, प्रचालन एवं अनुरक्षण के व्यवसाय से किसी उद्यम द्वारा अजित लाभ एवं अभिलाभ के 100% कटौती का प्रावधान है।

(क) उद्यम का स्वामित्व भारत में पंजीकृत किसी कंपनी अथवा ऐसी कंपनियों के संघ अथवा किसी केंद्रीय या राज्य अधिनियम के अंतर्गत स्थापित अथवा गठित किसी प्राधिकरण अथवा किसी बोर्ड अथवा किसी निगम अथवा किसी अन्य संस्था के हाथ में हो;

(ख) उद्यम ने कोई नई अवसंरचनात्मक सुविधा विकसित करने अथवा प्रचालित एवं अनुरक्षित करने अथवा विकसित, प्रचालित एवं अनुरक्षित करने के लिए केंद्र सरकार अथवा किसी राज्य सरकार अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण अथवा किसी अन्य सांविधिक संस्था के साथ करार किया हो;

(ग) उद्यम 1.4.1995 को अथवा इसके बाद अवसंरचनात्मक सुविधा का प्रचालन एवं अनुरक्षण शुरू करे;

इस प्रयोजनार्थ यथा परिभाषित अवसंरचनात्मक सुविधा में पत्तन, हवाई अड्डा अंतर्देशीय जलमार्ग अथवा अंतर्देशीय पत्तन शामिल हैं।

यह कटौती 15 वर्षों में से 10 लगातार वर्षों के लिए उपलब्ध है जिसकी शुरूआत उस वर्ष से होती है जिसमें उद्यम पत्तन, हवाई अड्डा, अंतर्देशीय जलमार्ग अथवा अंतर्देशीय पत्तन के स्वरूप की अवसंरचनात्मक सुविधा विकसित करता है और प्रचालन शुरू करता है।

**एलआईसी पालिसियों पर सरकारी गारंटी**

**1513. श्री सज्जन कुमार:**
**श्री जे.एम. आरून रशीद:**
**डा. राजेश मिश्रा:**
**श्री अवतार सिंह भडाना:**

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण ने सरकार से एलआईसी पालिसियों पर सरकारी गारंटी वापिस लेने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल):** (क) से (ग) जी, हां। सभी बीमाकर्त्ताओं को खोले गए बीमा क्षेत्र में एक समान कार्यक्षेत्र प्रदान करने की दृष्टि से, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण ने जीवन बीमा निगम (एलआईसी) की जीवन बीमा पालिसियों की सरकार की गारंटी को वापस करने की सिफारिश की है। यह मामला सरकार के विचाराधीन है।

**राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन गारंटी योजना में सुधार**

**1514. श्री राकेश सिंह:** क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन गारंटी योजना (एन.आर.ई.जी.एस.) के अंतर्गत अधिकांश लाभार्थियों को एक वर्ष में औसतन 30 से कम दिन का कार्य मिल रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना के अंतर्गत एक वर्ष में कम से कम 100 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य प्राप्त करने और एन.आर.ई.जी.एस. में सुधार, यदि कोई हों, करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है?

**ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू):** (क) राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन गारंटी अधिनियम 02.02.2006 को निर्धारित जिलों में शुरू किया गया था। अधिनियम में प्रत्येक ग्रामीण परिवार को एक वित्तीय वर्ष में काम मांगने पर कम से कम 100 दिनों के मजदूरी रोजगार की कानूनी गारंटी देने की व्यवस्था की गई है। 100 दिनों के रोजगार की गारंटी वित्तीय वर्ष के लिए है तथा श्रमिक अपनी समय की उपलब्धता के अनुसार रोजगार की मांग करते हैं।

(ख) कार्यक्रम के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए अभियान शुरू किया गया है। कार्यक्रम के प्रचार-प्रसार के लिए प्रिंट, श्रव्य-दृश्य संचार तथा सांस्कृतिक रूपों का उपयोग किया गया है। मंत्रालय केवल वास्तविक मानदंडों की ही नहीं बल्कि गुणवत्ता संबंधी संकेतकों की भी नियमित निगरानी करता है।

*[अनुवाद]*

**नाबार्ड की ऋण नीति**

**1515. श्री जुएल ओराम:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नाबार्ड ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अपनी ऋण नीति को पुन: निर्धारित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या ऐसा प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल):** (क) और (ख) नाबार्ड अपनी संसाधन स्थिति और सरकारी नीतियों, कार्यक्रमों, प्राथमिकताओं, देश में विभिन्न राज्यों के विकास में क्षेत्रीय असंतुलनों, ऋण की बुनियादी आवश्यकता, आदि जैसे विभिन्न अन्य पहलुओं को ध्यान में रखते हुए अपनी नीतियों की सतत आधार पर समीक्षा करता है।

वर्ष 2006-07 के बजट में खरीफ और रबी 2006-07 के लिए किसानों को 3 लाख रुपए की मूलराशि तक का अल्पावधि ऋण (एसटीसी) 7% वार्षिक की ब्याज दर पर देने की घोषणा की गई थी। सरकार ने नाबार्ड के माध्यम से सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को क्रमश: 2.5% एवं 2% वार्षिक की ब्याज दर पर रियायती पुनर्वित्त प्रदान किया है। सरकारी क्षेत्र के बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों को स्वयं अपने संसाधनों से उधार देने पर 2% वार्षिक की ब्याज सहायता प्रदान की जानी होती है।

इसके अलावा, भारतीय रिजर्व बैंक और नाबार्ड द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार, देश में सरकारी क्षेत्र के सभी बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 7% वार्षिक की ब्याज दर पर अल्पावधि ऋण प्रदान कर रहे हैं। तथापि, कुछ सहकारी बैंकों ने ऊंची ब्याज दर पर अल्पावधि ऋण प्रदान किए हैं। कुछ राज्य सरकारों ने सहकारी बैंकों को उनके स्वयं के संसाधनों से दिए गए अल्पावधि ऋण की राशि पर ब्याज सहायता दिए जाने का मुद्दा उठाया था। इन सहकारी बैंकों को, उनके द्वारा अपने स्वयं के संसाधनों से दिए गए ऋण की राशि पर 2% वार्षिक की ब्याज सहायता प्रदान करने के सरकार के हाल के निर्णय के बाद, अब अपनी आधार दरों को घटाकर 7% वार्षिक करके उसमें संशोधन करना चाहिए।

(ग) उपर्युक्त भाग (क) और (ख) के उत्तर को देखते हुए लागू नहीं होता।

**इलेक्ट्रानिक उद्योगों के लिए कर अवकाश**

**1516. श्री मनोरंजन भक्त:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में इलेक्ट्रानिक उद्योग को कर अवकाश प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार अंडमान ओर निकोबार द्वीप समूहों में इलेक्ट्रानिक उद्योग की स्थापना करने और उसको चलाने वाली इच्छुक कम्पनियों को रियायत देने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम):** (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

**मछली पकड़ने वाले जाल पर आयात शुल्क**

**1517. श्री ए.वी. बेल्लारमिन:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मछली पकड़ने वाली जालों के विनिर्माण हेतु कच्चे माल और मछली पकड़ने वाले विनिर्मित जालों पर लगाए जाने वाले आयात शुल्क की वर्तमान दरें क्या हैं;

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने मछली पकड़ने वाले स्वदेशी जाल विनिर्माताओं की दुर्दशा के संबंध में शुल्कों के प्रभाव का कभी कोई आकलन किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम):** (क) नायलन फिलामेंट यार्न (मछली पकड़ने वाले जाल का यार्न सहित) के उत्पादन के लिए कच्चा माल नालयन चिप्स होता है। नायलन चिप्स और नायलन फिलामेंट यार्न पर वर्तमान आयात शुल्क दरें निम्न प्रकार हैं:

| | बुनियादी सीमा शुल्क | प्रति संतुलनकारी शुल्क[1] | अतिरिक्त सीमा शुल्क[2] |
|---|---|---|---|
| नायलन चिप्स | 12.5% | 16.32% | 4% |
| नायलन फिलामेंट यार्न | 10% | 8.16% | 4% |

1. शुल्केय माल पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और शिक्षा उपकर के बदले
2. राज्य/स्थानीय करों के बदले

इसके अलावा नायलन चिप्स और नायलन फिलामेंट यार्न दोनों पर कुल सीमा शुल्क के 2% की दर से आयातित माल पर शिक्षा उपकर भी लिया जाता है।

(ख) और (ग) सरकार को देश भर के मछली पकड़ने वाले जाल के यार्न उत्पादक कल्याण संघ से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ नायलन चिप्स पर सीमा शुल्क को 12.5% से घटाकर 10% करने का अनुरोध किया गया है और यह अभ्यावेदन जांचाधीन है।

(घ) उपर्युक्त (ख) और (ग) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

*[हिन्दी]*

**डीडीए में भ्रष्टाचार**

1518. **श्री जीवाभाई ए. पटेल:**
**श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील:**

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) में भ्रष्टाचार के संदर्भ में कुछ सिफारिशें की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

**शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन):** (क) से (ग) केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) ने यह बताया है कि वह दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के साथ विभिन्न मामलों की आवधिक समीक्षा करता रहता है ताकि भ्रष्टाचार कम करने के लिए निवारक सतर्कता उपाय के रूप में प्रणाली और कार्य प्रक्रियां में सुधार लाया जा सके और उसे सरल व कारगर बनाया जा सके। इसकी सिफारिशों पर डीडीए ने संस्थायी भूमि के आबंटन तथा लीजहोल्ड सम्पत्तियों को फ्रीहोल्ड में बदलने की प्रणाली व प्रक्रिया को सरल बनाने हेतु उपाय किए हैं। उसने अतिक्रमित भूमि की वीडियोग्राफी भी शुरू की है।

*[अनुवाद]*

**विद्युत परियोजनाओं के लिए संयुक्त बोली**

1519. **श्री तरित बरण तोपदार:** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एनटीपीसी) और भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड (बीएचईएल) को अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाओं सहित बड़ी विद्युत परियोजनाओं के लिए संयुक्त रूप से बोली लगाने हेतु कोई निर्णय लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे):** (क) और (ख) एनटीपीसी लिमिटेड और बीएचईएल के बीच अति विशाल विद्युत परियोजनाओं के लिए बोली हेतु साझेदारी के लिए समझौता हुआ है। इसलिए, विद्युत मंत्रालय की पहल पर स्थापित की जा रही अति विशाल परियोजनाओं के लिए बोली लगाने में भाग लेने के उद्देश्य से वित्तीय संयुक्त उद्यम स्थापित करने हेतु एनटीपीसी लिमिटेड द्वारा इक्विटी निवेश के लिए 1000 करोड़ रुपये की सीलिंग हटाने हेतु एनटीपीसी लिमिटेड ने विद्युत मंत्रालय से संपर्क किया। आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडल समिति ने 2 नवम्बर, 2006 को आयोजित अपनी बैठक में अति विशाल परियोजनाओं की बोली में भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से वित्तीय संयुक्त उद्यम और भारत अथवा विदेश में पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियां स्थापित करने (अधिकतम 2 परियोजनाओं के कार्यान्वयन की शर्त के साथ) हेतु एनटीपीसी लिमिटेड द्वारा इक्विटी निवेश के लिए 1000 करोड़ रुपये की सीलिंग हटाने के प्रस्ताव पर अनुमोदन दे दिया है। हालांकि, एक परियोजना में एनटीपीसी के कुल मूल्य की 15% सीलिंग तथा एनटीपीसी की ऐसी सभी परियोजनाओं में एनटीपीसी के कुल मूल्य की समग्र रूप से 30% सीलिंग लागू रहेगी।

**मारूति उद्योग लिमिटेड में सरकारी हिस्सेदारी का विनिवेश**

1520. **श्री कीर्ति वर्धन सिंह:**
**श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन':**
**डा. चिन्ता मोहन:**
**श्रीमती निवेदिता माने:**
**श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:**

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार मारूति उद्योग लिमिटेड में अपनी शेष हिस्सेदारी का विनिवेश करने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) शेष हिस्सेदारी का विनिवेश कब तक किए जाने की संभावना है?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम):** (क) मारूति उद्योग लिमिटेड में सरकार की शेष बची शेयरधारिता की बिक्री के संबंध में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

*[हिन्दी]*

**मेट्रो रेल का गाजियाबाद तक विस्तार**

**1521. डा. शफीकुर्रहमान बर्क:** क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मेट्रो रेल को गाजियाबाद तक बढ़ाने का पूर्व प्रस्ताव खारिज हो गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार वैशाली से आगे गाजियाबाद तक इस परियोजना को बढ़ाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

**शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री अजय माकन ):** (क) और (ख) गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) ने दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन लि. (डीएमआरसी) को दिल्ली मेट्रो का गाजियाबाद तक विस्तार करने के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने का अनुरोध किया था। दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन द्वारा अक्तूबर, 2005 में दिलशाद गार्डन से बस अड्डा गाजियाबाद तक जी.टी. रोड के साथ-साथ (9.4 कि.मी.) दिल्ली मेट्रो का विस्तार करने के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। तथापि, उत्तर प्रदेश सरकार से निर्णय तथा केन्द्र सरकार को इस कारीडोर का कार्य करने हेतु औपचारिक प्रस्ताव अभी प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते। तथापि, डीएमआरसी ने यह सूचित किया है कि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) ने यमुना तट-आनन्द विहार आईएसबीटी मेट्रो कारीडोर का गाजियाबाद के लिए करीब 2.5 कि.मी. वैशाली तक विस्तार करने का भी प्रस्ताव किया है। डीएमआरसी द्वारा लागत तथा अन्य ब्यौरे तैयार किए जा रहे हैं।

**रामगढ़ विद्युत संयंत्र को गैस की आपूर्ति**

**1522. श्री गिरधारी लाल भार्गव:**
**श्रीमती किरण माहेश्वरी:**

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रामगढ़ गैस ताप विद्युत परियोजना को इष्टतम स्तर पर चलाने के लिए कितनी गैस की अपेक्षा है;

(ख) वर्तमान में उक्त परियोजना के लिए कितनी गैस की आपूर्ति की जा रही है;

(ग) उक्त परियोजना को अतिरिक्त गैस की आपूर्ति के लिए कौन-सा प्राधिकरण जिम्मेवार है; और

(घ) दोनों गैस टरबाइनों को इष्टतम स्तर पर चलाने के लिए गैस कब तक उपलब्ध करवाये जाने की संभावना है?

**विद्युत मंत्री ( श्री सुशील कुमार शिंदे ):** (क) 4150 किलो कैलोरी (केसीएल) पर गैस की ग्रास कैलोरिफिक वैल्यू (जीवीसी) प्रति स्टैण्डर्ड क्यूबिक मीटर (एससीएम) और स्टेशन हीट रेट 2000 किलो कैलोरीप (केसीएल) प्रति किलो वाट घंटा (केडब्ल्यूएच) मानकर 90% संयंत्र भार घटक (पीएलएफ) पर रायगढ़ गैस थर्मल पावर प्रोजेक्ट के प्रचालन के लिए गैस की जरूरत 1.18 मिलियन मीट्रिक स्टैण्डर्ड क्यूबिक मीटर प्रतिदिन (एमएमएससीएमडी) है।

(ख) और (ग) गैस अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड, रामगढ़ गैस थर्मल पावर प्रोजेक्ट को गैस की आपूर्ति कर रहा है। राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड से प्राप्त सूचना के अनुसार वर्तमान में प्रोजेक्ट की आपूर्ति की गई गैस की मात्रा 0.75 मिलियन मीट्रिक स्टैण्डर्ड क्यूबिक मी. प्रति दिन (एमएमएससीएमडी) है।

(घ) राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि. (आरआरवीयूएनएल) द्वारा यह सूचित किया गया है कि निकट भविष्य में मैसर्स गैस अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड (गेल) द्वारा प्रतिदिन 0.9 मिलियन मीट्रिक स्टैण्डर्ड क्यूबिक मीटर (एमएमएससीएमडी) गैस आपूर्ति किए जाने की संभावना है।

इसके अलावा आयल इंडिया लिमिटेड (ओआईएल), आयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन (ओएनजीसी) एवं अन्य द्वारा क्षेत्र में अन्वेषण गतिविधियां चलाए जाने की सूचना है तथा यदि किसी स्थान पर नए सिरे से गैस मिलती है तो रामगढ़ जैस थर्मल पावर प्रोजेक्ट (जीटीपीपी) और गैस आपूर्तिकर्त्ताओं के बीच आपस में तय शर्तों के आधार पर रामगढ़ गैस थर्मल पावर प्रोजेक्ट (जीटीपीपी) को गैस आपूर्ति का यह अतिरिक्त स्रोत होगा।

*[अनुवाद]*

**सरकारी भूमि का पुन: सर्वेक्षण**

**1523. श्री एम. शिवन्ना:** क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक सहित कतिपय राज्यों ने गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में सरकारी भूमि के पुन: सर्वेक्षण हेतु प्रस्ताव पेश किये हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

**ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री चंद्रशेखर साहू ):** (क) जी, हां।

(ख) समस्त राज्य/सरकारी भूमि के पुनसर्वेक्षण हेतु प्राप्त हुए प्रस्तावों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों के प्रस्तावों की जांच की जाती है तथा उनके औचित्य और बजट प्रावधान की उपलब्धता के आधार पर उन्हें निधियां जारी की जाती हैं। वर्ष 2005-06 के दौरान केन्द्र द्वारा प्रोयोजित योजना, राजस्व प्रशासन को सुदृढ़ बनाना और भूमि अभिलेखों को अद्यतन करना (एस.आर.ए. एण्ड यू.एल.आर.) के अंतर्गत निम्नलिखित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को केन्द्रीय भाग के प्रति इस योजना के तहत केन्द्र तथा राज्यों के बीच 50:50 के आधार पर और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 100% के आधार पर वित्तपोषण पद्धति के अनुसार निधियां जारी की गई थीं:-

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | दादर एवं नगर हवेली | – | 50.00 लाख रुपये |
| 2. | गोवा | – | 393.89 लाख रुपये |
| 3. | नागालैण्ड | – | 246.735 लाख रुपये |
| 4. | तमिलनाडु | – | 200.00 लाख रुपये |
| | योग | – | 890.625 लाख रुपये |

अन्य राज्यों से प्राप्त हुए प्रस्तावों के संबंध में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

***विवरण***

(करोड़ रुपये में)

| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम | प्रस्ताव की कुल लागत |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | दादर एवं नगर हवेली | 1.00 |
| 2. | बिहार (एक जिला) | 55.27 |
| 3. | गोवा | 7.88 |
| 4. | गुजरात | 248.00 |
| 5. | कर्नाटक | 190.00 |
| 6. | केरल | 400.00 |
| 7. | लक्षद्वीप | 2.09 |
| 8. | महाराष्ट्र (एक जिला) | 30.73 |
| 9. | नागालैण्ड (जिला मुख्यालय का पुनसर्वेक्षण एवं बंदोबस्त) | 4.93 |
| 10. | उड़ीसा (एक जिला) | 62.00 |
| 11. | तमिलनाडु | 22.95 |
| | योग | 1024.85 |

## हवाई टिकटों से कर

**1524. श्री पी.सी. थामस:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने हवाई टिकटों पर शुल्क में वृद्धि कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान इन शुल्कों से कितना राजस्व अर्जित हुआ तथा चालू वित्त वर्ष में कितनी राशि प्राप्त होने की संभावना है?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम ):** (क) और (ख) वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 65(105) (ययय्ण) के अंतर्गत 1 मई, 2006 से किसी हवाई जहाज प्रचालक द्वारा किसी यात्री को अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए भारत में जहाज पर चढ़ने वाले ऐसे यात्री के निर्धारित अथवा गैर निर्धारित हवाई परिवहन के संबंध में दी गई सेवाओं पर इकानोमी क्लास को छोड़कर अन्य सभी क्लास पर सेवाकर उद्ग्रहणीय है।

(ग) उपर्युक्त (क) और (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

## वृद्धि लक्ष्य की प्राप्ति

**1525. श्री मोहन रावले:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान वृद्धि दर के लक्ष्य प्राप्त कर लिये हैं;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) आगामी वित्तीय वर्ष के दौरान वृद्धि दर की प्राप्ति के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किये गए हैं?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल):** (क) से (ग) दसवें पंचवर्षीय योजना दस्तावेज में दसवीं योजना अवधि (2002-03 से 2006-07) के पांच वर्षों के लिए उल्लिखित औसत वृद्धि लक्ष्य 8 प्रतिशत था। हासिल की गई वर्ष-वार वृद्धि का ब्यौरा नीचे दिया गया है। वृद्धि दर हासिल करने प्रत्येक वर्ष के दौरान अर्थव्यवस्था में अलग-अलग क्षेत्रों के विकास निष्पादन पर निर्भर करता है। ऐसे संकेत हैं कि वित्तीय वर्ष 2003-04 से 2005-06 के दौरान प्रदर्शित समग्र वृद्धि की रफ्तार 2006-07 के पूर्ण वर्ष के दौरान बने रहने की संभावना है।

*सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि**

(आंकड़े प्रतिशत में)

| | | |
|---|---|---|
| 1. | 2002-03 | 3.8 |
| 2. | 2003-04 | 8.5 |
| 3. | 2004-05 (त्व.अ.) | 7.5 |
| 4. | 2005-06 (सं.अ.) | 8.4 |
| 5. | 2006-07 (प्रथम तिमाही) | 8.9 |

*वर्ष 1999-2000 की स्थिर कीमतों की उत्पादन लागत पर आकलित।

*[हिन्दी]*

**बीमा कंपनियों का घाटा**

**1526. श्री तूफानी सरोज:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनियां (जीआईसी) स्वास्थ्य बीमा योजनाओं में घाटा उठा रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान कम्पनी-वार घाटा कितना है;

(ग) क्या कतिपय सरकारी क्षेत्र की कंपनियां विशेषकर ओरिएंटल इंश्योरेंस कम्पनी में स्वास्थ्य बीमा में अंडर राइटिंग घाटों की वजह से स्वास्थ्य बीमा की योजनाओं के अंतर्गत विभिन्न आयु वर्गों में प्रीमियम धनराशि में वृद्धि कर दी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल):** (क) और (ख) जनरल इंश्युरर्स (पब्लिक सेक्टर) एसोसिएशन आफ इंडिया (जिपसा) ने सूचित किया है कि सरकारी क्षेत्र की सभी बीमा कंपनियां पिछले तीन वर्षों के लिए मुख्यत: स्वास्थ्य रक्षा लागतों में हो रही वृद्धि, प्रतिकूल चयन, व्यवहारिक जोखिम तथा कम प्रीमियम संरचना से स्वास्थ्य बीमा योजनाओं में घाटा उठाती रहती हैं। मेडीक्लेम स्कीम के संबंध में प्राप्त प्रीमियम और दावों पर किए गए व्यय (निपटाए गए और प्रदान किए गए दावे) का कंपनी-वार ब्यौरा इस प्रकार है:-

(करोड़ रुपए में)

| कंपनी का नाम | 2003-04 | | 2004-05 | | 2005-06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | प्रीमियम | दावों पर किया गया व्यय | प्रीमियम | दावों पर किया गया व्यय | प्रीमियम | दावों पर किया गया व्यय |
| नेशनल | 298 | 305 | 364 | 434 | 399 | 513 |
| न्यू इंडिया | 366 | 301 | 455 | 490 | 591 | 704 |
| ओरिएंटल इंश्योरेंस | 230 | 224 | 250 | 294 | 334 | 401 |
| युनाइटेड इंडिया | 235 | 250 | 252 | 344 | 310 | 361 |
| कुल | 1129 | 1080 | 1321 | 1562 | 1634 | 1979 |

(ग) और (घ) जी, हां। ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने विभिन्न आयु वर्गों के लिए प्रीमियम में वृद्धि करके मेडीक्लेम पालिसी की संशोधित किया है। ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

*विवरण*

*मेडीक्लेम पालिसियों के लिए प्रीमियम दरें (पुरानी दरें)*

| बीमित राशि | डोमिसिलिएरी हास्पीटल लिमिट | आयु वर्षों में | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 3m-35 | 36-45 | 46-55 | 56-65 | 66-70 | 71-75 | 76-85 |
| 15000 | 3000 | 201 | 219 | 312 | 358 | 403 | 429 | 520 |
| 25000 | 5000 | 322 | 350 | 507 | 572 | 644 | 689 | 858 |
| 50000 | 10000 | 638 | 694 | 995 | 1131 | 1268 | 1359 | 1677 |
| 100000 | 20000 | 1236 | 1344 | 1924 | 2191 | 2451 | 2626 | 3250 |
| 125000 | 23750 | 1524 | 1656 | 2379 | 2711 | 3036 | 3276 | 4128 |
| 150000 | 27500 | 1811 | 1969 | 2834 | 3231 | 3621 | 3926 | 5005 |
| 175000 | 31250 | 2070 | 2250 | 3257 | 3718 | 4173 | 4544 | 5850 |
| 200000 | 35000 | 2329 | 2531 | 3679 | 4206 | 4726 | 5161 | 6695 |
| 250000 | 40000 | 2789 | 3031 | 4459 | 5116 | 5766 | 6331 | 8320 |
| 300000 | 45000 | 3249 | 3531 | 5239 | 6026 | 6806 | 7501 | 9945 |
| 350000 | 50000 | 3651 | 3969 | 5954 | 6871 | 7781 | 8606 | 11505 |
| 400000 | 50000 | 4054 | 4406 | 6669 | 7716 | 8756 | 9711 | 13065 |
| 450000 | 50000 | 4456 | 4844 | 7384 | 8561 | 9731 | 10816 | 14625 |
| 500000 | 50000 | 4859 | 5281 | 8099 | 9406 | 10706 | 11921 | 16185 |

न्यूनतम बीमित राशि 15,000/- रु. है और उसके बाद 5000/- रु. के गुणजों में।

*मेडीक्लेम पालिसियों के लिए प्रीमियम दरें (दिनांक 15.9.2006 से संशोधित)*

| बीमित राशि | डोमिसिलिएरी हास्पीटल लिमिट | आयु वर्षों में | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 3m-20 | 21-35 | 36-45 | 46-55 | 56-60 | 61-70 | 70 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 50000 | 10000 | 609 | 677 | 809 | 1265 | 1799 | 2688 | 3600 |
| 75000 | 15000 | 883 | 981 | 1174 | 1836 | 2604 | 3886 | 5203 |
| 100000 | 20000 | 1179 | 1310 | 1566 | 2447 | 3483 | 5196 | 6960 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125000 | 23750 | 1454 | 1615 | 1932 | 3026 | 4310 | 6436 | 8683 |
| 150000 | 27500 | 1728 | 1920 | 2295 | 3605 | 5136 | 7676 | 10405 |
| 175000 | 31250 | 1975 | 2194 | 2623 | 4142 | 5912 | 8846 | 12040 |
| 200000 | 35000 | 2221 | 2468 | 2951 | 4680 | 6687 | 10018 | 13678 |
| 250000 | 40000 | 2660 | 2956 | 3534 | 5672 | 8133 | 12222 | 16778 |
| 300000 | 45000 | 3100 | 3444 | 4117 | 6664 | 9581 | 14428 | 19878 |
| 350000 | 50000 | 3483 | 3870 | 4627 | 7573 | 10925 | 16494 | 22805 |
| 400000 | 50000 | 3867 | 4297 | 5138 | 8483 | 12267 | 18562 | 25735 |
| 450000 | 50000 | 4252 | 4724 | 5647 | 9392 | 13611 | 20628 | 28663 |
| 500000 | 50000 | 4635 | 5150 | 6157 | 10302 | 14955 | 22696 | 31590 |

न्यूनतम बीमित राशि 50,000/- रु. है।

**बीआईएफआर के मामले**

**1527. श्री मनसुखभाई डी. वसावा:**
**श्री काशीराम राणा:**

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तिथि के अनुसार औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड (बीआईएफआर) के पास कितने मामले दर्ज हैं;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान इस बोर्ड द्वारा अंतिम रूप से कितने मामले निपटाए गए हैं;

(ग) कितने मामलों में बंद करने अथवा पुनरुद्धार की सिफारिशें की हैं;

(घ) सरकार ने कितने मामलों में पुनरुद्धार की सिफारिश को स्वीकार कर लिया है; और

(ङ) सरकार ने कितने मामलों में सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया है और इसके क्या कारण हैं?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल):** (क) से (ग) दिनांक 27.11.2006 की स्थिति के अनुसार, औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बाइफर) में पंजीकृत मामलों की संख्या 5433 है। पिछले तीन कैलेण्डर वर्षों अर्थात् 2004, 2005 और 2006 (दिनांक 27.11.2006 तक) के दौरान बोर्ड द्वारा अंतिम रूप से निपटान किए गए मामलों की संख्या क्रमश: 219, 339 और 438 है। बाइफर ने 1307 मामलों में बंद किए जाने और 282 मामलों में पुन: अर्थक्षम बनाने की सिफारिश की है।

(घ) और (ङ) रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 के तहत बाइफर में की जाने वाली कार्यवाहियां न्यायिक कार्यवाही प्रकृति की हैं और बाइफर किसी भी निर्णय के लिए मामलों को सरकार के पास नहीं भेजता है।

*[अनुवाद]*

**जे.एन.एन.यू.आर.एम. के अंतर्गत शहरों को शामिल करना**

**1528. श्री प्रहलाद जोशी:** क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने हुबली-धारवाड़ को जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन योजना के "ग" वर्गीय शहरों की सूची में शामिल करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

**शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन):** (क) और (ख) जी, हां। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने जवाहरलाल

नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के अंतर्गत हुबली-धारवाड़ शहर को शामिल करने का अनुरोध किया है।

(ग) जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के अंतर्गत शहरों की संख्या 60 के लगभग रखने का निर्णय सरकार के अनुमोदन से लिया गया है। तथापि जिन शहरों को जेएनएनयूआरएम के तहत शामिल नहीं किया गया है उन्हें छोटे और मझोले नगरों हेतु शहरी अवस्थापना विकास स्कीम (यूआईडीएसएसएमटी) नामक मंत्रालय की दूसरी स्कीम में शामिल किया गया है।

*[हिन्दी]*

**दिल्ली के लिए आवास योजना**

**1529. श्री भूपेन्द्र सिंह सोलंकी:**
**श्री महेश कनोडीया:**

**क्या शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली में जनसंख्या में लगातार वृद्धि को देखते हुए सरकार का विचार आवास समस्या के समाधान के लिए कोई नई योजना तैयार करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस बारे में कोई कदम उठाए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन):** (क) से (घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने अब तक व्यक्तियों, समूह आवास समितियों को प्लान/भूमि आवंटित करके और पुनर्वास व पुनर्स्थापना कालोनियों के लिए तथा निर्मित आवास के माध्यम से लगभग 10.75 लाख आवासीय स्टाक बनाया है। इसमें डीडीए द्वारा 1966 से 2006 के मध्य निर्मित 3.03 लाख से अधिक रिहायशी इकाइयां शामिल हैं।

इसके अलावा, दिल्ली मास्टर प्लान 2021 के प्रारूप में वर्ष 2021 तक 230 लाख की अनुमानित आबादी के लिए रिडेंसिफिकेशन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के साथ-साथ दिल्ली में लगभग 27000 हेक्टेयर के शहरी विस्तार में मकानों की संख्या बढ़ाकर 24 लाख अतिरिक्त रिहायशी इकाइयां निर्मित करने पर विचार किया गया है। मास्टर प्लान में भूमि एकत्रीकरण और आवास विकास में निजी क्षेत्र की भागीदारी पर भी विचार किया गया है। आशा है कि इससे दिल्ली में मकानों की बढ़ती हुई मांग को पूरा किया जा सकेगा।

**एन.आर.ई.जी.ए. के अंतर्गत श्रमिकों को कम मजदूरी**

**1530. श्री पारसनाथ यादव:** क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान इस ओर गया है कि राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन गारंटी अधिनियम के अंतर्गत कार्यरत श्रमिकों को भ्रष्टाचार की वजह से सरकार द्वारा निर्धारित मजदूरी से कम मजदूरी मिल रही है;

(ख) क्या सरकार का विचार इसके अंतर्गत कार्यरत श्रमिकों के बचाव के लिए कोई कदम उठाने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू):** (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन गारंटी अधिनियम, 2005 की धारा 6(1) के अनुसार, केन्द्र सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, अधिसूचना द्वारा, मजदूरी दर विनिर्दिष्ट कर सकती है, बशर्ते ऐसी अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट मजदूरी दर प्रतिदिन कम से कम 60 रु. होगी। तथापि, केन्द्र सरकार ने इस अधिनियम के अतंर्गत अभी तक कोई मजदूरी दर निर्धारित नहीं की है। अधिनियम की धारा 6(2) में यह भी व्यवस्था है कि किसी राज्य में किसी क्षेत्र के संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा कोई मजदूरी दर नियत किए जाने के समय तक, कृषि श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 3 के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा नियत न्यूनतम मजदूरी उस क्षेत्र के लिए लागू मजदूरी दर समझी जाएगी। सभी राज्य सरकारें इस अधिनियम के अंतर्गत मजदूरों को मजदूरी का भुगतान न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के प्रावधानों के अनुसार स्वयं द्वारा नियत मजदूरी के हिसाब से कर रही हैं। तथापि, राज्य सरकारों को इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए कार्यों के माप-तौल एवं दरों की अनुसूची के लिए मानदंड तैयार करने की दृष्टि से व्यापक कार्य, समय और गति अध्ययन करने के लिए कहा गया है।

**सरकारी बंगलों पर अनधिकृत कब्जा**

**1531. योगी आदित्यनाथ:** क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने विभिन्न राजनैतिक दलों के राजनीतिज्ञों द्वारा सरकारी बंगलों पर अनधिकृत कब्जों के बारे में कोई आदेश जारी किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

**शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन):** (क) अभी तक इस संबंध में ऐसा कोई आदेश प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

**आई.आर.ई.पी.**

**1532. श्री लक्ष्मण सिंह:** क्या **नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में समुचित प्रशिक्षण सुविधाओं के अभाव की वजह से ''समेकित ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम'' (आई.आर.ई.पी.) अपेक्षित परिणाम नहीं दे रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस कार्यक्रम को प्रभावी बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

**नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार):** (क) से (ग) समेकित ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम (आईआरईपी) के अंतर्गत क्षेत्रीय, राज्य और जिला स्तरीय प्रशिक्षण केन्द्रों/तकनीकी बैक-अप यूनिटों के माध्यम से विभिन्न श्रेणियों के लाभार्थियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस कार्यक्रम के भाग के रूप में पांच क्षेत्र स्तर के आईआरईपी प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा, इस कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य-स्तरीय तकनीकी बैक-अप यूनिटों और जिला-स्तरीय तकनीकी बैक-अप यूनिटों की स्थापना की गई है। इन सुविधाओं के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। मानव संसाधन विकास पर अधिक बल, प्रशिक्षण सुविधाओं को सुदृढ़ करने और उच्चतर केन्द्रीय वित्तीय सहायता के प्रावधान के माध्यम से इसे और अधिक प्रभावी बनाने के लिए वर्ष 2003-04 में इस कार्यक्रम को संशोधित किया गया।

**आन लाईन आयकर विवरणी भरना**

**1533. श्री किन्जरपु येरननायडु:**
**श्री रेवती रमन सिंह:**

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सत्य है कि सरकार ने समीक्षाधीन वर्ष 2005-06 से सभी कम्पनियों के लिए अपनी वार्षिक आयकर विवरणी को आन लाईन भरना अनिवार्य कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इसके परिणाम स्वरूप प्रत्यक्ष कर प्राप्ति में वृद्धि होगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम):** (क) जी, हां। सभी कम्पनियों के लिए वित्त वर्ष 2005-06 के अनुरूप कर निर्धारण वर्ष 2006-07 के लिए 24.7.2006 के उपरान्त अपनी वार्षिक कर विवरणियां आनलाईन दायर करना अनिवार्य कर दिया गया है।

(ख) डिजिटल हस्ताक्षर के बिना इलेक्ट्रानिक रूप से विवरणी प्रस्तुत करने हेतु दो चरणीय प्रक्रिया विहित की गई है। पहला चरण इलेक्ट्रानिक रूप से (डिजिटल हस्ताक्षर के बिना) विवरणी तथा उसकी अनुसूचियों का ब्यौरा भेजना तथा उसके बाद कागजी विवरणी दायर करना है। तथापि, यदि डिजिटल हस्ताक्षर से विवरणी इलेक्ट्रानिक रूप से दायर की जाएगी तो कागजी विवरणी प्रस्तुत करना अनिवार्य नहीं होगा।

(ग) और (घ) आयकर विवरणी आन लाईन दायर करने से करदाताओं का अनुपालन बोझ घटेगा। इसलिए, स्वैच्छिक अनुपालन और प्रत्यक्ष कर संग्रह पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना है। तथापि, इस प्रभाव को मात्रात्मक रूप में उल्लेख करना संभव नहीं है।

*[हिन्दी]*

**आवास आबंटन में मानसिक रूप से नि:शक्त व्यक्तियों को आरक्षण**

**1534. श्री सूरज सिंह:** क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) प्लाटों/फ्लैटों के आबंटन में मानसिक रूप से नि:शक्त व्यक्तियों को आरक्षण प्रदान करता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस बारे में सरकार की नीति क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान कितने व्यक्ति इससे लाभान्वित हुए?

**शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री अजय माकन ):** (क) और (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि वर्तमान नीति के अंतर्गत फ्लैटों और प्लाटों के मंदबुद्धि और मानसिक रूप से अशक्त व्यक्तियों समेत विकलांग व्यक्तियों के लिए 1% का आरक्षण है। नीति में लागत में 5% की छूट, जो अधिकतम 1 लाख रु. के अध्यधीन है। ग्राउंड फ्लोर पर फ्लैट का आवंटन तथा किराया खरीद आधार के मामले में प्रारंभिक भुगतान के रूप में कुल लागत के 50% के स्थान पर 25% के भुगतान का प्रावधान है।

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने यह भी बताया कि वर्ष 2003-04 से 2005-06 तक की अवधि के दौरान, विकलांग व्यक्तियों को 215 फ्लैटों और 57 प्लाटों का आवंटन किया गया। मंदबुद्धि और मानसिक रूप से अशक्त व्यक्तियों को किए गए आवंटन का अलग से कोई रिकार्ड नहीं रखा गया है।

**संसाधन स्वायत्तता एवं निवेश का अभाव**

**1535. श्री हंसराज जी. अहीर:** क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय अनुसंधान संस्थानों में उच्चस्तरीय वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए संसाधनों, प्रचालन संबंधी स्वायत्तता एवं निवेश का अभाव है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या वैज्ञानिक संस्थानों में निवेशकों की नियुक्ति के संबंध में सरकार द्वारा कोई परिपत्र जारी किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री ( श्री कपिल सिब्बल ):** (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

**प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत खामियां**

**1536. श्री कैलाशनाथ सिंह यादव:** क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व बैंक के जांच दल द्वारा हाल ही में उत्तर प्रदेश में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत किए गए निर्माण कार्यों में कतिपय खामियां प्रकाश में लायी गयी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

**ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील ):** (क) से (ग) अगस्त, 2006 के दौरान, विश्व बैंक अर्धवार्षिक समीक्षा मिशन दल ने उन चार राज्यों (उत्तर प्रदेश सहित) का दौरा विश्व बैंक से वित्त पोषित प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना कार्यान्वयनाधीन है। दिनांक 28.9.2006 के अपने सहायता विवरण में मिशन ने पर्यावरणीय और सामाजिक प्रबंधन की रूपरेखा, पर्यावरण संबंधी व्यवहार संहिता की प्रतिबद्धताओं का अनुपालन करने, अनिवार्य गुणवत्ता नियंत्रण जांच करने तथा दस्तावेजों का रखरखाव करने, मुख्यालयों में पर्याप्त स्टाक नियुक्त करने और आन-लाइन निगरानी तथा प्रबंधन संबंधी लेखा-पद्धति में आंकड़ों की प्रविष्टि को अद्यतन बनाने पर जोर दिया है। उन्होंने पर्यावरणीय और सामाजिक प्रबंधन रूपरेखा के कार्यान्वयन के लिए कार्ययोजना (अल्प, मध्यम तथा दीर्घ कालिक) बनाने की भी सलाह दी है। दिनांक 28.9.2006 के सहायता वितरण की प्रति आवश्यक कार्रवाई के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को भेज दी गई है।

*[अनुवाद]*

**गुजरात तट के निकट खोज संबंधी कार्यकलाप**

**1537. श्री पी.एस. गढ़वी:** क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान गुजरात तट के निकट किए गए समुद्री कार्यकलापों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त अवधि के दौरान जल के नीचे खोज संबंधी कार्यकलापों की गति धीमी हुई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

**विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री ( श्री कपिल सिब्बल ):** (क) राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान (एनआईओ), गोवा ने पिछले तीन वर्ष के दौरान गुजरात तट के निकट समुद्री पुरातत्वविज्ञान के लिए अंतर्जल अन्वेषण के क्षेत्र में निम्नलिखित कार्यकलाप किए:

(1) 2003-04: पोरबंदर, गोपनाथ और मिथी विरदी (तलाजा तालुक) तट पर अन्वेषण किए गए। इस अन्वेषण से

प्राचीनकाल में बंदरगाह होने का पता चला है तथा कुछ पत्थर के लंगर भी मिले हैं।

(2) 2004-05: मियानी (हर्षदमाता) और विस्वाड़ा (मूल द्वारका) के निकट अंतर्जल अन्वेषण किए गए। अन्वेषण के दौरान प्राचीनकाल में बंदरगाह होने और लंगर डालने के स्थानों का पता चला है। पोरबंदर खाड़ी के निकट तटीय स्थल की खुदाई की गई जिससे दूसरी सहस्त्राब्दि बीसी से पहले का स्थल दिखाई दिया।

(3) 2005-06: अधिक विवरण प्राप्त करने के लिए मियानी और विस्वाड़ा में अंतर्जल अन्वेषण जारी रहे। पिंडारा में तट के निकट अन्वेषण किए गए। इस दौरान एक पुराना डूबा हुआ मंदिर दिखाई दिया।

(ख) कार्य की गति धीमी नहीं हुई है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

*[हिन्दी]*

**आयकर विनियमों का उल्लंघन**

**1538. श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील:**
**श्री एम. अंजनकुमार यादव:**

**क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनेक बैंकिंग/वित्तीय कम्पनियां आयकर विनियमों का उल्लंघन कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा ऐसी कम्पनियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है और क्या सफलता प्राप्त की गई है?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम ):** (क) और (ख) बैंकिंग/वित्तीय कंपनियों द्वारा आयकर अधिनियम/नियमावली के प्रावधानों के उल्लंघन जिसमें कर अपवंचन का पता चलना तथा विहित समय सीमा के भीतर वार्षिक सूचना विवरणियों तथा बैंककारी नकदी संव्यवहार कर के विवरण को प्रस्तुत न करना तथा अधूरा प्रस्तुत करना शामिल है, के दृष्टान्त आयकर विभाग के ध्यान में आए हैं। तथापि, विभाग ऐसे दृष्टान्तों का केन्द्रीय डाटाबेस नहीं रखता है। चूंकि आयकर अधिनियम/नियमावली की विभिन्न शर्तों के उल्लंघन के बैंकवार विवरण के लिए व्यक्तिगत मामले के अभिलेखों की जांच की जानी होगी जिसमें पर्याप्त समय लगेगा और काफी प्रयास करना होगा जो प्राप्त किए जाने वाले वांछित उद्देश्यों के अनुरूप नहीं हो सकता।

(ग) ऐसी कम्पनियों के संबंध में मांग की वसूली पत्र/सांविधिक नोटिस जारी करने के लिए कानूनी उपाय किए गए हैं ताकि आयकर अधिनियम/नियमावली के प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित किया जा सके। तथापि, किए गए उपायों के बैंकवार एवं वर्षवार ब्यौरे केन्द्रीकृत रूप से नहीं रखे जाते हैं।

*[अनुवाद]*

**केरल में उच्च न्यायालय की खंडपीठ**

**1539. श्री पन्नियन रवीन्द्रन: क्या विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को केरल सरकार की ओर से तिरूवनंतपुरम में उच्च न्यायालय की खंडपीठ स्थापित करने के संबंध में अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस अनुरोध पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

**विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री के. चेंकटपति ):** (क) से (ग) किसी उच्च न्यायालय की न्यायपीठ के गठन के प्रस्ताव पर, राज्य सरकार से उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से कोई पूर्ण प्रस्ताव प्राप्त होने पर ही विचार किया जाता है। यद्यपि केरल सरकार ने तिरूवनंतपुरम में केरल उच्च न्यायालय की एक न्यायपीठ के गठन के लिए अनुरोध किया है फिर भी उसने केरल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से कोई पूर्ण प्रस्ताव नहीं भेजा है और न ही आवश्यक अवसंरचनात्मक सुविधाएं उपलब्ध कराने के संबंध में कोई आश्वासन दिया है।

**निजी क्षेत्र में बैंकों को बंद किया जाना**

**1540. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:**
**श्री रवि प्रकाश वर्मा:**
**श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:**

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि गत कुछ वर्षों में निजी क्षेत्र के कुछ बैंक जनता की जमाराशियों को लेकर बंद/गायब हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ग्राहकों के हितों की रक्षा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) इन बैंकों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का विचार है?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल):** (क) से (घ) भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर भारत सरकार के अंतरणकर्त्ता बैंकों की खराब वित्तीय स्थिति के कारण तथा जमाकर्त्ताओं एवं बैंकिंग प्रणाली के हित में निम्नलिखित बैंकों के समामेलन की योजनाएं मंजूर की हैं:-

(1) नेडुंगाडी बैंक लिमिटेड का पंजाब नैशनल बैंक के साथ (2003)*

(2) साऊथ गुजरात लोकल एरिया बैंक का बैंक आफ बड़ौदा के साथ (2004)*

(3) ग्लोबल ट्रस्ट बैंक का ओरियंटल बैंक आफ कामर्स के साथ (2004)*

(4) गणेश बैंक आफ कुरूंडवाड का फेडरल बैंक लिमिटेड के साथ (2006)*

(5) युनाइटेड वेस्टर्न बैंक लिमिटेड का आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के साथ (2006)*

*कोष्ठक में दिए गए आंकड़े समामेलन के वर्ष से संबंधित हैं।

बैंक आफ पंजाब लिमिटेड तथा आईडीबीआई बैंक लिमिटेड को स्वैच्छिक रूप से वर्ष 2005 में क्रमश: सेन्चुरियन बैंक लिमिटेड एवं आईडीबीआई लिमिटेड में समामेलित किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक ने यह सुनिश्चित किया है कि इन बैंकों के जमाकर्त्ताओं/ग्राहकों के हितों की पर्याप्त सुरक्षा की जाए।

## अंटार्कटिक अभियान

**1541. श्री सुरेश कलमाडी:** क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अगले अंटार्कटिक अभियान कार्यक्रम को अंतिम रूप दे दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अंटार्कटिक जाने वाले दल के सदस्यों के चयन हेतु मानदंड क्या हैं;

(घ) क्या अंटार्कटिक जाने वाले दल में केवल वैज्ञानिक और तकनीशियन शामिल होते हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल):** (क) और (ख) जी, हां। 44 वैज्ञानिकों और 15 संभारतंत्र कार्मिकों वाले XXVIवें भारतीय अंटार्कटिक अभियान दल को अंतिम रूप दे दिया गया है। इनमें से 4 वैज्ञानिकों और 10 संभारतंत्र कार्मिक वाला एक दल पहले ही 8 नवंबर 2006 को अंटार्कटिका पहुंच चुका है। इस दल ने डार्निंग माड लैंड एयर नेटवर्क (DROMLAN) का इस्तेमाल किया। नौ वैज्ञानिकों वाला दूसरा दल नवंबर 2006 के अंत तक हवाई जहाज से अंटार्कटिका पहुंचेगा। जबकि 31 वैज्ञानिकों और 5 संभारतंत्र कार्मिकों वाला प्रमुख अभियान दल 23 दिसंबर, 2006 के आस-पास गोवा से जलयान द्वारा रवाना होगा। यह जलयान पहले नए प्रस्तावित अनुसंधान आधार स्थल, लार्समेन पर्वत श्रेणी क्षेत्र पर जाएगा और वहां से यह मैत्री स्टेशन पहुंचेगा।

(ग) इस वैज्ञानिक दल का चयन राष्ट्रीय अंटार्कटिक एवं समुद्री अनुसंधान केन्द्र (NCAOR), गोवा अनुसंधान प्रस्ताव आमंत्रित करके करता है। इसके बाद एनसीएओआर द्वारा इन प्रस्तावों की जांच की जाती है। चुने गए प्रस्तावों का मूल्यांकन पांच श्रेणियों अर्थात् मौसम विज्ञान तथा वायुमंडलीय विज्ञान; पृथ्वी विज्ञान तथा हिमनद विज्ञान; जीवविज्ञान एवं पर्यावरणीय विज्ञान; मानव शरीर रचना विज्ञान एवं आयुर्विज्ञान तथा इंजीनियरी और संचार, के अंतर्गत बनाए गए विशेषज्ञ दलों द्वारा किया जाता है। इसके बाद चयनित परियोजनाओं तथा अभियान दल के गठन को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में बनी राष्ट्रीय अंटार्कटिक कार्यक्रम समिति द्वारा किया जाता है। इसके बाद चयनित परियोजनाओं तथा अभियान दल के गठन को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में बनी राष्ट्रीय अंटार्कटिक कार्यक्रम समिति द्वारा अंतिम रूप दिया जाता है। संभार तंत्र दल का चयन रक्षा मंत्रालय द्वारा किया जाता है। इसके पश्चात दल के सदस्यों की अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), नई दिल्ली से स्वस्थता जांच करवायी जाती है जबकि शीतकालीन दल के सदस्यों की मनोवैज्ञानिक जांच भी की जाती है।

(घ) और (ङ) वैज्ञानिकों और तकनीकी/संभारतंत्र कार्मिकों वाले इस अभियान दल को ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन दल नामक दो भागों में बांटा जाता है। ग्रीष्मकालीन दल में मुख्य रूप से वैज्ञानिक ही शामिल होते हैं जबकि शीतकालीन दल में इंजीनियर, तकनीशियन और अन्य सहयोगी स्टाफ सहित वैज्ञानिक और संभारतंत्र कार्मिक शामिल होते हैं।

**जीवाश्म ईंधन**

**1542. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी:** क्या **नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तेल के बढ़ते मूल्यों के कारण विश्व अर्थव्यवस्था की जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने की आवश्यकता पर पुन: ध्यान केन्द्रित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार की जीवाश्म ईंधन के विकल्पों की शीघ्र खोज हेतु कोई योजना है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार):** (क) से (ग) जीवाश्म ईंधनों का अनुपूरण करने के लिए नई और अक्षय ऊर्जा पर कार्य वर्ष 1981 में अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत आयोग की स्थापना के साथ आरंभ हुआ जो अब नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के एक भाग के रूप में कार्य कर रहा है। तथापि, जीवाश्म ईंधनों का अनुपूरण और अंतत: प्रतिस्थापन करने के लिए वैकल्पिक ईंधनों पर अधिक ध्यान दिया जाने लगा है। इस संबंध में एक राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा रोड मैप तैयार किया गया है जिसमें परिवहन, पोर्टेबल और स्थिर अनुप्रयोगों के लिए हाइड्रोजन चालित प्रणालियों की शुरूआत के लिए व्यापक मार्ग प्रशस्त किया गया है। इसके अतिरिक्त, बायोईंधन प्रणालियों के संबंध में कार्य प्रगति पर है। उद्देश्य यह है कि वर्ष 2032 तक कच्चे तेल की आवश्यकता, जो एकीकृत ऊर्जा नीति पर योजना आयोग की विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट में 300-400 मिलियन एमटी के बीच रखी गई है, का अनुपूरण करने के लिए लगभग 30 मिलियन एमटी बायोईंधन और हाइड्रोजन उपलब्ध हों।

*[हिन्दी]*

**प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण हेतु दिशा-निर्देश**

**1543. श्री रामजीलाल सुमन:**
**श्री चन्द्रभूषण सिंह:**
**डा. चिन्ता मोहन:**

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा प्राथमिकता क्षेत्र में ऋण राशि की मात्रा में और वृद्धि की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस प्रयोजनार्थ कोई नए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इन दिशा-निर्देशों के अंतर्गत प्राथमिकता क्षेत्र में बैंकों द्वारा कितने प्रतिशत ऋण दिया जाएगा; और

(ङ) आगामी वर्षों में इस नए प्रतिशत का उपयोग करके कितनी अतिरिक्त धनराशि अर्जित किए जाने की संभावना है?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल):** (क) से (ङ) भारतीय रिजर्व बैंक के विद्यमान दिशानिर्देशों में सरकारी और गैर-सरकारी दोनों क्षेत्रों में घरेलू अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा प्राथमिकता क्षेत्र को उधार देने हेतु निवल बैंक ऋण (एनबीसी) के 40% का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके अंतर्गत क्रमश: कृषि और कमजोर वर्गों को उधार देने हेतु निवल बैंक ऋण के 18% और 10% का उप-लक्ष्य निर्धारित किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि प्राथमिकता क्षेत्र को उधार के संबंध में उसने अभी तक कोई संशोधित मार्गनिर्देश जारी नहीं किए है। वर्ष 2005-06 के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के वार्षिक नीति विवरण में की गई घोषणा के परिणामस्वरूप, प्राथमिकता क्षेत्र ऋणों के निर्धारण को जारी रखने की आवश्यकता की जांच करने, प्राथमिकता क्षेत्र, लक्ष्यों और उपलक्ष्यों आदि जैसे संघटकों सहित प्राथमिकता क्षेत्र ऋणों से संबंधित विद्यमान नीति की समीक्षा करने और इस संबंध में अपेक्षित परिवर्तनों, यदि कोई हों, की सिफारिश करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक में एक आंतरिक कार्य दल का गठन किया गया था। दल द्वारा प्रस्तुत किए गए तकनीकी दस्तावेज का प्रारूप व्यापक प्रचार-प्रसार एवं टिप्पणियों के लिए 30 सितम्बर, 2005 को भारतीय रिजर्व बैंक की वैबसाइट पर उपलब्ध करा दिया गया था। बैंकों, वित्तीय संस्थाओं एवं अन्य संबंधित संस्थाओं/एजेंसियों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर, भारतीय रिजर्व बैंक ने प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण देने के संबंध में संशोधित मार्गनिर्देशों का प्रारूप तैयार किया है तथा इसे आगे और टिप्पणियां आमंत्रित करने के लिए 8 नवम्बर, 2006 को अपनी वैबसाइट पर उपलब्ध करा दिया है।

सरकार ने हाल ही में "अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री 15-सूत्री कार्यक्रम" नाम के एक नए कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया है। इस कार्यक्रम के उद्देश्यों में से एक उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि ऋण के प्रतिशत का एक उचित हिस्सा अल्पसंख्यक समुदायों को दिया जाए। भारतीय रिजर्व बैंक ने तदनुसार सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों और शहरी सहकारी बैंक को अपने शाखा कार्यालयों को यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक अनुदेश जारी किए हैं कि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार के संपूर्ण लक्ष्य तथा कमजोर तबकों के लिए उप-लक्ष्य के तहत यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त ध्यान दिए जाए कि अल्पसंख्यक समुदायों को भी ऋण का साम्यिक भाग प्राप्त हो।

*[अनुवाद]*

**राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति, 2006**

**1544. श्री हरिभाऊ राठौड़:**
**श्री के.सी. पल्लानी शामी:**

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति, 2006 के कार्यान्वयन संबंधी स्थिति क्या है;

(ख) क्या सरकार जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के अंतर्गत साइकिल मार्गों और पैदल यात्री मार्गों के लिए निवेश करने पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस नीति के कार्यान्वयन हेतु विशेष योजनाएं बनाई जा रही हैं;

(ङ) यदि हां, तो क्या कोई प्रायोगिक परियोजना आरंभ किए जाने की संभावना है; और

(च) यदि हां, तो कब तक?

**शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन):** (क) शहरी परिवहन राज्य का विषय है। मार्ग दर्शन तथा राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति (एनयूटीपी) के कार्यान्वयन हेतु सभी राज्य सरकारों को निर्देश जारी किये गये हैं। जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएमएम) इत्यादि के तहत प्राप्त उन प्रस्तावों का मूल्यांकन किया जाता है तथा उन्हें स्वीकृति दी जाती है जो राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति के अनुरूप हैं।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति में परिवहन के लिए मोटर रहित वाहन को प्रोत्साहन देने की सिफारिश की गई है। साइकिल मार्गों तथा पैदल यात्रियों के लिए मार्ग का प्रावधान जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के तहत विचार किये जा रहे बड़े शहरी परिवहन प्रस्तावों का अभिन्न भाग है। साइकिल मार्गों तथा पैदल यात्री मार्गों के लिए अलग से कोई प्रस्ताव नहीं प्राप्त हुआ है।

(घ) इस नीति के कार्यान्वयन के लिए किसी विशेष योजना पर विचार नहीं किया जा रहा है क्योंकि राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति में जेएनएनयूआरएम, व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण स्कीम इत्यादि जैसी मौजूदा स्कीम/मिशन के तहत केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु व्यापक दिशानिर्देशों का प्रावधान है।

(ङ) और (च) अगस्त, 2006 में अहमदाबाद, पुणे और इंदौर के लिए बस द्रुत परिवहन प्रणाली के कार्यान्वयन के लिए प्रायोगिक परियोजनाएं स्वीकृत की गयी है।

*[हिन्दी]*

**डीडीए फ्लैटों का आबंटन**

**1545. श्री रशीद मसूद:** क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित बड़ी संख्या में मकान कोई नीति न बनाए जाने के अभाव में आबंटित नहीं किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में नीति कब तक बनाए जाने की संभावना है;

(ग) कितने मकानों के संबंध में किस्तों में चूक की गई है; और

(घ) डीडीए के कितने मकानों की हालत जर्जर हो चुकी है?

**शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन):** (क) और (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने यह सूचित किया है कि कोई नीति न बनाए जाने के कारण किसी आबंटन को रोका नहीं जाता है।

(ग) डीडीए ने यह सूचित किया है कि उसने 3.6 लाख से अधिक फ्लैट आबंटित किए हैं। यद्यपि आबंटियों/फ्लैटों का अलग-अलग खाता रखा जाता है लेकिन आबंटियों का ऐसा कोई केन्द्रीय रिकार्ड नहीं रखा गया है जिसमें ऐसे फ्लैटों की कुल संख्या दर्शाई गई हो जिनके संबंध में किसी विशिष्ट समय में किश्ते बकाया हों।

(घ) डीडीए ने यह भी सूचित किया है कि कमियों, यदि कोई हों, को दूर करने के पश्चात् ही आबंटियों को फ्लैट का कब्जा दिया जाता है।

*[अनुवाद]*

**निवेशक शिक्षा एवं सुरक्षा कोष को लाभांश का अंतरण**

**1546. श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार:** क्या **कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को सात वर्षों से अदा नहीं किए गए लाभांश का अंतरण निवेशक शिक्षा एवं सुरक्षा कोष को करने के निर्णय के विरुद्ध अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

**कंपनी कार्य मंत्री (श्री प्रेमचंद गुप्ता)**: (क) जी, हां।

(ख) भुगतान/दावा नहीं किए गए परिपक्व डिबेंचरों, आवधिक जमाओं, बाण्डों, शेयर-आवेदन धन इत्यादि के कारण निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि के पास जमा धन की वापसी हेतु व्यक्तियों एवं कंपनियों से 13 (तेरह) दावे सरकार को प्राप्त हुए हैं।

(ग) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 205ग (2) का स्पष्टीकरण यह प्रावधान करता है। कि उन व्यक्तिगत राशियों के विषय में इस निधि या कंपनी के विरुद्ध कोई दावा नहीं किया जाएगा जिनके लिए भुगतान हेतु प्रथम बार बकाया बनने की तारीख से सात वर्षों तक की अवधि के लिए दावा एवं भुगतान नहीं किया गया हो तथा ऐसे किसी दावे के लिए कोई भुगतान नहीं किया जाएगा।

*[हिन्दी]*

**मेडिक्लेम पालिसियां**

**1547. श्री संतोष गंगवार:**
**श्री किरेन रिजीजू:**

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि निजी क्षेत्र की बीमा कंपनियां कानूनों का उल्लंघन करके मेडिक्लेम पालिसियां जारी करने/निपटारा करने के मामले में मनमाने ढंग से कार्य कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को यह शिकायतें भी मिली हैं कि इन कंपनियों ने 45 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को मेडिक्लेम पालिसियां जारी करने से मना कर दिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या ठोस उपाय किए गए हैं?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल)**: (क) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) ने सूचित किया है कि उन्हें पालिसियां जारी करने/दावों का निपटारा करने में, निजी क्षेत्र की बीमा कंपनियां मनमाने ढंग से कार्य करने के बारे में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) से (घ) प्रत्येक बीमा कंपनी के पास अपनी हामीदारी नीति है और वे विभिन्न आयु-वर्गों के लिए उत्पादों को बना सकते हैं। किसी एक प्रस्ताव की स्वीकृति या अस्वीकृति आईआरडीए के पास दर्ज उत्पाद के मानदंडों के अध्यधीन ही होगी। प्राय: एक उत्पाद में सुरक्षा कवर से बाहर जाने की आयु सीमा परिभाषित की जाती है तथा कभी-कभी क्रमश: नए सुरक्षा कवर तथा नवीकरण सुरक्षा कवर के लिए, सुरक्षा कवर से बाहर जाने की विभिन्न आयु सीमा सूचित की जा सकती है। यद्यपि बीमा कंपनियां यह आशा करती हैं कि लोग स्वास्थ्य बीमा स्कीमों में छोटी आयु में ही भाग लें, जो व्यक्ति लगातार बीमा करवा रहा है उसके बीमा नवीकरण को केवल इस आधार पर अस्वीकार करने की अनुमति नहीं है कि उसने मध्यम आयु पार कर ली है। आईआरडीए को, 45 से 50 वर्षों की आयु से ऊपर के व्यक्तियों को स्वास्थ्य बीमा सुरक्षा कवर प्रदान करने के लिए बीमा कंपनियों की अनिच्छा के बारे में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इस प्रकार की शिकायतें प्राप्त होने पर, आईआरडीए उन शिकायतों के निवारण के लिए संबंधित कंपनियों से संपर्क करता है।

*[अनुवाद]*

**सीएफएल बल्ब**

**1548. श्री रघुनाथ झा:**
**श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया:**
**श्री एस.के. खारवेनथन:**

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्र सरकार के प्रमुख भवनों के ब्यूरो आफ एनर्जी एफिशिएंसी की लेखा-परीक्षा ने यह दर्शाया है कि इन भवनों में कांपेक्ट फ्लोरेसेंट लैंप (सीएफएल) का प्रयोग करके प्रतिवर्ष 25 से 40 प्रतिशत बिजली बचत की जा सकती है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार बिजली की बचत करने हेतु सरकारी भवनों में जीएलएस बल्बों के स्थान पर सीएफएल का प्रयोग करना अनिवार्य बनाने का है?

**विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे)**: (क) केंद्र सरकार के 9 प्रमुख भवनों के ऊर्जा आडिट से 23 से 46% ऊर्जा बचत संभावना का पता चला है। ये बचतें जनरल लाइटिंग सर्विस (जीएलएस) बल्बों के स्थान पर काम्पेक्ट फ्लुरेसेंट लैम्प (सीएफएल) लगाने समेत अनेक उपायों से प्राप्त की जानी है।

(ख) जहां तक केंद्र सरकार के भवनों का संबंध है, ऊर्जा बचत के लिए इस समय सरकारी भवनों में जीएलएस बल्बों के

स्थान पर सीएफएल के प्रयोग को अनिवार्य बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, हरियाणा, पंजाब, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली व नागालैंड सरकार ने अपने राज्यों में राज्य सरकार/सरकारी सहायता प्राप्त संस्थाओं/बोर्डों/निगमों के भवनों में सीएफएल के प्रयोग को अनिवार्य कर दिया है।

*[हिन्दी]*

**ग्रामीण शिल्पकारों को प्रशिक्षण**

**1549. श्री चन्द्र भान सिंह:** क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय ने ग्रामीण हस्तशिल्प को बढ़ावा देने हेतु ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के लिए योजना आयोग को 35 करोड़ रुपये का प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले और कार्यरत शिल्पकारों को प्रशिक्षित करने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इसके अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले और अधिक परिवारों को सम्मिलित करने की सिफारिश की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार का विचार मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, केरल और पश्चिम बंगाल राज्यों में हस्तशिल्प केंद्रों की संख्या में वृद्धि करने का है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील):** (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (छ) स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में विशेष परियोजनाएं ग्रामीण गरीब के लिए जीविकोपार्जन के अवसर पैदा करने हेतु अनुमोदित की जाती हैं। ऐसी परियोजनाओं में आवश्यकतानुसार ग्रामीण कारीगरों को प्रशिक्षण प्रदान करने का घटक भी है तथा इसका मुख्य उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों के लाभार्थियों को अधिकतम लाभ देना है। ग्रामीण कारीगरों के प्रशिक्षण के लिए एसजीएसवाई के अंतर्गत विशेष परियोजना के अनुमोदन अथवा मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, केरल एवं प. बंगाल में हस्तशिल्प केन्द्रों की संख्या बढ़ाने के लिए कोई भी नया विशिष्ट प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

*[अनुवाद]*

**ग्रामीण विकास हेतु यू.एन.डी.पी. द्वारा सहायता**

**1550. श्री हितेन बर्मन:** क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ग्रामीण विकास क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यू.एन.डी.पी.) के अंतर्गत विभिन्न राज्यों में राष्ट्रीय कार्यक्रमों हेतु सहायता प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो यू.एन.डी.पी. द्वारा वित्त पोषित कार्यक्रमों का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन प्रयोजनार्थ राज्य-वार कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है?

**ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील):** (क) से (ग) जैसा कि यूएनडीपी ने बताया है कि उनका अगला कार्यक्रम वर्ष 2008 में शुरू होगा।

**एपीडीआरपी के अंतर्गत धनराशि जारी करना**

**1551. प्रो. एम. रामदास:** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (एपीडीआरपी) के अंतर्गत राज्य बिजली बोर्डों/कंपनियों को शीघ्र धनराशि जारी करने हेतु वर्तमान तंत्र क्या है;

(ख) क्या केंद्र सरकार को अन्य योजनाओं हेतु इस धनराशि के प्रयोग के संबंध में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

**विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे):** (क) त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (एपीडीआरपी) के निवेश घटक के अंतर्गत निधियां प्राप्त करने के लिए परियोजना प्रस्ताव राज्य

यूटिलिटियों द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के रूप में तैयार किए जाते हैं, जिनकी सलाहकार-सह-परामर्शी द्वारा समीक्षा की जाती है तथा तत्पश्चात् इस पर एपीडीआरपी संचालन समिति द्वारा विचार करने के बाद स्वीकृति दी जाती है। इसके बाद, विद्युत मंत्रालय एपीडीआरपी निधि जारी करने के लिए वित्त मंत्रालय से अनुरोध करता है। केंद्र सरकार गैर-विशेष समूह को उप पारेषण एवं वितरण प्रणाली के उन्नयन एवं सुदृढ़ीकरण के लिए परियोजना की लागत का 25% अनुदान सहायता के रूप में प्रदान करती है। विशेष समूह के राज्य (पूर्वोत्तर राज्य, जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश उत्तरांचल एवं सिक्किम) अनुदान के रूप में 90% सहायता के पात्र है। संबंधित राज्य सरकारों को निधियां जारी की जाती हैं जिन्हें पुन: इस निधि के राज्य सरकार के खातों में प्राप्त होने के एक सप्ताह के भीतर संबंधित राज्य विद्युत बोर्डों/यूटिलिटियों को जारी करना होता है। बाद में निधि का जारी करना स्वीकृत परियोजनाओं की वास्तविक एवं वित्तीय प्रगति तथा एपीडीआरपी के अंतर्गत निर्धारित अन्य शर्तों को पूरा करने पर निर्भर है।

वे राज्य को अपने द्वारा नकदी हानि में हासिल कमी के लिए एपीडीआरपी के अंतर्गत प्रोत्साहन राशि प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें अपने लेखापरीक्षित वार्षिक लेखों (एकाउंट्स) के साथ विद्युत मंत्रालय के समक्ष निर्धारित प्रपत्र में प्रोत्साहन राशि का दावा प्रस्ताव करना पड़ेगा। मंत्रालय ने प्रोत्साहन दावों की जांच के लिए मै. क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च लि. (केयर) तथा मै. आईसीआरए मैनेजमेंट कंसल्टिंग सर्विसेज को नियुक्त किया है। मै. केयर और मै. आईसीआरए रिपोर्ट की विद्युत मंत्रालय में विभिन्न स्तरों पर जांच की जाती है तथा यदि दावा स्वीकार्य है, तो प्रोत्साहन राशि जारी करने हेतु मंत्रालय की सिफारिश वित्त मंत्रालय को भेज दी जाती है। उनके द्वारा प्रोत्साहन राशि को अंतिम रूप से जारी करने के पूर्व दावे की पुन: जांच की जाती है।

(ख) से (घ) भारत सरकार के ध्यान में राज्य सरकार/राज्य विद्युत बोर्ड/यूटिलिटी द्वारा निधियों के विपथन का कोई मामला सामने नहीं आया है।

*[हिन्दी]*

**काला धन**

**1552. श्री एम. अंजनकुमार यादव:**
**श्री काशीराम राणा:**

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में काले धन की मात्रा कितनी है;

(ख) क्या इस धनराशि में लगातार वृद्धि हो रही है;

(ग) यदि हां, तो काले धन को सामने लाने में सरकार के सामने क्या रूकावटें आ रही हैं; और

(घ) देश में तेजी से बढ़ते काले धन पर नियंत्रण हेतु सरकार द्वारा क्या ठोस कार्रवाई की गई है?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम):** (क) और (ख) वर्तमान समय में देश में प्रचलन में काले धन की मात्रा का कोई निश्चित आंकलन नहीं है। तथापि, सरकार के आग्रह पर, राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान (एनआईपीएफपी) ने देश में काले धन के प्रचलन के आंकलन का प्रयास किया था। एनआईपीएफपी की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 1983-84 के दौरान देश में काले धन की सकल राशि 31,584 करोड़ रुपए एवं 36,786 करोड़ रुपए के मध्य आंकलित की गई थी।

(ग) और (घ) काले धन की उत्पत्ति के विभिन्न सामाजिक आर्थिक कारकों सहित कई अन्तर्निहित कारक हैं जिनमें से कुछ कर अपवंचन की रोकथाम के लिए प्रत्यक्ष कर कानूनों की परिधि से बाहर हैं। तथापि, आयकर विभाग काले धन पर नियंत्रण करने के लिए कई दण्डकारी एवं निवारक कदम उठाता हैं। इनमें विवरणियों की संवीक्षा, तलाशी एवं जब्ती कार्रवाइयां, अर्थदण्ड अधिरोपण एवं उचित मामलों में अभियोजन आरंभ करना शामिल है। इसके अतिरिक्त वित्त अधिनियम, 2005 के द्वारा सरकार ने दो अतिरिक्त कर अपवंचन रोधी उपाय लागू किए हैं नामत: बैंक चैनलों के माध्यम से बड़े नकद आहरणों का पता लगाने के लिए बैंककारी नकद संव्यवहार कर का उद्ग्रहण एवं आयकर अधिनियम की धारा 206क के अंतर्गत यथा विहित कतिपय निक्षेपों की तिमाही विवरणियां प्रस्तुत करना।

*[अनुवाद]*

**भारत और चीन के बीच विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संबंधी समझौता ज्ञापन**

**1553. श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया:** क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री की हाल ही की चीन यात्रा के दौरान ऊर्जा सुरक्षा तथा रक्षा से संबंधित क्षेत्रों सहित किसी समझौते अथवा समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

**विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल):** (क) से (ग) महोदय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री की हाल की चीन यात्रा के दौरान विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और चीन के बीच सहयोगात्मक अनुसंधान के किसी विशिष्ट क्षेत्र के संदर्भ के बिना एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। संबंधित सरकारी एजेंसियों/विभागों/संस्थानों के मध्य सम्पन्न हुए विभिन्न नयाचारों/करारों के तहत समन्वय हेतु मार्गदर्शन करने और सहयोगी कार्यकलापों को सुगम बनाने के लिए तथा समय-समय पर नये कार्यों, जो भी आवश्यक समझे जायें, को प्रोन्नत करने के लिए निर्देश देने हेतु संचालन समिति की स्थापना करने पर समझौता ज्ञापन में विचार किया गया है।

*[हिन्दी]*

**विदेशों में बैंक शाखाओं का खोलना**

1554. **श्री बापू हरी चौरे:**
**श्रीमती भावना पुंडलिकराव गवली:**
**श्री ई.जी. सुगावनम:**

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को कतिपय सरकारी क्षेत्र के बैंकों की विदेशों में शाखाएं खोलने के बारे में अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस बारे में क्या निर्णय लिया गया है?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल):** (क) से (ग) सरकारी क्षेत्र के तीन बैंकों- भारतीय स्टेट बैंक (3), बैंक आफ बड़ौदा (8) तथा बैंक आफ इंडिया (3) के विदेश में कार्यालय/शाखाएं/अनुषंगी कार्यालय खोलने/स्थापित करने के 14 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। सरकार के समक्ष समुद्रपारीय कार्यालयों/शाखाओं को खोलने के लिए किसी भी सरकारी क्षेत्र के बैंक का प्रस्ताव लम्बित नहीं है।

**कर वसूली**

1555. **श्री गणेश सिंह:**
**श्री रेवती रमन सिंह:**

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान कर वसूली की क्या स्थिति है;

(ख) क्या यह सच है कि सरकार ने चालू वर्ष के दौरान कर-वसूली का संशोधित लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) कर वसूली के संशोधित लक्ष्य की वर्तमान स्थिति क्या है?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम):** (क) सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान कर वसूली की स्थिति निम्नानुसार है:

(रुपये करोड़ों में)

| वित्तीय वर्ष | प्रत्यक्ष कर | अप्रत्यक्ष कर |
|---|---|---|
| 2003-04 | 105088 | 148600 |
| 2004-05 | 132771 | 170936 |
| 2005-06 | 165208 | 201059 (अनंतिम) |

(ख) और (ग) वर्ष 2006-07 के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्षकर संग्रहण का संशोधित अनुमान वर्ष 2007-08 के बजट के लिए बजट अभ्यास के दौरान निश्चित किया जाएगा।

(घ) कर संग्रहण की वर्तमान स्थिति निम्नानुसार है:

(रुपये करोड़ों में)

| | कर संग्रहण (अप्रैल-अक्तूबर, 2006) |
|---|---|
| सीमा शुल्क | 49216 |
| उत्पाद शुल्क | 60401 |
| सेवा कर | 15971* |
| प्रत्यक्ष कर | 90018 |

*अप्रैल-सितम्बर, 2006 के लिए संग्रहण आंकड़े

**उच्च न्यायालयों की खंडपीठ**

1556. **श्री वी.के. थुम्मर:** क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान किन-किन राज्यों ने उच्च न्यायालयों की खंडपीठ की स्थापना का अनुरोध किया है; और

(ख) सरकार द्वारा इन अनुरोधों पर क्या कार्रवाई की गई है?

**विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री के. वेंकटपति ):** (क) और (ख) किसी उच्च न्यायालय की न्यायपीठ के गठन के प्रस्ताव पर, राज्य सरकार से संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से कोई पूर्ण प्रस्ताव प्राप्त होने पर ही विचार किया जाता है। पश्चिमी बंगाल सरकार से जलपाईगुड़ी में कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक सर्किट न्यायपीठ का गठन करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। तथापि, किसी अन्य राज्य सरकार से कोई पूर्ण प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

*[अनुवाद]*

**विशेष आर्थिक जोनों की स्थापना**

**1557. श्री बसुदेव आचार्य: क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विन्ड टर्बाइन मेकर्स जैसे वैश्विक पुनर्उपयोगीकृत ऊर्जा उद्योग से विशेष आर्थिक जोन (एस.ई.जेड) की स्थापना हेतु भागीदारी आमंत्रित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार क्षमता सृजन हेतु भागीदारी के लिए सरकारी-निजी क्षेत्र को आमंत्रित करने का है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने आफशोर विन्ड फार्म्स जैसी अन्य संभावनाओं का पता लगाने हेतु कोई अध्ययन कराया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री ( श्री विलास मुत्तेमवार ):** (क) और (ख) जी नहीं। तथापि, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी द्वारा ऊर्जा उत्पादों के लिए एक विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना, रखरखाव और संचालन हेतु एक विशेष उद्देश्य वाहन को बनाने की परिकल्पना की जा रही है।

(ग) दिनांक 31.10.2006 की स्थिति के अनुसार मुख्यतया निजी निवेश के माध्यम से 9013 मेगावाट की ग्रिड इंटरएक्टिव अक्षय विद्युत संस्थापित क्षमता (पवन विद्युत-6066 मेगावाट, लघु पनबिजली-1847 मेगावाट, बायो विद्युत-1100 मेगावाट) स्थापित की गई है। 11वीं योजना के दौरान अधिकांशत: निजी निवेश के माध्यम से लगभग 13500 मेगावाट की आगे और क्षमता संयोजन की भी परिकल्पना की गई है।

(घ) और (ङ) देश में विभिन्न अक्षय ऊर्जा स्रोतों, मुख्यतया पवन, लघु पनबिजली और बायोमास से लगभग 84000 मेवा. ई. की अक्षय ऊर्जा संभाव्यता का अनुमान लगाया गया है जिसके ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

***विवरण***

*अनुमानित अक्षय ऊर्जा संभाव्यता का विवरण*

| क्र.सं. | संसाधन | अनुमानित संभाव्यता (मेवा. ई में) |
|---|---|---|
| 1. | बायो विद्युत (कृषि अवशिष्ट) | 16,000[1] |
| 2. | पवन विद्युत | 45,000[2] |
| 3. | लघु पन बिजली (25 मेगावाट तक) | 15,000 |
| 4. | सहउत्पादन-खोई | 5,000 |
| 5. | अपशिष्ट से ऊर्जा: | |
| | म्युनिसिपल ठोस अपशिष्ट से ऊर्जा | 2,000 |
| | औद्योगिक अपशिष्ट से ऊर्जा | 1,000 |
| | कुल | 84,000[3] |

मेवा. ई. - मेगावाट समतुल्य

नोट:-

1. यद्यपि यह संभाव्यता अतिरेक कृषि-अवशिष्टों पर आधारित है, व्यवहार में बायोमास विद्युत उत्पादन यूनिटों द्वारा तकनीकी-आर्थिक कारणों से वन-अवशिष्टों को प्राथमिकता दी जाती है। 30% की प्रणाली क्षमता और 75% पीएलएफ के साथ 4000 किकैल/कि.ग्रा. वाले काष्ठीय बायोमास का 10 एमटी/हैक्टेयर/वर्ष का अनुमानित उत्पादन करने वाली लगभग 20 मिलियन हैक्टेयर बंजर भूमि से 45,000 मेवा.ई. की संभाव्यता शामिल नहीं है। इस संभाव्यता को प्राप्त करने के लिए एक प्रमुख अंतर मंत्रालयी पहल करने की आवश्यकता होगी जिसमें अन्य के अलावा कृषि, ग्रामीण विकास, पंचायती राज्य, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय शामिल होंगे।
2. 1 प्रतिशत की दर संभाव्यता क्षेत्रों में भूमि उपलब्धता के साथ 200 वाट/वर्ग मी. से अधिक के पवन विद्युत घनत्व और 12 हैक्टेयर/मेगावाट की दर से पवन फार्मों की आवश्यकता वाले स्थल पर, जिनमें से सभी ग्रिड-इंटरएक्टिव पवन विद्युत के लिए उपयुक्त नहीं हो सकते हैं। यदि अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के अनुसार 300 वाट/वर्ग मी. से अधिक पवन विद्युत घनत्व वाले स्थलों पर विचार किया जाता है तो ग्रिड-इंटरएक्टिव पवन विद्युत के लिए संभाव्यता कम हो सकती है। तथापि, आफ-ग्रिड अनुप्रयोगों के लिए यह संपूर्ण संभाव्यता उपयुक्त हो सकती है। इसके अतिरिक्त, प्रारंभिक सर्वेक्षणों से किसी बड़ी आफ-सोर ग्रिड इंटरएक्टिव पवन विद्युत संभाव्यता का संकेत नहीं मिलता है।
3. सौर विद्युत की संभाव्यता शामिल नहीं है जो भावी विकास पर निर्भर है जिससे ग्रिड इंटरएक्टिव विद्युत उत्पादन अनुप्रयोगों के लिए सौर प्रौद्योगिकी किफायती हो सकती है।

**चमेरा जल विद्युत परियोजना**

**1558. श्री स्वदेश चक्रवर्ती:** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हिमाचल प्रदेश के चम्बा में चमेरा चरण-III की जल विद्युत परियोजना के निर्माण कार्य को रोक दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) निर्माण कार्य को कब तक दोबारा शुरू किए जाने की संभावना है?

**विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे):** (क) से (ग) नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन (एनएचपीसी), जो हिमाचल प्रदेश में चमेरा चरण-III विद्युत परियोजना (231 मेगावाट) को कार्यान्वित कर रही है, ने सूचित किया है कि ठेकेदार के कामगारों और ठेकेदार के प्रतिनिधियों के बीच विवाद के कारण परियोजना पर निर्माण कार्य 11.6.2006 से 24.8.2006 तक लंबित रहा। इस समय कार्य प्रगति पर है।

**ग्रामीण महिलाओं का उत्थान**

**1559. श्री रनेन बर्मन:**
**श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील:**

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यू.एन.पी.डी.) के अंतर्गत देश में ग्रामीण महिलाओं के उत्थान हेतु स्वीकृत की गई परियोजनाओं/योजनाओं का ब्यौरा क्या है तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में राज्य-वार कितनी धनराशि जारी तथा उपयोग की गई;

(ख) इस प्रयोजनार्थ सरकार द्वारा शुरू की गई अन्य परियोजनाओं/योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 2003-04 से उपर्युक्त दोनों हेतु आबंटित जारी तथा उपयोग की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(घ) ऐसी परियोजनाओं/योजनाओं हेतु किन मानदंडों का पालन किया जा रहा है?

**ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील):** (क) से (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

**गुजरात को अवसंरचना पुनर्निर्माण हेतु सहायता**

**1560. श्री हरिन पाठक:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को गुजरात में बाढ़ के परिणामस्वरूप क्षतिग्रस्त अवसंरचना के लंबी दीर्घावधि तक चलने वाले पुनर्निर्माण हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा गुजरात सरकार हेतु वित्तीय सहायता की कितनी धनराशि स्वीकृत तथा जारी की गई; और

(घ) प्राकृतिक आपदाओं के परिणामस्वरूप क्षतिग्रस्त अवसंरचना के पुनर्निर्माण तथा पुनर्वास हेतु राज्य सरकारों की सहायता के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल):** (क) और (ख) प्राकृतिक आपदाओं के कारण क्षतिग्रस्त अवसंरचना के पुनर्निर्माण हेतु निधियों की आवश्यकता को अंतिम रूप देने के उद्देश्य से राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में जनवरी, 2006 में अंत:मंत्रालयी समिति का गठन किया गया था ताकि 2005 के मानसून के दौरान भारी वर्षा/चक्रवाती तूफानों/बाढ़ों/भारी बाढ़ों द्वारा गम्भीर रूप से प्रभावित इलाकों में दीर्घावधि पुनर्वास और पुनर्निर्माण के लिए राज्यों को वित्तीय आवश्यकता पर विचार किया जा सके। बाढ़ प्रभावित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त प्रस्ताव जुलाई, 2006 में आई.एम.सी. के विचारार्थ भेजे गए थे। आई.एम.सी. ने अक्तूबर, 2006 में आयोजित अपनी बैठक में गुजरात सहित विभिन्न बाढ़ प्रभावित राज्यों से प्राप्त मांगों पर विचार किया तथा योजना आयोग से अनुरोध किया कि वे राज्य सरकारों के सहयोग से योजना प्रस्तावों की जांच करें। राज्यों के साथ परामर्श की यह प्रक्रिया नवम्बर, 2006 तक पूरी कर ली जाए तथा योजना आयोग द्वारा इसकी सिफारिशें 15 दिसम्बर, 2006 तक आई.एम.सी. को उपलब्ध करा दी जाएंगी। गुजरात सरकार ने 2005 की बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त अवसंरचना के पुनरुद्धार के लिए 2820.44 करोड़ रुपए की निधियों की आवश्यकता बतलाई है।

(ग) योजना आयोग योजना आधारित प्रस्तावों की जांच राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ परामर्शपूर्वक कर रही है। आई.एम.सी. अपनी सिफारिशों को जब अंतिम रूप दे देगा तो उन सिफारिशों को बाढ़ प्रभावित राज्यों के लिए उन निधियों के आबंटन से पहले सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा जो सरकार द्वारा अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में दी जाती हैं।

(घ) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियों के आबंटन से संबंधित मैकेनिज्म और प्रक्रिया के ब्यौरे को सरकार द्वारा अंतिम रूप दिया जाना बाकी है। बजट भाषण 2006-07 के माध्यम से सरकार ने घोषणा की है कि सरकार पुनर्वास और पुनर्निर्माण कार्यों हेतु धन मुहैया कराएगी।

**लघु वित्त संस्थाएं**

**1561. श्री ब्रह्मानन्द पंडा:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा गैर-सरकारी संगठनों (एन.जी.ओ.) को देश के गरीब स्वसहायता समूहों (एस.एच.जी.) को ऋण देने हेतु लघु वित्त संस्थाएं बनाने की अनुमति दी गई है;

(ख) यदि हां, तो स्व सहायता समूहों के वित्तपोषण संबंधी क्रियाकलापों में राज्य-वार कितनी लघु वित्त संस्थाएं लगी हुई है;

(ग) क्या लघु वित्त संस्थाएं स्व सहायता समूहों के सदस्यों को दी गई धनराशि पर अधिक ब्याज दर वसूल रही हैं; और

(घ) यदि हां, तो लघु वित्त संस्थाओं द्वारा ली जा रही ब्याज दरों को विनियमित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल):** (क) गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) अधिकांशत: या तो सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत सोसाइटियों के रूप में या भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 के अंतर्गत न्यासों के रूप में या कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के अंतर्गत अलाभ संगठनों के रूप में पंजीकृत किए जाते हैं। एनजीओ प्रासंगिक क्रियाकलाप के रूप में गरीबों को उधार सहित व्यष्टि वित्त क्रियाकलापों की जिम्मेवारी लेता है, जिसके लिए भारत सरकार की विशिष्ट अनुमति अपेक्षित नहीं है।

(ख) यह अनुमान है कि विभिन्न कानूनी स्वरूप के तहत देश में लगभग 800 व्यष्टि वित्त संस्थान कार्यरत हैं। स्व-सहायता समूह वित्तपोषण में लगे व्यष्टि वित्त संस्थानों की ठीक-ठीक संख्या से संबंधित ब्यौरा उपलब्ध नहीं है क्योंकि किसी भी एजेंसी द्वारा ऐसे आंकड़े समेकित नहीं किए जा रहे हैं।

(ग) और (घ) बैंकों के लिए व्यष्टि वित्त के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा फरवरी, 2000 में जारी विद्यमान मार्गनिर्देशों के अनुसार व्यष्टि ऋण प्रदान करने के लिए बैंक अपना स्वयं का माडल (माडल्स) तैयार कर सकते हैं या माध्यम/मध्यवर्ती अपना सकते हैं। बैंकों से कहा गया है कि उनके लिए उचित प्रत्यय पत्र, कार्य निष्पादन रिकार्ड, नियमित लेखापरीक्षाओं के साथ लेखाओं और रिकार्डों की रख-रखाव प्रणाली तथा गहन पर्यवेक्षण तथा अनुवर्ती कार्रवाई हेतु श्रमशक्ति वाले व्यष्टि ऋण संगठनों के साथ कार्य करना वांछनीय होगा। व्यष्टि ऋण संगठनों को बैंकों द्वारा या स्व-सहायता समूहों/सदस्य हिताधिकारियों को व्यष्टि ऋण संगठनों द्वारा दिए जाने वाले ऋणों पर लागू ब्याज दर को विनियमित नहीं किया जाता है। तथापि, इस क्षेत्र में अधिक भागीदारों और कड़ी प्रतिस्पर्द्धा और इस तथ्य से कि स्व-सहायता समूह बैंक लिंकेज कार्यक्रम सफल रहा है, से यह आशा की जाती है कि इस क्षेत्र में ब्याज दरें अधिक प्रतिस्पर्धी हो जाएंगी।

**मेट्रो रेल**

**1562. श्री सी.एच. विजयशंकर:** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उन शहरों की पहचान करने हेतु कोई योजना बनाई है जो तेजी से बढ़ रहे हैं ताकि वहां उचित पब्लिक परिवहन प्रणाली प्रदान की जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कर्नाटक सरकार ने मैसूर शहर के लिए मेट्रो रेल परियोजना हेतु योजना की स्वीकृति, स्थल की पहचान के लिए कोई प्रस्ताव भेजा है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

**शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन):** (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि मौजूदा स्कीम के अंतर्गत भारत सरकार, व्यापक यातायात एवं परिवहन/विस्तृत परियोजना रिपोर्ट आदि हेतु अध्ययन की लागत का 40% मुहैया करती है बशर्ते कि इस स्कीम के तहत प्रस्ताव संबंधित राज्य सरकार से प्राप्त हो।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

**समेकित मलिन बस्ती विकास कार्यक्रम**

**1563. श्री दुष्यंत सिंह:** क्या आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान समेकित आवास तथा मलिन बस्ती विकास योजना के अंतर्गत विभिन्न राज्यों को कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(ख) क्या सरकार को वर्ष 2006-07 के दौरान योजना के अंतर्गत आबंटन बढ़ाने के लिए राज्य सरकारों से कोई अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में राज्य सरकारों द्वारा सौंपे गए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) चालू वित्त वर्ष के दौरान राज्यों को कितना आबंटन किया गया?

**आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा):** (क) एकीकृत आवास और स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी) दिसम्बर, 2005 से ही कार्यान्वित किया जा रहा है। वर्ष 2006-07 हेतु स्कीम के लिए कुल 500 करोड़ की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता आवंटित की गई है।

(ख) और (ग) जी, नहीं।

(घ) राज्यवार कोई आवंटन नहीं किया गया है। केन्द्रीय संस्वीकृति समिति द्वारा अनुशंसित जारी धनराशि के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

*विवरण*

*एकीकृत आवास एवं स्लम विकास कार्यक्रम*

*दिनांक 27.11.06 तक की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय संस्वीकृति समिति द्वारा अनुशंसित राज्यवार धनराशि*

(करोड़ रुपये में)

| क्र.सं. | राज्य | राशि (अनुशंसित अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता) |
|---|---|---|
| 1. | आंध्र प्रदेश | 164.97 |
| 2. | छत्तीसगढ़ | 122.00 |
| 3. | हरियाणा | 120.28 |
| 4. | मध्य प्रदेश | 4.29 |
| 5. | राजस्थान | 38.09 |
| 6. | पश्चिम बंगाल | 19.05 |
| | कुल योग | 468.70 |

**शापिंग काम्प्लेक्स**

**1564. श्री प्रभुनाथ सिंह:** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने अब तक बनाए गए मास्टर प्लानों के अनुसार पर्याप्त संख्या में शापिंग काम्प्लेक्सों का निर्माण नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो अब तक कितने शापिंग काम्प्लेक्स निर्मित किए गए हैं;

(ग) अपेक्षित संख्या में शापिंग काम्प्लेक्स के निर्माण हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या गैर-सरकारी लोगों द्वारा पार्कों में स्कूल बनाने की अनुमति दी गई है तथा माल तथा मल्टी-काम्प्लेक्स के निर्माण के लिए निजी बिल्डरों को भूमि भी दी गई है; और

(ङ) यदि हां, तो माल तथा मल्टी-काम्प्लेक्स के निर्माण हेतु निजी बिल्डरों को दी गई भूमि का ब्यौरा क्या है?

**शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन):** (क) और (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने यह सूचित किया है कि शापिंग काम्प्लेक्सों का निर्माण एक सतत प्रक्रिया है। दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा सूचित की गई विभिन्न स्तरों के वाणिज्यिक काम्प्लेक्सों के विकास की स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) डीडीए ने यह सूचित किया है कि निजी डेवलपर्स द्वारा वाणिज्यिक प्लाटों पर बड़ी संख्या में निर्माण कार्य, इस निर्माण में लगने वाली समयावधि को कम करने के लिए कराया गया है।

(घ) और (ङ) डीडीए ने यह सूचित किया है कि किसी भी पार्क को निजी व्यक्तियों द्वारा चलाने वाले स्कूलों में अधिसूचित/परिवर्तित नहीं किया गया है।

डीडीए ने यह भी कहा है कि निजी एजेंसियों द्वारा माल एवं मल्टीप्लेक्सों के निर्माण के लिए भूमि की अनुमोदित स्कीमों के अनुसार निर्दिष्ट वाणिज्यिक काम्प्लेक्सों में नीलामी/निविदा की जाती है। विगत 10 वर्षों में वाणिज्यिक काम्प्लेक्सों के निर्माण के लिए निजी डेवलपर्स को 606 प्लाटों की नीलामी/निविदा की गई।

*विवरण*

| | विकसित | विकास के अधीन |
|---|---|---|
| सीबीडी/जिला केन्द्र/उप जिला केन्द्र | 9 | 9 |
| नान हिरारकिकल वाणिज्यिक केन्द्र | 2 | 2 |
| सामुदायिक केन्द्र/सुविधा केन्द्र | 48 | 20 |
| स्थानीय शापिंग केन्द्र | 160 | 22 |
| सुविधाजनक शापिंग केन्द्र | 390 | 9 |

**शिक्षा उपकर**

**1565. श्री ई.जी. सुगावनम:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष 'शिक्षा उपकर' के रूप में राज्य-वार कितनी धनराशि जारी की गई;

(ख) कुल संग्रहीत उपकरों में से जारी की गई धनराशि राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) चालू वर्ष के दौरान उपकर उगाहने हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम ):** (क) और (ख) सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) शिक्षा उपकर कुल कर संग्रहण का महत्वपूर्ण अंश है। तदनुसार, चालू वर्ष के दौरान शिक्षा उपकर की उगाही के लिए अलग से कोई लक्ष्य नहीं है।

**प्लाज्मा भौतिकी केन्द्र**

**1566. श्री किरिप चालिहा:** क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार गुवाहाटी के प्लाज्मा भौतिकी केन्द्र को अपने नियंत्रण में लेने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में निर्णय के कब तक ले लिये जाने की संभावना है?

**विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री ( श्री कपिल सिब्बल ):** (क) से (ग) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने प्लाज्मा भौतिकी केन्द्र (सीपीपी), गुवाहाटी को अपने नियंत्रण में लेने हेतु एक प्रस्ताव भारत सरकार के विचारार्थ प्रस्तुत किया है। योजना आयोग ने टिप्पणी की है कि इसी प्रकार का एक संस्थान, प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान (आईपीआर) इसी क्षेत्र में कार्य कर रहा है और पहले से ही भारत सरकार (परमाणु ऊर्जा विभाग) के अधीन है। यह वांछनीय होगा कि प्लाज्मा भौतिकी केन्द्र, गुवाहाटी के कार्यकलापों को परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान (आईपीआर) के साथ एकीकृत कर दिया जाए। इस मामले पर परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ विचार किया जा रहा है।

**राष्ट्रीय आवास बैंक**

**1567. श्री रेवती रमन सिंह:**
**श्री सीताराम सिंह:**
**श्री आलोक कुमार मेहता:**

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय आवास बैंक ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए "रिवर्स मोर्टगेज आन प्रोपर्टीज" शुरू करने हेतु कोई योजना बनाई है ताकि उन्हें शनै: शनै: निरन्तर आय प्राप्त होती रहे और वे अपना सुखमय जीवन बिता सकें;

(ख) यदि हां, तो क्या योजना को सरकार ने स्वीकृति प्रदान कर दी है;

(ग) यदि हां, तो योजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(घ) उन शहरों के नाम क्या हैं जहां यह योजना लागू किये जाने की संभावना है तथा सम्पत्ति धारकों/आश्रितों को इससे क्या लाभ होंगे एवं इसमें जोखिम क्या-क्या हैं?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री पवन कुमार बंसल ):** (क) और (ख) राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) ने सूचित किया है कि उन्होंने वरिष्ठ नागरिक (62 वर्ष और अधिक आयु वाले), जिनका अपना घर है, के लिए प्रतिलोम बंधक ऋण (आरएमएल) नामक योजना तैयार की है। एनएचबी ने बैंकों और आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) से परामर्श करने के पश्चात इस योजना को भारतीय रिजर्व बैंक को भेज दिया है।

(ग) और (घ) आरएमएल स्कीम उन उधारकर्त्ताओं को शामिल करती है जिन्होंने अपनी आवास सम्पत्ति किसी ऋणदाता, जो उधारकर्त्ताओं को बाद के जीवनकाल के दौरान आवधिक भुगतान करता है, के पास बंधक रखी है। उधारकर्त्ता को अपने जीवनकाल के दौरान उस ऋण को चुकाने की आश्यकता नहीं होती। उधारकर्त्ता की मृत्यु होने पर अथवा उधारकर्त्ता द्वारा आवास सम्पत्ति को स्थायी रूप से छोड़े जाने पर आवास सम्पत्ति की बिक्री कर, संचित ब्याज सहित ऋण की अदायगी की जाती है। उधारकर्त्ता/उत्तराधिकारी संचित ब्याज सहित ऋण की पुनर्अदायगी अथवा पूर्व अदायगी भी कर सकता है और सम्पत्ति की बिक्री का सहारा लिए बिना बंधक से मुक्त करवा सकता है। इस स्कीम के अंतर्ग्रस्त जोखिम यह है कि यह वित्तीय सहायता सम्पत्ति के आवधिक मूल्य, उधारकर्त्ता की आयु और प्रचलित ब्याज दर तथा बंधक के लिए प्रस्तावित सम्पत्ति की कानूनी स्थिति पर निर्भर करेगी।

इस स्कीम को बैंकों और आवास वित्त कंपनियों के माध्यम से लागू किए जाने का प्रस्ताव है।

*[हिन्दी]*

**आई.सी.आई.सी.आई. बैंक द्वारा ग्राहकों को परेशान किया जाना**

**1568. चौ. मुनव्वर हसन:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि आई.सी.आई.सी.आई. बैंक अपने उपभोक्ताओं को परेशान करता है जैसा कि 16 नवम्बर, 2006 के "दैनिक जागरण" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ग) दोषी बैंकों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है या किये जाने का प्रस्ताव है?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल):** (क) और (ख) दैनिक जागरण में दिया गया समाचार "रिपोर्ट आन ट्रेन्ड एंड प्रोग्रेस आफ बैंकिंग इन इंडिया 2005-06" में निहित सूचना पर आधारित है। रिपोर्ट के अनुसार, सिटी बैंक में 1 जुलाई, 2005 से 30 जून, 2006 तक की अवधि में प्रति शाखा शिकायतों की संख्या (8.59) सर्वाधिक थी। घरेलू बैंकों में से आई.सी.आई.सी.आई. बैंक लि. में उक्त अवधि में प्रति शाखा शिकायतें (1.39) सर्वाधिक थीं।

(ग) जब भी कोई शिकायत मिलती है, उसे निवारण हेतु संबंधित बैंक/बैंकिंग ओम्बड्समैन को भेज दिया जाता है। तथापि, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देश/नियमों/विनियमों के उल्लंघन के मामले में चूककर्त्ता बैंक के विरुद्ध उपयुक्त विनियामक कार्रवाई की जाती है।

*[अनुवाद]*

**चिकित्सा संस्थानों को कर रियायत**

**1569. डा. बाबू राव मिडियम:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार कुछ संस्थानों को कर में रियायत देती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मंत्रालय चिकित्सा व्यवसाय को सेवा कर से बाहर करने पर विचार कर रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या राज्यों में चिकित्सा व्यवसाय पर कराधान दरों में अन्तर है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम):** (क) जी, हां।

(ख) आयकर अधिनियम, 1961 के तहत चिकित्सा संस्थाओं के संबंध में निम्नलिखित रियायतें उपलब्ध हैं:

**1. धारा 10(21):** अधिनियम की धारा 35 (i)(ii) के तहत अनुमोदित वैज्ञानिक अनुसंधान संघ की आय छूट प्राप्त है, बशर्ते की धारा जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ वैज्ञानिक अनुसंधान के प्रयोजनों के लिए इसकी आय का प्रयोग अथवा संचयन और इसकी निधियों का विशिष्ट प्रणालियों में निवेश अथवा जमा शामिल है, में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करती हो।

**2. धारा 10 (23ग):** केवल लोकोपकारी प्रयोजनों के लिए और न कि लाभ के प्रयोजनों के लिए विद्यमान किसी अस्पताल अथवा अन्य चिकित्सा संस्था की किसी आय के लिए छूट उपलब्ध है-

(1) जो पूर्णत: अथवा अधिकांशत: सरकार द्वारा निधिबद्ध है, अथवा

(2) जहां ऐसे अस्पताल अथवा संस्था की समग्र वार्षिक प्राप्तियां एक करोड़ रुपये से अधिक नहीं होती; अथवा

(3) जहां ऐसे अस्पताल अथवा संस्था की समग्र वार्षिक प्राप्तियां एक करोड़ रुपये से अधिक हैं और जो उपर्युक्त मद (3) में उल्लिखित अस्पताल अथवा अन्य चिकित्सा संस्था के संबंध में मुख्य आयुक्त अथवा महानिदेशक द्वारा अनुमोदित की जाए, यह छूट, कतिपय विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा करने के अध्यधीन है जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, विशिष्ट ढंग से इसकी आय के प्रयोग अथवा संचयन और विशिष्ट प्रणालियों में इसकी निधियों के निवेश अथवा जमा शामिल है।

**3. धारा 11 और 12:** भारत में धर्मार्थ प्रयोजनों के लिए पूर्णत: अथवा ऐसे प्रयोजनों के लिए केवल भाग में ट्रस्ट के तहत रखी गई सम्पत्ति से उद्भूत आय कुल में शामिल नहीं की जाती

है, कतिपय विशिष्ट शर्तों, जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, विशिष्ट ढंग से इसकी आय का प्रयोग अथवा संचयन, विशिष्ट प्रणालियों में इसकी निधियों का निवेश अथवा जमा और दिलचस्पी रखने वाले व्यक्तियों जैसे ट्रस्टी, संस्थापक आदि के लिए आय का गैर-वितरण शामिल है, को पूरा करने के अध्यधीन है। धारा 2 (15) के अनुसार "धर्मार्थ प्रयोजन" में अन्य बातों के साथ-साथ चिकित्सा राहत शामिल है।

**4. धारा 35( 1 ):** वैज्ञानिक अनुसंधान पर व्यय के संबंध में किसी व्यवसाय के लाभ और अभिलाभों से आय की गणना करते समय निम्नलिखित कटौतियों की अनुमति दी जाती है:

(1) व्यवसाय से संबंधित वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए निर्धारित अथवा किया गया कोई व्यय (जो पूंजी व्यय के स्वरूप का न हो)।

(2) किसी अनुमोदित वैज्ञानिक अनुसंधान संघ, को अदा की गई किसी राशि के सवा गुण के बराबर राशि, जिसका उद्देश्य वैज्ञानिक अनुसंधान करने अथवा किसी अनुमोदित विश्वविद्यालय, कालेज अथवा वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्रयोग की जाने वाली अन्य संस्था।

(3) कतिपय शर्तों के अध्यधीन निर्धारिती के कारोबार से संबंधित वैज्ञानिक अनुसंधान पर कोई पूंजीगत व्यय (भूमि के अधिग्रहण पर किए गए व्यय को छोड़कर)।

**5. धारा 35 ( 2कक ):** किसी राष्ट्रीय प्रयोगशाला अथवा किसी विश्वविद्यालय अथवा किसी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था अथवा किसी विशिष्ट व्यक्ति को अदा की गई किसी राशि के सवा गुणा के बराबर की राशि की (जिसमें निदेश दिया गया हो कि ऐसी राशि किसी अनुमोदित कार्यक्रम के तहत वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्रयोग की जाएगी) "कारोबार अथवा व्यवसाय के लाभ और अभिलाभ" शीर्ष के तहत आय की गणना करते समय कटौती के रूप में अनुमति दी जाएगी।

**6. 35 ( 2कख ):** जैव-प्रौद्योगिकी अथवा निर्माण के व्यवसाय में अथवा किन्हीं औषधियों, भेषजों, इलेक्ट्रानिक उपस्कर, कम्प्यूटरों, दूरसंचार उपस्करों, रसायनों अथवा किसी अन्य अधिसूचित वस्तु अथवा जिंस के व्यवसाय में लगी किसी कम्पनी द्वारा किसी अनुमोदित आन्तरिक अनुसंधान अथवा विकास सुविधा पर वैज्ञानिक अनुसंधान पर 31.3.2007 तक किए गए व्यय के डेढ़ गुणा के बराबर राशि (जो किसी भूमि अथवा भवन की लागत के स्वरूप का व्यय नहीं है)।

**7. धारा 80छ:** निर्धनों को चिकित्सा राहत प्रदान करने, राष्ट्रीय रूग्णता सहायता निधि आदि के लिए किसी राज्य सरकार द्वारा स्थापित की गई निधि को अदा की गई किसी राशि के लिए शत-प्रतिशत कटौती और धर्मार्थ प्रयोजन के लिए भारत में स्थापित कोई निधि अथवा संस्था, जिसकी आय आयकर अधिनियम की धारा 11 और 12 के उपबंधों अथवा खंड (23ग) के तहत छूट प्राप्त है, को अदा की गई किसी राशि के लिए 50 प्रतिशत की कटौती।

**8. धारा 80छछक:** किसी वैज्ञानिक अनुसंधान संघ, जिसका उद्देश्य वैज्ञानिक अनुसंधान करना है अथवा किसी अनुमोदित विश्वविद्यालय, कालेज अथवा अन्य संस्था जिसका प्रयोग वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए किया जाना है, को अदा की किसी राशि के लिए शत-प्रतिशत कटौती। यह कटौती उस दानकर्त्ता को उपलब्ध है, जिसकी आय "कारोबार अथवा व्यवसाय से लाभों और अभिलाभों" शीर्ष के तहत कर के लिए प्रभार योग्य आय नहीं है।

**9. धारा 80झख ( 8क ):** किसी भारतीय कम्पनी को, जिसका मुख्य उद्देश्य वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास है और निर्धारित प्राधिकारी द्वारा 1.4.2000 और 31.3.2007 के बीच अनुमोदित किया गया है, निर्धारित शर्तों को पूरा किये जाने के अध्यधीन, लगातार 10 वर्ष की अवधि के लिए लाभों और अभिलाभों की शत-प्रतिशत की कटौती।

**10. धारा 80झख ( 11ख ):** रोगियों के लिए कम से कम सौ बिस्तरों वाले अस्पताल के प्रचालन और रखरखाव के व्यवसाय और जिसका निर्माण किसी ग्रामीण क्षेत्र में 1.10.2004 और 31.3.2008 के बीच किया गया है से लाभ प्राप्त करने वाले उपक्रम के लाभों और अभिलाभों को लगातार 5 कर-निर्धारण वर्षों की अवधि के लिए, कतिपय शर्तों के अध्यधीन, शत-प्रतिशत की कटौती।

(ग) से (च) मौजूदा समय में सेवा कर चिकित्सा कार्मिकों द्वारा उनकी व्यावसायिक क्षमता में प्रदान की गई सेवाओं पर नहीं लगाया जाता है।

## संस्थाओं को भूमि का आबंटन

**1570. श्री विजय कृष्ण:** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार जनहित में संस्थाओं तथा व्यक्तियों को भूमि आबंटित करती है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2004-05 तथा 2005-06 के दौरान उन्हें आबंटित की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसी भूमि हेतु बहुत से आवेदन अस्वीकृत किये गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो आबंटन/अस्वीकृत करने का आधार क्या है?

**शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन):** (क) सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत संस्थानों/न्यासों को सरकार सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और शैक्षिक प्रयोजनों के लिए भूमि आबंटित करती है।

(ख) वर्ष 2004-05 और 2005-06 के दौरान ऐसे किसी निजी संस्थान को कोई भूमि आबंटित नहीं की गई।

(ग) और (घ) आबंटन योग्य भूमि की कमी और मानदण्डों को पूरा न करने आदि के कारण वर्ष 2004-05 और 2005-06 के लिए ऐसे किसी संस्थान को कोई भूमि आबंटित नहीं की गई।

**अनुदान योजना**

**1571. श्री वाडिगा रामकृष्णा:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा नाबार्ड हेतु अनुदान योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना का लाभ सहकारी बैंकों जिनकी किसानों को ऋण देने में सर्वाधिक हिस्सेदारी है, को नहीं दिए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या कुछ राज्य उक्त योजना का लाभ सहकारी बैंकों को देने की मांग कर रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल):** (क) वर्ष 2006-07 के बजट में यह घोषणा की गई थी कि खरीफ और रबी 2006-07 के लिए, 3 लाख रुपए तक के मूलधन पर 7% वार्षिक ब्याज दर पर किसानों को अल्पावधिक ऋण दिया जाएगा। सरकार ने सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) को नाबार्ड के जरिए क्रमश: 2.5% और 4.5% वार्षिक ब्याज दर पर रियायती पुनर्वित्त दिया है। सरकार द्वारा सरकारी क्षेत्र के बैंकों, आरआरबी और सहकारी बैंकों को, उनके द्वारा अपने स्वयं के संसाधनों को बाहर उधार पर देने पर, 2% वार्षिक की ब्याज सहायता भी दी जाएगी।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

*[हिन्दी]*

**डब्बा ट्रेडिंग**

**1572. श्री रघुवीर सिंह कौशल:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार/सेबी को स्टाक एक्सचेंज में डब्बा ट्रेडिंग चलने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इसमें कुल ट्रेडिंग की 30-40 प्रतिशत ट्रेडिंग होती है;

(घ) डब्बा ट्रेडिंग के माध्यम से बड़े स्तर पर हो रहे कर अपवंचन का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सटोरिए छोटे शहरों में स्थानीय एक्सचेंजों में भी फैल गए हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या सरकार का विचार इस अवैध ट्रेडिंग को रोकने हेतु कुछ उपाय करने का है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल):** (क) से (च) डब्बा ट्रेडिंग का संदर्भ प्रतिभूतियों में गैर-कानूनी ट्रेडिंग अर्थात् प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 का उल्लंघन करते हुए ट्रेडिंग करने से है। ऐसी गैर-कानूनी ट्रेडिंग के संदर्भ में कोई आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(छ) और (ज) केन्द्रीय वित्त मंत्री ने दिनांक 24 अक्तूबर, 2005 को अपने पत्र के तहत मुख्य मंत्रियों से आग्रह किया था कि वे "डब्बा ट्रेडिंग" को समाप्त करने के लिए तुरंत उपाय करें। सेबी ने भी मुख्य मंत्रियों को इसी तरह के पत्र लिखकर उनसे इस मामले में तुरंत कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। गुजरात में डब्बा ट्रेडिंग के संबंध में हाल ही में समाचार-पत्रों में छपी रिपोर्टों पर अनुवर्ती कार्रवाई के लिए सेबी ने गुजरात के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर राज्य सरकार से ऐसी ट्रेडिंग को बंद करने के लिए तुरंत सभी आवश्यक उपाय करने का अनुरोध किया है।

*[अनुवाद]*

**चेन्नई में मेट्रो रेल परियोजना**

**1573. श्री एस.के. खारवेनथन:** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार चेन्नई में यातायात में हो रही निरंतर वृद्धि से निपटने हेतु चेन्नई मेट्रो रेल परियोजना शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार चेन्नई मेट्रो रेल परियोजना को ''वायबिलिटी-गैप फंडिंग'' प्रदान करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री अजय माकन ):** (क) और (ख) शहरी परिवहन राज्य का विषय है और विशिष्ट शहरों में मेट्रो रेल परियोजनाओं का प्रस्ताव संबंधित राज्य सरकारों द्वारा बनाया जाता है। चेन्नई में ऐसी परियोजना चलाने का कोई प्रस्ताव तमिलनाडु सरकार द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है।

(ग) और (घ) वित्त मंत्रालय की ''वायबिलिटी-गैप फंडिंग'' स्कीम में कार्यान्वयन एजेंसी के अनुरोध पर सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) के आधार पर परियोजनाओं को केन्द्रीय वित्तीय सहायता दिए जाने की परिकल्पना की गयी है।

चेन्नई मेट्रो के लिए ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

*[हिन्दी]*

**राजस्थान उच्च न्यायालय**

**1574. श्री जसवंत सिंह बिश्नोई:** क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान जोधपुर में राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्यालय के विकास तथा जयपुर खण्डपीठ के विकास के लिए कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ख) क्या राजस्थान उच्च न्यायालय की जोधपुर खण्डपीठ का निर्माण कार्य संतोषजनक नहीं है; और

(ग) यदि हां, तो इस वर्ष इसके भवन पर कितनी धनराशि खर्च की गई तथा किये जाने की संभावना है?

**विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री के. वेंकटपति ):** (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

**विद्युत की कमी**

**1575. डा. धीरेंद्र अग्रवाल:** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत दो वर्षों के दौरान निजी विद्युत वितरण कंपनियां विद्युत की कमी के लिए मुख्यत: जिम्मेदार रही हैं जिसके कारण लोगों ने विरोध जताया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस संबंध में निजी कंपनियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

**विद्युत मंत्री ( श्री सुशील कुमार शिंदे ):** (क) से (ग) देश में विद्युत की समग्र कमी है जो कि राज्य से राज्य तथा माह से माह अलग-अलग होती है। अप्रैल 2006 अक्तूबर, 2006 तक की अवधि के लिए देश में ऊर्जा एवं व्यस्ततम ऊर्जा कमी क्रमश: 8.0% और 12.2% थी।

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 86 के अंतर्गत, राज्य विनियामक आयोगों से लाइसेंसियों द्वारा सेवा की गुणवत्ता, निरंतरता एवं विश्वसनीयता से संबंधित मानकों को विनिर्दिष्ट और लागू करने की अपेक्षा की जाती है।

*[अनुवाद]*

**विद्युत परियोजनाओं की स्थापना**

**1576. श्री सुग्रीव सिंह:** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार जापान बैंक की सहायता से देश में कुछ विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) तत्संबंधी निबंधन एवं शर्तें क्या हैं तथा ऐसी प्रत्येक विद्युत परियोजना से अनुमानत: कितनी विद्युत पैदा होगी; और

(घ) इन परियोजनाओं के कब तक स्थापित किये जाने की संभावना है?

**विद्युत मंत्री ( श्री सुशील कुमार शिंदे):** (क) से (घ) जापान बैंक फार इंटरनेशनल कारपोरेशन (जेबीआईसी) से वित्तीय सहायता से देश में स्थापित की जा रही विद्युत परियोजनाओं के ब्यौरे निम्नवत् हैं-

| क्र.सं. | परियोजना का नाम | निष्पादन एजेंसी | ऋण राशि (मिलियन जापानी येन) | क्षमता (मेगावाट) | पूरा करने का समय | शर्तें एवं निबंधन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | पुरूलिया पम्पड स्टोरेज परियोजना | डब्ल्यूबीएसईबी | 20520 | 900 | मार्च 2008 | जेबीआईसी ऋण की ब्याज दर 1.3% प्रति वर्ष है। ये ऋण 30 वर्ष की अवधि में दिए जाने हैं जिसमें 10 वर्षों की छूट अवधि भी शामिल है। |
| 2. | बकरेश्वर टीपीपी यूनिट 4 व 5 | डब्ल्यूबीपीडीसीएल | 36771 | 420 | सितम्बर 2007 | |
| 3. | घाटघर पम्पड स्टोरेज परियोजना | सिंचाई विभाग महाराष्ट्र सरकार | 11414 | 250 | मार्च 2007 | |
| 4. | कारबी लांगपी जल विद्युत परियोजना | एएसईबी | 1490 | 100 | मार्च 2007 | |
| 5. | नार्थ करनपुरा टीपीपी | एनटीपीसी | 15916 | 1980 | अक्तूबर 2012 | |

**हाई टेक फास्ट ट्रैक वाणिज्यिक सम्भागों की स्थापना**

**1577. श्री अधीर चौधरी:** क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिनांक 31 अक्तूबर, 2006 को प्रत्येक उच्च न्यायालय में अधिक मूल्य के कितने वाणिज्यिक मामले लंबित पड़े हैं;

(ख) क्या विधि आयोग ने अधिक मूल्य के वाणिज्यिक मामलों के निपटान हेतु देश के सभी उच्च न्यायालयों में हाई टेक फास्ट ट्रैक वाणिज्यिक संभाग स्थापित करने का प्रस्ताव किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

**विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री के. वेंकटपति):** (क) से (घ) विधि आयोग ने, अपनी 188वीं रिपोर्ट के अध्याय 9 में, उच्च मूल्य अर्थात् 1.00 करोड़ रुपए या अधिक के, जैसा कि उच्च न्यायालयों द्वारा अवधारित और अभिपुष्ट किया जाए, मूल्य के वाणिज्यिक मामलों के संबंध में कार्यवाही करने के लिए उच्च न्यायालयों में वाणिज्यिक संभाग स्थापित करने और प्रस्तावित वाणिज्यिक संभागों में त्वरित निपटान प्रक्रिया को अपनाने का प्रस्ताव किया है। विधि आयोग ने यह सिफारिश की है कि ऐसी किसी न्यायपीठ में उच्च न्यायालय के दो न्यायाधीश हो सकेंगे और आवश्यकता पर निर्भर करते हुए प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक से अधिक ऐसी न्यायपीठें हो सकेंगी। उक्त रिपोर्ट में विधि आयोग ने यह भी प्रस्ताव किया था कि वाणिज्यिक संभागों द्वारा मामलों के संबंध में कार्यवाही करने के लिए प्रक्रिया के भाग रूप में उच्च तकनीक वाली पद्धतियों का आन लाइन फाइलिंग आदि को अपनाया जाए।

विधि आयोग का प्रस्ताव भारत के उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों को निर्दिष्ट किया गया है।

प्रत्येक उच्च न्यायालय में 31.10.2006 को लंबित उच्च मूल्य के वाणिज्यिक मामलों की संख्या इस विभाग में तुरंत उपलब्ध नहीं है। तथापि, कलकत्ता, गुजरात और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयों को छोड़कर विभिन्न उच्च न्यायालयों के संबंध में इस प्रकार के लंबित मामलों (वर्ष 2006 की विभिन्न तारीखों को) के संबंध में उपलब्ध जानकारी को उपदर्शित करने वाला एक विवरण संलग्न है।

***विवरण***

*उच्च न्यायालयों में लंबित उच्च मूल्य के वाणिज्यिक मामलें*

| क्र.सं. | उच्च न्यायालय | उच्च मूल्य के वाणिज्यिक मामलों की संख्या | निम्नलिखित तारीख को |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | इलाहाबाद | 92816 | 31.1.06 |
| 2. | आंध्र प्रदेश | शून्य | 31.1.06 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 3. | बंबई | 59 | 31.1.06 |
| 4. | कलकत्ता | अभी तक प्रस्तुत नहीं की गई है | |
| 5. | दिल्ली | 8728 | 31.1.06 |
| 6. | गुजरात | अभी तक प्रस्तुत नहीं की गई है | |
| 7. | गुवाहाटी | शून्य | 18.5.06 |
| 8. | हिमाचल प्रदेश | 36 | 18.5.06 |
| 9. | जम्मू-कश्मीर | शून्य | 17.11.06 |
| 10. | कर्नाटक | 5076 | 31.1.06 |
| 11. | केरल | 4960 | 31.1.06 |
| 12. | मद्रास | 04 | 31.1.06 |
| 13. | मध्य प्रदेश | अभी तक प्रस्तुत नहीं की गई है | |
| 14. | उड़ीसा | 06 | 31.1.06 |
| 15. | पटना | 01 | 3.7.06 |
| 16. | पंजाब और हरियाणा | 810 | 31.1.06 |
| 17. | राजस्थान | 44 | 31.1.06 |
| 18. | सिक्किम | 01 | 6.7.06 |
| 19. | उत्तरांचल | शून्य | 31.1.06 |
| 20. | झारखण्ड | 351 | 31.1.06 |
| 21. | छत्तीसगढ़ | 01 | 26.5.06 |

**प्रमुख शहरों में बुनियादी संरचना में आमूल-चूल परिवर्तन**

**1578. श्री रवि प्रकाश वर्मा:** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रधान मंत्री ने प्रमुख शहरों में बुनियादी संरचना के आमूल-चूल परिवर्तन के उद्देश्य वाले जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीकरण मिशन के अंतर्गत की गई प्रगति की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले तथा इसमें क्या खामियां पाई गई; और

(ग) इन खामियों को सुधारने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा क्या ठोस उपाय किये गए हैं?

**शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री अजय माकन ):** (क) और (ख) जी हां। 16.10.2006 को एक बैठक की गई थी। इस बैठक में जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के अंतर्गत अब तक हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया गया। कोई उल्लेखनीय कमियां नहीं पाई गई।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

**रिक्त पद**

**1579. श्रीमती जयाप्रदा:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार में लगभग चार लाख पद रिक्त पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य तथा ब्यौरा क्या है; और

(ग) निर्धारित समय-सीमा में रिक्त पदों को भरने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/की जा रही है?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल):** (क) और (ख) रिक्त पड़े पदों की संख्या संबंधी अद्यतन सूचना एकत्र की जा रही है और इसे सदन के पटल पर प्रस्तुत किया जाएगा।

(ग) मंत्रालयों/विभागों की सीधी भर्ती रिक्तियां कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की वार्षिक सीधी भर्ती योजना स्कीम की शर्तों के अनुसार विनियमित होती हैं। अपनी सीधी भर्ती रिक्तियों की समीक्षा करना और स्कीम के दिशा-निर्देशों के अनुरूप वार्षिक आधार पर इन्हें भरने के लिए योजनाओं को तैयार करना सभी मंत्रालयों/विभागों के लिए अपेक्षित है।

**समेकित आवास एवं मलिन बस्ती कार्यक्रम**

**1580. श्री जी. करूणाकर रेड्डी:** क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या समेकित आवास एवं मलिन बस्ती विकास कार्यक्रम के अंतर्गत कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उन आंकड़ों का ब्यौरा क्या है जिनके आधार पर मलिन बस्तियों की समस्या का हल किया जाना है?

**आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा):** (क) और (ख) वर्ष 2006-07 के दौरान शहरी स्लम वासियों के लिए आवासीय, सफाई, जल आपूर्ति, पथ प्रकाश इत्यादि से संबंधित परियोजनाओं के लिए एकीकृत आवास और स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी) के अंतर्गत अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में बतौर केन्द्रीय अंश 500 करोड़ रु. जारी करने का प्रस्ताव है।

(ग) एकीकृत आवास और स्लम विकास कार्यक्रम के दिशा-निर्देशों के अंतर्गत स्लम आबादी तथा मकानों में कमी और शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सुविधाओं संबंधी आंकड़े रखे जाते हैं।

**समेकित महानगरीय परिवहन प्राधिकरण**

**1581. श्री सुव्रत बोस:** क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार शहरी क्षेत्रों में वाहनों की आवाजाही को नियंत्रित करने के लिए राज्यों और केन्द्र के बीच योजना के समन्वयन हेतु एक समेकित महानगरीय परिवहन प्राधिकरण की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या प्रस्तावित प्राधिकरण शहरी परिवहन के संबंध में राष्ट्रीय नीति का हिस्सा है;

(घ) यदि हां, तो क्या राज्यों के मुख्यमंत्रियों और परिवहन मंत्रियों के साथ इस संबंध में विचार-विमर्श किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन):** (क) और (ख) चूंकि शहरी परिवहन राज्यों का विषय है इसलिए शहरी परिवहन प्रणालियों के बेहतर समन्वयन और प्रबन्धन के लिए राज्य स्तर पर एकीकृत महानगरीय परिवहन प्राधिकरण की स्थापना का उत्तरदायित्व राज्य सरकार का है।

(ग) राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति में भी परिवहन प्रणालियों की आयोजना और प्रबन्धन में समन्वय बढ़ाने के लिए संस्थागत तन्त्र स्थापित करने की सिफारिश की गई है।

(घ) और (ङ) राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति के प्रारूप पर 29.6.2005 को मुख्यमंत्रियों और राज्य के सचिवों के सम्मेलन में चर्चा की गई तथा उस पर यथोचित सहमति दी गई।

**राजसहायता एवं योजना निधियों का उपयोग**

**1582. प्रो. महादेवराव शिवनकर:**
**श्री शिशुपाल पटले:**

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चालू वित्तीय वर्ष की प्रथम छमाही के अंत तक सभी राज्य सरकारों ने राजसहायता एवं योजना-निधियों की पूरी राशि का उपयोग कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो गत वित्त वर्ष के दौरान किन-किन राज्यों ने वार्षिक योजना के अंतर्गत निधियों का उपयोग नहीं किया है;

(ग) क्या पिछले वित्त वर्ष की अप्रयुक्त निधियों को अभ्यर्पित कर दिया गया था;

(घ) यदि हां, तो इसके कारणों सहित राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) राज्य सरकारों द्वारा आबंटित निधियों के पूर्ण उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल):** (क) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान, निधियों के उपयोग की तस्वीर वित्त वर्ष की समाप्ति पर ही उभरेगी। इसके अतिरिक्त, निधियों के उपयोग की मानिटरिंग छमाही आधार पर नहीं की जाती है।

(ख) से (ङ) किसी राज्य द्वारा किसी विशेष वर्ष में अनुमोदित योजना परिव्यय के उपयोग में अगर कमी आ जाए तो केन्द्र अनुवर्ती वर्ष में सामान्य केन्द्रीय सहायता से सशर्त (टाइड) सहायता की अंतिम किस्त जारी करते समय आनुपातिक रूप से उतनी कटौती वसूल करेगा जितनी पिछले वर्ष राज्य द्वारा किए गए व्यय में कमी आई हो। 2005-06 के लिए, मध्य प्रदेश और उत्तरांचल को छोड़कर, सभी राज्यों में ये कटौतियां तभी की जाएंगी जब उन्होंने धनराशि का कम उपयोग किया हो तथा उसका विवरण प्रस्तुत न किया हो। राज्य योजना निधियों को संघ सरकार को अभ्यर्पित करने के लिए कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है।

**विद्युत उत्पादन के लिए कोयले का आयात**

1583. **श्री मनोरंजन भक्त:** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्र सरकार ने चीन से कोयले के आयात के लिए कतिपय विनिर्देश निर्धारित/तैयार किये हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या कतिपय राज्यों ने अपनी विद्युत उत्पादन इकाइयों के लिए चीन से घटिया दर्जे के कोयले का आयात किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में उपयुक्त रणनीति तैयार करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

**विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे):** (क) से (घ) विद्युत मंत्रालय ने चीन अथवा किसी अन्य देश से कोयला आयात करने के लिए कोई विनिदेश निर्धारित नहीं किए हैं। घरेलू स्रोतों से कोयले की प्रत्याशित मांग और आपूर्ति के बीच अंतराल को पाटने के लिए विद्युत यूटिलिटियों द्वारा कोयला आयात करने का आश्रय लिया गया है और यूटिलिटी द्वारा संयंत्र की तकनीकी जरूरत के आधार पर आयात किए जाने वाले कोयला संबंधी विनिर्देश निर्धारित किए जाते हैं। राजस्थान, पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु तथा कर्नाटक ने 2005-06 के दौरान चीन से कोयले का आयात किया है। सीईए और विद्युत मंत्रालय में चीन से निम्नस्तरीय कोयला आयात करने के बारे में उक्त राज्यों/विद्युत यूटिलिटियों से कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

**आंध्र प्रदेश को विश्व बैंक ऋण**

1584. **डा. एम. जगन्नाथ:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व बैंक ने आंध्र प्रदेश सरकार को विभिन्न योजनाओं/परियोजनाओं के लिए हाल ही में ऋण मंजूर किया है; और

(ख) यदि हां, तो उन योजनाओं/परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिनके लिए ऋण मंजूर किया गया है और कितना ऋण मंजूर किया गया है और इसकी निबंधन एवं शर्तें क्या हैं?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल):** (क) और (ख) हाल ही में दिनांक 13.2.2004 को आंध्र प्रदेश सरकार को स्वीकृत 220 मिलियन अमरीकी डालर का विश्व बैंक ऋण आंध्र प्रदेश में गरीबी की मानीटरिंग को सुधारने और गरीबों के हित में नीतियां बनाने और उनका कार्यान्वयन करने; आर्थिक विकास की गति को बढ़ाने के लिए संरचनात्मक उपायों को कार्यान्वित करने तथा सार्वजनिक उद्यमों की पुनर्संरचना एवं उनका निजीकरण करने; राजकोषीय अनुशासन को सुधारने, सरकारी व्यय करने के प्रबंधन के संयोजन और इसकी वित्तीय जवाबदेही, शासन को सुदृढ़ बनाने; तथा स्वास्थ्य, शिक्षा और विद्युत क्षेत्रों में क्षेत्रक सुधारों को सुसाध्य बनाने के लिए सुधारात्मक कार्यक्रमों को सहायता देने हेतु है। यह ऋण अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक (आईबीआरडी) और अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ (आईडीए) संघटकों का मिश्रण है जिसमें प्रत्येक की वचनबद्धता 110 मिलियन अमरीकी डालर है। आईबीआरडी ऋण के मामले में 5 वर्ष की छूट की अवधि सहित वापसी अदायगी की अवधि 20 वर्ष है और ब्याज दर का निर्धारण 6 महीने की "लिबोर" जमा परिवर्तनीय ब्याज दर के आधार पर किया जाता है तथा 0.75 प्रतिशत वचनबद्धता प्रभार लगता है। आईडीए ऋण के मामले में वापसी अदायगी 10 वर्ष

की छूट की अवधि सहित 35 वर्षों में की जाती है तथा 0.75% का सेवा प्रभार और 0.35% वचनबद्धता प्रभार लगता है।

*[हिन्दी]*

**मध्य प्रदेश को विद्युत का आबंटन**

**1585. श्री विजय कुमार खंडेलवाल:** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्र सरकार द्वारा 2002 में पूर्वी क्षेत्र के केंद्रीय विद्युत उपक्रमों से मध्य प्रदेश को आबंटित की गई 300 मेगावाट विद्युत की मात्रा सतत् रूप से घटाकर 50 मेगावाट कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

**विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे):** (क) से (ग) पूर्वी क्षेत्र में विद्युत की मांग में प्रत्याशित से कम वृद्धि होने के मद्देनजर पूर्वी क्षेत्र में एनटीपीसी स्टेशनों की अनाबंटित विद्युत और पूर्वी क्षेत्र के भागीदार राज्यों द्वारा अस्थायी रूप से छोड़ी गई विद्युत हिस्सेदारी का आवंटन गत कुछ वर्षों में अन्य क्षेत्रों के राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को किया गया था। दिनांक 1.4.2003 से पूर्वी क्षेत्र में उपलब्धता आधारित टैरिफ लागू होने के बाद पूर्वी क्षेत्र के भागीदारों द्वारा स्थिति की समीक्षा की गई और पूर्वी क्षेत्र के बाहर आवंटन हेतु कम मात्रा में विद्युत उपलब्ध रही। हाल ही के वर्षों में पूर्वी क्षेत्र के भागीदार राज्य स्वयं द्वारा छोड़ी गई विद्युत प्राप्त करने और अनाबंटित विद्युत का उन्हें आवंटन करने हेतु मांग करते रहे हैं। परिणामस्वरूप, पूर्वी क्षेत्र से अन्य क्षेत्रों के राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को किया जाने वाला आवंटन घट रहा है। तदनुसार, मध्य प्रदेश को किये जाने वाला पूर्वी क्षेत्र विद्युत का आबंटन भी कम हुआ है।

*[अनुवाद]*

**अवसंरचना परियोजनाओं में निजी क्षेत्र का निवेश**

**1586. श्री के.एस. राव:**
**श्री जी.वी. हर्ष कुमार:**

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष सड़क, विद्युत, रेल आदि अवसंरचना परियोजनाओं को विकसित करने में निजी क्षेत्र की कितनी राशि का निवेश हुआ है;

(ख) अगले पांच वर्षों में आधारभूत क्षेत्र परियोजनाओं के विकास के लिए निधियों की अनुमानित आवश्यकता कितनी होगी;

(ग) क्या सरकार का विचार सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि की उच्च दर को बनाए रखने के लिए निधियों की उपलब्धता की कमी को पूरा करने के लिए अधिक निजी क्षेत्र की निधियों को आकर्षित करने हेतु ऋण बाजार का विकास करने के लिए बाजार में नए वित्तीय प्रपत्र आरम्भ करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल):** (क) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा कार्यान्वित राजमार्ग परियोजनाओं के संबंध में पिछले तीन वर्षों के दौरान निजी क्षेत्र द्वारा वहन किया गया व्यय क्रमश: 2003-04 में 2071.94 करोड़ रुपए, 2004-05 में 1712.84 करोड़ रुपए और 2005-06 में 849.08 करोड़ रुपए था। जहां तक रेलवे का संबंध है, रेल विकास निगम लि. ने पिछले तीन वर्षों के दौरान कच्छ रेलवे कंपनी में प्राइवेट इक्विटी के रूप में 40 करोड़ रुपए और ऋण के रूप में 300 करोड़ रुपए जुटाए हैं। इसके अतिरिक्त रेल विकास निगम लि. ने आईआरएफसी के माध्यम से 145 करोड़ रुपए की राशि ऋण के रूप में जुटाई है। हासन-मंगलौर रेल विकास कंपनी ने उपर्युक्त अवधि में 10 करोड़ रुपए प्राइवेट इक्विटी के रूप में और 40 करोड़ रुपए ऋण के रूप में जुटाए हैं। विद्युत मंत्रालय के अनुसार विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत विद्युत परियोजनाओं की तकनीकी-आर्थिक रूप में स्वीकृत की अपेक्षा के पश्चात विद्युत क्षेत्र में प्राइवेट निवेश की मानीटरिंग नहीं की जाती है। तथापि, वर्तमान में प्राइवेट क्षेत्र में निर्माणाधीन और सीईए द्वारा मानीटरिंग की जा रही उन 5 मध्यम और बड़े पैमाने की जल विद्युत परियोजनाओं और 9 मध्यम और बड़े पैमाने की तापीय विद्युत परियोजनाओं पर किए गए अनुमानित व्यय के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में अवसंरचना संबंध समिति ने कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निवेश की आवश्यकताओं का अनुमान इस प्रकार लगाया है: वर्ष 2012 तक राष्ट्रीय राजमार्ग क्षेत्र में 2,20,000 करोड़ रुपए, वर्ष 2010 तक विमानपत्तन क्षेत्र के लिए 40,000 करोड़ रुपए और पत्तन क्षेत्र के लिए वर्ष 2012 तक 50,000 करोड़ रुपए।

(ग) और (घ) अभी तक बाजार में नए वित्तीय साधनों को लागू करने के लिए नीति निर्माण करने का ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, वर्ष 2005-06 में कारपोरेट बांडों के संबंध में एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति गठित की गई थी। समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और सरकार ने कारपोरेट बांडों के लिए एकल, समनुरूप एक्सचेंज ट्रेडिड मार्केट सृजित करने संबंधी सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं।

*विवरण*

*निजी क्षेत्र की पांच हाइड्रो पावर परियोजनाओं में गत चार वर्षों में व्यय*

(करोड़ रुपयों में)

| परियोजना का नाम | 2003-04 | 2004-05 | 2005-06 | 2006-07 (अप्रैल-अक्तूबर) |
|---|---|---|---|---|
| बास्पा-II | 14.05 | – | – | – |
| विष्णु प्रयाग | 216.00 | 293.32 | 151.00 | 88.00 |
| अलैन दुहंगन | – | – | 147.00 | 60.73 |
| करछम वांग्टू | – | – | – | 18.99 |
| छुनछेन | – | – | – | 80.00 |

*निजी क्षेत्र की 9 थर्मल पावर परियोजनाओं में गत चार वर्षों में व्यय*

(करोड़ रुपयों में)

| परियोजना का नाम | 2003-04 | 2004-05 | 2005-06 | 2006-07 (अप्रैल-अक्तूबर) |
|---|---|---|---|---|
| जोजो बेरा टीपीपी | 5198 | 21340 | 8162 | उ.न. |
| ओपी जिन्दल एसटीपीपी-I | उ.न. | 23994 | 63746 | 46582 |
| गौमती सीसीपीपी | 01/2004 तक कुल व्यय 8000 लाख रुपए | | | |
| जेगरूपाडु सीसीपीपी | 05/2006 तक कुल व्यय 72811 लाख रुपए | | | |
| कोना सीमा सीसीपीपी | 10/2006 तक कुल व्यय 133231 लाख रुपए | | | |
| सुगेन सीसीपीपी | 03/2006 तक कुल व्यय 56268 लाख रुपए | | | |
| वेमागिरी सीसीपीपी | 09/2006 तक कुल व्यय 109060 लाख रुपए | | | |
| कारूपुर सीसीपीपी | ब्यौरे उपलब्ध नहीं है। | | | |
| वलंथारावई जीटीपीपी | ब्यौरे उपलब्ध नहीं है। | | | |

**विद्युत संयंत्रों के लिए गैस की कमी**

**1587. श्री बृज किशोर त्रिपाठी:** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के गैस ईंधन चालित विद्युत संयंत्रों का निष्पादन कैसा है;

(ख) एनटीपीसी को अपने गैस आधारित विद्युत संयंत्रों के लिए गैस की अनुमानित आवश्यकता कितनी है;

(ग) ऐसे संयंत्रों में गैस की कमी की समस्या से निपटने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या एनटीपीसी ने गैस आधारित विद्युत संयंत्रों के लिए कतर इन्वेस्टमेंट बोर्ड (क्यूआईबी) को हिस्सेदारी की पेशकश की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस पर कतर इन्वेस्टमेंट बोर्ड की प्रतिक्रिया क्या है?

**विद्युत मंत्री ( श्री सुशील कुमार शिंदे ):** (क) पिछले वर्ष की समतुल्य अवधि की तुलना में चालू वर्ष (अप्रैल, 2006-अक्तूबर, 2006) के दौरान देश में गैस ईंधन से चलने वाले विद्युत संयंत्रों के कार्य निष्पादन का विवरण निम्नलिखित है:-

| क्षेत्र | 2006-07 (अप्रैल, 2006-अक्तूबर, 2006) | | 2005-06 (अप्रैल, 2005-अक्तूबर, 2005) | |
|---|---|---|---|---|
| | वास्तविक आंकड़े (मिलियन यूनिट में) | संयंत्र भार घटक | वास्तविक आंकड़े (मिलियन यूनिट में) | संयंत्र भार घटक |
| केन्द्रीय | 14527 | 71.45% | 14196 | 69.82% |
| राज्य | 9398 | 59.00% | 9771 | 63.23% |
| निजी/निजी यूटिलिटी तथा आईपीपी) | 9773 | 49.22% | 10013 | 60.62% |
| योग | 33698 | | 33980 | |

टिप्पणी: इसमें तरल (नैफ्था/डीजल) आधारित केन्द्र शामिल नहीं हैं।

(ख) और (ग) एनटीपीसी विद्युत संयंत्रों के गैस आधारित विद्युत केन्द्रों के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा उनके लिए निर्धारित उत्पादन लक्ष्यों को पूरा करने हेतु गैस की अनुमानित आवश्यकता 13.74 एमएमएससीएमडी (मिलियन मीट्रिक स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर प्रतिदिन) है। एनटीपीसी ने अपने सभी गैस आधारित संयंत्रों के लिए 13.74 एमएमएससीएमडी गैस (गंधार गैस विद्युत परियोजना के लिए फाल बैक आधार पर 0.75 एमएमएससीएमडी गैस सहित) की आपूर्ति के लिए दीर्घकालिक व्यवस्था की है। इसकी तुलना में, गैस अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड ने केवल 12.93 एमएमएससीएमडी गैस के लिए एक करार पर हस्ताक्षर किए हैं और चालू वर्ष के दौरान (अक्तूबर, 2006 तक) लगभग 8.95 एमएमएससीएमडी की आपूर्ति की है जो कि एनटीपीसी परियोजनाओं द्वारा वांछित गैस का 65.14% और जीएआईएल द्वारा प्रतिबद्ध मात्रा का 69.22% आती है।

गैस की कमी से निपटने के लिए, एनटीपीसी द्वारा जीएआईएल, इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) तथा भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) के साथ फाल बैक आधार पर पुनर्गैसीकृत तरलीकृत प्राकृतिक गैस (आरएलएनजी) की आपूर्ति के लिए टाई-अप किए गए हैं। आगे, एनटीपीसी, जीएआईएल, आईओसीएल, बीपीसीएल, गुजरात राज्य पेट्रोलियम निगम (जीएसपीपी) तथा हजीरा एलएनजी लिमिटेड से समय-समय पर स्पाट मार्केट के माध्यम से भी तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) की अधिप्राप्ति कर रहा है।

(घ) से (च) मई, 2006 में प्रधान मंत्री के प्रमुख सचिव के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने कतर में, भारत में विद्युत क्षेत्र सहित विभिन्न क्षेत्रों में निवेश के अवसर पर चर्चा की थी।

चर्चा के दौरान, कयमकुलम, केरल स्थित एनटीपीसी की प्रस्तावित गैस आधारित विस्तार परियोजना नामत: राजीव गांधी कम्बाइंड साइकिल पावर प्रोजेक्ट चरण-II (1950 मेगावाट) में इक्विटी भागीदार/संयुक्त उद्यम भागीदार के रूप में निवेश हेतु कतर सरकार/कतर इन्वेस्टमेंट अथारिटी को प्रस्ताव किया गया था।

तदनुसार, मई, 2006/जून, 2006 के दौरान एनटीपीसी द्वारा परियोजना की मुख्य विशेषताएं और समझौता ज्ञापन का प्रारूप (एमओयू) कतर इन्वेस्टमेंट अथारिटी (क्यूआईए) को उनके संदर्भ और अवलोकन हेतु अग्रसारित किया गया था। समझौता ज्ञापन के प्रारूप के अनुसार, कतर को 40% तक इक्विटी होल्डिंग प्रस्तावित की गई और 50% से अधिक इक्विटी के साथ नियंत्रक भागीदारी एनटीपीसी की होगी।

क्यूआईए से उत्तर अभी भी प्रतीक्षित है।

**मेगा पावर परियोजनाओं के लिए एसपीवी**

**1588. श्री सनत कुमार मंडल:**
**श्री गिरिधारी यादव:**
**डा. धीरेंद्र अग्रवाल:**

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में मेगा पावर परियोजनाओं को चलाने के लिए विशेष प्रयोजन संबंधी कंपनी (एसपीवी) की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसी किसी परियोजना की स्थापना पश्चिम बंगाल और बिहार में भी किए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे):** (क) से (घ) अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाओं के विकास को सुगम बनाने के लिए पावर फाइनेंस कारपोरेशन द्वारा स्पेशल पर्पज व्हीकल (एसपीवी) स्थापित किए जाते हैं। परियोजना विकास से संबद्ध विभिन्न स्वीकृतियां प्राप्त करने में एसपीवी वितरण यूटिलिटियों की ओर से काम करते हैं तथा इन्हें टैरिफ आधारित बोली में सफल बोलीदाता द्वारा अधिग्रहण कर परियोजना का विकास किया जाता है।

अब तक निम्नलिखित सात एसपीवी गठित किए गए हैं-

(क) सासन पावर लिमिटेड (मध्य प्रदेश)

(ख) कोस्टल गुजरात पावर लिमिटेड (गुजरात)

(ग) कोस्टल महाराष्ट्र मेगा पावर लिमिटेड (महाराष्ट्र)

(घ) कोस्टल कर्नाटक पावर लिमिटेड (कर्नाटक)

(ङ) अकलतारा पावर लिमिटेड (छत्तीसगढ़)

(च) कोस्टल आंध्र पावर लिमिटेड

(छ) उड़ीसा इंटीग्रेटिड पावर लिमिटेड।

इसके अलावा झारखंड और तमिलनाडु राज्यों ने अपने यहां मेगा विद्युत परियोजनाओं की स्थापना के लिए अनुरोध किया है। प. बंगाल और बिहार सरकार से इस संबंध में अब तक कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

*[हिन्दी]*

**सरकारी और निजी बैंकों द्वारा ऋणों का संवितरण**

**1589. श्री हेमलाल मुर्मू:**
**श्री राकेश सिंह:**

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में जमा एवं ऋण संवितरण के रूप में सरकारी क्षेत्र के बैंकों और निजी क्षेत्र के बैंकों का कार्य-निष्पादन कैसा रहा;

(ख) क्या ऋणों को विशेषकर वाहन के लिए मंजूर करने के संबंध में निजी क्षेत्र के बैंक सरकारी क्षेत्र के बैंकों से काफी पीछे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) उक्त अवधि के दौरान निजी एवं सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा पृथक-पृथक कुल कितने वाहन ऋण का संवितरण किया गया; और

(ङ) ऋणों के संवितरण में सरकारी क्षेत्र के बैंकों को अधिक कुशल एवं प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल):** (क) से (घ) पिछले तीन वर्षों में कुल जमा राशि, ऋण एवं अग्रिम राशि तथा वाहन ऋणों की दृष्टि से सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों का कार्यनिष्पादन संलग्न विवरण में दिया गया है। आंकड़ों से पता चलता है कि जहां सरकार क्षेत्र के बैंकों की बकाया जमा राशि में वर्ष 2004-05 में 2,07,078 करोड़ रुपए, वर्ष 2005-06 में 1,85,940 करोड़ रुपए और अप्रैल से सितम्बर 2006 तक की अवधि में 84,075 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई, वहीं गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों की बकाया जमा राशि में उसी अवधि में क्रमश: 45,848 करोड़ रुपए 1,13,622 करोड़ रुपए और 36,382 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई। इसी तरह सरकारी क्षेत्र के बैंकों के बकाया ऋण एवं अग्रिम राशि में वर्ष 2004-05 में 2,21,180 करोड़ रुपए, 2005-06 में 2,51,913 करोड़ रुपए और अप्रैल से सितम्बर, 2006 की अवधि में 47,709 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई, जबकि गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों के बकाया ऋण एवं अग्रिम राशि में उसी अवधि में क्रमश: 50,575 करोड़ रुपए, 91,571 करोड़ रुपए तथा 14,825 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई। हालांकि वर्ष 2005-06 में गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों के बकाया वाहन ऋणों में वर्ष 2005-06 में 25,424 करोड़ रुपए की वृद्धि उसी वर्ष सरकारी क्षेत्र के बैंकों के बकाया वाहन ऋणों में हुई 2897 करोड़ रुपए की वृद्धि से अधिक है, परन्तु चालू वर्ष के पूर्वार्द्ध में सरकारी क्षेत्र के बैंकों के बकाया वाहन ऋणों में वृद्धि उसी अवधि में गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों के ऐसे ऋणों में वृद्धि से अधिक है।

(ङ) सरकार ने गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों को और अधिक कार्य-कुशल एवं प्रतिस्पर्द्धी बनाने के लिए उन्हें फरवरी, 2005 में

अतिरिक्त प्रबंधकीय स्वायत्तता दी है। गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंक अब सांविधिक अपेक्षा, सरकार के नीति-निर्धारण और भारतीय रिजर्व बैंक के समय-समय पर जारी विनियामक मार्गनिर्देशों के अध्यधीन अपने कार्य को कुशलतापूर्वक और निर्बाध रूप से कर सकते हैं। गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों को ऋण मंजूरी और वसूल न किए जा सकने वाले ऋणों को बट्टे खाते डालने के मामले में गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशकों और कार्यपालक निदेशकों को अधिक शक्तियां प्रत्यायोजित करने के लिए भी प्राधिकृत किया गया है। गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कार्य निष्पादन की "वार्षिक लक्ष्य संबंधी उद्देश्य का विवरण" के जरिए सतत् आधार पर भी समीक्षा की जाती है।

***विवरण***

*मार्च, 2004, 2005, 2006 और सितम्बर, 2006 के अंत की स्थिति के अनुसार सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों से संबंधित आंकड़े*

(राशि करोड़ रुपए में)

| बैंक-समूह | मदें | मार्च 2004 | मार्च 2005 | मार्च 2006 | सितम्बर 2006 |
|---|---|---|---|---|---|
| सरकारी क्षेत्र के बैंक | कुल जमा राशि | 1229463 | 1436541 | 1622481 | 1706556 |
| | ऋण एवं अग्रिम राशि | 633035 | 854215 | 1106128 | 1153837 |
| | वाहन ऋण | उपलब्ध नहीं | 6485 | 9382 | 14516 |
| गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंक | कुल जमा राशि | 268782 | 314630 | 428252 | 464634 |
| | ऋण एवं अग्रिम राशि | 170728 | 221303 | 312874 | 327699 |
| | वाहन ऋण | उपलब्ध नहीं | 25110 | 50534 | 54572 |

*[अनुवाद]*

**पीएन मार्ग के माध्यम से विदेशी संस्थागत निवेश**

**1590. श्री असादूद्दीन ओवेसी:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अंडर लाईंग इंडियन सिक्योरिटीज के एवज में आउटस्टेंडिंग पार्टिसिपेटरी नोट (पीएन) जारी करने के क्या गुण एवं दोष हैं;

(ख) क्या विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफ.आई.आई.) द्वारा भारतीय स्टाक बाजार में लगभग 50 प्रतिशत निवेश पीएन के माध्यम से किया गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या प्रवर्तन निदेशालय ने सेबी के साथ निकट सहयोग के द्वारा पार्टिसेपेटरी नोट की जांच आरंभ कर दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में केन्द्र सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल):** (क) पार्टिसिपेटरी नोट (पीएन) ऐसी लिखतें हैं जो विदेशी निधियों द्वारा उपयोग की जाती हैं, ये घरेलू बाजार में कारोबार हेतु देश में पंजीकृत नहीं हैं। ये किसी अंडरलाईंग सिक्योरिटी के बदले जारी की गई व्युत्पन्न लिखतें हैं जो धारक को अंडरलाईंग सिक्योरिटी से प्राप्त पूंजी अधिमूल्यन/आय में हिस्सा प्राप्त करने की अनुमति प्रदान करती हैं।

पीएन से संबंधित समस्याएं इस प्रकार हैं:

(1) वास्तविक निवेशक की पहचान के बारे में विनियामक निकायों को अनिवार्यत: जानने की आवश्यकता नहीं है। पीएन में निवेश की जा रही निधियों की गुणवत्ता भी संदेहास्पद स्वरूप की है।

(2) भारतीय बाजार में बढ़ती अस्थिरता की संभाव्यता।

(3) प्रतिरक्षा निधियां भारतीय प्रतिभूति बाजारों में होने वाले उतार-चढ़ाव से लाभ प्राप्त करने हेतु पीएन का उपयोग कर सकती हैं।

(ख) सितम्बर, 2003 से अब तक, विदेशी संस्थागत निवेशकों की अभिरक्षा में परिसंपत्तियों के प्रतिशत के रूप में पीएन के आनुमानिक मूल्य में 19 प्रतिशत से 34 प्रतिशत के बीच उतार-चढ़ाव हुआ है।

(ग) से (ङ) सेबी ने प्रवर्तन निदेशालय के साथ मिलकर पीएन की जांच-पड़ताल नहीं कराई है।

*[हिन्दी]*

**कंर जाल के अंतर्गत सेवाओं को शामिल किया जाना**

1591. **श्री पंकज चौधरी:**
**श्री किसनभाई वी. पटेल:**

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कर जाल के अंतर्गत आने वाली सेवाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार को चालू वित्तीय वर्ष के दौरान सेवा कर की भारी राशि प्राप्त हुई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार टीवी चैनलों एवं प्रसारण अभिकरणों का सेवा कर जाल में लाने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस मामले में निर्णय के कब तक लिए जाने की संभावना है?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल):** (क) कराधेय सेवाओं को वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 65(105) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट किया गया है।

(ख) और (ग) अप्रैल, 2006 से सितम्बर, 2006 की अवधि के लिए सेवाकर की वसूली 15,971 करोड़ रु. (अनंतिम) है।

(घ) से (च) दिनांक 16 जुलाई, 2001 से किसी प्रसारण अभिकरणों अथवा मुवक्किल की संस्था द्वारा किसी तरह से प्रसारण के संबंध में दी गई सेवा को वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 65(105) (यट) के अंतर्गत सेवाकर उद्ग्रहणीय है।

**दिल्ली में ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियों की जांच**

1592. **डा. राजेश मिश्रा:**
**श्री अवतार सिंह भडाना:**
**श्री जे.एम. आरून रशीद:**
**श्री सज्जन कुमार:**

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली की उन ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियों का ब्यौरा क्या है जिनकी केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा जांच की जा रही है; और

(ख) इन सोसाइटियों के संबंध में की गई कार्रवाई/प्रस्तावित कार्रवाई की स्थिति क्या है?

**शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन):** (क) और (ख) केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने यह सूचित किया है कि माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेशों के तहत 252 सहकारी समूह आवास सोसायटियों के मामले जांच हेतु उन्हें भेजे गए हैं। सीबीआई द्वारा अब तक निम्नलिखित कार्रवाई की गई है:-

(1) 168 नियमित मामले पंजीकृत किए गए हैं, जिनमें से 17 मामलों में चार्जशीट दाखिल की गई है।

(2) 43 सोसायटियों के संबंध में 11 प्रारंभिक जांच की गई है।

(3) 22 सोसायटियां सही पाई गई है।

(4) 18 सोसायटियों के मामले में कुछेक प्रक्रियागत उल्लंघन पाए गए हैं, जिन्हें सीबीआई द्वारा रजिस्ट्रार आफ कोआपरेटिव सोसायटीज को समुचित कार्रवाई के लिए भेजा गया है।

(5) सोसायटी के संबंध में मामला दिल्ली उच्च न्यायालय में न्यायाधीन है इसीलिए जांच आरंभ नहीं की गई है।

**फेरा एवं एमआरटीपी अधिनियमों के द्वारा राजस्व**

1593. **श्री रामदास आठवले:**
**श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:**
**श्री हरिसिंह चावड़ा:**
**श्री एम. अंजनकुमार यादव:**

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) फेरा और एम आर टी पी अधिनियमों के क्रियान्वयन के माध्यम से सरकार द्वारा कितना राजस्व अर्जित किया गया है;

(ख) क्या इस संबंध में कोई समीक्षा की गई है अथवा किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम ):** (क) 1.1.2006 से 31.10.2006 की अवधि के लिए विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 (फेरा) और एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के कार्यान्वयन के माध्यम से सरकार द्वारा अर्जित राजस्व निम्नानुसार है:

| | | |
|---|---|---|
| विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम | – | 1005.39 लाख रुपये |
| एकाधिकार तथा अवरोध व्यापारिक व्यवहार | – | 5904 रुपये |

(ख) और (ग) फेरा के मामले में, समय-समय पर अर्जित राजस्व की समीक्षा की जाती है तथापि एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के अंतर्गत अर्जित राजस्व की समीक्षा का कोई प्रस्ताव नहीं है।

*[अनुवाद]*

## राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत वृक्ष रक्षक

**1594. श्री इकबाल अहमद सरडगी:** क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों से राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम और संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अंतर्गत निर्धारित, ग्रामीण सड़कों पर "औसत वानिकीकरण" का संरक्षण करने हेतु "वन रक्षक" तैनात करने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) राज्यों द्वारा इस कार्य में कितनी प्रगति की गई है?

**ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री चंद्रशेखर साहू ):** (क) और (ख) इस मंत्रालय ने ग्रामीण सड़कों के दोनों तरफ सड़क के प्रत्येक कि.मी. में 100 वृक्ष (मुख्य रूप से फलदार/आय पैदा करने वाले वृक्ष) लगाने के लिए एसजीआरवाई तथा एनआरईजीए निधियों का उपयोग करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निर्देश जारी कर दिए हैं। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासकों को अन्य बातों के साथ-साथ ऐसे पौधों/नवभिद् पौधों के संरक्षण के लिए किफायती वृक्ष रक्षक मुहैया कराने की सलाह दी गई है।

(ग) राज्य सरकारों द्वारा की गई कार्रवाई की रिपोर्ट नहीं दी गई है।

## पुनर्उपयोगीकृत ऊर्जा के संबंध में श्वेत पत्र

**1595. श्री लक्ष्मण सिंह:** क्या **नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा सोसायटी द्वारा "पुनर्उपयोगीकृत ऊर्जा भविष्य की ओर संक्रांति" के संबंध में श्वेत पत्र तैयार किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में अपारंपरिक ऊर्जा उपकरणों के विनिर्माण और इनकी आपूर्ति के लिए मूलभूत सुविधाओं को बढ़ावा देने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

**नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री ( श्री विलास मुत्तेमवार ):** (क) जी, हां।

(ख) इस श्वेत-पत्र में अन्य बातों के साथ-साथ यह सुझाव दिया गया है कि मूलभूत और अनुप्रयुक्त अनुसंधान एवं विकास, दोनों ही नवीन एवं अक्षय ऊर्जा नीति तथा कार्यक्रमों के महत्वपूर्ण संघटक बनने चाहिए।

(ग) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी, भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी के पास इस समय अक्षय ऊर्जा उद्योग के कुछ भागों हेतु रियायती शर्तों पर सीमित ऋण देने के लिए एक प्रावधान है।

*[हिन्दी]*

## इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट की मात्रा

**1596. श्री हंसराज जी. अहीर:** क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रति वर्ष और चालू वर्ष के दौरान आज तक देश में कितनी मात्रा में इलेक्ट्रानिक अपशिष्ट (ई. वेस्ट) जमा हुआ है;

(ख) देश में बढ़ते इलेक्ट्रानिक अपशिष्ट के निपटान हेतु क्या प्रबंध किए गए हैं;

(ग) क्या देश में इलेक्ट्रानिक अपशिष्ट में पाए जाने वाले पारा, सीसा एवं कैडियम जैसे हानिकारक तत्वों के पूर्ण विनाश की प्रौद्योगिकी उपलब्ध है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने इलेक्ट्रानिक उद्योगों से अपने इलेक्ट्रानिक अपशिष्ट को पूर्णत: नष्ट करने का निदेश दिया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल)**: (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

*[अनुवाद]*

**जैव-प्रौद्योगिकी विनियामक प्राधिकरण**

1597. **श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:**
**श्री रवि प्रकाश वर्मा:**
**श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:**

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जैव-प्रौद्योगिकी विभाग ने जैव-प्रौद्योगिकी संबंधी अनुसंधान, विकास और निवेश को बढ़ावा देने हेतु एक स्वतंत्र जैव-प्रौद्योगिकी विनियामक प्राधिकरण का गठन करने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) इसका गठन कब तक किए जाने की संभावना है?

**विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल)**: (क) से (घ) कृषि एवं सहकारिता मंत्रालय ने मंत्रिमंडल के लिए राष्ट्रीय जैव-प्रौद्योगिकी विनियामक प्राधिकरण (एन.बी.आर.ए.) की स्थापना के उद्देश्य के एक नोट प्रस्तुत किया था और सचिवों की समिति (सीओएस) द्वारा प्रस्ताव पर विचार किए जाने के बाद मंत्रिमंडल के लिए एक संशोधित टिप्पणी पुन: प्रस्तुत की थी। मंत्रिमंडल द्वारा टिप्पणी के अनुमोदन के उपरांत, कृषि एवं सहकारिता विभाग एन.बी.आर.ए. की स्थापना के लिए चिन्हित विभाग को अनुवर्ती कार्रवाई स्वरूप संपूर्ण रिपोर्ट भेजेगा, अत: इस समय कोई विशिष्ट समय सीमा सुनिश्चित नहीं की जा सकती है। जैव-प्रौद्योगिकी विभाग ने एक स्वतंत्र जैव-प्रौद्योगिकी विनियामक प्राधिकरण के गठन के लिए अलग से कोई मांग नहीं की है।

**एफबीटी का संग्रहण**

1598. **श्रीमती निवेदिता माने:**
**श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:**

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान अनुषंगी लाभ कर (एफबीटी) के रूप में कितनी धनराशि एकत्र की गई है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने एफबीटी के संग्रहण हेतु कोई मानदंड निर्धारित किए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार छोटी फर्मों को एफबीटी प्रणाली से छूट देने पर विचार कर रही है;

(ङ) यदि हां, तो यह कदम उठाने के क्या कारण हैं; और

(च) इससे होने वाली राजस्व की हानि से उबरने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम)**: (क) अनुषंगी लाभ कर को वित्त अधिनियम, 2005 के अंतर्गत एक संविधि के रूप में लागू किया गया था तथा इसलिए वर्ष 2005-06 अनुषंगी लाभ करके प्रचालन का पहला वर्ष था। वर्ष 2005-06 के अनुषंगी लाभ कर के रूप में 4,772.28 करोड़ रुपये की धनराशि एकत्र की गई थी।

(ख) और (ग) अनुषंगी लाभ कर ऐसे कराधेय "अनुषंगी लाभों" पर तथा आयकर अधिनियम के अध्याय-XIIज के उपबंधों के अंतर्गत इस संबंध में यथा विहित ऐसी दरों पर देय है। सरकार ने भी कर-निर्धारण अधिकारियों द्वारा अनुषंगी लाभ कर की विवरणियों की संवीक्षा के संबंध में दिशा-निर्देश निर्धारित किये हैं।

(घ) जी, नहीं। इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ङ) उपर्युक्त पैरा (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

(च) उपर्युक्त पैरा (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

**जीआरआईडीसीओ**

1599. **श्री जुएल ओराम:** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने केन्द्र सरकार को राज्य में खुदरा कारोबार करने वाले जीआरआईडीसीओ और चार अन्य वितरण कंपनियों द्वारा हानि में कमी के आधार पर प्रोत्साहन उपलब्ध कराने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव पर क्या कदम उठाए गए हैं?

**विद्युत मंत्री ( श्री सुशील कुमार शिंदे ):** (क) और (ख) त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (एपीडीआरपी) के प्रोत्साहन घटक के अंतर्गत उड़ीसा सरकार ने एक प्रोत्साहन राशि संबंधी दावा प्रस्तुत किया गया था। चूंकि उड़ीसा में विद्युत वितरण का निजीकरण कर दिया गया है, इस कारण एपीडीआरपी के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रोत्साहन राशि संबंधी यह दावा मान्य नहीं है।

## दुकानों की सीलिंग

**1600. श्री रघुनाथ झा:** क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली के आवासीय एवं व्यावसायिक क्षेत्रों में दुकानों की सीलिंग किये जाने से बेरोजगार होने वाले मजदूर/श्रमिकों की अनुमानित संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार की उनको फिर से रोजगार दिए जाने की कोई योजना है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या दिल्लीवासियों की आवश्यकताओं को पूरा करने में दिल्ली के व्यावसायिक बाजारों की संख्या अपर्याप्त है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

**शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री अजय माकन ):** (क) से (ग) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने बताया है कि उनके पास सीलिंग की कार्रवाई से मजदूरों/श्रमिकों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने से संबंधित कोई प्रमाणिक सूचना नहीं है।

(घ) और (ङ) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि उन्होंने अनेक व्यावसायिक केन्द्र उपलब्ध कराने के अलावा सभी जिला केन्द्रों की योजना बनाने का कार्य पूरा कर लिया है जिसके लिए भूमि उपलब्ध है और सभी प्लाटों की बिक्री के लिए शीघ्र कदम उठाए गए हैं, ताकि आवश्यक व्यावसायिक स्थल का निर्माण तत्काल शुरू किया जा सके।

सरकार ने दिनांक 7.9.2006 की अधिसूचना द्वारा मास्टर प्लान 2001 में भी संशोधन किये हैं ताकि रिहायशी परिसरों का गैर-रिहायशी और व्यावसायिक कार्यकलापों के लिए प्रयोग करने हेतु अधिक उदार व तर्कसंगत नीति बनाई जा सके। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने लगभग 2183 सड़कों को मिश्रित उपयोग/व्यावसायिक सड़कों के रूप में अधिसूचित किया है जिन पर दिनांक 7.9.2006 की अधिसूचना के अनुसार रिहायशी परिसरों में अब व्यावसायिक कार्यकलापों की भी अनुमति है। ये उपाय डीडीए द्वारा पहले से विकसित व्यावसायिक स्थल के अलावा नगर में व्यावसायिक स्थल की उपलब्धता बढ़ाने के लिए किये गये हैं।

उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 7.9.2006 की अधिसूचना के तहत शामिल असंख्य प्रतिष्ठानों के साथ-साथ 24 मदों से संबंधित छोटी दुकानों, जिनका आकार 20 वर्गमीटर से अधिक न हो, को पहले ही सीलिंग से छूट दे दी है।

## विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास एवं संवर्धन हेतु निधियां

**1601. श्री जी.एम. सिद्देश्वर:** क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास एवं संवर्धन हेतु कोई पहल की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान इस प्रयोजनार्थ स्वीकृत निधियों का ब्यौरा क्या है?

**विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री ( श्री कपिल सिब्बल ):** (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

## विश्व आर्थिक मंच का अध्ययन

**1602. श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया:**
**श्री असादूद्दीन ओवेसी:**

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व आर्थिक मंच के अध्ययन से यह पता चला है कि भारत ने कई अन्य प्रतिभागियों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया है परन्तु ज्यादातर भारतीय तीव्र आर्थिक वृद्धि का लाभ उठाने में विफल रहे हैं जैसाकि दिनांक 27 सितम्बर, 2006 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) आर्थिक वृद्धि, स्वास्थ्य स्थिति, शिक्षा इत्यादि का लाभ उठाने वाले भारतीयों की प्रतिशतता के संदर्भ में अध्ययन के स्पष्ट निष्कर्ष क्या हैं?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल):** (क) से (ग) विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रकाशित की गई वैश्विक प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट, 2006-07 में प्रतिस्पर्धा सूचकांक क्रम में समग्र रूप से भारत को 43वां स्थान दिया गया है। रिपोर्ट के अनुसार, यह सुदृढ़ प्रचालनों के नवीनीकरण तथा परिष्करण के लिए असाधारण उच्च क्षमता को प्रदर्शित करता है। यह वैज्ञानिक अनुसंधान की गुणवत्ता तथा उन अनेकानेक वैज्ञानिकों तथा इंजीनियरों के संदर्भ में विशेषत: सही है, जो निजी क्षेत्र को अधिकाधिक उच्च कौशल प्राप्त व्यवसायी उपलब्ध करा रहे हैं। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख है कि शिक्षा के अवसरों के विस्तार में कमियां तथा निकृष्ट अवसंरचना भारत के उच्च वृद्धि दर के लाभों के अधिक साम्यपूर्ण वितरण को सीमित करती हैं। रिपोर्ट में आंकड़ा सारणियां दी गई हैं जिनके अनुसार स्वास्थ्य तथा प्राथमिक शिक्षा के संबंध में भारत का 93वां स्थान है।

सरकार सामाजिक के साथ-साथ भौतिक अवसंरचना को तेजी से विकसित करने की आवश्यकता से अवगत है। तदनुसार यह सामाजिक तथा भौतिक असंरचना के विकास पर यथासंभव बल दे रही है ताकि अर्थव्यवस्था उच्च वृद्धि के पथ पर अग्रसर रहे।

*[हिन्दी]*

**जापान बैंक फार इंटरनेशनल कारपोरेशन द्वारा ऋण**

1603. **श्री बापू हरी चौरे:**
**श्रीमती भावना पुंडलिकराव गवली:**

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जापान बैंक फार इंटरनेशनल कारपोरेशन (जेबीआईसी) ने भारत में सामाजिक और आर्थिक विकास हेतु 6,000 करोड़ रुपये के ऋण पैकेज की पेशकश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन क्षेत्रों का राज्यवार ब्यौरा क्या है जिनके लिए धनराशि खर्च किए जाने की संभावना है?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल):** (क) जापान सरकार वित्तीय वर्ष 2005-06 के लिए सरकारी विकास सहायता (ओडीए) पैकेज के अंतर्गत दस परियोजनाओं के लिए भारत को 155,458 मिलियन जापानी येन (लगभग 6218 करोड़ रुपये) का ऋण प्रदान करने पर सहमत हो गई है।

(ख) और (ग) एक विवरण संलग्न है।

*विवरण*

| क्र.सं. | परियोजना | क्षेत्र | अवस्थल | ऋण राशि (मिलियन येन में) | वार्षिक ब्याज दर | पुनर्भुगतान की अवधि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | पुरुलिया पम्पड संचयन परियोजना (III) | विद्युत | पश्चिम बंगाल | 17,963 (718.52 करोड़ रुपए)* | 1.3% | 30 वर्ष |
| 2. | ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजना | विद्युत | आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र | 20,629 (825.16 करोड़ रुपए)* | 0.75% | 15 वर्ष |
| 3. | बंगलौर जलापूर्ति और मल-व्यवस्था परियोजना (II-2) | शहरी विकास (जलापूर्ति एवं मलव्यवस्था) | कर्नाटक | 28,358 (1134.32 करोड़ रुपए)* | मूलव्यवस्था भाग के लिए 0.75% तथा जलापूर्ति भाग के लिए 1.3% | मलव्यवस्था भाग के लिए 40 वर्ष तथा जलापूर्ति भाग के लिए 30 वर्ष |
| 4. | हुसैन सागर झील और आसपास क्षेत्र सुधार परियोजना | शहरी विकास (जलापूर्ति एवं मूलव्यवस्था) | आंध्र प्रदेश | 7,729 (309.16 करोड़ रुपए)* | 0.75% | 40 वर्ष |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. | कोलकाता ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सुधार परियोजना | शहरी विकास (मलव्यवस्था) | पश्चिम बंगाल | *3,584 (143.36 करोड़ रुपए)* | 0.75% | 40 वर्ष |
| 6. | दिल्ली जन द्रुत परिवहन प्रणाली परियोजना (चरण-2) (I) | शहरी परिवहन | दिल्ली | 14,900 (596 करोड़ रुपए)* | 1.3% | 30 वर्ष |
| 7. | बंगलौर मेट्रो रेल परियोजना | शहरी परिवहन | कर्नाटक | 44,704 (1788.16 करोड़ रुपए) | 1.3% | 30 वर्ष |
| 8. | स्वैन नदी एकीकृत जल संभर प्रबंधन परियोजना | पर्यावरण एवं वन | हिमाचल प्रदेश | 3,493 (139.72 करोड़ रुपए)* | 0.75% | 40 वर्ष |
| 9. | उड़ीसा वानिकी क्षेत्रक विकास परियोजना | पर्यावरण एवं वन | उड़ीसा | 13,937 (1557.48 करोड़ रुपए)* | 0.75% | 40 वर्ष |
| 10. | विशाखापत्तनम पत्तन विस्तार परियोजना (अभियांत्रिकी सेवाएं) | नौवहन | आंध्र प्रदेश | 161 (6.44 करोड़ रुपए)* | 1.3% | 30 वर्ष |

*उक्त सारणी में निर्दिष्ट पुनर्भुगतान अवधि में प्रत्येक परियोजना के लिए 10 वर्ष की अनुग्रह अवधि शामिल है सिवाए ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजना के लिए जिसके लिए अनुग्रह अवधि 5 वर्ष है।

@100 येन = 40 रुपए।

**राज्यों द्वारा वसूली का आस्थगन संबंधी अनुरोध**

**1604. श्री राजेश पाठक:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को राज्य सरकारों से केन्द्र सरकार को देय बकाया धनराशि की वसूली का आस्थगन करने संबंधी कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है अथवा करने का प्रस्ताव है?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल):** (क) से (ग) उत्तर प्रदेश सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष के दौरान बारहवें वित्त आयोग की सिफारिश के अंतर्गत वर्ष 2006-07 के लिए ऋण माफी हेतु दावा किया है तथा भारत सरकार से अनुरोध किया है कि जब तक इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया जाता है तब तक चालू वित्तीय वर्ष की शेष अवधि के लिए राज्य को बकाया पुनर्अदायगी के आस्थगन की अनुमति दी जाए। बारहवें वित्त आयोग ने कतिपय स्थितियों को पूरा किये जाने की शर्त पर ऋण माफी की सिफारिश की है। इस प्रकार ऋण माफी की पात्रता का निर्धारण इन शर्तों को पूरा करने पर ही किया जा सकता है। इसलिए महज अंदाज के आधार पर राज्य द्वारा देय पुनर्अदायगी को आस्थगित नहीं किया जा सकता है।

**आय-कर संग्रहण का ब्यौरा**

**1605. श्री गणेश सिंह:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उन शहरों की पहचान करने हेतु कोई सर्वेक्षण कराया है जो सर्वाधिक आयकर संग्रहण कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार प्रोत्साहन के रूप में उक्त शहरों अथवा राज्यों के विकास हेतु विशेष पैकेज देने का है; और

(घ) देश को आयकर से होने वाली कुल आय, राज्य-वार कितनी है और तत्संबधी ब्यौरा क्या है?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम ):** (क) और (ख) जी, नहीं। सरकार द्वारा ऐसा कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है। तथापि, पिछले तीन वर्षों के संग्रहणों के आधार पर आयकर संग्रहण के निम्नलिखित शीर्ष दस केन्द्र/जोन हैं:

1. मुम्बई
2. दिल्ली
3. कर्नाटक
4. तमिलनाडु
5. पश्चिमी उत्तर प्रदेश तथा उत्तरांचल
6. पश्चिम बंगाल
7. आंध्र प्रदेश
8. महाराष्ट्र (मुम्बई को छोड़कर)
9. गुजरात
10. उत्तर पश्चिमी क्षेत्र (पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू और कश्मीर)

तथापि, शहरवार ब्यौरे केन्द्रीय रूप से नहीं रखे जाते हैं।

(ग) आयकर संग्रहणों में इसके अंशदान के आधार पर किसी शहर के विकास के लिए कोई विशेष वित्तीय पैकेज इस समय सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(घ) राज्यवार तथा करवार ब्यौरे का विवरण संलग्न है जिसके अनुसार वित्त वर्ष 2005-2006 के लिए देश में आयकर संग्रहण की कुल राशि 1,65,208 करोड़ रुपये है।

***विवरण***

*वर्ष 2005-06 के लिए वसूली का राज्यवार तथा संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा*

(आंकड़े करोड़ में)

| राज्य | 0020 निगम कर | 0021 आयकर | 0023 होटल कर | 0024 ब्याज कर | 0026 एफबीटी | 0028 व्यय कर | 0031 संपदा शुल्क | 0032 धन कर | 0033 उपहार कर | 0034 प्रतिभूति अंतरण कर | 0036 बीसीटीटी | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| आंध्र प्रदेश | 4059.58 | 2477.86 | 4.25 | 0.48 | 121.09 | 1.60 | 0.00 | 5.95 | 0.50 | 1.46 | 20.54 | 6693.31 |
| अरुणाचल प्रदेश | 0.00 | 7.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.61 |
| असम | 498.66 | 1093.77 | 0.01 | 0.01 | 2.46 | 0.19 | 0.06 | 0.87 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 1596.12 |
| बिहार | 140.41 | 448.87 | 0.00 | 0.03 | 6.39 | 0.03 | 0.00 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 595.95 |
| झारखंड | 431.79 | 534.99 | 0.00 | 0.14 | 11.83 | 0.06 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 579.19 |
| गोवा | 810.15 | 258.91 | 0.00 | 0.01 | 12.71 | 0.06 | 0.00 | 1.24 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 1083.12 |
| गुजरात | 3080.89 | 2971.72 | 0.70 | 0.29 | 120.21 | 2.73 | 0.01 | 7.71 | 0.05 | 0.09 | 3.42 | 6187.82 |
| हरियाणा | 866.62 | 1218.87 | 0.01 | 0.02 | 125.00 | 0.10 | 0.00 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 2211.99 |
| हिमाचल प्रदेश | 60.97 | 169.82 | 0.00 | 0.00 | 3.28 | 0.62 | 0.00 | 0.07 | -0.01 | 0.00 | 0.01 | 234.76 |
| जम्मू-कश्मीर | 128.48 | 109.81 | 0.00 | 0.00 | 5.22 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 243.91 |
| कर्नाटक | 7386.03 | 6224.82 | 0.03 | 0.94 | 406.54 | 3.12 | 0.00 | 9.41 | 1.13 | 2.54 | 41.12 | 14075.68 |
| केरल | 576.15 | 1069.56 | 0.04 | 4.54 | 29.72 | 0.07 | 0.00 | 3.61 | 0.14 | 0.00 | 10.63 | 1694.46 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| मध्य प्रदेश | 1295.56 | 915.64 | 0.01 | -0.14 | 36.20 | 0.00 | -0.79 | 0.84 | 0.01 | 0.00 | 4.73 | 2252.06 |
| छत्तीसगढ़ | 416.57 | 745.18 | 0.00 | 0.06 | 15.79 | 0.00 | 0.04 | 25.19 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 1202.72 |
| महाराष्ट्र | 38011.81 | 17642.76 | 0.77 | 3.95 | 2170.53 | 6.28 | 0.04 | 104.28 | -0.41 | 2546.42 | 170.64 | 60657.07 |
| मणिपुर | 3.85 | 1.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.02 |
| मेघालय | 9.09 | 30.21 | 0.00 | 0.00 | 0.98 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.30 |
| मिजोरम | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.35 |
| नागालैंड | 1.04 | 3.88 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
| नई दिल्ली | 18512.26 | 6769.71 | 0.00 | 0.94 | 847.20 | 1.70 | 0.04 | 36.88 | 0.50 | 0.60 | 32.23 | 26202.06 |
| उड़ीसा | 1766.00 | 634.81 | 0.00 | 0.01 | 13.95 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 2415.06 |
| पंजाब | 248.42 | 1407.72 | 0.00 | 0.40 | 30.44 | 1.56 | 0.03 | 3.30 | -0.01 | 0.01 | 0.14 | 1692.02 |
| राजस्थान | 1177.09 | 912.48 | 0.01 | 0.11 | 64.95 | 2.76 | 0.00 | 2.03 | 0.00 | 0.00 | 2.58 | 2162.01 |
| सिक्किम | 0.87 | 13.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.24 |
| तमिलनाडु | 6505.11 | 3929.50 | 0.05 | 0.34 | 287.19 | 2.44 | 0.03 | 16.99 | 0.03 | 3.27 | 19.10 | 10764.05 |
| त्रिपुरा | 6.30 | 25.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 31.95 |
| उत्तर प्रदेश | 1068.97 | 2073.27 | 0.00 | 0.41 | 78.04 | 5.90 | 0.00 | 7.74 | 0.00 | 0.38 | 0.53 | 3235.24 |
| उत्तरांचल | 8584.45 | 489.26 | 0.00 | 0.07 | 66.93 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 0.42 | 9142.43 |
| पश्चिम बंगाल | 5042.43 | 2192.85 | 0.00 | 0.52 | 288.22 | 0.65 | 0.00 | 20.34 | 0.02 | 4.61 | 14.00 | 7563.64 |
| कुल (I) | 100689.90 | 54374.04 | 5.89 | 13.13 | 4744.94 | 29.88 | -0.72 | 249.69 | 1.96 | 2559.38 | 321.05 | 162989.14 |
| **संघ राज्य क्षेत्र** | | | | | | | | | | | | |
| अंडमान निकोबार | 4.14 | 5.45 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.83 |
| चंडीगढ़ | 261.29 | 360.69 | 0.00 | 0.11 | 25.77 | 0.80 | 0.00 | 0.61 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 649.55 |
| दमन | 8.69 | 2.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.85 |
| दीव | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.16 |
| दादर नागर हवेली | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| पांडिचेरी | 43.73 | 51.70 | 0.00 | 0.00 | 1.33 | 0.01 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.82 |
| लक्षद्वीप | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 |
| सिल्वासा | 0.16 | 0.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.65 |
| कुल (II) | 318.17 | 420.58 | 0.00 | 0.11 | 27.34 | 0.81 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 767.95 |
| कुल (I) | 101008.07 | 54794.62 | 5.89 | 13.24 | 4772.28 | 30.69 | - | 250.35 | 1.96 | 2559.38 | 321.33 | 163757.09 |

## निजी वितरण कंपनियों का एकाधिकार

**1606. डा. धीरेंद्र अग्रवाल:** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विधि द्वारा बिजली की चोरी का पता लगाने तथा दोषियों से अर्थदंड वसूलने के लिए निजी विद्युत वितरण कंपनियों को एकाधिकार दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या कोई ऐसा कानून नहीं है जो इन कंपनियों को बढ़ी हुई लाखों रुपयों के बिल भेजने का अर्थदंड लगाने से रोक सके;

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार के विचार क्या हैं; और

(ङ) उक्त एकाधिकार को समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

**विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे):** (क) और (ख) विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधान सभी वितरण लाइसेंसियों पर एकसमान लागू होते हैं और स्वामित्व के आधार पर इनमें कोई फर्क नहीं करते हैं।

एक मूल्यांकनकर्त्ता अधिकारी किसी व्यक्ति द्वारा विद्युत के अनधिकृत रूप से उपयोग करने पर उसके द्वारा देय प्रभारों का मूल्यांकन कर सकता है। मूल्यांकनकर्त्ता अधिकारी राज्य सरकार या बोर्ड के अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा नमोद्दिष्ट लाइसेंसी होते हैं। मूल्यांकन आदेश से क्षुब्ध कोई भी व्यक्ति उचित सरकार द्वारा नामोद्दिष्ट अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष अपील कर सकता है।

अधिनियम के तहत विद्युत चोरी एक संज्ञेय अपराध है और यह ऐसे अपराधों का संज्ञान लेने तथा सक्षम अदालत द्वारा सिविल दायित्व निर्धारित करने के लिए भी प्रावधान करता है। केवल राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को ही विद्युत चोरी के मामले में निरीक्षण, प्रवेश, छानबीन तथा जब्ती का अधिकार प्राप्त है।

(ग) से (ङ) विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के अंतर्गत विद्युत वितरण एक लाइसेंस प्राप्त कार्य है और इसका विनियमन राज्य विद्युत विनियामक आयोग द्वारा किया जाता है। अधिनियम के अंतर्गत सभी उपभोक्ताओं के मीटर लगाने तथा सही मीटर के माध्यम से विद्युत की आपूर्ति अपेक्षित है। एसईआरसी द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ विद्युत प्रभार की वसूली तथा विद्युत प्रभार की बिलिंग के लिए अंतराल प्रदान करने हेतु एक विद्युत आपूर्ति कोड विनिर्दिष्ट करना अपेक्षित है। वितरण लाइसेंसी एसईआरसी द्वारा निर्धारित टैरिफ के अनुसार उपभोक्ताओं से विद्युत मूल्य की वसूली कर सकता है।

अधिनियम आगे वितरण लाइसेंसी द्वारा उपभोक्ताओं की शिकायतों के निपटान हेतु एक मंच गठित करने तथा शिकायतों के गैर-निपटान के लिए अभ्यावेदनों पर विचार करने हेतु राज्य आयोग द्वारा लोकपाल (ऑम्बड्समैन) के रूप में प्राधिकारी की नियुक्ति का भी प्रावधान करता है।

*[अनुवाद]*

## फ्लूरोसिस रोकथाम केन्द्र

**1607. श्री हरिन पाठक:** क्या ग्रामीण विकास मंत्री दिनांक 4 अगस्त, 2006 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1404 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में फ्लूरोसिस रोकथाम केन्द्र की स्थापना करने हेतु अंतिम निर्णय लिया गया है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इसको कब तक स्थापित किये जाने की संभावना है?

**ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू):** (क) से (ग) हैदराबाद/गांधीनगर में मौजूदा संस्थाओं का दर्जा बढ़ा कर क्षेत्रीय फ्लूरोसिस रोकथाम केन्द्रों की स्थापना से संबंधित मामला विचाराधीन है। औपचारिक प्रस्तावों की प्रतीक्षा है।

## एनएचपीसी का विविधीकरण कार्यक्रम

**1608. श्री दुष्यंत सिंह:** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय जल विद्युत निगम (एनएचपीसी) ने विविधीकरण कार्यक्रम शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और किन नए क्षेत्रों की पहचान की गई है; और

(ग) राष्ट्रीय जल विद्युत निगम द्वारा नए क्षेत्रों में कितनी धनराशि का निवेश किये जाने का प्रस्ताव है?

**विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे):** (क) से (ग) नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिटिमेड (एनएचपीसी) ने अपनी निजी निधियों के निवेश के जरिए कोई विविधीकरण कार्यक्रम आरंभ नहीं किया है। तथापि, एनएचपीसी ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई), जो 100% केन्द्र प्रायोजित स्कीम है, के अंतर्गत बिहार के छह जिलों में ग्रामीण सड़कों के

विकास एवं अनुरक्षण के लिए केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के साथ एक करार पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अलावा, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) के अंतर्गत एनएचपीसी ने बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ एवं जम्मू व कश्मीर राज्यों में ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यों को हाथ में लिया है। पीएमजीएसवाई के अंतर्गत सड़क संबंधी कार्य और आरजीजीवीवाई के अंतर्गत ग्रामीण विद्युतीकरण कार्य डिपाजिट वर्क आधार पर निष्पादित किये जा रहे हैं तथा एनएचपीसी इन कार्यों में कोई निवेश नहीं कर रहा है।

*[हिन्दी]*

## नरेला में फ्लैटों हेतु मूलभूत सुविधाएं

**1609. श्री कैलाश नाथ सिंह यादव:** क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दिल्ली के नरेला क्षेत्र में मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराए बगैर आबंटियों को फ्लैट आवंटित किये हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस क्षेत्र के फ्लैटों में सुविधाएं कब तक मुहैया कराए जाने की संभावना है ताकि ये रहने लायक बन सकें?

**शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन):** (क) से (ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने बताया है कि मार्च, 2000 तक नरेला उप-नगर में निर्मित 6831 फ्लैटों में से 86 फ्लैटों में आवंटन के समय दिल्ली विद्युत बोर्ड द्वारा विद्युत तथा दिल्ली जल बोर्ड द्वारा जल उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण विद्युत एवं जल आपूर्ति का प्रावधान नहीं किया जा सका। तथापि, विद्युत एवं जल की आपूर्ति क्रमश: 1999 एवं 2000 में उपलब्ध करवा दी गयी।

दिल्ली विकास प्राधिकरण ने इसके अतिरिक्त यह भी बताया है कि वर्तमान में नरेला उप-नगर में जल-आपूर्ति, विद्युत, सड़कें, जल-निकासी, सीवेज तथा पार्क जैसी सभी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हैं।

*[अनुवाद]*

## ग्रामीण विकास कार्यक्रमों/योजनाओं के अंतर्गत अतिरिक्त धनराशि

**1610. श्री पी.एस. गढ़वी:** क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान केन्द्र सरकार को विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रमों/योजनाओं के अंतर्गत अतिरिक्त धनराशि जारी करने के लिए कतिपय राज्य सरकारों से कोई अनुरोध प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है तथा इस प्रयोजनार्थ राज्यवार कितनी धनराशि स्वीकृत/जारी की गई है?

**ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू):** (क) और (ख) ग्रामीण विकास मंत्रालय ने आवंटन आधारित ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत अतिरिक्त राशि रिलीज करने के लिए राज्य सरकारों से अनुरोध प्राप्त किये हैं। ऐसे प्रस्तावों की जांच की जाती है तथा कार्यक्रमों के दिशा-निर्देशों के अनुसार निधियां रिलीज की जाती हैं। विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान इंदिरा आवास योजना (आईएवाई) के अंतर्गत प्राकृतिक आपदा के लिए रखे गए आईएवाई के 5 प्रतिशत हिस्से में से, विपदा ग्रस्त क्षेत्रों के लिए आरक्षित 5 प्रतिशत हिस्से में से संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एसजीआरवाई) के अंतर्गत तथा स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) के अंतर्गत अतिरिक्त निधियां रिलीज की गई हैं, जिसके ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

***विवरण***

*2003-04, 2004-05, 2005-06 तथा 2006-07 के दौरान इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत रिलीज की गई अतिरिक्त निधियां*

(रु. लाख में)

| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | 2003-04 | | 2004-05 | | 2005-06 | | 2006-07 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 5% में से | प्राकृतिक आपदा | 5% में से | प्राकृतिक आपदा | 5% में से | प्राकृतिक आपदा | 5% में से | प्राकृतिक आपदा |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 18.75 | 0.00 | 112.49 | 0.00 | 210.75 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 131.19 | 0.00 | 199.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | असम | 0.00 | 0.00 | 412.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
| 4. | बिहार | 0.00 | 0.00 | 375.00 | 40000.00 | 18.75 | 0.00 | 18.750 | 0.000 |
| 5. | छत्तीसगढ़ | 164.25 | 0.00 | 151.09 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
| 6. | गोवा | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
| 7. | गुजरात | 0.00 | 0.00 | 225.54 | 0.00 | 168.75 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
| 8. | हरियाणा | 0.00 | 0.00 | 18.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
| 9. | हिमाचल प्रदेश | 4.13 | 0.00 | 4.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
| 10. | जम्मू-कश्मीर | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
| 11. | झारखंड | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
| 12. | कर्नाटक | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112.500 | 0.000 |
| 13. | केरल | 6.75 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
| 14. | मध्य प्रदेश | 238.43 | 0.00 | 0.00 | 56.89 | 150.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
| 15. | महाराष्ट्र | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
| 16. | मणिपुर | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
| 17. | मेघालय | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
| 18. | मिजोरम | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
| 19. | नागालैंड | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.67 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
| 20. | उड़ीसा | 369.23 | 16500.00 | 309.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.580 | 0.000 |
| 21. | पंजाब | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
| 22. | राजस्थान | 0.00 | 0.00 | 18.85 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 225.000 | 0.000 |
| 23. | सिक्किम | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
| 24. | तमिलनाडु | 0.00 | 0.00 | 543.75 | 0.00 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
| 25. | त्रिपुरा | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
| 26. | उत्तर प्रदेश | 0.00 | 0.00 | 216.47 | 0.00 | 56.25 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
| 27. | उत्तरांचल | 0.00 | 730.51 | 0.00 | 171.72 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
| 28. | पश्चिम बंगाल | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
| 29. | अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30. | दादर नगर हवेली | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
| 31. | दमन व दीव | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
| 32. | लक्षद्वीप | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
| 33. | पांडिचेरी | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
| | कुल | 932.73 | 17230.51 | 2541.91 | 40228.61 | 627.67 | 0.00 | 381.830 | 0.000 |

*स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) तथा संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एसजीआरवाई) के अंतर्गत रिलीज की गई अतिरिक्त निधियां*

(रु. लाख में)

| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | एसजीआरवाई विपदाग्रस्त क्षेत्रों के लिए 5% आवेदन में से | | | एसजीएसवाई |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2003-04 | 2004-05 | 2005-06 | 2004-05 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 408.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.74 |
| 3. | असम | 1400.00 | 0.00 | 0.00 | 230.6 |
| 4. | बिहार | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 |
| 5. | छत्तीसगढ़ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6. | गोवा | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7. | गुजरात | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8. | हरियाणा | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9. | हिमाचल प्रदेश | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10. | जम्मू-कश्मीर | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11. | झारखंड | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12. | कर्नाटक | 1250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13. | केरल | 1400.00 | 150.00 | 150.00 | 0.00 |
| 14. | मध्य प्रदेश | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15. | महाराष्ट्र | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16. | मणिपुर | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17. | मेघालय | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.76 |
| 18. | मिजोरम | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.52 |
| 19. | नागलैंड | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.54 |
| 20. | उड़ीसा | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21. | पंजाब | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22. | राजस्थान | 0.00 | 0.00 | 1100.00 | 0.00 |
| 23. | सिक्किम | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.54 |
| 24. | तमिलनाडु | 2800.00 | 210.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25. | त्रिपुरा | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 261.28 |
| 26. | उत्तर प्रदेश | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27. | उत्तरांचल | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 28. | पश्चिम बंगाल | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29. | अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30. | दादर नगर हवेली | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31. | दमन व दीव | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32. | लक्षद्वीप | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 33. | पांडिचेरी | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | कुल | 8358.50 | 360.00 | 1450.00 | 698.98 |

**लघु बचत योजना पर ब्याज दर**

**1611. श्री रेवती रमन सिंह:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार राष्ट्रीय लघु बचत कोष से उधार लेने वाले राज्यों के लिए ब्याज दर कम करने पर सहमत हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यह ब्याज दर बैंक दरों की तुलना में किस हद तक कम है;

(घ) क्या इससे जमाकर्ताओं हेतु नकदी की उपलब्धता प्रभावित होगी; और

(ङ) यदि हां, तो इस समस्या को सुलझाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाये जा रहे हैं?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल):** (क) से (ङ) राष्ट्रीय लघु बचत कोष से उधार लेने वाले राज्य सरकारों के लिए ब्याज-दर दिनांक 1 अप्रैल, 2003 से 9.5 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रही है। इसी प्रकार, लघु बचत योजनाओं पर ब्याज दरें दिनांक 1.3.2003 से अपरिवर्तित रही है। इस प्रकार, जमाकर्ताओं पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है। वर्तमान में, सरकार के पास इन ब्याज दरों में परिवर्तित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

*[हिन्दी]*

**विशेष जिला ग्रामीण जीवन यापन योजना**

**1612. चौ. मुनव्वर हसन:** क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में "विशेष जिला ग्रामीण जीवन यापन योजना" नामक एक प्रायोगिक परियोजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य में उक्त योजना के अर्न्तगत चिन्हित जिलों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार उक्त योजना में उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर, आजमगढ़ और मुजफ्फरनगर के जिलों को शामिल करने का है,

(घ) यदि हां, तो इसे कब तक शामिल किए जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उक्त जिलों में पिछड़ेपन को दूर करने हेतु उठाये जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है?

**ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील):** (क) जी नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

*[अनुवाद]*

**ग्राम ऊर्जा सुरक्षा कार्यक्रम**

**1613. श्री बाडिगा रामकृष्णा:**
**श्री एस.के. खारवेनथन:**

क्या **नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ग्राम ऊर्जा सुरक्षा संबंधी जांच परियोजनाएं आंध्र प्रदेश में क्रियान्वित की जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इन परियोजनाओं को देश के अन्य भागों में भी लागू करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार):** (क) और (ख) दूरस्थ, अविद्युतीकृत गांवों और बस्तियों की कुकिंग, बिजली और मोटिव पावर सहित संपूर्ण ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ग्राम ऊर्जा सुरक्षा पर परीक्षण परियोजनाओं का कार्यान्वयन किया जा रहा है। विभिन्न राज्यों को मंजूर की गई परीक्षण परियोजनाओं में आंध्र प्रदेश हेतु मंजूर की गई तीन परियोजनाएं शामिल हैं। इन तीन परियोजनाओं में से एक परियोजना वारंगल जिले में कमालपुर गांव की अमुदलापल्ली बस्ती में कार्यान्वित की जा रही है जबकि अन्य दो परियोजनाएं रद्द की जा रही हैं क्योंकि इन गांवों को अब पारंपरिक माध्यमों से विद्युतीकृत किया गया है।

(ग) और (घ) अब तक देश के 12 राज्यों नामत: आंध्र प्रदेश (3), असम (14), छत्तीसगढ़ (9), गुजरात (3), झारखंड (1), मध्य प्रदेश (15), महाराष्ट्र (7), उड़ीसा (10), राजस्थान (6), तमिलनाडु (4), उत्तरांचल (5) और पश्चिम बंगाल (7) में 84 परीक्षण परियोजनाएं मंजूर की गई हैं।

**संवेदनशील क्षेत्रों में विदेशी निवेश**

**1614. श्री मनोरंजन भक्त:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दूरसंचार, विमानपत्तन इत्यादि जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में विदेशी निवेश के क्रियान्वयन की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में विभिन्न पक्षों से कोई विशिष्ट शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का विचार है?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल):** (क) और (ख) सरकार दूरसंचार, विमानपत्तन इत्यादि सहित ऐसे क्षेत्रों की भारतीय कंपनियों में विदेशी निवेश का राष्ट्रीय सुरक्षा पर प्रभाव का मूल्यांकन कर रही है जो संवेदी समझे जाते हैं। इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

**बेरोजगार युवकों को ऋण**

1615. **श्री जी. करुणाकर रेड्डी:**
**श्री जसवंत सिंह बिश्नोई:**
**श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा:**

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न बैंकों द्वारा शिक्षित बेरोजगार युवकों को अपना व्यवसाय शुरू करने हेतु कुल कितना ऋण संवितरित किया गया;

(ख) क्या सरकार को उन व्यापक शिकायतों की जानकारी है कि बैंक कर्मचारी आवेदकों को ऋण संविरित करते समय उनसे कमीशन के रूप में भारी धनराशि वसूलते हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा ऐसी गतिविधि को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाये जा रहे हैं?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल):** (क) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सूचनानुसार, विगत 2003-04, 2004-05 और 2005-06 वर्षों के दौरान, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा प्रधान मंत्री रोजगार योजना, यथा शिक्षित बेरोजगार युवाओं को वित्तीय सहायता देने के लिए योजना, के तहत संवितरित कुल ऋण की राशि निम्नानुसार है:

| वर्ष | संवितरित राशि (लाख रुपये में) |
|---|---|
| 2003-04 | 136754.50 |
| 2004-05 | 154278.51 |
| 2005-06 | 158440.17 |

(ख) और (ग) आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार, संभवत: कोई भी विशिष्ट शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। तथापि, उसके केन्द्रीय कार्यालय, और साथ ही, क्षेत्रीय कार्यालयों में, योजना के कार्यान्वयन के विभिन्न पहलुओं जैसे आवेदनों की अस्वीकृति, संपार्श्विक प्रतिभूति के मामले, संस्वीकृति/संवितरण में विलंब, आदि के संबंध में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं। संबंधित कार्यान्वयक बैंकों से टिप्पणियां प्राप्त करके, विद्युत दिशानिर्देशों के अनुसार, ऐसी सभी शिकायतों की जांच की जाती है और उन्हें निपटाया जाता है।

**सहकारी बैंकों का कार्य-निष्पादन**

1616. **श्री के.एस. राव:**
**श्री भर्तृहरि महताब:**

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष देश में सहकारी बैंकों का लाभ और हानि के रूप में कार्य-निष्पादन कैसा रहा है;

(ख) क्या सरकारी बैंकों का घाटा दिन-ब-दिन बढ़ता जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) उक्त अवधि के दौरान घाटा उठाने वाले सहकारी बैंकों की राज्यवार संख्या कितनी है; और

(ङ) सरकार द्वारा सहकारी बैंकों का कार्य-निष्पादन सुधारने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं/उठाये जा रहे हैं?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल):** (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

**एनटीपीसी को एशियाई विकास बैंक से ऋण**

1617. **श्री बृज किशोर त्रिपाठी:** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एनटीपीसी) ने अपनी सेपत और कहलगांव विद्युत परियोजनाओं हेतु एशियाई विकास बैंक (एडीबी) से ऋण मांगा है;

(ख) क्या एशियाई विकास बैंक उक्त ऋण देने पर सहमत हो गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी निबंधन और शर्तें क्या है?

**विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे):** (क) जी हां। एनटीपीसी, एशियाई विकास बैंक (एडीबी) के साथ 300 मिलियन अमरीकी डॉलर के ऋण हेतु सहबद्ध हुआ है। प्राप्त ऋण का उपयोग कहलगांव सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट चरण-II (1500 मेगावाट), सिपत सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट चरण-I (1980 मेगावाट) और सिपत एसटीपीपी चरण-II (1000 मेगावाट) के पूंजीगत व्यय के आंशिक वित्तपोषण हेतु किया जाएगा।

(ख) और (ग) इस ऋण हेतु 21.9.2006 को हस्ताक्षर किए गए। यह ऋण भारत सरकार की गारंटी के रूप में किसी बैक-अप प्रतिभूति के बिना स्वीकृत किया गया है। इस ऋण के "क" तथा "ख" दो भाग हैं। ऋण के भाग "क" की परिपक्वता अवधि 11 वर्ष है और भाग "ख" की परिपक्वता अवधि 7 वर्ष है। ऋण में ब्याज का भुगतान फ्लोटिंग दर आधार पर करने का उपबंध किया गया है। ऋण के अंतर्गत आहरण शुरू हो चुका है।

**विद्युत पारेषण हेतु निधियों की आवश्यकता**

1618. **श्री असादूद्दीन ओवेसी:** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वर्ष 2012 तक विद्युत पारेषण क्षेत्र हेतु अपेक्षित निधियों के बारे में कोई आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इन निधियों को किस तरीके से जुटाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या सरकार का विचार निजी पारेषण कंपनियों और विद्युत ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के बीच टकराव टालने हेतु विद्युत पारेषण के लिए एक स्वतंत्र सिस्टम आपरेटर स्थापित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा इस संबंध में क्या रणनीति तैयार की गयी है?

**विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे):** (क) और (ख) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (के.वि.प्रा.) ने 11वीं योजना अवधि (2007-12) के दौरान देश में पारेषण स्कीमों के कार्यान्वयन हेतु लगभग 1,40,000 करोड़ रुपये की निधि आवश्यकता का अनुमान लगाया है। इसमें क्षेत्रीय और राष्ट्रीय ग्रिड पारेषण स्कीमों के लिए लगभग 75,000 करोड़ रुपये और राज्य क्षेत्र की पारेषण स्कीमों के लिए लगभग 65000 करोड़ रुपये की आवश्यकता शामिल है। क्षेत्रीय और राष्ट्रीय ग्रिड की पारेषण स्कीमों का कार्यान्वयन पावरग्रिड कारपोरेशन और इंडिया लि. (पीजीसीआईएल) द्वारा और निजी भागीदारों के जरिए किया जायेगा। पावरग्रिड निधियों को बहुपक्षीय वित्तपोषक एजेंसियों (यथा विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक इत्यादि) से ऋण, घरेलू बांडों/ऋणों, आंतरिक संसाधनों इत्यादि से जुटाने का प्रस्ताव रखता है। निधियों को निजी क्षेत्र से निवेश के जरिए जुटाए जाने की भी परिकल्पना की गई है।

(ग) और (घ) विद्युत अधिनियम, 2003 के अनुसार राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र (एनएलडीसी) और क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्रों (आरएलडीसी) का प्रचालन सरकारी कंपनी या किसी भी केन्द्रीय अधिनियम द्वारा या उसके अंतर्गत गठित या स्थापित किसी प्राधिकरण या निगम जैसा भी केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए, द्वारा किया जायेगा। अधिनियम में यह भी प्रावधान किया गया है कि जब तक केन्द्रीय सरकार द्वारा उस प्रकार की कोई सरकारी कंपनी या प्राधिकरण या निगम अधिसूचित नहीं किया जाता, तब तक केन्द्रीय पारेषण यूटीलिटी (सीटीयू) आरएलडीसी का प्रचालन करेगी। चूंकि आरएलडीसी के प्रचालन हेतु केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई अन्य सरकारी कंपनी या प्राधिकरण या निगम अधिसूचित नहीं किया गया है इसलिए सीटीयू के रूप में पीजीसीआईएल फिलहाल आरएलडीसी का प्रचालन कर रहा है।

*[हिन्दी]*

**नियमों/दिशानिर्देशों पर विदेशी बैंकों द्वारा आपत्ति**

1619. **डा. राजेश मिश्रा:**
**श्री अवतार सिंह भडाना:**
**श्री जे.एम. आरून रशीद:**
**श्री सज्जन कुमार:**

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या किसी विदेशी बैंक ने भारत में अपना कारोबार करने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बनाए गए किन्हीं नियमों/दिशानिर्देशों पर आपत्ति उठायी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल):** (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

**डीडीए द्वारा मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों का पुनर्वास**

1620. **श्री रामदास आठवले:** क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण (डी.डी.ए.) दिल्ली के स्लम बस्तियों के हजारों वासियों का समयबद्ध तरीके से पुनर्वास करने पर विचार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस कार्य योजना पर अनुमानित कितनी धनराशि खर्च होने की संभावना है;

(ग) क्या डी.डी.ए. ने इस प्रयोजनार्थ भूमि आबंटित कर दी हैं/आवंटित करने पर विचार कर रहा है;

(घ) यदि नहीं, तो विलंब के क्या कारण हैं;

(ङ) क्या डी.डी.ए. ने पिछले तीन वर्षों के दौरान दिल्ली में कतिपय मलिन बस्तियों का पुनर्वास किया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनके पुनर्वास पर वर्षवार कितनी धनराशि खर्च की गई है?

**शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री अजय माकन ):** (क) से (घ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा अपनायी जा रही नीति के अनुसार दिल्ली में स्लम/झुग्गीवासियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर बसाने का कार्य मुख्यतया दिल्ली नगर निगम के स्लम एवं झुग्गी-झोंपड़ी विंग द्वारा किया जाता है। जब कभी किसी सरकारी परियोजना के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण को अपनी भूमि की आवश्यकता होती है तो दिल्ली विकास प्राधिकरण इस नीति के अनुसार अपनी भूमि पर से स्लम/झुग्गीवासियों को हटाकर दूसरे स्थान पर बसाता रहा है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने स्लमवासियों के पुनर्वास के लिए बहुमंजिले मकानों के निर्माण हेतु तेहखंड में निजी क्षेत्र की भागीदारी से एक प्रायोगिक परियोजना भी शुरू की है।

(ङ) और (च) डीडीए ने बताया है कि उन्होंने यमुना नदी के तट, मयूर बिहार, मंडावली, पीतमपुरा, विकासपुरी इत्यादि स्थानों से स्लमों को हटा दिया है। बेदखल हुए पात्र स्लमवासियों को बवाना में प्लॉट दिये गए हैं। बावना में 161.27 करोड़ रुपये की लागत से भूमि अधिग्रहीत की गयी है तथा पुनर्वास के लिए अवस्थापना के विकास हेतु वर्ष 2005-06 तथा 2006-07 के दौरान 4.77 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय किया गया है।

*[अनुवाद]*

**ग्रामीण विकास योजनाओं को पुनर्गठित करना**

**1621. श्री सुव्रत बोस:**
**श्री रनेन बर्मन:**

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने सभी ग्रामीण विकास योजनाओं का विलय करके उन्हें पुनर्गठित करने/आमूलचूल रूप से परिवर्तित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार को इस संबंध में कतिपय राज्यों से कोई अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसी योजनाओं के नाम क्या हैं;

(घ) क्या इस संबंध में कोई नए दिशानिर्देश जारी किये गये हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) इन योजनाओं में कब तक आमूलचूल परिवर्तन किया जाएगा, और

(छ) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है ताकि विभिन्न कार्यक्रमों/योजनाओं हेतु राज्यों को आवंटित धनराशि उनके द्वारा उसी प्रयोजन हेतु खर्च की जाए जिस प्रयोजन हेतु उन्हें आवंटित किया गया है?

**ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्रीमती सूर्यकांता पाटील ):** (क) से (च) इस मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं की समय-समय पर समीक्षा की जाती है और प्रभाव मूल्यांकन अध्ययनों, अन्य विभागों के सुझावों और जन प्रतिनिधियों के निष्कर्षों के आधार पर इसमें सुधार/पुनर्गठित किया जाता है। योजना आयोग द्वारा दिये गये सुझावों के आधार पर ग्रामीण विकास मंत्रालय ने शून्य आधारित बजट प्रक्रिया आरंभ की थी जिसके पश्चात राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना (एनएफबीएस), राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (एनओएपीएस) और अन्नपूर्णा योजना राज्य सरकारों को अंतरित कर दी गई थी। सितम्बर, 2001 से सुनिश्चित रोजगार योजना (ईएएस) और जवाहर ग्राम समृद्धि योजना (जेजीएसवाई) को एकल मजदूरी रोजगार योजना अर्थात सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एसजीआरवाई) में पुनर्गठित कर दिया गया था।

मंत्रालय को किसी कार्यक्रम के पुनर्गठन के लिए राज्य सरकारों से कोई विशेष अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, 2 फरवरी, 2006 से राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन गारंटी अधिनियम देश के 200 चुनिंदा जिलों में लागू किया गया है जिसमें वे 150 जिले शामिल हैं जहां काम के बदले अनाज का राष्ट्रीय कार्यक्रम चलाया जा रहा था किन्तु अब उसे बंद कर दिया गया है। सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के मजदूरी रोजगार कार्यक्रम को भी इन 200 जिलों में राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन गारंटी अधिनियम में मिला दिया गया है तथा अगले 4 वर्षों में राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन गारंटी अधिनियम में मिला दिया गया है तथा अगले 4 वर्षों में राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन गारंटी अधिनियम को देश के सभी जिलों में लागू करने का प्रस्ताव है। राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन गारंटी अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश पहले ही जारी कर दिए गए हैं।

(छ) उपलब्ध निधियों का ज्यादा से ज्यादा उपयोग सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कार्यक्रम दिशानिर्देशों के अनुसार योजनाओं के कार्यान्वयन का अनुपालन, कार्यों की गुणवत्ता तथा ऑन-लाइन सिस्टम के जरिए ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की मासिक प्रगति रिपोर्ट की निगरानी हेतु आवधिक प्रगति रिपोर्टों, समीक्षा समिति की बैठकों का कार्य-निष्पादन, क्षेत्र अधिकारियों की

योजना, संसद सदस्यों, राष्ट्र स्तरीय निगरानीकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी वाली राज्य/जिला स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति के माध्यम से निधियों के उपयोग सहित कार्यक्रमों की निगरानी और मूल्यांकन की एक व्यापक बहुस्तरीय और बहु-साधन प्रणाली बनाई है। राज्य सरकारों को पांच आयामी कार्यनीति अपनाने की भी सलाह दी गई है जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं-(1) योजनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करना, (2) पारदर्शिता, (3) जनभागीदारी (4) जवाबदेही-ग्राम सभा के माध्यम से सामाजिक लेखा-परीक्षा और (5) सभी योजनाओं की कड़ी सतर्कता और निगरानी।

**राष्ट्रीय चिकित्सा बीमा योजनाएं**

1622. **श्रीमती जयाप्रदा:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय चिकित्सा बीमा योजना शुरू होने वाली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक शुरू किये जाने की संभावना है?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल):** (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

**सह-उत्पादन परियोजनाएं स्थापित करना**

1623. **श्री इकबाल अहमद सरडगी:** क्या **नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार बायोमास और औद्योगिक अपशिष्ट पर आधारित सह-उत्पादन परियोजनाएं स्थापित करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई परियोजना तैयार की गई है;

(ग) क्या सरकार का विचार देश में ऐसी परियोजनाएं स्थापित करने को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार):** (क) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा खोई, अन्य बायोमास और औद्योगिक अपशिष्टों पर आधारित सह-उत्पादन परियोजनाओं की स्थापना को बढ़ावा देने के लिए बायोमास ऊर्जा एवं सह-उत्पादन और औद्योगिक तथा वाणिज्यिक अपशिष्टों एवं बहिस्रावों से ऊर्जा प्राप्ति/विद्युत उत्पादन संबंधी कार्यक्रमों का कार्यान्वयन किया जा रहा है।

(ख) मंत्रालय के विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत अब तक देश में 570 मेगावाट की समग्र क्षमता वाली 70 खोई आधारित सह-उत्पादन परियोजनाएं; 11.5 मेगावाट की समग्र क्षमता की अन्य बायोमास पर आधारित तीन सह-उत्पादन परियोजनाएं स्थापित की गई हैं।

(ग) और (घ) खोई सहउत्पादन परियोजनाओं के लिए 1% से 6% के बीच की ब्याज सब्सिडी के रूप में केन्द्रीय वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती हैं, जबकि अन्य बायोमास पर आधारित सह-उत्पादन परियोजनाओं और औद्योगिक अपशिष्ट से उर्जा परियोजनाओं के लिए 20 लाख से 80 लाख रु. के बीच की पूंजीगत सब्सिडी उपलब्ध कराई जाती है जो परियोजना के प्रकार पर निर्भर करती है।

**करनाली जल-विद्युत परियोजना**

1624. **श्री सुग्रीव सिंह:**
**श्री किसनभाई वी. पटेल:**

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय जल विद्युत निगम (एनएचपीसी) का विचार अपर करनाली हाइड्रोइलेक्ट्रिक विद्युत परियोजना स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) परियोजना की अनुमानित लागत और विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है; और

(घ) इसे कब तक स्थापित किये जाने की संभावना है?

**विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे):** (क) और (ख) नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन ने नेपाल में अपर करनाली जल विद्युत परियोजना को विकसित करने में रुचि दिखाई है, बशर्ते कि परियोजना को वाणिज्यिक रूप से व्यावहारिक पाया जाए और परियोजना के कार्यान्वयन के लिए स्थितियां अनुकूल हों। नेपाल सरकार द्वारा नेपाल में अपर करनाली एचईपी समेत अन्य जल विद्युत परियोजनाओं के विकास के लिए विभिन्न विकल्पों पर विचार किये जाने की सूचना मिली है।

(ग) विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार किया जाना शेष है, अत: अनुमानित लागत तथा विद्युत उत्पादन क्षमता अभी निर्धारित नहीं किए गये हैं।

(घ) चूंकि नेपाल सरकार ने अभी तक परियोजना कार्यान्वयन का काम किसी भी विकासकर्त्ता को नहीं सौंपा है, अत: इस समय इसे स्थापित किए जाने का संभावित समय बताना संभव नहीं है।

**नरसिम्हन समिति**

1625. **श्री एस.के. खारवेलथन:**
**श्री ई.जी. सुगावनम:**

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नरसिम्हन समिति ने बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण संबंधी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं; और

(ग) उसकी सिफारिशों को अक्षरश: लागू करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल):** (क) और (ख) जी, हां। समिति की मुख्य सिफारिशें निवेश; अनन्य स्वास्थ्य तथा कृषि बीमा कारोबार के लिए न्यूनतम पूंजी की आवश्यकता; बीमा एजेंटों तथा बीमा सर्वेक्षकों/हानि निर्धारकों को लाइसेंस प्रदान करने की पद्धति को समाप्त करना तथा प्रशुल्क सलाहकार समिति का साधारण बीमा परिषद में परिवर्तन से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख करती हैं।

(ग) सरकार बीमा कानूनों में संशोधन करते समय समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखेगी।

*[हिन्दी]*

**नवीन एवं पुनर्उपयोगीकृत ऊर्जा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश**

1626. **प्रो. महादेवराव शिवनकर:**
**श्री एल. राजगोपाल:**
**श्री शिशुपाल पटले:**

क्या **नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार नवीन एवं पुनर्उपयोगीकृत ऊर्जा क्षेत्र में ऑटोमैटिक रूट से शतप्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस ऊर्जा क्षेत्र में अभी तक कितनी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की धनराशि प्राप्त हुई है; और

(घ) देश में कुल ऊर्जा उत्पादन में पुनर्उपयोगीकृत ऊर्जा स्रोतों का कुल कितना योगदान है?

**नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार):** (क) और (ख) मौजूदा नीति के अनुसार स्वत: पद्धति (ऑटोमैटिक रूट) के माध्यम से अपारंपरिक ऊर्जा क्षेत्र में 100 प्रतिशत तक के विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) की अनुमति है।

(ग) जनवरी, 2003 से सितम्बर, 2006 तक अपारंपरिक ऊर्जा क्षेत्र में प्राप्त एफडीआई लगभग 35 करोड़ रु. होने का अनुमान है।

(घ) दिनांक 31.10.2006 की स्थिति के अनुसार ग्रिड इंटरएक्टिव अक्षय विद्युत संस्थापित क्षमता समग्र रूप से 9013 मेगावाट थी जो बिजली मिश्रण में 2 प्रतिशत से अधिक हिस्से के साथ कुल विद्युत संस्थापित क्षमता के लगभग 7 प्रतिशत के तदनुरूप है। इसके अतिरिक्त अनेक ऑफ-ग्रिड अनुप्रयोगों, मुख्यतया 3.8 मिलियन बायोगैस संयंत्रों, 1 मिलियन सौर घरेलू रोशनी प्रणालियों, और गरम जल प्रणालियों हेतु 1.5 मिलियन मी. सौर संग्राहक क्षेत्र की संस्थापना की गई है।

*[अनुवाद]*

**सरकारी क्षेत्र के बैंकों को स्वायत्तता**

1627. **श्री अधीर चौधरी:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के सरकारी क्षेत्र के कुछ बैंकों ने सरकार से वेतन तथा अन्य लाभों के संबंध में स्वायत्ता प्रदान किये जाने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल):** (क) सरकार को सरकारी क्षेत्र के किसी भी बैंक से अब तक ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं प्राप्त हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

## अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष

**1628. श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सिंगापुर में हाल ही में हुई अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) की बैठक में सरकार द्वारा किसी सहायता या छूट की मांग की गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) आईएमएफ की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल):** (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

*[हिन्दी]*

## जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम)

**1629. श्री बापू हरी चौरे:**
**श्रीमती भावना पुंडलिकराव गवली:**

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के अंतर्गत मुंबई, पुणे, नासिक और महाराष्ट्र के अन्य शहरों में सड़कों के विकास हेतु कोई प्रस्ताव या कोई योजना सरकार को भेजी है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ऐसे कार्य करने के लिए राज्य सरकार को विशेष आर्थिक पैकेज या राशि प्रदान करती है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन):** (क) और (ख) जी, हां। महाराष्ट्र सरकार ने जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीकरण मिशन के तहत महाराष्ट्र के मुंबई, पुणे, नासिक एवं अन्य शहरों में "शहरी परिवहन क्षेत्र" के तहत सड़कों के विकास के लिए 21 परियोजनायें तथा 9 अन्य परियोजनायें भेजी हैं। अभी तक इन परियोजनाओं में से 5 परियोजनायें अनुमोदित की गयी हैं। शेष 25 परियोजनाओं में से 11 परियोजनायें चल रही परियोजनाएं होने एवं कार्यक्षेत्र के बाहर होने के आधार पर तकनीकी रूप से अस्वीकृत कर दी गयी हैं। 10 परियोजनायें संशोधन के लिए वापस भेजी गई हैं तथा 4 अन्य परियोजनाओं का मूल्यांकन एजेंसी द्वारा मूल्यांकन किया जा रहा है।

(ग) और (घ) जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) एक मांग आधारित कार्यक्रम है जिसके तहत जेएएनयूआरएम में उल्लिखित मानदंडों, नामत: नगर विकास योजना (सीडीपी) तैयार करना, चुनिंदा शहरों में पहचान किये गये प्राथमिक क्षेत्रों के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करना एवं प्रस्तुत करना तथा भारत सरकार, राज्य सरकार एवं संबंधित शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी/कार्यान्वयन एजेंसियां) के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन में उल्लिखित सुधार के लक्ष्यों की प्राप्ति को पूरा करने के आधार पर अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता स्वीकृत की जाती है।

## बैंकों द्वारा प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ित व्यक्तियों को सहायता

**1630. श्री ब्रजेश पाठक:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ित व्यक्तियों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता के संबंध में क्या दिशानिर्देश जारी किये गये हैं;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान प्रभावित राज्यों के कितने व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई;

(ग) क्या प्रभावित राज्यों के बैंकों/वित्तीय संस्थाओं को प्रभावित व्यक्तियों को और सहायता प्रदान करने हेतु कोई नए अनुदेश जारी किये गये हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल):** (क), (ग) और (घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने 10 जुलाई, 2006 के अपने परिपत्र आरपीसीडी सं. पीएलएफएस, बीसी, 10/05.04.02/ 2005-06 द्वारा, प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में बैंकों द्वारा किये जाने वाले राहत उपायों के संबंध में व्यापक दिशानिर्देश जारी किये हैं, जिनमें विद्यमान ऋणकर्ताओं और अन्य पात्र ऋणकर्ताओं के लिए सुविधाएं और राहत शामिल हैं। राहत के दायरे और मात्रा

को, आरबीआई के 9 अगस्त, 2006 के परिपत्र द्वारा और बढ़ा दिया गया है। राहत उपायों में, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित शामिल हैं:

(क) फसल ऋणों और कृषि मीयादी ऋणों के संबंध में बकाया मूलधन और साथ ही, उन पर उपचित ब्याज, का मीयादी ऋणों में परिवर्तन;

(ख) फसलों के नष्ट होने/फसलों को हुई क्षति की मात्रा के आधार पर, 3 से 10 वर्ष की अवधियों के लिए ऋणों और उन पर उपचित ब्याज का परिवर्तन/पुनर्निर्धारण;

(ग) प्रभावित किसानों के लिए नए फसल ऋण;

(घ) परिवर्तित/पुनर्निर्धारित कृषि ऋणों को "चालू देयता" मानना;

(ङ) परिवर्तित/पुनर्निर्धारित, आदि ऋणों के संबंध में ब्याज को चक्रवर्ती आधार पर न लगाना;

(च) प्रतिभूति एवं मार्जिन संबंधी मानदण्डों को शिथिल करना;

(छ) उन किसानों, जिनकी फसल क्षतिग्रस्त हुई है, हेतु उपभोग ऋणों का प्रावधान; और

(ज) पुनर्व्यवस्था करते समय, न्यूनतम एक वर्ष की अधिस्थगन अवधि।

इसके अलावा, भिन्न-भिन्न मामलों के आधार पर, ऋणकर्ताओं के लिए समुचित किसी तरीके से, प्रभावित स्व-सहायता समूहों को ऋण देने एवं अन्य मानदण्डों, और साथ ही, खुदरा एवं उपभोक्ता ऋण सेक्टर में ऋणों की पुनर्व्यवस्था, में ढील देने के संबंध में बैंकों को कुछ विवेकाधिकार दिये गये हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के 4 सितम्बर 2006 के परिपत्र आरपीसीडी पीएलएफएस. सं. बीसी.21/05.05.02/2006-07 के द्वारा राहत उपायों का दायरा और बढ़ाया गया था और पूर्ववर्ती परिपत्रों के प्रावधान सभी प्रभावित पुनर्व्यवस्थित ऋण खातों, जिनमें कृषि के अलावा उद्योग एवं व्यापार के खाते भी शामिल हैं, पर लागू किये गये थे। यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि प्राकृतिक आपदा की तारीख से तीन माह के अंदर पुनर्व्यवस्था पूरी कर ली जाती है, तो ऐसे पुनर्व्यवस्थित खातों का आस्ति वर्गीकरण, प्राकृतिक आपदा की तारीख से आगे भी जारी रहेगा।

(ख) सूचना उपलब्ध नहीं है।

*[अनुवाद]*

## त्रिपुरा में विद्युत परियोजना

**1631. श्री बसुदेव आचार्य:** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार त्रिपुरा में 740 मेगावाट की एक विद्युत परियोजना स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक स्थापित किये जाने की संभावना है?

**विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे):** (क) और (ख) त्रिपुरा में 740 मेगावाट विद्युत संयंत्र की स्थापना भारत सरकार के उपक्रम द्वारा नहीं की जा रही है। तथापि, त्रिपुरा सरकार और ओएनजीसी के साथ संयुक्त उद्यम से एक निजी विकासकर्त्ता, मै. आईएल एंड एफएस त्रिपुरा के पल्लाताना में 740 मेगावाट, गैस आधारित विद्युत परियोजना की आयोजना बना रहा है। यह सूचित किया गया है कि ओएनजीसी-त्रिपुरा पावर कंपनी प्रा.लि. नाम से एक स्पेशल पर्पज व्हीकल (एसपीवी) की स्थापना की गई है, जिसके तहत् कंपनी में त्रिपुरा सरकार, ओएनजीसी और आईएल एंड एफएस की इक्विटी धारिता क्रमश: 24%, 26% और 50% है। जैसाकि विकासकर्त्ता द्वारा सूचित किया गया है, परियोजना की लागत लगभग 2100 करोड़ रुपये है जिसमें ऋण 1470 करोड़ रुपये और इक्विटी 630 करोड़ रुपये है।

(ग) विकासकर्त्ता ने सूचित किया है कि परियोजना को जून, 2009 तक चालू कर दिए जाने की प्रत्याशा है।

## बहुराष्ट्रीय भेषज कंपनियों की लागत लेखा-परीक्षा

**1632. डॉ. मुनव्वर हसन:** क्या **कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत में कितनी बहुराष्ट्रीय भेषज कंपनियां अपनी शत-प्रतिशत अनुषंगी कंपनियों के माध्यम से काम कर रही हैं;

(ख) क्या ये सभी कंपनियां लागत लेखा-परीक्षा की समीक्षा के अध्यधीन हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार उन्हें लागत लेखा-परीक्षा समीक्षा के अंतर्गत लाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**कम्पनी कार्य मंत्री (श्री प्रेमचंद गुप्ता):** (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

**विद्युत परियोजनाओं के संबंध में निवेश की उच्चतम सीमा**

1633. **श्री रघुनाथ झा:** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संयुक्त उद्यमों में विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने के लिए सरकारी क्षेत्र एककों पर लागू वर्तमान 1000 करोड़ रुपये के निवेश की उच्चतम सीमा को समाप्त किए जाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे):** (क) और (ख) बृहद् आकार की विद्युत परियोजनाओं के विकास द्वारा किफायती तरीके से सस्ती विद्युत को प्राप्त किये जाने की वास्तविकता को पहचानते हुए विद्युत मंत्रालय, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) तथा पावर फाइनेंस कारपोरेशन द्वारा देश में कुछ बृहद् विद्युत परियोजनाओं के विकास के लिए मिलकर कार्य किया जा रहा है। इन परियोजनाओं का आकार वृहद् होने के फलस्वरूप यह क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय आधार पर विद्युत के पारेषण के माध्यम से अनेक राज्यों की विद्युत आवश्यकताओं को पूरा कर सकेंगी। एनटीपीसी लि. ने अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाओं हेतु लगाई जाने वाली बोली में भाग लेना सुगम बनाने के लिए इन परियोजनाओं के आकार के अनुरूप इक्विटी निवेश की सीमा को बढ़ाए जाने हेतु एनटीपीसी लि. के बोर्ड को विशेष शक्तियां प्रदान किये जाने का अनुरोध किया है। वर्तमान में नवरत्न कंपनियों को दी गई शक्तियों के अनुसार एनटीपीसी लि. एकल संयुक्त उद्यम परियोजना/पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी में 1000 करोड़ रुपये तक निवेश कर सकती है। यद्यपि, एनटीपीसी लि. ने संयुक्त उद्यम परियोजना/पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी में 1000 करोड़ रुपये की सीमा से अधिक के निवेश करने का प्रस्ताव दिया है।

अत: एनटीपीसी लिमिटेड के अनुरोध पर विशेष मामले के रूप में विद्युत मंत्रालय ने आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति से इस आशय का अनुमोदन मांगा कि अति विशाल परियोजनाओं की बोली में भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से वित्तीय संयुक्त उद्यम और भारत अथवा विदेश में पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियां स्थापित करने (अधिकतम 2 परियोजनाओं के कार्यान्वयन की शर्त के साथ) हेतु एनटीपीसी लिमिटेड द्वारा इक्विटी निवेश के लिए 1000 करोड़ रुपये की सीलिंग हटाई जाए। हालांकि, एक परियोजना में एनटीपीसी के कुल मूल्य की 15% सीलिंग तथा एनटीपीसी की ऐसी सभी परियोजनाओं में एनटीपीसी के कुल मूल्य की समग्र रूप से 30% सीलिंग लागू रहेगी। आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति ने 2 नवंबर, 2006 को आयोजित अपनी बैठक में इस प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है।

**स्व-सहायता समूहों को ऋण**

1634. **श्री वाडिगा रामकृष्णा:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत वर्ष और चालू वर्ष के दौरान आंध्र प्रदेश राज्य में स्व-सहायता समूहों को ऋण देने हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) चालू वित्त वर्ष के दौरान राज्य में स्व-सहायता समूहों को कितनी राशि आवंटित की गई; और

(ग) इस संबंध में नाबार्ड राज्य को क्या प्रोत्साहनात्मक समर्थन दे रहा है?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल):** (क) 2005-06 के दौरान आंध्र प्रदेश राज्य को, 50000 नए स्व-सहायता समूहों (एसएचजी) को बैंक ऋण से संबद्ध करने का लक्ष्य दिया गया था जिनके मुकाबले में 94311 नए एसएचजी ऋण-संबद्ध किये गये थे। इसके अलावा, इस राज्य के लिए, वर्ष 2006-07 में, बैंकों द्वारा 50000 नए एसएचजी को ऋण संबद्ध करने का लक्ष्य दिया गया है।

(ख) आंध्र प्रदेश में एसएचजी को संभावित बैंक ऋण उपलब्धता (विद्यमान एसएचजी को पुनर्वित्त सहित), 2005-06 के दौरान 1599.42 करोड़ रुपये के मुकाबले, 2006-07 के दौरान 2247 करोड़ प्राक्कलित किया गया है।

(ग) आंध्र प्रदेश राज्य में नाबार्ड द्वारा दिया गया प्रोत्साहनात्मक समर्थन निम्नानुसार है:

(1) सभी पणधारकों को क्षमता वर्धन सहायता;

(2) संस्थाओं को प्रोत्साहित करने वाली एसएचजी को अनुदान सहायता;

(3) सर्वोत्कृष्ट प्रथाओं, आदि का दस्तावेजीकरण और प्रसारण; और

(4) बैंकों को पुनर्वित्त।

**विश्वविद्यालयों के विकास हेतु धनराशि का आवंटन**

1635. **श्री जी. करुणाकर रेड्डी:** क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जैव प्रौद्योगिकी द्वारा कर्नाटक में विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और गैर-सरकारी संगठनों में अनुसंधान और विकास हेतु राशि आवंटित की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) विभाग द्वारा इस प्रयोजनार्थ स्वीकृत की गई राशि और परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है?

**विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल):** (क) और (ख) जी हां। विभाग कर्नाटक में विश्वविद्यालयों, संस्थानों, कॉलेजों और गैर-सरकारी संगठनों को अनुसंधान और विकास परियोजनाओं के लिए निधि आवंटित कर रहा है। वर्ष 2003 से सहायता प्राप्त परियोजनाओं का ब्यौरा इस प्रकार है: विश्वविद्यालयों के लिए-37; संस्थानों के लिए-89; कॉलेजों के लिए-10; गैर-सरकारी संगठनों के लिए-11

(ग) विभाग ने वर्ष 2003 से 147 परियोजनाओं के लिए लगभग 8854 लाख रुपयों की मंजूरी प्रदान की है। ये परियोजनाएं मुख्यत: चिकित्सा जैवप्रौद्योगिकी में स्टेम कोशिका, टीका और नैदानिकी, रोग, मानव आनुवंशिकी और जीनोम विश्लेषण; कृषि जैवप्रौद्योगिकी; पशु जैवप्रौद्योगिकी; पर्यावरणीय जैवप्रौद्योगिकी; पादप जैवप्रौद्योगिकी; जलकृषि और समुद्री जैवप्रौद्योगिकी; जैव संसाधन विकास; खाद्य जैवप्रौद्योगिकी; जैवकीटनाशक; औषधीय और सुगंधीय पादपों तथा महिला और ग्रामीण विकास के क्षेत्रों की हैं।

*[हिन्दी]*

**शहरी गरीबों के लिए आवासीय इकाइयों का निर्माण**

**1636. श्री रामदास आठवले:** क्या आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2005-06 के दौरान राज्य-वार शहरी गरीबों के लिए कितनी आवासीय इकाइयों का निर्माण और आवंटन किया गया;

(ख) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान आवासीय इकाइयों के आवंटन हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ग) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान शहरी गरीबों के लिए राज्यवार कुल कितनी आवासीय इकाइयों का निर्माण किया जा रहा है;

(घ) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान इसके लिए कितनी धनराशि का निर्धारण किया गया है; और

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान शहरी गरीबों को राज्य-वार आवंटित आवासीय इकाइयों का ब्यौरा क्या है?

**आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी शैलजा):** (क) से (ङ) वाल्मिकी अम्बेडकर आवास योजना (वाम्बे) के अंतर्गत, शहरी गरीब व्यक्तियों को आवंटित करने के लिए निर्माण हेतु कुल 80772 रिहायशी इकाईयां (डीयू) शामिल की गई हैं। राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

वाम्बे को 3.12.2005 को जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के तहत शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवाओं (बीएसयूपी) के साथ समेकित आवास और स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी) में शामिल किया गया है। बीएसयूपी 63 शहरों में कार्यान्वित किया जाता है; अन्य सभी कस्बों/शहरों में आईएचएसडीपी कार्यान्वित किया जाता है। चालू वर्ष के दौरान, बीएसयूपी तथा आईएचएसीपी के अंतर्गत 1,20,000 रिहायशी इकाईयों का निर्माण किये जाने का प्रस्ताव है। बीएसयूपी और आईएचएसडीपी दोनों मांग-आधारित स्कीमें हैं। तदनुसार, राज्य-वार कोई लक्ष्य नियत नहीं किये गये हैं। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान बीएसयूपी के अंतर्गत 1000 करोड़ रुपये तथा आईएचएसडीपी के अंतर्गत 500 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान वाम्बे के अंतर्गत शहरी गरीब व्यक्तियों के लिए निर्माण और आवंटन हेतु शामिल रिहायशी इकाईयों का राज्य-वार ब्यौरा अनुलग्नक में दिया गया है।

***विवरण***

*वाल्मिकी अम्बेडकर आवास योजना (वाम्बे)*

| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम | वर्ष 2003-04 | | वर्ष 2003-04 | | वर्ष 2003-04 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | जारी भारत सरकार सब्सिडी के लिए शामिल रिहायशी इकाइयों की सं. | जारी भारत सरकार सब्सिडी के लिए शामिल शौचालय सीटों की सं. | जारी भारत सरकार सब्सिडी के लिए शामिल रिहायशी इकाइयों की सं. | जारी भारत सरकार सब्सिडी के लिए शामिल शौचालय सीटों की सं. | जारी भारत सरकार सब्सिडी के लिए शामिल रिहायशी इकाइयों की सं. | जारी भारत सरकार सब्सिडी के लिए शामिल शौचालय सीटों की सं. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 27523 | 0 | 16148 | 0 | 30618 | 0 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 0 | 0 | 80 | 0 | 1213 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | असम | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | बिहार | 50 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
| 5. | छत्तीसगढ़ | 1850 | 0 | 0 | 0 | 4582 | 1039 |
| 6. | गोवा | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | गुजरात | 0 | 0 | 250 | 2006 | 508 | 0 |
| 8. | हरियाणा | 3263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | हिमाचल प्रदेश | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | जम्मू-कश्मीर | 442 | 0 | 210 | 85 | 180 | 191 |
| 11. | झारखंड | 0 | 0 | 3504 | 90 | 3482 | 0 |
| 12. | कर्नाटक | 14978 | 3090 | 0 | 2030 | 7992 | 0 |
| 13. | केरल | 6926 | 0 | 1000 | 0 | 6683 | 0 |
| 14. | मध्य प्रदेश | 1024 | 0 | 1500 | 80 | 200 | 0 |
| 15. | महाराष्ट्र | 22700 | 0 | 40915 | 21394 | 7761 | 190 |
| 16. | मणिपुर | 853 | 0 | 0 | 0 | 393 | 0 |
| 17. | मेघालय | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | मिजोरम | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | नागालैंड | 766 | 0 | 0 | 31 | 505 | 0 |
| 20. | उड़ीसा | 232 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | पंजाब | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | राजस्थान | 200 | 0 | 2700 | 0 | 67 | 0 |
| 23. | सिक्किम | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | तमिलनाडु | 14684 | 0 | 34519 | 9050 | 24546 | 0 |
| 25. | त्रिपुरा | 976 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 |
| 26. | उत्तरांचल | 1098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | उत्तर प्रदेश | 8462 | 0 | 8835 | 155 | 0 | 0 |
| 28. | पश्चिम बंगाल | 685 | 0 | 1782 | 165 | 809 | 0 |
| 29. | अंडमान निकोबार द्वीप समूह | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | चंडीगढ़ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31. | दादर नगर हवेली | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | दमन एवं दीव | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | दिल्ली | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. | पुडुचेरी | 408 | 0 | 618 | 0 | 0 | 0 |
| | कुल | 107120 | 3090 | 112143 | 35086 | 89772 | 1420 |

*[अनुवाद]*

**परिवर्तनीयता रिपोर्ट की सिफारिशें**

**1637. श्री इकबाल अहमद सरडगी:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या परिवर्तनीयता रिपोर्ट ने भारतीय स्टॉक बाजार में विदेशी वैयक्तिक निवेश के साथ सेबी-पंजीकृत कंपनियों के माध्यम से विदेशी कारपोरेट निवेश के अलावा सरकारी ऋण में निवेश हेतु विदेशी संस्थागत निवेश में वृद्धि 750 डालर तक बाह्य वाणिज्यिक ऋण हेतु स्वत: स्वीकृति और स्वत: स्वीकृति प्रणाली के माध्यम से 1 बिलियन डालर तक समग्र सीमा में वृद्धि की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो अन्य प्रमुख सिफारिशें क्या हैं;

(ग) सरकार द्वारा स्वीकार की गयी सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) उन्हें क्रियान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल):** (क) जी, हां।

(ख) समिति की अन्य प्रमुख सिफारिशें इस प्रकार हैं:

(1) समिति ने पूंजी खाते में रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता के संबंध में आगे बढ़ने हेतु एक विस्तृत रूपरेखा की सिफारिश की है जिसके अंतर्गत अगले पांच वर्षों में तीन चरणों में विशिष्ट उपाय किए जाएंगे।

(2) पूंजी अंतर्प्रवाहों को प्रोत्साहित करने हेतु विभिन्न वित्तीय बाजारों, कॉरपोरेट बॉण्ड बाजार, सरकारी प्रतिभूति बाजार, विदेशी मुद्रा बाजार और स्वर्ण बाजार के विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए नीतिगत पहल की जानी चाहिए।

(3) सभी वाणिज्यिक बैंकों को एकल बैंकिंग विनियमावली के अधीन किया जाना चाहिए। सभी बैंकों को कंपनी अधिनियम के अंतर्गत निगमित किया जाना चाहिए। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सरकार की न्यूनतम शेयरधारिता को घटाकर 33 प्रतिशत किया जाना चाहिए।

(4) भारतीय रिजर्व बैंक के पास न्यूट्रल रीयर (आरईईआर) केचार्रों और +-5.0 प्रतिशत का मॉनिटरिंग विनिमय दर समूह होना चाहिए।

(ग) और (घ) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उठाये जा रहे कदम निम्नानुसार है:

(1) बैंक की वार्षिक नीति की मध्यावधि समीक्षा के भाग के रूप में, भारतीय रिजर्व बैंक ने चालू खाता और पूंजी खाता लेन-देनों में और उदारीकरण लाने की दिशा में कई उपायों की घोषणा की है।

(2) नीतिगत मुद्दों की जांच-पड़ताल करने और सिफारिशों पर विश्लेषण प्रदान करने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एक कार्यदल का गठन किया गया है।

(3) भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्तमान विनियमों की पुन: जांच करने और पहले से जारी उदारीकरण के मार्ग में परिचालनात्मक रुकावटों को दूर करने हेतु एक आंतरिक कार्य दल का गठन किया है। जब कभी यह कार्य दल अपनी सिफारिशें सतत् आधार पर प्रस्तुत करता है, उन्हें भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कार्यान्वयन हेतु अपनाया जा रहा है।

**काली सूची में दर्ज गैर-सरकारी संगठनों के विरुद्ध जांच**

1638. **श्री सुग्रीव सिंह:**
**श्री किसनभाई वी. पटेल:**

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आयकर विभाग ने काली सूची में दर्ज गैर-सरकारी संगठनों के विरुद्ध जांच शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और जांच के निष्कर्ष क्या रहे;

(ग) दोषी पाए गए संगठनों के विरुद्ध केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) देश में गैर-सरकारी संगठनों द्वारा धोखाधड़ी की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए है?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम ):** (क) से (ग) आयकर विभाग गैर-सरकारी संगठनों का केन्द्रीय डाटा बेस नहीं रखता है। तथापि, गैर-सरकारी संगठनों के द्वारा आयकर उल्लंघनों के मामले विभाग की जानकारी में आते रहते हैं एवं ऐसे मामलों के संबंध में कानून के अंतर्गत उचित कार्रवाई की जाती है। इस प्रयोजनार्थ, आयकर विभाग आयकर विवरणियों की संवीक्षा करता है, विवरणी दायर न करने वालों को नोटिसें भेजता है एवं उचित मामलों में तलाशियां एवं सर्वेक्षण करता है।

(घ) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 11 के अंतर्गत छूट चाहने वाले संगठनों से आयकर अधिनियम की धारा 12कक के अंतर्गत पंजीकरण कारना, अपने खातों की लेखा परीक्षा करवाना, अपनी आयकर विवरणियां दायर करना, एवं अधिनियम के उपबंधों के अनुसार अपनी निधियों का प्रयोग करना अपेक्षित है। जब कभी भी कानून के उपबंधों का उल्लंघन सामने आता है, तब उचित कानूनी कार्रवाई की जाती है।

*[हिन्दी]*

**द्वारका में हाऊसिंग सोसाइटीज**

1639. **प्रो. महादेवराव शिवनकर:** क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या द्वारका में दि.वि.प्रा. द्वारा आवंटित भूमि पर बने विभिन्न सोसाइटीज के आवासीय इकाइयों के आवंटन का ड्रा निकाला गया है;

(ख) यदि हां, तो अब तक कितनी सोसाइटीज के आवासीय इकाइयों के आवंटन का ड्रा किया जा चुका है;

(ग) क्या हाउसिंग सोसाइटीज के सदस्यों द्वारा सभी अर्हता मानदण्डों को पूरा करने के बावजूद कुछ हाऊसिंग सोसाइटीज का अब तक ड्रा नहीं निकाला गया है। इसके अलावा, इनमें से अधिकतर सोसायटियों ने दिल्ली को-आपरेटिव सोसायटीज नियम, 1973 के नियम 24 (2) का उल्लंघन करके सदस्य बनाए हैं। दिल्ली को-आपरेटिव सोसायटीज नियम, 1973 के नियम 24(2) का उल्लंघन करके सोसायटियों द्वारा सदस्य बनाए जाने का मामला सीडब्ल्यूपी सं. 19967/2004 में न्यायाधीन है, जिसमें दिल्ली उच्च न्यायालय ने सीबीआई/अपराध शाखा तथा रजिस्ट्रार ऑफ को-आपरेटिव सोसायटीज को ऐसे आरोपों की जांच करने का निदेश दिया है। इन मामलों में कोई समय-सीमा तय नहीं की जा सकती क्योंकि मामला न्यायाधीन है।

*[अनुवाद]*

**केनरा बैंक में घोटाला**

1640. **श्री अधीर चौधरी:**
**श्री उदय सिंह:**
**श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:**
**श्रीमती निवेदिता माने:**
**श्री कीर्ति वर्धन सिंह:**

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को केनरा बैंक में ऋण घोटाले की जानकारी है जैसाकि 8 नवम्बर, 2006 के ''द टाइम्स ऑफ इंडिया'' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सतर्कता जांच से पता चला है कि बैंक के कुछ कर्मचारियों ने जाली कंपनियों की मिलीभगत से कई करोड़ रुपए की ऋण राशि उठा ली है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है और भविष्य में ऐसे घोटाले को रोकने के लिए आगे और क्या कार्रवाई की गई है?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री पवन कुमार बंसल ):** (क) और (ख) जी, हां। दिनांक 8.11.2006 के टाइम्स ऑफ

इंडिया समाचार पत्र में एक समाचार छपा था जो केनरा बैंक में ऋण घोटाले से संबधित था। भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि अगस्त, 2006 के दौरान केनरा बैंक की चांदनी चौक शाखा ने सर्किल कार्यालय को "विशेष निगरानी श्रेणी" दिल्ली के अंतर्गत वर्ष 2003-04 के दौरान मंजूर कई नकदी ऋण खातों की सूचना दी। खाते की जांच से शाखा के ऋण पोर्टपोलियो में गंभीर अनियमितताओं का पता चला।

(ग) और (घ) यह सूचित किया गया है कि वर्ष 2001-06 के दौरान मुख्य प्रबंधक द्वारा मंजूर 103.71 करोड़ रुपये के बकाया वाले 231 खातों में से 35.94 करोड़ रुपए की राशि वाले 63 खाते अनुप्रयोज्य आस्ति खातों में बदल गए थे। इन 231 खातों में प्रतिभूति का अनुमानित निवल वसूली योग्य मूल्य 60.11 करोड़ रुपए था जिसमें निवल घाटा 43.60 करोड़ रुपए था। यह पाया गया है कि "अपने ग्राहक को जाने" मानदंड को नहीं अपनाए जाने के कारण बड़े पैमाने पर अनियमितताएं हुई हैं। जांच रिपोर्ट से शाखाकर्मियों की दलालों और पार्टियों से मिलीभगत का पता चला है।

(ङ) जिन कर्मचारियों पर इसमें शामिल होने का संदेह था, उन्हें निलंबित करके अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की गई है। बैंक ने सीबीआई, बीएमएफसी, नई दिल्ली में शिकायत दर्ज कराई है। चूक करने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई के संबंध में स्थापित प्रक्रिया है और बैंक ने उस प्रक्रिया के अनुसार उपयुक्त कार्रवाई की है। अपने पर्यवेक्षी उत्तरदायित्व के एक भाग के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों को सामान्य धोखाधड़ी की संभावना वाले क्षेत्रों और बैंकों में धोखाधड़ियों की घटनाओं को रोकने/कम करने के लिए उनके द्वारा उठाए जाने वाले कदमों के बारे में समय-समय पर सलाह देता रहता है।

*[हिन्दी]*

**विज्ञान और प्रौद्योगिकी में आपसी सहयोग**

**1641. श्री राजेश पाठक:** क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और ईरान ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आपसी सहयोग हेतु एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो मुख्य विशेषताओं सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल):** (क) और (ख) जी, हां। भारत गणराज्य की सरकार और ईरान की इस्लामी गणराज्य की सरकार के बीच विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में सहयोग पर नई दिल्ली में 25 जनवरी, 2003 को एक अन्तर-सरकारी करार पर हस्ताक्षर किए गए।

इस करार की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

1. पारस्परिक सहयोग के क्षेत्रों का निर्धारण करने तथा नियमित आधार पर सहयोग के कार्यक्रम तैयार करने के लिए संयुक्त समिति की स्थापना।

2. विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित संगठनों, उद्यमों और संस्थानों के बीच सहायक करार संपन्न करना।

3. परस्पर सहमति के अनुसार सहयोग के विकास के क्षेत्रों में से कुछ इस प्रकार हैं: (1) सूचना और संचार प्रौद्योगिकी; (2) जैव प्रौद्योगिकी; (3) भेषज अनुसंधान; (4) खाद्य प्रौद्योगिकी।

4. इस करार में अन्य बातों के अलावा विशेषज्ञों के दौरे तथा आदान प्रादन, वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकीय कार्यशालाओं के आयोजन, संयुक्त परियोजनाओं के कार्यान्वयन, प्रशिक्षण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अवसंरचना से संबंधित अनुभवों के आदान-प्रदान, महिला उद्यमवृत्ति और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी के माध्यम से सहयोग का प्रावधान किया गया है।

5. इस करार के कार्यान्वयन का दायित्व भारत गणराज्य की सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय और ईरान की इस्लामी गणराज्य की सरकार के विज्ञान, अनुसंधान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय को सौंपा गया है।

*[अनुवाद]*

**वैज्ञानिकों के लिए अनुसंधान के अवसर**

**1642. श्री मनोरंजन भक्त:** क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार भारत में अपना अनुसंधान कार्य कर रहे वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकीविदों को और अधिक अनुसंधान अवसर प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान इस उद्देश्य हेतु कितनी धनराशि निर्धारित की गई है?

**विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल):** (क) और (ख) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी), जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी), पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (एमईएस), वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर), परमाणु ऊर्जा विभाग (डीएई), अन्तरिक्ष विभाग (डीओएस), रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ) आदि जैसी भारत सरकार की प्राय: सभी विज्ञान निधिकरण एजेंसियां और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू जी सी) तथा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) जैसे संगठनों के पास देश में कार्यरत वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकीविदों को अनुसंधान के अवसर मुहैया कराने के लिए बड़ी संख्या में स्कीमें हैं। अलग-अलग अनुसंधानकर्त्ताओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए बड़ी संख्या में स्कीमें, प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों के लिए रामानुजन अध्येतावृत्तियां, जे.सी. बोस अध्येतावृत्तियां, श्यामाप्रसाद मुखर्जी अध्येतावृत्तियां, के.एस. कृष्णन अध्येतावृत्तियां जैसी प्रतिष्ठित अध्येतावृत्तियां, उन्नत अनुसंधान सुविधाएं और उत्कृष्टता के केन्द्र स्थापित करने, सेमिनारों/विचार-गोष्ठियां आयोजित करने, अनुसंधान में लगे विद्यार्थियों को प्रशिक्षण देने, उद्योग के साथ अनुप्रयुक्त और प्रौद्योगिकी-संबधी परियोजनाओं को आरंभ करने, विदेशों में ऐसी ही संस्थाओं के साथ संयुक्त अनुसंधान परियोजनाओं को आरंभ करने जैसी अनेक स्कीमें हैं। ऐसे कार्यक्रमों में गतिशीलता रही है और देश में कार्यरत वैज्ञानिकों की अपेक्षाओं के अनुसार इनमें परिवर्तन भी होते रहते हैं। विभिन्न एजेंसियों के ऐसे कार्यक्रमों और बजटीय आबंटनों के बारे में सूचना उनकी वैव साइटों में उपलब्ध है। डीएसटी, डीबीटी और सीएसआईआर के वैव साइटों का पता क्रमश: www.dst.gov.in, www.dbtindia.gov.in., www.csir.res.in है। भारत सरकार की अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) निधिकरण की स्कीमों के बारे में सूचना डीएसटी के "केन्द्र सरकार के विभागों/एजेंसियों के अनुसंधान और विकास हेतु निधिकरण स्कीमों पर सामान्य सूचना" नामक प्रकाशन में दी गयी है।

(ग) 2006-07 के लिए भारत सरकार का विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्रक बजट 7524 करोड़ रुपये है।

**केतन पारेख संबंधी गंभीर धोखाधड़ी अन्वेषण कार्यालय की रिपोर्ट**

**1643. श्री मुनव्वर हसन:** क्या **कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गंभीर धोखाधड़ी अन्वेषण कार्यालय (एसएफआईओ) ने केतन पारेख मामले संबंधी अपनी रिपोर्ट सौंप दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है और एसएफआईओ की सिफारिशें क्या हैं; और

(ग) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है?

**कम्पनी कार्य मंत्री (श्री प्रेमचंद गुप्ता):** (क) जी, हां। गंभीर धोखाधड़ी जांच पड़ताल (एसएफआईओ) कार्यालय ने माह अक्तूबर, 2006 के दौरान केतन पारेख ग्रुप की 16 कंपनियों की जांच रिपोर्टें सौंपी हैं। विचाराधीन 16 कंपनियों की सूची संलग्न विवरण में हैं।

(ख) और (ग) एसएफआईओ ने अपनी जांच रिपोर्टों में उपर्युक्त कंपनियों तथा उनके दोषी कार्यालयों के विरुद्ध कानून का उल्लंघन करने, जिसमें कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत प्रावधान का उल्लंघन करने, भारतीय दंड संहिता के तहत किये गये अपराध तथा संबद्ध नियामक प्राधिकरणों द्वारा की गई कार्रवाई भी शामिल है, के कारण कार्रवाई करने की सिफारिश की है। एसएफआईओ द्वारा की गई सिफारिशें उपयुक्त कार्रवाई के लिए जांचाधीन है।

***विवरण***

*एसएफआईओ द्वारा जांची गई केतन पारेख ग्रुप की 16 कंपनियों की सूची*

| क्र.सं. | कंपनी का नाम |
|---|---|
| 1. | ट्रायम्फ इंटरनेशनल फाइनेंस इंडिया लिमिटेड |
| 2. | एनएच सिक्युरिटीज लिमिटेड |
| 3. | केएनपी सिक्युरिटीज प्रा. लिमिटेड |
| 4. | वीएन पारेख सिक्युरिटीज प्रा. लिमिटेड |
| 5. | पैन्थर फिनकैप एंड मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड |
| 6. | पैन्थर इन्वेस्ट्रेड लिमिटेड |
| 7. | पैन्थर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स लिमिटेड |
| 8. | सायमंगल इन्वेस्ट्रेड लिमिटेड |
| 9. | क्लासिक क्रेडिट लिमिटेड |
| 10. | क्लासिक शेयर्स एंड स्टॉक ब्रोकिंग सर्विसेज लिमिटेड |
| 11. | ल्युमिनेन्ट इन्वेस्ट्रेड प्रा. लिमिटेड |
| 12. | गोल्डफिश कम्प्युटर्स प्रा. लिमिटेड |
| 13. | ट्रायम्फ सिक्युरिटीज प्रा. लिमिटेड |
| 14. | नक्षत्र सॉफ्टवेयर प्रा. लिमिटेड |
| 15. | चित्रकूट कम्प्युटर्स प्रा. लिमिटेड |
| 16. | मनमंदिर एस्टेट डेवलपमेन्ट प्रा. लिमिटेड |

**एनएचपीसी द्वारा ताप विद्युत परियोजनाओं की स्थापना**

**1644. श्री बृज किशोर त्रिपाठी:** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय जल विद्युत निगम (एनएचपीसी) का विचार ताप विद्युत संयत्रों की भी स्थापना करके अपनी विद्युत उत्पादन क्षमता बढ़ाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसे संयंत्रों से एनएचपीसी द्वारा अनुमानत: कितना विद्युत उत्पादन किये जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या निबंधन व शर्तें निर्धारित की गयी हैं?

**विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे):** (क) नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन (एनएचपीसी) द्वारा वर्तमान में अपनी विद्युत उत्पादन क्षमता में वृद्धि के लिए ताप विद्युत संयंत्रों की स्थापना का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

**सचल भूकम्प और चेतावनी प्रणाली**

**1645. श्री सुग्रीव सिंह:**
**श्री ए.के. मूर्ति:**

क्या **पृथ्वी विज्ञान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में एक नयी सचल भूकम्प और सूनामी चेतावनी प्रणाली विकसित की गयी है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने ऐसी प्रौद्योगिकी के विकास हेतु धनराशि उपलब्ध करायी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश में किन-किन क्षेत्रों में नयी प्रौद्योगिकी का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया गया है?

**विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल):** (क) से (ङ) सरकार, हिन्द महासागर में सुनामी और तूफान महोर्मियों के लिए पूर्व चेतावनी प्रणाली स्थापित कर रही है। इस प्रणाली के सितंबर 2007 तक चालू होने की संभावना है। प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड (टीडीबी), विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने प्राकृतिक आपदा सूचना प्रणाली (एनडीआईएस) के विकास के लिए एक प्रायोगिक परियोजना हेतु मै. जेनेवा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी लिमिटेड बंगलौर नामक कंपनी को वित्तीय सहायता प्रदान की है। यह प्रणाली चेतावनी का संदेश प्राप्त होने पर किसी भी आपदा के बारे में जनता को उनकी स्थानीय भाषा में, टेक्स्ट/वॉइस मोड में मोबाइल फोन/टेलीफोन पर तथा वायरलेस के जरिए वॉइस मोड में भी सूचना प्रदान करती है।

प्रायोगिक परियोजना विकसित की जा चुकी है और इसका सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया गया है। प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन आगे की उपयुक्त कार्रवाई के लिए गृह मंत्रालय तथा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के समक्ष किया गया है।

*[हिन्दी]*

**कृषि व लघु उद्योग क्षेत्रों को ऋण**

**1646. प्रो. महादेवराव शिवनकर:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू वर्ष की पहली छमाही के अंत तक कृषि व लघु उद्योग क्षेत्रों को बैंकों द्वारा कितना प्रतिशत ऋण प्रदान किया गया है;

(ख) क्या चालू वर्ष की प्रथम छमाही में ऐसे क्षेत्रों को दी जाने वाली ऋण राशि में बढ़ोत्तरी हुई है;

(ग) क्या सरकार का जिलों में 40% से कम के ऋण जमा अनुपात वाले बैंकों को दिशा-निर्देश जारी करने तथा ऋण जमा अनुपात को बढ़ाने पर विचार करने का प्रस्ताव है/सरकार ने ऐसा विचार किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या न्यून ऋण जमा अनुपात वाले जिलों की पहचान की गई है; और

(च) ऋण जमा अनुपात को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाये जा रहे हैं?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल):** (क) और (ख) विभिन्न बैंक समूहों द्वारा कृषि और लघु उद्योगों को दिए गए कुल अग्रिम निम्नांकित हैं:

(राशि करोड़ रुपए में)

| समूह | कुल कृषि अग्रिम | | | कुल लघु उद्योग अग्रिम | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | मार्च 2006 | सितम्बर 2006 | % वृद्धि | मार्च 2006 | सितम्बर 2006 | % वृद्धि |
| सरकारी क्षेत्र के बैंक | 154900 | 174106 | 10.40 | 82492 | 86473 | 4.83 |
| गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंक | 36185 | 32233 | -10.92 | 10447 | 10953 | 4.85 |
| विदेशी बैंक | 39 | 113 | 187 | 8446 | 7355 | -13 |
| सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक | 191124 | 206451 | 8 | 101385 | 104782 | 3 |

(ग), (घ) और (च) जी, हां। सरकार ने विभिन्न राज्यों में निम्न सीडी अनुपात की समस्या की प्रकृति और परिमाण की जांच करने तथा इन समस्याओं से निपटने के लिए उपाय सुझाने हेतु एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया था। तदनुसार ही, इस समूह की सिफारिशों पर भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों के संयोजक राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति को 40% से कम सीडी अनुपात वाले जिलों में विशेष उप समिति (एसएससी) गठित करने का अनुदेश जारी किया था ताकि चरणबद्ध तरीके से 60% से सीडी अनुपात को प्राप्त करने के लिए निगरानी योग्य कार्य योजनाएं तैयार की जाएं।

(ङ) जी, नहीं।

*[अनुवाद]*

**आंध्र प्रदेश को नाबार्ड सहायता**

**1647. श्री बाडिगा रामकृष्णा:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) इन्दिराम्मा आवास योजना के लिए आंध्र प्रदेश को 990 करोड़ रुपये उपलब्ध कराने पर सहमत हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल):** (क) और (ख) नाबार्ड को इस संबंध में ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

**बैंकों के लॉकरों से चोरी**

**1648. श्री अधीर चौधरी:**
**श्री उदय सिंह:**

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत छह मास के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों के लॉकरों से चोरी की घटनाएं सरकार के ध्यान में आई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बैंक अधिकारियों के साथ कथित मिलीभगत करके धोखेबाज व्यक्ति ऐसे बैंक लॉकरों से चोरी कर रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे मामलों में जिम्मेदारी तय करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल):** (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि सरकारी क्षेत्र के किसी भी बैंक ने गत छ: महीने के दौरान लॉकर चोरी की किसी घटना की सूचना नहीं दी है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

**जल व स्वच्छता संबंधी यू.एन.डी.पी. की रिपोर्ट**

**1649. श्री मनोरंजन भक्त:** क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने जल व स्वच्छता संबधी यू.एन.डी.पी. की रिपोर्ट प्राप्त की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विशेष उपाय करने की आवश्यकता है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है?

**ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू):** (क) जी, हां।

(ख) इस रिपोर्ट में की गई कुछ मुख्य टिप्पणियां इस प्रकार हैं:

* वैश्विक जल संकट विद्युत, निर्धनता और असमानता में निहित है, न कि इसकी वास्तविक उपलब्धता की कमी है।

* घरेलू प्रयोजनों, कृषि और उद्योग-धंधों के लिए आवश्यकता से अधिक जल है। समस्या यह है कि कुछ लोग मुख्य रूप से निर्धनों को व्यवस्थित रूप से बहिष्कृत कर दिया गया है।

* यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन कम से कम 20 लीटर स्वच्छ जल उपलब्ध हो जोकि मानव के पेयजल अधिकार को पूरा करने की न्यूनतम आवश्यकता है।

* जल और स्वच्छता तक 'पहुंच न होना' हानि के एक प्रकार के लिए एक प्रियोक्ति है जो जीवन के लिए संकट है, अवसरों को तहस-नहस कर देता है और मानव की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाता है।

* जल और स्वच्छता संक्रामक रोगों को दूर करने की दृष्टि से सरकार के पास उपलब्ध सर्वाधिक निरोधात्मक उपायों में से हैं।

* लगभग तीन में से दो लोगों के पास स्वच्छ जल की कमी है और 660 मिलियन लोगों से अधिक लोग बिना स्वच्छता के बसर कर रहे हैं जिनकी दैनिक आजीविका 2 डॉलर प्रतिदिन से भी कम है।

* आगामी दशक में जिस चीज की आवश्यकता है वह राष्ट्रीय रूप से अपनाई गई कार्यनीतियों के साथ शुरू होने वाला समेकित अंतर्राष्ट्रीय अभियान है किंतु इसमें वैश्विक कार्य योजना की अंतर्विष्ट हो।

* निर्धन व्यक्ति स्वच्छ जल पाते हैं और इसके लिए अधिक राशि का भुगतान करते हैं।

* नीति निर्धारण करने वाला मानदंट सार्वजनिक या निजी नहीं होना चाहिए बल्कि निर्धन के लिए निष्पादक या गैर-निष्पादक होना चाहिए।

* प्रगति राष्ट्रीय योजनाओं में हासिल किये जाने लायक लक्ष्यों पर आधारित होती है जिसकी वित्तीय प्रावधानों और समानता को दूर करने की कार्यनीतियों द्वारा मदद की जाती है।

* संस्थागत अलगाव, दुर्बल राष्ट्रीय नियोजन और खराब राजनैतिक स्थिति के मिश्रण से स्वच्छता जल से अधिक प्रभावित होती है।

* समुदाय आधारित पहले महत्वपूर्ण है, परंतु वे सरकारी कार्ययोजना का स्थान नहीं ले सकती और निर्धन परिवारों द्वारा निजी वित्तपोषण सार्वजनिक वित्त और सेवा प्रावधान का स्थान नहीं लेता है।

* नीतिगत विफलता से कमी प्रभावित हुई है-जब जल प्रबंधन की बात आती है, तब विश बेफिजूल के खर्च वाले क्रियाकलापों में उलझा हुआ होता है।

* पर्यावरणीय बदलाव वैश्विक जल असुरक्षा के स्वरूप को बदल रहा है।

* पर्यावरणीय बदलाव से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मदद ली जानी चाहिए जोकि बहुपार्श्विक फ्रेमवर्क का मुख्य आधार होगा।

* अत्यंत निर्धन, समाज के अत्यंत उपेक्षित लोगों के नतीजों का निर्धारण संस्थानों द्वारा की गई पहल के आधार पर किया जाएगा तथा इस दिशा में सरकार राष्ट्रीय नीति निर्धारित करते समय समानता का विचार रखेगी।

* जल सुधार से एक सीख यह मिली है कि-हम समानता पर और अधिक ध्यान दें। इस बात का भय है कि वैश्विक स्पर्धा संघर्ष का स्रोत बन जाएगी और भविष्य में जल संकट उत्पन्न हो जाएगा।

* वैश्विक जल प्रबंधन मानव विकास का मुद्दा है। सहयोग, संघर्ष की संभावना को कम कर सकता है और जल की गुणवत्ता सुधर सकती है, समृद्धि आ सकती है और आजीविका के साधन बढ़ सकते हैं।

* अस्वच्छ जल और खराब सफाई से विगत कुछ वर्षों में जितनी मौत हुई है उतनी किसी अन्य कारण से नहीं हुई होगी।

(ग) और (घ) सरकार निर्धारित लक्ष्यों को हासिल करने के लिए पर्याप्त उपाय कर रही है। पेयजल आपूर्ति भारत निर्माण के छह घटकों में से एक है जिसे ग्रामीण आधारभूत सुविधा निर्माण के लिए वर्ष 2005-06 से 2008-09 तक चार वर्षों में कार्यान्वित की जाने वाली योजना के रूप में माना गया है। उक्त घटक का उद्देश्य "प्रत्येक बसावट में पेयजल का स्वच्छ स्रोत" उपलब्ध कराना है। 55067 कवर न की गई, बसावटों को वर्ष 2009 तक कवर किया जाना है। इसके अलावा, सभी ऐसी बसावटों, जो

स्रोतों के खराब हो जाने के कारण पूर्णत: कवर से आंशिक रूप से कवर की गई बसावटों की श्रेणी में लौट आई हैं तथा जिन बसावटों में जल गुणवत्ता की समस्याएं हैं, को हल किया जाएगा। इस हेतु राज्यवार कार्ययोजना तैयार की गई है। रासायनिक संदूषण की समस्या को हल करने के लिए संकेन्द्रित वित्त-पोषण किया जा रहा है तथा गुणवत्ता मानकों को बनाए रखने में सामुदायिक भागीदारी को शामिल करने के उद्देश्य से जल गुणवत्ता जांच एवं निगरानी के लिए एक नया कार्यक्रम शुरू किया गया है।

संपूर्ण स्वच्छता अभियान मांग-जनित, समुदाय आधारित तथा जनकेन्द्रित योजना के रूप में चलाया जा रहा है। संपूर्ण स्वच्छता अभियान फिलहाल देश के 569 जिलों में चलाया जा रहा है जिसका उद्देश्य वर्ष 2010 तक सहस्राब्दि विकास लक्ष्य हासिल करना तथा वर्ष 2012 तक ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय उपलब्ध कराना है। निजी पारिवारिक शौचालयों की इकाई लागत को हाल ही में संशोधित किया गया है। पंचायतों में खुले में शौच से मुक्त वातावरण हासिल करने के लिए पंचायती राज संस्थाओं को प्रोत्साहित करने हेतु निर्मल ग्राम पुरस्कार शुरू किया गया है। वर्ष 2001 में कवरेज भी 22% से बढ़कर 40% हो गई है।

**लघु बीमा**

**1650. श्री बृज किशोर त्रिपाठी:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) ने लघु बीमा हेतु मानदण्डों को सरल बनाने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आईआरडीए द्वारा ब्रोकर और बीमाकर्ता हेतु कोई दिशानिर्देश अथवा आचार संहिता को अंतिम रूप दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) ऐसे दिशानिर्देशों/आचार संहिता द्वारा उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा किस प्रकार किये जाने की संभावना है?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल):** (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं। आईआरडीए ने सूचित किया है कि लघु बीमा के लिए अलग से कोई दिशा-निर्देश या आचरण संहिता निर्धारित नहीं की गई है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

**लघु बीमा**

**1650. श्री बृज किशोर त्रिपाठी:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बीमा विनियामक और विकास प्रधिकरण (आईआरडीए) ने लघु बीमा हेतु मानदंडों को सरल बनाने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आईआरडीए द्वारा ब्रोकर और बीमाकर्ता हेतु कोई दिशानिर्देश अथवा आचार संहिता को अंतिम रूप दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) ऐसे दिशानिर्देशों/आचार संहिता द्वारा उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा किस प्रकार किए जाने की संभावना है?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल):** (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं। आईआरडीए ने सूचित किया है कि लघु बीमा के लिए अलग से कोई दिशा-निर्देश या आचार संहिता निर्धारित नहीं की गई है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

**गैर-योजनागत व्यय में बढ़ोत्तरी**

**1651. श्री उदय सिंह:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न मंत्रालयों/विभागों का गैर-योजनागत व्यय दिनानुदिन बढ़ता जा रहा है और इसका अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और तथ्य क्या हैं; और

(ग) सरकार द्वारा मंत्रालयों/विभागों के गैर-योजनागत व्यय को रोकने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल):** (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार के गैर-योजनागत व्यय में रुझानों

के बजट 2006-07 के लिए "व्यय बजट खण्ड 1" शीर्षक के दस्तावेज के अनुबंध-3 में देखा जा सकता है, जो बजट दस्तावेजों के सेट का एक हिस्सा है। यह देखा गया है कि गैर-योजनागत व्यय में ब्याज अदायगी, रक्षा व्यय, सब्सिडी, पुलिस, पेंशन, राज्यों को अनुदान (वित्त आयोग के अवार्ड के अंतर्गत) आदि के कारण बहुत अधिक मात्रा में वृद्धि हुई है। अर्थव्यवस्था पर सरकारी व्यय के विभिन्न प्रकारों का प्रभाव विभिन्न प्रकार के परिवर्तनों पर निर्भर करता है और इसलिए इसका निर्धारण करना मुश्किल है। रक्षा और आंतरिक सुरक्षा तथा ऋण सेवा संबंधी दायित्वों को पूरा करने को शामिल करते हुए राज्य के मूलभूत प्रकार्यों को पूरा करने के लिए सरकार के पास गैर-योजनागत व्यय का होना आवश्यक है। क्रमिक योजना अवधियों के दौरान सृजित सब्सिडी, पेंशन और परिसंपत्तियों का रख-रखाव गैर-योजना व्यय के अन्य महत्वपूर्ण घटकों में शामिल हैं।

(ग) ऋण सेवा, बाह्य और आंतरिक सुरक्षा; जरूरतमंदों को सब्सिडी; तथा वेतन एवं पेंशन की अपरिहार्य वचनबद्धताओं को पूरा करते समय गैर-योजनागत व्यय की वृद्धि को नियंत्रित करना सरकार का सतत प्रयास रहा है। इसको विकासात्मक कार्यक्रमों के लिए संसाधनों की उपलब्धता की वृद्धि को ध्यान में रख कर किया गया है। राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 के अंतर्गत यथा-अपेक्षित बजट से संबंधित आय और व्यय के रुझानों की तिमाही समीक्षा के पश्चात संसद के दोनों सदनों में वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत विवरण में समय-समय पर व्यय प्रबंधन उपायों का ब्यौरा दिया गया है।

*[हिन्दी]*

**सकल तकनीकी और वाणिज्यिक घाटा**

1652. **श्री भानुप्रताप सिंह वर्मा:**
**श्री बसुदेव आचार्य:**

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विद्युत क्षेत्र में वर्तमान सकल तकनीकी और वाणिज्यिक (एटीएंडसी) घाटा कितना है;

(ख) क्या विद्युत मंत्रालय वितरण कंपनियों के लिए श्रेणीबद्ध (एटीएंडसी) घाटा कटौती लक्ष्य प्रणाली पर विचार कर रहा है जैसाकि दिनांक 13 अक्तूबर, 2006 के "द टाइम्स ऑफ इंडिया" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस प्रणाली को कब तक शुरू किये जाने की संभावना है?

**विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे):** (क) पावर फाइनेंस कारपोरेशन द्वारा तैयार रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2004-05 में राष्ट्रीय स्तर पर राज्य विद्युत वितरण यूटिलिटियों की कुल तकनीकी एवं वाणिज्यिक (एटी एंड सी) हानियां 33.82% थी।

(ख) से (घ) विद्युत मंत्रालय द्वारा श्री पी. अब्राहम, पूर्व सचिव (विद्युत), भारत सरकार की अध्यक्षता में गठित कृतक बल ने विद्युत यूटिलिटियों द्वारा एटी एंड सी हानियों में क्रमिक रूप से कमी करने की निम्नवत सिफारिश की है:

(1) 40% से अधिक एटी एंड सी हानियों वाली यूटिलिटियां: 4% वार्षिक कमी।

(2) 30 और 40% के बीच एटी एंड सी हानियों वाली यूटिलिटियां: 3% वार्षिक कमी।

(3) 20 और 30% के बीच एटी एंड सी हानियों वाली यूटिलिटियां: 2% वार्षिक कमी।

(4) 20% से कम एटी एंड सी हानियों वाली यूटिलिटियां: 1% वार्षिक कमी।

ये सिफारिशें 11वीं पंचवर्षीय योजना हेतु दृष्टिकोण पत्र को अंतिम रूप प्रदान करने के लिए मंत्रालय द्वारा गठित 11वीं योजना संबंधी कार्यकारी समूह के पास है।

*[अनुवाद]*

**बट्टे खाते में डाली गई गैर-निष्पादनकारी आस्तियां**

1653. **श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:**
**श्री हरिकेवल प्रसाद:**
**श्री गिरिधारी यादव:**
**श्री जी. करुणाकर रेड्डी:**

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा कुल कितनी राशि को बट्टे खाते में डाला गया;

(ख) किसानों पर कितनी राशि बकाया है और बट्टे खाते में डाली गई कुल राशि का यह कितना प्रतिशत है; और

(ग) बट्टे खाते में डाली गई 10,00,000 रुपये से अधिक की बकाया राशि वाली कंपनियों के नाम क्या हैं तथा ये कंपनियां किस क्षेत्र में कार्यरत हैं?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल):** (क) राष्ट्रीयकृत बैंकों ने वर्ष 2002-03, 2003-04, 2004-05 और 2005-06 में क्रमश: 4416 करोड़ रुपए, 6328 करोड़ रुपए, 6108 करोड़ रुपये और 5172 करोड़ रुपये की अनुप्रयोज्य आस्तियों को बट्टे खाते डाला है।

(ख) मार्च, 2006 के अंत की स्थिति के अनुसार, कृषि क्षेत्र में राष्ट्रीयकृत बैंकों की सकल अनुप्रयोज्य आस्तियां 3898.88 करोड़ रुपये की थीं। प्रतिशत की दृष्टि से यह राष्ट्रीयकृत बैंकों की सकल अनुपयोज्य आस्तियों का 13.83% था।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक की मौजूदा सूचना प्रणाली द्वारा पूछे गए अनुसार सूचना नहीं रखी जाती। तथापि, ऋण सूचना ब्यूरो (भारत) लिमिटेड 1 करोड़ रुपये के वाद दाखिल खातों और 25 लाख रुपये एवं इससे अधिक के वाद दाखिल खातों (जानबूझकर चूक करने वालों के) के संबंध में आधारभूत आंकड़े (डाटा बेस) रख रहा है, जो सीआईबीआईएल की वेबसाइट: www.cibil.com पर प्राप्त किए जा सकते हैं।

### तिरुवंतपुरम में पर्यावास केन्द्र

**1654. श्री वरकला राधाकृष्णन:** क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल में तिरुवंतपुरम में पर्यावास केन्द्र के निर्माण हेतु केरल राज्य आवास बोर्ड और हडको के बीच कोई समझौता किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसका निर्माण कब तक होने की संभावना है?

**आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा):** (क) से (ग) जी, हां। एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गये थे लेकिन केरल आवास बोर्ड की कमियों के कारण संयुक्त उद्यम करार निष्पादित नहीं किया गया है। कमियों के निवारण के पश्चात हडको आगे की कारवाई करेगा।

*[हिन्दी]*

### ग्रामीण महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम

**1655. श्रीमती भावना पुंडलिकराव गवली:**
**श्री बापू हरी चौरे:**

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष और भारत सरकार और महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश सरकार के बीच कोई "तेजस्विनी ग्रामीण महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम" नामक परियोजना पर हस्ताक्षर किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस कार्यक्रम के क्या उद्देश्य हैं; और

(ग) इस कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल):** (क) जी, हां।

(ख) अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष ऋण 39.44 मिलियन अमरीकी डालर है और इसका कार्यान्वयन महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश राज्यों में किया जाएगा।

इस कार्यक्रम का उद्देश्य निर्धन महिलाओं को इस योग्य बनाना कि वे आर्थिक सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर अपनी रुचि के अनुसार विकल्पों और अवसरों का लाभ उठा सकें ताकि वे अपने और अपने परिवारों को बेहतर बना सकें। यह कार्यक्रम भागीदारों के कौशलों, बाजार संबंधों को विकसित करते हुए, तथा मार्किट और नीति समर्थन उपलब्ध कराकर जीवनयापन के अवसरों में सुधार लाने का कार्य करेगा।

(ग) इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन प्राधिकरण महाराष्ट्र आर्थिक विकास महामंडल (एमएवीआईएम), महाराष्ट्र सरकार और महिला वित्त एवं विकास निगम (एमवीवीएन), मध्य प्रदेश सरकार हैं। भारत सरकार भी इसके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए नियमित अंतरालों पर इस कार्यक्रम की मानीटरिंग करेगी।

*[अनुवाद]*

### आय कर प्रतिदाय

**1656. श्री नवीन जिन्दल:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान आय कर प्रतिदाय में अत्यधिक विलम्ब के बढ़ते हुए मामलों की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में इस संबंध में राज्य-वार कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान प्रतिदाय में हुए विलम्ब के कारण ब्याज के रूप में कितनी धनराशि का भुगतान किया गया है?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम ):** (क) जी, हां। आयकर विभाग के व्यापक कम्प्यूटरीकरण कार्यक्रम द्वारा प्रतिदाय जारी करने की प्रक्रिया को सरल बनाए जाने के बावजूद कुछ मामलों में प्रतिदाय जारी करने में विलम्ब होता है। तथापि, प्रतिदाय में विलम्ब से संबंधित शिकायतों के निवारण हेतु विभाग ने प्रभावी तंत्र स्थापित किया है।

(ख) विलंबित प्रतिदायों का ब्यौरा केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखा जाता है तथा उनके संकलन के लिए पूरे देश में स्थित क्षेत्रीय यूनिटों से सूचना एकत्र करनी होगी जिनके लिए काफी समय एवं प्रयास की जरूरत होगी जो प्राप्त किये जाने वाले वांछित उद्देश्य के अनुरूप नहीं हो सकता।

(ग) विलम्बित प्रतिदायों पर संदत्त कुल ब्याज का ब्यौरा अलग से नहीं रखा जाता है। तथापि, गत तीन वर्षों के लिए प्रतिदाय पर कर निर्धारितियों को सदंत्त ब्याज की कुल राशि का ब्यौरा निम्नवत है:

| वित्त वर्ष | कर निर्धारितियों को संदत्त ब्याज (करोड़ रुपये में) |
|---|---|
| 2003-2004 | 4701 |
| 2004-2005 | 3865 |
| 2005-2006 | 4553 |

## उर्जा स्वतंत्रता का विकास

**1657. श्री ई.जी. सुगावनम:** क्या **नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ऊर्जा स्वतंत्रता के विकास हेतु कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री ( श्री विलास मुत्तेमवार ):** (क) से (ग) योजना आयोग द्वारा गठित एक विशेषज्ञ समिति ने एक समेकित ऊर्जा नीति तैयार की है जिसका उद्देश्य नई और अक्षय ऊर्जा सहित विभिन्न ऊर्जा आपूर्ति स्रोतों के समेकित विकास तथा संस्थापना को प्राप्त करना है। दिनांक 31.10.2006 की स्थिति के अनुसार ग्रिट-इंटरएक्टिव अक्षय विद्युत संस्थापित क्षमता 9013 मेगावाट तक पहुंच गई है और दिनांक 31.3.2007 तक इसके 10,000 मेगावाट तक पहुंच जाने की संभावना है जो विद्युत मिश्रण में 2 प्रतिशत से अधिक के हिस्से के तदनुरूप है। 11वीं योजना (2007-12) के दौरान 13500 मेगावाट के आगे और क्षमता संयोजन की परिकल्पना की गई है जिसके फलस्वरूप यह उस समय ऊर्जा मिश्रण का लगभग 5 प्रतिशत हिस्सा होगा।

## हिमनद विज्ञान संबंधी अनुसंधान केन्द्र

**1658. श्री एल. राजगोपाल:** क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हिमालय के हिमनदों के तेजी से घटने के मद्देनजर हिमनद विज्ञान संबंधी अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार का चीन और नेपाल के साथ किस प्रकार समन्वय करने का विचार है जिन पर हिमालय के हिमनदों के घटने के दुष्प्रभाव पड़ने की अधिक संभावना है;

(घ) क्या डब्ल्यूडब्ल्यूएफ द्वारा हिमालय के हिमनदों के संबंध में कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री ( श्री कपिल सिब्बल ):** (क) और (ख) जी, हां। सरकार की हिमालयी हिमनद विज्ञान में क्षेत्रीय प्रचालनों और अनुसंधान के लिए एक राष्ट्रीय केन्द्र (एन.सी.एफ.ओ.आर.-एच.जी.) की स्थापना करने की योजना है। इस राष्ट्रीय केन्द्र में एक हिमालयी क्षेत्र के साथ अनेक स्थानों पर चार क्षेत्रीय केन्द्र होंगे। प्रस्तावित केन्द्र की स्थापना करने के लिए एक विस्तृत प्रस्ताव पहले ही तैयार कर लिया गया है। हिमालयी हिमनद पर योजना आयोग द्वारा गठित उप-समिति की सिफारिशों के अनुसार निम्नलिखित सिफारिशें की गई हैं:

* इस केन्द्र को प्रारंभ में वाडिया हिमालयी भू-विज्ञान संस्थान, देहरादून (उत्तरांचल) अथवा हिम एवं हिमस्खलन अध्ययन प्रतिष्ठान (एस.ए.एस.ई.) मुख्यालय, चंडीगढ़ के साथ स्थापित किया जा सकता है।

* एन.सी.एफ.ओ.आर.-एच.जी. की स्थापना एक स्वायत्त अनुसंधान संस्थान के रूप में की जाए।

* 36 करोड़ रुपये की बजट आवश्यकता को अधिमानत: प्रमुख पणधारियों अर्थात विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, जल संसाधन मंत्रालय, पर्यावरण और वन मंत्रालय, खान मंत्रालय और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के बीच बांटा जा सकता है ताकि इस केन्द्र की स्थापना की जा सके और इसे संघीय रूप से चलाया जा सके।

* एन.सी.एफ.ओ.आर.-एच.जी. की स्थापना करने के तरीके पर अंतिम निर्णय योजना आयोग द्वारा लिया जा सकता है।

एन.सी.एफ.ओ.आर.-एच.जी. के अंतर्गत तत्काल ध्यान दिये जाने के लिए प्रस्तावित क्षेत्र इस प्रकार हैं:

* हिमनदों की निरूपक संख्या पर उच्च गुणवत्ता वाले मानकीकृत आंकड़ा संग्रह के लिए हिमनद विज्ञान संबंधी क्षेत्रीय प्रेक्षण स्टेशनों की स्थापना।

* द्रव्यमान संतुलन

* हिमनद जल विज्ञान

* अवसादी स्थानान्तरण

* हिमनद गतिकी

* पर्यावरण और जलवायु

* हिमनद जोखिम

* हिमनदीय प्रक्रियाओं का एकीकृत प्रतिरूपण

* डाटा बैंक और सूचना प्रणाली

* उत्तरी भारत के एक अग्रणी विश्वविद्यालय के साथ सहयोग से मानव शक्ति विकास

* संबंधित एजेंसियों के सहयोग से जम्मू, शिमला, देहरादून और अल्मोड़ा स्थित क्षेत्रीय केन्द्रों की स्थापना करने हेतु तैयारी संबंधी कुछ कार्य चल रहे हैं।

(ग) परराष्ट्रिक मुद्दों पर द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग की आवश्यकता होगी.

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

**दिल्ली विकास प्राधिकरण के कार्यकरण पर ढांचागत परिवर्तनों संबंधी अध्ययन**

**1659. श्री किसनभाई वी. पटेल:** क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एडमिनिस्ट्रेटिव स्टॉफ कॉलेज ऑफ इंडिया, हैदराबाद ने दिल्ली विकास प्राधिकरण के आंतरिक कार्यकरण संबंधी ढांचागत परिवर्तनों से संबंधित अध्ययन पूरा कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) रिपोर्ट के क्रियान्वयन में विलम्ब के क्या कारण हैं?

**शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन):** (क) से (घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने यह सूचित किया है कि एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया (एएससीआई), हैदराबाद ने एक प्रारूप रिपोर्ट प्रस्तुत की है जिसमें डीडीए का पुनर्संरचना और पुनर्गठन पर किए गए अध्ययन पर आधारित कुछ सिफारिशें शामिल हैं। डीडीए ने इस प्रारूप रिपोर्ट पर विचार किया जा रहा है और एएससीआई, हैदराबाद से यह अनुरोध किया गया है कि वे डीडीए के उपाध्यक्ष के साथ इस रिपोर्ट पर विचार-विमर्श करें।

*[हिन्दी]*

**यूरोप में भारतीय कंपनियों का आधिपत्य**

**1660. श्री गणेश सिंह:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यूरोप में भारतीय कंपनियों के आधिपत्य में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन भारतीय कंपनियों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने यूरोप की कंपनियों का अधिग्रहण किया है या उनमें निवेश किया है?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल):** (क) से (ग) विदेश में भारतीय प्रत्यक्ष निवेशों से संबंधित नीति के उदारीकरण के बाद से यूरोप में भारतीय निवेशों में काफी वृद्धि हुई है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, अप्रैल-2003 से सितम्बर-2006 तक पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय कंपनियों द्वारा यूरोप में किये गये निवेश इस प्रकार है:

(मिलियन अमरीकी डालर)

| वर्ष (अप्रैल-मार्च) | इक्विटी | ऋण |
|---|---|---|
| 2003-04 | 167.7362 | 31.4878 |
| 2004-05 | 169.4861 | 22.147 |
| 2005-06 | 647.6750 | 212.6661 |
| (सितंबर 2006 तक) | | |

यूरोप की कंपनियों में निवेश करने वाली कुछ प्रमुख भारतीय कंपनियों (निवेश के संदर्भ में) का ब्यौरा निम्न प्रकार से है:

(मिलियन अमरीकी डालर)

| कंपनियां | निवेश |
|---|---|
| डा. रेड्डीज लेबोरेटरीज लि. | 133.70 |
| टाटा कंसलटेंसी सर्विसेज लि. | 105.26 |
| रैनबैक्सी लेबोरेटरीज लि. | 77.80 |
| विप्रो लि. | 72.95 |
| रेमण्ड यूसीओ डेनिम प्रा.लि. | 68.25 |
| सीसीएल प्रॉडक्ट्स (इंडिया) लि. | 62.47 |
| मैट्रिक्स लेबोरेटरीज लि. | 59.48 |
| निकोलस पिरामल इंडिया लि. | 58.82 |
| वोकार्ट लि. | 34.82 |
| ग्लिनमार्क फार्मास्यूटिकल्स प्रा.लि. | 30.08 |

## कृषि आधारित आय पर कर

**1661. श्री हंसराज जी. अहीर:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने केलकर समिति की सिफारिशों के अनुसरण में कृषि पर कर लगाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस निर्णय के क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकारों के साथ चर्चा की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम):** (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) उपर्युक्त (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

## ग्रामीण बैंकों द्वारा ऋण

**1662. श्री कैलाश नाथ सिंह यादव:**
**श्री शिशुपाल पटले:**

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने चालू वर्ष के पहले छः महीनों के दौरान ग्रामीण बैंकों द्वारा स्वीकृत ऋण के संबंध में कोई आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसे बैंकों ने ग्रामीण क्षेत्रों के संदर्भ में निर्धारित लक्ष्यों का 50 प्रतिशत लक्ष्य हासिल करने का प्रबंध किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या कुछेक बैंकों द्वारा मनमाने तौर पर ब्याज दर लगाने के मामले प्रकाश में आए हैं; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं/कार्रवाई की गई है?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल):** (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

*[अनुवाद]*

**विदेशी बैंक**

**1663. श्री इकबाल अहमद सरडगी:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में विदेशी बैंकों की 100 शाखाएं खोलने पर विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने सुझाव दिया है कि इनमें से आधी शाखाएं ग्रामीण क्षेत्रों में खोली जानी चाहिएं;

(घ) यदि हां, तो क्या भारतीय रिजर्व बैंक के मानदण्डों तथा डब्ल्यूटीओ की बाध्यताओं के अनुसार विदेशी बैंक एक वर्ष में 12 शाखाएं खोल सकते हैं और दोनों के अब एक वर्ष में 20 शाखाएं खोलने की अनुमति देने का सुझाव दिया है; और

(ङ) भारत में विदेशी बैंकों के संचालन की अनुमति देने पर सरकार कहां तक सहमत है?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल):** (क) और (ख) विश्व व्यापार संगठन की सेवाओं में व्यापार के संबंध में आम सहमति पर चल रही बातचीत के अंतर्गत भारत के संशोधित प्रस्ताव के अनुसार, विदेशी बैंक शाखाओं के लिए नए लाइसेंस की संख्या बढ़ाकर 20 प्रति वर्ष करने का प्रस्ताव कर दिया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा दिनांक 28.2.2005 को जारी की गई ''भारत में विदेशी बैंकों की उपस्थिति के लिए रूपरेखा'' में नए एवं विद्यमान विदेशी बैंकों के लिए एक वर्ष में 12 शाखाओं की विद्यमान डब्ल्यूटीओ प्रतिबद्धता से हटकर शाखाओं की संख्या बढ़ाने और कम बैंक सुविधा वाले क्षेत्रों के लिए अधिक उदार नीति अपनाने का प्रस्ताव किया गया है।

**भेषज कंपनियों द्वारा शुल्क अपवंचन**

**1664. चौ. मुनव्वर हसन:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि वित्त मंत्रालय ने कुछ भेषज कंपनियों द्वारा उत्पाद तथा सीमा शुल्क अपवंचन के बारे में जांच शुरू की हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा कितनी धनराशि का अपवंचन किया गया है?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम):** (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

**अध्यक्ष महोदय:** सभा मध्याह्न बारह बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

**अपराह्न 11.38 बजे**

*तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न बारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।*

---

**मध्याह्न 12.00 बजे**

*लोक सभा मध्याह्न बारह बजे पुन: समवेत हुई।*

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन* हुए]

*[अनुवाद]*

**श्री बसुदेव आचार्य** (बांकुरा): मैंने नोटिस दिया है *...(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री राजेश वर्मा** (सीतापुर): अध्यक्ष महोदय, यह हमारे देश का बहुत गंभीर मामला है। इससे बड़ी और कोई घटना नहीं हो सकती है ´

**अध्यक्ष महोदय:** राजेश जी, पेपर्स ले करने के बाद हम आपको बुलायेंगे।

*...(व्यवधान)*

**श्री राजेश वर्मा:** आपने दो बार समय दिया, लेकिन हमारी बात सुनी नहीं जा रही है। *...(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय:** कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

**अध्यक्ष महोदय:** आप अनावश्यक ही सभा के कार्य-संचालन में बाधा पैदा कर रहे हैं। मैं अध्यक्ष के रूप में पहले ही इस घटना की निंदा कर चुका हूं। मैं सभा के प्रत्येक पक्ष को अपने विचार व्यक्त करने का अवसर देना चाहता हूं। ऐसा लगता है कि आप डा. अम्बेडकर का सम्मान नहीं कर रहे हैं।

*...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** सभा अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

**अपराह्न 12.02 बजे**

*तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।*

---

**अपराह्न 2.00 बजे**

*लोक सभा अपराह्न 2.00 बजे पुन: समवेत हुई।*

**[श्रीमती कृष्णा तीरथ *पीठासीन* हुई]**

*...(व्यवधान)*

**अपराह्न 2.0$^{1}/_{2}$ बजे**

*(इस समय श्री अशोक कुमार रावत और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभापटल के निकट खड़े हो गए)*

*[हिन्दी]*

**सभापति महोदया:** पाठक जी, मैं आपकी भावनाओं को समझती हूं। पहले पेपर्स ले करने दीजिए। आपको पेपर्स ले करने के बाद मौका मिलेगा।

*...(व्यवधान)*

**अपराह्न 2.01 बजे**

## सभा पटल पर रखे गए पत्र

*[अनुवाद]*

**विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे):** महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) नर्मदा हाइड्रोइलेक्ट्रिक डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, भोपाल के वर्ष 2005-06 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नर्मदा हाइड्रोइलेक्ट्रिक डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, भोपाल के वर्ष 2005-06 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एलटी-5093/06]

(ख) (एक) पावर ग्रिड कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2005-06 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) पावर ग्रिड कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2005-06 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एलटी-5094/06]

(ग) (एक) नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड, फरीदाबाद के वर्ष 2005-06 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड, फरीदाबाद के वर्ष 2005-06 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एलटी-5095/06]

(घ) (एक) नार्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शिलांग के वर्ष 2005-06 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नार्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शिलांग के वर्ष 2005-06 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एलटी-5096/06]

(ङ) (एक) एनटीपीसी, नई दिल्ली के वर्ष 2005-06 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एनटीपीसी, नई दिल्ली के वर्ष 2005-06 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एलटी-5097/06]

(2) (एक) दामोदर वैली कारपोरेशन अधिनियम, 1948 की धारा 45 की उपधारा (5) के अंतर्गत दामोदर वैली कारपोरेशन, कोलकाता के वर्ष 2004-05 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) दामोदर वैली कारपोरेशन, कोलकाता के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एलटी-5098/06]

**रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक):** महोदय मैं अपने सहयोगी श्री एस. जयपाल रेड्डी की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एलटी-5099/06]

(2) दिल्ली विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1957 की धारा 58 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) दिल्ली विकास प्राधिकरण में निदेशक (वित्त) की भर्ती विनियम, 2006 (पुनरीक्षित) जो 7 सितम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 538(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) दिल्ली विकास प्राधिकरण में उप-मुख्य लेखा अधिकारी/डिप्टी एफए(एच) की भर्ती विनियम, 2006 (पुनरीक्षित) जो 1 नवम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 685(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एलटी-5100/06]

(3) दिल्ली विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1957 के अंतर्गत 18 अगस्त, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना संख्या 485(अ) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जिसमें 8 दिसम्बर, 2005 की अधिसूचना संख्या 502 का शुद्धिपत्र दिया गया है।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एलटी-5101/06]

(4) दिल्ली अर्बन आर्ट कमीशन, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एलटी-5102/06]

(5) दिल्ली विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1957 के अंतर्गत 29 अगस्त, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 509(अ) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जिसमें 22 अक्तूबर, 1999 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 706(अ) का शुद्धिपत्र दिया गया है।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एलटी-5103/06]

(6) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एलटी-5104/06]

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल):** महोदय, मैं अपने सहयोगी श्री पी. चिदम्बरम की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) आयकर (नौवां संशोधन) नियम, 2006 जो 10 अगस्त, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 1287(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) स्रोत पर कटौती किए गए कर की विवरणी की इलेक्ट्रोनिक फाइलिंग (संशोधन) स्कीम, 2006 जो 11 अगस्त, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 1300(अ) में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) स्रोत पर संग्रहित किये गये कर की विवरणी की इलेक्ट्रोनिक फाइलिंग (संशोधन) स्कीम, 2006 जो 11 अगस्त, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 1301(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) आयकर (दसवां संशोधन) नियम, 2006 जो 14 सितम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 1532(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) का.आ. 1661(अ) जो 3 अक्तूबर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 28 जून, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 741(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छः) आयकर (बारहवां संशोधन) नियम, 2006 जो 30 अक्तूबर, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 1300(अ) में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एलटी-5105/06]

**विधि और न्याय मंत्री ( श्री हंसराज भारद्वाज ):** महोदय, मैं नोटरी अधिनियम, 1952 की धारा 15 की उपधारा (3) के अंतर्गत नोटरी (दूसरा संशोधन) नियम, 2006 जो 24 अगस्त, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 501(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एलटी-5106/06]



**रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री विजय हान्डिक ):** महोदय, मैं अपने सहयोगी श्री प्रेमचन्द गुप्ता की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की धारा 30ख के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-

(एक)) चार्टर्ड अकाउंटेंट (परिषद का निर्वाचन) नियम, 2006 जो 5 सितम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 534(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) चार्टर्ड अकाउंटेंट (परिषद में सदस्यों का नामनिर्देशन) नियम, 2006 जो 19 अगस्त, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 490(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) चार्टर्ड अकाउंटेंट (संशोधन) विनियम, 2006 जो 13 सितम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 1-सीए(7)/92/2006 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एलटी-5107/06]

(2) लागत और संकर्म लेखापाल अधिनियम, 1959 की धारा 39 की उपधारा (5) के अंतर्गत लागत और संकर्म लेखापाल (परिषद में सदस्यों का नामनिर्देशन) नियम, 2006 जो 19 अगस्त, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 488(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एलटी-5108/06]

(3) कंपनी सचिव अधिनियम, 1980 की धारा 39 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) कंपनी सचिव (परिषद में सदस्यों का नामनिर्देशन) नियम, 2006 जो 19 अगस्त, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 489(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) कंपनी सचिव (परिषद का निर्वाचन) नियम, 2006 जो 5 सितम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 533(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एलटी-5109/06]

(4) कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति–

(एक) सा.का.नि. 525(अ) जो 31 अगस्त, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनमें 8 मार्च, 2006 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 148(अ) का शुद्धिपत्र दिया गया है (केवल हिन्दी संस्करण में)।

(दो) सा.का.नि. 526(अ) जो 31 अगस्त, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनमें 8 मार्च, 2006 की अधिसूचना संख्या का.आ. 147(अ) का शुद्धिपत्र दिया गया है (केवल हिन्दी संस्करण में)।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एलटी-5110/06]

(5) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 642 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) कंपनी (केन्द्रीय सरकार) सामान्य नियम और प्रपत्र (दूसरा संशोधन) नियम, 2006 जो 14 सितम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 555(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) कंपनी (दस्तावेजों की इलेक्ट्रोनिक फाइलिंग और अधिप्रमाणन) नियम, 2006 जो 14 सितम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 557(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) कंपनी (निदेशक पहचान संख्या) नियम, 2006 जो 19 अक्तूबर, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 649(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) कंपनियों द्वारा सांविधिक दस्तावेजों तथा अन्य संव्यवहार की फाइलिंग की स्कीम जो 27 अक्तूबर, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 1844(अ) में प्रकाशित हुई थी।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एलटी-5111/06]

(6) कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2006 के अंतर्गत अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 650(अ) जो 19 अक्तूबर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित क्षेत्रीय निदेशक (उत्तरी क्षेत्र) के कार्यालय में तैनात अधिकारियों को शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एलटी-5112/06]

(7) कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2006 की धारा 1 के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)–

(एक) सा.का.नि. 648(अ) जो 19 अक्तूबर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 नवम्बर, 2006 को ऐसी तारीख के रूप में नियत किया गया है जिसको कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2006 की धारा 2 और 3 के उपबंध प्रवृत्त होंगे।

(दो) का.आ. 1529(अ) जो 14 सितम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 16 सितम्बर, 2006 को ऐसी तारीख के रूप में नियत किया गया है जिसको कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2006 की धारा 4 के उपबंध प्रवृत्त होंगे।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एलटी-5113/06]

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम ):** महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 की धारा 30 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)–

(एक) उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम, 2006 जो 29 अप्रैल, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 71 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम, 2005 जो 23 मार्च, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 43 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) जयपुर थार ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम, 2006 जो 10 मार्च, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 34 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) दक्कन ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम, 2006 जो 3 अगस्त, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जीआरवी/एफ/479/2006-07 में प्रकाशित हुए थे।

(2) उपर्युक्त (1) की मद संख्या (एक से तीन) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले तीन विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एलटी-51143/06]

(3) भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 31 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों का अभिरक्षक) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2006 जो 31 अक्तूबर, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 1860(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड (केन्द्रीय सूचीयन प्राधिकारी) (संशोधन) विनियम, 2006 जो 21 अगस्त, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 1329(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड (शेयरों तथा अधिग्रहणों का महत्वपूर्ण अर्जन) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2006 जो 21 अगस्त, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 1330(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद) (संशोधन) विनियम, 2006 जो 21 अगस्त, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 1331(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड (विदेशी संस्थागत निवेशक) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2006 जो 21 अगस्त, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 1332(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(छह) का.आ. 1333(अ) जो 21 अगस्त, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें उसमें उल्लिखित तीन अधिसूचनाओं का शुद्धिपत्र दिया गया है।

(सात) भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड (जांच अधिकारी द्वारा जांच करने की प्रक्रिया तथा शास्ति अधिरोपित करना) (संशोधन) विनियम, 2006 जो 23 अगस्त, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 1348(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड (विदेशी उपक्रम पूंजी निवेशक) (संशोधन) विनियम, 2006 जो 6 सितम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 1443(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(नौ) भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड (उपक्रम पूंजी निधियां) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2006 जो 6 सितम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 1444(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दस) भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड (स्टाक ब्रोकर और सब-ब्रोकर) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2006 जो 7 सितम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 1447(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(ग्यारह) भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड (वाणिज्यिक बैंकर) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2006 जो 7 सितम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 1448(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(बारह) भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड (निम्नांकक) (संशोधन) विनियम, 2006 जो 7 सितम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 1449(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तेरह) भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड (पोर्टफोलियो प्रबंधक) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2006 जो 7 सितम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 1450(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चौदह) भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड (डिवेंचर ट्रस्टी) (संशोधन) विनियम, 2006 जो 7 सितम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 1451(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पन्द्रह) भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड (निगम तथा शेयर अंतरण अभिकर्ता के रजिस्ट्रार) (संशोधन) विनियम, 2006 जो 7 सितम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 1452(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(सोलह) भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड (निर्गम के बैंकर) (संशोधन) विनियम, 2006 जो 7 सितम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 1453(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(सत्रह) भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड (क्रेडिट रेटिंग अभिकरण) (संशोधन) विनियम, 2006 जो 7 सितम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 1454(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(अठारह) भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड (स्टॉक ब्रोकर और सब-ब्रोकर) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2006 जो 25 सितम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 1600(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(उन्नीस) भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड (ओम्बड्समैन) (संशोधन) विनियम, 2006 जो 9 नवम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 1935(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एलटी-5115/06]

(4) भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 29 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का.आ. 1455(अ) जो 7 सितम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित सात अधिसूचनाओं को 7 सितम्बर, 2006 से निरस्त किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एलटी-5116/06]

(5) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ. 1228(अ) जो 31 जुलाई, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी.शु. (एनटी) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) का.आ. 1305(अ) जो 14 अगस्त, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी.शु. (एनटी) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) का.आ. 1362(अ) जो 28 अगस्त, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयात के मूल्यांकन प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में तथा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्रा में परिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दर के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) का.आ. 1363(अ) जो 28 अगस्त, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो निर्यात के मूल्यांकन प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में तथा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्रा में परिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दर के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) का.आ. 1606(अ) जो 26 सितम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयात के मूल्यांकन प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में तथा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्रा में परिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दर के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) का.आ. 1607(अ) जो 26 सितम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो निर्यात के मूल्यांकन प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में तथा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्रा में परिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दर के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) का.आ. 1842(अ) जो 26 अक्तूबर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयात के मूल्यांकन प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में तथा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्रा में परिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दर के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) का.आ. 1843(अ) जो 26 अक्तूबर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो निर्यात के मूल्यांकन प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में तथा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्रा में परिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दर के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा.का.नि. 705(अ) जो 16 नवम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 23 जुलाई, 1996 की अधिसूचना संख्या 39/1996-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एलटी-5117/06]

(6) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ. 2850 जो 29 जुलाई, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अधीन "विवेकानंद रॉक मेमोरियल एंड विवेकानंद केन्द्र, चेन्नई" को निर्धारण वर्ष 2005-2006 से 2007-2008 तक की अवधि के लिए कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट देने के बारे में है।

(दो) का.आ. 2851 जो 29 जुलाई, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अधीन "एसोसिएशन आफ ट्राइबल वेलफेयर डेवलपमेंट, नागालैंड" को निर्धारण वर्ष 2005-2006 से 2007-2008 तक की अवधि के लिए कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट देने के बारे में है।

(तीन) का.आ. 2852 जो 29 जुलाई, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अधीन "गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गांधीनगर" को निर्धारण वर्ष 1999-2000 से 2001-2002 तक की अवधि के लिए कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट देने के बारे में है।

(चार) का.आ. 2853 जो 29 जुलाई, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अधीन "गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गांधीनगर" को निर्धारण वर्ष 2002-2003 से 2004-2005 तक की अवधि के लिए कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट देने के बारे में है।

(पांच) का.आ. 3759 जो 23 सितम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अधीन "विज्ञान और पर्यावरण केन्द्र, नई दिल्ली" को निर्धारण वर्ष 2003-2004 से 2005-2006 तक की अवधि के लिए कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट देने के बारे में है।

(छह) का.आ. 3760 जो 23 सितम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अधीन "जयतिरमठ बद्रीकाश्रम हिमालय, कोलकाता" को निर्धारण वर्ष 2005-2006 से 2007-2008 तक की अवधि के लिए कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट देने के बारे में है।



(सात) का.आ. 3761 जो 23 सितम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अधीन "सेंटर फार डेवलपमेंट एंड ह्युमन राइट्स, नई दिल्ली" को निर्धारण वर्ष 2002-2003 से 2004-2005 तक की अवधि के लिए कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट देने के बारे में है।

(आठ) का.आ. 3762 जो 23 सितम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अधीन "भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, नई दिल्ली" को निर्धारण वर्ष 2002-2003 से 2004-2005 तक की अवधि के लिए कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट देने के बारे में है।

(नौ) का.आ. 3763 जो 23 सितम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर हैंडीक्राफ्ट्स, नई दिल्ली" को निर्धारण वर्ष 2005-2006 से 2007-2008 तक की अवधि के लिए कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट देने के बारे में है।

(दस) का.आ. 3764 जो 23 सितम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "डिफेंस सिविलियन मेडिकल एंड फंड, नई दिल्ली" को निर्धारण वर्ष 1999-2000 से 2001-2002 तक की अवधि के लिए कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट देने के बारे में है।

(ग्यारह) का.आ. 3765 जो 23 सितम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अधीन "नेशनल हार्टीकल्चर बोर्ड, गुड़गांव" को निर्धारण वर्ष 2005-2006 से 2007-2008 तक की अवधि के लिए कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट देने के बारे में है।

(बारह) का.आ. 4174 जो 28 अक्तूबर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अधीन ''श्री रामकृष्ण आश्रम, पश्चिम बंगाल'' को निर्धारण वर्ष 2004-2005 से 2006-2007 तक की अवधि के लिए कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट देने के बारे में है।

(तेरह) का.आ. 4175 जो 28 अक्तूबर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अधीन ''लीशीफूंग क्रिश्चियन हॉस्पीटल एसोसिएशन, मणिपुर'' को निर्धारण वर्ष 2006-2007 से 2008-2009 तक की अवधि के लिए कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट देने के बारे में है।

(चौदह) का.आ. 4176 जो 28 अक्तूबर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अधीन ''मुख्यमंत्री राहत कोष, मुम्बई'' को निर्धारण वर्ष 2005-2006 से 2007-2008 तक की अवधि के लिए कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट देने के बारे में है।

(पन्द्रह) का.आ. 4177 जो 28 अक्तूबर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अधीन ''आर्गेनाइजेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल्स प्रोड्यूसर्स ऑफ इंडिया, मुम्बई'' को निर्धारण वर्ष 2001-2002 से 2003-2004 तक की अवधि के लिए कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट देने के बारे में है।

(सोलह) का.आ. 4178 जो 28 अक्तूबर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अधीन ''तमिलनाडु ट्रेड प्रमोशन आर्गेनाइजेशन, चेन्नई'' को निर्धारण वर्ष 2004-2005 से 2006-2007 तक की अवधि के लिए कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट देने के बारे में है।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एलटी-5118/06]

(7) तस्कर और विदेशी मुद्रा छलसाधक (सम्पत्ति समपहरण) अधिनियम, 1976 की धारा 26 की उप-धारा 3 के अंतर्गत तस्कर और विदेशी मुद्रा छलसाधक (समपहरित सम्पत्ति की प्राप्ति, प्रबंधन और निपटान) नियम, 2006 को 20 अक्तूबर, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 654(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्यां एलटी-5119/06]

(8) सिक्का निर्माण अधिनियम, 1906 की धारा 21 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) ''14 अगस्त, 2006 को ओएनजीसी का स्वर्ण जयन्ती समारोह'' के अवसर पर पचास रुपये और पांच रुपये के सिक्कों का निर्माण, जो 8 अगस्त, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 465(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) ''जगतगुरु श्री नारायण गुरुदेव'' की स्मृति में सौ रुपये और पांच रुपये के सिक्कों का निर्माण नियम, 2006 जो 24 अगस्त, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 500(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एलटी-5120/06]

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल)**: मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) (एक) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1981 की धारा 48 की उपधारा (5) के अंतर्गत राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, मुम्बई के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, मुम्बई के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एलटी-5121/06]

**अपराह्न 2.02 बजे**

## मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति

### 186वां प्रतिवेदन

*[अनुवाद]*

**डा. टोकचोम मैन्या** (आंतरिक मणिपुर): महोदय, मैं "केन्द्रीय शैक्षणिक संस्थान (प्रवेश में आरक्षण) विधेयक, 2006" के बारे में मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति का 186वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

*...(व्यवधान)*

---

**अपराह्न 2.03 बजे**

## सभा का कार्य

*[अनुवाद]*

**रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक):** महोदय, मैं आपकी अनुमति से सोमवार, 4 दिसम्बर, 2006 से आरम्भ होने वाले सप्ताह के दौरान सरकारी कार्यों की घोषणा करने के लिए खड़ा हुआ हूं:

1. आज के आदेश पत्र में से शेष बचे सरकारी कार्य का कोई मद विचारार्थ लिया जाना।
2. राज्य सभा द्वारा यथापारित भारतीय राइफल्स (निरसन) विधेयक, 2006 पर विचार करना और उसे पारित किया जाना।
3. "पंचायतों की स्थिति-एक मध्यावधि समीक्षा और आकलन" शीर्षक वाले प्रतिवेदन पर चर्चा।
4. निम्नलिखित मांगों पर चर्चा और मतदान तथा संबंधित विनियोग विधेयकों को पुर:स्थापित, उन पर विचार तथा पारित किया जाना:

   (क) अनुपूरक अनुदानों की मांगें (रेल), 2006-2007; और

   (ख) अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (रेल), 2004-2005.

5. भारतीय तार (संशोधन) अध्यादेश, 2006 (2006 का संख्यांक 3) के निरसन की अनुमति संबंधी सांविधिक संकल्प पर चर्चा तथा भारतीय तार (संशोधन) विधेयक, 2006 पर विचार तथा पारित किया जाना।
6. राज्य सभा द्वारा पारित किये जाने के पश्चात् अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय विधेयक, 2006 पर विचार और उसे पारित किया जाना।
7. डालमिया दादरी सीमेन्ट लिमिटेड (उपक्रम का अधिग्रहण और अंतरण) संशोधन विधेयक, 2006 पर विचार और उसे पारित किया जाना।

---

*...(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**सभापति महोदया:** पाठक जी, सदन आपकी बात सुनने के लिए तैयार है। मैं आपकी भावनाओं के साथ अपनी भी भावनाएं जोड़ती हूं लेकिन हाउस को चलने दीजिए।

*...(व्यवधान)*

**सभापति महोदया:** आपकी भावनाएं सभी के साथ जुड़ी हुई हैं लेकिन कृपया सदन को चलने दें।

*...(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**सभापति महोदया:** सभा अपराह्न 3.30 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

**अपराह्न 2.04 बजे**

*तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न 3.30 बजे तक के लिए स्थगित हुई।*

---

**अपराह्न 3.36 बजे**

*लोक सभा अपराह्न 3.36 बजे पुन: समवेत हुई।*

**[डा. सत्यनारायण जटिया** *पीठासीन* **हुए]**

*...(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री बृज किशोर त्रिपाठी** (पुरी): माननीय सभापति महोदय, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा तोड़े जाने के बाद पूरे हिन्दुस्तान में आन्दोलन है और सदन भी इससे दुखी है। लेकिन सरकार ने अभी तक हमारी मांग को संज्ञान में नहीं लिया। हमारी पार्टी ने इसकी सीबीआई जांच करवाने की मांग की, लेकिन उसे भी सरकार ने संज्ञान में नहीं लिया। अत: बहुजन समाज पार्टी सदन का बहिष्कार करती है। ...*(व्यवधान)*

**अपराह्न 3.36$^{1}/_{2}$ बजे**

*(इस समय श्री बृज किशोर त्रिपाठी और कुछ अन्य सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए)*

**अपराह्न 3.37 बजे**

## गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के तेईसवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

*[अनुवाद]*

**सभापति महोदय:** अब हम मद संख्या 13 लेते हैं, श्रीमती अर्चना नायक।

**श्रीमती अर्चना नायक** (केन्द्रपाड़ा): मैं प्रस्ताव करती हूं:

"कि यह सभा 29 नवम्बर 2006 को सभा में प्रस्तुत गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के 23वें प्रतिवेदन से सहमत हैं।"

**सभापति महोदय:** प्रश्न यह है:

"कि यह सभा 29 नवम्बर, 2006 को सभा में प्रस्तुत गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबधी समिति के 23वें प्रतिवेदन से सहमत हैं।"

*प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।*

---

**अपराह्न 3.39 बजे**

## राज्य सभा से संदेश तथा राज्य सभा द्वारा यथापारित विधेयक

*[अनुवाद]*

**महासचिव:** महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेश की सूचना सभा को देनी है:—

"राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 111 के उपबंधों के अनुसरण में मुझे राज्य सभा द्वारा 30 नवम्बर, 2006 को हुई अपनी बैठक में पारित किये गये भारतीय राइफल्स (निरसन) विधेयक, 2006 की एक प्रति संलग्न करने का निदेश हुआ है।"

महोदय मैं 30 नवम्बर, 2006 को राज्य सभा द्वारा यथापारित भारतीय राइफल्स (निरसन) विधेयक, 2006, को सभा पटल पर रखता हूं।

---

*[हिन्दी]*

**श्री अशोक अर्गल** (मुरैना): सभापति महोदय, सदन में कोरम नहीं है। मैं चाहता हूं कि सदन में कोरम पूरा करवाया जाए।

**सभापति महोदय:** यह पीएमबी का मामला है। क्या आप कोरम का प्रश्न उठा रहे हैं?

**श्री अशोक अर्गल:** जी, हां।

**सभापति महोदय:** ठीक है, कोरम बैल बजाई जाए।

घंटी बज रही है।

**सभापति महोदय:** ऐसा लगता है कि सभा में गणपूर्ति नहीं है, इसलिए सदन की कार्यवाही सोमवार, दिनांक 4 दिसम्बर, 2006 प्रात: 11 बजे तक पुन: समवेत् होने के लिए स्थगित की जाती है।

**अपराह्न 3.43 बजे**

*तत्पश्चात् लोक सभा सोमवार, 4 दिसम्बर, 2006/13 अग्रहायण, 1928 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।*

---

## अनुबंध I

*तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका*

| क्र.सं. | सदस्य का नाम | तारांकित प्रश्नों की संख्या |
|---|---|---|
| 1. | श्री जी. करुणाकर रेड्डी<br>श्री मंजुनाथ कुन्नुर | 142 |
| 2. | डा. एम जगन्नाथ<br>श्री बाडिगा रामकृष्णा | 143 |
| 3. | श्री जसवंत सिंह बिश्नोई | 144 |
| 4. | श्री विजय कुमार खंडेलवाल<br>श्री कृष्णा मुरारी मोघे | 145 |
| 5. | श्री के.एस. राव<br>श्री सर्वे सत्यनारायण | 146 |
| 6. | श्री बृज किशोर त्रिपाठी | 147 |
| 7. | श्री बालासोवरी वल्लभनेनी<br>श्री इकबाल अहमद सरडगी | 148 |
| 8. | श्री हेमलाल मुर्मू | 149 |
| 9. | श्री असादूद्दीन ओवेसी | 150 |
| 10. | श्री जी.वी. हर्ष कुमार<br>श्रीमती जयाप्रदा | 151 |
| 11. | श्री जसुभाई धानाभाई बारड़ | 152 |
| 12. | श्री पंकज चौधरी | 153 |
| 13. | श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील | 154 |
| 14. | डा. राजेश मिश्रा<br>श्री अवतार सिंह भड़ाना | 155 |
| 15. | श्री सुनिल कुमार महतो<br>श्री काशीराम राणा | 156 |
| 16. | प्रो. महादेवराव शिवनकर | 157 |
| 17 | श्री आनदंराव विठोबा अडसूल | 158 |
| 18. | श्रीमती निवेदिता माने<br>श्री एकनाथ महादेव गायकवाड | 159 |
| 19. | श्री नवीन जिन्दल | 160 |
| 20. | श्री बसुदेव आचार्य<br>श्री के. सुब्बारायण | 161 |

*अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका*

| क्र.सं. | सदस्य का नाम | प्रश्न संख्या |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | आरून रशीद, श्री जे.एम. | 1513, 1592, 1619 |
| 2. | आचार्य, श्री बसुदेव | 1557, 1631, 1652 |
| 3. | आदित्यनाथ, योगी | 1531 |
| 4. | अडसूल, श्री आनंदराव विठोबा | 1495, 1540, 1597 |
| 5. | अग्रवाल, डा. धीरेंद्र | 1496, 1575, 1588, 1606 |
| 6. | अहीर, श्री हंसराज जी. | 1535, 1596, 1661 |
| 7. | आठवले, श्री रामदास | 1498, 1593, 1620, 1636 |
| 8. | बर्मन, श्री हितेन | 1550 |
| 9. | बर्मन, श्री रनेन | 1559, 1621 |
| 10. | बर्क, डा. शफीकुर्रहमान | 1521 |
| 11. | बखला, श्री जोवाकिम | 1504 |
| 12. | बेल्लारमिन, श्री ए.वी. | 1517 |
| 13. | भडाना, श्री अवतार सिंह | 1513, 1592, 1619 |
| 14. | भक्त, श्री मनोरंजन | 1516, 1583, 1614, 1642, 1649 |
| 15. | भार्गव, श्री गिरधारी लाल | 1522 |
| 16. | बिश्नोई, श्री जसवंत सिंह | 1574, 1615 |
| 17. | बिश्नोई, श्री कुलदीप | 1503 |
| 18. | बोस, श्री सुब्रत | 1500, 1581, 1621 |
| 19. | चक्रवर्ती, श्री स्वदेश | 1558 |
| 20. | चालिहा, श्री किरिप | 1566 |
| 21. | चौरे, श्री बापू हरी | 1554, 1603, 1629, 1655 |
| 22. | चावड़ा, श्री हरिसिंह | 1593 |
| 23. | चिन्ता मोहन, डा. | 1520, 1543 |
| 24. | चौधरी, श्री पंकज | 1591 |
| 25. | चौधरी, श्री अधीर | 1511, 1577, 1627, 1640, 1648 |
| 26. | धोत्रे, श्री संजय | 1512 |
| 27. | दत्त, श्रीमती प्रिया | 1510 |
| 28. | गदाख, श्री तुकाराम गंगाधर | 1501 |
| 29. | गढ़वी, श्री पी.एस. | 1537, 1610 |
| 30. | गायकवाड़, श्री एकनाथ महादेव | 1520, 1598, 1640 |
| 31. | गंगवार, श्री संतोष | 1547 |
| 32. | गवली, श्रीमती भावना पुंडलिकराव | 1512, 1554, 1603, 1629, 1655 |
| 33. | हर्ष कुमार, श्री जी.वी. | 1586 |
| 34. | हसन, चौधरी मुनव्वर | 1568, 1612, 1632, 1643, 1664 |
| 35. | जगन्नाथ, डा. एम. | 1584 |
| 36. | जयाप्रदा, श्रीमती | 1579, 1622 |
| 37. | झा, श्री रघुनाथ | 1548, 1600, 1633 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 38. | जिन्दल, श्री नवीन | 1656 |
| 39. | जोशी, श्री प्रहलाद | 1528 |
| 40. | कलमाडी, श्री सुरेश | 1541 |
| 41. | कनोडीया, श्री महेश | 1529 |
| 42. | खंडेलवाल, श्री विजय कुमार | 1585 |
| 43. | खारवेनथन, श्री एस.के. | 1491, 1548, 1573, 1613, 1625 |
| 44. | कौशल, श्री रघुवीर सिंह | 1493, 1572 |
| 45. | कृष्ण, श्री विजय | 1570 |
| 46. | ''ललन'', श्री राजीव रंजन सिंह | 1520 |
| 47. | महतो, श्री सुनिल कुमार | 1496 |
| 48. | माहेश्वरी, श्रीमती किरण | 1522 |
| 49. | महताब, श्री भर्तृहरि | 1616 |
| 50. | मंडल, श्री सनत कुमार | 1494, 1588 |
| 51. | माने, श्रीमती निवेदिता | 1520, 1598, 1640 |
| 52. | मसूद, श्री रशीद | 1545 |
| 53. | मिडियम, डा. बाबू राव | 1569 |
| 54. | मेहता, श्री आलोक कुमार | 1567 |
| 55. | मिश्रा, डा. राजेश | 1513, 1592, 1619 |
| 56. | मूर्ति, श्री ए.के. | 1645 |
| 57. | मुर्मू, श्री हेमलाल | 1589 |
| 58. | ओराम, श्री जुएल | 1515, 1599 |
| 59. | ओवेसी, श्री असादूद्दीन | 1590, 1602, 1618 |
| 60. | पल्लानी शामी, श्री के.सी. | 1506, 1544 |
| 61. | पंडा, श्री ब्रह्मानन्द | 1561 |
| 62. | पटेल, श्री जीवाभाई ए. | 1518 |
| 63. | पटेल, श्री किसनभाई वी. | 1509, 1591, 1624, 1638, 1659 |
| 64. | पाठक, श्री ब्रजेश | 1497, 1604, 1630, 1641 |
| 65. | पाठक, श्री हरिन | 1560, 1607 |
| 66. | पटले, श्री शिशुपाल | 1582, 1626, 1662 |
| 67. | प्रसाद, श्री हरिकेवल | 1653 |
| 68. | राधाकृष्णन, श्री वरकला | 1654 |
| 69. | राजगोपाल, श्री एल. | 1499, 1626, 1658 |
| 70. | रामदास, प्रो. एम. | 1551 |
| 71. | रामकृष्णा, श्री बाडिगा | 1571, 1613, 1634, 1647 |
| 72. | राणा, श्री काशीराम | 1527, 1552 |
| 73. | राव, श्री के.एस. | 1586, 1616 |
| 74. | राठौड़, श्री हरिभाऊ | 1544 |
| 75. | रवीन्द्रन, श्री पन्नियन | 1539 |
| 76. | रावले, श्री मोहन | 1525 |
| 77. | रेड्डी, श्री जी. करुणाकर | 1580, 1515, 1635, 1653 |
| 78. | रेड्डी, श्री एम. श्रीनिवासुलु | 1542 |
| 79. | रेंगे पाटील, श्री तुकाराम गणपतराव | 1518, 1538, 1559 |
| 80. | रिजीजू, श्री कीरेन | 1547 |
| 81. | सज्जन कुमार, श्री | 1513, 1592, 1619 |
| 82. | सरडगी, श्री इकबाल अहमद | 1594, 1623, 1637, 1663 |
| 83. | सरोज, श्री तूफानी | 1526 |
| 84. | सिंधिया, श्री ज्योतिरादित्य माधवराव | 1548, 1553, 1602, 1628 |
| 85. | शिवाजीराव, अधलराव पाटील | 1495, 1540, 1597 |
| 86. | शिवन्ना, श्री एम. | 1523 |
| 87. | शिवनकर, प्रो. महादेवराव | 1582, 1626, 1639, 1646 |
| 88. | सिद्दीश्वर, श्री जी.एम. | 1505, 1601 |
| 89. | सिंह देव, श्रीमती संगीता कुमारी | 1593, 1653 |
| 90. | सिंह, श्री लक्ष्मण | 1532, 1595 |
| 91. | सिंह, श्री चन्द्रभूषण | 1543 |
| 92. | सिंह, श्री चन्द्रभान | 1549 |
| 93. | सिंह, श्री दुष्यंत | 1563, 1608 |
| 94. | सिंह, श्री गणेश | 1555, 1605, 1660 |
| 95. | सिंह, श्री कीर्ति वर्धन | 1520, 1640 |
| 96. | सिंह, श्री प्रभुनाथ | 1564 |
| 97. | सिंह, श्री राकेश | 1514, 1589 |
| 98. | सिंह, श्री रेवती रमण | 1533, 1555, 1567, 1611 |
| 99. | सिंह, श्री सीताराम | 1567 |
| 100. | सिंह, श्री सुग्रीव | 1508, 1576, 1638, 1645, 1624 |
| 101. | सिंह, श्री सूरज | 1534 |
| 102. | सिंह, श्री उदय | 1640, 1648, 1651 |
| 103. | सोलंकी, श्री भूपेन्द्र सिंह | 1529 |
| 104. | सुब्बा, श्री एम.के. | 1492 |
| 105. | सुगावनम, श्री ई.जी. | 1554, 1565, 1625, 1657 |
| 106. | सुमन, श्री रामजीलाल | 1543 |
| 107. | ठक्कर, श्रीमती जयाबहन बी. | 1502 |
| 108. | थामस, श्री पी.सी. | 1524 |
| 109. | ठुम्मर, श्री वी.के. | 1556 |
| 110. | तोपदार, श्री तरित बरण | 1519 |
| 111. | त्रिपाठी, श्री बृज किशोर | 1587, 1617, 1644, 1650 |
| 112. | वसावा, श्री मनसुखभाई डी. | 1527 |
| 113. | वीरेन्द्र कुमार, श्री एम.पी. | 1546 |
| 114. | वर्मा, श्री भानु प्रताप सिंह | 1615, 1652 |
| 115. | वर्मा, श्री रवि प्रकाश | 1495, 1540, 1578, 1597 |
| 116. | विजयशंकर, श्री सी.एच. | 1562 |
| 117. | यादव, श्री एम. अंजनकुमार | 1538, 1552, 1593 |
| 118. | यादव, श्री गिरिधारी | 1507, 1588, 1653 |
| 119. | यादव, श्री कैलाश नाथ सिंह | 1536, 1609, 1662 |
| 120. | यादव, श्री पारसनाथ | 1530 |
| 121. | येरननायडु, श्री किन्जरपु | 1533 |

# अनुबंध II

## तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका


| | | |
|---|---|---|
| कंपनी कार्य | : | |
| पृथ्वी विज्ञान | : | |
| वित्त | : | 145, 147, 148, 149, 150, 153, 155, 159 |
| आवास और शहरी गरीबी उपशमन | : | 152 |
| विधि और न्याय | : | 158 |
| नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा | : | 143, 161 |
| विद्युत | : | 146, 151 |
| ग्रामीण विकास | : | 142, 144, 154, 156 |
| विज्ञान और प्रौद्योगिकी | : | |
| शहरी विकास | : | 157, 160 |


---

## अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालयवार अनुक्रमणिका


| | | |
|---|---|---|
| कंपनी कार्य | : | 1506, 1546, 1632, 1643 |
| पृथ्वी विज्ञान | : | 1493, 1537, 1541, 1641, 1642, 1645 |
| वित्त | : | 1495, 1498, 1508, 1509, 1512, 1513, 1515, 1516, 1517, 1520, 1524, 1525, 1526, 1527, 1533, 1538, 1540, 1543, 1547, 1552, 1554, 1555, 1560, 1561, 1565, 1567, 1568, 1569, 1571, 1572, 1579, 1582, 1584, 1586, 1589, 1590, 1591, 1593, 1598, 1602, 1603, 1604, 1605, 1611, 1614, 1615, 1616, 1619, 1622, 1625, 1627, 1628, 1630, 1634, 1637, 1638, 1640, 1646, 1647, 1648, 1650, 1651, 1653, 1655, 1656, 1660, 1661, 1662, 1663, 1664 |
| आवास और शहरी गरीबी उपशमन | : | 1494, 1563, 1580, 1636, 1654 |
| विधि और न्याय | : | 1497, 1503, 1539, 1556, 1574, 1577 |
| नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा | : | 1532, 1542, 1557, 1595, 1613, 1623, 1626, 1657 |
| विद्युत | : | 1492, 1519, 1522, 1548, 1551, 1558, 1575, 1576, 1583, 1585, 1587, 1588, 1599, 1606, 1608, 1617, 1618, 1624, 1631, 1633, 1644, 1652 |
| ग्रामीण विकास | : | 1496, 1505, 1507, 1510, 1514, 1523, 1530, 1536, 1549, 1550, 1559, 1594, 1607, 1610, 1612, 1621, 1649 |
| विज्ञान और प्रौद्योगिकी | : | 1501, 1535, 1553, 1566, 1596, 1597, 1601, 1635, 1658 |
| शहरी विकास | : | 1491, 1499, 1500, 1502, 1504, 1511, 1518, 1521, 1528, 1529, 1531, 1539, 1544, 1545, 1562, 1564, 1570, 1573, 1578, 1581, 1592, 1600, 1609, 1620, 1629, 1634, 1659. |


---

2. अन्य स्थापन पत्र तथा विधिवत रूप से नोटरी से प्रमाणित मुख्तारनामा।

3. क्या, बीमाधारक ने, उनके द्वारा गुम हुए शेयर के लिए कोई अनुलिपि शेयर प्राप्त किए हैं—के बारे में पुष्टिकरण पत्र।

बीमाधारक ने पारवहन में गुम हुए शेयर्स के लिए "अंतरण रोकने" के निषेध आदेश के लिए न्यायालय में मुकदमा दायर किया था। बीमाधारक ने अन्य दस्तावेजो सहित "कोर्ट के निषेध" आदेश की प्रति कंपनी में अभी तक प्रस्तुत नहीं की है। कंपनी ने उपरोक्त दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए पत्र और अनुस्मारक भेजे हैं।

(ग) बीमाधारक मैसर्स कोयम्बतूर केपिटल ने मुम्बई पुलिस की दिनांक 4.9.2000 की एफआईआर सं. 266/2000 की प्रति प्रस्तुत की है।

(घ) कोई भी बीमाधारक कर्मचारी शामिल नहीं है। शेयर्स कुरियर कंपनी द्वारा परिवहन के दौरान गुम हुए थे।

(ङ) और (च) जी, नहीं।

(छ) कंपनी ने, भाग "ख" पर दर्शाये गए अनुसार अपेक्षित दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए दावेदार को कई पत्र और अनुस्मारक भेजे हैं ताकि वे इस संबंध में कार्रवाई कर सके और शीघ्रातिशीघ्र दावे को निपटा सके। उपर्युक्त दस्तावेजों के प्राप्त होते ही बीमा कंपनी इस दावे की प्रक्रिया करके मामले को निपटाएगी।

*[हिन्दी]*

## ताप विद्युत परियोजनाएं

3474. **श्री गिरधारी लाल भार्गव :**
**श्रीमती किरण माहेश्वरी :**

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयातित कोयला आधारित विद्युत परियोजनाओं की सूची में आर.आर.वी.यू.एन. की दोनों ताप विद्युत परियोजनाओं को सम्मिलित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या कोटा और सूरतगढ़ ताप विद्युत परियोजनाओं के लिए स्वदेशी कोयले का आवंटन किया जा रहा है?

**विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे) :** (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 2006-07 के लिए राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि. (आरआरवीयूएनएल) के कोटा और सूरतगढ़ ताप विद्युत स्टेशनों हेतु कोयले की आवश्यकता लगभग 12 मिलियन टन (एमटी) है। राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि. (आरआरवीयूएनएल) को घरेलू स्रोतों से 10.2 एमटी कोयले की आपूर्ति की जानी है और उन्हें वर्ष के दौरान लगभग 1.2 एमटी कोयले (1.8 एमटी घरेलू कोयले के समकक्ष) का आयात करने की सलाह प्रदान की गई है।

*[अनुवाद]*

## बने बनाये घरों की खरीद

3475. **श्री एम. शिवन्ना :** क्या आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने केन्द्र सरकार से बंगलौर और मैसूर में तथा उसके आस-पास कर्नाटक राज्य आवास बोर्ड द्वारा बनाए गए तैयार घरों को खरीदने के लिए धनराशि जारी करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस धनराशि को कब तक जारी किए जाने की संभावना है?

**आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा) :** (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

## संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की स्वच्छता संबंधी रिपोर्ट

3476. **श्री वसुदेव आचार्य :** क्या आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) की स्वच्छता संबंधी रिपोर्ट की ओर आकर्षित किया गया है जिसमें कहा गया है कि भारत स्वच्छता के मामले में पिछड़ रहा है तथा इसकी दो-तिहाई जनसंख्या को स्वच्छता सुविधाएं नहीं मिल रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

**आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा)** : (क) से (ग) जी, हां। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) द्वारा जारी मानव विकास रिपोर्ट, 2006 में यह उल्लेख है कि भारत में 33 प्रतिशत लोगों को हमेशा बेहतर स्वच्छता सुविधाएं मिल रही हैं। सरकार जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के तहत जल एवं स्वच्छता सुविधाओं को प्राथमिकता दे रही है।

*[हिन्दी]*

## दिल्ली मास्टर प्लान

3477. **श्री हेमलाल मुर्मू :**
**श्री राजेन गोहेन :**

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली का मास्टर प्लान 2021 से संबंधित विभिन्न मुद्दों हेतु विशेषज्ञों का एक पैनल नियुक्त करने का निर्णय लिया है जैसाकि 21 नवम्बर, 2006 के "दैनिक जागरण" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तसंबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पैनल द्वारा अपनी रिपोर्ट सरकार को कब तक सौंप दिए जाने की संभावना है?

**शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन)** : (क) से (ग) सरकार ने विशेषज्ञों का कोई पैनल गठित नहीं किया है। तथापि, दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने यह सूचित किया है कि दिल्ली का मास्टर प्लान 2021 का प्रारूप तैयार करते समय उसने अनेक उप-दल गठित किए थे, जिनमें आवास, परिवहन, पर्यावरण, उद्योग, सामाजिक अवस्थापना आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों से विशेषज्ञ शामिल हैं। विभिन्न क्षेत्रों, संगठनों, गैर-सरकारी संगठनों और स्थानीय निकायों से विशेषज्ञों तथा व्यवसायिकों को समय-समय पर इनमें शामिल किया गया है।

## आरक्षित पदों का बैकलॉग

3478. **श्री हरिकेवल प्रसाद :**
**श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र के बैंकों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों (एसटी/एसटी) तथा अन्य पिछड़े वर्गों के बैंक-वार कितने कर्मचारी हैं;

(ख) क्या सरकारी क्षेत्र के बैंकों में अ.जा./अ.ज.जा. तथा अ. पि.व. हेतु रिक्तियों का कोई बैकलॉग है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी बैंक-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) बैकलॉग को भरने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जा रहे हैं?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल)** : (क) सरकारी क्षेत्र के बैंकों/वित्तीय संस्थाओं में कार्यरत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के कर्मचारियों की 31.12.2005 की स्थिति के अनुसार संख्या का बैंक-वार ब्यौरा (नवीनतम उपलब्ध) संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) से (घ) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रिक्त पदों को भरने के लिए विशेष भर्ती अभियान के संबंध में सरकारी अनुदेश सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों, वित्तीय संस्थाओं एवं बीमा कंपनियों को इस निदेश के साथ अग्रेषित किए गए थे कि कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा किए गए कार्यक्रम के अनुसार, आरक्षित रिक्त पदों को भरा जाए। बैंकों/वित्तीय संस्थाओं एवं बीमा कंपनियों द्वारा की गई प्रगति की समीक्षा बैंकों/वित्तीय संस्थाओं के महाप्रबंधकों के साथ हुई विभिन्न बैठकों में की गई थी तथा उनके साथ मामले को लगातार उठाया गया था। पहचाने गए आरक्षित 3558 रिक्त पदों में से 3381 रिक्त पद 30.11.2006 तक भर दिए गए हैं। अन्य पिछड़े वर्गों के लिए रिक्त पदों को भरने संबंधी कार्रवाई की निगरानी नहीं की जाती है।

**विवरण**

*सरकारी क्षेत्र के बैंकों में अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. का प्रतिनिधित्व*

(31.12.2005 की स्थिति के अनुसार)

| क्र.सं. | बैंक का नाम | अनुसूचित जाति | अनुसूचित जनजाति | अ.पि.व. | कुल |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | इलाहाबाद बैंक | 3673 | 1014 | 219 | 4906 |
| 2. | आंध्रा बैंक | 2414 | 725 | 413 | 3552 |
| 3. | बैंक आफ बड़ौदा | 6730 | 2335 | 2168 | 11233 |
| 4. | बैंक आफ इंडिया | 8574 | 3032 | 1333 | 12939 |
| 5. | बैंक आफ महाराष्ट्र | 3316 | 1041 | 636 | 4993 |
| 6. | केनरा बैंक | 9465 | 2483 | 2702 | 14650 |
| 7. | सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया | 8573 | 2481 | 1662 | 12716 |
| 8. | कारपोरेशन बैंक | 2046 | 480 | 863 | 3389 |
| 9. | देना बैंक | 2283 | 1108 | 195 | 3586 |
| 10. | इंडियन बैंक | 5243 | 954 | 618 | 6815 |
| 11. | इंडियन ओवरसीज बैंक | 6504 | 937 | 695 | 8136 |
| 12. | ओरियंटल बैंक आफ कामर्स | 2966 | 631 | 886 | 4483 |
| 13. | पंजाब नेशनल बैंक | 13160 | 2653 | 4045 | 19858 |
| 14. | पंजाब एंड सिंध बैंक | 1579 | 210 | 196 | 1985 |
| 15. | सिंडिकेट बैंक | 5342 | 1545 | 232 | 7119 |
| 16. | यूनियन बैंक आफ इंडिया | 6476 | 1489 | 2084 | 10049 |
| 17. | युनाइटेड बैंक आफ इंडिया | 3882 | 887 | 202 | 4971 |
| 18. | यूको बैंक | 4632 | 1156 | 93 | 5881 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19. | विजया बैंक | 1475 | 550 | 785 | 2810 |
| 20. | स्टेट बैंक आफ इंडिया | 36699 | 11210 | 5391 | 53300 |
| 21. | स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर | 2410 | 856 | 156 | 3422 |
| 22. | स्टेट बैंक आफ हैदराबाद | 2185 | 697 | 1080 | 3962 |
| 23. | स्टेट बैंक आफ इंदौर | 1115 | 679 | 221 | 2015 |
| 24. | स्टेट बैंक आफ मैसूर | 1696 | 497 | 562 | 2755 |
| 25. | स्टेट बैंक आफ पटियाला | 3292 | 168 | 730 | 4190 |
| 26. | स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र | 1186 | 728 | 242 | 2156 |
| 27. | स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर | 1964 | 375 | 1465 | 3804 |
| 28. | आई.डी.बी.आई. | 522 | 184 | 155 | 861 |
| 29. | नाबार्ड | 883 | 421 | 507 | 1811 |
| 30. | एक्जिम बैंक | 23 | 18 | 16 | 57 |
| 31. | राष्ट्रीय आवास बैंक | 7 | 4 | 13 | 24 |
| 32. | सिडबी | 143 | 57 | 79 | 279 |
| 33. | भारतीय रिजर्व बैंक | 5520 | 2085 | 660 | 8265 |
| | कुल | 155978 | 43690 | 31304 | 230972 |

*[अनुवाद]*

**मारीशस के साथ दोहरा कराधान समझौता**

**3479. श्री निखिल कुमार :**
**श्री अधीर चौधरी :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मारीशस सरकार के साथ कर मामलों संबंधी सूचनाओं के आदान-प्रदान हेतु तंत्र को सुदृढ़ बनाने में सरकार द्वारा क्या उपलब्धियां प्राप्त की गई हैं;

(ख) क्या व्यापार समूह कर संधि में परिवर्तन के विरुद्ध है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य तथा ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) :** (क) भारत-मारीशस दोहरे कराधान के परिहार संबंधी अभिसमय पर

एक संयुक्त कार्य दल का गठन किया गया है। संयुक्त कार्य दल के विचारार्थ विषयों में निम्नलिखित के जरिए भारत-मॉरीशस दोहरे कराधान के परिहार संबंधी अभिसमय के अंतर्गत, सूचना के आदान-प्रदान हेतु तंत्र को सुदृढ़ करना शामिल है:-

"(i) जहां अपेक्षित हो, वहां घरेलू कानूनों में उपयुक्त विधाई परिवर्तनों के लिए दोनों देशों के कार्यकारी और विधाई संगठनों को सिफारिश करते हुए यह सुनिश्चित करना कि भारत-मॉरीशस दोहरे कराधान के परिहार संबंधी अभिसमय के अंतर्गत बैंकिंग सूचना सहित सूचना प्राप्त करने तथा उसका आदान-प्रदान करने के लिए सक्षम प्राधिकारियों के पास शक्तियां हों।

(ii) नए ओ ई सी डी मॉडल करार के आधार पर "कर मामलों में सूचना के आदान-प्रदान पर व्यापक करार" निष्पन्न करना।"

संयुक्त कार्य दल की क्रमशः दिल्ली में और पोर्टलुईस में दो बैठकें हुई हैं।

(ख) किसी व्यावसायिक समूह से इस संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) और (घ) भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

## विद्युत की हिस्सेदारी में कमी

3480. श्री काशीराम राणा :
श्री रतिलाल कालीदास वर्मा :
डा. वल्लभभाई कथीरिया :
श्री मधुसूदन मिस्त्री :
श्री जसुभाई धानाभाई बारड़ :
श्री हरिन पाठक :
श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम :
श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर :
श्री पी.एस. गढ़वी :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी क्षेत्र तथा पूर्वी क्षेत्र की केन्द्रीय क्षेत्र की विद्युत परियोजनाओं के अनाबंटित कोटे से गुजरात को विद्युत आबंटन में कमी कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या गुजरात सरकार ने इस कमी पर आपत्ति जताई है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

**विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे)** : (क) और (ख) जी, हां। पश्चिमी क्षेत्र (डब्ल्यू आर) में केंद्रीय उत्पादन स्टेशनों (सीजीएस) के अनाबंटित कोटे से विद्युत के आबंटन को फरवरी, 2006 में संशोधित किया गया था और कंफर्टबल राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और गुजरात, जो कम बिजली आहरित कर रहा था और बिजली की बिक्री भी कर रहा था को आबंटन कम करके क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक कमी वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को विद्युत का आबंटन किया गया था।

पूर्वी क्षेत्र (ईआर) में एनटीपीसी स्टेशनों के अनाबंटित/सरेंडर किए गए कोटे से विद्युत के आबंटन को नवम्बर, 2005 में संशोधित कर दिया गया था और गुजरात समेत दूसरे क्षेत्रों के अधिकांश राज्यों, का आबंटन कम कर दिया गया था क्योंकि पूर्वी क्षेत्र संघटकों की मांग थी कि पूर्वी क्षेत्र की विद्युत उन्हें पुनः बहाल की जाए।

(ग) और (घ) गुजरात सरकार ने आबंटन को बहाल करने और पश्चिमी व पूर्वी क्षेत्र के सीजीएस से गुजरात को आबंटन में कमी के कारणों को संसूचित करने का अनुरोध किया है और इसे राज्य सरकार को सूचित कर दिया गया है। गुजरात ऊर्जा विकास निगम लि. ने पश्चिमी/क्षेत्र व उत्तरी क्षेत्र में सीजीएस की अनाबंटित विद्युत से आबंटन पुनः बहाल करने का अनुरोध किया है। विद्युत आपूर्ति की विद्यमान स्थिति और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में जरूरत (आकस्मिक/मौसमी के स्वरूप के आधार पर सीजीएस की अनाबंटित विद्युत के आबंटन की समय-समय पर समीक्षा एवं संशोधन किया जाता है।

## विकास अधिकारियों के वेतन में संशोधन

3406. श्री के. फ्रांसिस जार्ज :
श्री वरकला राधाकृष्णन :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सार्वजनिक क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनियों के विकास अधिकारियों के वेतन में संशोधन करने से इंकार कर दिया गया है जो कि अगस्त 2002 में देय था;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम)** : (क) से (ग) दी जनरल इंश्युरर्स पब्लिक सेक्टर एसोसिएशन आफ इंडिया (जिप्सा) ने सूचित किया है कि सरकारी क्षेत्र की चार बीमा कंपनियों में विकास अधिकारियों सहित सभी श्रेणी के कर्मचारियों के लिए वेतन संशोधन प्रस्ताव (दिनांक 1.8.2002 से देय) के संबंध में कंपनियों की उत्पादकता एवं कार्यक्षमता को सुधारने के लिए एक संगठनात्मक एजेंडा भी शामिल है। इस संगठनात्मक एजेंडा में, अन्य बातों के साथ-साथ, सभी श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए स्थानांतरण और अंतरणीयता नीति (टीएमपी) शामिल हैं तथा संबंधित संघों/संगठनों से वेतन संशोधन पैकेज के एक भाग के रूप में इससे सहमत होने की अपेक्षा की गई थी। श्रेणी-I, श्रेणी-III तथा श्रेणी-IV कर्मचारियों के संघों/संगठनों ने संगठनात्मक एजेंडे पर सहमति दी थी और वैसे वेतन संशोधन के लाभ प्राप्त किए गए थे, जिसको तदनुसार दिनांक 21.12.2005 को अधिसूचित किया गया था। तथापि, श्रेणी-II कर्मचारियों (विकास अधिकारियों) के संघों/सगठनों द्वारा संगठनात्मक एजेंडे पर सहमति न दिए जाने के कारण उनसे संबंधित वेतन संशोधन का कार्यान्वयन नहीं हो पाया। यह मामला इस समय कुछ विकास अधिकारियों एवं उनके संगठनों द्वारा विभिन्न अदालतों के समक्ष चुनौती दिए जाने के कारण न्यायाधीन है।

**अवसंरचनात्मक परियोजनाओं का वित्तपोषण**

**3482. श्री बालासोवरी वल्लभनेनी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अवसंरचनात्मक परियोजनाओं के वित्तपोषण हेतु निजी ऋण प्रदाताओं को लुभाने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड (सेबी तथा अन्यों के साथ बातचीत करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) अवसरंचनात्मक परियोजनाओं हेतु कितनी धनराशि जुटाई जाने की संभावना है?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम)** : (क) और (ख) जी, हां। इस मुद्दे पर आर्थिक कार्य विभाग के अवसंरचना प्रभाग, पूंजी बाजार प्रभाग और बैंकिंग प्रभाग तथा भारतीय रिजर्व बैंक की एक बैठक हुई थी जिसमें अवसंरचना परियोजनाओं के वित्तीयन में निजी ऋणदाताओं की भागीदारी में आने वाली समस्याओं को रेखांकित करने के लिए एक मास्टर पेपर तैयार करने का प्रस्ताव किया गया था। मास्टर पेपर तैयार करने की प्रक्रिया चल रही है। इस प्रक्रिया के पूरा हो जाने पर भारतीय रिजर्व बैंक, सेबी और अन्यों के साथ चर्चा करने की कार्रवाई को अंतिम रूप दे दिया जाएगा।

(ग) प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में अवसंरचना संबंधी समिति ने कुछ प्रमुख क्षेत्रों में निवेश की आवश्यकताओं का अनुमान इस प्रकार लगाया है : वर्ष 2012 तक राष्ट्रीय राजमार्ग क्षेत्र में 2,20,000 करोड़ रुपए, वर्ष 2010 तक विमानपत्तन क्षेत्र के लिए 40,000 करोड़ रुपए और पत्तन क्षेत्र के लिए वर्ष 2012 तक 50,000 करोड़ रुपए। विभिन्न अनुमान दर्शाते हैं कि आगामी 4-5 वर्षों में अवसंरचना क्षेत्रों के लिए कुल निवेश आवश्यकता 320-350 बिलियन डालर होगी। उपर्युक्त आवश्यकताओं का एक बड़ा हिस्सा निजी क्षेत्र से आना चाहिए।

**विद्युत परियोजनाओं हेतु कोल लिंकेज**

**3483. श्री इकबाल अहमद सरडगी** : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वेस्ट बंगाल पावर डवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड (डब्ल्यूबीपीडीसीएल) ने 250 मेगावाट की सन्तालडिह विस्तार परियोजना हेतु कोल लिंकेज में तेजी लाने तथा कटवा, सागरदिघी तथा बारकेश्वर विद्युत परियोजना हेतु कोल लिंकेज प्रस्तावों हेतु विद्युत मंत्रालय से हस्तक्षेप की मांग की है; और

(ख) सदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

**विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे)** : (क) और (ख) विद्युत मंत्रालय ने वेस्ट बंगाल पावर डेवेलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड (डब्ल्यूबीपीडीसीएल) से 250 मेगावाट सन्तालडिह विस्तार परियोजना हेतु कोयला लिंकेज के लिए कोई अनुरोध प्राप्त नहीं किया है। कटवा, सागरदिघी और बारकेश्वर में विद्युत परियोजनाओं हेतु लम्बी अवधि कोल लिंकेज पर 11.05.2006 को कोयला मंत्रालय की स्टैंडिंग लिंकेज कमेटी

(दीर्घावधि) द्वारा विचार किया गया था। हालांकि, समिति ने इन परियोजनाओं के लिए दीर्घावधि कोल लिंकेज प्रदान नहीं की थी क्योंकि कोल ब्लॉकों का आबंटन पहले से ही डब्ल्यूबीपीडीसीएल को कर दिया गया था।

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने दिनांक 15 नवम्बर, 2006 के अपने पत्र के माध्यम से डब्ल्यूबीपीडीसीएल से आवंटित कोयला ब्लाकों की अंत प्रयोग परियोजनाओं को चिह्नित करने तथा किसी कमी की स्थिति में प्रयोग किए गए कोल लिंकेज हेतु आवेदन प्रस्तुत करने का अनुरोध किया है।

*[हिन्दी]*

## जलापूर्ति तथा स्वच्छता योजनाओं हेतु धनराशि का आबंटन

**3484. श्री ब्रजेश पाठक :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान जलापूर्ति तथा स्वच्छता योजनाएं चलाने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को अब तक कितनी धनराशि आबंटित की गई;

(ख) उक्त अवधि के दौरान उक्त कार्य इसमें से कितनी धनराशि खर्च की गई; और

(ग) प्रत्येक वर्ष की प्रथम तीन तिमाहियों तथा अंतिम तिमाही के दौरान कितनी धनराशि खर्च की गई?

**शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) :** (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

*[अनुवाद]*

## नागरिक सुविधाएं

**3485. श्री हरिन पाठक :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को महानगरीय शहरों के टाइप-I और टाइप-II सरकारी क्वार्टरों में रहने वालों से क्षेत्र में मलिन बस्ती जैसी स्थितियों के बारे में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

**शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) :** (क) और (ख) महानगरों के क्षेत्रों के सम्पदा प्रबंधकों और सहायक महानिदेशक से सूचना प्राप्त की जानी है।

*[हिन्दी]*

## दिल्ली में केन्द्र सरकार के क्वार्टर

**3486. श्री रामदास आठवले :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए टाइप-I से टाइप-IV क्वार्टरों की टाइप-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या कुछ क्वार्टर गत कुछ वर्षों से खाली पड़े हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके कारणों सहित इसका ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए कुछ और क्वार्टर बनाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका निर्माण कब तक किए जाने की संभावना है?

**शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) :** (क) दिल्ली में केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए सामान्य पूल रिहायशी वास (जीपीआरए) टाइपवार संख्या (टाइप-I से टाइप-IV) संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) और (ग) विभिन्न श्रेणियों के वास के अंतर्गत कुल 807 सामान्य पूल रिहायशी वास (जीपीआरए) खाली हैं। खाली क्वार्टरों का टाइप-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। 807 क्वार्टरों में से 132 क्वार्टर बिजली के बिलों की अदायगी न होने के कारण खाली हैं, 295 क्वार्टर केलोनिवि द्वारा खतरनाक घोषित किए जाने के कारण खाली हैं, 76 क्वार्टर अस्थाई मरम्मत के कारण खाली हैं, 228 क्वार्टर इस कारण खाली हैं कि वे अलोकप्रिय स्थानों में हैं और उनके आसपास का इलाका अच्छा नहीं है तथा 76 क्वार्टर इसलिए खाली हैं कि उनमें अलग शौचालय, स्नानघर इत्यादि जैसी सुविधाएं नहीं हैं।

(घ) और (ङ) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए सरकार ने दिल्ली में कुछ क्वार्टरों का निर्माण करने की मंजूरी दी है। हुडको प्लेस एन्ड्रयूजगंज, नई दिल्ली में 319 ट्रांजिट वास निर्माणाधीन है तथा इनका निर्माण कार्य दिसम्बर, 2006 तक पूरा किया जाना है। दिल्ली में विभिन्न श्रेणियों के वास के अंतर्गत 2242 सामान्य पूल रिहायशी वास का निर्माण स्वीकृत किया गया है। योजनाओं के अनुमोदन, धनराशि के नियतन तथा स्थल सौंपने इत्यादि जैसे कारणों के कारण निर्माण कार्य अभी शुरू नहीं हुआ।

*विवरण*

| क्र. सं. | वास की टाइप | वास की संख्या | खाली पड़े वास की संख्या |
|---|---|---|---|
| 1. | I | 16960 | 240 |
| 2. | II | 23705 | 436 |
| 3. | III | 11870 | 103 |
| 4. | IV | 5435 | 14 |
| 5. | IV(विशेष) | 798 | — |
| 6. | Vए(डी-II) | 1360 | — |
| 7. | Vबी(डी-I) | 885 | — |
| 8. | VIए(सी-II) | 446 | 7 |
| 9. | VIबी(सी-I) | 158 | 4 |
| | कुल | 61617 | 807 |

**ग्रामीण व्यापार केन्द्र**

**3487. श्री दरोगा प्रसाद सरोज :** क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य में चलाए जा रहे ग्रामीण व्यापार केन्द्रों का स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) इन व्यापार केन्द्रों के लक्ष्य एवं उद्देश्य क्या हैं;

(ग) इन केन्द्रों के वित्त के स्रोत क्या हैं;

(घ) इस प्रयोजनार्थ गठित अधिशासी निकायों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इस योजना का विस्तार कुछ अन्य राज्यों में किए जाने की संभावना है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है इनका विस्तार कब तक किए जाने की संभावना है?

**ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील) :** (क) ग्रामीण व्यापार केन्द्र/ग्रामीण व्यावसायिक केन्द्र, पंचायती राज मंत्रालय की एक पहल है। पंचायती राज मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, विभिन्न राज्यों में ग्रामीण व्यापार केन्द्रों या ग्रामीण व्यावसायिक केन्द्रों (आरबीएच) के बारे में हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापनों का स्थलवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) पंचायती राज मंत्रालय और भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई), देश के विभिन्न ब्लॉकों में इन व्यापार केन्द्रों के सृजन के लिए पंचायतों, उद्योगों तथा व्यापार जगत के बीच संपर्क को सुगम बनाने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। इन्हें सार्वजनिक-निजी-पंचायत भागीदारी के रूप में स्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे स्थानीय रूप से उपलब्ध संसाधनों से वस्तुओं का उत्पादन करने/उनमें सुधार करने/परिष्कृत करने तथा उन्हें और अधिक बाजारों तक पहुंचाने में सहायता मिलेगी।

(ग) ग्रामीण व्यापार केन्द्र/आरबीएच केन्द्र प्रायोजित योजना नहीं है और इसके लिए राज्य या केन्द्र सरकार से कोई प्रत्यक्ष वित्तपोषण उपलब्ध नहीं है। प्रस्ताव है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जहां पंचायतें कार्य कर रही हैं, वहां आरबीएच के लिए पंचायतें केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं एवं राज्य सरकारों की योजनाओं के बीच समन्वय रखेंगी। ग्रामीण व्यावसायिक केन्द्रों का वित्तपोषण, सार्वजनिक-निजी-पंचायत भागीदारी सिद्धांत पर आधारित एक व्यापारिक गतिविधि के रूप में किए जाने की परिकल्पना की गई है जिसके लिए इस प्रयोजन हेतु उपलब्ध 'टाप-अप' निधियों से भी सहायता मिलेगी। नाबार्ड, केवीआईसी आदि जैसे विशिष्टीकृत संस्थानों से भी सहायता प्राप्त किए जाने का विचार है।

(घ) केन्द्रों की स्थापना को गति देने के उद्देश्य से केन्द्र स्तर पर एक आरबीएच परिषद स्थापित की गई है जिसके सह-अध्यक्ष पंचायती राज मंत्री और श्री सुनील कांत मुंजाल, निवर्तमान अध्यक्ष,

सोआईआई हैं। आरबीएच परिषद के दिशानिर्देशों के अनुसार, कार्य योजना तैयार करने में आरबीएच परिषद की सहायता करने के लिए सचिव, पंचायती राज मंत्रालय की अध्यक्षता में एक आरबीएच कार्यकारी समिति भी गठित की गई है। आरबीएच की स्थापना में स्थानीय पंचायतों की सहायता के लिए कई राज्यों में राज्य आरबीएच परिषदें स्थापित की गई हैं जिसके राज्य के पंचायती राज मंत्री/सचिव, पंचायती राज विभाग और अध्यक्ष, राज्य सीआईआई सह-अध्यक्ष हैं।

(ङ) और (च) जी, हां। सरकार का देश के सभी ब्लॉकों में आरबीएच स्थापित करने का प्रस्ताव है। तथापि, समूचे देश में आरबीएच स्थापित करने के लिए कोई विशिष्ट समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

*विवरण*

*ग्रामीण व्यावसायिक केन्द्र पहल के अंतर्गत हस्ताक्षर किए गए समझौतों की सूची*

| क्र.सं. | दिनांक | ग्राम पंचायत/ब्लॉक पंचायत/जिला/राज्य | कंपनी का नाम | उत्पाद |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | 13.8.05 | रामगढ़ ब्लाक/नैनीताल/उत्तरांचल | नीमराना समूह एवं आईटीसी लिमिटेड | फल प्रसंस्करण |
| 2. | 13.8.05 | बेतालघाट ब्लाक/नैनीताल/उत्तरांचल | जयकाली ग्रामोद्योग फल प्रसंस्करण एवं प्रसोधन इकाई एवं आईटीसी लिमिटेड | फल प्रसंस्करण |
| 3. | 13.8.05 | काशीपुर ब्लाक/नैनीताल/उत्तरांचल | कांशीपुर एग्रो इंडस्ट्रीज (प्रा.) लि. एवं आईटीसी लिमिटेड | फल प्रसंस्करण |
| 4. | 13.8.05 | भीमताल ब्लाक/नैनीताल/उत्तरांचल | सेखो, जनशिक्षण संस्थान एवं आईटीसी लिमिटेड | फल प्रसंस्करण |
| 5. | 13.8.05 | रामनगर ब्लाक/नैनीताल/उत्तरांचल | डेलिशिया फूड्स (प्रा.) एवं आईटीसी लिमिटेड | फल प्रसंस्करण |
| 6. | 13.8.05 | भमताल ब्लाक/नैनीताल/उत्तरांचल | सुरूची फ्रूट प्रोडक्ट्स एवं आईटीसी लिमिटेड | फल प्रसंस्करण |
| 7. | 13.8.05 | रामनगर ब्लाक/नैनीताल/उत्तरांचल | इमैजिनेशन एग्री एक्सपोर्ट्स एवं आईटीसी लिमिडेट | फल प्रसंस्करण |
| 8. | 13.8.05 | हल्द्वानी ब्लाक/नैनीताल/उत्तरांचल | हैंड्स के इंटरप्राइजेज (प्रा.) लि. एवं आईटीसी लिमिटेड | फल प्रसंस्करण |
| 9. | 13.8.05 | भीमताल ब्लाक/नैनीताल/उत्तरांचल | नैनीताल फ्रूट प्रोडक्ट्स एवं आईटीसी लिमिटेड | फल प्रसंस्करण |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 10. | 13.8.05 | काशीपुर ब्लाक/नैनीताल/उत्तरांचल | जिंदल फ्रोजन फूड प्रोडक्ट्स (प्रा.) लि. एवं आईटीसी लिमिटेड | फल प्रसंस्करण |
| 11. | 13.8.05 | हल्द्वानी ब्लाक/नैनीताल/उत्तरांचल | ब्लिस फूड प्राडक्ट्स एवं आईटीसी लिमिटेड | फल प्रसंस्करण |
| 12. | 9.10.05 | पिनागवान/पुन्हाना/मेवात/हरियाणा | डी । आयल्स इंडिया प्रा.लि. | जटरोफा प्लांटेशन और बायोडीजल |
| 13. | 9.10.05 | होडल और हसनपुर ब्लाक/फरीदाबाद/हरियाणा | डी । आयल्स इंडिया प्रा.लि. | जटरोफा प्लांटेशन और बायोडीजल |
| 14. | फरवरी, 06 | बिलासपुर छछरोली जगाधरी और सधौरा ब्लाक/यमुना नगर/हरियाणा | डी । आयल्स इंडिया प्रा.लि. | जटरोफा प्लांटेशन और बायोडीजल |
| 15. | 23.1.06 | गौरीगंज ब्लाक/जिला सुल्तानपुर/उत्तर प्रदेश | सैल्फ एम्प्लायड विमेंस एसोसिएशन (सेवा) | हस्तशिल्प एवं हथकरघा उत्पाद |
| 16-37. | 24.2.06 को 22 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर हुए | कर्नाटक राज्य में विभिन्न ग्राम पंचायतें | मलवल्ली पॉवर प्लांट लि., बैंगलौर इलैक्ट्रिक सप्लाई कंपनी मंगलौर इलैक्ट्रिक सप्लाई कंपनी हुबली इलैक्ट्रिक सप्लाई कंपनी गुलबर्गा इलैक्ट्रिक सप्लाई कंपनी चामुंडेश्वरी इलैक्ट्रिक सप्लाई कंपनी | विद्युत उत्पादन/विवरण |
| 38-42. | 24.2.06 को 5 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर हुए | हम्पी, कर्नाटक राज्य में पांच ग्राम पंचायतें | राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान | कलाकृति/गारमेंट डिजाइन |
| 43. | 29.7.06 | मूवालूर पंचायत, मइलादुथूरई ब्लाक, नागापट्टिनम जिला, तमिलनाडु | क्लासिक बायोमास | बायो गैसीफायर |
| 44. | 29.7.06 | कोडीमंगलम गांव, मइलादुथूरई ब्लाक, नागापट्टिनम जिला, तमिलनाडु | क्लासिक बायोमास | बायो गैसीफायर |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 45. | 29.7.06 | कोडीमंगलम गांव, मइलादुथूरई ब्लाक, नागापट्टिनम जिला, तमिलनाडु | शमीना फूड इंडस्ट्रीज | गुणवत्तापूर्ण अट्टा एवं मूल्य संवर्धित उत्पाद |
| 46. | 29.7.06 | वल्लालहरम गांव, मइलादुथूरई ब्लाक, नागापट्टिनम जिला, तमिलनाडु | केएमआर इंडस्ट्रीज | शुष्क नारियल चूर्ण तथा संवर्धित नारियल उत्पाद |
| 47. | 29.7.06 | कप्पुत गांव, कुट्टालम ब्लाक, नागापट्टिनम जिला, तमिलनाडु | एसीटी चैम्बर ब्रिक्स इंडस्ट्रीज | गुणवत्तापूर्ण चैम्बर ब्रिक्स |
| 48. | 30.7.06 | कंजानगरम गांव, सेम्बानरकोईल ब्लाक, नागापट्टिनम जिला, तमिलनाडु | शिव शक्ति सीड्स | धान बीजों का उत्पादन |
| 49. | 30.7.06 | अन्नावसल गांव, सेम्बानरकोईल ब्लाक, नागपट्टिनम जिला, तमिलनाडु | एनएसी फार्म प्रोडक्ट्स | आर्गेनिक केलों का उत्पादन तथा प्रसंस्कृत उत्पाद |
| 50. | 30.7.06 | सेमंगलम गांव, सेम्बानरकोईल ब्लाक, नागापट्टिनम जिला तमिलनाडु | आरकेएस डेरी फार्म | गुणवत्तापूर्ण दुग्ध प्रसंस्करण, उसकी पैकिंग तथा अन्य प्रसंस्कृत उत्पाद |
| 51. | 20.8.06 | थिरूवेंगडू गांव, सिरकाली ब्लाक, नागापट्टनम जिला | शिव शक्ति डेयरी फार्म | गुणवत्तापूर्ण दुग्ध प्रसंस्करण, उसकी पैकिंग तथा अन्य प्रसंस्कृत उत्पाद |
| 52. | 20.8.06 | थिरूवेंगडू पंचायत ग्रांव, सिरकाली ब्लाक, नागापट्टनम जिला | श्री बालाजी मिल्क डेयरी (प्रशीतन संयंत्र) | दुग्ध प्रशीतन संयंत्र |
| 53. | 20.8.06 | बालाजी नगर, सत्तानाथापुरम गांव, सिरकाली तालुक, नागापट्टनम जिला | श्री अप्सरा गारमेंट्स | रेडीमेड वस्त्र |
| 54. | 20.8.06 | गांधी नगर, पल्लीवस्सम, तिरुवरूर जिला | श्री दुर्गा विलास | मूंगफली उत्पाद |
| 55. | 20.8.06 | चिदम्बरम मेन रोड, अलकोन्डानाथम, पोओ कट्टूमनारकोइल तालुक, कुड्डालूर जिला | श्री अविरामी सॉ मिल | टिम्बर सॉ मिल और फर्नीचर तथा फिटिंग्स का निर्माण |

[अनुवाद]

**लघु जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना**

**3488. श्री जी.एम. सिद्देश्वर :**
**श्री जी. करुणाकर रेड्डी :**

क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में चल रही लघु जल विद्युत परियोजनाओं तथा उनसे सृजित की जा रही विद्युत का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने लघु जल विद्युत परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ग) यदि हां, तो क्या आई.डी.बी.आई. और ग्रामीण विद्युतीकरण निगम एक साथ मिलकर लघु विद्युत परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए एक योजना तैयार कर रहे हैं;

(घ) क्या कुछ राज्य सरकारों ने लघु जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना करने हेतु मंजूरी के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है?

**नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार)** : (क) दिनांक 31.10.2006 के अनुसार देश में समग्र रूप से 1860 मेवा. की 566 लघुपनबिजली परियोजनाएं स्थापित की गई हैं जिनके राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। इन परियोजनाओं से वर्ष 2005-06 के दौरान अनुमानित विद्युत उत्पादन 3652 मिलियन किवा.घं. था।

(ख) और (ग) विभिन्न वित्तीय संस्थाओं जैसे भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम, विद्युत वित्त निगम, आईडीबीआई, आईडीएफसी और बैंकों द्वारा पहले से ही अक्षय विद्युत परियोजनाओं का वित्त-पोषण किया जा रहा है, ये परियोजनाएं सामान्यतया पारंपरिक विद्युत परियोजनाओं की तुलना में छोटी हैं।

(घ) और (ङ) केन्द्रीय वित्तीय सहायता हेतु राज्य सरकारों से नियमित आधार पर प्रस्ताव प्राप्त होते हैं। कभी-कभी ये प्रस्ताव अपूर्ण पाए जाते हैं अथवा स्कीमों के प्रावधानों के अनुसार नहीं होते हैं। पूर्ण प्रस्तावों पर बजट प्रावधानों के अध्यधीन विचार किया जाता है और उन्हें अनुमोदित किया जाता है।

**विवरण**

*संस्थापित एसएचपी परियोजनाओं (25 मेवा. तक) के राज्यवार विवरण (31.10.2006 के अनुसार)*

| क्र. सं. | राज्य | स्थापित परियोजनाएं | | वर्ष 2005-06 के दौरान अनुमानित उत्पादित विद्युत (मिलियन किवा.घं. में) |
|---|---|---|---|---|
| | | (संख्या में) | क्षमता (मेगावाट में) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 57 | 178.81 | 357.62 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 64 | 44.30 | 88.60 |
| 3. | असम | 3 | 2.11 | 4.22 |
| 4. | बिहार | 7 | 50.40 | 100.80 |
| 5. | छत्तीसगढ़ | 4 | 11.00 | 22.00 |
| 6. | गोवा | 1 | 0.05 | 0.10 |
| 7. | गुजरात | 2 | 7.00 | 14.00 |
| 8. | हरियाणा | 5 | 62.70 | 125.40 |
| 9. | हिमाचल प्रदेश | 56 | 132.58 | 264.16 |
| 10. | जम्मू एवं कश्मीर | 32 | 111.49 | 219.48 |
| 11. | झारखंड | 6 | 4.05 | 8.10 |
| 12. | कर्नाटक | 60 | 351.13 | 659.26 |
| 13. | केरल | 15 | 95.12 | 169.24 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 14. | मध्य प्रदेश | 8 | 41.16 | 82.32 |
| 15. | महाराष्ट्र | 27 | 207.08 | 414.16 |
| 16. | मणिपुर | 8 | 5.45 | 10.90 |
| 17. | मेघालय | 3 | 30.71 | 61.42 |
| 18. | मिजोरम | 16 | 14.76 | 29.52 |
| 19. | नागालैंड | 9 | 20.67 | 41.34 |
| 20. | उड़ीसा | 6 | 7.30 | 14.60 |
| 21. | पंजाब | 29 | 122.55 | 245.10 |
| 22. | राजस्थान | 10 | 23.85 | 47.70 |
| 23. | सिक्किम | 14 | 38.61 | 77.20 |
| 24. | तमिलनाडु | 12 | 77.70 | 155.40 |
| 25. | त्रिपुरा | 3 | 16.01 | 32.02 |
| 26. | उत्तर प्रदेश | 9 | 25.1 | 50.20 |
| 27. | उत्तरांचल | 76 | 75.45 | 150.90 |
| 28. | पश्चिम बंगाल | 23 | 98.40 | 196.60 |
| 29. | अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह | 1 | 5.25 | 10.50 |
| | कुल | 566 | 1,860.79 | 3652.86 |

## बैंकों में रिक्तियां

3489. **श्री चेंगरा सुरेन्द्रन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तिथि के अनुसार देश के राष्ट्रीयकृत बैंकों में रिक्तियों की बैंक-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या ऐसी रिक्तियों के भरे जाने पर कोई प्रतिबंध है; और

(ग) यदि नहीं, तो इन रिक्तियों को कब तक भरे जाने की संभावना है?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम)** : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

*[हिन्दी]*

## पेंशनरों का उत्पीड़न

3490. **श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा पेंशनरों को पेंशन के आहरण में उत्पीड़ित किए जाने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस मामले में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम)** : (क) से (ग) सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक को, पेंशनभोगियों/पेंशनभोगी संघ से बैंकों के विरुद्ध महंगाई राहत/परिवार पेंशन, पेंशन खाते में न्यूनतम शेष बनाए रखने, वृद्ध/बीमार/अक्षम व्यक्तियों, बैंक परिसरों में अपर्याप्त सुविधाओं, शाखाओं द्वारा पति/पत्नी, नामित व्यक्तियों के साथ संयुक्त खाते खोलने की अनुमति न देने आदि के संबंध में शिकायतें मिली हैं।

ऐसी शिकायतें संबंधित बैंकों को ब्यौरा देने हेतु तत्काल भेज दी जाती हैं और उन्हें शिकायत निवारण करने के लिए कहा जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने पेंशन भुगतान करने वाले सभी बैंकों से कहा है कि वे सरकार द्वारा उन्हें डाक/फैक्स/ई-मेल द्वारा भेजे गए या संबंधित पेंशन भुगतान प्राधिकारियों की वेबसाइट में जाकर महंगाई राहत और अन्य भत्तों के संबंध में जारी सरकारी आदेशों की प्रतियों के आधार पर ही उन पर सीधे कार्रवाई करें और इसके लिए अगले अनुदेश मिलने की प्रतीक्षा न करें। बैंकों से यह भी कहा गया है कि उनके प्रतिष्ठानों द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में पेंशन योजनाओं/नियमों से संबंधित विषय शामिल करें। बैंकों को यह अनुदेश भी दिए गये हैं कि वृद्ध/बीमार/अक्षम व्यक्तियों के पेंशन खातों के परिचालन हेतु उनका बैंक शाखा में आना आवश्यक न बनाएं।

## सीवेज डिस्पोजल स्कीम

**3491. श्री कृष्णा मुरारी मोघे :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंदौर जिले की सीवेज डिस्पोजल स्कीम के अंतर्गत वर्ष 2002 में मध्य प्रदेश सरकार से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रस्ताव पर सरकार द्वारा अभी तक क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) इसे कब तक स्वीकृत किए जाने की संभावना है?

**शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) :** (क) से (घ) जी, हां। मध्य प्रदेश सरकार ने 540.92 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली इंदौर की सीवरेज परियोजना के लिए एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तकनीकी अनुमोदन तथा एशिया विकास बैंक/विश्व बैंक/आवास एवं नगर विकास निगम/एनसीआरडी से अनुदान/राज्य योजना कोष से संभव ऋण सहायता हेतु भी भेजी थी।

तकनीकी जांच के बाद मध्य प्रदेश सरकार से स्पष्टीकरण/अतिरिक्त जानकारी मुहैया कराने के लिए कहा गया था। मध्य प्रदेश सरकार ने इस परियोजना को अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता हेतु जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के तहत प्रस्तुत किया था। वर्ष 2006-07 के दौरान जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के तहत 307.17 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत के इस प्रस्ताव को अनुमोदित किया जा चुका है तथा अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में 30.715 करोड़ रुपयें की राशि जारी की जा चुकी है।

*[अनुवाद]*

## डीमैट खाता

**3492. श्री एन.एस.वी. चित्तन :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने डीमैट खाते के लिए नियमों में परिवर्तन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या पूर्ववर्ती नियमों की तुलना में इसमें समस्याएं हैं; और

(घ) यदि हां, तो समस्या के निराकरण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाये जाने का विचार है?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) :** (क) और (ख) अनेकानेक डिमैट खातों को खोलने के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुई समस्याओं का निवारण करने के उद्देश्य से, सेबी ने अपने ग्राहक को जानें मानदंडों को अभिवर्धित किया है। इसने पहली अप्रैल, 2006 को या उसके पश्चात् डिमैट खाते खोलने के लिए स्थायी खाता संख्या (पैन) को अनिवार्य बना दिया है। पहली अप्रैल, 2006 से पूर्व खोले गए डिमैट खातों के संबंध में खाता धारकों के लिए 31 दिसम्बर, 2006 तक निक्षेपागारों को पैन उपलब्ध कराना अनिवार्य बना दिया गया है।

(ग) और (घ) निवेशकों को पैन अनुपालक बनाने के उद्देश्य से सेबी ने समयावधि को 31 दिसम्बर, 2006 तक बढ़ा दिया है तथा संक्रमण की प्रक्रिया में किन्हीं कठिनाइयों को समाप्त करने के लिए स्पष्टात्पक परिपत्र जारी किए हैं। जहां पैन उपलब्ध नहीं कराया जाता, वहां डिमैट खाते को उसके उपलब्ध कराए जाने तक "डेबिट के लिए निलंबित" कर दिया जाएगा। सीबीडीटी ने भारत के बाहर रहने वाले भारतीय नागरिकों तथा विदेशी नागरिकों को पैन जारी करना सुकर बनाने हेतु दिशानिर्देश जारी किए हैं।

## मैनुअल स्क्वैन्जर्स

**3493. श्री सुग्रीव सिंह :**
**श्री किसनभाई वी. पटेल :**

क्या आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने एक निर्धारित समयावधि के भीतर मैनुअल स्कैवेन्जिग को समाप्त करने की व्यापक योजनाओं/स्कीमों के लिए एक दल का गठन किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा) :** (क) और (ख) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग देश में मैला ढोने की प्रथा के उन्मूलन की आवश्यकता के मामले को केन्द्र

और राज्य सरकारों तथा अन्य पणधारियों के साथ जोरदार ढंग से उठाता आ रहा है।

**मंदबुद्धि वाले व्यक्तियों के लिए आवासीय परिसर**

**3494. श्री अविनाश राय खन्ना :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मंदबुद्धि वाले व्यक्तियों के लिए उनके माता-पिता की मृत्यु के पश्चात् आश्रय प्रदान करने के लिए आवासीय परिसर स्थापित करने की आवश्यकता की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या मंदबुद्धि वाले व्यक्तियों हेतु उक्त आवासों का निर्माण करने में गैर-सरकारी संगठनों को समर्थ बनाने हेतु उन्हें रियायती दरों पर भूमि आवंटित करने की कोई योजना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

**शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) :** (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

*[हिन्दी]*

**सूचना और संचार प्रौद्योगिकी**

**3495. श्री छत्तर सिंह दरबार :** क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के किसानों के लाभार्थ सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के जरिए सूचना आधारित ज्ञान प्रदान करने के लिए केन्द्र सरकार को कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त सूचना प्रणाली के माध्यम से आग, बाढ़ और भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं के संबंध में जिला स्तर पर सूचना उपलब्ध करायी जा सकती है; और

(ग) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव को सरकार द्वारा कब तक स्वीकृत किए जाने की संभावना है?

**विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) :** (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

*[अनुवाद]*

**जैव-प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा कराये गए पेटेंट**

**3496. श्री एल. राजगोपाल :** क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों के दौरान जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा कराये गए पेटेन्टों का वर्ष-वार, देश-वार और उत्पाद-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) जैव-प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अपने बौद्धिक संपदा अधिकारों के संरक्षण के लिए जैव-प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा क्या रणनीतियां अपनायी गई हैं?

**विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) :** (क) (i) पिछले पांच वर्षों के दौरान जैवप्रौद्योगिकी विभाग द्वारा फाइल किए गए पेटेंट्स का वर्ष-वार ब्यौरा:-

**भारत - कुल संख्या 63**

| दिसम्बर, 2001 से नवम्बर, 2002 | दिसम्बर, 2002 से नवम्बर, 2003 | दिसम्बर, 2003 से नवम्बर, 2004 | दिसम्बर, 2004 से नवम्बर, 2005 | दिसम्बर, 2005 से नवम्बर, 2006 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 11 | 9 | 15 | 22 |

**विदेशी - कुल संख्या 74**

| दिसम्बर, 2001 से नवम्बर, 2002 | दिसम्बर, 2002 से नवम्बर, 2003 | दिसम्बर, 2003 से नवम्बर, 2004 | दिसम्बर, 2004 से नवम्बर, 2005 | दिसम्बर, 2005 से नवम्बर, 2006 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 16 | 10 | 21 | 21 |

(ii) पिछले पांच वर्षों के दौरान जैवप्रौद्योगिकी विभाग द्वारा फाइल किए गए पेटेंट्स का वर्ष-वार ब्यौरा

| क्र. सं. | देश | फाइल किए गए पेटेंटों की संख्या |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | इंडोनेशिया | 3 |
| 2. | कोरिया | 3 |
| 3. | जापान | 7 |
| 4. | यूएसए | 22 |
| 5. | सिंगापुर | 1 |
| 6. | फिलीपीन्स | 3 |
| 7. | यूरोपियन पेटेंट कार्यालय | 11 |
| 8. | वियतनाम | 2 |
| 9. | बंगलादेश | 1 |
| 10. | श्रीलंका | 2 |
| 11. | थाइलैंड | 2 |
| 12. | रशिया | 1 |
| 13. | ब्रिटन | 1 |
| 14. | चीन | 5 |
| 15. | दक्षिण अफ्रीका | 3 |
| 16. | ब्राजील | 1 |
| 17. | टर्की | 1 |
| 18. | मलेशिया | 1 |
| 19. | अरीपो | 1 |
| 20. | आस्ट्रेलिया | 1 |
| 21. | जर्मनी | 1 |
| 22. | कनाडा | 1 |

(iii) पिछले पांच वर्षों के दौरान जैवप्रौद्योगिकी विभाग द्वारा फाइल किए गए पेटेंट्स का वर्ष-वार ब्यौरा

| क्र.सं. | उत्पाद-वार |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 1. | पौध ऊतक रूपांतरण के लिए सुनहरे अणुओं पर डीएनए संगणन का एक तरीका |
| 2. | पेनेसिड और गैर-पेनेलिड का गहन तंत्र हेटेरिज में पानी को नाइट्रीफाइंग करने के लिए बायोरिएक्टर्स |
| 3. | जापानी ऐन्सेफेलाइटिस वायरस के लिए शिमेरकेटी हैल्पर बी कोशिका पेपटाइड टीका |
| 4. | स्वेदेशी फरमेंटर (पेटेंट तथा आकार पंजीकरण) |
| 5. | आण्विक नैदानिकी, एंट्रीक ज्वर तथा दूषित खाद्य नमूनों के लिए प्रक्रिया |
| 6. | मानव बीमारियों के मच्छर वैक्टर के लिए एक सूक्ष्मीय नियंत्रण एजेंट |
| 7. | बुगुजा मेलाई 9 एमएफ ईएस-22 ग्लाकोप्रोटीन को तैयार करने के लिए एक प्रक्रिया |
| 8. | फलैंकिंग श्रृंखला और एक किट देयरफॉर को विभाजित करने के लिए एक प्रक्रिया |
| 9. | औपचारिक तकनीकों जोकि एम.ट्यूबरकुलोसिस के बिरूलेंस में एम. ट्यूबरकूलोसिस प्रभेद का प्रवेश कराती हैं और इसके अनुप्रयोग की क्षमता रखते हैं की मयूटेंट डेव आर जीन की तैयारी के लिए एक प्रक्रिया |

| 1 | 2 |
|---|---|
| 10. | रोटेरावायरस के विरुद्ध प्रतिरक्षित बकरी कोलोस्ट्रम की तैयारी |
| 11. | सहसंवर्धन द्वारा गैलिक अम्ल को तैयार करने के लिए एक प्रक्रिया |
| 12. | एथिरोस्कलोरोसी और हाइपरलिपिडिमिया की तैयारी के लिए एक नोवन पॉली हर्बल |
| 13. | एक लवण सहनीय एल मायो इनोसिटोल एक फासफेट का संश्लेषण और इसको प्राप्त करने की प्रक्रिया |
| 14. | कॉफी बैरी बाडर (सीबीबी) के विरुद्ध एक जैवकीटनाशक संगणन को तैयार करने की प्रक्रिया |
| 15. | पशुओं में खाद्य मुख बीमारी (एफएफटी) की नैदानिकी के लिए एक मुख्य प्रतिरक्षा जैवसैंसर उपस्करण |
| 16. | माइकोबैक्टीरियल ट्यूबरकुलोसिस के हिस्टोन जैसे प्रोटीन का खंडन करने वाले हपबी जीन का चित्रण |
| 17. | माडल तंत्र में लीवर की गंभीर असफलता में गोटहेपोटोसाइटिस का हेराप्यूटिक अनुप्रयोग एवं इन-विट्रो चित्रण |
| 18. | भौतिक चरण पेपटाइड संश्लेषण के लिए एक नई लचीली तथा तंत्रिक स्थिर पालीमर सहायता |
| 19. | पौधों में शुष्क सहनीयता के लिए एक मुख्य डीएनए मार्कर |
| 20. | पोलोमनरी तथा अतिरिक्त पोलोमनरी की ट्यूबरकुलोसिस की जांच के लिए एक किट |
| 21. | आँक टसर/कक्कून को पाइनेपल अर्क का प्रयोग करते हुए पकाने के लिए एक सुधरी हुई प्रक्रिया |
| 22. | माइक्रोटिब्यूल के रूप में एक मुख्य संशलिस्ट योगिक, डीएटी 1 का प्रयोग |
| 23. | फिनाजीन 1 कार्बोक्सिलिक अम्ल का डाइमर को इसको तैयार करने के लिए प्रक्रिया |
| 24. | कैंसर के उपचार में प्रयोग किए जाने वाला एक कीमोथयोरेपटिक कम्पोसजन |
| 25. | क्लेमिडिया ट्रेकोमेटिस के लिए पीसीआर आधारित जांच तकनीक |
| 26. | फर्न शेरटैथिस से निकाले गए अर्क को तैयार करने के लिए एक प्रक्रिया |
| 27. | स्पिलेरक्टिया न्यूक्लियर पाली हैड्रोसिस वायरस (एसओएनपीवी) पेपाटाइड्स को उत्पादित करने का तरीका |
| 28. | ट्राइकोडर्मा के पुन: प्रयोग ग्रेन्यूलर तैयारी के लिए एक प्रक्रिया |
| 29. | वायरल विरोधी एवं राइबाजोम निष्क्रियता कार्यविधी के साथ सीडीएनए एनकोड करने वाला एक प्रोटीन |
| 30. | यू वी किरणों का प्रयोग करते हुए चाय में स्वाद को बढ़ाने के लिए एक प्रक्रिया |
| 31. | जड़ अंग संवर्धन के लिए एक रिएक्टर |
| 32. | पौध कॉलिस टिमोन रिजीडेस आरवीआर के अर्क की सूक्ष्मविरोधी/जैविक विरोधी कार्यविधी |
| 33. | सक्षम एजैविक फासफेट को घोलने वाला |
| 34. | जैवकीटनाशकों को वाणिज्यिक उत्पादन के लिए एक मुख्य प्रक्रिया |
| 35. | पेरूडोमानोस-एसपी एमआई प्रभेद से एक गलैकटोसिडेज-एक एलंकाटी सहनीय उत्पादन के लिए प्रक्रिया |
| 36. | भारतीय पोडोफिल्म, पोडोफिल्म हैक्साड्रम रायल की कोशिका पंक्तियों के उच्च उत्पादन में पोडोफिलो टाक्सिन की उत्पत्ति के लिए एक तरीका (सुधरी हुई प्रक्रिया) |
| 37. | वर्टीकल भौतिक स्थिति रिएक्टर |
| 38. | पाइपर निग्रम के लिए सूक्ष्म उपग्रह को विकसित करने के लिए एक तरीका |

| 1 | 2 |
|---|---|
| 39. | चावल के एक नोवल जीन ओएसआईएसएपी 1 और जीन ओएसआईएसएपी 1 का प्रयोग करते हुए पौध तंत्रों में दबाव सहनीयता का परिचालन करने याला एक तरीका |
| 40. | भौतिक चरण जैविक संश्लेषणक के लिए पीएस-ए-पीजी और डीएमए-ए-पीईजी जेल डेंडर मेर रेसिन्स फार सालिड फेस आर्गेनिक सिंथेसिस |
| 41. | पेनेस मोनोडोन (जाइंट ब्लैक टाइगर श्रिम्प) के बीमारी अवरोधकता जनसंख्या को पहचानने के लिए एक सूक्ष्म उपग्रह डीएनए मार्कर |
| 42. | एचआईवी-! सक्रिय बैक्टरियल बैकोलोवायरस पुनर्संयोजक ई-पैप |
| 43. | साल्मोनेला टीफीटी 2 के आउटर मेंब्रेन प्रोटीन सी की क्लोनिंग एवं निष्पीडन तथा टायफायड ज्वर के लिए एक टीके के रूप में वीपौलीसेकेराइड के प्रयोग के लिए घुलनशील प्रोटीन को शुद्धिकरण एवं कन्जोगेशन |
| 44. | आरनेबिया हिसपोडिसमिया के जेनेटिक रूपांतरण मध्यस्थ एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन्स मध्यस्थ और कैलेस में सीधी पुन: उत्पत्ति, शीकोनीन परिचालन का तरीका |
| 45. | संयुक्त भौतिक चरण जैविक संश्लेषण के लिए विनजेल, डेन्ड्राइमर रेजेंस और तरल चरण जैविक संश्लेषण के लिए बिनोजेल जैसे घुलनशीलों की एक नई श्रेणी |
| 46. | आर्जेन पौध को बांधने वाले मैनोन्स लैक्टिन्स का प्रयोग करते हुए मानव हेमेटापीएटी स्टेम/प्रोजेनेटर कोशिकाओं का संरक्षण |
| 47. | केलीमाइडिया ट्रेकोमैटिस और निसीरिया गानोरोइया का (नैदानिकी के लिए प्रोटोटाइप किट्स) पीसीआर आधारित आकार |
| 48. | पौधों में चावल टुंग्रो बेसिली फोरम से लिए गए वायरल प्रोमोटर की जीन निष्पीडन प्रणाली |
| 49. | ट्रेकोड्मा हार्जियानम और सुडोमोनास फ्लोरोसेंस वाले जैवकीटनाशकों के संयुक्त संगणन और एक जैविक उत्पादन के लिए प्रक्रिया का विकास |
| 50. | प्रोटोक्लोरोफाल्यूड ऑक्सीडो रेडक्टेज सी और इसकी अन्य आइसोफार्म के अत्यधिक निष्पीडन द्वारा जैविक तथा अजैविक दवाओं से पौधों की अवरोधकता |
| 51. | फेनुग्रीक बीज का डायलाइजिस एजिएस अर्क हाइपो गलेसेरेमिक उत्पन्न करता है, मधुमेह में कार्यविधी.... |
| 52. | सुमियर माइक्रोस्कोपी संवर्धन और पोलीमेरेज श्रृंखला प्रक्रिया द्वारा ट्यूबरकुलोसिस की नैदानिकी के लिए एक तरीका |
| 53. | पेस्टेडेसपेटिस रूमिनेन्टस (पीपीआर) वायरस से संबंधित एंटीबाडीस की गुणवत्ता जांच के लिए स्ट्रिप्स टैस्ट |
| 54. | बैक्टरोफेजेज का प्रयोग करते हुए श्रिम्प हैचरीस में लियूमिन्स बैक्टीरिया का जैवनियंत्रण |
| 55. | जलकृषि तंत्रों में विवरियो एसपीसी के लिए की जांच एवं इनोमरेशन के लिए ओलिगोन्यूकलयोटाइड प्रोब |
| 56. | ब्रुसिला टीके के रूप में फ्यूजन प्रोटीन एवं न्यूक्लूयोटाइड |
| 57. | गांव के गोबर पर सूडोमानास फलोरोसेंसिस की बहुगुणा |
| 58. | ब्यूटी प्रजातियों की स्टीरियापोराइसिस विरोधी सक्रियता |
| 59. | पोलीहाइड्रोक्सिलएलकानोएट कोपॉलीमर के उत्पादन के लिए एक प्रक्रिया |
| 60. | केपसाइसिन संश्लेषण और पंजेसिं फैक्टर आइसोलेटिड के लिए इसकी जीन जिम्मेदारी तथा कैपसिकम एसपीपी के पलेसेंटल उतकों से चित्रित |
| 61. | फ्यूसेंट प्रभेद का प्रयोग करते हुए वर्बेनोल के उत्पादन के लिए प्रक्रिया |
| 62. | एक नोवल पेंसिलियोनम एसपी का प्रयोग करते हुए वाइसिकल (3-1-I) हैप्ट 3 आरएन 2 के उत्पादन के लिए एक सुधरी हुई प्रक्रिया |

| 1 | 2 |
|---|---|
| 63. | जैविक अम्लों और उनके सहअम्लों के नाप के लिए महत्वपूर्ण एक प्रक्रिया |
| 64. | तीन कोमेरिनोलिग्नोएडस के संयोजन से बनी हुई एक इम्यूनोमोडेलेटरी फार्मास्यूटिकल यौगिक, और इसको तैयार करने के लिए एक प्रक्रिया |
| 65. | किसी ठोस प्रमिएबल सामान में गैस क्षमता को नापने के लिए एक उपस्कर तथा तरीका |
| 66. | एक सूक्ष्म उपचार द्वारा एक कोलेजेनस साधन से एंटिलोपेपटाइड कोलेगन के अर्क के लिए एक प्रक्रिया |
| 67. | कालरा के लिए एक गैर-विषाक्तता मौखिक टीके को तैयार करने के लिए प्रक्रिया |
| 68. | यूकेरियोटिक तंत्र में मिलानिन को इन्डयूस करने के रूप में महत्वपूर्ण प्लेसेंटल अर्क से एक सेरामाइड को तैयार करने की एक प्रक्रिया |
| 69. | आनुवंशिक रूपांतरित बीजों और प्राकृतिक विभाजकों या बेसिलस थुरिनजियर्सिस में वनस्पति कीट प्रोटीन (वीआईपी) जीन की जांच के लिए पीसीआर आधारित कीट |
| 70. | प्रोटीन्स के शुद्धिकरण के लिए सुधरी हुई पौलीमरी सहायता को तैयार करने की एक प्रक्रिया |
| 71. | मेक्रोपोरस बीडीड क्रास लिंकड कोपोलीमर्स के डेरीवेटाजेशन के लिए एक प्रक्रिया |
| 72. | पौध उत्पत्ति का एक मानकीकृत प्रतिरक्षा माडुलेटरी फ्रेक्शन |
| 73. | सुबेरशिया चिराटा हेम की इन-विट्रो पुन: उत्पत्ति के लिए सीनरजिस्टिक ऊतक संवर्धन मीडिया संगणन |
| 74. | एसेपेरागस रेसमोसस से एक नोवल ओलिगो स्पीरो स्टेनासाइड के विभाजन के लिए एक प्रक्रिया |
| 75. | जैक फ्रूट बीज चूर्ण पर उगने वाली फीलेमेंटस फंगस एसपरगाइलेस फिकुअम (टीयूबीएफ) (1165) का प्रयोग करते हुए ठोस अवस्था किणवन के द्वारा पर्यावरण सहायक खाद्य एन्जाइम फाइटेज के उत्पादन के लिए एक मुख्य प्रक्रिया |
| 76. | मुख्य कलामाइडिया ट्रेकोमेटिस विशिष्ट एंटीबाडीस, इनके विभाजन के लिए एक प्रक्रिया कलामाइडिया ट्रेकोमेटिस की जांच के लिए एक नैदानिक किट, किट के उत्पादन के लिए एक तरीका और किट का प्रयोग करते हुए कलामाइडिया ट्रेकोमेटिस की जांच के लिए एक तकनीक |

**(ख) जैवप्रौद्योगिकीय क्षेत्र में अपने बौद्धिक संपदा अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए जैवप्रौद्योगिकी विभाग द्वारा अपनाई गई कार्यनीतियां**

असंरचना सुविधाओं को तैयार करने और विकास एवं अनुसंधान पर परियोजनाओं में सहायता करने के उद्देश्य से जैवप्रौद्योगिकी विभाग बौद्धिक संपदा अधिकार की सुरक्षा करने को प्रोत्साहित करता है। इसके अतिरिक्त, (i) जैवप्रौद्योगिकी में मिड कैरियर वैज्ञानिकों और (ii) जीवविज्ञानों तथा जैवप्रौद्योगिकी के स्नातक शिक्षण में सम्मिलित महाविद्यालय शिक्षकों के लिए लघु अवधि प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के प्रस्तावों को भी सहायता प्रदान करता है और पाठ्यक्रम सामग्री के भाग के रूप में बौद्धिक संपदा अधिकारों (आईपीआर) पर नीधि प्राप्तकर्ताओं को भाषण शामिल करना अनिवार्य करता है।

इस विभाग के जैवप्रौद्योगिकी पेटेंट सुविधाकरण सेल (बीपीएफसी) ने एक समिति की स्थापना की है जोकि भारतीय वैज्ञानिकों (सार्वजनिक निधी प्राप्त संस्थाएं जैसेकि विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों) के आग्रहों की समीक्षा करती है ताकि उनकी खोजों को पेटेंटिंग सहायता प्राप्त हो सके। समिति को जहां भी पेटेंट की शर्तों को पूरा करने वाला आग्रह प्राप्त होगा, यह उसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट आवेदन पत्रों का फाइल करने के लिए प्रशासनिक एवं वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। बीपीएफसी कार्यशालाओं, संगोष्ठियां, सम्मेलनों और देश के वैज्ञानिकों तथा अनुसंधकों के बीच बौद्धिक संपदा अधिकार के महत्व के बारे में समझ एवं जागरूकता पैदा करने पर लक्ष्यित नियमित प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों को भी सहायता देता है।

**एमपीबीएफ हेतु मानदंड**

3497. **श्री ई. पोन्नुस्वामी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने विभिन्न मानदंडों को ध्यान में रखते हुए निगम उपभोक्ताओं के लिए अधिकतम अनुमत्य बैंक वित्त (एमपीबीएफ) निर्धारित करने के लिए कतिपय मानदंड निर्धारित किये हैं;

(ख) यदि हां, तो निगम उपभोक्ताओं/वर्तमान उधारकर्ताओं के लिए कार्यशील पूंजी वित्त के आकलन के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों को क्या दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं;

(ग) क्या ऐसे दिशा-निर्देशों का सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा उल्लंघन किया जाता है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल)** : (क) और (ख) बैंक ऋण के अनुवर्तन हेतु मार्गनिर्देश तैयार करने के लिए बनाए गये टंडन कार्य दल की सिफारिशों के कार्यान्वयन के एक भाग के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक ने नवम्बर, 1975 में अधिकतम अनुमत बैंक वित्त (एमपीबीएफ) निर्धारित किया था। तथापि, बैंकों द्वारा ऋण-वितरण से संबंधित मामलों के अनियमन की नीति से अनुरूपता बनाए रखने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने 15 अप्रैल, 1997 से यह निर्धारण वापस ले लिया था और बैंकों को विवेकपूर्ण मार्गनिर्देशों और निर्धारित निवेश मानदंडों के अंतर्गत उधारकर्ताओं की कार्यशील पूंजी संबंधी ऋण की आवश्यकता का मूल्यांकन करने के लिए उपयुक्त प्रणाली तैयार करने की सलाह दी गई थी।

तब से बैंक कार्यशील पूंजी वित्त के मूल्यांकन के मामले में पूरी तरह स्वतंत्र हैं। तथापि, बैंकों से अपेक्षा की जाती है कि आर्थिक कार्यकलाप की प्रत्येक व्यापक श्रेणी के संबंध में ऋण-वितरण के लिए अपने बोर्डों के जरिए पारदर्शी नीति एवं मार्गनिर्देश निर्धारित करें।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

## एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स द्वारा शुल्क अपवंचन

**3498. श्री प्रभुनाथ सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स ने करोड़ों रुपये के शुल्क भुगतान का अपवंचन किया है जैसा कि दिनांक 24 अक्टूबर, 2006 के "द टाइम्स ऑफ इंडिया" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स के विरुद्ध केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है/की जा रही है?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम)** : (क) जी, हां।

(ख) इस मामले की जांच से पता चला है कि मैसर्स एल जी इलेक्ट्रॉनिक्स ने निविष्टियों और कारखानागत माल का आयात किया और आयात के समय भुगतान करते समय अतिरिक्त सीमा शुल्क और विशेष अतिरिक्त शुल्क के क्रेडिट का लाभ लिया। तथापि, कारखाना परिसरों से घरेलू बाजार में लाते समय इन आयातित निविष्टियों और कारखानागत माल की मंजूरी के समय मेसर्स एल जी इलेक्ट्रॉनिक्स ने लाभ उठाए गए क्रेडिट के विशेष अतिरिक्त शुल्क संघटक का भुगतान नहीं किया/इसे वापस नहीं किया। उसके बाद से मैसर्स एल जी इलेक्ट्रॉनिक्स ने शुल्क देयता को स्वीकार किया है और इस नाम पर 5.32 करोड़ रु. की राशि का भुगतान भी किया है।

(ग) जांच पूरी होने के बाद केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 और उसके अंतर्गत नियमों के अधीन मैसर्स एल जी इलेक्ट्रॉनिक्स के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।

## पीपीपी-एसी के अंतर्गत रेल परियोजना

**3499. श्री बे.एम. आरून रशीद** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एपरेजल कमेटी (पीपीपी-एसी) द्वारा संचालित रेल परियोजना के पक्ष में नहीं है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मुंबई मेट्रोपोलिटन रीजन अथॉरिटी ने वरसोवा-घाटकोपर मेट्रो लाइन के प्रथम चरण हेतु 650 करोड़ रुपए से अधिक के वायबिलिटी गैप फंडिंग की मांग की है;

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) इस वित्त पोषण की मंजूरी प्रदान करने के क्या कारण हैं?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल)** : (क) और (ख) जी, नहीं। केन्द्रीय क्षेत्र में सभी सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाओं का मूल्यांकन करने के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एपरेजल कमेटी (पीपीपी-एसी) गठित की गई है।

(ग) से (ङ) जी, हां। मुंबई महानगर क्षेत्र प्राधिकरण ने वरसोवा-घाटकोपर मेट्रो लाइन के प्रथम चरण के लिए 650 करोड़ रुपए के अर्थक्षमता अंतर (वायबिलिटी गैप) के निधीयन का अनुरोध किया है। प्रस्ताव पर अधिकार प्राप्त संस्थान और बाद में अधिकार प्राप्त समिति द्वारा विचार किया गया था। अधिकार प्राप्त समिति ने सिफारिश की, कि इस परियोजना का निधीयन शहरी विकास मंत्रालय द्वारा इसकी अर्थक्षमता अंतर निधीयन स्कीम/जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत किया जाए। इसके निधीयन का लक्ष्य परियोजना की अर्थक्षमता में सुधार करना है।

*[हिन्दी]*

**ऋण सहायता का प्रावधान**

3500. **श्री महावीर भगोरा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को ऋण/वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने संबंधी नीति का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त नीति का अनुपालन किया जा रहा है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान राजस्थान को ऋण के रूप में कुल कितनी सहायता उपलब्ध कराई गई है;

(ङ) क्या 12वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार लोक खाते के माध्यम से बाह्य वित्त पोषित योजनाओं को ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल)** : (क) और (ग) राज्य योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता का निर्धारण योजना आयोग द्वारा 1991 में राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा यथा-संशोधित व अनुमोदित गाडगिल फार्मूले के अनुसार किया जाता है। कार्यक्रम से संबंधित सहायता से अन्य सभी प्रकार की केन्द्रीय सहायता विशेष श्रेणी के राज्यों हेतु 10:90 और गैर-विशेष श्रेणी राज्यों के लिए 30:70 के औसत से ऋण-अनुदान जारी किया जाता है। तथापि, वर्ष 2005-06 से राज्यों के लिए यह अपेक्षित है कि वे योजना प्रयोजनों के लिए ऋण हेतु सीधे बाजार से संपर्क करें तथा केन्द्र ने 12वें वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के अनुरूप मध्यस्थ के रूप में कार्य करना समाप्त कर दिया है।

(घ) राजस्थान राज्य को योजना प्रयोजनार्थ मुहैया कराई गई कुल ऋण सहायता नीचे दी गई है:-

| वर्ष | ऋण राशि (करोड़ रुपए में) |
|---|---|
| 2003-04 | 1623.68 |
| 2004-05 | 1453.92 |
| 2005-06 | 365.93 |

(ङ) और (च) जी, नहीं। राज्यों को विदेशी ऋण लोक खाते के माध्यम से नहीं, बल्कि भारत की समेकित निधि से दिया जाता है। ऐसा बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करते समय भारत सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुरूप ही किया जा रहा है।

*[अनुवाद]*

**विदेशी नागरिकों द्वारा भूमि का अधिग्रहण**

3501. **श्रीमती मनोरमा माधवराव** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यटक के रूप में गोवा आने वाले कई विदेशी नागरिक विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम का उल्लंघन करते हुए भूमि अधिग्रहण के सौदों में संलिप्त हो जाते हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस मामले में क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम)** : (क) गोवा में अचल सम्पत्तियों की खरीद में कथित रूप से संलिप्त गैर-भारतीय मूल के विदेशी राष्ट्रिकों, भारत में और भारत के बाहर निवासी दोनों, के कुछ दृष्टान्त ध्यान में आए हैं।

(ख) जांच शुरू कर दी गई है और मामला जांचाधीन है।

*[हिन्दी]*

**यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की यूनियन मित्र योजना**

3502. **श्री तूफानी सरोज** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने "यूनियन मित्र" नामक कोई योजना आरंभ की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह योजना ग्रामीण जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु तैयार की गई है;

(घ) यदि हां, तो इस प्रयोजन हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में कितने केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) वह योजना किन राज्यों में आरंभ की गई है?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम)** : (क) और (ख) जी, हां। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने ग्रामीण समुदाय की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए दिनांक 14.11.2006 को यूनियन मित्र योजना शुरू की है। इस योजना में, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित शामिल हैं:-

(i) वित्तीय रूप से विपदाग्रस्त व्यक्तियों को परामर्श-सेवाएं देना।

(ii) वित्तीय उत्पादों और सेवाओं के साथ-साथ बैंक-उत्पादों के बारे में भी सूचना देना।

(iii) बैंक-खाता खोलने के संबंध में मार्गनिर्देश देना।

(iv) बचत प्रबंधन और निवेश के संभावित अवसरों के संबंध में सूचना देना।

(v) मौजूदा ऋण प्रबंधन के बारे में मार्गनिर्देश देना।

(ग) जी, हां। यह योजना मुख्यत: ग्रामीण लोगों की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए बनाई गई है। धीरे-धीरे इस योजना में शहरी लोगों को भी शामिल किया जाएगा।

(घ) और (ङ) बैंक ने पूरे देश में तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा एवं पंजाब राज्यों में 51 केन्द्रों पर वित्तीय शिक्षा सेवाएं अर्थात् "बैंक मित्र" शुरू कर दी हैं।

*[अनुवाद]*

**सरकारी कर्मचारियों हेतु आवास योजना**

3503. **श्री रनेन बर्मन** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने निकट भविष्य में केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए दिल्ली में आवासीय गृहों का निर्माण करने का निर्णय लिया है/प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजन हेतु किन क्षेत्रों की पहचान की गई है; और

(ग) इसे कब तक आरंभ किए जाने की संभावना है?

**शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन)** : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

**निर्मल ग्राम पुरस्कार**

3504. **श्री सर्वे सत्यनारायण** : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निर्मल ग्राम पुरस्कार दिए जाने हेतु मानदंडों में परिवर्तन किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

**ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू)** : (क) जी, हां।

(ख) निर्मल ग्राम पुरस्कार नामक पुरस्कार की राशि संबंधी संशोधित मानदंड निम्नानुसार है:-

(i) ग्राम पंचायत स्तर के लिए:

| | |
|---|---|
| 1000 से कम जनसंख्या | 050 लाख रु. |
| 1000 से अधिक परन्तु 2000 से कम | 1.00 लाख रु. |
| 2000 से अधिक परन्तु 5000 से कम | 2.00 लाख रु. |
| 5000 से अधिक परन्तु 10000 से कम | 4.00 लाख रु. |
| 10000 और उससे अधिक जनसंख्या | 5.00 लाख रु. |

(ii) ब्लॉक पंचायत स्तर के लिए:

| | |
|---|---|
| 50,000 तक की जनसंख्या | 10.00 लाख रु. |
| 50001 तथा इससे अधिक की जनसंख्या | 20.00 लाख रु. |

(iii) जिला स्तर के लिए:

| | |
|---|---|
| 1 मिलियन जनसंख्या | 30.00 लाख रु. |
| 1 मिलियन से अधिक जनसंख्या | 50.00 लाख रु. |

(iv) व्यक्तियों के लिए:

| | |
|---|---|
| ग्राम पंचायत स्तर | 0.10 लाख रु. |
| ब्लॉक स्तर | 0.20 लाख रु. |
| जिला स्तर | 0.30 लाख रु. |

(v) संगठन के लिए:

| | |
|---|---|
| ग्राम पंचायत स्तर | 0.20 लाख रु. |
| ब्लॉक स्तर | 0.35 लाख रु. |
| जिला स्तर | 0.50 लाख रु. |

मानदंड में परिवर्तन केवल ग्राम पंचायत के लिए किया गया है। अन्यों के मामले में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

## डीआरडीए की बैठकें

3505. डा. के. धनराजू : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 2006 के दौरान विभिन्न राज्यों की जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों (डीआरडीए) की बैठकें हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो इसमें किन-किन राज्यों ने भाग लिया और की गई चर्चा का ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले;

(ग) क्या इसमें प्रत्येक जिले के सभी जिला ग्रामीण विकास अधिकरणों ने भाग लिया;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील) : (क) जी, हां। जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों (डीआरडीए) के परियोजना निदेशकों का राष्ट्रीय सम्मलेन 16-17 अक्टूबर, 2006 को हुआ था।

(ख) सिक्किम को छोड़कर, सभी राज्यों ने बैठक में भाग लिया।

सम्मेलन में निम्नलिखित कार्यक्रमों पर चर्चा हुई:-

(1) एनआरईजीए, एनएफएफडब्ल्यूपी तथा एसजीआरवाई

(2) एसजीएसवाई तथा डीआरडीए प्रशासन

(3) राष्ट्रीय ग्रामीण आवास नीति तथा स्वर्ण आईएवाई प्रतीक्षा सूची

(4) निगरानी और आन लाइन जानकारी

(5) क्षेत्र विकास कार्यक्रम

(6) पेयजल और सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान

परियोजना निदेशकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने अपने जिलों में प्राप्त सफलता का ब्यौरा प्रस्तुत किया जिस पर भी सम्मेलन में चर्चा हुई।

राष्ट्रीय सम्मेलन में जिला ग्रामीण विकास एजंसियों के परियोजना निदेशकों/मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने मंत्रालय के विभिन्न कार्यक्रमों के बारे में परस्पर चर्चा की और अनुभवों तथा जानकारी

का आदान-प्रदान किया। जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों के परियोजना निदेशकों/मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने निम्नलिखित विषयों पर सिफारिशें/सुझाव प्रस्तुत किए:-

(1) पेयजल आपूर्ति तथा सम्पूर्ण स्वच्छता

(2) स्व-सहायता समूहों के उत्पादों के लिए विपणन नीति

(3) निर्धनतम, परिवारों के लिए लागत वहन करने योग्य आवास

(4) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी (एनआरईजी) कार्य को वाटरशेड विकास योजनाओं में शामिल करना

(5) पुरा संबंधी भावी योजना तैयार करना तथा

(6) महिलाओं पर ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के प्रभाव में सुधार करना।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) सभी राज्यों द्वारा प्रशासनिक कारणों से अपने सभी परियोजना निदेशकों को बैठक के लिए उपलब्ध कराना संभव नहीं होता है, जिसे संघ सरकार ने स्वीकार कर लिया है। सम्मेलन में अधिकांश राज्यों की पर्याप्त भागीदारी एवं प्रतिनिधित्व रहा।

## विमान कंपनियों के विरुद्ध शिकायतें

3506. श्री पी.एस. गढ़वी : क्या कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान निजी विमान कंपनियों के विरुद्ध कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग एवं महानिदेशक (अन्वेषण और पंजीकरण) को भी निजी विमान कंपनियों के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

**कम्पनी कार्य मंत्री (श्री प्रेमचंद गुप्ता)** : (क) नागरिक विमानन मंत्रालय ने सूचित किया है कि उन्हें समय-समय पर यात्रियों से उन सेवाओं/सुविधाओं को न दिये जाने की बहुत अधिक शिकायतें प्राप्त हुई हैं जो एयरलाइन्स द्वारा उन्हें प्रदान की जानी चाहिए। इनमें उड़ानों को विलंब/उड़ानों को रद्द होना, व्हीलचेयर की सुविधा, उड़ान के दौरान आवश्यक सुविधाएं, विलंब हुई/उड़ानों के यात्रियों को भोजन/अल्पाहार आदि निशुल्क प्रदान करना शामिल है।

(ख) नागरिक विमानन के महानिदेशक (डीजीसीए) ने एयरलाइन्स को यह निर्देश दिया है कि यात्रियों को निशुल्क प्रदान की जाने वाली सुविधाओं और मूल्य पर उपलब्ध सुविधाओं की व्यापक जानकारी स्पष्ट रूप से अपने वेबसाइट पर सम्मिलित की जाए। सरकार और डीजीसीए ने घरेलू एयरलाइन संचालकों के साथ बैठकों के दौरान शिकायतों के स्पष्ट उत्तर दिये जाने पर बार-बार बल दिया है।

(ग) जी, हां।

(घ) एकाधिकार और अवरोधक व्यापारिक व्यवहार (एमआरटीपी) आयोग तथा महानिदेशक (जांच एवं पंजीकरण) द्वारा प्राइवेट एयरलाइन्स के विरुद्ध प्राप्त की गई शिकायतों का ब्यौरा क्रमश: विवरण-I तथा II के रूप में संलग्न है। एमआरटीपी आयोग एक अर्द्ध-न्यायायिक निकाय है। जांचें आयोग के समक्ष निर्णयाधीन हैं। चूंकि, ऊपर उल्लिखित मामले आयोग के समक्ष जांच के विभिन्न चरणों में लंबित पड़े हैं, अत: अनियमितताओं के निष्कर्ष या इस पर आदेशित कार्रवाई, यदि कोई हो, कार्यवाही के पूरा होने पर ही ज्ञात हो सकती है।

*विवरण-I*

*विगत तीन वर्षों के दौरान एकाधिकार और अवरोधक व्यापारिक व्यवहार (एमआरटीपी) आयोग को प्राप्त मामलों का ब्यौरा*

| क्र.सं. | यूटीपीई/आरटीपीई सं. | जांच के साथ-साथ प्रतिवादी का शीर्षक | मामले का ब्यौरा |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | *आरटीपीई 23/2004 | कॉक्स एण्ड किंग्स (इं) प्रा.लि. मुम्बई बनाम डेल्टा एयरलाइन्स आईएनसी, मुम्बई | कॉक्स एण्ड किंग्स(इं) प्रा.लि. ने एमआरटीपी अधिनियम की धारा 10(क)(i) के तहत डेल्टा एयर लाइन्स के विरुद्ध शिकायत दर्ज की है। यह आरोप लगाया गया था कि एयरलाइन्य ने शिकायतकर्ता |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| | | | द्वारा आयकर अधिनियम की धारा 143 के तहत अदा की गई कर राशि की वापसी नहीं की। मामले को पक्षों के बीच सुलझा लिया गया है तथा मामला खारिज हो गया है क्योंकि दिनांक 31.5.2006 को इसे वापस ले लिया गया है। |
| 2. | आरटीपीई 26/2004 | खगेश अग्रवाल फरीदाबाद,<br>बनाम<br>जेट एयरवेज (ई.) प्रा.लि. मुम्बई | श्री खगेश अग्रवाल ने एमआरटीपी अधिनियम की धारा 10(क)(i) के तहत टिकटों के मूल्य से संबंधित शिकायत दर्ज की है। मामले, दिनांक 25.4.2006 को आयोग के पास सूचिबद्ध हुआ था तथा अभियोजन की आवश्यकता के कारण मामला खारिज कर दिया गया था, अर्थात् शिकायतकर्ता ने मामले को आगे नहीं बढ़ाया। |
| 3. | आरटीपीई 33/2005 | स्टिक ट्रैवल्स प्रा.लि., नई दिल्ली<br>बनाम<br>मै. वर्जिन एटलांटिक एयरवेज लि., नई दिल्ली | स्टिक ट्रैवल्स प्रा.लि. ने एमआरटीपी अधिनियम की धारा 10(क)(i) के तहत एक शिकायत दर्ज की थी। यह आरोप लगाया गया था कि प्रतिवादी बगैर किसी कारण के शिकायतकर्ता के करार को समाप्ति कर रहा है। मामला दिनांक 15.1.2007 को विचारार्थ सूचिबद्ध है। |
| 4. | आरटीपीई 15/2006 | कंस्युमर एडुकेशन एण्ड रिसर्च सोसाइटी, अहमदाबाद<br>बनाम<br>जेट एयरवेज इण्डिया लि., मुम्बई<br>2. एयर सहारा, लखनऊ<br>3. इंडियन एयर लाइन्स, नई दिल्ली | कंस्युमर एडुकेशन एण्ड रिसर्च सोसाइटी, (सीईआरएस), अहमदाबाद के द्वारा एमआरटीपी अधिनियम, 1969 की धारा 27 के तहत जेट एयरवेज तथा एयर सहारा के विलय की जांच करने का अनुरोध करते हुए शिकायत दर्ज की गई थी। मामला दिनांक 30.11.2006 को आयोग के समक्ष सूचिबद्ध था तथा यह कहते हुए निपटाया गया कि इन दोनों एयरलाइन्स का प्रस्तावित विलय हुआ ही नहीं है। |
| 5. | 30(34)यूटीपीई**/06 | डीजी(आई एण्ड आर)***<br>बनाम<br>सहारा एयरलाइन्स लि., नई दिल्ली | कंपनी कार्य मंत्रालय ने श्री उदय सिंह, संसद सदस्य, लोक सभा द्वारा प्रधानमंत्री के पास जेट एयरवेज द्वारा सहारा एयर लाइन्स को क्रय किए जाने के मामले की जांच डीजी (आई एण्ड आर) के द्वारा जांच करने तथा प्राथमिक जांच रिपोर्ट दर्ज करने का निर्देश देने का अनुरोध करते हुए दिए गए आवेदन को अग्रेषित किया था। डीजी(आई एण्ड आर) ने एक प्राथमिक जांच रिपोर्ट दर्ज की है जिस पर आयोग द्वारा दिनांक 30.11.2006 को विचार किया गया था तथा यह कहते हुए निपटा दिया गया था कि इन दो एयरलाइन्स का प्रस्तावित विलय हुआ ही नहीं। |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 6. | यूटीपीई 36/:2006 | मनीष चौधरी, नई दिल्ली<br>बनाम<br>एरोफ्लोट, नई दिल्ली | श्री मनीष चौधरी ने एमआरटीपी अधिनियम की धारा 36क तथा 12ख के तहत एयरोफ्लोट के विरुद्ध शिकायत दर्ज की थी। यह आरोप लगाया गया था कि शिकायतकर्ता ने वियना में अपनी हवाई टिकट खो दी थी तथा प्रतिवादी कंपनी ने डुप्लीकेट टिकट जारी नहीं किया जिसके कारण उन्हें नुकसान उठाना पड़ा। शिकायतकर्ता, प्रतिवादी द्वारा प्रदत्त सेवाओं से संतुष्ट नहीं था। मामला दिनांक 9.01.2007 को विचारार्थ सूचिबद्ध है। |
| 7. | यूटीपीई 51/2006 | हितीश कुमार, दिल्ली (सूचनादाता)<br>डीजी(आई एण्ड आर)<br>बनाम<br>स्पाइजेट, गुड़गांव | श्री हितीश कुमार ने स्पाइसजेट के विरुद्ध एक शिकायत दर्ज की थी जिसे डीजी (आई एण्ड आर) के पास जांच एवं जांच रिपोर्ट सौंपने का निदेश देते हुए भेज दिया गया था। डीजी (आई एण्ड आर) ने एक प्राथमिक जांच रिपोर्ट दर्ज की है जिसमें यह कहा गया है कि प्रतिवादी एमआरटीपी अधिनियम की धारा 36क के तहत अनुचित व्यापार व्यवहार में संलिप्त था। रिपोर्ट पर विचार किया गया तथा आयोग ने जांच का नोटिस जारी कर दिया है। मामला दिनांक 16.1.2007 को मुद्दे बनाए जाने के लिए सूचिबद्ध है। |
| 8. | यूटीपीई 87/2006 | डीजी (आई एण्ड आर)<br>बनाम<br>विभिन्न एयरलाइन्स<br>1. इंडिया एयरलाइन्स, नई दिल्ली<br>2. गो एयरलाइन्स इंडिया(पी)लि.<br>3. मै. सहारा इंडिया एयरलाइन्स, नई दिल्ली<br>4. डेक्कन एविएशन(पी) लि. बंगलौर<br>5. स्पाइसजेट लि. नई दिल्ली<br>6. मै. एयरलाइन्स एलिट सर्विसेज लिमिटेड (एलायंस एयर) नई दिल्ली | इकॉनोमिक टाइम्स में दिए गए एक समाचार के आधार पर, आयोग ने डीजी (आई एण्ड आर) के द्वारा विभिन्न एयरलाइन्स के मामलों में प्राथमिक जांच के आदेश दिए हैं जिसमें यात्रियों द्वारा खरीदे गए टिकट के रद्द करने पर पैसे के वापसी के निबंधन एवं शर्तों की जांच करना है। सभी एयरलाइन्स को जांच के लिए नोटिस भेज दिए गए हैं तथा सुनवाई की अगली तारीख 14.2.2007 निर्धारित की गई है। |
| 9. | यूटीपीई 90/2006 | सुशील कुमार गुप्ता, नई दिल्ली<br>बनाम<br>स्पाइसजेट, गुड़गांव | सुशील कुमार गुप्ता द्वारा यह आरोप लगाते हुए एक शिकायत दर्ज की गई है कि मैं. स्पाइसजेट ने उनके द्वारा बुक किए गए दिल्ली-श्रीनगर-दिल्ली के लिए हवाई टिकटों के रद्द किए जाने पर राशि की वापसी नहीं की। मामला डीजी (आई एण्ड आर) के पास जांच के लिए भेज दिया गया है। डीजी (आई एण्ड आर) ने प्राथमिक जांच रिपोर्ट दर्ज की है। रिपोर्ट के आधार पर आयोग ने अनुचित व्यापार व्यवहार के लिए जांच स्थापित की है। मामला मुद्दे बनाने के लिए दिनांक 15.1.2007 के लिए सूचीबद्ध है। |

*अवरोधक व्यापारिक व्यवहार जांच, **अनुचित व्यापार व्यवहार जांच, ***महानिदेशक (जांच एवं पंजीकरण)

*विवरण-II*

*महानिदेशक जांच एवं पंजीकरण डीजी (आई एण्ड आर) द्वारा विगत तीन वर्षों के दौरान प्राप्त मामलों का ब्यौरा*

(i) मैसर्स जी, सर्गोवियर लिमिटेड द्वारा, दिनांक 01.08.2005 के पत्र के माध्यम से की गई शिकायतकर्ता द्वारा दिनांक 12.06.2005 को पेरिस से साओपोलो और वापस पेरिस की यात्रा हेतु खरीदने गए एक यात्री टिकट से संबंधित शिकायत प्राप्त हुई थी। शिकायत को कम्पनी के पास भेजा गया। एयरलाइन्स का उत्तर शिकायतकर्ता के जानकारी में लाए जाने पर उसने अपनी शिकायत को आगे कार्रवाई के लिए नहीं बढ़ाया। मामला बन्द कर दिया गया।

(ii) तिमारपुर, दिल्ली निवासी श्री हितेश कुमार कुमार ने दिनांक 31 मई, 2006 को सचिव, एमआरटीपी आयोग को एक शिकायत की कि मैसर्स स्पाइसजेट लिमिटेड ने इन्टरनेट के माध्यम से 99 रुपये प्रतिटिकट के हिसाब से सीटें ऑफर की, लेकिन, कम्पनी ने टिकट बुक करने का वही उपयुक्त तरीका नहीं अपनाया और इसीलिए, शिकायतकर्ता अपने परिवार के लिए गोवा से वापसी का टिकट बुक नहीं करा सका। डीजी आई एण्ड आर द्वारा प्रस्तुत आरंभिक जांच रिपोर्ट के आधार पर, माननीय आयोग ने दिनांक 13 नवम्बर, 2006 के अपने आदेश के तहत जांच का नोटिस जारी किया है।

(iii) डिफेंस कालोनी, नई दिल्ली निवासी श्री सुशील गुप्ता से दिनांक 15.5.2006 को सचिव, एमआरटीपी आयोग के नाम लिखे अपने पत्र के माध्यम से एक शिकायत प्राप्त हुई जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि मैसर्स स्पाइसजेट लिमिटेड दिल्ली से श्रीनगर और वापस दिल्ली आने हेतु बुक किये गए उनके हवाई यात्रा-टिकट के रद्द किये जाने पर टिकट की राशि वापस नहीं कर सका। डीजी, आई एण्ड आर द्वारा प्रस्तुत आरंभिक जांच रिपोर्ट के आधार पर, आयोग ने दिनांक 13 नवम्बर, 2006 के अपने आदेश के तहत टिकट खरीदने हेतु भुगतान की गई राशि की जब्ती से संबंधित इसके नियमों का उल्लंघन करने पर अनुचित व्यापार व्यवहार हेतु जांच संस्थित की है।

(iv) गो-एयरलाइन्स के विरुद्ध श्री देवराज मेनन से 25 दिसम्बर, 2006 को एक शिकायत प्राप्त हुई है जिसमें टिकटों के रद्द होने पर किराया वापस न किये जाने तथा उन व्यक्तियों को कम किराये का लाभ न देने का आरोप लगाया गया है, जिन्होंने पहले से टिकट बुक किया था। शिकायत की जांच की जा रही है।

(v) डीजी आई एण्ड आर द्वारा एमआरटीपी आयोग के समक्ष प्रस्तुत आरंभिक जांच रिपोर्ट (पीआईआर) जिसमें निम्न एयरलाइन्स-मैसर्स गो एयरलाइन्स प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स स्पाइस जेट लिमिटेड के अतिरिक्त इण्डियन एयरलाइन्स लिमिटेड और एलायन्स एयरलाइन्स द्वारा टिकटों के रद्द किये जाने पर इनकी राशि न लौटाए जाने की अनुचित व्यापार व्यवहार की जांच करने का सुझाव दिया गया है। आरंभिक जांच रिपोर्ट माननीय आयोग के विचाराधीन है।

(vi) कोलकाता निवासी श्री हेमन्त पोद्दार से दिनांक 27 नवम्बर, 2006 के पत्र के तहत एक शिकायत प्राप्त हुई जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि मैसर्स इण्डिगो एयरलाइन्स टिकटों के रद्द होने पर इनकी राशि वापस नहीं कर सकी है। शिकायतकर्ता ने उड़ानों का समय आगे बढ़ाने के कारण टिकटों को रद्द कर दिया था। शिकायत की जांच की जा रही है।

(vii) गुवाहाटी निवासी श्री शुभ्रा सप्रु से दिनांक 28 नवम्बर, 2006 के पत्र के तहत एक शिकायत प्राप्त हुई थी जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि इण्डिगो एयरलाइन्स ने 27,594 रुपये कीमत के 6 टिकटों को रद्द किये जाने पर इनकी बुकिंग राशि वापस करने से इन्कार कर दिया है। शिकायत की जांच की जा रही है।

(viii) गुवाहाटी निवासी श्री भुवन दत्ता से दिनांक 28 नवम्बर, 2006 के डीजी आई एण्ड आर के नाम लिखे उनके पत्र के तहत एक शिकायत प्राप्त हुई थी जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि मैसर्स स्पाइसजेट लिमिटेड टिकटों की बुकिंग राशि इनके रद्द होने पर वापस नहीं कर सकी। शिकायत की जांच की जा रही है।

(ix) जेट एयरवेज द्वारा सहारा एयर लाइन्स के खरीदे जाने की रिपोर्ट से संबंधित दिनांक 21 जनवारी, 2006 को श्री उदय सिंह से एक शिकायत प्राप्त हुई थी। माननीय आयोग के समक्ष डीजी आई एण्ड आर द्वारा एक आरंभिक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई। इस मामले को माननीय आयोग द्वारा निपटा दिया गया है।

## निजी विमान कंपनियों के विरुद्ध जांच

3507. **श्री वी.के. ठुम्मर** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्व आसूचना महानिदेशालय ने निजी विमान कंपनियों के विरुद्ध जांच आरंभ की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त विमान कंपनियों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों का स्वरूप क्या है; और

(ग) जांच के क्या परिणाम निकले और इन विमान कंपनियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई करने का प्रस्ताव है?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम)** : (क) और (ख) जी, हां। राजस्व आसूचना निदेशालय ने निजी एयरलाइन्य अर्थात् जेट एयरवेज और एयर सहारा के विरुद्ध मुंबई और दिल्ली में मामले दर्ज किए हैं। ये मामले अंतर्राष्ट्रीय उड़ान के बाद घरेलू उड़ान में परिवर्तित करने वाली उड़ानों के लिए एविएशन टर्बाईन फ्यूल पर सीमा शुल्क का भुगतान नहीं करने के लिए दर्ज किए गए हैं।

(ग) मुंबई में जेट एयरवेज और एयर सहारा के विरुद्ध दर्ज मामलों के संबंध में पक्षकारों ने क्रमश: 67 लाख रु. और 21 लाख रु. के परिवर्तनशील सीमा शुल्क का भुगतान कर दिया है। दिल्ली में उक्त एयरलाइन्स के विरुद्ध दर्ज मामले जांच के अधीन हैं। जांच हो जाने के बाद परिवर्तनशील सीमा शुल्क की वसूली तथा अर्थदंड लगाने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किए जाएंगे।

## कारपोरेट उधारकर्ताओं को अग्रिम

3508. **श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब नेशनल बैंक, मुम्बई की कारपोरेट शाखा ने कारपोरेट उधारकर्त्ताओं को दिए गए एक हजार करोड़ रुपए के अग्रिम को संदेहास्पद घोषित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बैंक ने इनके विरुद्ध कोई कार्रवाई आरंभ की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम)** : (क) और (ख) जी, नहीं। आदिनांक पंजाब नैशनल बैंक की "बड़ी कार्पोरेट शाखा", मुंबई, के 52.32 करोड़ रुपए की अंतर्ग्रस्तता वाले केवल दो गैर-निष्पादनकारी ऋण हैं, जिनमें मुख्यत: मैसर्स पेट्रोनेट एमएचबी लिमिटेड (सरकारी क्षेत्र का उपक्रम) का, 49.78 करोड़ रुपए बकाया वाला, खाता शामिल है।

(ग) से (ङ) मैसर्स पेट्रोनेट एमएचबी लिमिटेड के खाते का वित्तपोषण, नौ अन्य बैंकों के साथ मिलकर, सहायता संघ व्यवस्था के तहत किया गया था और सीडीआर तंत्र के तहत उसका पुनर्गठन किया गया है।

## राज्यों के आवास और शहरी विकास मंत्रियों की बैठक

3509. **श्री एस.के. खारवेनथन** : क्या आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में राज्यों के आवास और शहरी विकास मंत्रियों की बैठक आयोजित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले;

(ग) क्या आवास के संबंध में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और अल्प आय समूहों को प्राथमिकता देने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा)** : (क) और (ख) "आवास एवं मानव बसाव" के बारे में दिनांक 17 और 18 नवंबर, 2006 को हैदराबाद में राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के आवास मंत्रियों का एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था जिसमें राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के आवास मंत्रियों तथा सचिवों/आयुक्तों ने शहरी आवास से संबंधित मुद्दों के बारे में अपने विचारों का आदान-प्रदान किया। इस सम्मेलन में देश में सभी सुविधाओं से युक्त शहर बसाने तथा आवास एवं मानव बसाव का सतत विकास करने, सुरक्षित पर्यावरण सुनिश्चित करने तथा जीवन स्तर को बढ़ाने की आवश्यकता की पुन: पुष्टि की गयी।

(ग) और (घ) इस सम्मेलन में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों एवं कम आय वर्ग वालों के लिए आवासीय परियोजनाओं हेतु निजी क्षेत्र एवं सरकारी क्षेत्र में भूमि तथा आवासों के लिए आरक्षण की आवश्यकता को स्वीकार किया गया।

### सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में संयंत्रों की स्थापना

3510. **श्री वाडिगा रामकृष्ण** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेमी कंडक्टर फैब्रिकेशन और माइक्रो तथा नैनो टेक्नालॉजी से संबंधित प्रस्तावित अत्याधुनिक विनिर्माण परियोजना में सरकार की इक्विटी का निर्धारण किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम)** : (क) और (ख) सेमी कन्डक्टर तथा सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी अन्य उच्च तकनीकी उत्पादों के विनिर्माण से संबंधित एक नीति का प्रतिपादन सरकार में विचाराधीन है।

### बेघर महिलाएं

3511. **श्री सुव्रत बोस** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में बेघर महिलाओं की संख्या कितनी है;

(ख) उनके लिए उपलब्ध आश्रय स्थलों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार का विचार और आश्रय स्थल बनाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन)** : (क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने बताया है कि वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार दिल्ली में बेघर महिलाओं की संख्या 3719 है।

(ख) से (घ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने बताया है कि दिल्ली में छः आश्रय स्थल उपलब्ध हैं तथा एक और आश्रय स्थल प्रस्तावित है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि दिल्ली मास्टर प्लान 2021 के प्रारूप में प्रति एक लाख की जनसंख्या के लिए 1000 वर्गमीटर का रैन-बसेरा सहित बेघर लोगों की आश्रय संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रावधानों की संकल्पना की गई है।

### शहरों में रहने वाले गरीब

3512. **श्री के.एस. राव** : क्या आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य में शहरों में रहने वाले गरीबों की संख्या कितनी है;

(ख) बड़े शहरों में रहने वाले गरीबों की शहर-वार संख्या कितनी है;

(ग) क्या गावों से शहरों की ओर पलायन करने वाले गरीबों की पलायन दर के संबंध में कोई अध्ययन किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) प्रत्येक राज्य में कार्यरत महिला स्व-सहायता समूहों की संख्या कितनी है; और

(च) सरकार द्वारा महिला स्व-सहायता समूहों के सुदृढ़ीकरण हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

**आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा)** : (क) और (ख) योजना आयोग करीब पांच वर्षों के अन्तराल पर सांख्यिकीय तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) द्वारा कराए जाने वाले "घरेलू उपभोक्ता व्यय" संबंधी व्यापक प्रतिदर्श सर्वेक्षण से राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर गरीबी का आंकलन करता है। ऐसे सर्वेक्षण के नवीनतम आकड़े 1999-2000 में कराए गए राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण (एनएसएस) के 55वें राउंड से प्राप्त हुए हैं। वर्ष 1999-2000 के दौरान शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों की संख्या तथा प्रतिशतता क्रमशः 670.07 लाख तथा 23.62% थी। देश के छोटे तथा बड़े शहरों और महानगरीय शहरों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या संबंधी आंकड़े उपलब्ध नहीं है। तथापि वर्ष 1999-2000 के दौरान शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की राज्यवार संख्या तथा प्रतिशतता संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ग) और (घ) आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय ने देश में ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर आने वाले गरीबों की प्रवजन दर के संबंध में इस प्रकार का कोई अध्ययन नहीं कराया है।

(ङ) और (च) स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के अंतर्गत समूह उद्यम स्थापित करने के लिए न्यूनतम 10 सदस्यों के महिला समूहों का गठन किया जाता है। इन समूहों को शहरी क्षेत्रों में महिला एवं बाल विकास (डीडब्ल्यूसीयूए) समूह कहा जाता है। इन समूहों को समूह उद्यम स्थापित करने के लिए परियोजना लागत का 5% अथवा 125000/-, जो भी कम हो, बढ़ी हुई सब्सिडी के रूप में सहायता मुहैया कराई जाती है। जब ये समूह अपने समूह उद्यम क्रियाकलाप के अलावा स्वयं की थ्रिफ्ट एंड क्रेटिड सोसाइटी बनाते हैं तो प्रत्येक समूह के लिए अधिकतम 1000 रु. प्रति सदस्य के हिसाब से 25000/- रु. तक राशि के आवर्ती कोष के रूप में सहायता भी मुहैया कराई जाती है। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के अंतर्गत गठित डीडब्ल्यूसीयूए दलों की राज्यवार संख्या तथा साथ ही स्थापित थ्रिफ्ट सोसाइटीज की संख्या संलग्न विवरण-II में दी गई है।

**विवरण-I**

*शहरी क्षेत्रों में राज्यों द्वारा गरीबी रेखा से नीचे के आबादी की संख्या एवं प्रतिशतता*

| क्र. सं. | राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश | शहरी | |
|---|---|---|---|
| | | व्यक्तियों की संख्या (लाख) | व्यक्तियों का % |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | 60.88 | 26.63 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 0.18 | 7.47 |
| 3. | असम | 2.38 | 7.47 |
| 4. | बिहार | 49.13 | 32.91 |
| 5. | गोवा | 0.59 | 7.52 |
| 6. | गुजरात | 28.09 | 15.59 |
| 7. | हरियाणा | 5.39 | 9.99 |
| 8. | हिमाचल प्रदेश | 0.29 | 4.63 |
| 9. | जम्मू और कश्मीर | 0.49 | 1.98 |
| 10. | कर्नाटक | 44.49 | 25.25 |
| 11. | केरल | 20.07 | 20.27 |
| 12. | मध्य प्रदेश | 81.22 | 38.44 |
| 13. | महाराष्ट्र | 102.87 | 26.81 |
| 14. | मणिपुर | 0.66 | 7.47 |
| 15. | मेघालय | 0.34 | 7.47 |
| 16. | मिजोरम | 0.45 | 7.47 |
| 17. | नागालैंड | 0.28 | 7.47 |
| 18. | उड़ीसा | 25.40 | 42.83 |
| 19. | पंजाब | 4.29 | 5.75 |
| 20. | राजस्थाल | 26.78 | 19.85 |
| 21. | सिक्किम | 0.04 | 7.47 |
| 22. | तमिलनाडु | 49.97 | 22.11 |
| 23. | त्रिपुरा | 0.49 | 7.47 |
| 24. | उत्तर प्रदेश | 117.88 | 30.89 |
| 25. | पश्चिम बंगाल | 33.38 | 14.86 |
| 26. | अंडमान एंव निकोबार द्वीपसमूह | 0.24 | 22.11 |
| 27. | चंडीगढ़ | 0.45 | 5.75 |
| 28. | दादरा एवं नगर हवेली | 0.03 | 13.52 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 29. | दमन और दीव | 0.05 | 7.52 |
| 30. | दिल्ली | 11.42 | 9.42 |
| 31. | लक्षद्वीप | 0.08 | 20.27 |
| 32. | पुडुचेरी | 1.77 | 22.11 |
| | समग्र भारत | 670.07 | 23.62 |

**विवरण-II**

*स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के अंतर्गत गठित डीडब्ल्यूसीयूए समूहों तथा स्थापित थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट सोसाइटियों की राज्यवार संख्या*

| क्र. सं. | राज्य/संघ प्रदेश | गठित डीडब्ल्यूसीयूए समूहों की संख्या | एसजेएसआरवाई के अंतर्गत गठित स्थापित थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट सोसाइटियों की संख्या |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | 16131 | 73872 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 6 | 6 |
| 3. | असम | 120 | 200 |
| 4. | बिहार | 2120 | 0 |
| 5. | छत्तीसगढ़ | 448 | 5524 |
| 6. | गोवा | 4 | 1 |
| 7. | गुजरात | 7203 | 1968 |
| 8. | हरियाणा | 396 | 810 |
| 9. | हिमाचल प्रदेश | 54 | 29 |
| 10 | जम्मू और कश्मीर | 135 | 49 |
| 11 | झारखंड | 0 | 0 |
| 12 | कर्नाटक | 1661 | 12752 |
| 13 | केरल | 1796 | 8632 |
| 14. | मध्य प्रदेश | 3529 | 9949 |
| 15. | महाराष्ट्र | 5454 | 22014 |
| 16. | मणिपुर | 96 | 88 |
| 17. | मेघालय | 11 | 1 |
| 18. | मिजोरम | 337 | 30 |
| 19. | नागालैंड | 179 | 370 |
| 20. | उड़ीसा | 1789 | 2102 |
| 21. | पंजाब | 48 | 106 |
| 22. | राजस्थान | 304 | 432 |
| 23. | सिक्किम | 12 | 20 |
| 24. | तमिलनाडु | 6342 | 15865 |
| 25. | त्रिपुरा | 109 | 156 |
| 26. | उत्तरांचल | 2 | 23 |
| 27. | उत्तर प्रदेश | 3363 | 8437 |
| 28. | पश्चिम बंगाल | 319 | 11995 |
| 29. | अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह | 10 | 4 |
| 30. | चंडीगढ़ | 7 | 34 |
| 31. | दादरा एवं नगर हवेली | 5 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 32. | दमन और दीव | 0 | 0 |
| 33. | दिल्ली | 47 | 56 |
| 34. | पुडुचेरी | 362 | 1070 |
| | कुल | 52399 | 176596 |

*[हिन्दी]*

**अधिक ब्याज दर वसूलना**

3513. **श्री हरिकेवल प्रसाद :**
**श्री तथागत सत्पथी :**
**श्री हरिसिंह चावड़ा :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 2006 की विश्व बैंक की रिपोर्ट में यह उजागर किया गया है कि भारत में व्यवसायियों की तुलना में किसानों से अधिक ब्याज दर वसूली जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) :** (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

*[अनुवाद]*

**केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का अपवंचन**

3514. **श्री निखिल कुमार :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के अपवंचन के मामले सरकार की जानकारी में आए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार देश में उत्पाद शुल्क अपवंचकों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) नवम्बर, 2006 की स्थिति के अनुसार बड़े उत्पाद शुल्क अपवंचकों के नाम क्या हैं; और

(च) सरकार द्वारा अपवंचकों से अब तक ऐसे शुल्क वसूलने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) :** (क) जी, हां।

(ख) गत तीन वित्तीय वर्षों और चालू वित्त वर्ष (नवम्बर, 2006 तक) के लिए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अपवंचन के मामलों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-

| वर्ष | मामलों की संख्या | अंतर्ग्रस्त राशि (करोड़ रु. में) |
|---|---|---|
| 2003-04 | 9091 | 9489 |
| 2004-05 | 7927 | 4273 |
| 2005-06 | 6689 | 4606 |
| 2006-07 | 3407 | 8573 |

(ग) जी, हां।

(घ) जब कभी केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के अपवंचन का पता चलता है, मामले को दर्ज किया जाता है। जांच के पूरा होने पर अपराध की गम्भीरता के अनुरूप संबंधित व्यक्तियों पर अपवंचित शुल्क की राशि के बराबर अर्थदण्ड और व्यक्तिगत अर्थदण्ड के प्रस्ताव संबंधी कारण बताओ सह मांग नोटिस जारी किया जाता है। उपयुक्त मामलों में शुल्क अपवंचकों के खिलाफ अभियोजन चलाया जाता है।

(ङ) उन प्रमुख उत्पाद शुल्क अपवंचकों जिन्होंने नवम्बर, 2006 की स्थिति के अनुसार 25 करोड़ रु. से अधिक का अपवंचन किया है, के नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(च) अपवंचकों से ऐसे शुल्कों को वसूलने के लिए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 और उसके अंतर्गत बनाये गये नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाती है।

**विवरण**

| क्र. सं. | राज्य | कंपनी का नाम | अनुबंध "क" राशि (करोड़ रु.) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | 2003-04 | जी एम आर कार्पोरेशन | 138.32 |
| 2. | 2003-04 | इंडियन अल्यूमिनियम कं.लि. (2 एम सी एन) | 128.27 |
| 3. | 2003-04 | नुमालीगढ़ रिफाइनरीज लि. | 92.17 |
| 4. | 2003-04 | पी एस एल लि. | 72.98 |
| 5. | 2003-04 | एम आर पी एल | 52.87 |
| 6. | 2003-04 | बड़ोदा रेयन कार्पोरेशन लि., सूरत | 50 |
| 7. | 2003-04 | इंडिया कोल एजेंसी | 43.68 |
| 8. | 2003-04 | डी एस पी | 42.51 |
| 9. | 2003-04 | आर के सिगारेट प्रा.लि. वाराणसी | 40.67 |
| 10. | 2003-04 | हिन्दुस्तान मोटर्स लि. | 34.35 |
| 11. | 2003-04 | चम्बल फर्टिलाइजर्स लि., कोटा | 33.59 |
| 12. | 2003-04 | चम्बल फर्टिलाइजर्स लि., कोटा | 33.57 |
| 13. | 2003-04 | अमर ज्योति पैकर्स | 33.2 |
| 14. | 2003-04 | बालाजी ट्रेडिंग कंपनी | 32.28 |
| 15. | 2003-04 | एल जी ई आई पी एल, पांडिचेरी | 30 |
| 16. | 2004-05 | रिलायन्स इंड. लि., जामनगर | 172.86 |
| 17. | 2004-05 | रिलायन्स इंड. लि., जामनगर | 82.28 |
| 18. | 2004-05 | सी पी सी एल | 80.44 |
| 19. | 2004-05 | बी पी सी एल शकूर बस्ती (सार्वजनिक उपक्रम) | 78.11 |
| 20. | 2004-05 | रिलायन्स इंड. लि., जामनगर | 53.67 |
| 21. | 2004-05 | आई ओ सी एल, जयपुर | 37.53 |
| 22. | 2004-05 | आई ओ सी एल, पानीपत | 36.05 |
| 23. | 2004-05 | मुरारी लाल हरिशचन्द्र जायसवाल प्रा.लि. | 34.5 |
| 24. | 2004-05 | इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग प्रा.लि. | 34.41 |
| 25. | 2004-05 | सी पी सी एल | 33.98 |
| 26. | 2004-05 | इब्राहिम गारमेंटस | 27.17 |
| 27. | 2005-06 | सी पी सी एल | 88.44 |
| 28. | 2005-06 | सी पी सी एल | 45.18 |
| 29. | 2005-06 | टेराकाम | 43.85 |
| 30. | 2005-06 | एच पी सी एल, शकूर बस्ती (सार्वजनिक उपक्रम) | 36.99 |
| 31. | 2005-06 | टेराकाम | 36.09 |
| 32. | 2005-06 | रुचि इन्फ्रा स्ट्रक्चर लि. | 28.11 |
| 33. | 2005-06 | एच पी सी एल | 29.63 |
| 34. | 2005-06 | एसोसिएटेड पावर स्ट्रक्चर | 27.22 |
| 35. | 2005-06 | करिश्मा एन्टर प्राइजेज | 26.49 |
| 36. | 2005-06 | डी एस पी | 26.39 |
| 37. | 2005-06 | पी एस एल लि. | 25.18 |
| 38. | 2005-06 | मिराज प्रोडक्ट्स वी टी.टी डी | 25 |
| 39. | 2006-07 | जे एस डब्ल्यू स्टील्स लि. | 121.99 |
| 40. | 2006-07 | जिलेट इंडिया लि. बाह्डी | 86.43 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 41. | 2006-07 | जी पी आई लि. | 67.55 |
| 42. | 2006-07 | एस्कोर्टस लि., फरीदाबाद | 60.18 |
| 43. | 2006-07 | स्टरलाइट इण्डस्ट्री. लि. | 47.87 |
| 44. | 2006-07 | कम्प्यूटर ग्राफिक्स लि. | 40.74 |
| 45. | 2006-07 | टाइटन इण्डस्ट्रीज | 27.58 |
| 46. | 2006-07 | रोनी सिल्क | 27.38 |
| 47. | 2006-07 | जिंदल ड्रग्स लि. जम्मू | 27 |
| 48. | 2006-07 | इंटरनेशनल टेक्ट्र लि. | 26.21 |
| 49. | 2006-07 | भूषण लि. | 26.12 |
| 50. | 2006-07 | शार्प मैंथोल इंण्डिया लि. एंड अन्य | 25 |

**जमा और अग्रिम**

3515. **श्री बसुदेव आचार्य** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र के बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की ग्रामीण शाखाओं के एक कर्मचारी द्वारा औसतन कितनी ऋण राशि और खाते हैंडल किए जाते हैं; और

(ख) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की ग्रामीण शाखाओं तथा ग्रामीण क्षेत्र में स्थित सरकारी क्षेत्र के प्रत्येक बैंक द्वारा क्रमशः जमाओं और अग्रिमों के अंतर्गत कितने परिवारों को कवर किया गया है?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम)** : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, 31 मार्च, 2005 की स्थिति के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की जमाराशि एवं ऋण बकाया से संबंधित खातों की संख्या एवं राशि (प्रति व्यक्ति आंकड़े सहित) के संबंध में, जनसंख्या समूह-वार आंकड़े संलग्न विवरण में दिए गये हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि जमाराशि एवं अग्रिम राशि द्वारा कवर किए गये परिवारों के संबंध में सूचना उपलब्ध नहीं है।

**विवरण**

*सरकारी क्षेत्र के बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की जनसंख्या का समूह-वार जमाराशि और प्रति कर्मचारी ऋण*
*(31 मार्च की स्थिति के अनुसार)*

**सरकारी क्षेत्र के बैंक** मार्च, 2005

**(खाते हजार में, धनराशि लाख रु. में)**

| जनसंख्या समूह | जमाराशि | | कुल ऋण | | कुल कर्मचारियों की संख्या | प्रति कर्मचारी जमा-खातों की औसत संख्या | प्रति कर्मचारी औसत जमाराशि (लाख रुपये में) | प्रति कर्मचारी ऋण खातों की औसत संख्या | प्रति कर्मचारी औसत ऋण राशि (लाख रुपये में) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | खातों की संख्या | राशि | खातों की संख्या | बकाया राशि | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ग्रामीण | 93370 | 16089162 | 17320 | 8243844 | 127930 | 730 | 125.77 | 135 | 64.44 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| अर्द्ध शहरी | 102366 | 24520344 | 13911 | 10973081 | 165114 | 620 | 148.51 | 84 | 66.46 |
| शहरी/महानगरीय | 160953 | 88988268 | 12693 | 62517445 | 442310 | 364 | 201.19 | 29 | 141.34 |
| कुल | 356689 | 129597774 | 43924 | 81734370 | 735354 | 485 | 176.24 | 60 | 111.15 |

**क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक** मार्च, 2005

**(खाते हजार में, धनराशि लाख रु. में)**

| जनसंख्या समूह | जमाराशि | | कुल ऋण | | कुल कर्मचारियों की संख्या | प्रति कर्मचारी जमा-खातों की औसत संख्या | प्रति कर्मचारी औसत जमाराशि (लाख रुपये में) | प्रति कर्मचारी ऋण खातों की औसत संख्या | प्रति कर्मचारी औसत ऋण राशि (लाख रुपये में) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | खातों की संख्या | राशि | खातों की संख्या | बकाया राशि | | | | | |
| ग्रामीण | 43540 | 4095713 | 10913 | 2301735 | 45062 | 966 | 90.89 | 242 | 51.08 |
| अर्द्ध शहरी | 11625 | 1515459 | 2764 | 752916 | 14323 | 812 | 105.81 | 193 | 52.57 |
| शहरी/महानगरीय | 2523 | 533518 | 491 | 214232 | 6214 | 406 | 85.86 | 79 | 34.48 |
| कुल | 57688 | 6144690 | 14168 | 3268883 | 65599 | 879 | 93.67 | 216 | 49.83 |

स्रोत : भारत के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की मूल सांख्यिकी विवरणियां

*[हिन्दी]*

**झालावाड़ में ताप विद्युत संयंत्र की स्थापना**

**3516. श्री रघुवीर सिंह कौशल** : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के किसी दल ने राजस्थान के झालावाड़ कस्बे में ताप विद्युत संयंत्र की स्थापना की संभावनाओं का पता लगाने हेतु वहां का दौरा किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले; और

(ग) इस पर क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई है?

**विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे)** : (क) जी हां। राजस्थान सरकार के अनुरोध पर केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की स्थल चयन समिति की एक टीम ने राजस्थान में 1000 मे.वा. की कोयला आधारित ताप विद्युत परियोजना की स्थापना की गुंजाइश तलाशने के लिए 14.11.2006 को राजस्थान के झालावाड़ जिले के दो विभिन्न स्थानों, यथा झालरापाटन में निमोधा गांवा तथा अकलेरा तहसील में बोरखेरी-गुजरन गांव का निरीक्षण किया।

(ख) और (ग) टीम की प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार निमोधा गांव स्थित स्थल 1000 मेगावाट के विद्युत संयंत्र की स्थापना के लिए तकनीकी-आर्थिक रूप से व्यवहार्य प्रतीत होता है, बशर्ते कि परियोजना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति तथा जल संबंधी प्रबंध सुनिश्चित हो जाए। बोरखेरी स्थल के लिए भूमि, जल एवं रेल कनेक्टिविटी आदि से संबंधित

अगली जांच की जानी है। टीम के प्रारंभिक निष्कर्ष राजस्थान सरकार को ज्ञापित कर दिए गए हैं। राजस्थान सरकार ने दिनांक 29.11.2006 के पत्र द्वारा के.वि.प्रा. को सूचित किया है कि पर्यावरणीय स्वीकृति एवं अन्य घटकों के प्रबंध के लिए आवश्यक कार्रवाई कर रहे हैं।

*[अनुवाद]*

**कर्नाटक को केन्द्रीय सहायता**

**3517. श्री एम. शिवन्ना :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने राज्य में सड़कों के उन्नयन/चौड़ीकरण हेतु राज्य परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता जारी करने हेतु केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गयी है?

**शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) :** (क) जी हां।

(ख) और (ग) कर्नाटक सरकार ने सड़कें सुधारने/चौड़ी करने के लिए जवाहरलाल नेहरु राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के अंतर्गत 6 परियोजनाएं प्रस्तुत की हैं। इनमें 3 परियोजनाएं केन्द्रीय स्वीकृति और मॉनीटरिंग समिति (सीएसएमसी) द्वारा अनुमोदित की गई हैं, जबकि 2 परियोजनाओं का मूल्यांकन किया जा रहा है और शेष 1 परियोजना तकनीकी मूल्यांकन एजेंसी के परामर्श पर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में संशोधन करने के लिए राज्य सरकार को वापस कर दी गई है। ब्यौरा संलग्न विवरण में है।

छोटे तथा मझोले कस्बों की शहरी अवस्थापना विकास स्कीम (यूआईडीएसएसएमटी) के अंतर्गत दिनांक 2.11.2006 को राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति (एसएलएससी) द्वारा 3128.40 लाख रुपए की लागत पर देवनगिरी कस्बे के लिए सड़कों के सुधार/निर्माण के लिए एक परियोजना अनुमोदित की गई है।

**विवरण**

*जवाहरलाल नेहरु राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम)*

*सड़क/फ्लाईओवर सेक्टर के अंतर्गत कर्नाटक से प्राप्त स्थित परियोजना रिपोर्ट की स्थिति*

| क्र. सं. | राज्य | शहर | सेक्टर | परियोजना का नाम | अनुमानित लागत (लाख रु में) | मंत्रालय में डीपीआर प्राप्ति की तारीख | स्थिति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | कर्नाटक | बंगलौर | सड़क/फ्लाईओवर आरओबी | मेल्लेश्वरम सर्कल पर ग्रेड सेपरेटर | 1448.00 | 3.10.06 | अनुमोदित |
| 2. | कर्नाटक | बंगलौर | सड़क/फ्लाईओवर आरओबी | मिनर्वा सर्कल पर पर ग्रेड सेपरेटर | 2508.00 | 3.10.06 | संशोधन हेतु डीपीआर वापस |
| 3. | कर्नाटक | बंगलौर | सड़क/फ्लाईओवर आरओबी | एमजी रोड क्षेत्र के आसपास पटरी का सुधार तथा सड़कों पर डामर कार्य | 4850.00 | 3.10.06 | मूल्यांकनाधीन |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | कर्नाटक | बंगलौर | सड़क/फ्लाईओवर आरओबी | कोरा मंगला क्षेत्र के आसपास पटरी का सुधार तथा सड़कों पर डामर कार्य | 4916.80 | 3.10.06 | मूल्यांकणाधीन |
| 5. | कर्नाटक | बंगलौर | सड़क/फ्लाईओवर आरओबी | टैगोर सर्कल पर अंडर पास का निर्माण | 2065.30 | 11.10.06 | अनुमोदित |
| 6. | कर्नाटक | बंगलौर | सड़क/फ्लाईओवर आरओबी | आर.वी. टीचर्स कॉलेज सर्कल पर अंडरपास का निर्माण | 1587.00 | 11.10.06 | अनुमोदित |
| | | | | कुल | 17375.10 | | |

**इथियोपिया को ऋण**

3518. **श्री वास्तव्योरी वरलक्ष्मनेनी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार इथियोपिया को आसान ऋण देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके निबंधन और शर्तें क्या हैं;

(ग) क्या इसी प्रकार का ऋण किसी अन्य देश को मुहैया कराने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम)** : (क) और (ख) जी हां। भारत सरकार द्वारा समर्थित भारत के निर्यात आयात बैंक द्वारा इथियोपिया सरकार को उनके चीनी उद्योग के नवीकरण हेतु 640 मिलियन अमरीकी डालर की ऋण श्रृंखला देने का एक प्रस्ताव विचाराधीन है। तथापि, तत्संबंधी शर्तें यथासमय तय कर ली जाएंगी।

(ग) जी, हां।

(घ) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

**विवरण**

*विभिन्न देशों को भारत सरकार द्वारा समर्थित भारतीय निर्यात-आयात बैंक की ऋण श्रृंखलाओं के प्रस्तावों के ब्यौरे*

| क्र. सं. | प्राप्तकर्ता देश | ऋण श्रृंखला की राशि (मिलियन अमरीकी डालर) | प्रयोजन |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | श्री लंका | 100 | रक्षा उपस्कर खरीद/आपूर्ति। |
| 2. | नेपाल | 35 | विभिन्न सड़क, विद्युतीकरण और पन बिजली परियोजनाओं हेतु। |
| 3. | मारीशस | 60 | पूंजीगत सामान का आयात, उन्नत हल्के हेलीकाप्टर का क्रय, सड़कों का निर्माण, पेयज उत्पादों की खरीद और आईसीटी शिक्षा। |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 4. | सूडान | 48 | कृषि निविष्टि, तकनीकी और प्रयोगशाला उपस्कर, वैज्ञानिक उपस्कर, सौर विद्युतीकरण और सूडान रेलवे की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए। |
| 5. | गैबन | 14.45 | आवास परियोजना के लिए। |
| 6. | म्यांमार | 80 | हैवी ड्यूटी पानी के पंपों की आपूर्ति और विद्युत परियोजना। |
| 7. | लाओपीडीआर | 17.34 | कृषि और सिंचाई योजनाओं के लिए। |
| 8. | कंबोडिया | 35.20 | जल संसाधन विकास परियोजना, पानी के पंप और बिजली पारेषण लाइन परियोजना के लिए। |
| 9. | वियतनाम | 45 | ताप संयंत्र परियोजना हेतु। |

**कांफ्रेस ऑन प्रॉ पूअर अर्बन गवर्नेंस**

3519. **श्री इकबाल अहमद सरडगी :** क्या आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कांफ्रेस ऑन प्रॉ पूअर अर्बन गवर्नेंस एण्ड प्लानिंग, मलिन बस्ती उन्नयन और दिल्ली में वित्तीय तौर पर सक्षम शहरीकरण के मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के लिए हाल ही में सरकार द्वारा संयुक्त राष्ट्र पर्यावास के सहयोग से एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और किन मुद्दों पर चर्चा की गयी और इन पर क्या निर्णय लिए गए; और

(ग) निर्णयों को लागू करो के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

**आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा) :** (क) से (ग) आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय दिनांक 13 से 16 दिसम्बर, 2006 तक विज्ञान भवन, नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र संघ पर्यावास के सहयोग से आवास एवं मानव बसावट के बारे में प्रथम एशिया-प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन आयोजित कर रहा है। इस सम्मेलन का उद्देश्य शहरीकरण, आवास एवं पर्यावास प्रबंधन, मिलेनियम विकास लक्ष्य, शहरी गरीबी तथा स्लम विकास की चुनौतियों का समाधान करना तथा समेकित विकास के लिए नीतियों का विकास करना है जिसमें भूमि तथा आवास महत्वपूर्ण घटक हैं। इस सम्मेलन का उद्देश्य भूमि तथा आवास और गरीबी उपशमन के लिए राष्ट्रीय और नगरीय स्तर की नीतियों के संबंध में जानकारी का आदान-प्रदान करना है।

**भारतीय स्टेट बैंक में अधिकारियों द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति मांगना**

3520. **श्री सुबोध मोहिते :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय स्टेट बैंक (एस.बी.आई.) के अधिकारियों ने काफी संख्या में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति मांगी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा भारतीय स्टेट बैंक में अच्छी कार्य परिस्थितियां मुहैय्या कराने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमणिक्कम) :** (क) और (ख) भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने 29 अप्रैल, 2005 से सेवानिवृत्ति विकल्प योजना प्रारम्भ की थी और 1 नवम्बर, 2006 से इसे वापिस ले लिया गया था। एसबीआई में कुल 58600 अधिकारियों में से, बैंक द्वारा 4068 अधिकारियों को कार्यमुक्त किया गया।

एसबीआई द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति मांगने के मुख्य कारण अगले ग्रेड/वेतनमान में पदोन्नति के लिए अवसर गंवा देना, खराब स्वास्थ्य व्यक्तिगत कारण एवं अनुपयुक्त स्थान पर तैनाती है।

(ग) एसबीआई के कर्मचारियों की सेवा शर्तें राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्मचारियों के तुल्य हैं। एसबीआई में कम्प्यूटरीकरण एवं स्वचलीकरण (आटोमेशन) के कारण इसकी कार्य-दशा में सुधार हुआ है।

*[हिन्दी]*

**ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु ऋण पर ब्याज राज-सहायता**

3521. **श्री राजेश पाठक :** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या उपलब्धियां हासिल हुई हैं;

(ग) क्या ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए ऋणों पर ब्याज राजसहायता प्रदान करने का कोई निर्णय लिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे) :** (क) जी, हां। सरकार ने आरजीजीवीवाई के तहत् अप्रैल, 2005 से प्रारंभ 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 50,000 गांवों को विद्युतीकृत करने का लक्ष्य रखा है। निर्धारित किए गए लक्ष्य का वर्ष-वार विवरण निम्नानुसार है–

| वर्ष | विद्युतीकृत किए जाने वाले गांवों की संख्या |
|---|---|
| 2005-06 | 10,000 |
| 2006-07 | 40,000 |
| कुल | 50,000 |

(ख) क्रियान्वयक राज्यों/एजेंसियों ने सूचित किया है कि राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत अप्रैल, 2005 से इसके प्रारंभ होने से 8.12.2006 तक 23014 अविद्युतीकृत गांवों का विद्युतीकरण किया जा चुका है।

(ग) और (घ) रुरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन लि. (आरईसी) ऋण संघटक के लिए 5% ब्याज दर पर सुलभ ऋण प्रदान करता है जो कि कुल परियोजना लागत का दस प्रतिशत है।

**लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन**

3522. **श्री रामदास आठवले :**
**श्री एम. राजा मोहन रेड्डी :**
**श्री पी.सी. चाको :**

क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्वाचन आयोग ने चुनावों के दौरान उम्मीदवारों द्वारा किए जाने वाले अत्यधिक खर्च को नियंत्रित करने हेतु लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन करने की सलाह दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

**विधि और न्याय मंत्री (श्री हंस राज भारद्वाज) :** (क) सरकार को निर्वाचनों के दौरान अभ्यर्थियों द्वारा उपगत अत्यधिक खर्च को नियंत्रित करने के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन करने के लिए निर्वाचन आयोग से कोई सलाह प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

**कम लागत पर विद्युत उत्पादन हेतु अनुसंधान**

3523. **श्री दरोगा प्रसाद सरोज :** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विद्युत उत्पादन की लागत कम करने हेतु कोई अनुसंधान और विकास कार्य किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे) :** (क) और (ख) जी हां। विद्युत क्षेत्र के संगठन यथा-केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान (सीपीआरआई), एनटीपीसी लि., भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि. (बीएचईएल), नेशनल हाइड्रो-इलेक्ट्रिक कारपोरेशन (एनएचपीसी) तथा वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) की कुछ प्रयोगशालाएं, अपनी अनुसंधान प्रयोगशालाओं तथा अन्य संगठनों में उपलब्ध सुविधाओं के माध्यम से विद्युत उत्पादन की लागत को कम करने के लिए अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं संचालित कर रहे हैं। कुछ विशिष्ट क्षेत्र, जहां अनुसंधान एवं विकास कार्य किया जा रहा है, ब्यौरे विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

निम्नलिखित क्षेत्रों में इस समय कम लागत पर विद्युत उत्पादन अनुसंधान एवं विकास (आर एण्ड डी) कार्य किया जा रहा है:–

– बेसिन, नदियों एवं जलाशयों के तलछट प्रबंधन, जलाशयों/इनटेक, मलबा एवं लट्ठा प्रबंधन बेसिन तलछट प्रबंधन में ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जीपीएस) का प्रयोग जलाशय तलछट प्रबंधन, नदी बहाव/प्रवाह मापन, बाढ़ पूर्वानुमान इत्यादि।

– क्रोमियम निकल सी-13 क्रोम 4 निकल के जंग रहित इस्पात के संशोधित विकल्प के रूप में "जल विद्युत जेनरेटर्स की टरबाईनों के लिए गाद क्षरण प्रतिरोधी सामग्री का विकास" नामक अनुसंधान परियोजना।

– (i) विश्वसनीयता एवं उपलब्धि में वृद्धि (ii) दक्षता में सुधार तथा (iii) ईंधन के श्रेष्ठतम उपयोग के द्वारा विद्युत उत्पादक लागत में कमी लाने हेतु अनेक विद्युत केन्द्रों को वैज्ञानिक सेवाएं देने का प्रख्यान।

– विनिर्दिष्ट संघटकों को चलाने/मरम्मत करने/बदलने का निर्णय लेने के लिए केन्द्रों को सहायता देने के लिए लाभप्रद (हेल्प) आकलन अध्ययन जिसमें अनुरक्षण लागत में कमी आने के साथ-साथ संयत्र के जीवन काल से सुधार/सुलभता में सहायता।

– संयंत्र संघटकों की सुलभता तथा दक्षता के सुधार में केंद्रों को सहायता देने के लिए जंग नियंत्रण उपाय।

– बॉयलर्स तथा टरबाइन की दक्षता में सुधार लाने के लिए कार्यक्रम वृद्धि तथा गणितीय प्रतिरूपण पर आधारित वास्तविक समय प्रयालक परामर्शक/पर्यवेक्षकीय मापदंड।

– निर्बात सुधारने के लिए डियाजिट्स के न्यूनीकरण हेतु कंडेंसरों की जल-रसायन में सुधार।

– कूलिंग टावरों की दक्षता में सुधार लाने हेतु मॉडलिंग एवं सिम्यूलेशन अध्ययन।

– दूसरी प्रणालियों से फ्लू गैस हीट रिकवरी तथा वेस्ट हीट रिकवरी का विकास।

– निकटस्थ ईंधन कण आकार वितरण बनाएं रखते हुए दहन दक्षता में सुधार।

– सहायक पंखों तथा नलिकाओं के उन्नत कार्य-निष्पादन द्वारा सहायक विद्युत खपत में कमी लाना।

– आर एंड डी पहल के रूप में रोबाटिक्स सदृश स्वचालित निरीक्षण मशीनों का विकास शुरू किया जा रहा है।

– विश्वनीयता बढ़ाने के लिए कोल-फायर्ड बॉयलर्स के लिए कम्यूटरीकृत फ्लो डिजाइन (सीएफडी) माडलिंग का विकास।

– एकीकृत गैसीकरण मिश्रित चक्र (आईजीसीसी) सदृश अधिक दक्ष प्रौद्योगिकी का विकास।

– ऊर्जा लेखा-परीक्षा तथा मानचित्रण।

– सामग्री विकास तथा सिम्यूलेशन तकनीक।

– कोयला अनुसंधान (ब्लेंडिंग एवं लाभग्रहिता)।

– टरबाइन ब्लेड तथा जलमग्न पुर्जों की कोटिंग।

*[अनुवाद]*

**प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के निर्माण हेतु नाबार्ड से सहायता**

**3524. श्री जी. करुणाकर रेड्डी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नाबार्ड कर्नाटक में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के निर्माण हेतु राज्य को वित्तीय सहायता मुहैया कराने पर सहमत हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) नाबार्ड द्वारा इस प्रयोजनार्थ कर्नाटक को दी जाने वाली प्रस्तावित धनराशि कितनी है; और

(घ) नाबार्ड की सहायता से कर्नाटक में कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण किए जाने की संभावना है?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम)** : (क) से (घ) जी, हां। नाबार्ड ने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (पीएचसी) के निर्माण हेतु ग्रामीण मूलभूत सुविधा विकासनिधि (आरआईडीएफ)

के तहत कर्नाटक सरकार को ऋण मंजूर किया है जिसका ब्यौरा निम्नलिखित है:–

(रुपए करोड़ में)

| ब्यौरा | वर्ष | प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र | ऋण-राशि |
|---|---|---|---|
| आरआईडीएफ-VIII | 2002-03 | 94 | 19.78 |
| आरआईडीएफ-XI | 2005-06 | 97 | 28.99 |
| कुल | | 191 | 48.77 |

इसके अतिरिक्त, कर्नाटक सरकार से 4.02 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता से 12 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण करने हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, जिस पर विद्यमान प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई की जा रही है।

*[हिन्दी]*

### पैंच परियोजना

3525. **श्री कृष्ण मुरारी मोघे** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पैंच परियोजना को इंडो-जर्मन द्विपक्षीय विकास सहयोग नामक विदेशी वित्तपोषण एजेंसी से सहायता मिल रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन)** : (क) और (ख) पैंच परियोजना को बाह्य वित्त पोषण एजेंसी/इंडो-जर्मन द्विपक्षी विकास सहयोग कार्यक्रम से कोई सहायता नहीं मिल रही है।

*[अनुवाद]*

### पुनर्उपयोगीकृत ऊर्जा पर भारत-क्यूबा समझौता

3526. **श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया** : क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और क्यूबा ने पुनर्उपयोगीकृत ऊर्जा के संबंध में एक द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अभी तक कितनी प्रगति हुई है?

**नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार)** : (क) से (ग) जी हां। बायोमास, लघु पनबिजली, सौर तापीय और सौर प्रकाशवोल्टीय सहित अक्षय ऊर्जा के विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के लिए भारत सरकार और क्यूबा गणराज्य की सरकार के बीच एक प्रोटोकॉल पर हवाना में दिनांक 18 फरवरी, 2004 को हस्ताक्षर किए गए। इस प्रोटोकॉल के क्रम में क्यूबा के प्राधिकारियों के साथ विचार-विमर्श किए गए हैं।

### द्वारका में पानी की आपूर्ति

3527. **श्री सुग्रीव सिंह** :
**श्री किसनभाई वी. पटेल** :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने द्वारका उपनगर में पानी की आपूर्ति को पूरा करने के लिए कमांड टैंकों को बनाने की योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और आज तक कमांड टैंकों के निर्माण और उसके उपयोग में कितनी प्रगति हुई है;

(ग) इन टैंकों के निर्माण पर कितनी राशि खर्च हुई है;

(घ) इस उपनगर के लोगों को किस सीमा तक लाभ हुआ है; और

(ङ) सरकार द्वारा इन टैंकों को शीघ्रातिशीघ्र उपयोग योग्य बनाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

**शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन)** : (क) और (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने बताया है कि द्वारका में जल आपूर्ति के लिए छः कमांड टैंकों की योजना बनाई गई थी। कमांड टैंक संख्या 1 से 4 का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। कमांड टैंक संख्या 5 का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है तथा कमांड टैंक संख्या 6 योजना स्तर पर है।

(ग) डीडीए ने बताया है कि कमांड टैंक संख्या 1 से 4 के निर्माण पर 39.10 करोड़ रुपये का व्यय हुआ। कमांड टैंक संख्या 5 के निर्माण पर आज की तिथि तक 2.23 करोड़ रुपये का व्यय हुआ है।

(घ) डीडीए ने यह भी बताया है कि सीमित जल आपूर्ति उपलब्ध होने के कारण केवल दो कमांड टैंकों का उपयोग किया जा रहा

है। तथापि, पूरे द्वारका उप-नगर को जल की आपूर्ति करने हेतु सभी चार कमांड टैंकों के नेटवर्क का उपयोग किया जा रहा है।

(ङ) द्वारका में जल आपूर्ति को बढ़ाने से संबंधित मामला नांगलोई जल शोधन संयंत्र के लिए दिल्ली जल बोर्ड को बढ़ी हुई अशोधित जल आपूर्ति की उपलब्धता से संबंधित है। दिल्ली जल बोर्ड ने बताया है कि उन्होंने इस मामले को हरियाणा सरकार के साथ-साथ केन्द्रीय जल आयोग के साथ उठाया है।

**भूमि अर्जन की प्रक्रिया**

**3528. श्री एस.के. खारवेनचन :** क्या आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूमि अर्जन की प्रक्रिया को सरल बनाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

**आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा) :** (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

*[हिन्दी]*

**ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम**

**3529. श्री हरिकेवल प्रसाद :**
**श्री गिरिधारी यादव :**

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एन टी पी सी) को देश में ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम में तेजी लाने की कोई भूमिका दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) एन टी पी सी द्वारा अभी तक राज्यवार कितने गांवों का विद्युतीकरण किया गया है?

**विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे) :** (क) और (ख) जी, हां। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल के 29 जिलों में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) के तहत् ग्रामीण विद्युतीकरण संबंधी कार्यों का निष्पादन कार्य नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन (एनटीपीसी) को सौंपा गया है। संबंधित राज्य सरकारों से प्राप्त विस्तृत परियोजना रिपोर्टों के अनुसार एनटीपीसी को सौंपे गए इस कार्यभार में, अब तक 27 जिलों के 13639 अविद्युतीकृत गांवों का विद्युतीकरण, निर्विद्युत किए गए 2277 गांवों का पुन: विद्युतीकरण तथा 19977 विद्युतीकृत गांवों का गहन विद्युतीकरण किया जाना शामिल है। राज्यवार/जिलावार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) एनटीपीसी ने अब तक पश्चिम बंगाल के पश्चिमी मेदिनीपुर जिले के खड़गपुर ब्लॉक के 83 गांवों का विद्युतीकरण किए जाने की सूचना दी है।

**विवरण**

*आरजीजीवाई के कार्यान्वयन के लिए एनटीपीसी को आवंटित जिलों हेतु डीपीआर के ब्यौरे*

| क्र. सं. | राज्य एवं जिले का नाम | परियोजना के अंतर्गत आवास विद्युतीकरण हेतु शामिल गांव | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | गैर विद्युतीकृत गांवों की संख्या | निर्विद्युतीकृत गांवों की संख्या | विद्युतीकृत गांवों की संख्या | आवास विद्युतीकरण हेतु शामिल गांवों की संख्या |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **छत्तीसगढ़** | | | | |
| 1. | चंपा जंजगीर | | | 889 | 889 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | कोरबा | 17 | 32 | 573 | 622 |
| 3. | बिलासपुर | 0 | 0 | 1565 | 1565 |
| 4. | जशपुर नगर | 23 | | 672 | 695 |
| 5. | रायगढ़ | 36 | 0 | 1397 | 1433 |
| | कुल छत्तीसगढ़ | 76 | 32 | 5096 | 5204 |
| | झारखंड | | | | |
| 1. | देवघर | 1295 | 119 | 760 | 2174 |
| 2. | जामतारा | 685 | 0 | 278 | 963 |
| 3. | गोड्डा | 1168 | 65 | 391 | 1624 |
| 4. | दुमका | 2253 | 49 | 365 | 2667 |
| 5. | रांची | 1109 | 177 | 704 | 1990 |
| 6. | पाकुर | 902 | 82 | 144 | 1128 |
| 7. | लोहरदंगा | 138 | 144 | 69 | 351 |
| 8. | साहिबगंज | 943 | 181 | 183 | 1307 |
| | कुल (झारखंड) | 8493 | 817 | 2894 | 12204 |
| | मध्य प्रदेश | | | | |
| 1. | गुना | 0 | 0 | 1241 | 1241 |
| 2. | अशोकनगर | 0 | 72 | 746 | 818 |
| 3. | शिवपुरी | 11 | 0 | 1305 | 1316 |
| 4. | ग्वालियर | 0 | 0 | 583 | 583 |
| | कुल (मध्य प्रदेश) | 11 | 72 | 3875 | 3958 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | **उड़ीसा** | | | | |
| 1. | अंगूल | 280 | 314 | 1034 | 1628 |
| 2. | नयागढ़ | 335 | 268 | 873 | 1476 |
| 3. | ढेनकनाल | 87 | 163 | 828 | 1078 |
| 4. | जारसुगुडा | 16 | 27 | 305 | 348 |
| 5. | कोरापुट | 1256 | 17 | 579 | 1852 |
| 6. | संबलपुर | 382 | 76 | 766 | 1224 |
| 7. | देवागढ़ | 319 | 29 | 344 | 692 |
| 8. | कालाहांडी | 1147 | 46 | 920 | 2113 |
| 9. | बोलानगिर | 369 | 95 | 1300 | 1764 |
| 10. | कियोंझर | 643 | 321 | 1163 | 2127 |
| | कुल (उड़ीसा) | 4834 | 1356 | 8112 | 14302 |
| | **पश्चिम बंगाल** | | | | |
| 1. | पश्चिम मिदनापुर (केवल खडगपुर ब्लॉक) | 225 | | | 225 |
| 2. | **पश्चिम मेदनिपुर (केवल खरगपुर ब्लाक) अनुपूरक डीपीआर** | | | | |
| | कुल (पश्चिम बंगाल) | 225 | | | 225 |
| | सकल योग | 13639 | 2277 | 19977 | 35893 |

*[अनुवाद]*

**भारत में विदेशी कंपनियां**

**3530. श्री बाडिगा रामकृष्णा :** क्या कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में इस समय राज्यवार कितनी विदेशी कंपनियां कार्यरत हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान कितनी विदेशी कंपनियों का पंजीकरण किया गया;

(ग) क्या सरकार को विभिन्न दस्तावेजों को भरने हेतु शुल्क आदि के माध्यम से राजस्व प्राप्त होता है;

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान इन कंपनियों से प्राप्त राशि का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा ऐसी कंपनियों को क्या रियायतें/सुविधाएं दी गई है?

**कंपनी कार्य मंत्री (श्री प्रेमचंद गुप्ता)** : (क) वर्तमान में, भारत से बाहर निगमित की गई 2069 विदेशी कंपनियों ने भारत में कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 592(1) के अंतर्गत अपने व्यापारिक केन्द्र स्थापित किए हैं। इनका राज्यवार ब्यौरा निम्नानुसार हैं:–

| राज्य | भारत में कार्यरत विदेशी कंपनियों की संख्या |
|---|---|
| 1 | 2 |
| आंध्र प्रदेश | 26 |
| बिहार | 01 |
| दिल्ली | 1280 |
| गुजरात | 15 |
| हरियाणा | 57 |
| जम्मू और कश्मीर | 01 |
| कर्नाटक | 159 |
| केरल | 07 |
| मध्य प्रदेश | 03 |
| महाराष्ट्र | 361 |
| उड़ीसा | 05 |
| पांडिचेरी | 01 |
| राजस्थान | 02 |
| तमिलनाडु | 75 |
| उत्तर प्रदेश | 14 |
| पश्चिम बंगाल | 62 |
| कुल | 2069 |

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान पंजीकृत की गई विदेशी कंपनियों की संख्या निम्नानुसार है:–

| क्र. सं. | वित्तीय वर्ष | विदेशी कंपनियों की संख्या |
|---|---|---|
| 01. | 2003-04 | 152 |
| 02. | 2004-05 | 167 |
| 03. | 2005-06 | 211 |

(ग) जी, हां।

(घ) विगत तीन वर्षों के दौरान इन कंपनियों से प्राप्त की गई शुल्क राशि निम्नानुसार है:–

| क्र. सं. | वित्तीय वर्ष | विभिन्न दस्तावेज दायर करने हेतु इन कंपनियों से प्राप्त की गई शुल्क राशि, आदि |
|---|---|---|
| 01. | 2003-04 | 2,63,17,225 |
| 02. | 2004-05 | 3,41,54,075 |
| 03. | 2005-06 | 3,56,45,689 |

(ङ) भारत से बाहर जो कंपनियां निगमित की गई है और जिन्होंने भारत में व्यापारिक केन्द्र स्थापित किये हैं, उन्हें कंपनी अधिनियम, 1956 के भाग XI के उपबंधों (अन्य संबंधित उपबंधों के साथ पठित) के अनुसार विनियमित किया जाता है। इन कंपनियों को संवैधानिक ढांचे के अनुपालन संबंधी कोई रियायत/सुविधा प्रदान नहीं की गई हैं।

## गांवों का डिइलैक्ट्रिफिकेशन

**3531. श्री एम. शिवन्ना :** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों के दौरान कुल कितने गांवों की बिजली की आपूर्ति बंद की गई और इसके क्या कारण थे;

(ख) क्या जिन गांवों की विद्युत आपूर्ति को बंद किया गया था वहां विद्युत आपूर्ति बहाल की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे) :** (क) रुरल इलैक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लि. (आरईसी) ने राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाय) के अंतर्गत 27 राज्यों (गोवा और दिल्ली को छोड़कर) से अबतक 575 प्रारूप विस्तृत परियोजना रिपोर्टें प्राप्त की हैं, जिसके अंतर्गत अन्य के साथ-साथ इन 27 राज्यों में से 16 राज्यों में 27504 निर्विद्युतीकृत गांवों का पुनर्विद्युतीकरण किया जाना है। प्रारूप डीपीआर में आरजीजीवीवाय के अंतर्गत पुनर्विद्युतीकरण हेतु शामिल निर्विद्युतीकृत गांवों के राज्य-वार ब्यौरा विवरण-I के रूप में संलग्न है।

ऐसा समझा जाता है कि बाढ़, तूफान आदि जैसी प्राकृति आपदाएं तथा विद्युत लाइन के सामानों की चोरी विद्युतीकृत गांवों के निर्विद्युतीकरण के लिए मुख्य रूप से जिम्मेवार है।

(ख) से (घ) ग्रामीण विद्युतीकरण के समवर्ती विषय होने के कारण ग्रामीण विद्युतीकरण कार्य राज्य सरकार/राज्य विद्युत यूटिलिटी द्वारा किए जाते हैं। बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तरांचल और कर्नाटक राज्यों ने आरजीजीवीवाय के अंतर्गत गैर-विद्युतीकृत/निर्विद्युतीकृत गांवों का वास्तविक रूप से विद्युतीकरण शुरू कर दिया है, जबकि अन्य राज्यों ने इसके लिए सर्वेक्षण/मार्ग निर्माण, बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था आदि समेत प्रारंभिक कार्रवाई शुरू कर दी है।

क्रियान्वयक राज्यों ने 8 दिसंबर, 2006 तक 23014 गैर-विद्युतीकृत गांवों (निर्विद्युतीकृत गांवों समेत) के विद्युतीकरण की सूचना दी है। आरजीजीवीवाय के अंतर्गत विद्युतीकृत किए गए गांवों के राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II के रूप में संलग्न है।

वर्ष 2009 तक आरजीजीवीवाय के अंतर्गत गैर-विद्युतीकृत एवं निर्विद्युतीकृत गांवों समेत सभी गांवों का विद्युतीकरण किया जाना है।

***विवरण-I***

*प्रारूप डीपीआर में आरजीजीवीवाय के अंतर्गत शामिल निर्विद्युतीकृत गांवों का राज्यवार ब्यौरा*

| क्र. सं. | राज्य का नाम | प्राप्त की गई कुल परियोजनाएं | सम्मिलित जिलों की संख्या | गैर-विद्युतीकृत गांवों की संख्या | निर्विद्युतीकृत गांवों की संख्या | गैर-विद्युतीकृत गांवों की कुल संख्या |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 26 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 16 | 16 | 1802 | 331 | 2133 |
| 3. | असम | 21 | 21 | 3072 | 3831 | 6903 |
| 4. | बिहार | 43 | 38 | 14067 | 10486 | 24553 |
| 5. | छत्तीसगढ़ | 15 | 15 | 951 | 179 | 1130 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. | गुजरात | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | हरियाणा | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | हिमाचल प्रदेश | 12 | 12 | 97 | 0 | 97 |
| 9. | जम्मू व कश्मीर | 12 | 12 | 198 | 8 | 206 |
| 10. | झारखंड | 22 | 22 | 16965 | 2774 | 19739 |
| 11. | कर्नाटक | 26 | 26 | 132 | 0 | 132 |
| 12. | केरल | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | मध्य प्रदेश | 48 | 48 | 604 | 454 | 1058 |
| 14. | महाराष्ट्र | 34 | 34 | 6 | 0 | 6 |
| 15. | मणिपुर | 4 | 4 | 159 | 336 | 495 |
| 16. | मेघालय | 3 | 3 | 90 | 103 | 193 |
| 17. | मिजोरम | 8 | 8 | 42 | 95 | 137 |
| 18. | नागालैंड | 5 | 5 | 20 | 12 | 32 |
| 19. | उड़ीसा | 23 | 22 | 10809 | 3440 | 14249 |
| 20. | पंजाब | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | राजस्थान | 41 | 32 | 761 | 3681 | 4442 |
| 22. | सिक्किम | 4 | 4 | 25 | 0 | 25 |
| 23. | तमिलनाडु | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | त्रिपुरा | 3 | 3 | 127 | 0 | 127 |
| 25. | उत्तर प्रदेश | 67 | 65 | 31657 | 1077 | 32734 |
| 26. | उत्तरांचल | 13 | 13 | 787 | 682 | 1469 |
| 27. | पश्चिम बंगाल | 26 | 18 | 4268 | 15 | 4283 |
| | कुल योग | 575 | 546 | 86639 | 27504 | 114143 |

*विवरण-II*

*आरजीजीवीवाय के अंतर्गत राज्यवार और वर्षवार ग्राम विद्युतीकरण*

| क्र. सं. | राज्य | 2005-06 के दौरान विद्युतीकृत गांव | 2006-07 के दौरान विद्युतीकृत गांव | कुल |
|---|---|---|---|---|
| 1. | बिहार | 1600 | 1961 | 3561 |
| 2. | कर्नाटक | 47 | | 47 |
| 3. | राजस्थान | 230 | 274 | 504 |
| 4. | उत्तर प्रदेश | 7503 | 9588 | 17091 |
| 5. | उत्तरांचल | 87 | 481 | 568 |
| 6. | पश्चिम बंगाल | 352 | 891 | 1243 |
| | | 9819 | 13195 | 23014 |

*[हिन्दी]*

**निर्यातक गिरोह का पता लगाना**

3532. **श्री ब्रजेश पाठक :**
**श्री सुनिल कुमार महतो :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अपने निर्यात बीजक में अधिक लागत दिखाकर राजस्व की धोखाधड़ी करने वाले निर्यातक गिरोह का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) क्या राजस्व आसूचना निदेशालय, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग और सीमा शुल्क विभाग ने यह पता लगाया है कि काफी निर्यातकों ने नकली पहचान बनाकर अवैध रूप से विदेशी मुद्रा लाने हेतु घरेलू बैंकिंग प्रणाली का प्रयोग किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे कदाचार को रोकने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) :** (क) और (ख) निर्यात किए जाने वाले माल की अधिक लागत बताने के अनेक मामले वर्ष 2005-06 और 2006-07 (अक्तूबर, 06 तक) के दौरान दर्ज किए गए हैं। विवरण निम्न प्रकार है:-

| वर्ष | मामलों की सं. | लागत (करोड़ रु. में) |
|---|---|---|
| 2005-06 | 9 | 54.19 |
| 2006-07 (अक्तूबर 06 तक) | 12 | 43.91 |

(ग) से (ङ) ऐसे मामले दर्ज किए गए हैं जिनमें निर्यातकों ने विदेशी रकम मंगाने के लिए घरेलू बैंकिंग चैनलों और हवाला के रास्तों का उपयोग किया गया है। वर्ष 2005-06 और 2006-07 (अक्तूबर 06 तक) के दौरान दर्ज किए गए ऐसे मामलों का विवरण निम्न प्रकार है:-

| वर्ष | मामलों की सं. | की गई कार्रवाई |
|---|---|---|
| 2005-2006 | 5 | 11 व्यक्ति गिरफ्तार, 4 व्यक्ति कोफेपोसा के अंतर्गत हवालात में रखे गये |
| 2006-2007 (अक्तूबर 06 तक) | 2 | 1 व्यक्ति गिरफ्तार |

राजस्व आसूचना निदेशालय सहित सीमा शुल्क के क्षेत्रीय कार्यालय ऐसे प्रयासों को विफल करने के लिए सतर्क और चौकन्ने हैं।

## जल-मल व्ययन हेतु योजनाएं

3533. श्री कृष्ण मुरारी मोघे : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम में 1991 की जनगणना पर आधारित 20 हजार जनसंख्या की सीमा को बढ़ाकर 50 हजार जनसंख्या करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार त्वरित शहरी जल-मल व्ययन कार्यक्रम को त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम की तरह से लागू करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम/त्वरित शहरी जल-मल व्ययन कार्यक्रम को लागू करने के लिए जीवन बीमा निगम, आवास और शहरी विकास निगम और वित्तीय संस्थाओं से ऋण देने की प्रक्रिया को सरल बनाने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन)** : (क) और (ख) जी, नहीं। त्वरित शहरी जलापूर्ति कार्यक्रम (एयूडब्ल्यूएसपी) का विलय हाल ही में शुरू किए गए छोटे और मझोले कस्बों के लिए शहरी अवसंरचनात्मक विकास स्कीम में कर दिया गया है जिसमें जवाहरलाल नेहरु राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरम) के तहत शामिल नहीं किए गए शहरों/कस्बों में जलापूर्ति, सीवरेज, वर्षा जल निकासी इत्यादि सहित अवसंरचनात्मक विकास की परिकल्पना की गयी है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। त्वरित शहरी सीवरेज कार्यक्रम नामक कोई स्कीम शुरू नहीं की गई है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

*[अनुवाद]*

## जल और स्वच्छता के लिए निधियां

3534. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यू.एन.डी.पी. रिपोर्ट 2006 के अनुसार भारत में जल और स्वच्छता के लिए निधियों का आबंटन पर्याप्त नहीं है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) जल और स्वच्छता पर व्यय में बढ़ोत्तरी के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

**शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन)** : (क) और (ख) यूएनडीपी रिपोर्ट 2006 में बताया गया है कि: जल आपूर्ति तथा सफाई पर वास्तवित सरकारी खर्च पर पूरी पकड़ बनाना कठिन है जिसके कारण आंशिक रूप से विभिन्न मंत्रालयों में वित्तपोषण का वितरण, आंशिक रूप से विकेन्द्रीकरण और आंशिक रूप से डोनर वित्तपोषण का अकसर बजट में शामिल न होना है।

भारत में पहली पंचवर्षीय योजना से 10वीं पंचवर्षीय योजना तक जल आपूर्ति और सफाई के लिए कुल योजना परिव्यय कुल सार्वजनिक परिव्यय का 1.07% से लेकर 4.46% तक रहा है। इसी योजना अवधि के दौरान शहरी जल आपूर्ति और सफाई के लिए योजना परिव्यय 0.65% से लेकर 2.16% रहा है। ब्यौरा संलग्न विवरण I में दिया गया है।

(ग) "शहरी जल आपूर्ति और सफाई राज्यों का विषय है और राज्य लोक स्वास्थ्य इंजीनियरी विभागों/शहरी स्थानीय निकायों के जरिए राज्य योजना राशियों से जल आपूर्ति और सफाई स्कीमों के लिए योजना, डिजाइन बनाने और उन्हें निष्पादित करने का दायित्व राज्य सरकारों/शहरी स्थानीय निकायों का है। तथापि भारत सरकार द्वारा विभिन्न विकासात्मक स्कीमों के जरिए उनके प्रयासों में सहायता की जाती है।

इस मंत्रालय ने दिसंबर, 2005 में दो कार्यक्रम शुरू किए हैं जिसके लिए 50,000/- करोड़ रुपये का बजट नियतन किया गया है जिसे शहरी क्षेत्रों के एकीकृत विकास के लिए 7 वर्षों में खर्च किया जाना है। इन कार्यक्रमों का नाम जवाहरलाल नेहरु राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) और छोटे और मझौले कस्बों के लिए शहरी अवस्थापना विकास स्कीम (यूआईडीएसएसएमटी) है। इन कार्यक्रमों के अंतर्गत राज्य सरकारों को जल आपूर्ति और सफाई सहित अवस्थापना परियोजनाओं को शुरू करने के लिए अनुदान के रूप में अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता दी जाती है।

विवरण

*योजनावार-निवेश-जल आपूर्ति तथा सफाई क्षेत्र*

| क्र. सं. | योजना अवधि | कुल सार्वजनिक क्षेत्र योजना परिव्यय | जल आपूर्ति एवं सफाई क्षेत्र के लिए कुल योजना परिव्यय | | शहरी जल आपूर्ति एवं सफाई के लिए योजना परिव्यय | | ग्रामीण जल आपूर्ति एवं सफाई के लिए योजना परिव्यय | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | राशि | सार्वजनिक क्षेत्र परिव्यय का % | राशि | सार्वजनिक क्षेत्र परिव्यय का % | राशि | सार्वजनिक क्षेत्र परिव्यय का % |
| | | | कालम 4 x 100 कालम 3 | | कालम 6 x 100 कालम 3 | | कालम 8 x 100 कालम 3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | I योजना (1951-56) | 3360.00 | 49.00 | 1.46 | 43.00 | 1.28 | 6.00 | 0.18 |
| 2. | II योजना (1956-61) | 6750.00 | 72.00 | 1.07 | 44.00 | 0.65 | 28.00 | 0.41 |
| 3. | III योजना (1961-66) | 8573.00 | 105.70 | 1.23 | 89.37 | 1.04 | 16.33 | 0.19 |
| 4. | 3 वार्षिक योजनाएं (1966-69) | 6664.97 | 106.42 | 1.60 | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं |
| 5. | IV योजना (1969-74) | 15902.00 | 437.00 | 2.75 | 282.00 | 1.77 | 155.00 | 0.97 |
| 6. | V योजना (1974-79) | 39303.49 | 1030.68 | 2.62 | 549.44 | 1.40 | 481.24 | 1.22 |
| 7. | वार्षिक योजना (1979-80) | 12549.83 | 430.22 | 3.43 | 197.93 | 1.58 | 232.29 | 1.85 |
| 8. | VI योजना (1980-85) | 97500.00 | 4047.00 | 4.15 | 1766.68 | 1.81 | 2280.32 | 2.34 |
| 9. | VII योजना (1985-90) | 180000.00 | 6522.47 | 3.62 | 2965.75 | 1.65 | 3556.62 | 1.98 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. | 2 वार्षिक योजनाएं (1990-92) | 137033.15 | 4427.29 | 3.23 | 1721.37 | 1.26 | 2705.92 | 1.97 |
| 11. | VIII योजना (1992-97) | 434100.00 | 16711.03 | 3.85 | 5982.28 | 1.38 | 10728.79 | 2.47 |
| 12. | IX योजना (1997-2002) | 859200.00 | 39538.00 | 4.46 | 18624 | 2.16 | 20914.00 | 2.43 |
| 13. | X योजना (2002-2007) | 1525639.00 | 44206.55 | 2.89 | 19758.55 | 1.30 | 24448.00 | 1.60 |

स्रोत: योजना आयोग

**मुंबई में क्षतिग्रस्त भवनों का नवीकरण/ पुनरूद्धार**

3535. **श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष बाढ़ से तबाह मुंबई के क्षतिग्रस्त भवनों तथा अवसंरचना के नवीकरण तथा पुनरूद्धार हेतु जवाहरलाल नेहरु राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के अंतर्गत सरकार द्वारा अब तक कितनी धनराशि आबंटित तथा जारी की गई है;

(ख) मुम्बई में भवनों, सड़कों तथा अन्य संबंधित अवसरंचना को इससे हुई क्षति का ब्यौरा क्या है तथा जवाहरलाल नेहरु राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के अंतर्गत क्रियान्वित की जानी वाली योजनाओं तथा परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) बाढ़ से अनुमानित कितनी हानि हुई तथा नवीकरण तथा पुनरूद्धार परियोजनाओं पर कितनी लागत आएगी?

**शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन)** : (क) पिछले वर्ष बाढ़ से हुए विनाश के पश्चात् मुंबई में क्षतिग्रस्त भवनों के नवीकरण तथा पुनरूद्धार के लिए जेएनएनयूआरएम के तहत विशिष्ट रूप से कोई राशि आवंटित अथवा जारी नहीं की गई है। तथापि, ग्रेटर मुंबई के संबंध में महाराष्ट्र सरकार से अवस्थापना क्षेत्र की चार परियोजनाएं जेएनएनयूआरएम के तहत मंजूर की गई हैं। अभी तक अनुमोदित लागत की पहली किश्त के रूप में केवल मुंबई सीवेज निपटान परियोजना स्टेज-II प्राथमिकता कार्य के लिए 1505 लाख रुपये की राशि जारी की गई है।

(ख) और (ग) महाराष्ट्र राज्य सरकार से सूचना एकत्रित की की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

**राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में भागीदार राज्यों को सहायतानुदान**

3536. **श्री सुग्रीव सिंह** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में भागीदार राज्यों को सहायतानुदान प्रदान करती है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान विभिन्न राज्यों को प्रदान किए गए अनुदानों का क्या ब्यौरा है;

(ग) क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र प्रकोष्ठ विनिर्दिष्ट समय पर तिमाही प्रगति रिपोर्ट करते रहे हैं;

(घ) यदि नहीं तो इस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है;

(ङ) क्या सरकार का विचार देश के अन्य महानगरों/बड़े शहरों में इसी प्रकार का क्षेत्र स्थापित करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन)** : (क) और (ख) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड (एन सी आर पी बी) ने यह सूचित किया है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में संघटक राज्यों हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की भागीदारी के कारण उन्हें कोई अनुदान सहायता मुहैया नहीं करायी जा रही है।

(ग) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड ने यह भी बताया है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना और निगरानी प्रकोष्ठों से तिमाही प्रगति रिपोर्टें प्राप्त होती है, यद्यपि कभी-कभी ये निर्धारित समय के भीतर प्राप्त नहीं होती हैं।

(घ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना और निगरानी प्रकोष्ठों द्वारा प्रगति रिपोर्टें समय पर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करने के लिए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड ने एक व्यापक प्रबंध सूचना प्रणाली शुरू करने का निर्णय लिया है।

(ङ) और (च) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

*[हिन्दी]*

**एसजीएसवाई के अंतर्गत लंबित प्रस्ताव**

**3537. श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी :**
**डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :**

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एसजीएसवाई के अंतर्गत मध्य प्रदेश सरकार के कितने प्रस्ताव स्वीकृति हेतु केन्द्र सरकार के पास लंबित पड़े हैं;

(ख) उनके लंबित रहने के क्या कारण हैं तथा इन्हें कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार राज्य में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की संख्या में वृद्धि के मद्देनजर आबंटन धनराशि को बढ़ाने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार को एसजीएसवाई के अंतर्गत दस व्यक्तियों के स्थान पर पांच व्यक्तियों का समूह बनाने के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(च) यदि हां, तो इस पर की गई कार्रवाई का ब्यौरा है?

**ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकांता पाटील)** : (क) और (ख) आज तक, स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) के अंतर्गत मध्य प्रदेश सरकार से ग्रामीण विकास मंत्रालय को विशेष परियोजनाओं के लिए63 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इन 63 प्रस्तावों में से 22 प्रस्तावों को अनुमोदित कर दिया गया था तथा 25 प्रस्ताव राज्य सरकार को लौटा दिए गए थे क्योंकि एसजीएसवाई दिशानिर्देशों के अनुरूप नहीं थे। शेष 16 प्रस्ताव कार्रवाई के विभिन्न चरणों में हैं। राज्य सरकार से प्रस्ताव प्राप्त होने पर इसकी मंत्रालय में जांच की जाती है और अनुमोदन के लिए दो अंत-मंत्रालय समितियों के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। ये समितियां परियोजना जांच समिति तथा परियोजना अनुमोदन समिति हैं। यदि ये समितियां इन प्रस्तावों को बेहतर तथा प्रभावी बनाने के लिए कोई टिप्पणी करती हैं तो उन्हें अनुपालन के लिए राज्य सरकार को भेजा जाता है। इसीलिए परियोजनाओं का मूल्यांकन, संशोधन और अनुमोदन एक सतत् प्रक्रिया है।

(ग) और (घ) एसजीएसवाई के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियां योजना आयोग द्वारा निर्धारित गरीबी अनुपात की व्यापकता के आधार पर आबंटित की जाती हैं। एसजीएसवाई के अंतर्गत 15% आबंटन विशेष परियोजनाओं के लिए अलग से रखा जाता है। एसजीएसवाई के अंतर्गत विशेष परियोजना तब मंजूर की जाती हैं जब राज्य प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं तथा मंत्रालय में उन्हें व्यवहार्य पाया जाता है। इस प्रकार, विशेष परियोजनाएं मांग आधारित होती हैं।

(ङ) और (च) एसजीएसवाई के दिशानिर्देशों के अनुसार, एक स्व-सहायता समूह में आमतौर पर 10 से 20 व्यक्ति हो सकते हैं। तथापि, मरुस्थल तथा पर्वतीय जैसे दुर्गम क्षेत्रों तथा छितरी और छिट-पुट आबादी वाले क्षेत्रों और लघु सिंचाई तथा अपंग व्यक्तियों के मामले में यह संख्या 5 से 20 हो सकती है।

*[अनुवाद]*

**सरकारी कार्यालयों का रख-रखाव**

**3538. श्री शैलेन्द्र कुमार** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिविल प्राधिकरणों द्वारा कई सरकारी कार्यालयों की काफी लंबे समय से उपेक्षा की जा रही है जैसा कि 1 नवंबर, 2006 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में समाचार प्रकाशित हुआ है:

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा तथा तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या सरकार को इन भवन परिसरों के रख-रखाव में कोई अनियमितताएं मिली हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

**शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन)** : (क) से (घ) लोक नायक भवन एक नागरिक निकाय एनडीएमसी द्वारा निर्मित और स्वामित्वाधीन भवन है। इस भवन में अनेक सरकारी कार्यालयों ने स्थान लिया है। एनडीएमसी ने वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ भूतल पर कुछ स्थान पट्टे पर दे रखा है। भवन का रखरखाव भवन के मालिक के पास है। केलोनिवि, भवन की संरचनात्मक मजबूती को नष्ट किए बिना विभाजन व ले आउट द्वारा कार्यालय स्थल का उपयोग करने में सरकारी कार्यालयों की सहायता करता है। भवन के रखरखाव में कोई अनियमितता सामने नहीं आई है।

केलोनिवि अपने निर्मित भवनों तथा इसमें विभिन्न मंत्रालयों, विभागों व उनके संबद्ध कार्यालयों को आबंटित कार्यालय स्थान का रखरखाव करता है। विभागों को अपने झाउसकीपिंग कार्य करने होते हैं, जबकि केलोनिवि सिविल व विद्युत मरम्मत, प्रतिस्थापन, पुन:स्थापन इत्यादि कार्य करता है।

### भवन निर्माताओं द्वारा भ्रामक विज्ञापन

3539. **श्री मोहन सिंह** : क्या आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भू-संपदा में कार्यरत भवन निर्माता भ्रामक विज्ञापनों के माध्यम से क्रेताओं से बड़ी मात्रा में पैसा एकत्र कर रहे हैं तथा बाद में उन्हें धोखा दे देते हैं;

(ख) यदि हां, तो आवास क्षेत्र में इस प्रथा को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है;

(ग) क्या सरकार क्रेताओं को भवन निर्माताओं तथा कंपनियों से बचाने के लिए तथा उन्हें सस्ते आरामदायक आवास प्रदान करने के लिए किसी व्यापक नीति पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा)** : (क) इस मंत्रालय के ध्यान में ऐसा कोई उदाहरण नहीं आया है।

(ख) से (घ) उपर्युक्त को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

### मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम

3540. **श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शहरी क्षेत्रों में आवाजाही में सुधार लाने के लिए शहरी यातायात में सुधार लाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ख) क्या इस संबंध में कोई नीति सरकार के विचाराधीन है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या कुछ शहरों में मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कार्यान्वित किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन)** : (क) से (ग) सरकार ने एक राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति (एनयूटीपी) तैयार की है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ समेकित भूमि उपयोग और परिवहन आयोजना, सार्वजनिक परिवहन तथा यात्रा के लिए मोटर रहित वाहनों का अधिक उपयोग करने और कम प्रदूषण वाली प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देने की बात कही गई है। इसमें प्रदर्शनात्मक प्रयोगिक परियोजनाओं सहित पार्किंग सुविधाओं के निर्माण के साथ-साथ मोटर रहित वाहनों का अपेक्षाकृत अधिक उपयोग करने के लिए सार्वजनिक परिवहन, अवस्थापना में निवेश करने हेतु केन्द्र सरकार की वित्तीय सहायता की व्यवस्था है। यह संस्थागत और व्यक्तिगत स्तर पर क्षमता निर्माण, नवीनतम वित्तीय तंत्रों, संस्थागत समन्वय, निजी क्षेत्र के सहयोग तथा सार्वजनिक जागरूकता और सहयोग की आवश्यकता को प्रोत्साहित करती है।

(घ) और (ङ) शहरी परिवहन राज्य का विषय है तथा शहरों में तीव्र जन परिवहन प्रणालियों (एमआरटीएस) के लिए प्रस्ताव शहरी स्थानीय निकायों/राज्य सरकारों द्वारा तैयार किए जाने हैं। केन्द्रीय वित्तीय सहायता से कुछ शहरों में कार्यान्वित की जा रही तीव्र जन परिवहन प्रणालियां इस प्रकार हैं:–

1. **मेट्रो परियोजनाएं :** दिल्ली, बंगलौर, मुंबई और कोलकाता।

2. **तीव्र बस परिवहन प्रणाली (बीआरटीएस) परियोजनाएं :** अहमदाबाद, भोपाल, इन्दौर और पुणे।

## भूकंप और सुनामी

3541. **श्री विजय कृष्ण :** क्या पृथ्वी विज्ञान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पृथ्वी से पदार्थों का खनन तेजी से बढ़ता जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या इससे इन दिनों बार-बार भूकंप तथा सुनामी आते है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई/किए जाने का प्रस्ताव है?

**विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) :** (क) जी, हां। देश में खनन कार्य के जरिए खनिज उत्पादन में वृद्धि हो रही है।

(ख) जी, नहीं ऐसा कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है जिससे यह पता चले कि खनन कार्य के कारण ही महत्वपूर्ण भूकंप सक्रिय हुआ है अथवा भूकंप के कारण सुनामी आई है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

*[हिन्दी]*

## तेजिन्दर खन्ना समिति की सिफारिशें

3542. **श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव :**
**श्री गिरिधारी यादव :**

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तेजिन्दर खन्ना समिति द्वारा क्या मुख्य सिफारिशें की गई हैं;

(ख) सरकार द्वारा कोन-कौन सी सिफारिशें मान ली गई हैं; और

(ग) शेष सिफारिशों को न मानने के क्या कारण हैं?

**शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) :** (क) से (ग) तेजिन्दर खन्ना समिति की मुख्य सिफारिशें अनधिकृत निर्माण, परिसरों के दुरूपयोग, लाल डोरा तथा विस्तारित लाल डोरा क्षेत्र के लिए दिशानिर्देश, प्रवर्तन मशीनरी की स्थापना, दिल्ली विकास प्राधिकरण की भूमिका, संस्थानिक व्यवस्थाओं का प्रबंधन इत्यादि से संबंधित हैं।

इस रिपोर्ट में निहित सिफारिशों के आधार पर तथा निर्धारित सांविधिक प्रक्रिया का पालन करने के बाद, दिनांक 7.6.06 तथा 22.9.06 की अधिसूचनाओं के जरिए मिश्रित उपयोग से संबंधित प्रावधानों एवं रिहायशी प्लाटों के विकास के लिए विकास नियंत्रण मानदंडों के संबंध में दिल्ली मास्टर प्लान, 2001 में संशोधन किए गये हैं।

सरकार ने फार्म हाउसों, लाल डोरा क्षेत्रों तथा डीडीए फ्लैटों/समूह आवास में परिवर्द्धन से संबंधित मुद्दों की जांच करने के लिए भी तीन समितियों का गठन किया है। इन समितियों का कार्यकाल दिनांक 31 दिसंबर, 2006 तक है।

अन्य सिफारिशों के संबंध में अंतर-विभागीय परामर्श किए गए हैं।

*[अनुवाद]*

## शेयर बाजार में निवेश

3543. **श्री प्रबोध पाण्डा :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रत्यक्ष विदेशी निवेश तथा विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा निवेश के संबंध में केन्द्र सरकार, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड तथा भारतीय रिजर्व बैंक के बीच मतभेद है जैसाकि दिनांक 8 अक्तूबर, 2006 के "दि टाइम्स ऑफ इंडिया" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं;

(घ) क्या विभिन्न शेयर बाजारों को "डिम्यूचुलाइज्ड" कर दिया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा "डिम्यूचुलाइज्ड एक्सचेंजों" का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) से (ग) इन अधिकरणों की भिन्न-भिन्न जिम्मेदारियां हैं तथा इसीलिए उनके सापेक्ष महत्व भिन्न हैं। अत: विभिन्न मुद्दों के संबंध में उनकी राय भिन्न हो सकती है। तथापि, परामर्श प्रक्रियाओं में इन मतभेदों को सुलझाकर नीतिगत निर्णय लिए जाते हैं।

(घ) और (ङ; भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने सूचित किया है कि इसने दो एक्सचेंजों का पहले ही निगमीकृत एवं अपरस्पीकृत होना अधिसूचित कर दिया है। इसने 19 अन्य स्टॉक एक्सचेंजों के निगमीकरण तथा अपरस्परीकरण की योजनाओं को अनुमोदित करने वाले आदेश भी अधिसूचित कर दिए हैं। ये अधिसूचनाएं इसकी वेबसाईट (www.sebi.gov.in) पर उपलब्ध हैं।

## चुनाव संबंध खर्चों पर विश्व बैंक की रिपोर्ट

3544. श्री श्रीपाद येसो नाईक :
श्रीमती रूपताई डी. पाटील :

क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान विश्व बैंक की इस रिपोर्ट की ओर दिलाया गया है कि विधान सभा तथा संसदीय चुनावों के लिए निर्धारित चुनाव संबंधी खर्चों की सीमा का कोई फायदा नहीं हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने तथा खर्चे पर नियंत्रण रखने के लिए चुनाव सुधार का प्रस्ताव किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंस राज भारद्वाज) : (क) विश्व बैंक ने यह स्पष्ट किया है कि भारत में निर्वाचन संबंधी व्ययो के विषय पर विश्व बैंक की कोई रिपोर्ट नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) और (घ) निर्वाचन विधियों और अन्य संबंधित विषयों में सुधार/परिवर्तन की प्रक्रिया एक सतत् और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और इसे केवल राजनीतिक दलों के बीच आम सहमति से ही आगे बढ़ाया जा सकता है।

## हुडको द्वारा व्यावसायिक स्थल

3545. श्री फ्रांसिस फैन्थम : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में आवास एवं शहरी विकास निगम (हुडको) द्वारा विकसित व्यावसायिक स्थल का उपयोग नहीं किया गया है/का कई वर्षों से नीलामी नहीं की गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) से (ग) आवास और नगर विकास निगम लि. (हुडको) ने यह सूचित किया है कि भीकाजी कामा प्लेस स्थित अगस्त क्रान्ति भवन में 37% स्थान अभी भी हुडको के कब्जे में है, क्योंकि उसकी बिक्री के लिए अप्रैल, 2006 में आमंत्रित खुली बोली में कोई उचित बोली नहीं प्राप्त हुई। उस क्षेत्र की पुन: नीलामी / पुन: निविदा के लिए कार्रवाई आरंभ की गई है। इसके अलावा, एन्ड्रयूजगंज में 9 गेस्ट हाउस तथा होटल स्थल मुकदमेबाजी के कारण अभी भी हुडको के कब्जे में हैं।

## सुनामी में भवनों का ध्वस्त होना

3546. श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार 26 दिसंबर, 2004 को देश में सीआरजेड के उल्लंघन में सुनामी में लगभग कितने भवन ध्वस्त हुए हैं?:

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी:

## शहरों का विकास

3547. श्री विजय कृष्ण : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने दिल्ली, मुंबई, बंगलौर, कोलकाता और हैदराबाद का सिंगापुर की तर्ज पर विकास करने हेतु कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

**शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन)** : (क) जी नहीं। तथापि, भारत सरकार ने जल आपूर्ति, सीवरेज, परिवहन, सड़क और वर्षा जल निकास आदि जैसी अवस्थापना का विकास करने के लिए सुधार आधारित केन्द्रीय सहायता देने हेतु दिल्ली, मुंबई, बंगलौर, कोलकाता, हैदराबाद सहित 63 चुनिंदा शहरों में 3.12.2005 को जवाहरलाल नेहरु राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जे एन एन यू आर एम) शुरू किया है ताकि भारतीय शहरों को रहने के लिए अपेक्षाकृत और उपयुक्त तथा जन-अनुकूल बनाया जा सके। वर्ष 2005-06 से शुरू सात वर्ष की मिशन अवधि के लिए जे एन यू यू आर एम हेतु 50,000 करोड़ रुपए की केन्द्रीय सहायता निर्धारित की गई है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

*[हिन्दी]*

## सामुदायिक भवनों हेतु भूमि आबंटन

**3548. डा. राकेश मिश्रा :**
**श्री सज्जन कुमार :**

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में सामुदायिक भवनों के निर्माण हेतु दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा आबंटित भूमि पर कई स्थानों पर बैंक्वेट हॉल चल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने इस संबंध में कोई जांच करायी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और परिणाम क्या हैं; और

(ङ) इस संबंध में दिविप्रा द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है?

**शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन)** : (क) से (ङ) दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने यह सूचित किया है कि उसने सामुदायिक हालों के निर्माण के प्रयोजन हेतु भूमि आवंटित की है जिनका सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यों के लिए उपयोग किया जा सकता है। तथापि, यदि यह पाया जाता है कि किसी सामुदायिक हाल का बैंक्वेट हाल आदि जैसी व्यवसायिक गतिविधियों के लिए उपयोग किया जा रहा है तो जांच के बाद इसके पट्टे को समाप्त करने हेतु कार्रवाई की जाती है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण ने यह भी सूचित किया है कि उसने हाल ही में जांच के बाद व्यवसायिक गतिविधि के लिए दुरूपयोग किए जाने के कारण दो सामुदायिक हालों के पट्टे को समाप्त कर दिया है।

*[अनुवाद]*

## बैंककारी सुविधाएं

**3549. श्री किन्नेरपु वेरमनायडु :**
**श्री एस. राजगोपाल :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने डाक घरों में ए.टी.एम. सुविधा सहित बैंककारी सुविधाएं उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम)** : (क) और (ख) अपेक्षाकृत अधिक वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करने तथा बैंकिंग क्षेत्र की पहुंच को बढ़ाने के उद्देश्य से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सुविधा सेवा प्रदान करने हेतु "कारोबार सुविधा प्रदाता और सम्पर्कियों" के रूप में डाक घरों की सेवाओं का उपयोग करने में बैंकों को समर्थ बनाने के लिए मार्गनिर्देश जारी किए गए हैं। ऐसी सेवाओं में (i) उधारकर्ताओं की पहचान और क्रियाकलापों का निर्धारण, (ii) प्राथमिक सूचना आंकड़ों के सत्यापन सहित ऋण आवेदनों का संग्रह एवं प्रारम्भिक कार्रवाई, (iii) बचतों और अन्य उत्पादों के संबंध में जागरूकता पैदा करना और धनराशि और ऋण परामर्श के बारे में शिक्षा/सलाह देना, (iv) आवेदनों पर कार्रवाई करना और उन्हें बैंकों में जमा करना, (v) स्व-सहायता समूहों/संयुक्त देयता समूहों को बढ़ावा देना और पोषण करना; (vi) मंजूरी उपरांत निगरानी, (vii) स्व-सहायता समूहों / संयुक्त देयता समूहों/ ऋण समूहों/अन्य की निगरानी और संचालन और (viii) वसूली के लिए अनुवर्ती कार्रवाई को शामिल किया जा सकता है।

*[हिन्दी]*

## आयकर प्रपत्र

3550. **श्री राकेश सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आयकर प्रपत्र-2 एफ में परिवर्तन करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) नए सरल को जारी रखने में क्या कठिनाइयां हैं; और

(घ) प्रपत्र-2 एफ के विशेष लाभ, यदि कोई हों, तो उनका ब्यौरा क्या है?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम)** : (क) फार्म सं. 2 च में कोई परिवर्तन करने का प्रस्ताव नहीं है।

(ख) फार्म सं. 2 च को भरना कठिन कार्य नहीं है।

(ग) नया सरल (फार्म सं. 2 ङ) को जारी न रखने के कारण इस प्रकार हैं:

(i) चूंकि यह एक पृष्ठ का विवरणी फार्म था, इसलिए संगत ब्यौरों को भरने के लिए इसमें पर्याप्त स्थान नहीं था;

(ii) यह करदाताओं को धन के अंत: प्रवाह और बहिर्प्रवाह को प्रकट करने का अवसर नहीं देता था। विवरणी फार्म में इन ब्यौरों के न होने से, लेन-देनों जिनकी वार्षिक सूचना विवरणी में सूचना दी जाती है, को स्पष्ट करने के लिए करदाता को बुलाना पड़ता था।

(घ) फार्म सं. 2 च में संगत ब्यौरों को भरने के लिए पर्याप्त स्थान है। इसके अलावा, इस फार्म को ऐसा व्यक्ति भी आसानी से भर सकता है जिसको कर कानून का पर्याप्त ज्ञान न हो क्योंकि इस फार्म की सभी प्रविष्टियों को विधिवत् स्पष्ट किया गया है तथा वे प्रति संदर्भित हैं। इस फार्म में उपलब्ध नकद प्रवाह विवरण धन के अंतर्प्रवाह एवं बहिर्प्रवाह को प्रकट करने का करदाताओं को अवसर प्रदान करता है जिससे स्पष्टीकरण के लिए करदाताओं को बुलाए बिना वार्षिक सूचना विवरणी में वर्णित लेन-देनों का सत्यापन किया जा सकता है।

## राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम के अंतर्गत बकाया राशि को जारी करना

3551. **श्री श्रीचन्द कृपलानी** : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को कई राज्यों को राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम के अंतर्गत कुछ राशि अभी भी अदा करनी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा उक्त राशि कब तक जारी कर दी जाएगी;

(घ) क्या राजस्थान सरकार ने श्रमिकों की अदायगी करने हेतु राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम के अंतर्गत केन्द्र सरकार से बकाया राशि जारी करने का अनुरोध किया है; और

(ङ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

**ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू)** : (क) से (ग) जी, नहीं। मंत्रालय ने सभी एनएफएफडब्ल्यूपी राज्यों/जिलों को उनके आबंटन तथा कार्यक्रम के अंतर्गत उनकी हकदारी के अनुसार निधिया रिलीज की थीं।

(घ) और (ङ) उपर्युक्त के मद्देनज़र प्रश्न नहीं उठता।

*[अनुवाद]*

## जवाहरलाल नेहरु राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन

3552. **डा. के.एस. मनोज** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जवाहरलाल नेहरु राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के अंतर्गत एशियाई विकास बैंक द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि फर्मों का ब्यौरा क्या है;

(ख) मंत्रालय की सूची में निजी सलाहकारों का ब्यौरा क्या है;

(ग) उनके द्वारा तैयार की गई तथा सहायता वाली परियोजना रिपोर्टों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) आज की तिथि तक श्रेणीवार उन्हें कितनी फीस का भुगतान किया गया है?

**शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन)** : (क) जवाहरलाल नेहरु राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के कार्यान्वयन हेतु शहरी विकास मंत्रालय को तकनीकी सहायता मुहैया कराने के लिए एशियाई विकास बैंक (एडीबी) द्वारा ली एसोसिएट्स साउथ एशिया प्रायवेट लिमिटेड, इंडिया तथा टाइम्स रिसर्च फाउंडेशन, इंडिया के सहयोग से प्राइस वाटरहाउस कूपर्स प्रायवेट लिमिटेड, इंडिया को नियुक्त किया गया है।

(ख) जवाहरलाल नेहरु राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के लिए मंत्रालय की सूची में कोई प्रायवेट परामर्शदाता नहीं है।

(ग) शून्य।

(घ) एशियाई विकास बैंक द्वारा नियुक्त की गयी फर्मों को मंत्रालय द्वारा किसी फीस का भुगतान नहीं किया जाना है।

*[हिन्दी]*

**सोनिया विहार वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से जलापूर्ति**

**3553. श्रीमती निवेदिता माने** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोनिया विहार वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से दक्षिण दिल्ली तथा पूर्वी दिल्ली को जलापूर्ति शुरू हो गई है;

(ख) यदि हां, तो दक्षिण तथा पूर्वी दिल्ली को उन कॉलोनियों का ब्यौरा क्या है जहां इस संयंत्र से पानी की आपूर्ति होती है;

(ग) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण की मयूर विहार फेज - तीन को उक्त संयंत्र से पानी की आपूर्ति करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा मयूर विहार फेज-तीन को जलापूर्ति कब तक शुरू हो जाएगी?

**शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन)** : (क) और (ख) दिल्ली जल बोर्ड ने बताया है कि दक्षिण दिल्ली और पूर्वी दिल्ली की निम्नलिखित कालोनियों में सोनिया विहार जल शोधन संयंत्र से पानी की आपूर्ति शुरू हो चुकी है:-

**दक्षिणी दिल्ली**

ओखला, महारानी बाग, फ्रेंड्स कालोनी, तैमूर नगर, आश्रम, जंगपुरा, भोगल, सिद्धार्थ एक्सटेंशन, सिद्धार्थ इंकलेव, किलोकरी गांव तथा आस-पास के क्षेत्र, श्रीनिवासपुरी, सरिता विहार, ग्रेटर कैलाश-पार्ट I तथा II, अलकनंदा कालोनियों का समूह, ईस्ट ऑफ कैलाश, गढ़ी, कैलाश हिल्स, डिफेंस कालोनी, सीजीओ काम्पलेक्स, प्रगति विहार होस्टल, एनडीएसई-पार्ट I तथा II, कोटला, मुबारकपुर, लाजपत नगर, नेहरु नगर, सनलाइट कालोनी, कालकाजी, सी आर पार्क, गोविन्दपुरी, गिरि नगर, मस्जिद मोठ, चिराग दिल्ली, सावित्री नगर, शेख सराय, दक्षिणपुरी, मदनगीर, लाडो सराय, सादिक नगर, महरौली, साकेत, मालवीय नगर, शिवालिक, गीतांजली, नवजीवन विहार, सर्वोदय इंकलेव, अदचीनी. विजय मंडल इंकलेव, पंचशील पार्क, पंचशील इंकलेव, सोमी नगर, एमएमटीसी एवं एसटीसी कालोनी, गुलमोहर पार्क, उदय पार्क, नीति बाग, आनंद लोक, एन्ड्रयूजगंज, में फेयर गार्डन, एशियाड विलेज, शाहपुर जाट गांव, मुनीरका, मुनीरका विहार, ग्रीन पार्क, सफदरजंग विकास क्षेत्र, नेब सराय, बेर सराय, कटवारिया सराय, महरौली, वसंत कुंज, किशनगढ़ एवं मसूदपुर गांव।

**पूर्वी दिल्ली**

ब्रह्मपुरी X ब्लॉक, ब्रह्मपुरी ई, एफ, जी, एवं एच ब्लॉक, गौतमपुरी, शास्त्री पार्क।

(ग) और (घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने बताया है कि डीडीए द्वारा जल आपूर्ति नेटवर्क को क्रियाशील किये जाने के बाद मार्च, 2007 के अंत तक मयूर विहार फेज-III को सोनिया विहार जल शोधन संयंत्र से जल की आपूर्ति की जा सकती है।

**'प्ली बारगेनिंग'**

**3554. श्री बालेश्वर यादव** : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मामलों के त्वरित निपटान तथा अभियुक्त को राहत देने के लिए 'प्ली बारगेनिंग' की अवधारणा शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. वेंकटपति)** : (क) से (ग) इस संबंध में दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में एक नया अध्याय 21क जोड़कर "सौदा अभिवाक" से संबंधित आवश्यक उपबंध को पहले ही दंड न्याय प्रणाली में सम्मिलित कर दिया गया है।

*[अनुवाद]*

## सट्टा बाजार में विदेशी संदान

3555. **श्रीमती नीता पटैरिया** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी अंशदान के रूप में प्राप्त धनराशि को सट्टे बाजार में निवेश किया जा सकता है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम)** : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) प्राप्त हुए विदेशी अंशदान को जिन उद्देश्यों के लिए इसे प्राप्त किया गया है उन्हें निर्दिष्ट उद्देश्यों हेतु उपयोग में लाया जाना है।

## सांस्कृतिक प्रतिष्ठानों को आयकर से छूट

3556. **श्री नवीन जिन्दल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वेदांता कल्चरल फाउंडेशन, मुंबई को आयकर अधिनियम की धारा 35(i) और (ii) के अंतर्गत कर से छूट प्राप्त है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या फाउंडेशन ने इस कर छूट के नवीकरण के लिए आवेदन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) कर छूट के नवीकरण में विलम्ब के क्या कारण हैं और इस फाउंडेशन को यह छूट कब तक प्रदान किए जाने की संभावना है?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम)** : (क) जी, हां।

(ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35(1)(iii) के अंतर्गत अधिसूचना दिनांक 14.11.2003 के तहत वेदांता सांस्कृतिक प्रतिष्ठान, मुंबई को 1.8.2003 से 31.3.2006 तक की अवधि के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया।

(ग) जी, हां।

(घ) प्रतिष्ठान ने आयकर निदेशक (छूट), मुंबई के कार्यालय में 15.5.2006 को नवीकरण के लिए आवेदन किया।

(ङ) आवेदन की प्रोसेसिंग में कोई अनुचित विलंब नहीं हुआ है क्योंकि इसे 15.5.2006 को ही दायर किया गया। आवेदक से निर्धारित फार्म 2 ग च में आवेदन प्रस्तुत करने की अपेक्षा की गई थी जिसे 15.6.2006 को प्रस्तुत किया गया। इसके बाद, कुछ जानकारी मांगी गई तथा आवेदन के उत्तर की आयकर निदेशक (छूट), मुंबई के कार्यालय द्वारा जांच की जा रही है। क्षेत्रीय प्राधिकारियों से रिपोर्ट प्राप्त होने पर मामले को विहित प्राधिकारी अर्थात् केंद्र सरकार के विचारार्थ प्रस्तुत किया जाएगा।

*[हिन्दी]*

## बी पी ओ उद्योग की गुणवत्ता

3557. **श्री इंसराज जी. अहीर** : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बिजनेस प्रोसेस आऊटसोर्सिंग (बी पी ओ) अथवा कॉल सेंटरों में रोजगार के लिए राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा आयोजित करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या बी पी ओ हेतु राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा आयोजित कराने के लिए किसी संस्था/विश्वविद्यालय को प्राधिकृत किया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल)** : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

*[अनुवाद]*

**शॉपिंग माल का निर्माण**

**3558. श्री रघुनाथ झा** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में शॉपिंग माल एम सी डी/डीडीए द्वारा अनिवार्य पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी किए बिना चल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे सभी मॉलों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या इन मॉलों द्वारा पर्याप्त अग्नि सुरक्षा और अन्य सुरक्षा उपाय नहीं किए गए हैं.

(घ) यदि हां, तो इस मामले में संबंधित प्राधिकारियों द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) गत दो वर्षों के दौरान इन मॉलों में कितने व्यक्ति मारे गए हैं?

**शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन)** : (क) और (ख) दिल्ली नगर निगम ने यह सूचित किया है कि उसने शॉपिंग माल के निर्माण के लिए स्वीकृति नहीं दी है, यद्यपि वर्ष 2005-06 में 3 वाणिज्यिक परिसरों के निर्माण के लिए स्वीकृति दी गई थी। दिल्ली नगर निगम ने यह भी सूचित किया है कि भवन स्वामी द्वारा भवन का कब्जा लेने से पूर्व कब्जा/पूर्ण प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य है। बिना कब्जा/ पूर्णता प्रमाण पत्र के भवन का कब्जा लेने पर दिल्ली नगर निगम अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई की जा सकती है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने यह सूचित किया है कि कब्जा/ पूर्णता प्रमाण पत्र के बिना किसी भी शॉपिंग माल में कार्य शुरू किए जाने की जानकारी नहीं है।

(ग) और (घ) दिल्ली नगर निगम ने यह सूचित किया है कि दिल्ली अग्निशमन सेवा से अनिवार्य स्वीकृति प्रमाणपत्र, जहां कहीं भी लागू है, प्राप्त करने के बाद ही कब्जा/पूर्णता प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है।

(ङ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने यह बताया है कि गत दो वर्षों के दौरान आग लगने के कारण मालों में कोई प्राणघातक दुर्घटना घटने की सूचना नहीं है।

*[हिन्दी]*

**बेरोजगारी**

**3559. श्री रशीद मसूद :**
**श्री रघुनाथ झा :**

**क्या आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय ने बेरोजगारी की समस्या का समाधान करके बेरोजगारी में कटौती करने की कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त योजना के अंतर्गत क्या लक्ष्य निर्धारित किये गए हैं; और

(घ) उक्त योजना के माध्यम से कितने बेरोजगार युवकों को रोजगार मिलने की संभावना है?

**आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा)** : (क) से (घ) देश में शहरी गरीबों की जीवन दशाओं में सुधार लाने तथा शहरी गरीबों के लिए रोजगार का सृजन करने पर ध्यान केन्द्रित करने हेतु आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय दिनांक 01.12.1997 से सम्पूर्ण भारत में स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई) नामक एक रोजगारोन्मुखी शहरी गरीबी उपशमन स्कीम पहले ही कार्यान्वित कर रहा है। इस स्कीम में प्रथमत: नौवीं कक्षा तक ही पढ़े व्यक्तियों द्वारा स्व-रोजगार उद्यमों की स्थापना को प्रोत्साहन देकर तथा द्वितीयत:, सामाजिक एवं आर्थिक रूप से उपयोगी सार्वजनिक परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए उनके श्रम का उपयोग करते हुए मजदूरी रोजगार मुहैया कराके शहरी बेरोजगारों एवं अल्परोजगार प्राप्त गरीबों को लाभप्रद रोजगार मुहैया कराने की संकल्पना की गयी है।

दसवीं योजना अवधि के दौरान स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के अंतर्गत माइक्रो/ग्रुप उद्यम लगाने में बेरोजगार शहरी युवकों सहित 4 लाख शहरी गरीबों को सहायता प्रदान करने तथा 5 लाख शहरी गरीबों को कौशल प्रशिक्षण देने का लक्ष्य नियत किया गया है।

*[अनुवाद]*

**रेजिडेंसियल वेल्फेयर एसोसिएशन को भूमि/ स्थान का आबंटन**

3560. **श्री वृष भूषण शरण सिंह :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के पास डीडीए द्वारा विकसित कालोनियों/समूह आवास समितियों को रेजिडेंसियल वेल्फेयर एसोसिएशनों को कार्यालय के लिए स्थान/भूमि का आबंटन करने की कोई नीति है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इस नीति के अंतर्गत डीडीए को कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं;

(घ) डीडीए द्वारा विकसित उन कालोनियों/ समूह आवास समितियों का ब्यौरा क्या है जिन्हें इस प्रयोजनार्थ स्थान/भूमि का आबंटन किया गया है;

(ङ) आज की तिथि के अनुसार डीडीए के पास कितने मामले लंबित पड़े हैं; और

(च) इन मामलों का निपटान कब तक किये जाने की संभावना है?

**शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) :** (क) और (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने सूचित किया है कि नीति के अनुसार, दिल्ली विकास प्राधिकरण (आवास संपदा का प्रबंधन और निपटान) विनियम, 1968 के तहत उनके पास पंजीकृत आवासी कल्याण संगठनों (आरडब्ल्यूए) को प्लांट/निर्मित स्थान आबंटित किए जाते हैं बशर्ते कि वे उपलब्ध हों।

(ग) पिछले 3 वर्षों के दौरान डीडीए को 5 आरडब्ल्यूए से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

(घ) डीडीए द्वारा जिन 12 आरडब्ल्यूए को स्थान/भूमि आबंटित की गई है उनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ङ) और (च) डीडीए ने यह भी सूचित किया है कि 5 मामलों में विभिन्न कारणों से भूमि/ निर्मित स्थान आबंटित नहीं किया जा सका जैसे कि अपात्रता, प्लाटों/निर्मित स्थान की अनुपलब्धता आदि। इस संबंध में कोई समय सीमा निश्चित नहीं की जा सकती है।

**विवरण**

*डीडीए द्वारा भूमि/ कार्यालय स्थान/ समुदाय हॉल के लिए आबंटन प्राप्त आवास कल्याण संगठनों की सूची*

1. आवासी कल्याण संगठन, हौज खास, एसएफएस फ्लैट
2. आवासी कल्याण संगठन, मुनिरिका फैज-II
3. आवासी कल्याण संगठन, मुनिरिका, एसएफएस फ्लैट
4. आवासी कल्याण संगठन, सी-3, एमआईजी फ्लैट, केशव पुरम
5. आवासी कल्याण संगठन, एम आई जी फ्लैट, चित्रकूट, ईस्ट ऑफ लोनी रोड
6. आवासी कल्याण संगठन, एच ब्लॉक, साकेत
7. आवासी कल्याण संगठन, जी-8 एरिया, राजौरी गार्डन
8. आवासी कल्याण संगठन, कैलाश कुंज, ग्रेटर कैलाश
9. आवासी कल्याण संगठन, के.सी. ब्लॉक (एमआईजी) अशोक विहार, फेज-I
10. आवासी कल्याण संगठन, के.सी. ब्लॉक (एमआईजी) अशोक विहार, फेज-I
11. आवासी कल्याण संगठन, जीएच-13, एसएफएस, पश्चिम विहार
12. आवासी कल्याण संगठन, एशियन गेम्स विलेज कंप्लेक्स

**जल प्रभार**

3561. **श्रीमती अर्चना नायक :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण एक ही क्षेत्र में पानी के टैंकरों द्वारा जलापूर्ति के लिए अलग-अलग धनराशि वसूलता है;

(ख) यदि हां, तो एक ही क्षेत्र में ऐसे भेदभाव के क्या कारण हैं जबकि दिल्ली जल बोर्ड सम्पूर्ण दिल्ली में एक समान पानी की दरें वसूल कर रहा है;

(ग) क्या डीडीए के पास द्वारका की जलापूर्ति को दिल्ली जल बोर्ड को सौंपने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो कब तक?

**शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) :** (क) और (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने यह सूचित किया है कि अप्रैल, 2006 तक द्वारका के सेक्टर-12 में पांच हाउसिंग सोसाइटियों से विशेष मामले के रूप में 125/- रुपए प्रति टैंकर लिया जा रहा था, क्योंकि इन सोसाइटियों को जल की कमी के कारण पाइप के जरिये जल आपूर्ति नहीं की जा रही थी। तथापि, इस समय द्वारका में सभी हाउसिंग सोसाइटियों के लिए 300/- रुपए प्रति टैंकर की दर से टैंकरों के माध्यम से जल आपूर्ति की एक समान दर है।

(ग) और (घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने यह सूचित किया है कि वह द्वारका में जल आपूर्ति का कार्य दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) को सौंपने का मामला उठा रहा है। दिल्ली जल बोर्ड ने सी डब्ल्यू पी सं. 537/ 1992 में 10.5.2000 को जारी माननीय उच्चतम न्यायालय के निदेशों के संबंध में केन्द्रीय जल आयोग के साथ-साथ हरियाणा सरकार के साथ इस मामले को उठाया है। उपर्युक्त के आलोक में, इस स्तर पर कोई समय-सीमा निर्दिष्ट नहीं की जा सकती है।

### एल आई सी पालिसियों पर सम्प्रभु गारंटी

**3562. श्री बालासाहिब विखे पाटील :**
**श्री राम कृपाल यादव :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण ने सरकार को जीवन बीमा निगम (एलआईसी) की जीवन बीमा पालिसियों पर से सम्प्रभु गारंटी को समाप्त करने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने एल आई सी द्वारा दिए गए रक्षोपाय के लिए सम्प्रभु गारंटी को जारी रखने का निर्णय लिया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) :** (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

*[हिन्दी]*

### गेट लगाना

**3563. डा. राजेश मिश्रा :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार संसद सदस्यों के नार्थ एवेन्यू, साउथ एवेन्यू के फ्लैटों और उनके आवासी परिसरों में सुरक्षा प्रबंधों को सुदृढ़ करने के लिए वहां पर ग्रिल-गेट लगाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) :** (क) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए, लागू नहीं होता।

*[अनुवाद]*

### भू-अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण हेतु केन्द्रीय सहायता

**3564. श्री पी.सी. थामस :** क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने राजस्व प्रशासन के सुदृढ़ीकरण हेतु भू-अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण और उसे अद्यतन बनाने हेतु 65.32 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता देने का अनुरोध करते हुए सी.एम. एल.आर की एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रस्तुत की है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है?

**शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन)** : (क) केरल की राज्य सरकार ने राजस्व एवं पंजीकरण विभागों के कम्प्यूटरीकरण, आधुनिक सर्वेक्षण उपस्करों के जरिए राज्य का पुनर्सर्वेक्षण तथा सर्वेक्षण अभिलेखों के अंकीकरण के कार्य को शामिल करते हुए भूमि अभिलेखों के विस्तृत आधुनिकीकरण (सी.एम.एल.आर.) की प्रस्तावित योजना के अंतर्गत 431.32 करोड़ रुपये की लागत का एक परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

(ख) भूमि अभिलेखों के विस्तृत आधुनिकीकरण (सी.एम. एल.आर.) की योजना के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

## अंशकालिक कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करना

**3565. श्री अमिताभ नन्दी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के विभिन्न बैंकों में अंशकालिक सफाईकर्मियों/कर्मचारियों की सेवाओं को पूर्णकालिक सफाईकर्मियों/ कर्मचारियों के रूप में नियमित करने के बारे में कोई निर्णय लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों ने इस निर्णय को लागू किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम)** : (क) से (ग) सरकारी क्षेत्र के बैंकों में अ.जा./अ.ज.जा./ओबीसी के लिए आरक्षण से संबंधित मामलों पर विचार करने के लिए बैंकिंग प्रभाग, नई दिल्ली में 12 अप्रैल, 2006 को संयुक्त सचिव (इन्फ्रा/एससीटी) की अध्यक्षता में अ.जा./अ.ज.जा. संगठनों के अखिल भारतीय परिसंघ, राष्ट्रीय भारतीय स्टेट बैंक अ.जा./अ.ज.जा. कर्मचारी संघ, अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ तथा अखिल भारतीय ग्रामीण बैंक अ.जा./अ.ज.जा. कर्मचारी कल्याण संघ के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की गई।

परिसंघ/संघ के प्रतिनिधियों द्वारा यह बताया गया था कि बैंकों द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को 2000-3000 रुपए प्रतिमाह की अत्यंत कम मजदूरी पर अंशकालिक आधार पर रखा गया था, जबकि बैंकों के नियमित कर्मचारी अच्छा वेतन प्राप्त कर रहे हैं। कुछ अंशकालिक कर्मचारी तो 10-12 वर्ष से कार्य रहे थे और आज की तारीख तक वे अंशकालिक कर्मचारी के रूप में ही कार्य कर रहे हैं और उनका भविष्य अंधकारमय है। यह सुझाव दिया गया था कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अंशकालिक कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने तथा भविष्य में सिर्फ नियमित आधार पर नियुक्तियां करने के लिए बैंकों को अनुदेश जारी किए जाएं। परिसंघ/संघ के प्रतिनिधियों को यह सूचित किया गया था कि उपयुक्त सुझावों को विचारार्थ एवं उपर्युक्त कार्रवाई हेतु बैंकों को भेजा जाएगा। बैठक के कार्यवृत्त सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों/वित्तीय संस्थाओं में परिचालित कर दिया गया है।

किसी बैंक से विशेष रूप से क्रियान्वयन रिपोर्ट नहीं मांगी गई है।

## शहरी नवीकरण परियोजना हेतु निजी क्षेत्र

**3566. श्री के.सी. पल्लानी शामी** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार शहरी नवीकरण परियोजना हेतु निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करने का है;

(ख) क्या सरकार को निजी क्षेत्र से कोई सकारात्मक उत्तर प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;?

**शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन)** : (क) जी, हां। सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) को प्रोत्साहित करना जवाहरलाल नेहरु राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के अंतर्गत एक वैकल्पिक सुधार है।

(ख) और (ग) जवाहरलाल नेहरु राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के अंतर्गत परियोजनाएं अभिज्ञात शहरों के स्थानीय निकायों (यूएलबी)/पैरा स्टेटलों द्वारा कार्यान्वित की जाती हैं न कि केन्द्र सरकार द्वारा। इसलिए, शहरी क्षेत्र की परियोजनाओं में सार्वजनिक निजी भागीदारी को बढ़ावा देना शहरों/ पैरा स्टेटलों पर निर्भर है। अभी तक, राजकोट नगर निगम ने जवाहरलाल नेहरु राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के अंतर्गत सार्वजनिक निजी भागीदारी आधार पर ठोस कचरा प्रबंधन संबंधी एक परियोजना कार्यान्वित करने का प्रस्ताव किया है। यह परियोजना अनुमोदित हो गई है।

*[हिन्दी]*

## रोहिणी हाउसिंग प्रोजेक्ट 1981

**3567. श्री तूफानी सरोज :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली की रोहिणी हाउसिंग प्रोजेक्ट 1981 को पूरा कर लिया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसको कब तक पूरा किए जाने की संभावना है;

(ग) उक्त प्रोजेक्ट के अंतर्गत आबंटन हेतु कितने आवेदकों ने आवेदन किया था;

(घ) क्या सभी आवेदकों को मकान आबंटित कर दिए गए हैं;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या सरकार को इस प्रोजेक्ट में किसी घोटाले की कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(छ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ज) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

**शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) :** (क) से (ङ) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने यह सूचित किया है कि रोहिणी आवासीय स्कीम, 1981 के अंतर्गत कुल 82,384 पंजीयकों में से 54,707 पंजीयकों को प्लॉटों का आवंटन कर दिया गया है। 1820 पंजीयकों ने अपने रजिस्ट्रेशन / आवंटन रद्द/ वापिस कर दिए हैं। इस समय स्कीम के अंतर्गत बैकलॉग 25,857 है। भूमि की कमी और अवस्थापना सुविधायें उपलब्ध नहीं होने के कारण इस स्कीम के सभी पंजीयकों को प्लॉट आवंटित नहीं किए जा सके। चूंकि प्लॉटों की बिक्री भूमि के अधिग्रहण पर निर्भर करती है। इसलिए कोई समय-सीमा नहीं दी जा सकती है।

(च) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने यह भी सूचित किया है कि इस स्कीम में किसी घोटाले की कोई विशेष शिकायत नहीं मिली है।

(छ) और (ज) उपर्युक्त भाग (च) के उत्तर के आलोक में प्रश्न नहीं उठता।

## ग्रामीण विकास हेतु निर्धारित धनराशियों का उपयोग न किया जाना

**3568. श्री हंसराज जी. अहीर :** क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि ग्रामीण विकास हेतु राज्य सरकारों को जारी धनराशियों को योजना शीर्ष के अंतर्गत खर्च नहीं किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो योजना शीर्ष के अंतर्गत उपयोग न किए जाने के कारण ये धनराशियां कितनी राज्य सरकारों के पास अप्रयुक्त पड़ी हैं;

(ग) किन-किन राज्य सरकारों ने योजना शीर्ष के अंतर्गत धनराशियों के उपयोग प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किए हैं और ऐसी धनराशियों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) ग्रामीण विकास हेतु जारी धनराशियों का योजना शीर्ष के अनुसार उपयोग किया जाना सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

**ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्रीमती सूर्यकांता पाटील) :** (क) से (ग) ग्रामीण विकास मंत्रालय के कार्यक्रमों का कार्यान्वयन राज्य सरकारों/जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों/जिला परिषदों के जरिए किया जाता है। कार्यक्रम के दिशा-निर्देशों के अनुसार, राज्य सरकारों को अधिकतम सीमा तक निधियों का उपयोग करना होता है। तथापि, व्यावहारिक कठिनाइयों जैसे कि प्राकृतिक आपदा, बाढ़, सूखा और जन प्रतिनिधियों के चुनाव होने की वजह से कभी-कभी उपलब्ध संसाधनों का पूर्णत: उपयोग नहीं किया जाता है। रिलीज की गई निधियों के विषय में उपयोग प्रमाण-पत्र और लेखा-परीक्षा रिपोर्ट निधियों की अगली किस्त प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत करना आवश्यक होता है।

(घ) ग्रामीण विकास मंत्रालय ने आवधिक प्रगति रिपोर्टों, निष्पादन समीक्षा समिति की बैठकों, क्षेत्र अधिकारियों की योजना, राष्ट्र स्तरीय निगरानीकर्ताओं, राज्य/जिला स्तर पर जिला स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति के माध्यम से निधियों के उपयोग सहित कार्यक्रमों के कार्यान्वयन एवं प्रभाव की निगरानी की एक व्यापक प्रणाली बनाई है। इसके अलावा,

राज्य सरकारों को पांच आयामी कार्यनीति अपनाने की भी सलाह दी गई है जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं- (i) योजनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करना, (ii) पारदर्शिता, (iii) जनभागीदारी और (iv) जवाबदेही/सामाजिक लेखा-परीक्षा और (v) सभी स्तरों पर कड़ी सतर्कता और निगरानी। इन उपायों से ग्रामीण विकास योजनाओं के अंतर्गत कार्य को समय पर पूरा करने में मदद मिलेगी।

*[अनुवाद]*

**फन एण्ड फूड विलेज**

3569. **श्री प्रभुनाथ सिंह** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायाल ने सरकार को दिल्ली में बिना किसी स्वीकृत भवन योजना के कृषि भूमि पर व्यावसायिक स्थल "फन एण्ड फूड विलेज" की स्थापना की जांच करने का निर्देश दिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गयी है?

**शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन)** : (क) और (ख) दिल्ली नगर निगम ने बताया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायाल ने इस मामले में कोई जांच करने का आदेश नहीं दिया है। दिल्ली नगर निगम ने यह भी बताया है कि फन एण्ड फूड विलेज का परिसर लगभग सात एकड़ भूमि में है जिसमें से चार एकड़ भूमि लाल डोरा क्षेत्र में है तथा तीन एकड़ भूमि कापसहेड़ा गांव की कृषि भूमि है। जहां तक कृषि भूमि पर निर्माण का संबंध है, दिल्ली नगर निगम पहले ही दिल्ली नगर निगम अधिनियम के उपबंधों के तहत कारण बताओ नोटिस जारी कर चुका है।

दिल्ली नगर निगम द्वारा यह भी बताया गया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार, फन एण्ड फूड विलेज को दिनांक 7.4.06 को बंद (सील) कर दिया गया था, क्योंकि वह 80 फीट चौड़ी सड़क पर स्थित है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त मॉनीटरिंग समिति के निर्देशों के अनुसार, मालिकों द्वारा बाद में दिए गए शपथ-पत्र के पश्चात् इस संपत्ति को खोल दिया गया।

**स्वापक नियंत्रण संबंधी एजेन्सियां**

3570. **श्री के फ्रांसिस जार्ज** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वापक नियंत्रण संबंधी सरकार की एक से अधिक एजेन्सियां है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इसके क्या कारण हैं;

(ग) ये एजेन्सियां अंतर्राष्ट्रीय स्वापक-आतंकवाद से किस प्रकार निपटती है;

(घ) क्या उनके समक्ष किसी प्रकार की कठिनाइयां आ रही है;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उनको मिलाकर एक एजेंसी बनाने का है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम)** : (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने स्वापकों के नियंत्रण के लिए एक बहु एजेंसी दृष्टिकोण का अनुसरण किया है। औषधी और मन: प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (एन डी पी एस अधिनियम) के उद्देश्य और कारण के विवरण में पूर्ववर्ती विधानों में बहुत सी त्रुटियों की सूची है जिसके कारण स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 को अधिनियमित किया गया था। सूचीबद्ध त्रुटियों में से एक यह है कि कई केन्द्रीय प्रवर्तन एजेंसियों को पूर्ववर्ती कानूनों के अंतर्गत प्रवर्तन की शक्ति नहीं दी गई थी। स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम धारा 41(2) और 42 केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों को अपनी संबद्ध सरकारों के किसी विभाग के अधिकारियों को तलाशी, जब्ती और गिरफ्तार करने की शक्तियां देने के लिए प्राधिकृत करती हैं। सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, राजस्व आसूचना निदेशालय, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो और केन्द्रीय स्वापक ब्यूरो के अधिकारियों को केन्द्र सरकार द्वारा शक्ति प्रदान की गई है और वे स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के उद्देश्यों और कारण के विवरण के दृष्टिगत कानून का प्रवर्तन करते हैं।

(ग) स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के अंतर्गत प्राधिकृत सभी एजेंसियां ड्रगों को जब्त करती और अपराधियों को गिरफ्तार करती हैं। केन्द्र और सभी राज्य सरकारों के अंतर्गत सभी एजेंसियों द्वारा जब्ती और गिरफ्तारी करने से संबंधित सूचना स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एन सी बी) को दी जाती है जो उक्त सूचनाओं का

संकलन करता है। स्थापक नियंत्रण ब्यूरो अन्य देशों में अपने सहयोगियों से भी आसूचना का आदान प्रदान करता है। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो इन्टरपोल के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय प्रभाव वाले मामलों को भी देखता है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) और (च) (घ) के दृष्टिगत प्रश्न नहीं उठता।

**मीडिया द्वारा रिपोर्टिंग के संबंध में विधि आयोग की सिफारिशें**

3571. **श्री के.एस. राव :**
**श्री निखिल कुमार :**

क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विधि आयोग ने सरकार से मीडिया द्वारा आपराधिक मामलों में गिरफ्तारी के समय, जांच और विचारण के दौरान अभियुक्त के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली किसी भी प्रकार की रिपोर्टिंग को रोकने के लिए कानून बनाने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

**विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. वेंकटपति) :** (क) से (ग) "मीडिया द्वारा विचारण : दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अधीन स्वतंत्र वक्तव्य और निष्पक्ष विचारण (न्यायालय अवमान संशोधन अधिनियम, 1971 के संशोधन)" विषय पर विधि आयोग की 200वीं रिपोर्ट को संसद के समक्ष रखे जाने के लिए कार्यवाही की जा रही है।

**सरकारी मुद्रणालयों हेतु मशीनरी/उपकरण की खरीद**

3572. **श्री जोचाकिम बखला :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान विभिन्न सरकारी मुद्रणालयों के लिए खरीदी गई मशीनरी/उपकरणों का ब्यौरा क्या है और इनका मूल्य कितना है?

**शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) :** विगत तीन वर्षों के दौरान भारत सरकार के विभिन्न मुद्रणालयों के लिए खरीदे गए मशीनरी/उपकरणों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

**विवरण**

| मशीन का नाम | खरीदी गई मात्रा | खरीदी गई वस्तुओं का प्रैस वार वितरण | प्रत्येक मशीन का मूल्य (रुपये में) | कुल मूल्य (रुपये में) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **वर्ष 2003-04 के दौरान खरीदी गई मशीनरी/उपकरण** | | | | |
| डिजिटल डूपलिकेटर | 2 | रिंग रोड (1)<br>आर.पी. भवन(1) | 6,17,032 | 12,34,064 |
| स्पाइरल बाइडिंग | 1 | सांत्रागाछी | 74,970 | 74,970 |
| स्पाइरल बाइडिंग | 1 | सांत्रागाछी | 74,970 | 74,970 |
| फ्रैंकिंग मशीन | 4 | मिन्टो रोड (1)<br>निलोखेड़ी (1) | 87,500 | 3,50,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| | | फरीदाबाद (1) | | |
| | | नासिक (1) | | |
| डीटीपी सिस्टम | 79 | सांत्रागाछी (6) | अलग-अलग दर | 71,74,337 |
| | | टीएसकोल (1) | | |
| | | अलीगढ़ (1) | | |
| | | नीलोखेड़ी (2) | | |
| | | नासिक (8) | | |
| | | कोयम्बटूर (6) | | |
| | | कोरट्टी (1) | | |
| | | आरपी भवन (1) | | |
| | | मिन्टो रोड (50) | | |
| | | फरीदाबाद (2) | | |
| **वर्ष 2004-05 के दौरान खरीदी गई मशीनरी/उपकरण** | | | | |
| कम्प्यूटाइज पेपर कटिंग मशीन | 3 | रिंग रोड (2) | अलग-अलग दर | 27,00,000 |
| | | कोरट्टी (1) | | |
| पेपर कटिंग मशीन (45") गिलोटिंग | 16 | मिन्टो रोड (4) | अलग-अलग दर | 1,40,00,000 |
| | | रिंग रोड (2) | | |
| | | आर.पी. भवन (1) | | |
| | | नीलोखेडी (1) | | |
| | | फरीदाबाद (2) | | |
| | | कोयम्बटूर (1) | | |
| | | टीएस कोलकाता (2) | | |
| | | सांत्रागाछी (3) | | |
| दो कलर ऑफसेट प्रिंटिंग मशीन | 12 | मिन्टो रोड (2) | 49,59,172 | 2,54,87,488 |
| | | रिंग रोड (2) | 49,59,172 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| | | फरीदाबाद (3) | 53,04,986 | |
| | | कोयम्बटूर (1) | 3,45,814 | |
| | | नासिक (2) | 49,59,172 | |
| | | सांत्रागाछी (2) | 49,59,172 | |
| एक कलर ए-2 साइज ऑफसेट प्रिंटिंग मशीन | 6 | नीलोखेडी (1) | 12,30,843 | 73,85,058 |
| | | नासिक (2) | 24,61,686 | |
| | | टीएस कोल (1) | 12,30,843 | |
| | | सांत्रागाछी (2) | 24,61,686 | |
| **वर्ष 2005-06 के दौरान खरीदी गई मशीनरी/उपकरण** | | | | |
| तीन नाइफ ट्रिमर | 1 | कोरट्टी | 17,52,376 | 17,52,376 |
| वायर स्टिचिंग मशीन 1'' | 16 | मिंटा रोड (2) | 46,592 | 7,45,472 |
| | | रिंग रोड (2) | | |
| | | आर.पी. भवन (1) | | |
| | | निलोखेड़ी (2) | | |
| | | फरीदाबाद (4) | | |
| | | कोयम्बटूर (1) | | |
| | | टी.एस. कोल (2) | | |
| | | सांत्रागाछी (2) | | |
| प्लेट प्रोसेसर | 10 | मिंटो रोड (2) | 3,43,200 | 34,32,000 |
| | | रिंग रोड (2) | | |
| | | निलोखेड़ी (1) | | |
| | | अलीगढ़ (1) | | |
| | | कोयम्बटूर (1) | | |
| | | नाशिक (1) | | |
| | | टी.एस. कोल (1) | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| किताब सिलाई मशीन | 2 | मिंटो रोड (1) | 2,34,000 | 4,88,000 |
| | | फरीदाबाद (1) | | |
| ओटोमेटिक फोल्डिंग मशीन | 5 | रिंग रोड (1) | 18,80,884 | 94,04,420 |
| | | टी.एस. कोल (2) | | |
| | | सांत्रागाछी (2) | | |
| प्रिंटिंग डाउन फ्रेम | 12 | मिंटो रोड (2) | 1,87,200 | 22,46,400 |
| | | रिंग रोड (2) | | |
| | | निलोखेड़ी (1) | | |
| | | अलीगढ़ (1) | | |
| | | कोयम्बटूर (1) | | |
| | | नाशिक (2) | | |
| | | टी.एस. कोल (1) | | |
| | | सांत्रागाछी (2) | | |
| नाइफ ग्रेंडर | 2 | कोरट्टी (1) | 2,24,640 | 4,49,280 |
| | | टी.एस. कोल (1) | | |
| गैदर स्टिचर | 2 | कोरट्टी (1) | 38,92,984 | 1,05,07,856 |
| | | टी.एस. कोल (1) | 66,14,872 | |
| एक कलर ए-1 साईज आफ सेट प्रिंटिंग मशीन | 14 | आर.पी. भवन (1) | 19,57,236 | 2,74,01,304 |
| | | निलोखेड़ी (1) | | |
| | | फरीदाबाद (1) | | |
| | | अलीगढ़ (1) | | |
| | | नाशिक (6) | | |
| | | सांत्रागाछी (4) | | |
| लैमिनेशन मशीन | 1 | सांत्रागाछी | 49,608 | 49,608 |
| एक कलर ए-1 साईज | 9 | निलोखेड़ी (1) | 33,08,512 | 2,97,76,608 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| आफसेट प्रिंटिंग मशीन नम्बरिंग यूनिट | | फरीदाबाद (2) | | |
| | | कोयम्बटूर (1) | | |
| | | नाशिक (2) | | |
| | | टी.एस. कोल (1) | | |
| | | सांत्रागाछी (2) | | |

*[हिन्दी]*

**शहरी सहकारी बैंकों के पंजीकरण पर प्रतिबंध**

**3573. श्री बालेश्वर यादव :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शहरी सहकारी बैंकों के पंजीकरण पर कोई प्रतिबंध लगाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इस प्रतिबंध को हटाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) :** (क) से (घ) वर्ष 2004-05 के भारतीय रिजर्व बैंक के वार्षिक नीति विवरण में यूसीबी क्षेत्र को नए लाइसेंस जारी करने का उल्लेख है। इसमें यह निर्धारित है कि इस क्षेत्र को मजबूत, सुदृढ़ और स्थिर बनाने के लिए इस क्षेत्र के लिए उपयुक्त कानूनी एवं विनियामक ढांचे सहित यूसीबी से संबंधित एक व्यापक नीति तैयार कर दिए जाने के पश्चात ही नए लाइसेंस जारी किए जाएंगे।

इस घोषणा के अनुसार, इस संबंध में स्थिति की समीक्षा करने तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नई घोषणा करने के पश्चात ही नए यूसीबी के गठन हेतु अथवा सहकारी ऋण समितियों को यूसीबी में परिवर्तित करने के किसी नए प्रस्ताव पर विचार किया जाना है। एक शुरूआती कदम के रूप में, राज्य सरकारों के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर कर विनियामक सहयोग स्थापित करने के मद्देनजर तथा शहरी सहकारी बैंकों से संबंधित कार्यबल (टीएएफसीयूबी) के सकारात्मक अनुभव के आधार पर मध्यावधि समीक्षा में यह कहा गया था कि राज्यों में पंजीकृत वित्तीय रूप से सुदृढ़ यूसीबी, जिन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है तथा वे यूसीबी जो बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 के तहत पंजीकृत हुए हैं, को विद्यमान विस्तृत पटलों को कुछ शर्तों के अध्यधीन पूर्ण शाखा में परिवर्तित करने की अनुमति दी जाए। इस संबंध में 13 नवंबर, 2006 को यूसीबी को दिशानिर्देश जारी कर दिए गए हैं।

नई शाखाओं/लाइसेंस के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि शहरी सहकारी बैंकों के पुनर्गठन से संबंधित प्रगति के बारे में प्रत्येक राज्य की समीक्षा पूरी होने के बाद ही वह नई शाखाओं/लाइसेंस की अनुमति प्रदान करेगा।

*[अनुवाद]*

**'कैच दैम यंग' का ध्येय**

**3574. श्री एन.एस.वी. चित्तन :** क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय ने 'कैच दैम यंग' अपनाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इससे किन उद्देश्यों और ध्येयों को प्राप्त किया जाएगा; और

(घ) इसकी वर्तमान स्थिति क्या है?

**विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल)** : (क) से (घ) विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने मानव संसाधन का विकास और पोषण सरकार की कार्यसूची में हमेशा शीर्ष पर रहा है। सरकार ने विद्यार्थियों को उनकी युवावस्था में स्कूल से कालेज तक और उसके बाद शीर्षस्थ स्तर पर प्रतिस्पर्धी अनुसंधान तथा अनुसंधान और विकास के विभिन्न स्तरों पर अभिनव योजनाओं के माध्यम से विज्ञान शिक्षा अपनाने हेतु उन्हें आकर्षित करने के लिए प्रमुख महत्व दिया है।

सरकार ने विज्ञान में कैरियर अपनाने हेतु मेधावी विद्यार्थियों और वैज्ञानिकों को आकर्षित करने के लिए पहले से ही अनेक स्कीमें शुरू की हैं। इनमें स्कूल और कालेज स्तर पर आकर्षिक किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना छात्रवृत्तियों से लेकर कार्यशील वैज्ञानिकों के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी अध्येतावृत्तियां, स्वर्ण जयंती अध्येतावृत्तियां, रमन्ना अध्येतावृत्तियां, अनुसंधान स्तर पर युवा वैज्ञानिक परियोजनाएं और पुरस्कार, जे सी बोस और रामानुजन अध्येतावृत्तियां हैं। राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस, अंतरराष्ट्रीय विज्ञान ओलंपियाड जैसे कार्यक्रम भी विज्ञान और प्रौद्योगिकी के चुनौतीपूर्ण और रूचिकर क्षेत्रों में युवाओं द्वारा कार्य करने के उद्देश्य के लिए हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के सुधार हेतु निधि (फिस्ट) कार्यक्रम के माध्यम से और अनुसंधान सुविधाओं तथा उत्कृष्टता के केन्द्रों की स्थापना द्वारा भी सरकार ने हमारे मौलिक विज्ञान अनुसंधानकर्ताओं के लिए प्रतियोगी अनुसंधान अवसंरचना उपलब्ध कराने का प्रयास किया है। अभी हाल ही में, कोलकाता, पुणे और चण्डीगढ़ में तीन नये भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (आई आई एस ई आर) स्थापित किये गये हैं जिनमें अग्रणी और अंतरराष्ट्रीय रूप से प्रतियोगी अनुसंधान कराने के अलावा एक बहु - विषयी और शैक्षिक रूप से लचीले तथा अनुसंधानोन्मुखी वातावरण में एकीकृत एम. एस सी. कार्यक्रमों को भी चलाया जायेगा।

सरकार 11वीं योजना में ''इन्सपायर'' (इनोवेशन इन साइंस परस्यूट फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च) नामक एक नई स्कीम प्रारंभ करने का प्रस्ताव कर रही है। प्रस्तावित स्कीम की मुख्य विशेषताएं होंगी (1) स्कूलों में नवोन्मेष वित्त व्यवस्था (एक मिलियन युवा आविष्कार); (2) वैज्ञानिक विभूतियों के साथ ग्रीष्म कैंप (उच्च निष्पादकों के लिए); (3) प्रमाणित प्रतिभा बल हेतु सुनिश्चित अवसर स्कीमें; और (4) सार्वजनिक - निजी सहभागिता के माध्यम से सार्वजनिक निधिकृत अनुसंधान में प्रतिभा को बनाये रखना।

## राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत जट्रोफा पौधरोपण को शामिल किया जाना

3575. **श्री एल. राजगोपाल** : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वाणिज्य और उद्योग परिसंघ (फिक्की) ने जैव-डीजल का उत्पादन करने और इसके फलस्वरूप भारत द्वारा पेट्रोलियम उत्पादों का आयात कम किए जाने के उद्देश्य से जट्रोफा के पौधरोपण को बढ़ावा देने का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या परिसंघ ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एनआरईजीएस) के अंतर्गत जट्रोफा पौधरोपण और जैव-डीजल के उत्पादन को एक हिस्से के रूप में शामिल किए जाने का सुझाव दिया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

**ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू)** : (क) से (ग) जी, नहीं। ग्रामीण विकास विभाग को रतनजोत पौधरोपण को बढ़ावा देने, ताकि बायो-डीजल का उत्पादन किया जा सके तथा पेट्रोलियम उत्पादों का आयात कम किया जा सके, के लिए भारतीय वाणिज्य और उद्योग परिसंघ से कोई सुझाव नहीं मिला है। तथापि, बायो-डीजल उत्पादन की प्रक्रिया का प्रथम चरण जिसमें पौधरोपण तथा तिलहन उत्पादन में वृद्धि करना शामिल है, राज्य सरकारों द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत शुरू किया जा सकता है क्योंकि यह काम अधिनियम की अनुसूची-I में उल्लिखित कार्यों के अंतर्गत आता है।

## करों के संबंध में विश्व बैंक अध्ययन

3576. **श्रीमती मनोरमा माधवराव** :
**डा. सुबान चक्रवर्ती** :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में 9000 पेजों के आयकर कानून हैं, जैसा कि दिनांक 14 नवंबर, 2006 के ''द हिन्दुस्तान टाइम्स'' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या जटिल आयकर प्रक्रिया की वजह से कर अपवंचन होता है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इसे सरल बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम)** : (क) जी, नहीं।

(ख) सरकार ने एक खंडन जारी किया है जिसके आधार पर हिन्दुस्तान टाइम्स ने दिनांक 28.11.2006 के अपने संस्करण में 'संपादक के नाम पत्र' के कॉलम में निम्नलिखित प्रकाशित किया:

> "रिपोर्ट कि इंडिया में आयकर कानून (14 नवम्बर) के 9000 पृष्ठ हैं से यह परिलक्षित होता है कि भारत में जटिल आयकर विधान है। यह रिपोर्ट 'पेइंग टैक्सेज़, दि ग्लोबल पिक्चर' नामक एक प्राइस वाटर हाउस कूपर्स-वर्ल्ड बैंक स्टडी पर आधारित है। इस स्टडी के 16वें पृष्ठ पर, भारत में प्राथमिक कर विधान के पृष्ठों की संख्या 9,000 के रूप में दर्शायी गई है। 17वें पृष्ठ पर, स्टडी में कहा गया है कि भारत के प्राथमिक संघीय कर विधान के पृष्ठों की संख्या सबसे अधिक 9000 है। इसमें स्पष्ट रूप से सभी केन्द्रीय कर विधानों का उल्लेख किया गया है न कि सिर्फ आयकर का।"

हिन्दुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि सभी 9000 पृष्ठ केवल आयकर कानून से संबंधित हैं। यह रिपोर्ट सही नहीं है और यह जनहित के विरुद्ध है।

(ग) और (घ) जी, हां। जटिल आयकर प्रक्रियाएं कर-अपवंचन तथा कर परिहार को बढ़ावा देती हैं। अत: सरकार ने नई सरलीकृत आयकर संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया हैं उक्त समूह ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 08.09.2006 को प्रस्तुत कर दी है। यह रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है।

*[हिन्दी]*

## सरकारी व्यय में कटौती

3577. **श्रीमती अर्चना नायक** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राजकोष में वृद्धि करने के फलस्वरूप सरकारी व्यय में की गई कटौती का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने प्रमुख क्षेत्रों में निवेश के लिए धनराशि उपलब्ध कराई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम)** : (क) से (ग) प्रमुख क्षेत्रों में उच्चतर संसाधन आबंटन करने के उद्देश्य से सरकार ने द्वि-आयामी दृष्टिकोण अपनाया है, जिसमें एक ओर, उचित दरों, बेहतर अनुपालन तथा कराधार के विस्तार के जरिए राजस्व में वृद्धि हुई है। इसके परिणामस्वरूप, 2003-04 का सकल टैक्स- जी.डी.पी. अनुपात 9.2 प्रतिशत से बढ़कर 2006-07 (बजट अनुमान) में 11.2 प्रतिशत हो गया है।

इसके साथ ही सरकार ने 2006-07 में गैर-योजना व्यय की वृद्धि को 5.5 प्रतिशत तक नियंत्रित किया है जो कि हाल के वर्षों में सबसे कम है। इसके फलस्वरूप, 2006-07 के दौरान योजना व्यय में 20.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इस वृद्धि से हम आठ फ्लैगशिप कार्यक्रमों के लिए 15,088 करोड़ रुपए का अतिरिक्त आबंटन कर सकें हैं, ये कार्यक्रम हैं:

> सर्व शिक्षा अभियान, मिड-डे मील स्कीम, राजीव गांधी पेय जल मिशन, समग्र स्वच्छता अभियान, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, इंटिग्रेटिड चाइल्ड डेवल्पमेंट सर्विसेज़, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम तथा जवाहर लाल नेहरु नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन।

व्यय की विभिन्न श्रेणियों के तहत् होने वाले व्यय के रूझानों का ब्यौरा बजट 2006-07 के साथ प्रस्तुत व्यय बजट के खण्ड-I के अनुबंध 3, 3.1, 3.2, 3.3 में दिया गया हैं ये रूझान, विकास तथा निवेश के लिए आबंटित संसाधनों में महत्वपूर्ण सुधार को दर्शाते हैं।

*[अनुवाद]*

## निधियों को विदेशों में हड़पने (साइफनिंग) के मामले

3578. **श्री वी.के. दुग्गर** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के ध्यान में विदेशों में पंजीकृत न्यासों के जरिए भारत से निधियों को हड़पने (साइफनिंग) और धनशोधन के मामले आए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर क्या कार्रवाई की गयी है;

(घ) क्या सरकार का विचार इस पूरे मामले की जांच करने तथा इन न्यासों/कंपनियों के विरुद्ध कार्रवाई करने का है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम)** : (क) इस मंत्रालय की संबंधित एजेंसियों को विदेश में पंजीकृत न्यासों के जरिए भारत से निधियों को हड़पने (साइफनिंग) और धनशोधन के मामलों की कोई जानकारी नहीं है।

(ख) से (ङ) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

## पास बुक जारी करना

3579. **श्री सुबोध मोहिते** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने देश में कार्य कर रहे सभी बैंकों द्वारा बचत खाता धारकों को निःशुल्क पास बुक और मासिक विवरणियां जारी करना अनिवार्य कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ बैंक आर बी आई के आदेशों का पालन करने के इच्छुक नहीं हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या इस मामले में छूट देने के लिए भारतीय बैंक एसोसिएशन ने आरबीआई से संपर्क किया है; और

(च) यदि हां, तो इस पर आर बी आई की क्या प्रतिक्रिया है?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम)** : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने दिनांक 4 अक्तूबर, 2006 के अपने दिशानिर्देशों के तहत, सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) को सलाह दी है कि वे अपने सभी बचत बैंक खाता धारकों (अलग-अलग व्यक्ति) को पासबुक सुविधा अवश्य प्रदान करें। यदि, बैंक खाता विवरण भेजने की सुविधा प्रदान करता है. और ग्राहक ने इस विवरण को लेने का विकल्प दिया है, तो बैंक को मासिक खाता विवरण अवश्य जारी करना चाहिए। बैंकों को यह भी कहा गया है कि ऐसी पासबुक अथवा विवरण प्रदान करने की लागत ग्राहक से नहीं ली जानी चाहिए।

(ग) से (च) इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अधिकांश बैंक कोर बैंकिंग प्लेटफार्म अपनाने के लिए प्रयासरत हैं जिसमें ग्राहकों को एटीएम, फोन-बैंकिंग, नेट बैंकिंग, आदि द्वारा 24 घण्टे बैंकिंग सेवाओं की सुविधा है, भारतीय बैंक संघ (आईबीए) ने भारतीय रिजर्व बैंक से उपर्युक्त अनुदेशों की समीक्षा करने का अनुरोध किया है। भारतीय रिजर्व बैंक भारतीय बैंक संघ द्वारा उठाए गए मामले की जांच कर रहा है।

## शहरी गांव

3580. **श्री सुव्रत बोस** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में कितने शहरी गांव हैं;

(ख) विशेषकर दिल्ली के संदर्भ में शहरी गांव की परिभाषा क्या है;

(ग) इन गांवों को क्या सुविधाएं/रियायतें प्रदान की जा रही हैं; और

(घ) इन गांवों में मकानों के निर्माण संबंधी नियम और विनियम क्या हैं?

**शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन)** : (क) और (ख) दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने यह सूचित किया है कि दिल्ली नगर निगम अधिनियम की धारा-507 के अंतर्गत गांवों को शहरी गांव के रूप में अधिसूचित किया जाता है। दिल्ली नगर निगम ने यह भी सूचित किया है कि इस प्रकार अधिसूचित किए गए 135 शहरी गांव हैं।

(ग) दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि ऐसे गांवों के संबंध में सड़कें, जल-निकास, खरंजा (उनके सुधार सहित) मुहैया कराना तथा पार्कों का उन्नयन और सुधार करने जैसे विकास कार्य उसके द्वारा किए जाते हैं। सामुदायिक हाल, मिल्क बूथ, बारात घर आदि जैसी सुविधाएं विकास योजना के अनुसार मुहैया करायी जाती हैं।

दिल्ली विकास प्राधिकरण ने यह सूचित किया है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण परियोजनाओं के अंतर्गत आने वाले गांवों के लिए उसने नागरिक सुख-सुविधाएं प्रदान करने हेतु एक स्कीम शुरू की है।

(घ) दिल्ली नगर निगम ने यह भी सूचित किया है कि शहरी गांवों की निर्माण गतिविधियां दिल्ली के मास्टर प्लान 2001/ जोनल प्लान विनियमन तथा गांव की संबंधित पुनर्विकास योजना/भवन उप नियमों के अधिकार क्षेत्र में आती हैं। इसलिए, दिल्ली नगर निगम द्वारा भवन के नक्शों का अनुमोदन इन गांवों में निर्माण के लिए पूर्वापेक्षित है। भवन नक्शों को स्वीकृति प्रदान करते समय 15 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से विकास प्रभार भी लगाया जाता है।

## आयकर प्रतिदाय पर ब्याज

3581. **श्री प्रभुनाथ सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयकर विभाग ने पिछले तीन वर्षों के दौरान भारी धनराशि का उसके ब्याज सहित प्रतिदाय किया है;

(ख) यदि हां, तो कितनी धनराशि का प्रतिदाय किया गया और उस पर कितने ब्याज का भुगतान किया गया; और

(ग) विलंब के लिए प्राधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम)** : (क) जी. हां। आयकर अधिनियम, 1961 के सांविधिक उपबंधों के अनुसरण में कर निर्धारण के परिणामस्वरूप मांग जारी करना अथवा कर निर्धारितियों को प्रतिदाय देना आयकर विभाग की एक एतत प्रक्रिया है। आयकर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अनुसरण में कर निर्धारितियों को प्रतिदाय तथा उस पर ब्याज दिया जाता है।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान कर निर्धारितियों को संदत्त प्रतिदाय एवं उस पर ब्याज की कुल राशि का ब्यौरा नीचे दिया गया है:–

| वित्त वर्ष | कर निर्धारितियों को संदत्त प्रतिदाय की कुल राशि (करोड़ रुपए में) | कर निर्धारितियों को संदत्त ब्याज (करोड़ रुपए में) |
|---|---|---|
| 2003-2004 | 25737 | 4701 |
| 2004-2005 | 28514 | 3865 |
| 2005-2006 | 29435 | 4553 |

(ग) उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

*[हिन्दी]*

## दिल्ली विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के विरुद्ध सी.बी.आई. द्वारा जांच

**3582. श्री रामदास आठवले** : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के कितने अधिकारियों के विरुद्ध वर्तमान में सी.बी.आई. जांच कर रही है;

(ख) गत दो वर्षों के दौरान दिल्ली विकास प्राधिकरण के कितने अधिकारियों के विरुद्ध आरोप-पत्र दाखिल किए गए हैं; और

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण में भ्रष्टाचार को रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

**शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन)** : (क) और (ख) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सी.बी.आई.) ने बताया है कि वह दो मामलों की जांच कर रहा है, जिसमें दिल्ली विकास प्राधिकरण के अधिकारी संलिप्त हैं तथा उसने वर्ष 2004 से आज की तिथि तक दिल्ली विकास प्राधिकरण के 16 अधिकारियों के विरुद्ध आरोप-पत्र दायर किए हैं।

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि उन्होंने अपनी कार्य प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाने तथा भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए, सूचना का प्रसार, सुविधा केन्द्रों की स्थापना, परामर्शदाताओं की नियुक्ति, इंटरएक्टिव वेबसाइट शुरू करने, अपने वरिष्ठ अधिकारियों तक जनता की पहुंच आसान बनाने और पुस्तिकाओं के प्रकाशन आदि जैसे विभिन्न कदम उठाये हैं।

*[अनुवाद]*

## एसजीएसवाई के अंतर्गत विशेष परियोजना

**3583. श्री जी. करुणाकर रेड्डी** : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने एसजीएसवाई के अंतर्गत तीन विशेष परियोजनाओं को स्वीकृति दी है;

(ख) यदि हां, तो इन परियोजनाओं की मुख्य विशेषताएं क्या है और किन-किन जिलों में इन्हें क्रियान्वित किए जाने की संभावना है; और

(ग) इन परियोजनाओं हेतु कितनी धनराशि निर्धारित की गई है?

**ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील)** : (क) से (घ) केन्द्र सरकार ने चालू वित्त वर्ष 2006-07 के दौरान स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत 24 विशेष परियोजनाओं के लिए निधियों की पहली किस्त मंजूर एवं रिलीज की है। विभिन्न क्षेत्रों में मंजूर की गई इन 24 विशेष परियोजनाओं जिनमें अन्य के साथ-साथ कृषि और भूमि विकास, वस्त्र, बांस, वानिकी, औषधीय एवं सुगन्धित पौधे, हस्तशिल्प, कॉयर एवं नारियल, डेयरी विकास, पशुधन विकास, रेशम उद्योग, बागवानी, पशु पालन और मत्स्य पालन आदि शामिल हैं का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

एसजीएसवाई की विशेष परियोजनाओं के अंतर्गत वर्ष 2006-07 में स्वीकृत परियोजनाएं

(12.12.2006 की स्थिति के अनुसार)

(लाख रु. में)

| क्र. सं. | परियोजना का नाम | राज्य | क्षेत्र | कार्यान्वयन एजेंसी | स्वीकृत परियोजना की अवधि | परियोजना अवधि वर्ष में | कुल परियोजना लागत |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | निजामाबाद स्थित सामान्य सुविधा केंद्र के जरिए तकनीकी एवं विपणन प्रौद्योगिकियां मुहैया कराकर हल्दी उत्पादकों को जीविकोपार्जन साधन में वृद्धि हेतु परियोजना | आंध्र प्रदेश | कृषि एवं भूमि विकास | डीआरडीए, निजामाबाद | 2006-07 | 3 | 1383.350 |
| 2. | वस्त्र निर्माण एवं वस्त्र प्रसंस्करण, विजयनगरम के जरिए ग्रामीण गरीब महिलाओं के लिए आय सृजन | आंध्र प्रदेश | वस्त्र | डीआरडीए, विजयनगरम | 2006-07 | 3 | 1216.320 |
| 3. | तेजू सी डी, लोहिता जिला में चीलिंग गांव में बांस रोपण परियोजना | अरुणाचल प्रदेश | बांस | डीआरडीए, लाहित | 2006-07 | 2 | 95.800 |
| 4. | असम के 6 जिलों में कृषि एवं विपणन विस्तार की सहायता सेवाओं की सहायता से कृषि में उद्यमिता विकास | असम | कृषि एवं भूमि विकास | एसआईआरडी, असम | 2006-07 | 2 | 1500.000 |
| 5. | रायगढ़, छत्तीसगढ़ में लाख की खेती | छत्तीसगढ़ | वानिकी | डीआरडीए, रायगढ़ | 2006-07 | 3 | 487.630 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. | सरगुजा जिले के प्रेमनगर और बलराम ब्लॉकों में लिफ्ट द्वारा सिंचाई, मत्स्य पालन और डेयरी विकास के लिए विशेष परियोजना | छत्तीसगढ़ | विविध क्षेत्र | डीआरडीए, सरगुजा | 2006-07 | 3 | 1215.990 |
| 7. | महासमुंद में बागवानी विकास के लिए विशेष परियोजना | छत्तीसगढ़ | कृषि एवं भूमि विकास | डीआरडीए, महासमुंद | 2006-07 | 3 | 1395.000 |
| 8. | बागवानी, पशुपालन और मत्स्य पालन के लिए विशेष परियोजना, कांकेर | छत्तीसगढ़ | विविध क्षेत्र | डीआरडीए, कांकेर | 2006-07 | 3 | 1407.890 |
| 9. | ग्रामोत्थान के लिए सुगंध वाले और औषधि वाले पोधों की कृषि, मूल्य संवर्द्धन और विपणन | हिमाचल प्रदेश | औषधि एवं सुगंध वाले पौधे | जैव प्रौद्योगिकी के संवर्द्धन के लिए एचपी सोसायटी, एचपी | 2006-07 | 5 | 1448.350 |
| 10. | झारखंड के रांची जिले के खूंटी के बुनकरों के लिए नई डिजाइन और प्रौद्योगिकी का विकास | झारखंड | हस्तशिल्प | डीआरडीए, रांची | 2006-07 | 2 | 363.240 |
| 11. | धारवाड़ जिले के कालाघाटगी और हुबली ब्लॉकों में प्राकृतिक संसाधनों के भागीदारीपूर्ण प्रबंधन के लिए जोनाथन परियोजना | कर्नाटक | कृषि एवं भूमि विकास | डीआरडीए, धारवाड़ | 2006-07 | 3 | 388.32 |
| 12. | केरल में मूल्य संवर्द्धित नारियल जटा और इससे बने उत्पादों का उत्पादन और विपणन | केरल | नारियल जटा और नारियल | डीआरडीए, अलप्पुझा | 2006-07 | 3 | 1480.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13. | अमरावती जिले में पशुपालन और डेयरी फार्म की स्थापना | महाराष्ट्र | डेयरी विकास | डीआरडीए, अमरावती | 2006-07 | 5 | 1390.450 |
| 14. | जल समृद्धि, हिंगोली जिला | महाराष्ट्र | पशुधन विकास | डीआरडीए, हिंगोली | 2006-07 | 5 | 1416.380 |
| 15. | मणिपुर में सेनापति जिले में समेकित सामुदायिक डेयरी विकास के जरिए झूमियां जनजातियों का गरीबी उन्मूलन-संशोधित प्रस्ताव | मणिपुर | डेयरी विकास | डीआरडीए, सेनापति | 2006-07 | 2 | 134.080 |
| 16. | पश्चिम गारो पहाड़ी और पश्चिम खासी पहाड़ी जिले में एनईआरसीआरएमपी-आईएफएडी गांवों में अलोवीरा की खेती | मेघालय | औषधि एवं सुगंध वाले पौधे | डीआरडीए, पश्चिम खासी पहाड़ी | 2006-07 | 3 | 507.210 |
| 17. | मध्य प्रदेश में 210 समेकित पशुधन विकास केंद्रों की स्थापना | मध्य प्रदेश | पशुधन विकास | डीआरडीए, भोपाल | 2006-07 | 5 | 1417.410 |
| 18. | उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर जिले में जीविकोपार्जन आधारित विकास परियोजना | उत्तर प्रदेश | विविध क्षेत्र | बीएआईएफ और एलएबीएस | 2006-07 | 5 | 1497.360 |
| 19. | डेयरी विकास परियोजना, इटावा, उ.प्र. | उत्तर प्रदेश | डेयरी विकास | डीआरडीए, इटावा | 2006-07 | 5 | 461.780 |
| 20. | उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में जीविकोपार्जन आधारित विकास परियोजना | उत्तर प्रदेश | विविध क्षेत्र | डीआरडीए, रायबरेली | 2006-07 | 5 | 1489.860 |
| 21. | आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और छत्तीसगढ़ में गोंद चुनने वाले जनजातीय लोगों के कौशल विकास के माध्यम से आय सृजन | विविध राज्य | वानिकी | ट्राइफेड | 2006-07 (17.04.06) | 2 | 227.200 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22. | उत्तरी भारत में खाद्य सुरक्षा के लिए बायोडीग्रेडेबुल इमल्सन का विकास, प्रदर्शन एवं प्रचार-प्रसार और नष्ट होने वाली खाद्य वस्तुओं के अपशिष्टों की अवधि में वृद्धि कर उन्हें नष्ट होने से बचाना। | विविध राज्य | कृषि एवं भूमि विकास | आई.आई.टी. दिल्ली | 2006-07 | 5 | 1118.840 |
| 23. | उत्तरांचल में मलबरी रेशम कृषि का विकास | उत्तरांचल | रेशम कृषि | केंद्रीय रेशम बोर्ड, बंगलौर | 2006-07 | 5 | 757.840 |
| 24. | सिक्किम, एसआईआरडी, जोरथांग, दक्षिण सिक्किम में फूल की खेती | सिक्किम | कृषि एवं भूमि विकास | एसआईआरडी, सिक्किम | 2006-07 | 5 | 695.440 |

**हथकरघा बुनकरों हेतु ऋण**

3584. **श्री एन.एस.वी. चित्तन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने किसानों को दिए जा रहे ऋण की तर्ज पर हथकरघा बुनकरों को कम ब्याज पर ऋण देने की योजना का विस्तार करने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम)** : (क) और (ख) यह निर्णय लिया गया है कि वित्त मंत्रालय, वस्त्र मंत्रालय और अन्य स्टेकहोल्डर्स से परामर्श करके हथकरघा बुनकरों के लिए ऋण से संबंधित समस्याओं पर विचार-विमर्श करेगा। अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

**एलआईसी एजेंट**

3585. **श्रीमती मनोरमा माधवराव** :
**श्री बसुदेव आचार्य** :
**श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार** :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी के लिए आय कर छूट की सीमा 1 लाख रु. है, जबकि जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के एजेंटों के लिए आयकर छूट 5000/- रु. है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को एलआईसी एजेंटों के उपदान की गणना करने हेतु उपदान नियमों में संशोधन के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) क्या एलआईसी ने लेपसेशन मानदंड शुरू किया है, जो कि एलआईसी एजेंटों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर रहा है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) एजेंटों की ड्रॉप आऊट दर क्या है?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम)** : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) ने सूचित किया है कि वित्त अधिनियम, 2006 के अनुसार, वैयक्तिक निर्धारिती के मामले मे 01 लाख रु. से अधिक की आय पर कर प्रभार्य है, जबकि एलआईसी अभिकर्ता द्वारा प्राप्त किए गए 5000/- से अधिक के कुल कमीशन पर 10 प्रतिशत की दर से स्रोत्र पर कर कटौती (टीडीएस) की जाती है। बीमा अभिकर्ता को अदा किए गए कमीशन में से टीडीएस के संबंध में, 5000/- रु. की प्रारंभिक सीमा, दिनांक 01.06.1987 से वित्त अधिनियम 1987 के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित की गई थी।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) से (छ) एलआईसी ने सूचित किया है कि दिनांक 1.4.2001 को व्यपगमन मानदंड संशोधित क्लब सदस्यता नियमावली में प्रस्तुत किए गए थे। यह खंड एलआईसी अभिकर्ताओं पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालता। यदि, किसी अभिकर्ता के पालिसी व्यपगमन का अनुपात 15% से अधिक हो जाए तो उसकी क्लब सदस्यता निरस्त कर दी जाती है। किंतु, अन्य सभी लाभों में अन्य बातों के साथ-साथ, अभिकर्ता को कमीशन, अवधि आवश्वासन तथा ग्रेच्युटी का निरन्तर भुगतान करना शामिल है। वर्ष 2004-05 में अभिकर्ता की छटनी दर 17.52% थी। दिनांक 31.3.2006 को समाप्त हुए वर्ष में इसे 15.72% तक कम करने में सफलता मिली है।

**अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट की स्थापना**

3586. **श्री एस.के. खारवेनथन** : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु सरकार द्वारा राज्य में अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट की स्थापना के लिए पहचान किए गए प्रस्तावित स्थल के संबंध में कुछ मतभेद उभर आए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस मुद्दे को सुलझाने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

**विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे)** : (क) से (ग) तमिलनाडु में उपयुक्त स्थान पर अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट (यूएमपीपी) लगाने

के संबंध में तमिलनाडु सरकार और केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) के बीच कोई मतभेद नहीं है। स्थान का अंतिम चयन करने के लिए उपयुक्त पोर्ट, जहां कोयले की हैंडलिंग करने की पर्याप्त क्षमता हो, की उपलब्धता पूर्व आवश्यकता है। सीईए तथा राज्य प्राधिकारी इस आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए व्यवहार्य स्थान को ढूंढने का कार्य संयुक्त रूप से कर रहे हैं।

**वैज्ञानिकों हेतु बौद्धिक संपदा अधिकार**

**3587. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश के उन विश्वविद्यालयों में आविष्कार एवं नव्यता को बढ़ावा देने हेतु एक नया यू डी प्रकार का विधान लागू करने का है जहां वैज्ञानिकों को पहली बार उनके आविष्कारों के लिए बौद्धिक संपदा का स्वामित्व दिया जाएगा;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस निर्णय से विश्वविद्यालयों को कितना लाभ मिलेगा?

**विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल)** : (क) जी नहीं, सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) उपरोक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) उपरोक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

**विद्युत संयंत्र हेतु उपकरणों का निर्माण**

**3588. श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया : क्या विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के पास सरकारी क्षेत्र के अन्य उपक्रमों के सहयोग से विद्युत संयंत्र हेतु उपकरणों का निर्माण करने की योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) अब तक इस संबंध में कितनी प्रगति हुई है?

**विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे)** : (क) से (ग) एनटीपीसी ट्रांसफार्मर तथा सहायक विद्युत उपकरण बनाने वाले तथा उससे संबंधित सेवाएं देने वाले केरल सरकार के स्वामित्व वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम ट्रांसफार्मर्स एंड इलेक्ट्रिकल्स केरल लि. (टीईएलके) के साथ अनुकूल भागेदारी शुरू करने की संभावना पर विचार कर रही है। इस संबंध में, 18 अगस्त, 2006 को टीईएलके के साथ अभिरूचि की अभिव्यक्ति पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं। एनटीपीसी, टीईएलके तथा केरल सरकार के प्रतिनिधियों का एक संयुक्त कार्य-बल इसके लिए उपयुक्त प्रयास के लिए गठित किया जा चुका है।

**दिल्ली के मास्टर प्लान का उल्लंघन**

**3589. श्री सुब्रत बोस : क्या शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के मास्टर प्लान के उल्लंघन के मामले दिल्ली विकास प्राधिकरण के ध्यान में आए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

**शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन)** : (क) से (ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने यह सूचित किया है कि मास्टर प्लान के उल्लंघन के मामलों का पता चलने पर, दिल्ली विकास प्राधिकरण, 1957 की धारा 29(2) के तहत कारण बताओ नोटिस जारी किए जाते हैं। कारण बताओ नोटिस के प्रत्युत्तर में प्राप्त तथा अन्य संगत साक्ष्य के आधार पर, मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के विनिर्दिष्ट न्यायालय में अभियोजन शुरू किया जाता है। वर्ष 2005-06 में डीडीए ने मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के न्यायालय में 405 अभियोजन के मामले दायर किये थे।

**बी एस यू पी कार्यक्रम**

**3590. श्री बाडिगा रामकृष्णा : क्या आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बेसिक सर्विसेज टू अर्बन पूअर (बीएसयूपी) कार्यक्रम के लक्ष्य एवं उद्देश्य क्या हैं;

(ख) क्या बीएसयूपी कार्यक्रम के अंतर्गत कुछ शहरों/नगरों की पहचान की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) शहरों/नगरों का चयन करने हेतु क्या मानदंड अपनाए गए हैं; और

(ङ) इस कार्यक्रम का विस्तार अन्य शहरों में करने हेतु सरकार की क्या योजनाएं हैं?

**आवास और शहरी उपशमन मंत्रालय की राज्यमंत्री (कुमारी सैलजा)** : (क) शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवा (बीएसयूपी) के उद्देश्य और लक्ष्य अन्य के साथ-साथ निम्नलिखित अनुसार हैं:–

– मिशन के तहत शामिल नगरों में अवसंरचना सेवाओं के समन्वित विकास पर अधिक बल देना।

– किफायती कीमतों में टेन्योर की सुरक्षा, बेहतर आवास, जलापूर्ति, सफाई

– शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा क्षेत्र में सेवाओं को मिलाना

– शहरी गरीबों को जहां तक संभव हो उनके व्यवसाय स्थल के समीप आवास मुहैया कराना।

– परिसंपत्ति सृजन और परिसंपत्ति प्रबंध के बीच प्रभावी सामंजस्य स्थापित करना ताकि शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवाओं का ठीक ढंग से रखरखाव सुनिश्चित हो सके।

– शहरी गरीबों के लिए उपलब्धता पर विशेष ध्यान देते हुए नागरिक सेवाओं और सुविधाओं को बढ़ाना।

– शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवाओं की कमियों को पूरा करने के लिए पर्याप्त धनराशि का निवेश सुनिश्चित करना।

(ख) और (ग) बीएसयूपी के अंतर्गत 63 शहरों/नगरों को चुना गया है, राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया हैं।

(घ) और (ङ) संसाधनों की कमी और शहरी गरीबों के लिए लिए बुनियादी सेवा (बीएसयूपी) के तहत सभी शहरों/नगरों को शामिल करने में प्रशासनिक कठिनाइयों को देखते हुए, मानकों/मानदण्डों के अनुसार केवल निम्नलिखित अनुसार 63 चुनिंदा शहरों को शामिल किया गया है।

| | श्रेणी | संख्या |
|---|---|---|
| क | 2001 की जनगणना अनुसार 4 मिलियन से अधिक आबादी वाले शहर | 07 |
| ख | एक मिलियन से अधिक लेकिन 4 मिलियन से कम आबादी वाले शहर | 28 |
| ग | चुनिन्दा शहर (राज्य राजधानियां और धार्मिक/एतिहासिक और पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण अन्य शहर/नगर समूह | 25 |

देश में सभी अन्य नगरों/शहरों में एकीकृत आवास और स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी) कार्यान्वित किया जा रहा है।

**विवरण**

| क्र. सं. | राज्य का नाम | शहर/नगर/शहरी समूह का नाम (जेएनएनयूआरएम के तहत श्रेणी) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | हैदराबाद (ए) |
| | | विजयवाडा (बी) |
| | | विशाखापटनम (बी) |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | इटानगर (सी) |
| 3. | असम | गुवाहाटी (सी) |
| 4. | बिहार | बोध गया (सी) |
| | | पटना (बी) |
| 5. | छत्तीसगढ़ | रायपुर (सी) |
| 6. | गोवा | पणजी (सी) |
| 7. | गुजरात | अहमदाबाद (ए) |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| | | राजकोट (बी) |
| | | सूरत (बी) |
| | | वडोदरा (बी) |
| 8. | हरियाणा | फरीदाबाद (बी) |
| 9. | हिमाचल प्रदेश | शिमला (सी) |
| 10. | जम्मू तथा कश्मीर | जम्मू (सी) |
| | | श्रीनगर (सी) |
| 11. | झारखंड | धनबाद (बी) |
| | | जमशेदपुर (बी) |
| | | रांची (सी) |
| 12. | कर्नाटक | बंगलौर (ए) |
| | | मैसूर (सी) |
| 13. | केरल | कोचिन (बी) |
| | | तिरुवंतपुरम (सी) |
| 4. | मध्य प्रदेश | भोपाल (बी) |
| | | इन्दौर (बी) |
| | | जबलपुर (बी) |
| | | उज्जैन (सी) |
| 15. | महाराष्ट्र | ग्रेटर मुंबई (ए) |
| | | नागपुर (बी) |
| | | नान्देड (सी) |
| | | नासिक (बी) |
| | | पुणे (बी) |
| 16. | मणिपुर | इम्फाल (सी) |
| 17. | मेघालय | शिलांग (सी) |
| 18. | मिजोरम | आइजोल (सी) |
| 19. | नागालैंड | कोहिमा (सी) |
| 20. | उड़ीसा | भुवनेश्वर (सी) |
| | | पुरी (सी) |
| 21. | पंजाब | अमृतसर (बी) |
| | | लुधियाना (बी) |
| 22. | राजस्थान | अजमेर-पुश्कर (सी) |
| | | जयपुर (बी) |
| 23. | सिक्किम | गंगटोक (सी) |
| 24. | तमिलनाडु | चेन्नई (ए) |
| | | कोयम्बटूर (बी) |
| | | मदुरई (बी) |
| 25. | त्रिपुरा | अगरतला (सी) |
| 26. | उत्तरांचल | देहरादून (सी) |
| | | हरिद्वार (सी) |
| | | नैनीताल (सी) |
| 27. | उत्तर प्रदेश | आगरा (बी) |
| | | इलाहबाद (बी) |
| | | कानपुर (बी) |
| | | लखनऊ (बी) |
| | | मथुरा (बी) |
| | | मेरठ (बी) |
| | | वाराणसी (बी) |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 28. | पश्चिम बंगाल | आसनसोल (बी) |
| | | कोलकाता (ए) |
| 29. | दिल्ली | दिल्ली (ए) |
| 30. | पांडिचेरी | पांडिचेरी (सी) |
| 31. | चंडीगढ़ | चंडीगढ़ (सी) |

*[हिन्दी]*

**ग्रामीण शिल्पकारों हेतु नाबार्ड योजना**

**3591. श्री ब्रजेश पाठक :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने ग्रामीण शिल्पकारों हेतु कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 2003-04 से आज तक नाबार्ड द्वारा विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत राज्यों को मुहैय्या करायी गयी वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान इस योजना से लाभान्वित हुए लोगों की राज्य-वार संख्या कितनी है?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) :** (क) से (घ) जी, हां। नाबार्ड ने ग्रामीण कारीगरों के लाभ के लिए विभिन्न योजनाओं को लागू किया है। वर्तमान में चल रही योजनाएं हैं:

(i) समूह विकास कार्यक्रम

(ii) ग्रामीण उद्यमिता विकास कार्यक्रम

(iii) कौशल विकास उपाय

(iv) ग्रामीण मार्ट योजना

(v) विपणन सहायता

(vi) स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड योजना (एससीसी)

उपर्युक्त में से, स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड योजना को छोड़कर अन्य सभी योजनाएं अनुदान के आधार पर तथा गैर-सरकारी संगठनों, प्रशिक्षण केन्द्रों, विकास संघों, इत्यादि के माध्यम से लागू की गयी हैं। स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड एक ऋण उत्पाद है और इसे बैंकों द्वारा लागू किया जा रहा है।

राष्ट्रीय ग्रामीण औद्योगिकरण कार्यक्रम (एनपीआरआई) के तहत नाबार्ड ने विकास के लिए 65 ग्रामीण समूहों की पहचान की है और 17 राज्यों में 55 समूहों के विकास का कार्य प्रगति पर है और 16000 (लगभग) लाभार्थी) इनमें शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, एनपीआरआई के तहत समर्थित समूहों की राज्य-वार सूची संलग्न विवरण-I में है।

31 मार्च, 2006 तक की स्थिति के अनुसार, ग्रामीण मार्ट की स्थापना के लिए स्व-सहायता समूहों को 18.35 लाख रुपए तथा 6 राज्यों में 19 ग्रामीण मार्टों की स्थापना को सुकर बनाने के लिए एनजीओ को 0.84 लाख रुपए संस्वीकृत किए गए हैं। वर्ष 2005-06 के दौरान 3 राज्यों यथा पंजाब और हरियाणा (9), उड़ीसा (1) एवं राजस्थान (1) में 11 ग्रामीण मार्टों की सहायता के लिए 2.76 लाख रुपए की कुल राशि जारी की गई थी।

31 मार्च, 2006 तक की स्थिति के अनुसार, 12 राज्यों में 27 ग्रामीण हाटों की सहायता के लिए 63.60 लाख रुपए की संचयी राशि संस्वीकृत की गई। 27 ग्रामीण हाटों में से 13 हाटों ने परिचालन शुरू कर दिया है। एससीसी के कार्यान्वयन के संबंध में राज्य-वार एवं बैंक-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में है।

***विवरण-I***

*31 मार्च, 2004 की स्थिति के अनुसार एनपीआरआई के तहत नाबार्ड द्वारा अंगीकार किए गए समूह*

| क्र. सं. | राज्य | समूहों की संख्या | क्रियाकलाप | स्थान/जिला | अनुदान/आरएफए के रूप में मंजूर राशि रु. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 5 | मूर्ति बनाई | मंगलम, चित्तूर जिला | 47437 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | ब्रास एंड बेल मेटल क्राफ्ट | सर्वकोटा, श्रीकाकुलम जिला | 217127 |
| | | | इमीटेशन ज्वेलरी | मछली पट्टनम, कृष्णा जिला | 8329 |
| | | | आईडोल/ममेन्टो बनाई | डिवलापल्ली, महबूब नगर जिला | 156890 |
| | | | हैडलूम समूह | पोचमपल्ली, नलगोंडा जिला | 54880 |
| 2. | असम | 2 | ब्रास मेटल क्राफ्ट | जोरहट | 80000 |
| | | | केन और बांस समूह | नोगांव | |
| 3. | बिहार | 2 | मधुबनी पेंटिंग | मधुबनी | 505596 |
| | | | लेदर क्राफ्ट | नालंदा में बिहार सरीफ | 55270 |
| 4. | गुजरात | 4 | बांस एवं कागज आधारित | दाहोद | 311800 |
| | | | चमड़ा समूह | खरवादा, कच्छ | 451500 |
| | | | बांधनी | जामनगर | 600000 |
| | | | आक्सीटाइजड मेटल वर्क | राजकोट, गुजरात | 600000 |
| 5. | हरियाणा | 1 | हरियाणा | जरी ज्वेलरी, रीवाडी | 180000 |
| 6. | झारखण्ड | 1 | लौहारगिरी | भेन्द्रा गांव, बोकारो | 314300 |
| 7. | कर्नाटक | 6 | बीड़ी उद्योग | बिदार | 105600 |
| | | | सिल्क बुनाई | चित्रदुर्ग | 18251 |
| | | | सिसल फाबर रस्सी बनाई | कुदरु, चामराज नगर | 57000 |
| | | | चमड़ा उद्योग | अल्हंद, बेलगांव | 118000 |
| | | | बंजारा कढाई | संदूर बेल्लारी | 487930 |
| | | | कसौटी रजाई बनाई | धारवाड़ | 24304 |
| 8. | केरल | 3 | बेल मेटल क्राफ्ट | चंगनाश्शेरी, कुटय्यम | 347600 |
| | | | स्ट्रा आर्टस क्राफ्ट | पेरियनाड, कुल्लम | 8210 |
| | | | कोरा ग्रास समूह | आलप्पूझा | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9. | मध्य प्रदेश | 2 | ब्लाके/बाटिक प्रिंटिंग | उज्जैन | 32765 |
| | | | लुहारगिरी | बगरौजी, जबलपुर | 2435 |
| 10. | महाराष्ट्र | 4 | काजू प्रसंस्करण | सिंदूदर्ग | 6639876 |
| | | | गणेश मूर्ति निर्माण | पेन ब्लॉक, रायगढ़ | 50178 |
| | | | पलथानी साडियां | इयोला, नासिक | 39024 |
| | | | टसर सिल्क | भंडारा | 3802 |
| 11. | नागालैण्ड | 1 | कास्ट कला बनाई | डेलजेपे ग्राम, दीमापुर | 69500 |
| 12. | उड़ीसा | 7 | ब्रास एंड बेल मेटल | रेनकली ब्लॉक संभलपुर | 888262 |
| | | | डोकरा ढलाई | अंगुल | 302000 |
| | | | हॉर्न क्राफ्ट | गजपति | |
| | | | टेराकोटा सिल्क | हलधर ब्लॉक, क्योझर | 188000 |
| | | | बांस एंड मेटल क्राफ्ट | नया गढ़ | |
| | | | हैंडलूम प्लस्टर | नवा पटना, कटक | 199000 |
| | | | कास्ट सिल्क समूह | खेरपडर, कालाकांडी | |
| 13 | पंजाब | 1 | जूता बनाई | गिद्धरवाह ब्लॉक, मुक्तशर | 120000 |
| 14. | राजस्थान | 5 | बुनकर समूह | बाकनल ब्लॉक, झालावाड़ | |
| | | | जूट बनाई | इस्माइल पुर गांव, अलवर | 369921 |
| | | | हैंड बुक प्रिंटिंग | अकोला ब्लॉक, चितौर गढ़ | 392500 |
| | | | शीशा कढ़ाई | डेली पुगल तलाल, बीकानेर | 10000 |
| | | | शीशा कार्य एवं कढ़ाई | नवालिया बारमेर | 9500 |
| 15. | तमिलनाडु | 6 | कास्ट कला | कुरुची, थिरुपुरम | 437434 |
| | | | नारियल सेल सिलप | कन्याकुमारी | 207150 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | पेपर मेचो टॉय बनाई | कांचीपुरम | 90000 |
| | | | सिरामिक टॉयस | विंध्याचलम, कुडालूर | |
| | | | हाथ छपाई टाई एंड डाई | मदुरै | |
| | | | केला आधारित उत्पाद | तिरुचिरापली | |
| 16. | उत्तर प्रदेश | 4 | हार्न एंड बोन क्राफ्ट प्रोडेक्टस | मुरादाबाद | 271788 |
| | | | कास्ट सिल्क | बिजनौर, नगीना | 107055 |
| | | | पॉटरी समूह | चूनार गांव, मिर्जापुर | 6172 |
| | | | पॉटरी समूह | खुर्जा, बुलंद शहर | 2275 |
| 17. | पश्चिम बंगाल | 1 | हैंडलूमस | नवाद्वीप ब्लॉक, नदिया | 468559 |

*विवरण–II*

*30 सितम्बर, 2006 (प्रारम्भ से) की स्थिति के अनुसार संचयी रूप से जारी किए गए स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड (एस सी सी)*

(लाख रुपये में)

| राज्य | जारी किए गए एस सी सी की संख्या | संस्वीकृत ऋण सीमा |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह | 73 | 20.75 |
| आंध्र प्रदेश | 61439 | 37237.625 |
| असम | 2381 | 631.85 |
| बिहार | 23756 | 17208.71 |
| छत्तीसगढ़ | 13524 | 2849.98 |
| गोवा | 327 | 392.08 |
| गुजरात | 15522 | 4049.8 |
| हरियाणा | 39357 | 10442.18 |
| हिमाचल प्रदेश | 5028 | 1717.54 |
| झारखण्ड | 6536 | 1570.18 |
| कर्नाटक | 50480 | 17713.14 |
| केरल | 59504 | 46488.06 |
| मध्य प्रदेश | 14765 | 4765.51 |
| महाराष्ट्र | 8601 | 1618.34 |
| मिजोरम | 95 | 47.1 |
| नागालैण्ड | 4 | 1.19 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| उड़ीसा | 30746 | 7354.49 |
| पंजाब | 14852 | 4673.36 |
| राजस्थान | 19816 | 5626.84 |
| तमिलनाडु | 20837 | 9017.23 |
| त्रिपुरा | 23 | 6.43 |
| उत्तर प्रदेश | 79505 | 25120.83 |
| उत्तरांचल | 6092 | 1955.18 |
| पश्चिम बंगाल | 21876 | 8708.45 |
| कुल | 495139 | 209215.845 |

*अनंतिम

**शिक्षा ऋण**

3592. श्री रामदास अठावले :
श्री उदय सिंह :
श्री चीकाभाई ए. पटेल :
श्री ए.वी. वेल्लारमिन :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उच्च शिक्षा हेतु अनिवार्य ऋणों की स्वीकृति में अनावश्यक प्रभावों के प्रयोग के विरुद्ध बैंकिंग उद्योग पर निगरानी रख रही है जैसा कि 20 नवम्बर, 2006 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बैंकों से उच्च शिक्षा हेतु ऋण ले चुके काफी संख्या में छात्र इसे बैंकों को लौटाने में असमर्थ हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) और (ख) भारतीय बैंक संघ (आईबीए) ने, इस उद्देश्य से कि कोई योग्य/मेधावी विधार्थी वित्तीय सहायता के अभाव में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के अवसर से वंचित न हो जाए, सरकार से परामर्श करके शिक्षा ऋण योजना, 2001, जिसे 2004 में संशोधित किया गया था, सभी सदस्य बैंकों को कार्यान्वित करने हेतु परिचालित की है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि योजना का अक्षरश: कार्यान्वयन किया जाए, अत: योजना के अंतर्गत बैंकों को शिक्षा ऋण योजना के परिचालन हेतु व्यापक दिशानिर्देश दिए गए हैं और लागू करने वाले बैंकों को योजना को अधिक ग्राहक-अनुकूल बनाने के लिए विद्यार्थियों/माता-पिता की सुविधा के अनुरूप परिवर्तन करने का विवेकाधिकार होगा।

(ग) और (घ) जी, नहीं। योजना के अंतर्गत ऋण का एक बहुत बड़ा भाग अभी चुकौती हेतु देय नहीं हुआ है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

---

मध्याह्न 12.00 बजे

## सभा पटल पर रखे गए पत्र

*[अनुवाद]*

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:–

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):–

(क) (एक) सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, न्यू शिमला के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, न्यू शिमला का वर्ष 2005-2006 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये, देखिये सं. एल.टी. 5518/2006]

(ख) (एक) पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2005-2006 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये, *देखिये* सं. एल.टी. 5519/2006]

(ग) (एक) रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन, नई दिल्ली का वर्ष 2005-2006 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये, *देखिये* सं. एल.टी. 5520/2006]

(2) (एक) सेन्ट्रल पावर रिसर्च इन्स्टिट्यूट, बंगलौर के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेन्ट्रल पावर रिसर्च इन्स्टिट्यूट, बंगलौर के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये, *देखिये* सं. एल.टी. 5521/2006]

(3) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 101 के अंतर्गत केन्द्रीय विनियामक आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये, *देखिये* सं. एल.टी. 5522/2006]

(4) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 100 के अंतर्गत केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गये, *देखिये* सं. एल.टी. 5523/2006]

**वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम)** : महोदय, मैं अधिनियम 1961 की धारा 296 के अंतर्गत आयकर (14वां संशोधन) नियम, 2006 जो 24 नवम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का. आ. 2016(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन सभा पटल पर रखता हूं:—

[ग्रंथालय में रखे गये, *देखिये* सं. एल.टी. 5524/2006]

**विधि और न्याय मंत्री (श्री हंस राज भारद्वाज)** महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:—

(1) (एक) बार काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बार काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये, *देखिये* सं. एल.टी. 5525/2006]

(2) (एक) इंडियन लॉ इन्स्टिट्यूट, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन लॉ इन्स्टिट्यूट, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये, *देखिये* सं. एल.टी. 5526/2006]

(3) विधि आयोग के लंबित प्रतिवेदनों—दिसंबर, 2006 के बारे में वार्षिक विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखे गये, *देखिये* सं. एल.टी. 5527/2006]

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:–

(1) (एक) बोस इंस्टिट्यूट, कोलकाता के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बोस इंस्टिट्यूट, कोलकाता के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये देखिये सं. एल.टी. 5528/2006]

(2) (एक) इंडियन सांइस कांग्रेस एसोसिएशन, कोलकाता के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन सांइस कांग्रेस एसोसिएशन, कोलकाता के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये, देखिये सं. एल.टी. 5529/2006]

(3) (एक) इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस, कोलकाता के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस, कोलकाता के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये, देखिये सं. एल.टी. 5530/2006]

(4) (एक) इंडियन नेशनल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन नेशनल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये, देखिये सं. एल.टी. 5531/2006]

(5) (एक) जवाहर लाल नेहरु सेंटर फॉर एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च, बंगलौर के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जवाहर लाल नेहरु सेंटर फॉर एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च, बंगलौर के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये, देखिये सं. एल.टी. 5532/2006]

(6) (एक) रमण रिसर्च इंस्टिट्यूट, बंगलौर के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) रमण रिसर्च इंस्टिट्यूट, बंगलौर के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये, देखिये सं. एल.टी. 5533/2006]

(7) (एक) इंडियन एकेडमी ऑफ साइंसेज, बंगलौर के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन एकेडमी ऑफ साइंसेज, बंगलौर के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये, देखिये सं. एल.टी. 5534/2006]

(8) (एक) आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टिट्यूट ऑफ आब्जर्वेशनल साइंसेज, नैनीताल के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक

प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टिट्यूट ऑफ आब्जर्वेशनल साइंसेज, नैनीताल के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये, देखिये सं. एल.टी. 5535/2006]

(9) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ जियोमैग्नेटिज्म, नवी मुंबई के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ जियोमैग्नेटिज्म, नवी मुंबई के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये, देखिये सं. एल.टी. 3536/2006]

(10) (एक) अघरकर रिसर्च इंस्टिट्यूट, पुणे के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) अघरकर रिसर्च इंस्टिट्यूट, पुणे के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये, देखिये सं. एल.टी. 5537/2006]

(11) (एक) सत्येन्द्र नाथ बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज, कोलकाता के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सत्येन्द्र नाथ बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज, कोलकाता के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये, देखिये सं. एल.टी. 5538/2006]

(12) (एक) इंस्टिट्यूट ऑफ बायोरिसोर्सेज एण्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इम्फाल के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंस्टिट्यूट ऑफ बायोरिसोर्सेज एण्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इम्फाल के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये, देखिये सं. एल.टी. 5539/2006]

(13) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये, देखिये सं. एल.टी. 5540/2006]

(14) (एक) नेशनल सेंटर फॉर, सेल साइंस, पुणे के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल सेंटर फॉर, सेल साइंस, पुणे के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये, देखिये सं. एल.टी. 5541/2006]

(15) (एक) सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एण्ड डाइग्नोस्टिक्स, हैदराबाद के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एण्ड डाइग्नोस्टिक्स, हैदराबाद के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की

सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये, देखिये सं. एल.टी. 5542/2006]

(16) (एक) नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर, मानेसर के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर, मानेसर के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये, देखिये सं. एल.टी. 5543 /2006]

(17) (एक) नेशनल सेंटर फॉर प्लांट जीनोम रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल सेंटर फॉर प्लांट जीनोम रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये, देखिये सं. एल.टी. 5544/2006]

(18) (एक) इंस्टिट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज, भुवनेश्वर के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंस्टिट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज, भुवनेश्वर के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) इंस्टिट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज, भुवनेश्वर के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये, देखिये सं. एल.टी. 5545/2006]

(19) (एक) टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन, फोरकास्टिंग एण्ड एसेसमेंट काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन, फोरकास्टिंग एण्ड एसेसमेंट काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये, देखिये सं. एल.टी. 5546/2006]

(20) (एक) नेशनल सेंटर फॉर एंटार्कटिक एण्ड ओसिएन रिसर्च, गोवा के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल सेंटर फॉर एंटार्कटिक एण्ड ओसिएन रिसर्च, गोवा के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये, देखिये सं. एल.टी. 5547/2006]

(21) (एक) इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये, देखिये सं. एल.टी. 5548/2006]

(22) (एक) इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इन्फॉर्मेशन सर्विसेज, हैदराबाद के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इन्फॉर्मेशन सर्विसेज, हैदराबाद के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की

सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये, देखिये सं. एल.टी. 5549/2006]

(23) कंपनी अधिनियम,, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) इंडियन वैक्सीन्स कारपोरेशन लिमिटेड, गुड़गांव के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) इंडियन वैक्सीन्स कारपोरेशन लिमिटेड, गुड़गांव का वर्ष 2005-2006 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये, देखिये सं. एल.टी. 5550/2006]

(ख) (एक) भारत इम्यूनोलॉजिकल्स एण्ड बायोलॉजिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड, बुलंदशहर के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) भारत इम्यूनोलॉजिकल्स एण्ड बायोलॉजिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड, बुलंदशहर का वर्ष 2005-2006 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये, देखिये सं. एल.टी. 5551/2006]

**रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक)** : महोदय, मैं श्री प्रेमचंद गुप्ता की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) कंपनी अधिनियम,, 1956 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 621 (अ), जो 6 अक्तूबर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें 14 सितम्बर, 2006 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 557(अ) का शुद्धिपत्र दिया हुआ है की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी, देखिये सं. एल.टी. 5552/2006]

(2) चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की धारा 30ख के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(एक) चार्टर्ड अकाउंटेंट (निर्वाचन अधिकरण) नियम, 2006 जो 17 नवम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 708(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) अपील प्राधिकरण (प्राधिकरण के सभापति तथा सदस्यों को देय भत्ते, तथा सेवा के अन्य निबंधन व शर्तों और प्राधिकरण के व्यय को पूरा करने की रीति) नियम, 2006 जो 17 नवम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 711(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गयी, देखिये सं. एल.टी. 5553/2006]

(3) कंपनी सचिव अधिनियम, 1980 की धारा 39 की उपधारा (4) के अंतर्गत कंपनी सचिव (निर्वाचन अधिकरण) नियम, 2006 जो 17 नवम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 709(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी, देखिये सं. एल.टी. 5554/2006]

(4) लागत और संकर्म लेखापाल अधिनियम, 1959 की धारा 39 की उपधारा (5) के अंतर्गत लागत और संकर्म लेखापाल (निर्वाचन अधिकरण) नियम, 2006 जो 17 नवम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 710(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये, देखिये सं. एल.टी. 5555/2006]

**नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार)** :- महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) सरदार स्वर्ण सिंह नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ रिन्यूवेबल एनर्जी, कपूरथला के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(2) सरदार स्वर्ण सिंह नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ रिन्यूवेबल एनर्जी, कपूरथला के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये, देखिये सं. एल.टी. 5556/2006]

**कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव):** महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड, खम्माम के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड, खम्माम का वर्ष 2005-2006 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये, देखिये सं. एल.टी. 5557/2006]

(ख) (एक) कोल इंडिया लिमिटेड, कोलकाता और इसकी समनुषंगी कंपनियों के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) कोल इंडिया लिमिटेड, कोलकाता और इसकी समनुषंगी कंपनियों का वर्ष 2005-2006 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये, देखिये सं. एल.टी. 5558/2006]

**वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम)** : महोदय, मैं श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ. 2061 (अ) जो 1 दिसंबर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी.शु. (एनटी) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) का.आ. 2032 (अ) जो 27 नवम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयात के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में तथा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्रा में परिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दर के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) का.आ. 2033 (अ) जो 27 नवम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो निर्यात के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में तथा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्रा में परिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दर के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि. 719(अ) जो 22 नवम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 2 मई, 2005 की अधिसूचना संख्या 36/2005-सी.शु. (एनटी) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा.का.नि. 720(अ) जो 22 नवम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 13 जुलाई, 2006 की अधिसूचना संख्या 81/2006-सी.शु. (एनटी) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा.का.नि. 721(अ) जो 22 नवम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 13 जुलाई, 2006 की अधिसूचना संख्या 81/2006-सी.शु. (एनटी) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गये, देखिये सं. एल.टी. 5559/2006]

(2) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):–

(क) (एक) बामर लॉरी इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) बामर लॉरी इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2005-2006 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गयी, *देखिये* सं. एल.टी. 5560/2006]

(ख) (एक) यूनाईटेड इंडिया इंश्यूरेंस कंपनी लिमिटेड, चेन्नई के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) यूनाईटेड इंडिया इंश्यूरेंस कंपनी लिमिटेड, चेन्नई का वर्ष 2005-2006 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक- महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गयी, *देखिये* सं. एल.टी. 5561/2006]

(ग) (एक) नेशनल इंश्यूरेंस कंपनी लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल इंश्यूरेंस कंपनी लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2005-2006 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गयी, *देखिये* सं. एल.टी. 5562/2006]

(घ) (एक) जनरल इंश्यूरेंस कारपोरेशन आफ इंडिया, मुंबई के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) जनरल इंश्यूरेंस कारपोरेशन आफ इंडिया, मुंबई का वर्ष 2005-2006 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गयी, *देखिये* सं. एल.टी. 5563/2006]

(ङ) (एक) न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, मुंबई का वर्ष 2005-2006 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गयी, *देखिये* सं. एल.टी. 5564/2006]

(च) (एक) ओरिएंटल इंश्यूरेंस कंपनी लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) ओरिएंटल इंश्यूरेंस कंपनी लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2005-2006 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गयी, *देखिये* सं. एल.टी. 5565/2006]

(3) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 53 की उपधारा (2) के अंतर्गत जारी प्रारूप अधिसूचना संख्या एफ संख्या 11/30/2004-बीओए जिसके द्वारा यह घोषित किया गया है कि उक्त अधिनियम की धारा 13 और 15(1) के उपबंध पांच वर्ष की अवधि के लिए इंडियन बैंक पर लागू नहीं होंगे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी, *देखिये* सं. एल.टी. 5566/2006]

(4) बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 की धारा 19 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):–

(एक) विजया बैंक अधिकारी सेवा संशोधन विनियम, 2006 जो 25 नवम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या पीईआर/पीए एण्ड पीडी/5244/2006 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) कारपोरेशन बैंक (अधिकारी) सेवा संशोधन विनियमन, 2006 जो 23 सितम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 146 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गयी, देखिये सं. एल.टी. 5567/2006]

(4) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) मार्च, 2005 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक-संघ सरकार (2006 की संख्या 9) (गैर कर प्राप्तियां)

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिये सं. एल.टी. 5568/2006]

(दो) मार्च, 2006 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक-संघ सरकार (सिविल)-(2006 की संख्या 20) (कार्यनिष्पादन लेखापरीक्षा)-सुनामी राहत और पुनर्वास के कार्यनिष्पादन की लेखापरीक्षा।

[ग्रंथालय में रखी गयी, देखिये सं. एल.टी. 5568/2006]

(6) भारतीय प्रतिभूति तथा विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 31 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) भारतीय प्रतिभूति तथा विनियम बोर्ड (न्यायनिर्णयन अधिकारी द्वारा जांच करने तथा शास्तियां अधिरोपित करने की प्रक्रिया) संशोधन नियम, 2006 जो 14 नवम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 1961 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय प्रतिभूति तथा विनियम बोर्ड (पोर्टफोलियो प्रबंधक) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2006 जो 30 नवम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 2053 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गयी, देखिये सं. एल.टी. 5569/2006]

(7) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 की धारा 48 के अंतर्गत विदेशी मुद्रा प्रबंधन (किसी विदेशी प्रतिभूति का अंतरण या निर्गमन) (संशोधन) विनियम, 2006 जो 6 सितम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 535 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति।

[ग्रंथालय में रखी गयी, देखिये सं. एल.टी. 5570/2006]

---

**अपराह्न 12.01 बजे**

## गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

### कार्यवाही सारांश

*[अनुवाद]*

**श्री चरणजीत सिंह अटवाल** (फिल्लौर) : महोदय, मैं आठवें और नौवें सत्र के दौरान आयोजित गैर-सरकारी सदस्यों में विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति की इक्कीसवीं से चौबीसवीं बैठकों के कार्यवाही-सारांश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

---

**अपराह्न 12.01¼ बजे**

## सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति

### 15वां प्रतिवेदन

*[अनुवाद]*

**श्री हरिन पाठक** (अहमदाबाद) : महोदय, मैं आश्वासनों को छोड़े जाने के अनुरोधों के बारे में सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति का पंद्रहवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

---

अपराह्न 12.01½ बजे

## सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति

### 16वां तथा 17वां प्रतिवेदन

*[अनुवाद]*

**श्री रुपचंद पाल** (हुगली) : महोदय, मैं सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:

(1) 'बीमा कंपनियों द्वारा मोबाइल हैंडसेटों के बारे मे विशेष आकस्मिक नीतियां'-नियंत्रक महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) 2005 की संख्या 4 के अध्याय 10 पर आधारित, के बारे में 16वां प्रतिवेदन।'

(2) 'गेल (इंडिया) लिमिटेड' के बारे में 17वां प्रतिवेदन।

---

अपराह्न 12.01¾ बजे

## जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति

### (एक) छत्र प्रतिवेदन

*[अनुवाद]*

**श्री राव्यापति सांबासिवा राव** (गुंटूर) : महोदय, मैं जल संसाधन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2006-2007) के संबंध में 5वें प्रतिवेदन (चौदहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति का छत्र प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

### (दो) विवरण

*[अनुवाद]*

**श्री राव्यापति सांबासिवा राव** (गुन्टूर) : महोदय, में जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति के दूसरे तथा चौथे प्रतिवेदनों (चौदहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही दर्शाने वाले विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

---

अपराह्न 12.02½ बजे

## वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति

### 79वां और 80वां प्रतिवेदन

*[अनुवाद]*

**श्री मंजुनाथ कुन्नुर** (धारवाड़ दक्षिण) : महोदय, मैं, वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) काफी उत्पादकों की समस्याओं के बारे में समिति के बहत्तरवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट इसकी सिफारिशों/टिप्पणियों पर सकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 79वां प्रतिवेदन; और

(2) मसाला बोर्ड के कार्यकरण संबंधी 80वां प्रतिवेदन।

---

अपराह्न 12.02¾ बजे

## परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति

### 108वां प्रतिवेदन

*[अनुवाद]*

**श्री समिक लाहिरी** (डायमंड हार्बर) : महोदय, मैं इंडिया टूरिज्म डेवलपमैंट कारपोरेशन लिमिटेड के कार्यकरण और कार्यनिष्पादन' के बारे में परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति का 108वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:-

---

अपराह्न 12.03 बजे

## मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

### (एक) शहरी विकास मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों 2006-07 के संबंध में शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति के 14वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

*[अनुवाद]*

*शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : महोदय, मैं, अपने वरिष्ठ सहयोगी श्री एस जयपाल रेड्डी की ओर

*सभा पटल पर रखा गया तथा ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 5571/2006

[श्री अजय माकन]

से यह वक्तव्य माननीय अध्यक्ष, लोक सभा के निर्देश 73 ए, जो निम्नलिखित अनुसार है, के अनुसरण में प्रस्तुत कर रहा हूं:–

"संबंधित मंत्री, अपने मंत्रालय के संबंध में विभाग से संबंधित लोक सभा की स्थाई समिति की रिपोर्ट में निहित सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में छह माह में एक बार सदन में विवरण देंगे।"

सदन के माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए मैं यह सूचित करना चाहूंगा कि शहरी विकास संबंधी 14वीं लोक सभा की स्थाई समिति की 14वीं रिपोर्ट लोक सभा में 22 मई, 2006 को पेश की गई थी। रिपोर्ट में 19 सिफारिशें निहित हैं सरकार द्वारा की गई कार्रवाई की अद्यतन स्थिति अनुलग्नक में प्रत्येक सिफारिश के आगे दर्शाई गई है। शहरी विकास मंत्रालय द्वारा इन सिफारिशों पर अगस्त, 2006 की स्थिति अनुसार की गई कार्रवाई का नोट शहरी विकास संबंधी स्थाई समिति को 28 अगस्त, 2006 को भेजा गया था।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहूंगा कि सरकार द्वारा जिन 19 सिफारिशों को स्वीकार किया गया है उनके संबंध में, जहां कहीं आवश्यक होगा, आगे की अनुवर्ती कार्रवाई की जाएगी।

इस वक्तव्य का अनुलग्नक सदन के पटल पर रख दिया गया है।

---

**अपराह्न 12.03½ बजे**

## (दो) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग से संबंधित विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति के 155वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

*[अनुवाद]*

*विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : महोदय, मैं लोक सभा बुलेटिन – भाग-II, दिनांक 01 सितंबर, 2004 के तहत जारी लोक में प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम 389 के प्रावधानों के अनुसरण में लोक सभा के माननीय अध्यक्ष के निदेश पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण तथा वन संबंधी संसदीय स्थायी समिति (पी एस सी) की एक सौ पचपनवीं (155वीं) प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति पर यह वक्तव्य दे रहा हूं।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण तथा वन संबंधी स्थायी समिति ने लोक सभा में 18 मई, 2006 को अपना एक सौ पचपनवीं (155वीं) प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। समिति की 155वें प्रतिवेदन में कुल 13 सिफारिशें की गई थीं। इन सिफारिशों पर की गई कार्रवाई की जानकारी समिति को दी गई थी। कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति का विस्तृत विवरण अनुबंध में है।

*ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 5572/2006

---

**अपराह्न 12.04 बजे**

## (तीन) कोयला मंत्रालय से संबंधित कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के 14वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

*[अनुवाद]*

*कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव) : महोदय, मैं, लोक सभा संसदीय बुलेटिन-भाग-II, दिनांक 1 सितम्बर, 2004 के तहत जारी लोक सभा के माननीय अध्यक्ष के निदेश 73ए के अनुसरण में कोयला तथा इस्पात से सम्बद्ध संसद की स्थायी समिति की 14वें प्रतिवेदन में उल्लिखित सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में यह वक्तव्य दे रहा हूं।

कोयला तथा इस्पात से सम्बद्ध स्थायी समिति (14वीं लोक सभा) की 14वां प्रतिवेदन 22.3.2006 को लोक सभा में प्रस्तुत की गई थी। समिति की रिपोर्ट में उल्लिखित सिफारिशों/टिप्पणियों के संबंध में कृत कार्रवाई के विवरण कोयला और इस्पात से सम्बद्ध स्थायी समिति को 13.6.2006 को भेज दिए गए थे।

उक्त रिपोर्ट में समिति ने 15 सिफारिशें की हैं जिनमें सरकार की ओर से कार्रवाई की मांग की गई है। ये सिफारिशें मुख्यत: कोल इंडिया लि. में जनशक्ति आयोजना, अतिरिक्त जनशक्ति के उपयोग, बोर्ड

*सभा पटल पर रखा गया तथा ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 5573/2006

स्तर के पदों को भरने, पेंशन योजना, स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना, प्रशिक्षण, हैम की खरीद और उपयोग तथा आउटसोर्सिंग आदि जैसे मुद्दों से संबंधित हैं।

समिति द्वारा की गई विभिन्न सिफारिशों के कार्यान्वयन की मौजूदा स्थिति मेरे वक्तव्य के अनुबंध में दी गई है जिसे सदन के पटल पर रख दिया गया है। मैं इस अनुबंध के सभी विषयों को पढ़कर सदन का बहुमूल्य समय बर्बाद नहीं करना चाहूंगा। मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

---

**अपराह्न 12.05 बजे**

## सभा का कार्य

*[अनुवाद]*

**संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी)** : महोदय, मैं घोषणा करता हूं आपकी अनुमति से कि सत्र की शेष अवधि के दौरान निम्नलिखित किए जाने वाले सरकारी कार्य किया जाएगा:–

1. आज की कार्यसूची से अग्रेनीत सरकारी-कार्य की किसी मद पर विचार करना।

2. राज्य सभा द्वारा यथा पारित निम्नलिखित विधेयकों पर विचार करना और उन्हें पारित करना:

   (क) सिक्किम विश्वविद्यालय विधेयक, 2006;

   (ख) त्रिपुरा विश्वविद्यालय विधेयक, 2006; और

   (ग) राजीव गांधी विश्वविद्यालय विधेयक, 2006

3. प्रतिभूति संविदा (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2006 पर विचार कर और इसे पारित करना।

4. राज्य सभा द्वारा यथापारित बाल विवाह निषेध विधेयक, 2006 पर विचार करना और उसे पारित करना।

5. राज्य सभा द्वारा यथापारित प्रशासनिक अधिकरण (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2006 पर विचार करना और उसे पारित करना।

**श्रीमती अर्चना नायक (केन्द्रपाड़ा)** : महोदय, अगले सप्ताह के दौरान सभा में चर्चा के लिए निम्नलिखित दो मदों को सम्मिलित किया जाए:–

1. संसद और राज्य विधान सभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण के लिए विधेयक प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता।

2. उन किसानों, जिनकी आयु 60 वर्ष की हो चुकी है, के लिए पेंशन योजना शुरू किए जाने की आवश्यकता।

**श्री सी.के. चन्द्रप्पन (त्रिचूर)** : महोदय, अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित मदें सम्मिलित की जाएं:–

1. सुप्रसिद्ध अल जजीरा और अल अकबर दूरदर्शन और रेडियो चैनलों से भारत में प्रसारण करने पर रोक लगाने का सरकार का निर्णय, ऐसी कार्यवाही है जो हमारी स्वतंत्र विदेश नीति के अनुरूप से मेल नहीं खाती है।

2. उन सैकड़ों वृद्ध देशभक्तों, जिन्हों ने स्वतंत्रता सेनानी पेंशन के लिए आवेदन किया है, को यह पेंशन न देने की केन्द्र की नीति पर चर्चा करना।

*[हिन्दी]*

**श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल)** : अध्यक्ष महोदय, कृपया आगामी सप्ताह की कार्य सूची में निम्नांकित दो विषयों को सम्मिलित किया जाये:–

1. देश-विदेशों में 22 करोड़ भोजपुरी भाषा बोलने वालों का सम्मान व स्वाभिमान की रक्षा हेतु भोजपुरी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किया जाए।

2. पूरे देश में प्राइमरी में उच्च शिक्षा तक सरकारी व गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं में मनमाने ढंग से फीस वसूली पर रोक लगाने हेतु एक फीस निर्धारण हेतु विशेषज्ञ समिति का गठन किया जाए।

**श्री रामदास आठवले (पंढरपुर)** : अध्यक्ष महोदय, कृपया आगामी सप्ताह की कार्य सूची में निम्नांकित दो विषयों को सम्मिलित किया जाए

[श्री रामदास आठवले]

1. देश की सरप्लस भूमि को और फोरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में जरूरी संशोधन करके अतिरिक्त भूमि को देश के गरीब एवं दलित समुदाय के भूमिहीन लोगों को सिर छिपाने और जीविका चलाने के लिए खेतीबाड़ी हेतु भूमि का आवंटन सुनिश्चित किए जाने मे संबंधित विषय।

2. कृषि और उससे जुड़े आर्थिक सैक्टरों में सुधार के लिए किसी उच्च स्तरीय समिति को गठित करके किसानों को उनकी फसल का वाजिब मूल्य दिलाए जाने से संबंधित विषय।

**श्री एम. अंजनकुमार यादव** (सिकन्दराबाद) : अध्यक्ष महोदय, मेरे निम्न प्रस्तावों को लोकसभा की अगले सप्ताह की कार्यवाही में शामिल किया जाये।

1. हैदराबाद में मैट्रो रेलवे की सुविधा दिलवाये जाने का कार्य, जिससे हैदराबाद के लोगों को आने-जाने में सुविधा हो सके और उनकी यात्रा का समय बच सके।

2. हैदराबाद को ए वन सिटी बनाने का कार्य, जिससे यहां के साफ्टवेयर और हार्डवेयर व्यवसाय को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक ले जाया जा सके।

**श्री हरिकेवल प्रसाद** (सलेमपुर) : अध्यक्ष महोदय, मेरे निम्न प्रस्तावों को लोकसभा की अगले हफ्ते की कार्यवाही में शामिल किया जाए:

1. नेपाल गोरखपुर देवरिया भागलपुर सिकन्दरपुर बक्सर राजमार्ग, जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उसमें उत्तर प्रदेश में पड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग को अभी तक पूरा नहीं किया गया है, उसका कार्य लोकहित में शीघ्र अति शीघ्र पूरा किये जाने का कार्य

2. भाटपारा भिंगारी भवानी छापर से बिहार जाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग जो राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित हो चुका है उसे शुरू करने का कार्य।

*[अनुवाद]*

**श्री सुनील खां** (दुर्गापुर) : महोदय, अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित मदें शामिल की जाएं:—

1. नामशूद्र, पोण्ड्रा और मालो जैसी जातियां पश्चिम बंगाल और अन्य राज्यों में अनूसूचित जातियां हैं, परंतु उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल राज्यों में इन जातियों, विशेषरूप से बंटवारे के दौरान विस्थापित लोगों, को अनुसूचित जाति की सुविधा नहीं की गई है।

2. दिल्ली में विशेषरूप से करोलबाग में बंगाली स्वर्णकारों का रात्रि में काम करने के पश्चात अपने कार्य स्थल छोड़कर जाते समय पुलिस द्वारा प्रताड़ित और परेशान किया जाना। पुलिस द्वारा उन्हें सोना देने के लिए मजबूर किया जा रहा है। और ऐसा न करने पर उन्हें या तो जेल में बंद कर परेशान किया जाता है या फिर उनसे जुर्माना वसूल किया जाता है।

**श्री पी. मोहन** (मदुरै) : महोदय, अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित मदें की जाएं:—

1. असंगठित कारीगरों और खिलौना बनाने वालों जो बच्चों के लिए सामान बनाते हैं, को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना और उनके पुनर्वास की व्यवस्था करना।

2. परम्परागत जिमनास्टों की पहचान करना और उन्हें प्रोत्साहित करना और उनमें से संभावित खिलाड़ियों और प्रशिक्षणकर्ताओं को प्रशिक्षण देना, जिनकी देश को महती आवश्यकता है।

**श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी** (नालगौंडा) : महोदय, अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित मदें सम्मिलित की जाए:—

1. महिला आरक्षण विधेयक क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, जिसके बारे में प्रमुख राजनीतिक दलों के बीच सहमति है।

2. आंध्र प्रदेश के नालगौंडा जिले में सेरीपल्ली नामक गांव में जनमत के विपरीत यूरेनियम प्रोसेसिंग इकाई की स्थापना करना, जिससे नागार्जुन सागर का जल प्रदूषित होगा।

**डा. करण सिंह यादव** (अलवर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, निम्नलिखित मदों को अगले सप्ताह की कार्य सूची' में सम्मिलित किया जाए:

1. उच्च न्यायिक सेवाओं की नौकरियों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण प्रदान करने की आवश्यकता।

2. संसद और विधान सभाओ में महिलाओं को आरक्षण प्रदान करते समय अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षण प्रदान की की आवश्यकता।

---

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री जी, क्या आप कुछ कहना चाहेंगे?

**संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी)** : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं सभा से अनुरोध करता हूं कि महत्वपूर्ण विधेयक, वन अधिकार विधेयक, को पारित करने की तात्कालिकता को देखते हुए मैं इसे सभा में प्रस्तुत करता हूं।

**अध्यक्ष महोदय** : श्री मल्होत्रा, कृपया उनकी बात सुनिए। आपको उनको जवाब देना होगा।

**श्री प्रियरंजन दासमुंशी** : मैंने दलों के साथ विचार विमर्श किया है। यद्यपि में सरकारी तौर पर कहता हूं फिर भी मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि हमे पूर्वोदहरण के रूप में नहीं लिया जाएगा। क्या आज हम गैर सरकारी सदस्यों के कार्य को सायं 6.00 बजे तक स्थगित कर सककते है ताकि वन अधिकार विधेयक को पारित किया जा सके? यह अत्यंत महत्वपूर्ण विधेयक है?

**अध्यक्ष महोदय** : मैं आपके विचार जानना चाहता हूं।

*[हिन्दी]*

**प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा** (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष जी, इस बिल के आज पारित किए जाने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है और इसे पहले करने का मंत्री जी ने जो प्रपोजल दिया है, वह भी ठीक है, लेकिन यह इरेगुलर तरीका है। अभी तक अमेंडमेंट्स नहीं आई हैं।

*[अनुवाद]*

हमें संशोधन भी प्राप्त नहीं हुए हैं।

**अध्यक्ष महोदय** : आप ठीक कहते हैं।

**प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा** : मैं अनुरोध करना चाहता हूं।

*[हिन्दी]*

आज बिल भी नहीं आया है और बिल को सरकुलेट किया जाना चाहिए था। पुराना बिल जो पहले था, स्टैण्डिंग कमेटी की रिकमेंडेशन्स क्या हैं, वह नहीं आई हैं, जो अमेंडमेंट्स की जाएंगी वह भी पता नहीं है और हम अमेंडमेंट्स में क्या अमेंडमेंट्स करें यह भी पता नहीं है। इसलिए यह एक इरेगुलर तरीका है, लेकिन चूंकि यह बिल बहुत जरूरी है, इसलिए हम भी चाहते हैं कि इसे पास कर दिया जाए। ...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : मैं आपसे सहमत हूं कि इसे पूर्वोदाहरण के रूप में नही लिया जाएगा। क्योंकि सभी पक्ष इसमे सहमत हैं, मै इसकी अनुमति देता हूं।

**श्री वसुदेव आचार्य** (बांकुरा) : महोदय, यह अत्यंत महत्वपूर्ण विधेयक है और हम काफी दिनो से इसकी प्रतीक्षा भी कर रहे है इस विधेयक को आज पारित किया जाना चाहिए।

**अध्यक्ष महोदय** : ठीक है आपका धन्यवाद।

*[हिन्दी]*

**श्री रामजीलाल सुमन** (फिरोजाबाद) : अध्यक्ष महोदय, यह बिल अभी सरकुलेट नहीं हुआ है।

**अध्यक्ष महोदय** : बिल सरकुलेट हुआ है, लेकिन मेरी बात सुनिए।

*[अनुवाद]*

**श्री बृज किशोर त्रिपाठी** (पुरी) : इसे अभी तक परिचालित भी नही किया गया है। हमें अभी तक प्राप्त भी नहीं हुए हैं।... *(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : यही तो समस्या है। यदि अध्यक्ष कुछ कहना चाहता है तो कोई सुनना नहीं चाहता। आप चाहते है कि मैं सिर्फ आपकी बातें सुनूं। लेकिन कभी आप भी मेरी बात सुनने दीजिए। कृपया बैठ जाइए। क्या आप सहमत हैं?

**श्री गुरुदास दासगुप्त** (पंसकुरा) : मैं तो यह अनुरोध कर रहा हूं कि गैर सरकारी सदस्यों के कार्य के समय को बदलने के इस सुझाव को पूर्वोदाहरण के रूप में न लिया जाए।

**अध्यक्ष महोदय** : मैं पहले ही यह बता चुका हूं।

*(व्यवधान)*

**श्री गुरुदास दासगुप्त** : दूसरा जिस तरीके से सरकार इस विधेयक को ला रही है, वह सही नहीं है। हमें अभी तक संशोधन भी नहीं मिले हैं...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : ठीक है। क्या मैं विषय को स्पष्ट करूं? सभा के सभी वर्ग इस विधेयक को पारित करने के लिए तैयार हैं। इसीलिए मैंने अनुमति दी है।

*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : कृपया मेरी बात सुनिए। अन्यथा मैं इसकी अनुमति नहीं देता। अतः इसे पूर्वोदाहरण के रूप में नहीं लिया जाए।

**श्री गुरुदास दासगुप्त** : महोदय, इससे पहले कि आप अपना विनिर्णय दें, प्रक्रियागत पहलू भी देखा जाना चाहिए।...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : मैं वही कर रहा हूं। श्री दासगुप्त मुझे अपनी बात पूरी तो करने दीजिए।

*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री रामदास आठवले** (पंढरपुर) : यह बिल अब ही पास होना चाहिए।...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : आप मेहरबानी करके बैठ जाएं। आपकी बात रिकार्ड में नहीं जा रही है।

*(व्यवधान)**

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : क्योंकि पूरा सदन, जैसाकि मैंने पहले ही बता दिया है, यह चाहता है कि इसे पारित किया जाए और जैसाकि आप सभी ने इसके महत्व और ताटकालिकता के बारे में कहा है तो हम प्रक्रिया से हटते हुए, सामान्य तरीके में काम करने के तरीके में थोड़ा हटकर यह कर रहे हैं। मैं सहमत हूं। अतः भविष्य में भी इस प्रकार की सुविधाएं प्रदान करने का प्रश्न ही नहीं उठता अब तक कि असाधारण परिस्थिति उत्पन्न नहीं होती, और सभी वर्ग के सदस्य सहमत नहीं होते।

यहां मुझे बताया गया है कि विधेयक परिचालित कर दिया गया है जिसे स्थायी समिति को भेजा गया था और स्थायी समिति ने कुछ सुझाव भी दिए थे और स्थायी समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था जिसे सभी माननीय सदस्यों के पास भेजा गया था। ऐसा लगता है कि माननीय प्रत्येक सदस्य ने इस पर ध्यान नहीं दिया है। मैं इसकी कोई शिकायत नहीं कर रहा हूं। इसलिए प्रक्रिया के अनुसार, इसे पुनः प्रस्तुत नहीं किया गया है केवल एक बात है कि संशोधन अंग्रेजी संस्करण में तुरंत परिचालित किए जा रहे हैं। अतः हमें और समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए।

*[हिन्दी]*

**प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा** : अगर कोई सदस्य संशोधन देना चाहते तो उसे भी आप अनुमति दे दें।

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : ठीक है। हम उसकी भी अनुमति दे देंगे।

*[हिन्दी]*

**प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा** : सात दिन पहले इस बिल को केबिनेट ने पास कर दिया था।

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : प्रो. मल्होत्रा जी, मैं अपनाई गई इस प्रक्रिया के बारे में सभी माननीय सदस्यों की टिप्पणियों से सहमत हूं।

अब हम मद संख्या 21 लेते हैं।

**श्री बृज किशोर त्रिपाठी** : महोदय, सरकार को इसकी पुनरावृत्ति नहीं करने के लिए भी कहा जाना चाहिए। यह विधेयक नियमानकूल नहीं है।...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

**अध्यक्ष महोदय** : मुझे ऐसा नहीं करना है। अध्यक्षपीठ की टिप्पणी सबके लिए अनिवार्य है यह देश की सरकार सहित प्रत्येक व्यक्ति के लिए बाध्यकारी है।

*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : अब हम मद सं. 21 पर चर्चा करेंगे। मेरा अनुरोध है कि कृपया नियमों का पालन करें ध्यानाकर्षण मामले हैं। यह महत्वपूर्ण विधेयक है कुछ महत्वपूर्ण मामले भी हैं। मैं उसको अनुमति देना चाहता हूं। लेकिन कृपया यह सुनिश्चित कीजिए कि नियमो का पालन है। आप टिप्पणियां कर सकते हैं और स्पष्टीकरण की मांग कर सकते हैं।

श्री येरननायडु।

**श्री किन्जरपु येरननायडु** (श्रीकाकुलम) : महोदय क्या ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के बाद "शून्य काल" पर चर्चा होगी?...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : "शून्य काल" कुछ नही है।

*(व्यवधान)*

**श्री गुरुदास दासगुप्त** : आप अपना "शून्य काल" खो रहे हैं ...*(व्यवधान)*

**श्री किन्जरपु येरननायडु** : मैं उस पर बाद में आऊंगा...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : अब यह काम का समय है।

*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.19 बजे

## अविलंबनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

### (एक) देश में, विशेषकर आंध्र प्रदेश और केरल में बीड़ी कामगारों की समस्याएं तथा इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदम

*[अनुवाद]*

**श्री किन्जरपु येरननायडु** (श्रीकाकुलम) : महोदय, मैं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर दिलाता हूं और अनुरोध करता हूं कि वह इस संबंध में वक्तव्य दें:

"देश में, विशेषकर आंध्र प्रदेश और केरल में बीड़ी कामगारों के सामने आ रही समस्याओं तथा इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में।"

**अध्यक्ष महोदय** : मै समझता हूं कि वक्तव्य को परिचालित कर दिया गया है।

*(व्यवधान)*

**श्री बसुदेव आचार्य** (बांकुरा) : महोदय हमारी सूचना केरल और आंध्र प्रदेश से ही संबंधित नही है बल्कि पूरे देश से है... *(व्यवधान)*

**श्री बृज किशोर त्रिपाठी** (पुरी) : महोदय, यह समस्या श्रम मंत्रालय से भी संबंधित हैं।

**अध्यक्ष महोदय** : उन्होने इसे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री को भेजा है।

*(व्यवधान)*

**श्री बसुदेव आचार्य** : महोदय, श्रम और रोजगार मंत्री को भी यहां उपस्थित होना चाहिए...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : इस तरह व्यवधान डालते रहना बेमानी है। आपको पहले अध्यक्षपीठ की बात सुनिये।

**श्री किन्जरपु येरननायडु** : महोदय, श्रम और रोजगार मंत्री भी यहां हैं। वह भी इसका ध्यान रखें।

**अध्यक्ष महोदय** : आपकी मूल्यवान टिप्पणियां नोट कर ली गयी हैं।

**श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस)** : जी हां।, महोदय।

**अध्यक्ष महोदय** : मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी का उत्तर उनके द्वारा पढ़े जाने के बजाय सभा पटल पर रखा गया मान लिया जा सकता है। मैं समझता हूं कि आप सभी को यह मिल गया है।

*स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास) : महोदय बीड़ी उद्योग ने तम्बाकू के इस्तेमाल के बुरे प्रभावों को प्रदर्शित करने वाली खोपड़ी और हड्डियों की विनिर्दिष्ट क्रासरूपी चेतावनियां और सचित्र चेतावनियां छापने के लिए व्यवस्था करने हेतु हाल ही में अधिसूचित 'सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (पैकेजिंग एवं लेबलिंग) नियम, 2006' पर अपनी चिंता जताई है। उनके अनुसार बीड़ी के पैकेजों पर सचित्र चेतावनियां छापने की आवश्यकता अपेक्षित नहीं है क्योंकि बीड़ी का सेवन करना तम्बाकू के अन्य रूपों की तुलना में कम हानिकारक है और ऐसी अपेक्षा बीड़ी उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रही है जिसके परिणामस्वरूप लाखों बीड़ी कामगार बेरोजगार हो रहे हैं।

मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि इस समय देश में बीड़ी के रूप में कुल इस्तेमाल का लगभग 45 प्रतिशत बीड़ी के रूप में है, सिगरेट और खाए जाने वाला तम्बाकू का उपयोग क्रमश: 15 प्रतिशत और 40 प्रतिशत है। बीड़ी का सेवन अधिकतर बच्चों सहित गरीब और समाज के कम पढ़े-लिखे वर्ग द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त, मैं यह भी स्पष्ट करना चाहूंगा कि यह बताने के लिए कोई प्रमाण नहीं है कि किसी भी रूप में तम्बाकू का इस्तेमाल कम हानिकारक है। विश्व बैंक और टाटा इंस्टीटयूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च द्वारा संयुक्त रूप से प्रकाशित भारत में तम्बाकू पर अनुसंधान के संकलन में यथासूचित तुलनीय उत्पादन मूल्यांकन अध्ययन से यह निष्कर्ष निकला कि बीड़ी में परम्परागत सिगरेट की अपेक्षा निकोटीन का अधिक सांद्रण होता है और यह मानना तर्कसंगत है कि बीड़ी के सेवनकर्ताओं को निकोटीन का आदी होने का खतरा रहता है यद्यपि बीड़ी परम्परागत सिगरेट से छोटी होती है, फिर भी वे परम्परागत सिगरेट की ही तरह घातक एवं व्यसनी हो सकती है। इसके अतिरिक्त बीड़ी का सेवन बार-बार और अधिक लंबे कश लगा कर किया जाता है, इसलिए इससे वास्तव में अधिक निकोटीन सांस के जरिए अंदर जाता है और इससे सिगरेट की अपेक्षा अधिक हृदयवाही प्रभाव होते हैं तथा 2-3 गुना अधिक टार सांस के जरिए अंदर जाता है। कई अध्ययनों में यह बताया गया है कि सिगरेट के सेवन की अपेक्षा बीड़ी के सेवन से अत्यधिक मौतें होती हैं और रोगों से ग्रस्त होने का अधिक खतरा रहता है। बीड़ी के सेवन से मुख के कैंसर के होने का तीन गुणा अधिक खतरा रहता है और अध्ययन ने यह भी दर्शाया है कि बीड़ी का सेवन हृदयवाहिका रोग का एक महत्वपूर्ण कारण है। आगे के अध्ययनों से इंगित होता है कि बीड़ी बनाने वाले बच्चे पालथी मार कर घंटों काम करते हैं और वे प्राय: पीठ-दर्द और घुटनों की समस्याओं से पीड़ित होते हैं और आगे आने वाले समय में कई बच्चों को चिरकारी श्वसनी-शोथ, दमा और क्षय रोग भी हो जाता है।

इन तथ्यों और तम्बाकू के उपभोग के कारण कैंसर से होने वाली लगभग 50 प्रतिशत मौतों को देखते हुए वर्ष 2003 में बनाए गए कानून का मुख्य लक्ष्य तम्बाकू-उत्पादों के सेवन को निरूत्साहित करना था। इस कानून में विभिन्न तम्बाकू उत्पादों में कोई अंतर नहीं किया गया। यह अधिनियम मानव संसाधन विकास विभाग से संबंधित संसदीय समिति की सिफारिशों के आधार पर बनाया गया है जिनमें विशिष्ट तौर पर सिफारिश की गई थी कि लिखित चेतावनी के अलावा खोपड़ी एवं क्रास बोन्स जैसे कुछ चिन्ह ऐसे अन्य चित्र भी निरक्षर अथवा कम साक्षर उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए दिखाए जाएं। समिति ने अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप देने के पूर्व विभिन्न तम्बाकू उद्योग/संघों के साथ व्यापक परामर्श किया था। हम तम्बाकू नियंत्रण संबंधी विश्व स्वास्थ्य संगठन अंतर्गत कनवेंशन (एफसीटीसी) के एक पक्षकार भी हैं जिसका उद्देश्य वैश्विक रूप से तम्बाकू के सेवन को कम करना है जिसके तहत हमें तम्बाकू उत्पादों पर सचित्र स्वास्थ्य चेतावनियां दिखाने सहित अनेक उपाए करने हैं।

ऐसा अनुमान लगाया गया है कि हाल ही में अधिसूचित किए गए नियमों का रोजगार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। मैं अवश्य ही यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि यह इंगित करने के लिए भी अध्ययन किए गए हैं कि वर्तमान उपाय जैसे विभिन्न सकारात्मक जनस्वास्थ्य उपायों का तम्बाकू उत्पाद की नशीली प्रकृति तथा मांग में कमी लाने के लिए लगने वाले समय के कारण उद्योग पर कोई तात्कालिक आर्थिक प्रभाव नहीं पड़ेगा। दूसरी ओर, इन सकारात्मक जनस्वास्थ्य उपायों से राष्ट्र के समग्र स्वास्थ्य एवं अर्थव्यवस्था में सुधार लाने में सफलता मिलेगी। इसके अलावा ये नियम अभी लागू होने हैं और इसलिए यह निष्कर्ष निकालने का अभी समय नहीं आया है कि ऐसी सचित्र चेतावनियों के प्रभाव से बीड़ी विनिर्माण इकाइयां बंद हो जायेंगी और कामगार बेरोजगार हो जायेंगे।

**श्री किन्जरपु येरनायडु** : भारत सरकार द्वारा 5.7.2006 की अधिसूचना में उत्पादकों को निदेश दिया गया है कि वे 01 फरवरी, 2007 से बीड़ी पर खोपड़ी हड्डी आदि का चित्र प्रदर्शित करें। उद्योगों के मालिक सभी बीड़ी उद्योग को बंद करने की तैयारी कर रहे हैं। करीब तीन करोड़ लोग पूरे देश में इस उद्योग पर निर्भर कर रहे हैं विशेषकर तीन लाख बीड़ी मजदूर आंध्र प्रदेश में काम कर रहे हैं। इनमें से अधिकांश गरीब वर्ग से हैं, महिलाएं, अनुसूचित जाति,

*सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 5574/2006

अनुसूचित जनजाति; अल्पसंख्यक और अन्य पिछड़े वर्गों से हैं। इस अधिसूचना द्वारा यदि उद्योग बंद हो जाते हैं तो सभी बेरोजगार हो जाएंगे। एक तरफ तो सरकार राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम द्वारा रोजगार उपलब्ध करा रही है वहीं दूसरी तरफ ऐसी अधिसूचनाएं लाकर हम उन्हें बेरोजगारी की और धकेल रहे हैं।

ऐसे परिदृश्य में, आंध्र प्रदेश के लोगों की ओर से मैं यहां इसका उल्लेख करना चाहता हूं। आंध्र प्रदेश विधानसभा ने पहले ही सर्वसम्मत संकल्प पारित किया है और भारत सरकार द्वारा 5.7.2006 को जारी अधिसूचना वापस लेने के लिए सूचित किया है। इसी कारण मैं भारत सरकार से विनम्रतापूर्वक यह अनुरोध कर रहा हूं कि कृपया बीड़ी मजदूरों के हित के लिए इस अधिसूचना को वापस ले लें। अन्यथा उन्हें अपूरणीय हानि उठानी पड़ेगी। वे अपना रोजगार खो देंगे।

हाल ही में माननीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने भी बयान में कहा था कि इस अधिसूचना को लंबित रखा जाएगा। और उन्हें वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध कराने के बाद ही इसे लागू किया जाएगा। माननीय श्रम और रोजगार मंत्री ने भी आंध्र प्रदेश के लोगों विशेषकर बीड़ी मजदूरों को आश्वासन दिया कि वे इस मामले की पड़ताल कर आवश्यक कदम उठाएंगे।

ऐसे परिदृश्य में बीड़ी मजदूरों के हित में यह बेहतर होगा कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी किया गया अध्यादेश वापस ले लिया जाय। अन्यथा, दस लाख लोग रोजगार से हाथ धो बैठेंगे। आपने वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध कराए बगैर अचानक ऐसा अध्यादेश जारी कर दिया। यह विधान 2003 में पारित किया गया था। लेकिन आपने हाल ही में अधिसूचना जारी की है। उन्होंने इसे पहले क्यों नहीं जारी किया? वे वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध कराना चाहते थे और उन्हें मजदूरों का संरक्षण करने हेतु कदम उठाना था। इसी कारण पिछली सरकार ने इस अधिसूचना को जारी करने में देर की।...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : कृपया प्रश्न करें।

**श्री किन्जरपु येरनायडु** : ऐसे परिदृश्य में आपको आंध्र प्रदेश के लोगों की भावना का आदर करना चाहिए। आंध्र प्रदेश विधान सभा ने सर्वसम्मत संकल्प पारित किया है। इसका अर्थ है कि आंध्र प्रदेश के आठ करोड़ लोगों की अभिरूचि इस अधिसूचना को वापस लेने में है। भारत सरकार को इस अधिसूचना को तत्काल प्रभाव से वापस ले लेना चाहिए। धन्यवाद।

**अध्यक्ष महोदय** : डा. बाबू राव मिडियम को केवल एक स्पष्टीकरण चाहिए।

**डा. बाबू राव मिडियम** (भद्राचलम) : धन्यवाद, महोदय बीड़ी उद्योग बीड़ी पीने की आदत को बढ़ावा दे रही है। बीड़ी पीना आजकल गरीब लोगों की विलासिता है।...*(व्यवधान)* इस संबंध में मैं पहले स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री से नहीं बल्कि श्रम और रोजगार मंत्री से सवाल करना चाहता हूं।

करीब 42 लाख लोग इस उद्योग पर निर्भर हैं। बीड़ी उद्योग को वनों से कच्चा माल मिलता है, जनजातीय महिलाओं द्वारा तेंदु के पत्ते जमा किए जाते हैं। इस बीड़ी उद्योग का यही पहला चरण है। दूसरा चरण है वे किसान जो तंबाकू उपजाते हैं। तीसरे चरण में बीड़ी बनाने का काम आता है। बीड़ी बनाने की भी कई प्रविधियां हैं। नि:संदेह यह स्वास्थ्य के लिए बहुत घातक है।

क्या सरकार बीड़ी मजदूरों को किसी प्रकार का परिचय पत्र देगी? केवल एक तरह का पत्र ही दिया जाना चाहिए। उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा हैं कानून 1966 या 1970 से ही बने हैं। ये कानून लागू नहीं किए जा रहे हैं। मैं माननीय श्रम मंत्री से जानना चाहूंगा कि क्या वे इन मजदूरों को कोई परिचय पत्र जारी करेंगे।

मेरे प्रश्न का दूसरा भाग माननीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री से है। उनके लिखित उत्तर में यह कहा गया है कि केवल बीड़ी से ही सिगरेट से अधिक मुख कैंसर हो रहा है। सरकार उत्पाद शुल्क के रूप में प्रति हजार बीड़ी पर 6 रुपये प्राप्त कर रही है लेकिन प्रति हजार सिगरेट पर उत्पाद शुल्क के रूप में 15 रुपये प्राप्त कर रही है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस तथ्य के मद्देनजर सरकार बीड़ी द्वारा होने वाले खतरे को कम करने के लिए काम करने जा रही है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह तथ्य सही है कि यदि बीड़ी इतना कैंसरकारी है तो इस स्थिति में खोपड़ी और क्रासरूपी हड्डियों आदि को दर्शाने वाले विज्ञापन को क्यों बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है? यह लोगों के लिए बहुत बड़ा खतरा है उनकी आजीविका और उद्योग के लिए भी बहुत बड़ा खतरा है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या ऐसा विज्ञापन दर्शाना तर्कसंगत नहीं है अन्यथा कृपया इसे वापस लीजिए।

**अध्यक्ष महोदय** : मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति द्वारा सिफारिश की गयी है।

**श्री पी. करुणाकरन** (कासरगोड) : महोदय, माननीय श्रम मंत्री भी यहां उपस्थित हैं। बीड़ी उद्योग में लगे लाखों मजदूरों, जिनमें अधिकांश महिलाएं है जो कम मजदूरी पा रही हैं, को देखते हुए मैं सरकार और मंत्रालय का ध्यान भी आकृष्ट करना चाहता हूं कि क्या सरकार उन राज्यों में, जहां बीड़ी उद्योग का प्रभुत्व है, बीड़ी और सिगार अधिनियम लागू करने के लिए तत्काल कदम उठाएगी? क्या सरकार बीड़ी की उत्पादित कुल संख्या पर उत्पाद शुल्क लगाने के बजाय तंबाकू पर यह शुल्क लगाने पर विचार करेगी? मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार बीड़ी कल्याण कोष को और अधिक निधि आवंटित करने के लिए कदम उठाएगी ताकि मजदूरों को लाभ दिया जा सके। क्या सरकार आवास योजना के अंतर्गत दी जाने वाली राशि को 40,000 रुपये से बढ़ाकर एक लाख करने पर विचार करेगी।

**अध्यक्ष महोदय** : आप कई प्रश्न नहीं पूछ सकते।

**श्री पी. करुणाकरन** : क्या सरकार बीड़ी कामगारों के लिए अस्पतालों की स्थापना करने पर विचार करेगी? पूर्व श्रम मंत्री ने इस सभा को आश्वस्त किया था कि सरकार बीड़ी उत्पादक क्षेत्रों में अस्पताल खोलेगी। बीड़ी कामगारों के असंगठित स्वरूप को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार सभी बीड़ी कामगारों, चाहें वे सरकारी क्षेत्र में हो अथवा निजी क्षेत्र में हों, को शामिल करते हुए एक विशेष बीमा योजना प्रदान करेगी?

**श्री बसुदेव आचार्य** : महोदय, देश में 65 लाख बीड़ी कामगार हैं। इसका तात्पर्य है कि लगभग चार करोड़ लोग इस उद्योग पर निर्भर हैं। हम उपभोक्ताओं को स्वास्थ्य संबंधी खतरों के बारे में बताने के खिलाफ नहीं हैं परंतु समस्या यह है जो इन्होंने अंत में बताई है कि एक खोपड़ी और दो हड्डियों के साथ चेतावनी के तौर पर तस्वीर दिखाने या प्रकाशित करने से बीड़ी उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। पहले ही बड़ी संख्या में बीड़ी उद्योग बंदी के कगार पर हैं। हजारों बीड़ी कामगार जो कि हमारे देश के पिछड़े वर्ग और गरीब वर्गों से संबंधित हैं उन्हें प्रतिदिन 1,000 बीड़ियां बनाने के लिए सिर्फ 50 रुपए से 100 रुपए तक मिलते हैं। बीड़ी के पैकेट पर एक चित्रमय चेतावनी छापने के लिए केंद्र सरकार द्वारा जारी विनिमय अधिसूचना के द्वारा इसे अनिवार्य बनाया जाता है तो इसका निश्चय ही बीड़ी उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव और हमसे बहुत सारे बीड़ी कामगार प्रभावित होंगे। पश्चिम बंगाल राज्य में पांच या छः जिलों मे आठ लाख बीड़ी कामगार हैं। उनकी आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। विभिन्न वर्गों के लोगों, कामगारों मजदूर संघों और संसद सदस्यों, भले ही वे किसी भी राजनैतिक दल के हों, की ओर से भी मांग उठ रही है कि चित्रमय चेतावनी के बजाय किसी अन्य एक रूप में चेतावनी होनी चाहिए।

**अध्यक्ष महोदय** : आपका तात्पर्य है 'शब्दों में'।

**श्री बसुदेव आचार्य** : यह सिगरेट के मामले में भी किया जा रहा है। ऐसी चेतावनी बीड़ी के पैकेट पर मुद्रित होनी चाहिए। मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि लाखों बीड़ी कामगारों जिनकी आजीविका पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी नए विनियमों नई अधिसूचना के कारण प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, के हित में इस प्रस्ताव पर विचार करें।

**अध्यक्ष महोदय** : आपको और नहीं बोलना चाहिए। हमे बहुत सा कार्य करना है।

**श्री अधीर चौधरी** (बरहामपुर, पश्चिम बंगाल) : डा. स्वामीनाथन के अनुसार हमारे सपनों का संसार जिसे तंबाकू मुक्त होना चाहिए। इससे पूर्व हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इससे जो लोग आजीविका से वंचित हो जाएंगे उनका उचित ध्यान रखा जाए।

इसलिए मैं धूमपान के रूप में अपना धूमरहित रूप में तंबाकू के सेवन को बढ़ावा देने की दलील नहीं दे रहा हूं। सच्चाई यह है कि लाखों आदिवासी लोग जो केंदु पत्ते और तेंदु पत्ते तोड़ते हैं वे इससे अपनी जीविकोपार्जन कर रहे हैं। आपको भलिभांति पता है कि विशेषकर आदिवासी बहुल क्षेत्र अब नक्सलियों का निशाना बन रहे हैं। इसलिए किसी भी प्रकार की बेरोजगारी से इन क्षेत्रों में नक्सल आंदोलन को और अधिक बढ़ावा मिलेगा। हम जानते हैं कि हमारे देश ने तंबाकू नियंत्रण संबंधी विश्व स्वास्थ्य संगठन ढांचागत सम्मेलन पर हस्ताक्षर किए हैं जिसका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर तंबाकू की खपत को कम करना है।

मैं जिला मुर्शिदाबाद से हूं जिसमे पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक बीड़ी कामगार हैं उनकी संख्या लगभग छः लाख से अधिक है। उन बीड़ी बनाने वाले कर्मचारियों के लिए कोई और वैकल्पिक रोजगार नहीं है। इसलिए मेरा माननीय मंत्री से अनुरोध है कि इस संबंध में एक चरण-बद्ध तरीका अपनाएं। पहले हमें बीड़ी पीने वाले लोगों को बताना होगा कि यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है।

दुनिया भर में तंबाकू के सेवन के खिलाफ एक आंदोलन शुरू किया गया है। परंतु हमारे देश में इससे लाखों करोड़ों गरीब और

निरीह लोगों की जीविका जुड़ी है। मेरा माननीय मंत्री से अनुरोध है कि खोपड़ी और तिर्थगस्थियों अथवा कफन में लिपटी हुई लाश के चित्रमय वर्णन के बजाय सरकार केवल लिखित चेतावनी पर विचार करे। बीड़ी शंक्वाकार है। इसलिए बीड़ी निर्माताओं के लिए बीड़ी के पैकेट पर इस तरह का वर्णन मुद्रित करना बहुत कठिन होता है।,

क्या मैं माननीय मंत्री से पूछ सकता हूं कि क्या ढांचागत सम्मेलन द्वारा खोपड़ी और तिर्थगस्थियों अथवा कफन में लिपटी लाश का चित्रण करना अनिवार्य कर दिया गया है।

**अध्यक्ष महोदय** : मैंने पहले ही पांच माननीय सदस्यों को बुला लिया है। परंतु एक नए सदस्य श्री अबु हशीम खां चौधरी ने अनुरोध किया हैं एक बार फिर पूर्वोदाहरण के रूप में नहीं बल्कि समायोजन के तौर पर मैं उन्हें बुला रहा हूं। श्री खां चौधरी अपना प्रश्न कीजिए।

*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : आप नए सदस्य नहीं हैं। इस विचार को छोड़ दीजिए कि यदि कोई भी सूचना देता है तो उसे बुलाने के लिए मैं बाध्य हूं। पहले नियम पढ़िए। यह गलत विचार पनप रहा है कि यदि कोई सूचना देता है तो उसे बुलाया ही जाएगा।

*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : कृपया उन्हें बाधा न पहुंचाएं, वह नए सदस्य हैं।

**श्री अबु हशीम खान चौधरी** (मालदा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मालदा जिले में बहुत सारे लोग यानी लगभग तीन लाख लोग बीड़ी उद्योग में कार्य करते हैं। मुझे कामगारों की चिंता है। मैं नहीं समझता कि बीड़ी को ही क्यों चुना गया है और वे मुर्दे की तस्वीर बीड़ी के पैकेट पर बनाना चाहते हैं। बीड़ी पीने से तत्काल मृत्यु नहीं होती। उस तरह की तस्वीर लोगों को बीड़ी पीने से डरायेगी। वे जो सिगरेट के मामले में कर रहे हैं वही बीड़ी के मामले में भी किया जाना चाहिए। उन्हे बीड़ी के मामले में भी धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है प्रचार करने दीजिए।

**अध्यक्ष महोदय** : मैं आपको इस सभा में आपके पहले भाषण के लिए बधाई देता हूं अब, माननीय मंत्री।

*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : जी नहीं, मैं अनुमति नहीं दूंगा।

*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : मैं सभा को स्थगित कर दूंगा और बाहर चला जाऊंगा। मैं इस तरह का हंगामा करने की इजाजत नहीं दूंगा। मैं अनुमति नहीं दूंगा। आप चिल्लाते रहिए। हर चीज की एक हद होती है।

*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : श्रीमती जयाप्रदा, फिर उचित चर्चा के लिए कहिए।

इसका एक शब्द भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित न किया जाए।

*(व्यवधान)**

**अध्यक्ष महोदय** : कृपया सभा को बाधा न पहुंचाए। यह बहुत गलत है। श्रीमती जयाप्रदा यह बहुत गलत है। मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा। यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव हैं जो नहीं, मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा।

श्री आठवले, क्या आप अपने स्थान पर जाएंगे? कृपया खड़े होकर व्यवधान पैदा न करें!

कोई भी नियमों की परवाह नहीं करता। आप अध्यक्षपीठ की अनुमति की परवाह किए बिना किसी भी समय शोर मचाते हैं। कृपया इस सभा को हास्यास्पद न बनाएं।

*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**अध्यक्ष महोदय** : परमीशन नहीं देंगे।

हैड मास्टर अच्छी पोस्ट है, हैडमास्टर खराब पोस्ट नहीं है।

*(व्यवधान)*

**श्री इलियास आज़मी** (शाहाबाद) : अध्यक्ष महोदय, आप हिन्दी बोला करें, आपकी हिन्दी अच्छी है।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : धन्यवाद।

डा. अंबुमणि रामदास : स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर मुझे भी देश के नागरिकों के स्वास्थ्य के बारे में उतनी ही चिंता है। अपने उत्तर में मैंने उन लोगों का प्रतिशत बताया है जो धूम्रपान करते है और तंबाकू का सेवन करते हैं। भारत में लगभग 250 मिलियन लोग तंबाकू का प्रयोग करते हैं।

जब हम 250 मिलियन लोग कहते हैं तो यह तंबाकू उत्पादों का प्रयोग करने वालों की बहुत बड़ी संख्या है। 250 मिलियन लोगों में से 40 से 45 प्रतिशत लोग बीड़ी पीते हैं, लगभग 15 प्रतिशत सिगरेट पीते हैं और शेष धूम्ररहित तंबाकू यानी खाने वाले तम्बाकू का प्रयोग करते है। मैं यहां माननीय सदस्यों को तंबाकू के सेवन के कारण होने वाली समस्याओं के बारे में व्याख्यान नहीं देना चाहता क्योंकि मुझे विश्वास है कि सभी माननीय सदस्य इसके प्रयोग के प्रभावो के बारे में जानते हैं। यह केवल कैंसर का ही कारण नहीं बनता, वस्तुत: हमारे यहां भारत में तम्बाकू के प्रयोग से लगभग एक मिलियन लोगों की मृत्यु कैंसर से होती है। तंबाकू से केवल कैंसर से मौतें नहीं होती बल्कि इससे हृदय रोग, फेंफड़े की समस्या, गुर्दा रोग, त्वचा रोग, नपुन्सकता, माल-फोरमेशन की समस्याए; और सभी प्रकार की समस्याएं तंबाकू से जुड़ी हुई हैं।

मैं एक कदम और आगे जा सकता हूं इस देश में लगभग 40 प्रतिशत स्वास्थ्य समस्याएं तंबाकू के कारण हैं। तंबाकू के सेवन के कारण इतनी बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। अधिकांशत:, 10 से 12 वर्ष के बीच के बच्चे जो कि सकूलों से बाहर हैं तंबाकू लेते हैं। इसमें वे मासूम बच्चे भी शामिल हैं जो तंबाकू का प्रयोग कर रहे हैं। निश्चिय ही हमें इन बच्चों को इन उत्पादों के प्रयोग से बचाने के लिए अपने लिए एक संस्थागत प्रणाली तैयार करने की आवश्यकता है।

बहुत पहले वर्ष 2003 में पूर्व शासन के दौरान सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम बनाया गया था। उस अधिनियम में यह स्पष्ट उल्लेख किया गया था कि सभी तम्बाकू उत्पादों में चित्रमय चेतावनी को अनिवार्य बनाया जाए। मानव संसाधन विकास संबंधी संसदीय समिति ने भी विभिन्न एसोसिएशनों, उद्योग और प्रत्येक संबंधित व्यक्ति से पर्याप्त परामर्श करके सिफारिश की थी कि इन अनिवार्य चेतावनियों को लागू किया जाना चाहिए।

भारत विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा तम्बाकू नियंत्रण संबंधी ढांचागत सम्मेलन (एफ सी टी सी) पर सबसे पहले हस्ताक्षर करने वाले देशों में है जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि इन चीजों को उचित समय पर लागू किया जाना चाहिए। वस्तुत: विश्व के बहुत से देश इन चित्रमय चेतावनियों का प्रयोग कर रहे हैं। कुछ माननीय सदस्यों ने बताया है कि हम चित्रमय चेतावनियों के बजाय शाब्दिक चेतावनी क्यों रख सकते हैं। मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्यों को पता होगा कि हमारी सांविधिक चेतावनी है: "सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है।" इन शब्दों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है और प्रभाव बहुत नगण्य है और तम्बाकू के प्रयोग में वृद्धि हुई है। वैज्ञानिक तौर पर इसका बहुत अर्थ नहीं है।

फिर, मानव संसाधन विकास संबंधी संसदीय समिति ने बताया कि ग्रामीण लोगों में साक्षर और अर्ध-साक्षरों, ग्रामीण युवाओं, जो कि धूम्रपान करते हैं के लिए ये चित्र इसकी आदत डालने से निरूत्साहित करेंगे।

आगामी वर्ष 2007 से देश में पैकेट बंद सभी खाद्य उत्पादों के पैकेट के एकतरफ संघटक तथा दूसरी तरफ पोषक लाभ अनिवार्य रूप से लिखना होगा। इससे लोगो को यह पता लग पाएगा कि वे क्या खा रहे है, इससे उन्हें कितनी कैलोरी ऊर्जा मिल रही है और इसमें संतृप्त वसा कितनी है। लोगो को इन सारी बातो के बारे में जानना चाहिए। लोगो को इन उत्पादा के प्रयोग रोकने के लिए उनमे जागरूकता पैदा करने का यह एक तरीका है?

मै नहीं जानता कि इस प्रकार की सचित्र चेतावनियों से यह उद्योग कैसे बंद हो जाएगा। इसे आज ही लागू नहीं किया जा रहा है इसे यह फरवरी, 2007 से लागू किया जाएगा।

मुझे पता नही कि आज उद्योग यह कैसे कह रहा है कि हमने इस उद्योग को पहले ही बंद कर दिया है क्योंकि यह आज से ही अनिवार्य नहीं किया गया हैं यह अधिसूचना 2007 से लागू होगी। कुछ माननीय सदस्यो जो श्री येरननायडु जैसे अच्छे मित्र है, द्वारा उठाए गए मुद्दों में इस अधिसूचना को वापस लेने की मांग की गई है।

इस अधिनियम में जिसे इस सम्माननीय सभा द्वारा 2003 में बनाया गया था, यह व्यवस्था की गई है कि इस प्रकार की चेतावनी को अनिवार्य बनाया जाना चाहिए। इस अधिनियम में यह भी कहा गया है कि सार्वजनिक स्थानों पर धुम्रपान नहीं किया जाना चाहिए, तम्बाकू

उत्पादों से संबंधित प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कोई भी विज्ञापन नहीं होना चाहिए तम्बाकू उत्पाद को 18 वर्ष से कम उम्र के अवयस्कों को नहीं बेचा जाना चाहिए, तथा तम्बाकू उत्पादों को शिक्षण संस्थानो के आस-पास 100 मीटर के दायरे में नहीं बेचा जाना चाहिए, सचित्र चेतावनी अंकित होनी चाहिए जिसमें निकोटिन और टार, तथा सभी तम्बाकू उत्पादों के संघटकों का उल्लेख किया जाना चाहिए। हमने उसी को अक्षरश: लागू करने की कोशिश की है जिसे इस सम्मानीय सभा द्वारा पारित किया गया है।

डा. बाबू राव ने गरीबों की विलासिता वस्तु के रूप में इसकी चर्चा की है। मैं नहीं जानता कि यह गरीबो की विलासिता की वस्तु कैसे है, यह बयान मेरी समझ में नहीं आता इसके प्रयोग से आनन्द मिलेगा अथवा कष्ट मिलेगा। कुछ माननीय सदस्यो द्वारा पूछे गए सवालो के बारे में, यदि आप अनुमति दे तो श्रम मंत्री जी इनका जवाब दे सकते हैं।

वे यहां केवल ध्यानाकर्षण के लिए आए है। यदि आप उन्हे अनुमति दें तो वे माननीय सदस्यों द्वारा पूछे गए कुछ प्रश्नों जैसे बीड़ी कर्मकारो के लिए पहचान पत्र के संबंध में जबाव दे सकते हैं। मेरे मित्र, डा. बाबू राव ने पूछा है कि क्या बीड़ी से कैंसर होता हैं मेरे उत्तर में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि बीड़ी और सिगरेट में कोई अंतर नहीं है। सभी कैंसर जनक है। वास्तव में, बीड़ी गरीब, अशिक्षित और सीधे-सादे लोग पीते हैं, उनमें बीड़ी पीने की बहुत ज्यादा आदत होती है। वैज्ञानिक अध्ययनों में यह साफ-साफ कहा गया है. ..*(व्यवधान)*

श्री करुणाकरण ने बीड़ी कल्याण कोष, आवासीय योजना और अस्पतालों से संबंधित कुछ मुद्दे उठाए है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी अनुमति से मेरे माननीय सहयोगी इन सभी प्रश्नों का जवाब देंगे।

श्री बसुदेव आचार्य ने कहा है कि बड़े पैमाने पर बीड़ी उद्योग बंद होने के कगार पर हैं। मैं इस बात को पुन: दोहराना चाहता हूं कि यह अधिसूचना अभी लागू नही की गई है। यह 2007 में लागू होगी। वास्तव में उन्होने सचित्र चेतावनी के स्थान पर कोई अन्य चेतावनी चाहते थे। मैने पहले ही स्पष्ट किया है कि इस समय एक ही चेतावनी लिखी जाती है ''कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है'' लेकिन उस चेतावनी पर कोई ध्यान नहीं देता है।

**अध्यक्ष महोदय** : दुर्भाग्यवश इसकी स्थिति श्रम कानून जैसी ही है।

**डा. अंबुमणि रामदास** : जी हा महोदय। कनाडा ब्राजील थाइलैंड; सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया और यूरोपीय संघ जैसे देशों में इसे लागू कर दिया है और वैज्ञानिक अध्ययनों से यह पता चला है कि यह बहुत ही प्रभावी रही है।...*(व्यवधान)*

श्री अधीर चौधरी यह जानना चाहते थे कि क्या एफ.सी.टी.सी. तम्बाकू नियंत्रण आयोग का ढांचा अनिवार्य है या नही। जैसा कि भारत के सचिव ने कहा है कि यह कार्य निर्धारित समय से किया जाना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : यह प्रश्नोत्तर सत्र नहीं है। आप अच्छे जानकार है। कृपया जाइए और उनसे मिलिए।

*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : मेरी अनुमति के बिना एक शब्द भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

**डा. अंबुमणि रामदास** : इन सब ब्यौरों के बावजूद मुझे विभिन्न पक्षो, कई सांसदों उद्योगों के कई प्रतिनिधि मंडलों तथा उद्योग के लगभग सभी वर्ग से कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें यह कहा गया है कि इससे रोजगार की समस्या पैदा होगी। इन सभी बातों पर विचार करते हुए आपकी अनुमति से यदि सभी सदस्य सहमत हों तो हम इस अधिसूचना को चार माह तक के लिए स्थगित करने की कोशिश करेंगे। फरवरी की जगह हम इसे मई के अंत तक के लिए स्थगित कर सकते है।...*(व्यवधान)* यह तभी सम्भव है जब माननीय सदस्य इस बात को स्वीकार करे।...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : यदि आप यही करेंगे तो मैं श्रम मंत्री को उत्तर देने की अनुमति नहीं दूंगा। वे जवाब नहीं देंगे।

*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : एक शब्द भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित मत कीजिए। एक भी शब्द कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

*(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

**अध्यक्ष महोदय** : यदि श्रम मंत्री चाहें तो इसमें थोड़ा सा हस्तक्षेप कर सकते है।

*(व्यवधान)*

**श्री ऑस्कर फर्नांडीस** : महोदय, मैं केवल माननीय सदस्यों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दे रहा हूं।...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : आप देख सकते है कि यहां भी भिन्न-भिन्न विचार व्यक्त किए जा रहे है। विचार व्यक्त करने का यह कोई तरीका नहीं हैं। इसकी एक सीमा होती है। पांच सदस्यों को अनुमति दी गई है। वस्तुत: छठे सदस्य को भी अनुमति दी गई है।

हम देख रहे हैं कि श्रम मंत्री जी स्वेच्छा से यहां आए है।

आप उनकी बात सुनिए। आप लोग लगातार प्रश्न पूछे जा रहे है और टिप्पणियां कर रहे है।

**श्री ऑस्कर फर्नांडीस** : महोदय, डा. बाबू राव मीडियम ने बीड़ी श्रमिकों को पहचान पत्र जारी करने का मामला उठाया हैं कार्ड पहले से ही दिया जा चुका है लेकिन अब हम श्रमिकों का पक्का पहचान पत्र जारी करेंगे जिसका उपयोग व्यापक उद्देश्य के लिए किया जाएगा। हम देश के सभी भागों में आवास, छात्रवृत्ति, शिक्षा आदि जैसी अन्य कल्याणकारी योजनाएं चला रहे हैं।

---

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : अब हम मद सं. 22 पर विचार करेंगे। श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखेंगे।

*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा।

*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : एक भी शब्द कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित न करें।

*(व्यवधान)**

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

**अध्यक्ष महोदय** : श्री मेहता के भाषण के अतिरिक्त किसी और का भाषण कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

**अध्यक्ष महोदय** : यदि आप नहीं चाहते है कि दूसरे ध्यानाकर्षण पर चर्चा हो, तो मैं सभा को स्थगित कर दूंगा।

**अपराह्न 12.45 बजे**

## (दो) पश्चिमी झरिया में बीसीसीएल की भटदीह कोयला खान में दुर्घटना, जिसमें लगभग 50 कामगारों की मृत्यु हो गई, से उत्पन्न स्थिति तथा इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदम

*[हिन्दी]*

**श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता** (हजारीबाग) : अध्यक्ष महोदय, मैं कोयला मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वह इस संबंध में वक्तव्य दें:

"पश्चिमी झरिया में बीसीसीएल की भटदीह कोलियरी में दुर्घटना, जिसके कारण लगभग 50 कामगारों की मृत्यु हो गई, से उत्पन्न स्थिति तथा इस संबंध में सरकार द्वारा उठाये गये कदम।"

*[अनुवाद]*

**"कोयला मंत्रालय में राज्यमंत्री (डा. दासरि नारायण राव)** : महोदय भारत कोकिंग कोल लि. (बीसीएल) की भाटडीह कोलियरी के वेस्टर्न झरिया क्षेत्र की नागदा खान में 6.9.2006 को रात्रि लगभग 8.00 बजे (द्वितीय पाली) में एक बड़ी दुर्घटना हुई जिसमें 50 लोगों की मृत्यु हो गई और चार लोगों को गंभीर चोटें आई। यह दुर्घटना जो प्रथमदृष्टया विस्फोट प्रतीत होती है, महुदा की निचली सीम के 17वें इन्क्लाइन में घटित हुई जहां खनन की बोर्ड और पिल्लर प्रणाली और रेत भराइ से डिप्लरिंग का कार्य चल रहा था।

दी गई जानकारी के अनुसार, 17वें इन्क्लाइन के फैन ड्रिफ्ट से रात्रि लगभग 8.00 बजे एक जोरदार धमाके की आवाज सुनाई दी।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

**ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 5575/2006

"ओ" स्तर में लगे तीन व्यक्ति (एक हॉलेज खलासी और 2 ट्रामर) खान से बाहर आए और वे कोयले की धूल से ढंके थे। दुर्घटना के बारे में सूचना प्राप्त होते ही बी.सी.सी.एल. के वरिष्ठ अधिकारी, सीएमडी, बीसीसीएल, सीएमडी, कोल इंडिया लि. (सीआईएल) और खान सुरक्षा महानिदेशालय के अधिकारी बचाव कार्य की व्यवस्था करने और उसका पर्यवेक्षण करने के लिए तत्काल घटना स्थल पर पहुंच गए। तत्कालीन कोयला मंत्री और सचिव (कोयला) ने भी 7.9.2006 को खान दुर्घटना स्थल का दौरा किया।

कोयला मंत्रालय, नई दिल्ली, कोल इंडिया लि. के मुख्यालय, कोलकाता, बीसीसीएल के मुख्यालय, धनबाद और मूनीडीह खान में नियंत्रण कक्ष स्थापित किए गए थे। विस्फोट से निकली जहरीली गैस को खान से निकालने के बाद सभी 50 शवों को 44 घंटों के भीतर ढूंढ लिया गया। भूमिगत खदानों में ताजा हवा के आधारों की स्थापना करके बचाव दल और पर्यवेक्षक कार्मिकों द्वारा की गई त्वरित कार्रवाई और प्रयासों से ही यह कार्य हो सका।

दुर्घटना के तुरंत बाद अध्यक्ष, सीआईएल के अनुमोदन से सीएमडी, बीसीसीएल ने वरिष्ठ अधिकारियों की एक उच्चस्तरीय समिति द्वारा घटना की जांच करने का आदेश दे दिया। इस समिति में सीएमडी, सेंट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लि. (सीएमपीडीआईएल), निदेशक (तकनीकी, सीआईएल, निदेशक (पी एण्ड आई आर), सीआईएल और निदेशक (तकनीकी), सीएमपीडीआईएल को शामिल किया गया। जांच की जा रही है और समिति को 1.1.2007 तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए निदेश दिया गया हैं

यद्यपि दुर्घटना के बारे में कई अटकलें हैं, किंतु इस दुर्घटना के कारणों के बारे में विस्तृत जांच के बाद ही पता चल सकता है। श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 12.10.2006 की अधिसूचना सं. एस.ओ. 1756(ई) के तहत जांच न्यायालय का पहले ही गठन कर दिया गया हैं जांच न्यायालय की रिपोर्ट तीन महीने में आ जाने की उम्मीद है। जांच रिपोर्ट के निष्कर्षों और सिफारिशों के आधार पर उपयुक्त कार्रवाई शुरू की जाएगी।

मैं बताना चाहूंगा कि बकाया दे राशि चुकाने, मुआवजे का भुगतान करने आदि के साथ-साथ रेस्क्यू/बचाव और पुनर्वास संबंधी सभी कार्य शीघ्र अत्यंत सुव्यवस्थित ढंग से पूरे कर दिए गए थे। प्रत्येक मृतक के आश्रित 8.75 लाख रु. से 11.06 लाख रु. के बीच मुआवजा पाने के हकदार हैं। इसमें अनुग्रह राशि, जीवन-रक्षा, हितकारी निधि, अंतिम सरकार व्यय, कामगार मुआवजा अधिनियम, 1923 के अनुसार मुआवजा और उत्पादन का भुगतान शामिल हैं। इसमें तत्कालीन कोयला मंत्री की घोषणा के अनुसार प्रत्येक मृतक व्यक्ति के परिवार को 3.00 लाख रु. की अतिरिक्त अनुग्रह राशि और झारखंड के मुख्यमंत्री द्वारा स्वीकृत प्रत्येक को एक लाख रुपए की राशि शामिल है। इसके अतिरिक्त, प्रधानमंत्री राहत कोष से प्रत्येक को 1.00 लाख रु. की अनुग्रह राशि के भुगतान की भी मंजूरी दी गई है। इसके अलावा, कोयला खान भविष्य निधि संगठन (सीएमपीएफओ) द्वारा भविष्य निधि का भुगतान किया जा रहा है। 50 मृतकों में से, मृतक कामगारों के 48 आश्रितों को रोजगार पहले ही दे दिया गया है (दो अवयस्क आश्रित लड़कों को रोजगार रोस्टर में रखा गया है और उनके वयस्क होने तक उनकी माताओं को मौद्रिक मुआवजा दिया गया है)। एक महिला आश्रित ने मौद्रिक मुआवजा का विकल्प चुना है जो उसकी 60 वर्ष की उम्र होने तक जारी रहेगा तथा एक विधवा को उसके दावे की वास्तविकता की जांच कर लिए जाने के बाद रोजगार प्रदान किया जाएगा।

इस खान दुर्घटना के बाद, सचिव (कोयला) ने कोयला खानों की सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की और कोल इंडिया लि. (सीआईएल) और उसकी सहायक कंपनियों, सिंगरेनी कोलियरीज़ कंपनी लि. (एससीसीएल) तथा नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लि. (एनएलसी) के सभी सीएमडी को कोयला कंपनियों के सभी प्रचालनों में सभी स्तरों पर सुरक्षा की संस्कृति उत्पन्न करने की आवश्यकता पर जोर देने के निदेश जारी किए गए हैं। तत्कालीन कोयला मंत्री और मैंने भी कोयला खानों में सुरक्षा से सम्बद्ध स्थायी समिति की दिनांक 17.11.2006 को नई दिल्ली में आयोजित बैठक में सीआईएल, एससीसीएल, एनएलसी की कोयला खानों और निजी क्षेत्र की अन्य कोयला खानों की सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की।

मैं, इस सम्माननीय सदन को आश्वस्त करना चाहूंगा कि सरकार और कोयला/लिग्नाइट के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम सुरक्षित खनन स्थितियां सुनिश्चित करने के लिए कृतसंकल्प हैं।

*[हिन्दी]*

**श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता :** अध्यक्ष महोदय, झरिया में बीसीसीएल की भटदीह कोयला खदान में पिछले 6 सितम्बर को 50 मजदूरों की मौत हो गई और 4 व्यक्ति बुरी तरह से घायल हो गये। मैं स्वयं घटना स्थल पर गया था और मेरे बाद माननीय सदस्य श्री वसुदेव आचार्य भी गये थे। मजदूरों से बात करने के बाद वहां के अधिकारियों से भी हम लोगों ने बातें कीं। लोगों ने बताया कि इस संबंध में

[श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता]

कई बार मैनेजमेंट को लिखित रूप से यूनियन ने दिया है कि यह खदान चलने लायक नहीं है क्योंकि इस खदान में बालू की भराई ठीक से नहीं होती है। जितनी बालू की भराई की जाती है, उसके लिये दुगना पैसा लिया जाता है और दुगना पैसा लेकर बुक की जाती है। इस तरह की घटना कभी भी हो सकती है। जब चासनाला में खान दुर्घटना हुई थी, उस समय 274 मजदूरों की मृत्यु हुई थी। उसके बाद गज़लीटाड में 64 मजदूर और धटदीह खान दुर्घटना में 50 मजदूरों की मृत्यु हुई है।

अध्यक्ष महोदय, अगर बालू की भराई ठीक से होती तो यह दुर्घटना नहीं हुई होती। पदाधिकारियों को कई बार रिप्रेजेंटेशन दिये गये लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। अगर बालू की भराई ठीक से नहीं की गई तो ऐसी दुर्घटना कभी भी हो सकती है। अब तक जितनी भी खान दुर्घटनायें हुई हैं, उसके लिये कोर्ट ऑफ इंक्वायरी हुई हो या डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हुई हो, उन सबमें डायरेक्टर जनरल सेफ्टी माईन्स दोषी पाये गये हैं। आज तक डायरेक्टर जनरल सेफ्टी माइन्स पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है। इसके अलावा जनरल मैनेजर, या सीएमडी होता है, उसके बाद टैक्नीकल पदाधिकारी होते हैं, उन पर भी कोई कार्यवाही नहीं की गई। इसके चलते ऐसी घटनायें घट रही हैं। मैं आपकी जानकारी में लाना चाहूंगा कि बीसीसीएल के सी.एम.डी. चेयरमैन हो गये हैं और जो डायरेक्टर (पर्सोनल) हैं, वह सीएमडी हो गये हैं, जो 6 अधिकारी सस्पैंड किये गये हैं, उनके खिलाफ इंक्वायरी रिपोर्ट अभी तक लेबर मिनिस्ट्री से नहीं आई है लेकिन उन्हें डयूटी पर ले लिया गया है।

अध्यक्ष महोदय, मैं एक घटना का जिक्र और करना चाहूंगा। जब भी किसी कोलियरी में दुर्घटना की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी हुई, उसमें कहा गया है कि जांच और गवाही के आधार पर यह पाया गया है कि यह भारत सरकार के महानिदेशक, खान की जिम्मेदारी है कि उस मामले की जांच करे और उस बात का स्पष्टीकरण करे कि ऐसी हालत में खान को न चलाया जाये। इसके अलावा वर्ष 2001 से कोयला मंत्रालय और लेबर मिनिस्ट्री ने किसी भी रिपोर्ट पर कोई कार्यवाही आज तक नहीं की है। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी गठित की गई है। बागडिगी कोलियरी की जो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बनी थी, उसके निष्कर्ष की कुछ लाइनें मैं पढ़ कर सुनाता हूं। मैं उन आलोचनाओं और विचारों को दोहराना नहीं चाहता, लेकिन गवाही से जो निष्कर्ष निकलता है, उससे पता चलता है कि बागडिगी कोलियरी में खान सुरक्षा महानिदेशालय खान सुरक्षा से संबंधित नियम और कानून का पालन करने में अपने कार्य और डयूटी में असफल रहा है।

महोदय, हमेशा छोटे पदाधिकारियों पर कार्यवाही होती है, किसी भी बड़े पदाधिकारी पर जीएम, सीएमडी एवं डायरेक्टर पर कभी भी कार्यवाही नहीं होती। इसमें कोर्ट ऑफ इंक्वायरी से कुछ नहीं होने वाला है, यह एक राष्ट्रीय आपदा है इल्लिगल माइनिंग में हर वर्ष सैंकड़ों की संख्या में लोग मरते हैं। अंडर ग्राउंड माइनिंग की संख्या पूरे कोल इंडिया में 72 है, लेकिन इसकी कोई देख-रेख नहीं करता। कोयला मंत्रालय केवल कोयला ब्लाक का आवंटन एवं कोल इंडिया के पदाधिकारी आउटसोर्सिंग और ई-आक्शन में लगे हुए हैं। अभी तक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी पूरी नहीं हुई और सस्पैंड अधिकारियों का निलम्बन वापस ले लिया। इसलिए हमारी मांग है कि लोक सभा की एक कमेटी बना कर इसकी जांच करें।

**श्री धर्मेन्द्र प्रधान** (देवगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं उसकी पृष्ठभूमि में नहीं जाता, मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है, उस पर कुछ स्पेसिफिक प्रश्न पूछना चाहता हूं। हम अपेक्षा रखते हैं कि देश की आर्थिक प्रगति जीडीपी आठ प्रतिशत हो। सब जानते हैं कि ऊर्जा उसकी एक प्रमुख भूमिका रखता है। ऊर्जा का मुख्य स्रोत कोयला होता है। आज जो कोयला खदान काम कर रही है, उसकी सुरक्षा कितनी है। हाल ही में जो बीसीसीएल में घटना हुई, यह हमें दर्शाती है कि कितनी सीरियसनैस है, हम कितने केजुअल हैं। मंत्री जी ने जो रिपोर्ट दी, उस पर मैं दो-तीन क्वेरी पूछता हूं। उन्होंने कहा कि आठ बजे घटना की सूचना हुई। हमारे पास जो जानकारी है, उसके मुताबिक ढाई घंटे तक कोई रेस्क्यू ऑपरेशन वहां शुरू नहीं हुआ था, उसके बारे में मंत्री जी बताएं।

अध्यक्ष महोदय, कोई भी दुर्घटना अचानक नहीं होती है, उसके पहले उसकी ध्वनि वहां सुनाई देती है।

उस क्षेत्र में वहां क्या उस बेढ़ मिथाइल गैस की सूचना पहले थी। वहां ऐसा कुछ पूर्वाभास था। वहां के अधिकारियों को उसके बारे में जानकारी थी, उस विषय में आपने कुछ उल्लेख नहीं किया, आप उसके बारे में थोड़ा बताएं?

अध्यक्ष महोदय, जो अपराध करता है, गुनाहगार है, क्या उसी को जिम्मेदारी दी जाएगी कि उसने गुनाह किया या नहीं किया, तो न्याय नहीं हो पाएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की माइनिंग डिपार्टमेंट की एक एजेंसी है, डायरेक्टर जनरल माइनिंग सेफ्टी, मंत्री जी की रिपोर्ट में, उत्तर में एक बार भी डीजीएमएस के बारे में उल्लेख नहीं

है। उन्होंने कहा कि कोल इंडिया के अधिकारियों के द्वारा उन्होंने एक कमेटी बनाई, जिसमें सीएमपीडीआई को भी शामिल किया। कोल मिनिस्ट्री के अंतर्गत सीएम भी आता है, जिन्होंने गुनाह किया, उन्होंने खुद को सर्टिफिकेट देने के लिए कमेटी बनाई। डीजीएमएस की उसमें क्या रिपोर्ट थी, उसकी एनालायसिस क्या है, उसके बारे में आप कृपा करके बताएं? मेहता जी ने कहा है और हमारे पास जो सूचना है उसके अनुसार नीचे के स्तर के कुछ अधिकारियों को आपने सस्पैंड किया था और उन्हें फिर रिइंस्टेट किया है। आप कोई इंक्वायरी तक मत रूकिए। आपने उन्हें क्यों रिइंस्टेट किया, उसके बारे में बताएं? हमारी सूचना के हिसाब से 590 करोड़ रुपए हैं, उनमें से कितने रुपए खर्च हो पाए? देशभर में जितनी अंडर ग्राउंड माइनिंग हैं, मेरे चुनाव क्षेत्र के तालचर और ब्रजराजनगर के बारे में मानव अधिकार आयोग के वहां से एक केस, महानदी कोयला कंपनी के वहां आया है। वहां का जलस्तर घट रहा है और उसका पर्यावरण पर बहुत खराब प्रभाव पड़ रहा है। उस मामले में आप क्या काम्प्रीहैंसिव देश भर की अंडर माइनिंग सेफ्टी के लिए एक हाई लेव इंक्वायरी कमेटी बैठाएंगे, यह आप कृपा कर बताएं?

**श्री हंसराज जी. अहीर** (चन्द्रपुर) : माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे एक बहुत ही गंभीर मसले पर बोलने की अनुमति प्रदान की है, जिसके लिए आपको धन्यवाद। नागदा माइन भटडीह कोयलियरी में जो 50 कामगारों की मौत हुई है, यह कोई पहली घटना नहीं है। मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है उसमें उन्होंने स्वीकार किया है कि जहां घटना हुई, वहां खनन का काम नहीं किया जा रहा था वहां बोर्ड एवं पिलर्स सिस्टम में रेत भराइ का काम जारी था। आप जानते हैं कि जहां रेत भराई का काम होता है वहां खनन करने वाले मजदूर काम नहीं करते हैं वहां उन मजदूरों से काम कराने की किस की जिम्मेदारी थी, पहले तो इस बात का उत्तर मंत्री महोदय दें।

महोदय, मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया है कि जहरीली गैस निकालने के बाद उन्होंने मदद पहुंचाई। मैं बताना चाहता हूं कि नई विकसित प्रणाली में जहरीली गैस की जांच करने के लिए एक चिड़िया को ले जाया जाता है और उसे वहां ले जाकर जांच की जाती है कि वहां जहरीली गैस है कि नहीं, लेकिन हमारे यहां इस नई प्रणाली को डैवलप नहीं किया गया है। जहां सेंट्रल माइनिंग डिजाइन इंस्टीटयूट खनन करने वाली कोयलरी का डिजाइन बनाता है, वहां खनन का काम किया जाता है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जहां यह दुर्घटना हुई, वहां का डिजाइन सी.एम.पी.डी.आई. के मुताबिक बना था या नहीं। डायरेक्टर जनरल मायनिंग सेफ्टी की जिम्मेदारी होती है कि जहां मायनिंग की जाती है वहां कोल मायनिंग रेगुलेशन एक्ट 1957 के तहत वैधानिक पदों को पूर्ण रूप से भरा जाए। मैं पूछना चाहता हूं कि वैधानिक पद जैसे मायनिंग सरदार, मायनिंग मैन, मायनिंग अंडर मैनेजर, सुपरवाइजर आदि को भरा गया था या नहीं, क्योंकि देखने में यह आता है कि इन वैधानिक पदों को न भरने के कारण ठीक प्रकार से जांच नहीं होती है? जहां मैनेजर को जाना चाहिए, वहां वे नहीं जाते हैं। इसलिए भी ऐसी दुर्घटनाएं होती हैं।

महोदय, मैं अपने यहां की एक घटना बताना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र में कावडी माईनम में गलत तरीके से बैंच बनाए गए, जो ढह गए। उनके ढहने से 10 कामगार मारे गए। मैं बताना चाहता हूं कि इस प्रकार से गलत मायनिंग की जाती है। वर्तमान दुर्घटना की जिम्मेदारी जिनकी थी, उन्हीं से आपने इसकी जांच कराई, यह ठीक नहीं है। आपको सी.आई.एल. के अधिकारियों से जांच नहीं करानी चाहिए थी। जैसा हमारे माननीय मेहता जी ने सवाल किया है, मैं अंत में वही सवाल करना चाहता हूं कि इसकी जांच के लिए लोक सभा की एक समिति बनाकर जांच कराई जाए।,

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : मैं नियमानुसार सदस्यों को अनुमति दे रहा हूं। ऐसा कोई नियम नहीं है कि केवल पांच सदस्यों को ही अनुमति दी जाएगी। कृपया ऐसा न करें।

*[हिन्दी]*

**श्री शैलेन्द्र कुमार** (चायल) : माननीय अध्यक्ष जी, ...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : केवल प्रश्न पूछिए।

**श्री राम कृपाल यादव** (पटना) : अध्यक्ष महोदय, मैंने भी नोटिस दिया है।

**अध्यक्ष महोदय** : आपने नोटिस दिया है, तो भी आप हमें मजबूर नहीं कर सकते कि हम आपको बोलने के लिए समय दें।

**श्री राम कृपाल यादव** : सर, हम तो आपसे रिक्वैस्ट कर रहे हैं।

**अध्यक्ष महोदय** : ठीक है। आप चुप बैठिए।

**श्री शैलेन्द्र कुमार** : माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे सम्मानित सदस्य ने कॉल-अटैंशन में ध्यान आकर्षित करते हुए बताया है कि पश्चिमी झरिया में नागदा माइन भटडीह, बी.सी.सी.एल. में काम करते

[श्री शैलेन्द्र कुमार]

हुए 50 मजदूर मरे हैं। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं जैसा कि उन मृतकों के प्रत्येक परिवार के एक आदमी को सरकारी नौकरी और प्रत्येक परिवार को 11 लाख रुपए मुआवजे के रूप में दिए जाएं और इसकी पूरी तथा ठीक प्रकार से जांच कराई जाए तथा जो दोषी पाए जाएं उन्हें सख्त सजा दी जाए।

**श्री राम कृपाल यादव** : अध्यक्ष महोदय, मैं दो छोटे-छोटे प्रश्न पूछना चाहता हूं। इस दुर्घटना में लगभग 50 लोगों की मौत हुई। उनके लिए विभिन्न माध्यमों से सहायता की घोषणा की गई। राज्य सरकार, प्रधान मंत्री और डिपार्टमेंट की तरफ से उन्हें सहायता देने की घोषणा की गई। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि तीनों स्थानों से सहायता के लिए की गई घोषणा की राशि या मुआवजा उन मृतकों के परिवारों को मिला या नहीं? मेरा दूसरा प्रश्न है कि नए संदर्भ में, इस प्रकार की दुर्घटनाओं को रोकने के लिए आप कौन से नए तरीके के उपकरणों का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि आए दिन इस प्रकार की दुर्घटनाएं होती रहती हैं, ताकि भविष्य में इस तरह की दुर्घटनाओं को रोका जा सके? कोयला खानों में गरीब लोग खटते हैं और वे जीवन-मृत्यु के बीच संघर्ष करते रहते हैं। उनका ख्याल प्रशासन द्वारा नहीं किया जाता है। मैं पूछना चाहता हूं कि आप अपने स्तर से कौन से ऐसे पग उठा रहे हैं, ताकि भविष्य में ऐसे दुर्घटनाओं को होने से रोका जा सके?

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : आपके सहयोग के लिए धन्यवाद।

**अपराह्न 1.00 बजे**

**डा. दासरि नारायण राव** : महोदय, मुझे इस दुर्घटना को लेकर बहुत दुख हुआ है...*(व्यवधान)* मैं सभा को यह जानकारी देना चाहता हूं कि कोयला खनन एक खतरनाक पेशा है। इसलिए, इन दुर्घटनाओं को रोकने और यदि संभव हो, तो इन्हें पूर्णतया समाप्त करने के लिए यथासंभव सभी प्रयास किए जाते हैं।

महोदय, यहां माननीय सदस्यगण एक के बाद एक यह कह रहे हैं कि यह खान खनन के लिए उपयुक्त नहीं है। सच्चाई यह है कि डी.जी.एम.एस. श्रम मंत्रालय के हैं। वे तकनीकी प्राधिकारी हैं जिन्हें यह प्रमाणित करने का अधिकार है कि यह खान खनन के लिए उपयुक्त है या नहीं है। डी.जी.एम.एस. ने जुलाई 2005 में नागड़ा खान का निरीक्षण किया था जिसमें उन्होंने खनन कार्य स्थगित कर दिया था और बी.सी.सी.एल. से उसमें और अधिक रेत भरने को कहा था इसके पश्चात, समुचित रूप से रेत भरे जाने के बाद अगस्त, 2005 में खनन कार्य पुनः आरम्भ हो गया था। इसके अलावा डी.जी.एम.एस. ने 9.11.2005 से 1.12.2006 तक इस खान का निरीक्षण किया और उसमें किसी अनियमितता का पता नहीं लगा। उस क्षेत्र के सुरक्षा अधिकारी ने जून 2006 में नागड़ा खान का निरीक्षण किया था। फरवरी 2006 में मुख्यालय स्तर का निरीक्षण किया गया। अगस्त, 2006 में 'पिट सेफ्टी कमेटी' ने भी इसका निरीक्षण किया था।

महोदय, सांविधिक आवश्यकताओं के अनुरूप नागड़ा खान में निम्नलिखित गैस जांच उपकरण उपलब्ध हैं। दुर्घटना के समय नागड़ा खान में पांच मेथनो मीटर थे जो कार्यशील थे। एक कार्बन मोनोआक्साइड का पता लगाने वाला यंत्र और 13 सुरक्षा लैंप भी थे। इस प्रकार वहां सभी प्रकार के उपाय किए गये थे। तथापि, दुर्भाग्यवश यह दुर्घटना घट गई।

महोदय, यह दुर्घटना लगभग रात्रि 8.00 बजे हुई थी। सांविधिक आवश्यकताओं के अनुसार बचाव दल को खान के 35 किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए। दानसार बचाव स्टेशन इस खान से लगभग 20 किलोमीटर दूर है। वे सुबह 9.0 बजे तक इस स्थान पर पहुंच गए थे। पूरे क्षेत्र में धूल ही धूल थी। खान में प्रवेश करने की कोई संभावना नहीं थी। अतः उन्होंने दो घंटे तक प्रतीक्षा की और 11.30 बजे से बचाव कार्य शुरू हुआ तभी वहां कोल इंडिया लिमिटेड के सी.एम.डी. और बी.सी.सी.एल. के सी.एम.डी. पहुंच गए। अगले ही दिन तत्कालीन कोयला मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री ने वहां का दौरा किया। यह पूरे कार्यक्रम का ब्यौरा है। बचाव कार्य 40 घंटे में पूरा हो गया और सभी शव बरामद कर लिए गए। इस प्रकार उन्होंने सही तरीके से सारे बचाव उपाय किए।

जहां तक जांच कराए जाने का संबंध है, कि वहां आंतरिक सुरक्षा संगठन है। लेकिन इसके अतिरिक्त कोल इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन ने एक उच्च स्तरीय जांच समिति नियुक्त की है। उन्होंने पांच अधिकारियों को निलम्बित कर दिया है जिससे कि वे साक्ष्यों के साथ छेड़खानी न कर सकें। विभागीय जांच पूरी होने के बाद ही निलम्बन समाप्त किया गया था। साक्ष्य के पश्चात उन्हें उस स्थान से स्थानान्तरित कर दिया गया...*(व्यवधान)*

**श्री बसुदेव आचार्य** (बांकुरा) : किसी को भी जिम्मेदार नहीं ठहराया गया...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : जांच चल रही है। श्री आचार्य उन्हे अपनी बात पूरी करने दीजिए।

*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री जी के कथन के अतिरिक्त अन्य कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। मैं अनुमति नहीं दूंगा। मैं नेताओं के साथ कोई विशेष बर्ताव नहीं कर सकता।

*(व्यवधान)**

**डा. दासरि नारायण राव** : डी.जी.एम.एस. एक सांविधिक संगठन है और जांच न्यायालय का भी गठन किया गया था। वे पहले ही जांच न्यायालय का गठन कर चुके हैं। लेकिन, वास्तव में बी.सी.सी.एल. के सी.एम.डी. ने एक उच्च स्तरीय समिति का गठन कर दिया है और वह समिति कार्य कर रही है। यदि हमारे पास दो रिपोर्टें होगी, तो मेरे विचार से हम उनका आपस में मिलान कर सकते हैं। परंतु, कल ही हमारी एक बैठक हुई थी। उस बैठक में भी हमने एक ही बात पर चर्चा की थी। हम किसी भी दुर्घटना की न्यायिक जांच कराने पर विचार करना चाहते हैं। मेरे विचार से यह विचाराधीन है। मेरे विचार से हम उसपर चर्चा करने जा रहे हैं। जांच के बारे में हमारा यह दृष्टिकोण है।

मुआवजे के बारे में माननीय सदस्य ने पूछा था कि प्रत्येक मृतक के आश्रितों को कितना मुआवजा दिया गया था। प्रत्येक मृतक के आश्रित 8.78 लाख रुपये से 11 लाख रुपये तक का मुआवजा पाने के हकदार हैं। इसमें 3 लाख रुपये की अनुग्रह राशि भी सम्मिलित है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री राहत कोष में से 1 लाख रुपये स्वीकृत किए हैं और 1 लाख रुपया झारखण्ड के मुख्यमंत्री की ओर से दिया गया है। यह पूरी धनराशि दे दी गई है केवल झारखण्ड के मुख्यमंत्री राहत कोष से 1 लाख रुपया दिया जाना शेष है। यह भी शीघ्र ही दे दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, सभी मृतकों के आश्रितों को भविष्य निधि में से मृतकों की आयु और शेष सेवा अवधि के अनुसार 4-5 लाख रुपये मिलेंगे और अंतिम वेतन के 25 प्रतिशत के बराबर पेंशन मिलेगी। 48 मृतकों के आश्रितों को रोजगार दिया जा चुका है। एक विधवा ने मासिक मुआवजे का विकल्प चुना है। उसका भुगतान किया जाऐगा। यह उसके 60 वर्ष की आयु होने तक 4000 रुपये प्रतिमाह होगा। लेकिन वर्ष 1994 से ही यह 4000 रुपये की राशि निर्धारित हैं वर्ष 1994 में यह राशि निर्धारित की गई थी। इसमें कोई संशोधन नहीं किया गया है? अब, हम इस राशि में संशोधन करने पर विचार कर रहे हैं...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : नहीं, मुझे खेद है, मैं अनुमति नहीं दे सकता।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

**डा. दासरि नारायण राव** : डी.जी.एम.एस. इस मामले की जांच कर रहे हैं। हमें तीन महीने के अंदर-अंदर प्रतिवेदन मिल जाएंगा। उच्चाधिकार प्राप्त समिति एक माह के अंदर-अंदर अपना प्रतिवेदन सौंप देगी। जैसे ही मुझे यह प्रतिवेदन मिल जाएगा उस पर मैं कार्यवाही शुरू कर दूंगा।

---

**अपराह्न 1.07 बजे**

## प्रतिभूति संविदा (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2005

*[अनुवाद]*

**वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम)** : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 में और संशोधन करने वाले विधेयक को वापस लेने की अनुमति दी जाए।

**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है:

"कि प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 में और संशोधन करने वाले विधेयक को वापस लेने की अनुमति दी जाए।"

*प्रस्ताव स्वीकृत हुआ*

**श्री पी. चिदम्बरम** : महोदय, मैं विधेयक वापस लेता हूं।

---

**अपराह्न 1.08 बजे**

## सरकारी विधेयक - पुर:स्थापित

### (एक) सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) विधेयक, 2006*

*[अनुवाद]*

**संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद)** : महोदय, श्री दयानिधि मारन की ओर से मैं प्रस्ताव करता हूं कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 में और संशोधन करने वाले विधेयक को वापस लेने की अनुमति दी जाए।

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 2, दिनांक 15.12.2006 में प्रकाशित।

**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है:

"कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर: स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

**डा. शकील अहमद** : महोदया मैं विधेयक पुर: स्थापित* करता हूं।

---

**अपराह्न 1.08½ बजे**

## (दो) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) विधेयक, 2006**

*[अनुवाद]*

**वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम)** : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है:

"कि प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर: स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

*प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।*

**श्री पी. चिदम्बरम** : महोदय, मैं विधेयक पुर: स्थापित** करता हूं।

---

**अपराह्न 1.09 बजे**

## अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) विधेयक, 2006

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : आज भोजनावकाश नहीं होगा। मद संख्या 26 - श्री पी.आर. किन्डिया।

*(व्यवधान)*

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 2, दिनांक 15.12.2006 में प्रकाशित।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

**अध्यक्ष महोदय** : मैं आपको अवसर नही देता। श्री पी.आर. किन्डिया

*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : मैंने आपको अवसर नहीं दिया।

*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण विधेयक है जिस पर दोनों पक्षो ने चर्चा की मांग की थी। कृपया उनकी बात सुनिए।

*(व्यवधान)**

**अपराह्न 1.09½ बजे**

*(इस समय श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए।)*

**जनजातीय कार्य मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया)** : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि वन में रहने वाली ऐसी अनुसूचित जनजातियों और अन्य परम्परागत वन निवासियों के, जो ऐसे वनों में पीढ़ियो से निवास कर रहे हैं किंतु उनके अधिकारों को अभिलिखित नहीं किया जा सकता है, वन अधिकारों और वन भूमि में अधिभोग को मान्यता देने और उनमें निहित करने वन भूमि में इस प्रकार निहित वन अधिकारों को अभिलिखित करने के लिए संरचना और वन भूमि के संबंध में अधिकारों को ऐसी मान्यता देने और उन्हें निहित करने के लिए अपेक्षित साक्ष्य की प्रकृति के संबंध में उपबंध करने वाले विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा यथा प्रतिवेदित, पर विचार किया जाए।"

**अध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

"कि वन में रहने वाली ऐसी अनुसूचित जनजातियों और अन्य परम्परागत वन निवासियों के जो ऐसे वनों में पीढ़ियों से निवास कर रहे हैं किंतु उनके अधिकारों को अभिलिखित नहीं किया जा सका है, वन अधिकारों और वन भूमि में अधिभोग को मान्यता देने और उनमें निहित करने; वन भूमि में इस प्रकार निहित वन अधिकारों को अभिलिखित करने के लिए संरचना और वन भूमि

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

के संबंध में अधिकारों को ऐसी मान्यता देने और उन्हें निहित करने के लिए अपेक्षित साक्ष्य की प्रकृति के संबंध में उपबंध करने वाले विधेयक संयुक्त समिति द्वारा यथा प्रतिवेदित, पर विचार किया जाए।''

*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : आप अपना संशोधन प्रस्तुत कर सकते हैं। उन्हें परिचालित किया जाएगा। किसी ने भी इसका विरोध नहीं किया है। कृपया अपने स्थान पर वापस जाइये। उन्हे पहले ही परिचालित किया जा चुका है। इस प्रकार का व्यवहार उचित नहीं है। आप एक जिम्मेदार सदस्य हैं। मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं। आप सभा पटल के निकट खड़े होकर इस प्रकार मुझसे बात नहीं कर सकते। कृपया अपने स्थान पर वापस जाइये।

*(व्यवधान)*

**अपराह्न 1.10 बजे**

*(इस समय श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी अपने स्थान पर वापस चले गए)*

*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : येरननायडु जी, आप जानबूझ कर सभा में व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं। मैंने सुबह ही कहा था कि मैं इस विषय को उठाने की अनुमति नहीं दूंगा।

**श्री किन्जरपु येरननायडु** (श्रीकाकुलम) : माननीय अध्यक्ष महोदय, *...(व्यवधान)**

**अध्यक्ष महोदय** : श्री येरननायडु जी, आप मुझे मजबूर कर रहे हैं।

*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : यह पूरी तरह से अनुचित है। मैंने सुबह ही यह स्पष्ट कर दिया था कि इस विषय पर चर्चा नहीं की जा सकती। मैंने यह कहा था। मैंने कोई अनुमति नही दी। आपको गलतफहमी है कि मैंने ऐसा कहा कि प्रश्न काल के पश्चात मैं आपको अनुमति दूंगा। मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। मैंने यह कहा था कि इस विषय को उठाने की अनुमति कभी नहीं दी जा सकती। यदि आप इसे किसी दूसरे तरीके से उठाना चाहते हैं मैं आपको इसकी अनुमति कदापि नहीं दूंगा।

**श्री किन्जरपु येरननायडु** : महोदय, मैंने नोटिस दिया था। *...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : मैंने उसे अस्वीकार कर दिया है।

बैसीमुथियारी जी, यदि आप संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं तो आप संशोधन प्रस्तुत कर सकते हैं।

**श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी** : मैं पहले ही दे चुका हूं।

**अध्यक्ष महोदय** : ठीक है इस पर विचार किया जाएगा।

**श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी** : परंतु इसे स्वीकार कर लिया गया है अथवा नहीं?

**अध्यक्ष महोदय** : आपके संशोधन को परिचालित किया जाएगा।

**श्री बृज किशोर त्रिपाठी** (पुरी) : माननीय अध्यक्ष महोदय संयुक्त संसदीय समिति के प्रतिवेदन को परिचालित नहीं किया गया है।

**अध्यक्ष महोदय** : इसे परिचालित कर दिया गया है।

**अपराह्न 1.12 बजे**

**[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]**

*[हिन्दी]*

**श्री चुएल ओराम** (सुन्दरगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करता हूं लेकिन सरकार को जिस गंभीरता से विचार करके इस बिल को लाना चाहिए था, वैसा नहीं है। जेपीसी की रिपोर्ट की सिफारिशों को हाउस में पहले से सर्कुलेट करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं किया गया।*...(व्यवधान)*

**श्री मोहन सिंह** (देवरिया) : वह अभी मिल रही है।*...(व्यवधान)*

**श्री चुएल ओराम** : जेपीसी का मैम्बर में भी था। जेपीसी रिपोर्ट सर्कुलेट हुई थी लेकिन सरकार उसे मान रही है या नहीं मान रही, जेपीसी रिपोर्ट को फर्दर कैबिनेट में ले जाकर पास किया या नहीं, इस बारे में कुछ मालूम नहीं है।*...(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*[अनुवाद]*

**उपाध्यक्ष महोदय** : श्री जुएल ओराम, आपको अध्यक्षपीठ को संबोधित करना चाहिए। अन्यथा, आपको परेशानी होगी।

*[हिन्दी]*

**श्री जुएल ओराम** : मैं चेयर को ही एड्रैस कर रहा हूं। *...(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**श्री सानछुम्मा खुंगुर बैसीमुथियारी** : उपाध्यक्ष महोदय, यह विधेयक परिचालित नहीं किया गया है। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। *...(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**उपाध्यक्ष महोदय** : रिकार्ड में कुछ नहीं जायेगा।

*(व्यवधान)**

*[अनुवाद]*

**उपाध्यक्ष महोदय** : माननीय अध्यक्ष महोदय ने पहले ही व्यवस्था दे दी है। आपका संशोधन परिचालित कर दिया जाएगा।

*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**उपाध्यक्ष महोदय** : आपकी अमैंडमैंट इन-प्रौसैस है, उसके बाद वे देंगे।

*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रिय़रंजन दासमुंशी)** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहूंगा कि जब विधेयक पुर:स्थापित किया जाता है, उसी समय उसे परिचालित किया जाता है। प्रस्तुत करने के बाद यह स्थायी समिति को जाता है। स्थायी समिति प्रतिवेदन प्रस्तुत करती है। वह भी इस सभा का एक भाग है। तत्पश्चात् सरकार इस पर निर्णय लेती है। यदि सरकार इसे पूरी तरह स्वीकार कर लेती है, तो इसमें कोई समस्या नहीं है। यदि सरकार संशोधन प्रस्तुत करने का निर्णय लेती है, तो सरकार द्वारा संशोधन प्रस्तुत किया जाता है यही कुछ होता है। वह यह क्यों कह रहे हैं कि विधेयक परिचालित नही किया गया है। प्रस्तुत करने के दिन ही इसे परिचालित किया गया था।

**श्री सानछुम्मा खुंगुर बैसीमुथियारी** : हम अपने संशोधन प्रस्ताव कैसे दे सकते हैं?*...(व्यवधान)*

**श्री प्रियरंजन दासमुंशी** : प्रत्येक को संशोधन प्रस्ताव रखने का हक है। अध्यक्ष महोदय ने सुबह ही यह कहा था।

*[हिन्दी]*

**श्री जुएल ओराम** : हम जेपीसी के मैम्बर थे। जेपीसी की रिकमेंडेशन्स हाउस में सर्कुलेट हुई है, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन जेपीसी रिपोर्ट पर सरकार ने क्या किया, उसे माना या नहीं माना, उसमें से आधा माना और आधा नहीं माना। मेरी जो जानकारी है, उसके हिसाब से कैबिनेट ने दो दिन पहले इसे मंजूर किया है। अगर आप इसे दो दिन पहले सर्कुलेट करते, तो आपको इसमें क्या परेशानी होती? हम उसे डिटेल में पढ़ते और अगर फर्दर कोई अमैंडमैंट होती, तो उस बारे में बताते या बोलते। हम इस बिल का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ प्रैस कर रहे हैं। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि सरकार ट्राइबल्स के बारे में ध्यान देने की कोशिश कर रही थी, लेकिन संभव नहीं है। अब सरकार इसे बाध्य हो कर ला रही है, आनंद में नहीं ला रही है। सरकार हम लोगों के प्रैशर से बाध्य होकर इस बिल को ला रही है मैं आपको बताना चाहता हूं कि 13 दिसम्बर, 2005 से इसकी मान्यता होनी चाहिए। जो भी फॉरेस्ट ड्वैलर्स बचे हुए हैं, परिभाषा में जो चेंजिस हैं, उसे मानने के लिए कहा गया था। अब जानकारी मिली है कि मंत्री जी उन्हें मान रहे हैं। आप संशोधन को स्वीकार कर रहे है। जेपीसी ने जिसे रिकमंड किया है, हमें उस बारे में ज्यादा नहीं बोलना है। हमें केवल धन्यवाद देना है। लेकिन आप अभी मान रहे हैं, यह अच्छी बात है। मैं दो-तीन बातें कहना चाहता हूं। तीन जनरेशन का डेफीनीशन - 25 पर जनरेशन 75 ईयर - इसी सरकार ने माना है। यह ठीक है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि इसे नाइंथ शैडयूल में डालना चाहिए। जेपीसी की डिमांड थी, यूनेनीमस रिकमंडेशन थी कि इसमें कोई छेड़छाड़ न की जाये। क्योंकि आप जानते हैं कि बहुत सारी कम्युनिटीज इसमें हल्ला-गुल्ला नहीं कर सकतीं, इसलिए ऐसे नहीं करना चाहिए।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

शैड्यूल्ड ट्राइब्स और फॉरेस्ट ड्वैलर्स की जमीन को रिकग्नाइज या रेग्युलेराइज करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ही नोडल मिनिस्ट्री होगी, लेकिन मैंने इसमें देखा कि फॉरेस्ट डिपार्टमैंट एक्सपर्ट कमेटी आदि बनाएगा, लेकिन वह मंजूर नहीं होगा। सैंचुरी में, नेशनल पार्क में कोर एरिया की डेफीनीशन के लिए हमने जो सुझाव दिया था, सरकार उसमें चेंजिज करने जा रही हैं आपने उन सिफारिशों को पूरा नहीं माना है। आप जब उत्तर देंगे, तब इस बारे में भी हमें बतायें।

माइनर फॉरेस्ट प्रोडयूस - आप जानते हैं कि जंगल या उसके आस-पास बसने वाले ट्राइबल्स और अदर्स जंगल पर आश्रित होते हैं। जंगल के प्रोड्यूस से ही वे अपनी जीविका चलाते हैं। इसमें बांस, स्टोन आदि बहुत सी ऐसी चीजें हैं, जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस में आनी चाहिए। माननीय मंत्री जी ने सर्कुलर में जो दिया है, उसमें कुछ को माना है और बाकियों को नहीं माना। जेपीसी ने क्या रिपोर्ट दी थी और उसे आप क्यों नहीं मानना चाहते हैं, यह भी आप बताइये। आप जानते हैं कि नार्थ ईस्ट में बैम्बू उनका मेजर प्रोड्यूस है। अगर आप उसे माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस में नहीं मानेंगे, तो फिर इस बिल को लाने का कोई मतलब नहीं रह जाता है।

हमने बताया था कि वहां से लोग डिसप्लेस होने से, स्पेशली कोर एरिया से लोग अगर डिसप्लेस होंगे, तो उन्हें जमीन की नेट प्रैजेंट वेल्यू मिलनी चाहिए। आप जानते हैं कि लैंड की जितनी कीमत ऐसेस की जाती है, वह उन्हें पता नहीं है। उस जमीन के नीचे बहुत से मैग्नीज, आयरन और, क्रोमाइट तथा और बहुत से कीमती मिनरल्स होते हैं। इसे देखते हुए, आप जमीन को जो रेट तय करते हैं, वह बहुत कम होता है। उस हिसाब से उनको कम्पेनसैशन देना, सफीशेंट नहीं है। इसके लिए जेपीसी ने अपनी रिपोर्ट भेजी थी कि उसमें नेट प्रैजेंट वेल्यू को ऐसेस करके दिया जाना चाहिए। मैं गांव का रहने वाला हूं। गांव में एक हजार एकड़ जमीन होने पर लोगों के पास 200 एकड़ का पट्टा होता है, लेकिन बाकी 800 एकड़ के ऊपर उस गांव का इनडायरेक्टली राइट होता है। उसमें लकड़ी, बांस या जो कुछ भी हो, वे उसे यूज करते हैं। लेकिन सरकार जब लैंड ट्रांसफर करती है, एक्वीजिशन करती है, तो 200 एकड़ की वेल्यू के हिसाब से कैलकुलेट करते है - यह नहीं होना चाहिए। जेपीसी ने इस बारे में भी पूरी रिपोर्ट दी थी कि उसमें जो कुछ भी है, वह कम्युनिटी यूज के रूप में होना चाहिए। जेपीसी ने ऐसी रिपोर्ट दी थी। माननीय मंत्री जी अपने उत्तर के समय इस बारे में भी बतायें।

मैं इस बिल के संदर्भ में एक-दो बातें और बताना चाहता हूं। जब हम इस मिनिस्ट्री को हैंडल करते थे, आप जानते हैं कि एनडीए सरकार ने पहली बार मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री बनायी। इसका कारण यह है कि एससी-एसटी को अलग कर दिया है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हमने ट्राइबल को स्पेशल अटेंशन देने के लिए यह किया था। दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस सरकार को ढाई साल से अधिक समय हो रहा है, आज तक आपने आदिवासियों के लिए केवल तीन काम किए हैं - पहला यह कि आज आप यह बिल लाए हैं। इसकी काफी समय से हम लोग डिमाण्ड करते रहें हैं। इसके लिए जेपीसी की यूनैनिमस रिकॉमेंडेशन है। दूसरा यह कि नेशनल पॉलिसी आफ ट्राइबल, जिसे आपने वेबसाइट पर दिया है, लेकिन उसे एडाप्ट करके उसमें जो विसंगति है, उसे दूर नहीं किया है और तीसरा यह कि एक छोटा सा कांस्टीट्यूशनल अमेंडमेंट लाकर, आपने बिहार की लोहरा जनजाति से संबंधित प्रावधान को अमेंड किया है। इसके अतिरिक्त पिछले ढाई साल में ट्राइबल्स के लिए आपने अब तक कोई डिसीजन नहीं लिए हैं, जो दुख की बात है। यहां दासमुंशी जी बैठे हुए हैं। मैं कहना चाहता हूं कि आप बाकी लोगों के लिए क्या कर रहे हैं, मैं उसके बारे में ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन आप हमारी अनदेखी कर रहे हैं।

टाइगर्स बिल के बारे में बहुत से लोगों ने बाहर हल्ला-गुल्ला किया कि जंगल खत्म हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। मैंने उनसे पूछा कि अगर यह रेगुलेराइज होगा तो जंगल की कितनी जमीन इसमें आएगी, तो उन लोगों ने कहा कि हमें नहीं मालूम। मैंने उन्हें बताया कि केवल दो प्रतिशत जमीन आएगी, बाकी 98 प्रतिशत में आप बाघ रखिए, भालू रखिए, हिरण रखिए। लेकिन केवल दो प्रतिशत जमीन, जो कि जंगल नहीं है, वहां 0-40 साल से हम लोगों के बाप-दादा रहते आए हैं, खेती करते आ रहे हैं। दुर्भाग्य से वह जमीन रिजर्व्ड फॉरेस्ट या सैंचुरी के नाम से नामित है, जिसकी वजह से हम लोगों का नाम रेवेन्यु रिकॉर्ड्स में नहीं आता है। उनके अधिकारी हर साल वहां आते हैं और पूछते हैं कि यह खेती किसने की है। इस पर उनको कुछ हिस्सा देना पड़ता है। इसी तरह रेवेन्यु वाले आते हैं, उनको भी दीजिए, जबकि हम वहां ऑक्युपेशन में हैं, हम वहां खेती कर रहे हैं। इसमें ग्राम सभा को महत्व दिया गया है, मंत्री जी ने ग्रामसभा को माना है, लेकिन फिर उसमें एक अड़ंगा डाल दिया है कि डिस्ट्रिक्ट को जो भी डिस्प्युट होगा, उस पर डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी का निर्णय फाइनल होगा। आप जानते हैं कि आज भी पैसा ऐक्ट के कारण ग्रामसभा इस बारे में निर्णय करने के लिए पूरी तरह से अधिकृत है कि उस एरिया की जमीन को माइनिंग के लिए देना है या नहीं देना है, इंडस्ट्री के लिए देना है या नहीं, लेकिन उस ग्रामसभा

[श्री जुएल ओराम]

की भी, मिसयूज करके, जमीन उसमें से चली जाती है। आप जानते हैं कि ग्रामसभा का सरपंच या गांव के कुछ लोग अगर डिस्प्युट कर दें और सब-डिवीजनल ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कलेक्टर आदि बड़े-बड़े अधिकारी उस पर फाइनल निर्णय देकर जमीन देने के लिए कहें, तो क्या होगा। इस प्रावधान के कारण हमें बहुत तकलीफ है। हालांकि इससे हमें कुछ राहत मिली है। आप जानते हैं कि गांव में शादी-ब्याह कैसे होते हैं लोग यह देखते हैं कि आपके पास कितनी जमीन है, कितने हल हैं, उसके हिसाब से उसका स्टेटस माना जाता है। अगर ट्राइबल के पास कोई पट्टा नहीं है, उसके पास जमीन नहीं है, तो उसका कोई स्टेटस नहीं है। इसलिए गवर्नर्स कांफ्रेंस में भी यह रिकॉमेड किया गया था कि जिसके पास जमीन नहीं है, उसे जमीन का पट्टा दिया जाए। शैड्यूल एरियाज एण्ड शैड्यूल ट्राइब्स कमीशन, जो भूरिया जी की अध्यक्षता में बना था, उसकी भी रिपोर्ट आपके पास आई है, लेकिन उसे अभी तक पब्लिक नहीं किया गया है। उसमें से कुछ प्रावधान आप मान रहे हैं या नहीं, उस बारे में भी कुछ नहीं कहा गया है। वर्ष 1961 में घेवर कमीशन बना। उसके बाद कोई कमीशन नहीं बना, जबकि अनुच्छेद 339 में प्रावधान है कि हर साल शैड्यूल एरिया और शैड्यूल ट्राइब्स की स्थिति को देखने के लिए एक कमीशन बनना चाहिए जो यह देखे कि प्रावीजन्स का रिवीजन करना है या नहीं करना है, उनको क्या देना है क्या नहीं देना है, उस एरिया के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में क्या होना चाहिए। हमने उनके लिए कमीशन बनाया था, उस समय मैं मंत्री था। उस कमीशन की रिपोर्ट अब आपके पास आई है। आप उसके बारे में क्या निर्णय ले रहे हैं, उसकी रिकमेंडेशन्स को स्वीकार कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, स्कूलों के बारे में, मेडिकल के बारे में और अन्य दूसरी बहुत सी चीजों के बारे में आप क्या निर्णय कर रहे हैं?

महोदय, शैड्यूल एरियाज के बारे में गवर्नर महोदय स्पेशल रिपोर्ट राष्ट्रपति जी को देते हैं। शैड्यूल एरियाज के बारे में गवर्नर को पावर है कि वह उसमें इन्टरवीन करके रिपोर्ट राष्ट्रपति महोदय को संप्रेषित करें। मगर गवर्नर रिपोर्ट ठीक से नहीं हो रही है, ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट ठीक से नहीं हो रही है। हम इसका समर्थन कर रहे हैं, लेकिन केवल पैसे देने से कुछ नहीं होता है। मैं हिसाब करके देख रहा था कि शैड्यूल एरिया के लिए स्पेशल सब-प्लान एरिया 1974-75 से एडमिट हुआ है। लेकिन 1974-1975 से स्पेशल ग्रांट देने के बावजूद हम लोग हर सेक्टर में बहुत पीछे हैं। जितने भी ह्यूमन डैवलपमेंट टैंडेसिज़ के इंडिकेटर्स हैं, उनमें हम लोग बहुत पीछे हैं। बीपीएल में हमारा 50 प्रतिशत से ज्यादा पिछड़ापन है और एजुकेशन में 90 प्रतिशत ड्राप आउट है। इसी तरह से मेडिकल फेसलिटीज भी बहुत कम है। इसलिए सरकार को गंभीरता से इसे डील करना चाहिए। मंत्री जी काफी वरिष्ठ सदस्य हैं, लेकिन देखने में आता है कि वह निर्णय लेने में हमारी सहायता नहीं कर रहे हैं। इस बिल के संबंध में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और कई विभागों ने काफी लॉबिंग की थी, लेकिन वे इसे रोक नहीं पाए। हमने जो इनीशिएटिव लिया था, उसके कारण ही यह बिल आज सदन में चर्चा के लिए प्रस्तुत हुआ है। मैं इसके लिए मंत्री जी को बधाई देता हूं, लेकिन इस बिल में कमियां हैं, जिसे आपने खुद स्वीकार किया है वे आपको दूर करना चाहिए। जब इस बिल पर खंडशः विचार होगा, तब हम इस पर डिटेल से बात करेंगे।

बैसीमुथियारी जी ने भी इस बिल पर काफी कुछ कहना है। इसलिए उपाध्यक्ष जी आप हमें क्लाज बाई क्लाज पर डिसकशन के समय अलाऊ करें, क्योंकि यह बिल आज ही सर्कुलेट हुआ है यह बात ठीक है कि जेपीसी ने 14-15 सीटिंग करके इस बिल को तैयार किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आउट आफ साइट इज आउट ऑफ माइंड। हम लोग काफी समय तक इस चीज से दूर रहे हैं और आदिवासियों की भलाई के लिए सरकार सदन में बिल लाई है।

**उपाध्यक्ष महोदय :** क्लाज बाई क्लाज पर नहीं, आप अभी अपने अमेंडमेंट्स दे दें।

**श्री जुएल ओराम :** उस समय भी हम डिटेल में बोलेंगे। मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इस बिल पर बोलने का समय दिया। साथ ही मैं मंत्री जी को यह बिल सदन में पेश करने के लिए बधाई देता हूं। सिर्फ सत्ता पक्ष ही नहीं, बल्कि विपक्ष भी इस बिल का समर्थन करेगा। ट्राइबल्स के हितों के लिए हम सभी इसका समर्थन कर रहे हैं। मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि वह टाइगर्स के बचाव से ज्यादा ट्राइबल्स की सुरक्षा पर ध्यान दें। जो लोग टाइगर्स को बचाने के लिए इस बिल का विरोध करने के लिए लॉबिंग कर रहे हैं, उनकी बात न मानकर आप ट्राइबल्स की सुरक्षा के बारे में सोचें, तो ज्यादा ठीक रहेगा।

मैं पुनः इस बिल का समर्थन करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं।

**श्री मधुसूदन मिस्त्री (साबरकंठा) :** उपाध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारी की मान्यता) विधेयक, 2006 का मैं समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी** : महोदय, मैं एक बात बहुत ही स्पष्ट रूप से जानना चाहूंगा। यह एक नया विधेयक है। मैंने संशोधन प्रस्ताव रखे हैं...*(व्यवधान)*

**उपाध्यक्ष महोदय** : आपके संशोधन प्रस्ताव पर कार्यवाही की जा रही है।

*(व्यवधान)*

**श्री मधुसूदन मिस्त्री** : महोदय, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। ...*(व्यवधान)*

**उपाध्यक्ष महोदय** : श्री बैसीमुथियारी, कृपया बैठ जाइए।

श्री मधुसूदन मिस्त्री, अब आप अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

*[हिन्दी]*

**श्री मधुसूदन मिस्त्री** : उपाध्यक्ष जी, मैं इस बिल को सदन में पेश करने के लिए देश के प्रधान मंत्री, यूपीए की चेयरपर्सन, सोनिया गांधी जी और सरकार को बधाई देता हूं। इसके साथ ही मैं इस बिल से संबंधित संसद की संयुक्त समिति के सभापति और सदस्यों को भी बधाई देता हूं। उस जेपीसी में मैं भी सदस्य के रूप में शामिल था। जेपीसी ने काफी जद्दोजहद के बाद इस बिल को तैयार किया। जेपीसी ने इसके लिए देश के सभी एरियाज से लगभग 100-125 एनजीओज को बुलाकर उनकी राय ली और एक्सपर्ट्स को भी समिति में बुलाकर राय ली। उसके बाद समिति ने अपनी रिपोर्ट तैयार करके सरकार को सौंपी और यह बिल आज सदन में चर्चा के लिए पेश हुआ है। इस बिल में जो संशोधन आए हैं, जो क्लाज बाई क्लाज कंसिडरेशन के समय पेश होंगे, उन से पता चलता है कि जेपीसी की ज्यादा से ज्यादा सिफारिशों को सरकार ने स्वीकार किया है। मैं इसके लिए सरकार को बधाई देता हूं। काफी समय से देश के आदिवासियों को यह ऐतिहासिक न्याय देने की बात चल रही थी। उसे सेट लाइट करना, इसका मकसद था। सरकार अगर सोचती थी कि इस जमीन का फोरेस्ट लैंड के रूप में सैटलमेंट करेगी, तो कोई सैटलमेंट नहीं हो सकता था। पूरे देश के अंदर जमीन का सैटलमेंट करने के लिए जरूरी है कि अगर आप जमीन जोतते है, तो फोरेस्ट आफिसर से उसकी रिपोर्ट मांगी जाए और उसकी वजह से पूरे देश के अंदर जंगल में रहने वाले जो आदिवासी हैं या दूसरे लोग भी हैं, जो आदिवासी नहीं हैं, लेकिन जंगल में रहते हैं, इस बारे में मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि वर्ष 1951 में जब काका कालेलकर कमीशन पूरे देश में घूमा, तो कितनी ऐसी जातियां थीं, जो जंगल में रहती थीं, लेकिन कई कारणों से एनलिस्ट नहीं हुई। हालांकि उनकी परम्परा, खाना-पीना, रहन-सहन सब कुछ आदिवासियों की तरह है, लेकिन फिर भी वह आदिवासी एसटी जाति के अंतर्गत नहीं आई। ये लोग भी जंगल जोतते हैं और सालों से जोतते आ रहे हैं। इनके पुरखे भी जमीन जोतते थे, लेकिन वे भी आदिवासी नहीं माने गए। इस वजह से उन्हें जमीन नहीं देने की बातचीत हुई और आदिवासी इलाके में रहने वाले लोगों और आदिवासियों के बीच में कांफिलिक्ट होता, इसलिए बहुत सोच-समझ कर जेपीसी ने उन्हें भी इसमें शामिल किया। मुझे खुशी है कि जंगल में रहने वाले जो लोग हैं, जो जमीन जोतते हैं, उस जमीन को 13 दिसम्बर, 2005 तक उन्हें देने की बात सरकार ने मानी। उसके लिए मैं सरकार को बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूं। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इसे लागू करने के लिए ग्राम सभा को पावर दी गई है। इतना ही नहीं अगर किसी के पास लिखित एविडेंस नहीं है तो मौखिक एविडेंस ग्राम सभा से ले सकता है और जमीन प्राप्त कर सकता है। उसके लिए जमीन पर जो झाड़ है, उसकी कितनी आयु है, उस जमीन पर जो टेरिस बना है, वह कब बनाया गया और वह व्यक्ति कितने समय से उस जमीन को जोतता आ रहा है, इन सभी बातों को देखा जाता है और उन्हें जमीन दी जाएगी, ऐसा प्रावधान इसमें किया गया है

महोदय, मैं एक-दो सुझाव और देना चाहता हूं। मैं मानता हूं कि जब पूरे देश में सैटलमेंट का प्रोसेस पूरा हो जाएगा तो जो वायलेंट मूवमेंट देश में चल रहा है, उसमें भी कमी आएगी। फारेस्ट इकोनोमी से लोग एग्रीकल्चर इकोनोमी के अंदर आएंगे, क्योंकि अभी तक ऐसा था कि फारेस्ट के अंदर रहने वाले सिर्फ जंगल की इनकम पर ही निर्भर थे। फारेस्ट इकोनोमी स्पोर्टिंग इकोनोमी नहीं है, मेन इकोनामी तो एग्रीकल्चर इकोनोमी है और इस इलाके के अंदर जो लोग सदियों से जमीन जोतते हैं, उन्हें जमीन पर अधिकार देने की वजह से एग्रीकल्चर इकोनोमी आसानी से मिल सकेगी। इस वजह से उनकी आय बढ़ेगी और जैसा अभी हमारे साथी ने बताया कि ज्यादा से ज्यादा लोग बीपीएल के अंदर रहते है, इससे उनकी आय बढ़ेगी और आय बढ़ने से उनका एग्रीकल्चर इकोनोमी में प्रवेश होगा और बीपीएल की कैटेगिरी में से ये लोग बाहर आ जाएंगे, ऐसा मैं मानता हूं। अभी सामने से ओराम जी ने भी कहा है कि इसमें से स्टोन, फिश निकाले गए। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने फारेस्ट प्रोड्यूस का ऐसा इंटरप्रेटेशन किया है कि फारेस्ट से मिलने वाली सभी चीजें,

[श्री मधुसूदन मिस्त्री]

*[अनुवाद]*

वन उत्पाद हैं, जिसमें मछली और बालू आदि सम्मिलित हैं।

महोदय, यहां तक की गुवाहाटी उच्चन्यायालय ने भी यह कहा है कि यदि वन-क्षेत्र में बालू पाया जाता है, तो यह वन उत्पाद है। इसलिए मैं ऐसा नहीं सोचता कि बालू, मछली, पत्थर आदि को सम्मिलित करने में कोई समस्या होगी। उन्हें इसमें सम्मिलित किया जाना चाहिए, उन्हें इससे बाहर नही किया जाना चाहिए। गुवाहाटी उच्च न्यायालय और इस देश के अन्य कई न्यायालयों ने पहले ही यह प्रमाणित कर दिया है कि वे वन उत्पाद हैं।

*[हिन्दी]*

मेरा दूसरा सुझाव है कि इसमे 25 साल की उम्र रखी गई है। मैं मानता हूं कि मैरिज आयु को 25 साल की बजाए 21 साल कर देना चाहिए।

*[अनुवाद]*

आप एक मिनट चुप रहिए। यह मेरा दृष्टिकोण है। आपके अपने विचार हो सकते है। आपके विचार अच्छे हैं। ये मेरे विचार हैं।

*[हिन्दी]*

जब देश आजाद हुआ उस समय या उसके बाद जो लोग जंगलों में रहते थे, जो इनटाइटल थे, उनकी ऐज को थोड़ा चेंज करना चाहिए। अमैंडमैंट में माइनर फॉरैस्ट प्रोड्यूस बेचने का जिसे अधिकार है, उसे ले जाने का भी अधिकार है। उसमें जो वर्ड ट्रांसपोर्ट था, उसे निकाला गया हैं आज ऐसी परिस्थिति है कि यदि कोई किसी को बेचना चाहे तो उसे फॉरैस्ट डिपार्टमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है। फॉरैस्ट डिपार्टमेंट से पास नहीं मिलेगा तो वह उसे ले जा नहीं सकता है। फॉरैस्ट डिपार्टमेंट का ऐसा एप्रिहैंशन है कि ज्यादा से ज्यादा लोग ट्रक या दूसरी व्हिकल्स में उन्हें लाएंगे और बेचेंगे। इसलिए ट्रांसपोर्ट की जगह कैरी शब्द लगाना चाहिए। साकिल में ले जाएंगे तो कोई प्रॉबलम नहीं होगी। बोट में ले जाता है तो फॉरैस्ट डिपार्टमेंट या दूसरे किसी डिपार्टमेंट को प्रॉबलम नहीं होगी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वह ट्रक में ले जाकर उसे बेचने जाए। मैं जानना चाहता हूं कि कितनी स्टेटस में 1980 तक की जमीन किसी के नाम करने पर स्टे लगा है? बाहर हल्ला किया गया था कि जमीन देने से पूरे जंगल नष्ट हो जाएंगे और पूरे देश की जमीन चली जाएगी। ऐसी कोई डर की बात नहीं होनी चाहिए। कई सरकारों ने 1980 तक की जमीन किसी के नाम करने का रैजोल्यूशन पास किया था। 1980 के बाद की जो जमीन 2 परसैंट बता रहे हैं, वह अभी तक की टोटल ऐसी जमीन है जो 1980 तक जमीन जोतते थे, वे जमीने उनके नाम करने के लिए सरकार ने कहा था, उनका भी उसमें समावेश होता है। सरकार ने 1980 तक की जमीन उनके नाम पर की है लेकिन उसका इम्पलीमैंटेशन कितनी स्टेट्स में बाकी है? 1980 से 2005 के बीच जो जमीन तबदील करके आदिवासियों को दी जाएगी, वह एक छोटा सा सैक्शन है लेकिन इसकी फीगर्स बाहर नही आ रही है। जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं हम उनसे जानना चाहते हैं कि कितनी जमीन इसके अंदर गई है? गुजरात में बहुत सी जमीन फॉरैस्ट डिपार्टमेंट के पास है। अगर एक बार उसमें पौधा लगाएं, वह उगे न उगे, इसकी बात जाने दो, वह टोटल जमीन कवर करें तो 58 साल लगेंगे। हमने यह सब कैलकुलेट किया था। इसमें फॉरैस्ट डिपार्टमेंट कुछ नहीं कर सकता है। टॉप लेअर ऑफ सॉयल बारिश के अंदर धुलते-धुलते दरिया में चला जाता है। इससे पर्वत नंगे हो रहे हैं फॉरैस्ट डिपार्टमेंट ने कितने इलाकों में फैंसिंग की है जैसे कि बॉर्डर में फैंसिंग हो रही हैं ग्रेजिंग हाइली वॉयलेटिड है। फॉरैस्ट प्रोड्यूस के अंदर लगभग सारी बाते सम्मिलित हैं, ग्रेजिंग राइटस कितने गए हैं?

*[अनुवाद]*

वस्तुत: कई राज्यों में, जिसमे मेरा राज्य भी है, पारंपरिक अधिकारों को वन विभाग द्वारा महत्व नहीं दिया जाता है।

*[हिन्दी]*

गाइडलाइन्स और मैन्युअल के पार्ट थ्री में यह बात देने के बावजूद भी उसका वॉयलेशन हो रहा है। हमने जेपीसी की रिपोर्ट देखी है। उसने बहुत विचार करने के बाद अपनी सिफारिशें दी हैं। उन्हें स्वीकार करने पर मैं सरकार का अभिनन्दन करता हूं। जंगल में रहने वाले लोगों के बीच झगड़ा भी होता है।

उस डिस्प्यूट को सैटल करने का प्रॉसेस और मशीनरी दी गई है, लेकिन वह इम्पलीमेंट नहीं होती है। हम 1992 से लड़ रहे हैं। 20,000 से 25,000 लोग अहमदाबाद में जुलूस लेकर गए थे और 39,000 हैक्टेयर जमीन 66,000 किसानों को मिली थी। लेकिन आज तक सरकार 1992 से लेकर 2005 तक सिर्फ 32,000 लोगों की ही जमीन मुहैया करा सकी है, क्योंकि इनके पास न तो सर्वेयर्स हैं,

न डिमार्किट करने वाले हैं और न ही हैंडओवर करने वाले हैं। जिसे पट्टा दिया गया है, उसे जमीन के कल्टीवेशन राइट्स दिए गए हैं और वे उस जमीन के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जाते हैं, लेकिन जिसने प्लांटेशन किया है, वहां से उसे बेदखल किया जा रहा है। इसमें और भी चीजें इसलिए मैं मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि 13 दिसंबर, 2005 से पहले इस देश में जो लोग जंगल में जमीन जोतते थे, अगर उन्हें उनके राइटस के अगेंस्ट जमीन से हटाया गया है तो उन्हें वापस वहीं पर बसाया जाए। जिस जमीन पर वे तीन जनरेशन से ज्यादा रह चुके हैं, उन्हें राइट्स दिए जाएं और जमीन वापिस दी जाए।

फॉरेस्ट प्रोडयूस के संबंध में देखा गया है कि माइनर फॉरेस्ट प्रोडयूज नेशनलाइजेशन एक्ट की वजह से ज्यादातर फॉरेस्ट प्रोड्यूज को नेशनेलाइज किया गया है। इस नेशनलाइजेशन के अंदर महुआ, सालसी और तेंदू पत्ता तीन मेजर इनकम वाले प्रोड्यूस आते हैं। हर स्टेट में फॉरेस्ट डेवलपमेंट सबसे ज्यादा पेसा इसी से कमाता है और कम से कम पैसा कलैक्शन करके लाने वालों को देता है। वे किसी वर्कर्स लॉ के अंतर्गत नहीं आते हैं, किसी मजदूर कानून के अंतर्गत नहीं आते हैं। कितने लोग झाड़ से नीचे गिर जाते हैं और कितनी बार उन्हें पैसा नहीं दिया जाता है उन्हें कितनी बार व्यापारी पैसा दिए बिना भाग जाते हैं, हमारे देश में इन सबको सैटल करने के लिए एक ही चीज है लेकिन किसी को फारेस्ट प्रोड्यूस से सबसटीट्यूट करना, इसे मैं नहीं मानता हूं।, इसलिए मेरी मिनिस्टर साहब से डिमांड है कि जिस तरह से एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन है, उसी तरह से देश में फॉरेस्ट प्रोड्यूस प्राइस कमीशन सेटअप होना चाहिए, जो हर साल फॉरेस्ट प्रोड्यूस का सपोर्टिंग प्राइस तय करें अगर उस रेट से कम में चीज बिकती है तो उसे सरकार या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट खरीदे, और अगर उसे व्यापारी से ज्यादा दाम मिलता है *[अनुवाद]* उन्हें इसे कहीं भी बेचने की अनुमति होनी चाहिए।

*[हिन्दी]*

आज मध्य प्रदेश में तेंदू पत्ता समस्त मध्य प्रदेश एक्सचेकर में इतनी बड़ी इनकम देने वाली चीज हो गई है, लेकिन जो लीव कलैक्टर हैं, जिनमें आदिवासी और गैर आदिवासी भी हैं, उनकी परिस्थिति में कोई फर्क नहीं पड़ा है। उन्हें चालीस रुपए प्रति सौ बंडल रेट मिल रहा है, ज्यादा से ज्यादा पांच रुपए बोनस के मिल जाते हैं, *[अनुवाद]* मध्य प्रदेश में केवल तेंदू के पत्ते से ही राज्य को 300 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई हो रही थी।

*[हिन्दी]*

जब मध्य प्रदेश संयुक्त राज्य था। लेकिन जो लोग जंगल में रहने वाले हैं, जिनके राइट्स डिफाइन किए गए हैं, जो लोग यह काम करते हैं उनको इसे बेचने की पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए। लेकिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हर चीज में अड़ंगा लगाता है और उसकी डेफिनीशन को और टाइट करता है, जिससे वे लोग काम न कर सकें। इस परिस्थिति से बचाने के लिए यह बिल रास्ता निकालेगा।

मैं एक और बात की ओर ट्राइबल मिनिस्टर और आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि *[अनुवाद]* भारतीय वन अधिनियम, वन्य जीव संरक्षक अधिनियम, पशु चारागाह अधिनियम, पर्यावरण एवं जैवविविधता अधिनियम *[हिन्दी]* जितने एक्ट हैं, ये फॉरेस्ट प्रोड्यूस बेस पर जितने भी ऑक्यूपेशन्स हैं, उन्हें एन्क्रेज नहीं, बल्कि डिस्क्रेज करते हैं। अगर आप जंगलवासी हैं, तो उनकी परमिशन के बगैर कुछ कर नहीं सकते, जंगल से लकड़ी नहीं ला सकते। अगर आपको फॉरेस्ट प्रोड्यूस से कोई चीज बनानी है या इंकम कमानी है, तो नहीं हो सकता है। वे बांस से कोई चीज नहीं बना सकते हैं। मान लीजिए कि अगर मेरे खेत के बांस से मैं टोकरी बनाऊंगा तो मुझे प्रूव करना होगा कि ये बांस मैं जंगल से नहीं लाया हूं, यह मैंने अपने खेत में *[अनुवाद]* मुझे साबित करना है। साबित करने की जिम्मेदारी विभाग नहीं बल्कि उस व्यक्ति की है

*[हिन्दी]*

लेकिन वे प्रूव करते हैं कि ये घास, पत्ते और बांस जंगल में से लाए हैं, जबकि आपको प्रूव करना होगा कि आप जंगल में से नहीं लाए हैं।

इसकी वजह से इस देश के पूरे आदिवासी इलाके, जिनकी जनसंख्या आठ परसैन्ट है, उन सभी इलाकों का आज जंगल के रॉ मैटिरियल के ऊपर ऑकुपेशन बेस्ट जो उनका डेवलपमैन्ट होना चाहिए था, वह नहीं हुआ। इसी वजह से जो लैन्ड है, वह लैन्ड ट्रांसफर नहीं की गई, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर इकोनोमी में लोग नहीं आ सके। जितने भी डैम्स बने, वे ट्राइबल एरियाज में बने, जिससे सारा पानी नीचे चला गया, पानी ऊपर नहीं ले जा सके। इसलिए एग्रीकल्चर का वहां डैवलपमैन्ट नहीं हुआ। वाटर शैड डैवलपमैन्ट में भी यही प्राब्लम है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा स्कीमें पूरी नहीं हो सकीं। इसी वजह से पूरे देश में एक स्टारवेशन जैसी सिचुएशन हैं जहां पत्थर मैदानों में जाता है, पानी मैदानों में जाता है, फॉरेस्ट प्रोड्यूस मैदानों में जाती है और जो बाकी कुछ बचा था, लेकिन अब सैकड़ों नहीं

[श्री मधुसूदन मिस्त्री]

हजारों, लाखों की संख्या में सारा आदिवासी समुदाय, जंगलों में रहने वाला समुदाय, खेत मजदूरों के रूप में, कंस्ट्रक्शन लेबर और दूसरे छोटे धंधों में लगने के लिए, ट्राइबल एरियाज से दूसरे एरियाज में माइग्रेट करते हैं।

*[अनुवाद]*

महोदय यह उपयुक्त समय है, और माननीय मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि वे इस पर गौर करें और पूरी जनजातीय उप-योजना की समीक्षा करें।

*[हिन्दी]*

ट्राइबल सब-प्लान के अंदर जो पैसा स्टेट्स को दिया जाता है, उसका बहुत ज्यादा डाइवर्जन होता है। लेकिन ट्राइबल सब-प्लान के अंदर, चाहे कितने चेंजिज करने की जरूरत है या नहीं, केवल यही नहीं, इस पापुलेशन के साथ, पूरे देश में जो पापुलेशन है, उनके रिसोर्सेज और स्टेट्स के रिसोर्सेज उसके साथ जाते हैं, या नहीं - ये सब चीजें ट्राइबल एरिया सब-प्लान के रिव्यू के अंदर भी हमें देखनी पड़ेंगी। इसी तरह से एस.सी. और एस.टी. के बारे में जो रिर्वेशन का बिल आया था, वह इसके साथ इसलिए जुड़ा है, क्योंकि वह इंकम एश्योर करता है।

*[अनुवाद]*

कृषि से आय सुनिश्चित हो रही है। सिंचाई से आय सुनिश्चित हो रही है।

*[हिन्दी]*

इसीलिए जो लैन्ड है, उस लैन्ड का मालिकाना हक उनके नाम में ट्रांसफर होने के बाद उनका जमीन पर जो अधिकार होगा, उस अधिकार की वजह से उनकी आर्थिक परिस्थिति में बहुत बड़े सुधार आयेंगे, ऐसा हमारा मानना है। इसमें जे.पी.सी. ने जितनी रिकमैन्डेशंस दी हैं, उनमें से ज्यादा से ज्यादा रिकमैन्डेशंस को उन्होंने स्वीकार किया है, जिसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूं, लेकिन इसके साथ ही मैं उनसे कहना चाहता हूं...

**उपाध्यक्ष महोदय :** मिस्त्री जी, बीस मिनट हो गये हैं। अभी बहुत से स्पीकर बोलने वाले हैं।

**श्री मधुसूदन मिस्त्री :** मैं समाप्त कर रहा हूं इसमें बहुत सी क्लाजेज है, उनमें से क्लाज 2(1) के अंदर यह लिखा है - " *[अनुवाद]* जलाने की लकड़ी और पत्थर, स्लेट और बोल्डर्स जैसे" *[हिन्दी]* जो प्रोडक्ट्स ओमिट की गई हैं, उन्हें वापस इसके अंदर डालना चाहिए। उन्हें हटाना नहीं चाहिए। इसमें 25 साल की उम्र के स्थान पर 21 साल की उम्र करनी चाहिए। ट्रांसपोर्ट को जो क्लाज 3(1) सी अमैन्ड किया गया है, उसमें मैं मानता हूं कि ट्रांसपोर्ट के बजाय, उसमें कैरी शब्द करना चाहिएं मैं यह भी मानता हूं कि क्लाज 4 (2) बी. में लिखा है–

*[अनुवाद]*

"... सभी अधिकार प्राप्त लोगों की सहमति तथा स्वतंत्र पारिस्थिति और सामाजिक वैज्ञानिकों के परामर्श से"

*[हिन्दी]*

यह जरूरी है और इसे उसमें रखना चाहिए। इसी तरह से क्लाज 4/7 और 4/8 में हम ऐसा मानते हैं कि इसे भी रखना चाहिए। ऐसे कितने ही क्लाजेज हैं, जिनके रखने से काफी अंतर पड़ सकता है।

अंत में मैं कहना चाहता हूं कि यदि इसे इम्पलीमैन्ट करना है तो ट्राइबल मिनिस्ट्री और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट दोनों को मिलकर, बहुत बड़ा एक्स्ट्रा फंड देकर, सर्वे करवा कर, इन जमीनों को डिमार्केट किया जाए और उनके हवाले किया जाए, जो लोग नेशनल पार्क्स और सैंक्चुएरीज में जिस जमीन को सदियों से जोतते आ रहे हैं, उनको वहां से हनी कॉम्बिंग न करते हुए एक पैरिफैरी में यह जमीन दी जाए। इसके अलावा आज का जो सर्कुलर है कि नेशनल पार्क और सैंक्चुएरी 1980 के बाद यदि एक बार डिक्लेयर हो जाए, तो उसमें उस आदमी को यह जमीन नहीं दी जाती है, जो उस जमीन को जोतता है - यह ठीक नहीं है। मेरे हिसाब से यदि उन्हें यह जमीन अंदर नहीं देते तो पैरिफैरी के ऊपर देनी चाहिए। इस सर्कुलर में बहुत बड़े चेंजिज लाने चाहिए। मैं फिर से इस सरकार को, मिनिस्टर को, हमारी चेयरपर्सन को और माननीय प्रधान मंत्री जी को यह बिल लाने के लिए बधाई देता हूं। इसके कारण आज पूरे देश के अंदर आदिवासी और जंगलों में रहने वाले लोगों में आशा जगी है, उनमें आशा का संचार हुआ है। इससे यू.पी.ए. के प्रोग्राम का एक और कमिटमैन्ट पूरा हुआ है। सिर्फ इसके इम्पलीमैन्टेशन के बारे में मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि इस बिल के पास होने के बाद जल्दी से जल्दी

इसका इम्पलीमैन्टेशन हो और वैरी एटीट्यूड ऑफ दि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में कुछ बदलाव आये, जब ट्राइबल मिनिस्ट्री अलग हुई है, इसलिए ट्राइबल मिनिस्ट्री अपने में खुद एक मैकेनिज्म तैयार करे। जिसकी वजह से इन लोगों को जमीन पूरे देश के अंदर मिले। मैं ऐसा मानता हूं कि गरीबों की जिन्दगी में नया सूरज उगना है और हमारी सरकार को जो गरीबों की तरफ कमिटमेंट है, वह आज हमारे सामने है। मैं एक बार फिर से इस सरकार को, हमारे माननीय मंत्री जी को और सभी को बधाई देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

*[अनुवाद]*

**श्री बाजू बन रियान** (त्रिपुरा पूर्व) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा में भाग लेने के अवसर प्रदान करने के लिए आपका धन्यवाद।

मैं महसूस करता हूं कि संप्रग सरकार ने उस ऐतिहासिक गलती को ठीक करने के लिए एक कदम बढ़ाया है, जिसे अंग्रेजी शासन काल से उत्तरोत्तर चली आ रही सरकारों ने ठीक नहीं किया। अंग्रेजी शासनकाल के दौरान उन्होने 1846 में वन अधिनियम और 1927 में भारतीय वन अधिनियम बनाया था। भारतीय वनों में रहने वाले जन जातिय लोगों को इन्ही अधिनियमों के उपबंधों के अंतर्गत नियंत्रित किया जाता था।

हमारे देश को आजादी प्राप्त हुए 59 वर्ष हो गए हैं। एक देश के रूप में भारत ने तरक्की की है और इन 59 सालों में भारतीय जनता ने भी उन्नति की है। लेकिन देश की कुल आबादी के अनुसूचित जन-जाति के नौ प्रतिशत लोगों की सामाजिक-आर्थिक दशा बद से बदत्तर हुई है इस समय गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले अधिकांश लोग अनुसूचित जन-जाति के हैं। अनुसूचित जनजाति के लोगों जो पारंपरिक रूप से वनो में रहते आ रहे हैं, की लंबे समय से मांग रही है कि उनके अधिकारों को सरकार द्वारा मान्यता दी जानी चाहिए, लेकिन सरकार ने उस पर अब तक ध्यान नहीं दिया हैं यह संपग्र सरकार कम-से-कम एक ऐतिहासिक विधेयक जरूर लायी है। इस ऐतिहासिक विधेयक के साथ ही मैं उम्मीद करता हूं कि भारत में गरीब जन जातीय लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और देश में उनकी भी कुछ हिस्सेदारी होगी।

हमारे पास भारतीय वन संरक्षण अधिनियम, 1980 है। उस अधिनियम के उपबंधों के अंतर्गत सरकार इस बात से सहमत थी कि लाखो लोग वन क्षेत्रों में रह रहे हैं। तथापि, सरकार ने उन लोगों, जो पारंपरिक रूप से वन क्षेत्र में रहे रहे है, को अतिक्रमणकारी घोषित कर दिया सरकार ने ऐसी 43 लाख हेक्टेयर भूमि की पहचान की, जिस पर जनजातीय लोगों का अनधिकृत रूप से कब्जा है। इसमें से लगभग 25 लाख हेक्टेयर भूमि पर रह रहे जनजातीय लोगों को हटा दिया गया है जबकि अन्य अभी भी वहां रहे रहे हैं। मैं नही समझता कि ये जन-जातीय लोग और वनो में संरक्षित क्षेत्रों में रहने वाले अन्य लोगो अनधिकृत कब्जाधारी लोग हैं। वे अंग्रेजी शासन काल से ही वहां रह रहे हैं वे अपनी आजीविका के लिए वन-उत्पादों का उपयोग करते हैं।

इस विधेयक के उद्देश्यों और कारणों के कथन में सरकार ने बताया है कि वन में रहने वाले जनजातिय लोगों और वनों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है। एक दूसरे के बिना कोई जीवित नहीं रह सकता है। यह बिल्कुल सत्य हैं। यही तथ्य है। ये लोग वनों में जीवन यापन करते है और इन वनो की रक्षा करते है। देश के लगभग सभी भागों में वन नष्ट किए जा रहे है। जनजातिय लोग वनो को नष्ट नहीं कर रहे है बल्कि इच्छुक व्यक्ति और वन ठेकेदार इन्हें नष्ट कर रहे हैं। क्या वनों से नष्ट करना सरकार की नीति है? यह विधेयक जनजातीय कार्य विभाग द्वारा लाया गया है। मुझे संदेह है। पर्यावरण और वन मंत्रालय सरकार के वन विभागों और अन्य विभागों, को एक-दूसरे के समन्वय से कार्य करना चाहिए और जनजातीय लोगो के हितो की ईमानदारी के साथ देखभाल करनी चाहिए। यदि काफी लंबे समय से वनो में रह रहे जनजातीय लोगो को वहां से हटाया जाता है तो यह उनके लिए काफी कठिन होगा। वे साबित नहीं कर सकते है कि वे लंबे समय से वहां रहे है क्योंकि उनके पास कोई राजस्व रिकार्ड नही हैं। रिकार्ड के लिए उनके पास छोटी छोटी झुग्गियां हैं, कुछ पेड़ है और वनों में अन्य मूल्यवान लकड़ियां हैं। उनके पास कोई ऐसी चीजे नहीं है जिसमें वे यह साबित कर सकें कि वे काफी लम्बे समय से वहां रह रहे हैं।

मैं आशा करता हूं कि इस विधेयक के माध्यम से जनजातीय कार्य विभाग भविष्य में उन्हें जमीन भी देगा। स्वतंत्रता के पश्चात इन जनजातीय लोगों को हमारे देश के किसी भी भाग में जनजातीय के रूप में मान्यता नहीं दी गइ थी।

मैं त्रिपुरा में हूं और अनुसूचित जनजाति समुदाय से हूं। मैं त्रिपुरा में रियांग समुदाय से हूं। मेरे रिश्तेदार उसी समुदाय से है और उसी संस्कृति से अपनाने वाले है, वे भी असम में रह रहे है लेकिन उन्हें अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता नही दी गई है। इस विधेयक के पारित होने के पश्चात् त्रिपुरा के रियांग समुदाय के लोगो को

[श्री बाबू बन रियान]

तो भूमि मिल जाएगी लेकिन असम के रियांग समुदाय के लोगों को भूमि नहीं मिलेगी। उन क्षेत्रों में उन्हें परम्परागत वन निवासी कहा गया है। इस प्रकार से पूरे देश में ऐसे काफी लोग है जिन्हें परम्परागत वन निवासी कहा जाता है और वे वन उत्पादों पर निर्भर रहते है और उनकी आजीविका वन है। जब यह विधेयक लोकसभा में पुर:स्थापित किया गया था तो इस परम्परागत वन निवासियों के बारे में विचार नही किया गया था। संयुक्त संसदीय समिति में उनके साक्षियों और उन लोगो को बुलाया गया था जो समिति के समक्ष साक्ष्य देना चाहते थे...*(व्यवधान)*

**उपाध्यक्ष महोदय** : आपके दल के तीन वक्ताओं के नाम दिए है और आप पहले ही आठ मिनट से अधिक समय ले चुके हैं।

**श्री बाबू बन रियान** : मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं।

संयुक्त संसदीय समिति के समक्ष काफी लोग साक्षी के रूप में प्रस्तुत हुए थे। मैं भी इस संयुक्त संसदीय समिति जे.पी.सी. का सदस्य था। हमने कुछ गैर-सरकारी संगठनों सहित काफी लोगो की जांच की थी। उन्होंने हमें बताया कि गडरिया समुदाय को देश के किसी भी भाग में अनुसूचित जनजाति के रूप में नहीं लिया जाता उनकी आजीविका और उनकी आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखा जाता है कि कौन जनजातीय लोग होंगे। लेकिन वास्तव में वे जनजातीय लोग है लेकिन उन्हें जनजातीय लोगों के रूप में नही माना जाता हैं। जेपीसी के प्रतिवेदन पर विचार करने के पश्चात् सरकार ने इसे स्वीकार किया है और आज इसे परिचालित किया हैं मैने देखा है कि कुछ संशोधन स्वीकार किए गए है। जेपीसी की सिफारिशों के अनुसार संशोधन में परम्परागत वन निवासियों के अधिकारों को भी यहां मान्यता दी जाएगी। इस प्रकार वे भी इस विधेयक में लाभान्वित होगें।

अपराह्न 2.00 बजे

**उपाध्यक्ष महोदय** : कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए। यदि आप और समय लेते हैं तो आपके दल के सदस्यों को बोलने के लिए समय नहीं मिलेगा।

**श्री बाबू बन रियान** : महोदय, हमारी आजादी के पिछले 59 वर्षों से उनके साथ अन्याय किया गया है। संप्रग सरकार ऐसी पहली सरकार है जिसने जनजातीय लोगों के अधिकारों को मान्यता दी है। अब प्रश्न यह है कि लाभर्थियों की पहचान कौन करेगा। पंचायतें, ग्राम सभाएं और कुछ स्थानों पर गांव समितियां मुख्य निकाय होगीं जो लाभार्थियों की पहचान करेंगी। मैं सरकार का धन्यवाद करता हूं कि उसने सभा के समक्ष यह विधेयक प्रस्तुत किया है।

*[हिन्दी]*

**श्री रामजीलाल सुमन** (फिरोज़ाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं समाजवादी पार्टी की तरफ से अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) विधेयक, 2006 का समर्थन करता हूं। जो आदिवासी हैं, जंगल में रहने वाले लोग हैं, उन्हें अधिकार मिले, यह बहुत समय से मांग की जाती रही थी, आज के इस अवसर पर कई सालों से जो जन संगठन, समाजसेवी संगठन इस सवाल को लेकर सक्रिय थे, हम उन्हें भी धन्यवाद देते हैं कि एक लम्बी लड़ाई के बाद उन्हें इंसाफ मिला है।

उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने यह बिल पेश किया, फिर संयुक्त संसदीय समिति बनी, मैं इस अवसर पर संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष, श्री किशोर चंद जी और उनके समस्त साथियों को, जिन्होंने इस समिति में काम किया, उन्हें भी धन्यवाद देता हूं कि बहुत परिश्रम करने के बाद बहुत अच्छी संस्तुतियां उन्होंने सरकार को दी।

उपाध्यक्ष महोदय, विधेयक के प्रारम्भ में ही यह लिखा गया है कि स्वतंत्र भारत में राज्य वनों को समेकित करते समय उनकी पैतृक भूमि पर वन अधिकार और उनके निवास को पर्याप्त रूप से मान्यता नहीं दी गई थी, जिसके परिणाम स्वरूप उस वन में रहने वाले अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासियों के प्रति एतिहासिक अन्याय हुआ है। हम सब लोग स्वीकार करते हैं कि एक लम्बे अर्से से जो आदिवासी और जंगल में रहने वाले लोग थे, उनके साथ इंसाफ नहीं हुआ। कहा यह जाता है कि हमारे संविधान में आदिवासियों की सुरक्षा के लिए करीब 25 प्रावधान हैं, लेकिन आदिवासी इलाकों के लिए जो अंग्रेजों का बनाया हुआ कानून था, वह कानून ही बराबर हमारे देश में चलता रहा। भारतीय वन अधिनियम 1927, भू-अधिग्रहण नियम 1894, पुलिस कानून 1860, जो पुराना कानून है, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत सरकार से कहना चाहूंगा कि बदलते परिवेश में जो कानून अव्यवहारिक हो गए हैं, उन कानूनों में भी तब्दीली या सुधार करने की आवश्यकता है। विभिन्न विकास परियोजनाओं के नाम पर लगभग दो करोड़ आदिवासियों को उनकी जमीन से बेदखल किया गया। यूपीए का जो घोषणा-पत्र था, उसकी प्रतिबद्धता थी और जब प्रारंभ में संयुक्त अधिवेशन हुआ तो राष्ट्रपति जी ने भी अपने अभिभाषण में जंगल में रहने वाले जो लोग थे, उनके लिए कानून बने, इसकी

वकालत की थी। लगभग आठ करोड़ लोग जंगल में रहते हैं और 1862 में अंग्रेजी हुकूमत ने उपनिवेशवाद को मजबूत बनाने के लिए तथा भारत के प्राकृतिक संसाधनों का बेदर्दी से दोहन करने के लिए वन विभाग की स्थापना की थी।

उपाध्यक्ष महोदय, जो सिलसिला अंग्रेजों के जमाने से शुरू हुआ, वही सिलसिला आज तक हमारे देश में चला आ रहा है हमारे देश में जो जंगल थे, वे घटकर सिर्फ 20 प्रतिशत रह गए हैं। ये जंगल आदिवासियों अथवा वहां रहने वाले लोगों ने बर्बाद नहीं किए, बल्कि फॉरेस्ट एवं वनमाफियाओ के लोगों ने बर्बाद किए। अंधाधुंध कटाई फारेस्ट के लोगों की देख-रेख में होती रही है। बेदर्दी से जंगलों की कटाई होने का परिणाम यह हुआ कि आज देश में सिर्फ 20 प्रतिशत जंगल रह गए हैं।

महोदय, मंत्री जी ने यह जो अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) विधेयक, 2006 प्रस्तुत किया है इसमें कहा गया है कि–

*[अनुवाद]*

"राज्य सरकार **ग्राम सभा द्वारा तैयार किए गए वन अधिकारों के अभिलेख पर विचार करने और इनका अंतिम रूप से अनुमोदन करने के लिए जिला स्तर की समिति का गठन करेगी। अधिकारों से संबंधित अभिलेख पर जिला स्तर की समिति का विनिश्चय अंतिम और बाध्यकारी होगा। राज्य सरकार वन अधिकारों की मान्यता और उनके निहित होने की प्रक्रिया की निगरानी करने के लिए और ऐसी विवरणियों और रिपोर्टों को, जिनकी नोडल अभिकरण द्वारा मांग की जाए, ऐसे अभिकरण को प्रस्तुत करने के लिए स्तर की निगरानी समिति का गठन करेगी। राज्य"

*[हिन्दी]*

उपाध्यक्ष महोदय, यह तो सही है कि यह जमीन देने की प्रक्रिया शुरू होगी और ग्राम सभा को यह अधिकार होगा कि ग्राम सभा रैवेन्यू रिकॉर्ड को देखकर कौन पात्र व्यक्ति है, कौन सा समुदाय पात्र है, उसे देखकर, उसका रिकॉर्ड तैयार करेगा और रिकार्ड तैयार कर के प्रस्ताव पास कर के तालुका कमेटी को भेज देगा और जो पीड़ित आदमी है, यदि उसे कोई ऐतराज है, तो वह 60 दिन के अंदर अपना ऐतराज दर्ज कराएगा। तालुका कमेटी के बाद भी यदि किसी को दिक्कत है, तो वह जिला कमेटी के पास जाए। मैं कहना चाहूंगा कि इन कमेटियों के जो सदस्य होंगे उनमें एक राजस्व विभाग का अधिकारी होगा, एक वन विभाग का अधिकारी होगा, एक आदिवासी विभाग का अधिकारी होगा और पंचायतीराज संस्थाओं से दो आदिवासी और एक महिला प्रतिनिधि होगी। ग्राम पंचायतों को छोड़कर विभिन्न स्तरों पर इनके अध्यक्ष कौन होंगे, इनके हैड कौन होंगे, इस बारे में यह विधेयक मौन है। उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि इन कमेटियों में पीड़ित पक्षों के नुमाइंदे नहीं होंगे, उनकी बात रखने वाला कोई नहीं होगा और अधिकारियों की ज्यादा दखलंदाजी रहेगी, तो उनके साथ इंसाफ नहीं होगा। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि इन कमेटियों को व्यापक बनाए जाने की आवश्यकता है। इनमें प्रयास होना चाहिए कि जनता के प्रतिनिधि अधिक से अधिक हों, उनका हस्तक्षेप ज्यादा से ज्यादा हो और विभिन्न स्तरों पर जनप्रतिनिधि उनके अध्यक्ष होने चाहिए।

महोदय, पूर्व में जब यह विधेयक सदन में प्रस्तुत किया गया था, तो आधा-अधूरा प्रस्तुत किया गया था, लेकिन उसके बाद मांग आने पर इसे संसद की संयुक्त समिति को सौंपा गया। मैं संसदीय संयुक्त समिति के चेयरमैन और उनके साथियों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने बिल में खामियों और कमियों को दूर कर सदन में एक महत्वपूर्ण एवं व्यापक विधेयक के रूप में प्रस्तुत करने हेतु उपयुक्त सुझाव दिए। इस प्रकार से इस सदन ने जंगलों में रहने वाले लोगों और आदिवासियों को इंसाफ दिलाने का काम किया है इससे निश्चित रूप से जो सैकड़ों वर्षों से उपेक्षित थे, उनको हक मिलेगा। मैं अपनी समाजवादी पार्टी की ओर से इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

**श्री राम कृपाल यादव** (पटना : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा करने का अवसर प्रदान किया। आज सरकार ने अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) विधेयक, 2006 प्रस्तुत किया है। इस संबंध में सरकार द्वारा जो विधेयक पहले प्रस्तुत किया गया था, उसमें जो कमियां और खामियां थीं, उन्हें दूर करने और एक व्यापक विधेयक सदन में प्रस्तुत करने हेतु इसे संसद की संयुक्त समिति को भेजा गया और संयुक्त समिति ने इस पर विस्तार से विचार-विमर्श कर के जो सुझाव दिए उनके अनुसार अब यह विधेयक सदन में लाया गया है। मैं सबसे पहले माननीय मंत्री जी को और यू.पी.ए. सरकार के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया और उस ऐतिहासिक निर्णय के बाद इस विधेयक को यहां लाने का काम किया है इस देश की

[श्री राम कृपाल यादव]

आबादी का लगभग नौ प्रतिशत अनुसूचित जनजातियों की आबादी है, जिनका पूर्व काल से, वर्षों से वनों से संबंध रहा है। मगर विडम्बना यह थी कि वन में तो वे आदि काल से रहते आ रहे थे, मगर कुछ कानूनी व्यवधान की वजह से वन का उनका अधिकार नहीं था और वे अपनी जीविका सही ढंग से उपार्जित नहीं कर पा रहे थे। कई तरह के व्यवधान थे, जो अंग्रेजो के समय बने हुए पुराने कानून थे, उन कानूनों की वजह से उनके हाथों-पैरों में बेड़ियां सी बंध गई थीं और ऐसे बहुत सारे कानून हैं, जिन कानूनों के माध्यम से और ऐसे बहुत सारे कानून हैं, जो वर्तमान परिस्थिति और परिवेश में जो अंग्रेजों के जमाने के बने हुए कानून चले आ रहे हैं। आज हालात बदल गये हैं, परिवेश बदल गया है, परिवर्तन हो गया है, लोगों की सोच बदल गई है, आवश्यकताएं भी हैं, उसके अनुसार समय-समय पर मैं देख रहा हूं कि यू.पी.ए. सरकार ने कई ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं, जो पुराने कानूनों की बंदिश को तोड़कर लोगों को स्वतंत्र करने का काम किया है। मैं समझता हूं कि इस कानून के माध्यम से खास तौर पर इस देश का जो सबसे गरीब, आर्थिक विपन्नता है, जिसमें अशिक्षा है, जिसको परेशानी है, आज भी आप चले जाइये, कई गांवों में सुदूर इलाके हैं, जंगलों में खास तौर पर जहां आदिवासी रहते हैं, वहां लगेगा ही नहीं कि हिन्दुस्तान के 59 साल के बाद उन तक आजादी पहुंच पाई है, हमारे जैसे लोगों को देखकर वे डरकर भाग जाते हैं, आदिवासियों की ऐसी स्थितियां हैं। इस देश के मूल इतिहास में, चाहे इस दुनिया के मूल इतिहास में उन्हीं का इतिहास है, उन्हीं के माध्यम से हमारी इतनी बड़ी जैनरेशन फैली है और हमारी दुनिया फैली है। मगर आज वही उपेक्षित हैं, जो मानव जाति के पैदा करने वाले लोग हैं, वही उपेक्षित हैं, वही परेशान हालत में हैं, वही बदहाली की हालत में हैं। निश्चित तौर पर यह कानून की सहायता प्रदान करने का काम करेगा। अब वे उससे रोजी-रोटी कमा सकते हैं। आज भी वे छत के नीचे नहीं रहते हैं, करोड़ों ऐसे आदिवासी हैं, जिनके सिर पर छत नहीं है, वे कपड़ा नहीं पहनते, आज भी उनके पास साधनों की कमी है, शिक्षा की कमी है, सरकार वैसे अनवरत प्रयास कर रही है कि उन तक हम साधान मुहैया करायें, उन तक शिक्षा ले जायें, उनको अपलिफ्ट करने का काम करें। मैं समझता हूं कि इस कानून के माध्यम से जब उनको अधिकार मिल जायेगा तो वे व्यवसाय कर पाएंगे। बड़े पैमाने पर हमारे जंगलों को काट दिया गया है, बड़े-बड़े ठेकेदारों के माध्यम से, बड़े-बड़े भू-माफियाओं के कारण से। जंगल और आदिवासी दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं। कि दोनों एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते। आज भी आदिवासियों को आप शहर के इलाके में लाकर रख दीजिए तो वे रह नहीं पाएंगे, वे जी नहीं पाएंगे। बहुत सारे ऐसे आदिवासी हैं, जिनको शहर की रौनक को देखने से ही डर लगेगा। इसलिए मैं समझता हूं कि यह महत्वपूर्ण कदम है, सरकार ने बहुत सोच-समझकर इसे लाया है। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जो संयुक्त समिति ने प्रावधान दिया है, बहुत बारीकी से कई स्तरों पर, जो इस विधेयक में कमी थी, उन कमियों को दूर करने का काम किया है और मैं समझता हूं कि इस कानून के माध्यम से आदिवासियों में जो विपन्नता है, जो आर्थिक परेशानी है, उससे वे निकल पाएंगे और कुछ हद तक वे अपने पैरों पर खड़े हो पाएंगे, जब यह अधिकार उन्हें मिल जायेगा तो वे अपनी रोजी-रोटी की व्यवस्था कर सकते हैं और मैं समझता हूं कि वे आगे बढ़ने में सहायक भूमिका अदा करनी पड़ेगी, लेकिन हम माननीय मंत्री जी एक निवेदन करेंगे कि बहुत सारे कानून बने हैं। आज भी बहुत सारे कानून हैं, लोगों के उत्थान के लिए, लोगों को कल्याण के लिए, लेकिन कोई सरजमीं पर नहीं आ पाते हैं, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता है तो जो आशंका और शक हैं, कई माननीय सदस्यों ने अपनी भावनाएं रखी हैं। मैं निवेदन करूंगा कि कानून जरूर बनाइये, यू.पी.ए. सरकार ही है, जो बहुत सारे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में जो कमिटमेंट है, लोगों के उत्थान के लिए जो इस देश में आने वाली जो अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ रोता, कलपता, बिलखता हुआ व्यक्ति है, उसको आगे ले जाने का काम हम कानूनों के माध्यम से, हम अपने प्रयासों के माध्यम से, अपनी इच्छा-शक्ति से कर सकते हैं इस इच्छाशक्ति के बल पर आप इस कानून को लाये हैं मैं समझता हूं कि उस इच्छा-शक्ति के बल पर जिस कानून को हम बना रहे हैं, उस कानून को सरजमीं पर लाइये और जनजातियों की, आदिवासियों की, जिनकी आबादी 9 प्रतिशत है, जो इस देश की सबसे अंतिम पंक्ति में बैठे हुए निराश लोग हैं, जिन्होंने आजादी की किरण तक नहीं देखी है, उस तक पहुंचाने का काम कीजिए।

इस विधेयक का मैं पुनः स्वागत करता हूं और माननीय मंत्री जी का, यू.पी.ए. सरकार का और माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए और जो लोग छूट गये हैं, उनको भी इसमें जोड़ने का काम कीजिए, ताकि उनको भी न्याय मिल सके। इसमें बहुत सारी जातियां अभी छूट गई हैं, उन छूटे हुए लोगों को भी इसमें जोड़िये, ताकि उनको भी न्याय मिल सके। वे भी आर्थिक विपन्नता से जूझ रहे हैं, इस कानून की मदद से वे भी आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। मैं पुनः इस विधेयक का समर्थन करते हुए आपको धन्यवाद देता हूं।

*...(व्यवधान)*

**उपाध्यक्ष महोदय** : मेरे पास आपका नाम अभी तक नहीं आया है।

*[अनुवाद]*

**श्री ए. कृष्णास्वामी** (श्रीपेरुम्बुदूर) : महोदय, मैं इस विधेयक के संबंध में दो-तीन बातें कहना चाहता हूं।

सबसे पहले, मैं संबंधित स्थायी समिति के सभापति श्री चन्द्रदेव को धन्यवाद करना चाहता हूं क्योंकि उन्होंने इस विधेयक से संबंधित समस्याओं का हल ढूंढने के लिए काफी मेहनत की है। मैं भी इस समिति का सदस्य रह चुका हूं और मैं जानता हूं कि उन्हें सभी वर्गों, के जनजातीय लोगों और अधिकारियों को बुलाने में और उनके साक्ष्य लेने में काफी प्रयास करने पड़े है। उन्होंने कुछ सुझाव दिए हैं और सरकार ने स्थायी समिति के अधिकतर सुझावों को मान लिया हैं। अत:, मै सभापति महोदय और भारत सरकार का धन्यवाद करता हूं। मैं केवल यही नहीं कहना चाहता हूं। यह विधेयक अनन्य रूप से अनुसूचित जनजाती में रहने वाले अन्य वन निवासियों को चाहे वे अनुसूचित जाति के हों अथवा पिछड़े वर्ग से संबद्ध हों भी इसमें शामिल करने के लिए सघंर्ष किया है ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें।

इस विधेयक में वह सिफारिश भी स्वीकार कर ली गई है और यह विधेयक पारित होने वाला है।

उन्होंने वन भूमि से संबंधित कुछ खण्डों का उल्लेख किया हैं। वन भूमि में वन के आसपास की भूमि भी शामिल है जिसे वनभूमि के रूप में उपयोग किया गया है। वनभूमि के बारे में इस बात पर कोई दो भिन्न राय नहीं है। लेकिन वन भूमि के निकट काफी भूमि खाली है जहां मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग के लोग काफी वर्षो से रहते हैं। वह भूमि उन्हें नहीं दी गई है जबकि वे कई सालों से वहां रह रहे हैं।

मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह राज्य सरकारों को निर्देश दें कि वह उन लोगों को ऐसी भूमि का पट्टा दे जहां वे लगातार कई वर्षों से रह रहे हैं।

खण्ड 6 में ग्रामसभा के अधिकारों के बारे में बताया गया है। ग्राम सभाओं के पास की प्रकृति और विस्तार निर्धारण के लिए शक्ति होगी। मैं इस बात का स्वागत करता हूं। ग्राम सभा को वन भूमि की पहचान करने की भी और शक्तियां दी गई है और उसे संकल्प पारित करने की शक्ति भी है और इन संकल्पों के साथ सरकार अथवा न्यायालय इस विषय में संबंधिम मामलो को उठा सकते है।

स्थायी समिति की एक अन्य सिफारिश चरवाहा समुदाय के बारे में है। मदुरै में मुझे इस संबंध में एक शिकायत मिली है। पर्वतीय क्षेत्रों में पारम्परिक चरवाह समुदाय होते हैं जिन्हें चरागाह भूमि पर अपनी गाय-भैंस चराने का अधिकार होता है।

मैंने इसकी पुरजोर सिफारिश की और उसे समिति और सरकार द्वारा स्वीकार किया गया हैं मैंने इसकी जोरदार सिफारिश की थी। इसे समिति के साथ-2 भारत सरकार ने भी स्वीकार किया हैं अब मैं खंड 10 उद्धत करना चाहता हूं:

> "कोई भी न्यायालय इस अधिनियम की धारा 9 के अधीन किसी अपराध का तब तक संज्ञान नहीं करेगा जब तक कि वन में रहने वाली अनुसूचित जनजाति, किसी ग्राम सभा के संकल्प से संबंधित किसी विवाद के मामले में या...."

मैं इसका स्वागत करता हूं क्योंकि पिछले 100 वर्षो से वन अधिकारी वनो की रक्षा करने के नाम पर अपनी शक्तियों का दुरूपयोग कर रहे है और जनजातीय लोगों को दबाने का भरसक प्रयास कर रहे है। इस विधेयक के खण्ड 10 द्वारा इसे हटा दिया गया हैं लेकिन खण्ड 12 में "सदभावनापूर्वक की गई कार्यवाही की संरक्षा" के बारे में बताया गया है।

> "इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई भी बात, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाहियां केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी के विरुद्ध नहीं होंगी।"

मुझे "सदभावनापूर्वक" शब्द के बारे में आशंका है। जो अधिकारी बुद्धिमान है वे अपनी चालाकी में हर किसी को यह जतला कर कि वे यह काम सदभावनापूर्वक कर रहे है, जनजातीय लोगो को अपना शिकार बना सकते है। अत: हमें इस खण्ड 12 की ध्यानपूर्वक जांच करनी होगी। हमें 'सदभावनापूर्वक' शब्दो का लोप करना होगा और इसे खण्ड 10 की तरह ही रखना होगा। मेरा माननीय मंत्री जी से यही विनम्र अनुरोध हैं।

महोदय, आज संप्रग सरकार यह विधेयक लाई हैं। कल उन्होने केन्द्रीय संस्थाओं में आरक्षण संबंधी विधेयक प्रस्तुत किया था। यह

[श्री ए. कृष्णास्वामी]

सरकार दलितों के लिए और उन्हें सामाजिक न्याय दिलाने के लिए कार्य कर रही हैं इसलिए, द्रुमुक पार्टी की ओर से मैं इस विधेयक का स्वागत करने के साथ-2 इसका भी समर्थन करता हूं।

**श्री ब्रह्मानन्द पंडा** (जगतसिंहपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, इस ऐतिहासिक कानून का प्रस्ताव रखने के लिए मैं माननीय मंत्री को बधाई देता हूं। मुझे गर्व है कि हमारे सांस्कृतिक विकास का सूत्रपात वनों के माध्यम से हुआ है। हम सबने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि वनों ने सांस्कृतिक विकास में सर्वश्रेष्ठ भूमिका निभाई है।

श्री रविन्द्र नाथ टैगोर के अनुसार भारतीय संस्कृति की विशिष्टता इस बात में निहित है कि वनों में जीवन व्यतीत करना सांस्कृतिक विकास का सर्वोच्च सोपान है। पश्चिमी सभ्यता का निर्माण ईंटों और लकड़ी से हुआ है। इसका आधार शहरों में है। परंतु भारतीय सभ्यता इस मामलों में विशिष्ट हैं क्योंकि इसकी पुनरूत्थान सामग्री और बौद्धिक सम्पदा के स्रोत वनों में हैं, न कि शहरों में। जनजातीय लोगों और प्राणवान प्रकृति के बीच के घनिष्ठ संबंध प्रकृति के स्रोत बने।

मुझे गर्व है कि मेरा देवता जनजातीय है। आप जानते हैं कि जनजातीय लोग शताब्दियों से सेवा, पूजा कर रहे हैं। हमारे कर्मठ नेता, स्वर्गीय श्री बीजू पटनायक, जो विश्व के अंतर्राष्ट्रीय नक्शे पर राष्ट्रीय हीरों के रूप में उभरे और इण्डोनेशिया के "भूमिपुत्र" कहलाए, का यह सपना था कि वनों का समुचित संरक्षण किया जाए और जनजातीय लोगों को सामाजिक, राजनीतिक और प्रशासनिक अधिकार दिए जाएं। सामाजिक, राजनीतिक और प्रशासनिक अधिकार दिए जाने चाहिए। तदनुसार, उनके मुख्यमंत्रित्व काल के दौरान आदिवासियों और जनजातीय लोगों को कुछ पुलिस शक्तियां प्रदान की गईं। वर्तमान मुख्यमंत्री का लोकप्रिय नारा है - जनजातीय लोगों के हितों और उनकी वन भूमि की रक्षा करना।

**अपराह्न 2.25 बजे**

[**श्री मोहन सिंह** *पीठासीन हुए*]

प्रस्तावित विधेयक में उन अनुसूचित जनजातीयों के लिए मान्यता देने की बात कही गई है जिन्हें कभी यह सभी परम्परागत अधिकार प्राप्त थे। हमारा प्रयास है कि इस ऐतिहासिक अन्याय को समाप्त किया जाए। दुर्भाग्य से, इस विधेयक को कुछ आलोचनाओं का शिकार होना पड़ा है। कहा जाता है कि यह धारणा अथवा जानकारी गलत हैं मुझे आशा है कि उपयुक्त समय पर इस मिथ्या धारणा और अस्पष्टता का निवारण किया जाएगा। जब कोई नया कानून पेश किया जाएगा तो अस्पष्टता निश्चित रूप से परिलक्षित होगी।

अनुसूचित जनजाति वन अधिकार विधेयक, नि:संदेह, प्रगतिवादी कानून है। आदिवासियों और जनजातीय लोगों के भूमि अधिकारों की रक्षा करने के संबंध में बहुत ही विधिसम्मत और नीतिसम्मत तर्क दिए गए हैं। अनेक मामलों में, ये जनजातीय लोग इस भूमि के वासी हैं। परंतु उनके पूर्वजों से अनेक अनुचित तरीकों से उनसे यह भूमि छीन ली थी। उपनिवेश काल और स्वतंत्र भारत में भी उनके अधिकारों और जीविकोपार्जन को ध्यान में रखे बिना वन क्षेत्रों की सीमा का निर्धारण किया गया।

जैसा कि आप जानते हैं कि इस विधेयक की दूसरी आलोचना यह है कि यह नेताओं और बाबुओं के लिए अनुकूल है। जनजातीय लोगों को वनों के अंदर अपनी भूमि पर रहने का अधिकार मिलना चाहिए और उनके रहने के स्थानों से कोई छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए। मैं माननीय मंत्री से निवेदन करता हूं कि वह मेरे विनम्र निवेदन पर ध्यान दें।

महोदय, उड़ीसा, विशाल वन क्षेत्रों वाला ही बहुत ही सुन्दर राज्य है। मेरी मातृभाषा में कहावत है।

बनानी विभूषा मंदिर मालिनी
प्रकृति गन्ता घर।

उड़ीसा घने जंगलों, विशद प्राकृतिक संसाधनों और भगवान जगन्नाथ जैसे मन्दिरों से परिपूर्ण है जिनमें जनजातीय लोगों को सेवा और पूजा करने का अधिकार सदियों से प्राप्त है। यह बात शान्ति व बंधुत्व, सामाजिक एकता का पाठ पढ़ाने में सहायक सिद्ध हुई है। यही धर्म निरपेक्षता का वास्तविक संदेश है। भगवान जगन्नाथ के मंदिर से यह संदेश प्रवाहित हो रहा है। भगवान जगन्नाथ स्वयं भी वन में रहे। इस क्षेत्र के पर्वत को नील शैल के नाम से जाना जाता हैं

प्रस्तावित जनजातीय विधेयक अत्यधिक मतभेद और विरोध को जन्म देता है। कहा जाता है कि यह विधेयक चीजों को सही दिशा में लाने का प्रयास है। परंतु मेरे मन में यह विचार आता है कि यह जनजातीय विधेयक जनजातीय लोगों को एकता के सूत्र में पिरोने में निश्चित ही कारगर सिद्ध होगा। उन्हें ऐसा लगेगा कि वे इस भूमि

के सच्चे वारिस हैं क्योंकि उन्हें सदियों से इस बात का गर्व है। हमें जनजातीय लोगों के सामाजिक विकास और सांस्कृतिक उत्थान पर गर्व होता है। इसका वास्तविक सूत्रपात जनजातीय लोगों से हुआ है। इसलिए, जनजातीय लोगों की उन्नति के लिए माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया यह विधेयक वास्तव में एक बेहद प्रगतिवादी कानून है। इसके परिणामस्वरूप, उनके अधिकारों की भली भांति सुरक्षा की जा सकेगी।

इस संदर्भ में, मैं इस सम्माननीय सभा का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि हमारे राज्य के वन क्षेत्रों में पड़ोसी राज्यों और बंगलादेश से भी लोगों द्वारा भूमि का अतिक्रमण जारी है और वे वनों को छिन्न-भिन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। ये लोग वन क्षेत्रों को कृषि योग्य भूमि में परिवर्तित कर रहे हैं और इस भूमि पर अपने मकानों का निर्माण कर रहे हैं। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इन कारगुजारियों को रोकने के लिए इस विधेयक में सुरक्षा के उपाय करें।

इसके अतिरिक्त, मैं कहना चाहता हूं कि संयुक्त समिति ने सुझाव दिया था कि इन अधिकारों का निर्धारण ग्राम सभा द्वारा किया जाएगा। ऐसी स्थिति में, इन क्षेत्रों में अनाधिकार प्रवेश करने वालों को कैसे रोका जाएगा? सरकार को इस बात की जांच करनी चाहिए। मानचित्र के अनुसार वहां वन क्षेत्र है, परंतु वास्तव में कुछ स्थानों पर किसी प्रकार के वन नहीं है।

मैं यह और कहना चाहता हूं कि वन सम्पदा को राज्यों के नियंत्रण में लाया जाए क्योंकि हजारों किलोमीटर दूर दिल्ली की केन्द्र सरकार हमारे देश के विभिन्न भागों में स्थित वन क्षेत्रों की देखभाल नहीं कर सकती। इसलिए, इसे राज्य सरकारों के नियंत्रण में लाया जाए।

इन शब्दों के साथ, इस विधेयक पर बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। यह बेहद प्रगतिवादी कानून है। इसलिए, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

*[हिन्दी]*

**श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता** (हज़ारीबाग) : सभापति महोदय, सबसे पहले मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। मैं यूपीए सरकार को भी बधाई देता हूं कि साझा मिनिमम कार्यक्रम में आदिवासी और गरीब लोग जो जंगल में वास करते हैं, उनके लिए जो विधेयक लाने की बात थी, उसे इन्होंने पूरा किया है। इस विधेयक के लिए जो जेपीसी कमेटी बनी थी, उसने जो सुझाव दिये, उन सुझावों को इस सरकार ने मान लिया। मैं उस कमेटी के सभी सदस्यों को भी बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने इस विधेयक को मूल रूप से जमीन पर लाने का काम किया।

सभापति महोदय, हिन्दुस्तान को आजाद हुए लगभग 60 वर्ष हो गये हैं। लेकिन पहली बार आदिवासी गरीब लोगों के लिए एक ऐतिहासिक बिल आया है। जो आदिवासी गरीब जंगल में रहते हैं, आप देखेंगे, झारखंड को मुझे अनुभव है, इसके बगल में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा है। जो आदिवासी इलाके हैं, वहां पर यदि आदिवासी लोगों ने लकड़ी काट ली या कुछ और जंगल के प्रोड्यूस को यूज कर लिया, तो इसके तहत उन पर केस कर दिया जाता है। वहां की कोर्ट में 50-60 परसेंट केसेज आदिवासियों पर दर्ज हैं। मुझे अनुभव है कि सैंकड़ों आदिवासी जंगल के केस में जेल जाते हैं और वहीं पर उनकी मृत्यु हो जाती है। इस विधेयक में कहीं चर्चा नहीं है कि जंगल में आदिवासियों पर जो केस चल रहे हैं जिनकी संख्या लाखों में होगी, उन केसों को सरकार वापस ले रही है। मेरी मांग है कि यहां से स्टेट गवर्नमैंट को डायरेक्शन जानी चाहिए कि उन केसों को वापस लिया जाये। अगर ऐसा नहीं है तो फिर इस बिल को लाने का कोई फायदा नहीं है। ये केसेज ऐसे ही चलते रहेंगे। अभी मंत्री जी ने कहा कि जनरेशन को 25 कर रखा है। यदि तीन जनरेशन की बात कही है तो तीन जनरेशन के हिसाब से 75 साल हो जायेंगे। हमने अमेंडमैंट में दिया है कि इसे घटाकर 15 से 18 वर्ष करना चाहिए ताकि सही मायने में यह विधेयक जमीन पर आ सके। जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि जिस क्षेत्र में आदिवासी रहते हैं, हमारा तो झारखण्ड में यह अनुभव रहा है, चाहे वह शहीद बिरसा मुण्डा रहे हों, चाहे सिद्ध व कान्हू रहे हों, आदिवासियों ने आजादी की लड़ाई में उस समय भाग लिया जब देश के दूसरे भागों में आजादी के आंदोलन शुरू भी नहीं हुए थे। यह है आदिवासियों का इतिहास, लेकिन आज आदिवासी बहुत तकलीफ में हैं। जो आदिवासी जंगल में रहते हैं, उनका हर तरह से शोषण हो रहा है, वे सबसे ज्यादा शोषित होते हैं और वे ही सबसे ज्यादा उपेक्षित हैं। उनकी जंगल में या बाहर जो भी जमीन है, उस जमीन पर महाजनों का अधिकार है। थोड़े से पैसे या अनाज देकर महाजनों ने उनकी जमीनों पर अधिकार जमा लिया है। इसलिए मेरा कहना है कि आदिवासियों की जो जमीनें महाजनों ने छीनी हुई हैं, उसके संबंध में भी केन्द्र सरकार को सोचना चाहिए और इसके लिए एक विधेयक लाना चाहिए और वह जमीन आदिवासियों, गरीबों, दलितों को महाजनों से वापस दिलवाना चाहिए। यह जो अमेंडमैंट आया है, उसके पेज संख्या 3 और 4 पर लिखा गया है:

[श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता]

*[अनुवाद]*

"ईंधनकाष्ठ और उसी प्रकार के पत्थर, स्लेट और बाउलडर्स तथा जलाशयों से उत्पाद जिनमें मछली, अपतृण सम्मिलित है.."

*[हिन्दी]*

मेरा निवेदन है कि इसे ऑमिट करना चाहिए, इसे नहीं मानना चाहिए, इससे आदिवासियों के हित और अधिकारों पर चोट पहुंचेगी। जो अधिकार उनको देने की बात कही गयी है, उनसे वे वंचित हो जाएंगे। फॉरेस्ट अधिकारी लोग कहते हैं कि आदिवासी जंगलों के दुश्मन हैं। मैं उनको बताना चाहता हूं कि अगर सबसे ज्यादा किसी को वन और वृक्ष से प्रेम है तो वह आदिवासी लोग हैं। हमारे यहां सरमा त्यौहार होता है, करमा त्योहार होता है, इन सभी त्योहारों में लोग वृक्षों की पूजा करते हैं और राखी बांधते हैं। ऐसा करके वे आदिवासी वृक्ष और वन की हिफाजत करने की बात करते हैं। उनको वनों से स्नेह और प्राकृतिक प्रेम होता है। आज भी बहुत बड़े पैमाने पर खो विशेर, पहाड़िया आदि जनजातियों का जीवनस्तर बहुत नीचे है। इन जनजातियों की संख्या दिन-प्रति-दिन कम होती जा रही है। मंत्री जी के पास इसका सर्वे होगी, उससे पता चलता होगा कि आज इस क्षेत्र में निवास करने वाली आदिम जनजातियों की संख्या में कमी आती जा रही है। कैसे इन जनजातियों का उत्थान हो, कैसे उनको बचाया जा सके, इसके लिए विचार करने की जरूरत है। आदिवासियों की शिक्षा, स्वास्थ्य पर ज्यादा चर्चा इस बिल में नहीं की गयी है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आदिवासियों की शिक्षा, स्वास्थ्य और रहन-सहन का स्तर सुधारने के लिए एक स्पेशल बिल लाना चाहिए। मैं झारखण्ड से आता हूं जहां 32 प्रतिशत आबादी आदिवासी है, इसे आदिवासी राज्य के नाम से जाना जाता है। आज लोग पलायन करके इधर-उधर जा रहे हैं, उनके लिए कोई रोजगार नहीं है आज वन की जो हालत है वह वन पदाधिकारियों और वन-माफियाओं की वजह से है। वे लोग वनों को काटकर करोड़ो रुपए कमा रहे हैं और इसका दोष आदिवासियों को देते हैं। वन में रहने वाले आदिवासियों को यह जो अधिकार दिए गए हैं, वह सराहनीय है। उसके साथ ही साथ वन से जो प्रोड्यूस होते हैं, जैसा कि माननीय सदस्यों ने कहा है, पर आदिवासियों का अधिकार होना चाहिए और आदिवासियों के विकास के लिए, एससी-एसटी के विकास के लिए एक योजना बनानी चाहिए।

अंत में मैं यह कहना चाहता हूं कि आदिवासियों के कल्याण केलिए जो फण्ड दिए जाते हैं, चाहे वह केन्द्र सरकार से दिए जाते हैं या राज्य सरकार द्वारा दिए जाते हैं, वह सही मायने में जमीन पर खर्च नहीं होते हैं। इसलिए आप देखेंगे कि लाखों आदिवासी नंगे और भूखे रहते हैं, उनकी महिलाएं एक ही साड़ी को पहनकर और उसी को ओढ़कर जीवन व्यतीत करती हैं। आज आदिवासियों की यह हालत है।

यह बिल लाने के लिए मैं आपको और केन्द्र सरकार को बधाई देता हूं और इसमें आदिवासियों के विकास के लिए जो कमी रह गयी है, उसे पूरा करें।

**श्री महावीर भगोरा** (सलूम्बर) : सभापति महोदय, जनजातीय मंत्री जी द्वारा पेश किए गए अनुसूचित जनजाति और अन्य पंरपरागत वन निवासी (वन अधिकारों को मान्यता) विधेयक, 2006 पर सदन में चर्चा हो रही है। मैं उससे अपने को सम्बद्ध करते हुए इस बिल के संबंध में गठित की गई संसद की संयुक्त समिति के सभापति और सभी माननीय सदस्यों का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने कड़ी मेहनत करके, विचार विमर्श करके अपनी तरफ से सरकार को सिफारिशें प्रस्तुत कीं। हालांकि पहले जो बिल प्रस्तुत किया गया था, उसमें उन सिफारिशों को सम्मिलित नहीं किया गया था। अभी मंत्री जी ने इस बिल में जिन संशोधनों का ब्यौरा दिया है, उससे लगता है कि यह बिल आदिवासियों को कुछ राहत देगा।

आदिवासी लोग बरसों से वनों में या उसके आसपास रहते आए हैं। वे अपने अधिकारों के लिए लगातार संघर्ष करते रहे हैं, परंतु उसकी सुनवाई आजादी के 59 साल बाद आज हो रही है। मैं इसके लिए मंत्री जी को और सरकार को धन्यवाद देता हूं। जुएल ओराम जी द्वारा, मिस्त्री जी द्वारा और माननीय श्री रामजीलाल सुमन द्वारा कही गई बातों से मैं सहमति दर्शाते हुए अपने को उनसे सम्बद्ध करता हूं।

देश की आजादी के बाद आदिवासियों की आबादी 12 प्रतिशत थी। 1991 में 8.08 प्रतिशत और दस साल की ग्रोथ साढ़े तीन प्रतिशत के करीब है। उसे अगर जोड़ दें तो यह करीब 12 प्रतिशत होती है। वनों पर आजादी के पहले आदिवासियों को अधिकार था। ब्रिटिश सरकार आई, तो उसने अपना कानून बनाया, परंतु वन उपज का हिस्सा निश्चित रूप से जनजातियों को दिया जाता था। अब वन सुरक्षा समितियों को यह अधिकार दिया गया है कि वे अपने क्षेत्र के वनों की सुरक्षा करेंगी और जो वहां उत्पन्न होगा, उसमें से 50 प्रतिशत उन्हें मिलेगा।

वनों के लिए आरक्षित भूमि अपेक्षा के अनुसार 33 प्रतिशत है, जिसके मुताबिक इतनी वन सम्पदा देश में होनी चाहिए। लेकिन सुमन जी ने वह 20 प्रतिशत कही है। मेरी जानकारी के अनुसार वास्तव में वह नौ प्रतिशत ही रह गई है। उसके क्षेत्र का विस्तार करके कैसे उसे 33 प्रतिशत पर लाएं, इसके लिए आवश्यक है कि हम वन क्षेत्र का कुछ हिस्सा उन आदिवासियों और आसपास रहने वाले लोगों को दे दें। वन विभाग वृक्ष लगाने के लिए जो राशि खर्च करता है, उसी अनुपात में उन्हें भी वह पैसा दिया जाए और यदि दोनों में प्रतियोगिता हो कि वन विभाग कितने वृक्ष लगाता है और आदिवासी कितने लगाते हैं, तो मैं दावे से कह सकता हूं कि वनों का आदिवासी अधिक विस्तार करेंगे। सुरक्षा की दृष्टि से फैंसिंग का काम अगर आदिवासियों को दे दिया जाए, तो निश्चित रूप से वे वनों का काफी विस्तार करेंगे, ऐसा मैं भरोसा दिलाता हूं।

मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं। संसद की संयुक्त समिति ने इस संबंध में जो सुझाव दिए हैं, उन्हें पूर्णत: मानते हुए शत-प्रतिशत इस विधेयक में शामिल करके फिर इसे पारित किया जाए, ताकि जो वनवासियों के जो बरसों पुराने अधिकार हैं, उनसे उन्हें वंचित न किया जा सके और उन्हें राहत मिले, जिससे वे अपना जीवनयापन सही कर सकें।

श्री सन्दीप दीक्षित (पूर्वी दिल्ली) : सभापति महोदय, काफी संदर्भ इस बिल के बारे में दिया जा चुका है, लेकिन मैं दो-चार बातें जरूर सदन के सामने रखूंगा। यह जो बिल आया है, एकरूप में बड़ा क्रांतिकारी बिल है। मेरे ख्याल से पहली बार पिछले 80 या 100 साल के अंदर जब 1927 में फारेस्ट एक्ट आया था हिन्दुस्तान में, जिसकी बात आदिवासियों के हक में कही गई थीं, वे बातें केवल कागजों में और पालिसी स्टेट्मेंट्स पर ही कही गई है। मेरा ख्याल है कि पहली बार कोई ठोस कदम उठाया जा रहा है, जहां एक लीगल सैंटिटी उन बातों को मानने के लिए दी जाती है। हिंदी फिल्म का एक गाना है "हम लाए है तूफान से किश्ती निकाल कर", मेरे ख्याल से यह बिल उससे भी ज्यादा जद्दोजहद के बाद संसद में आया है श्री ओराम ने कहा था कि इस बिल को लाने में कई दिक्कतें हैं। मैं मानता हूं कि आज भी हिन्दुस्तान में ऐसा समाज है जिसमें कसक है कि यह बिल किसी रूप में ही सही, लेकिन आया है इतने सालों में जब पूरा का पूरा जंगल प्रबंधन फारेस्ट विभाग के पास है, आप रायपुर चले जाइए, बिलासपुर चले जाइए, टिम्बर माफिया की बड़ी-बड़ी कालोनियां वहां हैं, उनकी बड़ी-बड़ी कोठियां हैं, बड़े-बड़े घर खदान माफिया के हैं, लेकिन मैंने किसी आदिवासी के बड़े घर आज तक नहीं देखें हैं, जिन पर उंगुली उठाई जाती है कि वे जंगल काटते हैं। मैंने बड़ी-बड़ी कांफ्रेंसिस जंगल विभाग की देखी हैं, वहां आदिवासी को केवल केस स्टडी के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन उन वर्कशाप्स में प्रमुख वक्ता के रूप में उन्हें कभी सामने नहीं आने दिया जाता है। जो व्यक्ति जंगल में रहता है, जिसका जीवन जंगल पर निर्भर है, उसे कठपुतली के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। यह बहुत दुर्भाग्य की बात है कि जब से संसद का इससे संबंधित एक्ट आया है, हर एक्ट में, हर पालिसी में कहा गया है कि सबसे पहले आदिवासियों का या जंगल में रहने वाले दूसरे लोगों का हक निर्धारित किया जाएगा, उसे पेपर पर लिखा जाएगा, उसके बाद दूसरे काम किए जाएंगे, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। 1951-52 में जब सरदार पटेल के प्रयासों से पूरा भारत एक हुआ, बहुत से राज्य अपने मन से और कुछ हिंदुस्तानी फौजों के प्रभाव से हिन्दुस्तान में आए, तो उस समय जो जंगल बने हुए थे, उनकी एक परिभाषा बना दी गई, उसे अंदर रहने वाले लोगों के अधिकार को शून्य के रूप में मान लिया गया। मैं इस बात पर भी सवाल उठाता हूं कि 1950-51 में जंगल की एक नीति बनी थी, जिसमें कहा गया था कि हिन्दुस्तान की एक तिहाई भूमि को जंगल किया जाए। मैं पूछना चाहता हूं कि एक तिहाई भूमि को ही जंगल क्यों? 18 या 20 प्रतिशत जंगल था या 25 प्रतिशत जंगल था तो आपने 7-8 प्रतिशत बढ़ा दिया, किस बेस पर आपने भूमि को बढ़ाया? यह वही भूमि बढ़ाई गई, जहां आदिवासी रहते थे, गरीब लोग रहते थे, जो बोल नहीं पाते थे, वे लोग रहते थे। उन इलाकों में जंगल डिक्लेयर नहीं किया गया जहां समाज के प्रभावी लोग रहते थे, जहां जमींदार लोग रहते थे या राजा-महाराजा रहते थे या बड़े-बड़े उद्योगपति रहते थे। दिल्ली में रिज को जंगल बना दिया, लेकिन जहां दिल्ली में बड़ी-बड़ी कालोनियां बनती हैं, उस इलाके का सरकार ने कभी संज्ञान नहीं लिया। मैं केवल बताना चाहता हूं कि जिस तरह से आदिवासी और जंगल को ट्रीट किया गया है, इस रूप में किया गया है जिससे बड़े लोग इसका फायदा उठा सकें और जो आदिवासी वहां है, उसे अनदेखा किया जाए। एक जजमेंट की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। यह दिल्ली के बारे में है, लेकिन मैं पूरे सदन से कहूंगा कि इस स्टेटमेंट को सुने। दिल्ली में रिज है, रिज जंगल का इलाका माना जाता है, दिल्ली की लाइफ लाइन माना जाता है। उस रिज इलाके में कुछ जमीन डीडीए ने बड़े-बड़े ठेकेदारों को आवंटित कर दी। उसके बारे में जब केस चला, तो आप आश्चर्य करेंगे, मैं सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट पढ़कर सुनाता हूं, दिल्ली के बारे में सुप्रीम कोर्ट कहती है—

[श्री सन्दीप दीक्षित]

*[अनुवाद]*

इसमें कहा गया है:

"यदि समाज के इन प्रभावी लोगों को इस बात का जरा भी आभास होता कि इस जमीन के आबंटन के संबंध में दि.दि.प्रा. की अनुमति नहीं ली गई है तो वे इसमें अधिक पूंजी का निवेश नहीं करते....।"

*[हिन्दी]*

मतलब जो पैसे वाला है और बड़ा आदमी है, वह अगर गलती करे, तो हो सकता है कि उसने गलती से और अनजाने में कर दिया हो, लेकिन अगर गरीब आदमी, जिसके पास कोई साधन नहीं है, पता करने का कि क्या रूल है, क्या रेग्यूलेशंस हैं, उसे हमेशा चोर मानते हैं।

*[अनुवाद]*

इसमें आगे कहा गया है:

यह निर्णय कि जहां-जहां अनधिकृत निर्माण किए गए हैं, उनको गिराना ही एक मात्र विकल्प है, मौजूदा मामलों में यह लागू नहीं होता।"

*[हिन्दी]*

यदि जंगल की जमीन पर बड़े लोग अधिग्रहण करें तो वहां डेमोलिशन अप्लाई नहीं होगा।

*[अनुवाद]*

इसमें आगे यह कहा गया है:

"..... विशेषरूप से, जब उनमें कोई समानता नहीं है, जब कुछ निजी व्यक्तियों अथवा प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों अथवा फर्मों को नियमों का उल्लंघन करने की अनुमति दी जा रही है, कारपोरेट निकाय और संस्थाएं हैं....."

इसमें आगे कहा गया है:

"..... कारपोरेट निकाय और संस्थाएं और अनुमोदन अथवा स्वीकृति लेने में उनके किसी तरह के भ्रष्टाचार में शामिल होने का प्रश्न नहीं उठता।"

*[हिन्दी]*

जब बड़े-बड़े लोग जंगल का अधिग्रहण करते हैं तो कोर्ट कहती है कि उन्होंने गलत रूप से किया है, लेकिन यह बात हम मान नहीं सकते। अगर आदिवासी अधिग्रहण करे तो उसे जेल हो सकती है, उसे जहां चाहे उठा कर ले जा सकते हैं। यह हिन्दुस्तान के मुख्य समाज की मंशा है। अफसोस की बात है कि हम ऐसे समाज के सदस्य हैं। इस तरह की जजमैंट कोर्ट देता है। ऐसी मंशा को बदलने के लिए ही अपने में यह बिल पूर्ण है। मैंने बहुत से तर्क सुने हैं। हमने उन्हें जंगलों से बेदखल कर दिया। वह मात्र इतना चाहता है कि हिन्दुस्तान की 2 परसेंट जमीन नहीं, जंगल की 2 परसेंट जमीन, जिसके बारे में उसने कहा है कि उन पर हमारा हक है और उसे दे दीजिए, हम 4 हैक्टेयर से कम की जमीन में जी लेंगे, आपके ऊपर निर्भर नहीं रहेंगे। वे आदिवासी दिल्ली और मुंबई नहीं आते हैं, वे केवल अपने इलाके में रहना चाहते हैं, वे चाहते हैं कि आप उन्हें उसका हक दें। हमें यह बात माननी चाहिए कि हममें से कई लोग देश में बाद में आए थे, पहले वह आदिवासी समाज देश में रह रहा है। हमें यह बात कभी नहीं भूलनी चाहिए। देश का असली हकदार कोई है तो आदिवासी लोग हैं।

**श्री हरिन्दर स्वाईं** (आस्का) : आपकी पार्टी की सरकार 7-8 साल से दिल्ली में है। आपने कैसे कह दिया कि एनडीए की सरकार ने इसे किया।...*(व्यवधान)*

**श्री सन्दीप दीक्षित** (पूर्वी दिल्ली) : वह जमीन डीडीए की थी और डीडीए ने ऐलोकेट की थी।...*(व्यवधान)* डीडीए आपके अंडर थी।...*(व्यवधान)*

**सभापति महोदय** : कोई इंटरप्शन रिकॉर्ड में नहीं जाएगा।

*(व्यवधान)**

**सभापति महोदय** : आप मत लड़िए, अपनी बात कहिए।

**श्री सन्दीप दीक्षित** : अगर आपकी मंशा सही होती तो विरोध नहीं करते।...*(व्यवधान)*

**सभापति महोदय** : आप बैठिए।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

**श्री सन्दीप दीक्षित** : यह वही भारतीय जनता पार्टी है जो बड़े-बड़े पूंजीपतियों को जमीनें एलॉट करती है।...*(व्यवधान)*

**सभापति महोदय** : आपकी कोई बात रिकॉर्ड नहीं हो रही है।

*(व्यवधान)**

**नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार)** : यह कोर्ट का जजमैंट पढ़ कर सुना रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

**सभापति महोदय** : आप मंत्री हैं। आप खड़े होकर क्यों बोल रहे हैं?

*(व्यवधान)*

**सभापति महोदय** : इनकी बात रिकॉर्ड नहीं हो रही है। आप क्यों हल्ला कर रहे हैं?

*(व्यवधान)*

**सभापति महोदय** : कुछ रिकॉर्ड में नहीं जाएगा और खास तौर से मंत्री लोगों का रिकॉर्ड में नहीं जाएगा।

*(व्यवधान)**

**सभापति महोदय** : जो माननीय सदस्य बिना अनुमति के बोल रहे हैं उनकी बात रिकॉर्ड नहीं होगी।

*(व्यवधान)**

**श्री सन्दीप दीक्षित** : मैं इतना कहना चाहता हूं कि वह मेरी बात सुनने का धैर्य रखें। मैंने डीडीए की बात कही थी और जजमैंट पढ़ कर सुनाया। यह वही बात हुई जैसे "चोर की दाढ़ी में तिनका" मैंने एनडीए की बात नहीं की है।...*(व्यवधान)*

**सभापति महोदय** : उन्होंने ठीक से आपकी बात नहीं सुनी।

*(व्यवधान)*

**श्री सन्दीप दीक्षित** : उन्होंने डीडीए को एनडीए सुन लिया।

**सभापति महोदय** : दीक्षित जी आप बातचीत बंद करके अपनी बात कहिए।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

**श्री सन्दीप दीक्षित** : मैंने जो तर्क दिया, वही नहीं, एक और मजे की बात है। जिस तरीके से इस बिल के खिलाफ एक माहौल बनाया गया मैं एक न्यूजपेपर से कोट करके सुनाना चाहता हूं। वह दिल्ली का बहुत महत्वपूर्ण अखबार है। उसमें कहा गया है।

*[अनुवाद]*

"यद्यपि, मोटे तौर पर हिसाब लगाने से यह बात उजागर होती है कि इस विधेयक के कानून बन जाने पर भूमि को उन्हें दिया जा सकेगा।"

*[हिन्दी]*

इस बिल की बात हो रही।"

*[अनुवाद]*

"भारत की भूमि की लगभग 20 प्रतिशत भूमि जोकि 68 मिलियन हेक्टेयर है वह वन भूमि है। देश की 8 प्रतिशत आबादी जनजातियों की है। यदि देश का प्रत्येक जनजाति परिवार ढाई हेक्टेयर भूमि की मांग भी करता है, तो उनको कुल 50 मिलियन हेक्टेयर भूमि देनी होगी।"

*[हिन्दी]*

यह बिल्कुल असत्य है, यहां 13 मिलियन हैक्टेयर जमीन की बात हो रही है और इस समाज में जो अखबार या एन्वायर्नमेंटल लॉबी है, जगह-जगह यह बात फैलाती जा रही है जैसे लाखों करोड़ों हेक्टेयर जमीन आदिवासियों को बांटी जाएगी, वह भी आदिवासियों को नहीं बल्कि एक ऐसा माहौल क्रिएट किया जा रहा है जिससे भू-माफिया इसमें घुस जाएगा।...*(व्यवधान)*

**श्री चुएल ओराम** : माननीय सभापति महोदय, मैं कुछ कहना चाहता हूं।

**सभापति महोदय** : वे बोल चुके हैं, वे हिंट नहीं कर रहे हैं। आपकी कोई बात रिकार्ड नहीं होगी।

*(व्यवधान)**

**श्री सन्दीप दीक्षित** : आप जो कह रहे हैं वह बिल आना चाहिए, हम उसका समर्थन कर रहे हैं। यह बिल्कुल आना चाहिए, कोई भी

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री सन्दीप दीक्षित]

बिल आए हम उसका समर्थन करेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम तो कह रहे हैं कि समर्थन करो और जितने आदिवासी हैं, उन्हें डीडीए की जगह दिल्ली में जगह मिले। हम इस बात का स्वागत करेंगे।

**सभापति महोदय :** ऐसी बात जो नहीं होने वाली है, उसका समर्थन करने में कोई हर्ज नहीं है।

**श्री सन्दीप दीक्षित :** मैं एक और बात बताता हूं, सन् 1980 से लेकर अब तक, जब यह बात आई थी कि करीब 13 मिलियन हेक्टेयर जमीन पर इनका हक दिया जाए, सरकार के दस्तावेज कहते हैं कि इन्हीं पिछले पच्चीस सालों में इसी जंगल की 10 मिलियन जमीन इन्हीं जंगल के अधिकारियों द्वारा माइनिंग और इंडस्ट्रियल एक्टीविटीज के लिए डाइवर्ट की गई है। इसका मतलब है कि उन लोगों का हक, जो हम सन् 1927 से मानते आ रहे हैं, स्वाधीन भारत में भी हक माना गया है, उनकी जमीन देने में बड़ी दिक्कत हो रही है लेकिन माइनिंग कांट्रेक्टर्स और इंडस्ट्री को 10 मिलियन हेक्टेयर जमीन दे दें, उसमें सबको न जाने किस बात की दिक्कत होती है। मैं दो सुझाव देकर बैठ जाऊंगा कि किस तरह से फारेस्ट डिपार्टमेंट कुछ चीजों को इम्पलीमेंट कर रहा है। यह बार-बार कहा गया है और गोडवर्मन केस में मिनिस्ट्री ऑफ एन्वायर्नमेंट का कहना है कि जब-जब हमने आदेश दिए हैं कि आदिवासियों और फारेस्ट ड्वैलर्स का हक माना जाए, उस बात को कोई राज्य नहीं मानता है, उन्होंने यह भी कहा है कि मध्य प्रदेश, उड़ीसा और महाराष्ट्र ने थोड़ा काम जरूर किया है। लेकिन जब एविक्शन की बात आती है, जब इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फारेस्ट छोटी सी चिट्ठी भेज देते हैं कि जो वहां बैठे हुए हैं उन्हें बेदखल किया जाए तब एकदम डंडा चलाकर सबको बाहर कर दिया जाता है। मैं आपको बहुत रूचिपूर्ण बात बताता हूं, सन् 2000 में मिनिस्ट्री ऑफ एन्वायर्नमेंट ने कहा कि फारेस्ट डिपार्टमेन्ट को डेड वुड हटाने की परमिशन नहीं है, जो लकड़ी वहां पड़ी रहती है उसे फारेस्ट विभाग नहीं हटा सकता है लेकिन उन्होंने इसका क्या अर्थ लगाया कि कोई भी माइनर फारेस्ट प्रोड्यूस, कोई भी इकट्ठा करे उसे हटाना मना है। सरकार को जब कोई आदेश आता है तब फारेस्ट डिपार्टमेंट जिस रूप में चाहे उसे मोड़ लेता है लेकिन जब उसके हक की बात आती है तो मैंने आज तक किसी फारेस्ट डिपार्टमेंट को या वाइल्ड लाइफर को इस बात के लिए चिंतित नहीं देखा है कि उसकी जमीन या उसके हक को पूर्ण कर दें और उसके बाद हम पूरे वाइल्ड लाइफ की बात करें।

माननीय सभापति महोदय, मैं आज भी कहता हूं कि जिस दिन यह क्रियान्वित हो जाएगा, अगले तीन, पांच या सात साल में आप देखेंगे कि न केवल हिन्दुस्तान का जंगल, जिसमें इतनी गुणवत्ता है, वह बढ़ेगी बल्कि जिन जानवरों की हमें चिंता है कि वह लुप्त होता जा रहा है, शायद इन्हीं आदिवासियों के संरक्षण से इस देश में वापिस आएगा। मैं मंत्री जी की सराहना करता हूं कि उन्होंने इतना महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मैं जानता हूं कि बहुत मुश्किलों के साथ आपने इस बिल को यहां इंट्रोड्यूस किया है। इसमें दो-तीन चीजें हैं, आप इसें संज्ञान में जरूर रखें और इस अमेंडमेंट को प्रेजेंट एक्ट में लाइए। एक बात यह है कि आपने जो एनटीएफपी की एक्सपेंडेंट डेफिनेशन की है और इस बिल में कहीं न कहीं मना किया है जिसमें छोटे पैंथर, ककड़ी, मछली की बात है, मेरा निवेदन है कि उस अमेंडमेंट को छोड़ दीजिए, जैसे वह थी वैसे ही उसे रहने दीजिए। दूसरी बात है शिफ्टिंग या झूम के बारे में है, पूरे सैंट्रल ईस्टर्न रीजन में यह काम होता है कि कुछ समय के लिए वे गांव में रहते हैं और साल या दो साल के बाद फिर लौट आते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन को ओमिट किया है, इस ओमिशन को मत कीजिए, नहीं तो लोगों के साथ बहुत नाइंसाफी हो जाएगी।

**अपराह्न 3.00 बजे**

इसमें एक और बहुत छोटी बात ट्रांसपोर्ट के बारे में कही गई है। जनरेशन के बारे में लोगों ने कहा है कि इसे 25 साल करना ठीक नहीं है। इसमें जो ट्रांसपोर्ट की बात कही गई है, उसमें मंत्री जी जैसे ही आप इससे ट्रांसपोर्ट की बात को हटा देंगे तो जो फारेस्ट गार्ड है, जो हिन्दुस्तान का शायद सबसे ज्यादा दमनकारी अधिकारी है। जो हिन्दुस्तान में दमन का एक सबसे बड़ा नमूना है, यदि सिर के ऊपर एक छोटी सी गठरी लेकर कोई आदिवासी महिला या फारेस्ट ड्वैलर जा रहा होगा तो उसे वह पकड़ लेगा और उसे परेशान करेगा। मैं आपसे केवल इतना कहना चाहता हूं कि आप ट्रांसपोर्ट की परिभाषा बदल दीजिए। उसमें आप नॉन-मैकेनाइज्ड ट्रांसपोर्ट हटा दीजिए, छोटे और बड़े व्हीकल्स हटा दीजिए। लेकिन अगर वह बसों में अगर वह अपने सिर पर या गठरी में कुछ ले जाना चाहे, अपनी बैलगाड़ी में ले जाना चाहे, तो उसे आप उसकी अनुमति जरूर दे दीजिए।

इसके अलावा आपने क्लाज 5 में ई. एक से पांच जो प्रोविजन हटाने की बात की है, मेरा आपसे निवेदन है कि उन्हें भी रहने दें, वे इस बिल के लिए बहुत आवश्यक है। आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं।

**सभापति महोदय** : श्री कैलाश बैठा - उपस्थित नहीं। अब, डा. बाबू राव मिडियम बोलेंगे।

*[अनुवाद]*

**डा. बाबूराव मिडियम** (भद्राचलम) : सभापति महोदय, मुझे अवसर, प्रदान करने के लिए आपको धन्यवाद। सर्व प्रथम मैं माननीय जनजातीय कार्य मंत्री, श्री पी.आर. किन्डिया तथा संयुक्त समिति के सभापति, श्री वी. किशोर चन्द्रदेव को धन्यवाद देता हूं क्योंकि इस सभा के दोनो वरिष्ठ सदस्य जन-जातीय लोगो के हितों की रक्षा के लिए यह ऐतिहासिक विधेयक प्रस्तुत कर रहे हैं। मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं तथा पूरे मन से इसका समर्थन करता हूं।

इस विधेयक के 'उद्देश्यों और कारणों' के कथन में यह कहा गया है कि जनजातीय लोग तथा वनों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। यह एक सच्चाई है। जैसा कि इतिहास से ज्ञान होता है हमारे देश के प्राचीन लोग जन-जाति के थे। उनका मुख्य निवास-स्थल मध्य भारत-राजस्थान गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा थे। ये ऐसे राज्य हैं जहां जनजातीय लोगों की संख्या बहुत अधिक है। जनजातीय लोगों के 705 वर्ग है और हमारे देश में लगभग 10 करोड़ जनजातीय लोग हैं। उनकी आजीविका मुख्य रूप से वनों पर आश्रित है। वनों और जनजातीय लोगों में गहरे संबंध हैं और ये लोग वनो में सदियों से रहते आ रहे हैं। लेकिन स्वतंत्रता के पूर्व अंग्रेजो द्वारा बनाए गए कानून से 1927 का वन अधिनियम या स्वतंत्रता के बाद बनाए गए कानून भी जिन्हे लागू किया गया, वे इन दोनो को अलग करना चाहते हैं तथा जनजातीय लोगों को उनकी आजीविका से वंचित करते हैं।

वनो का संरक्षण करना वनविभाग का पहला कर्तव्य है। लेकिन आजादी के पिछले 50 या 60 सालो की हमारी प्रथा से यही पता चलता है कि वनो को नष्ट करने या उन्हे कम करने वाला सबसे बड़ा विभाग वन विभाग ही है। इसके अतिरिक्त आजकल कुछ पर्यावरणविद् तथा कुछ लोग जनजातीय लोगों को उनकी झूम खेती के लिए दोषी ठहरा रहे है जैसे झूम खेती ही वनो के विनाश तथा उनकी संख्या कम करने के लिए जिम्मेदार हो। यह सच नहीं है। सूखा तथा कम की वर्षा की घटना वर्षा करने वाले वनो के कम होने के कारण हो रही है।

झूम खेती में क्या होता है? झूम खेती जनजातीय लोगों की खेती की वह पद्धति है जिसे वे कृषि काल के पूर्व से इस्तेमाल करते आ रहे हैं। खेती के दौरान वे बड़े पेड़ों को नहीं काटते है। वे किसी आरे या किसी ऐसे उपकरण का इस्तेमाल नही करते जिससे वनो के पेड़ काटे जाते हैं।

वे केवल कुछ उपकरणों के प्रयोग से झाड़ियों को साफ करते हैं और वहां कुछ बीज बो देते हैं। इस प्रकार वे अपनी आजीविका प्राप्त करते हैं।

इस तरह वे वर्ष में केवल तीन से चार माह तक ही आजीविका प्राप्त कर पाते हैं। झूम खेती किसी आदिवासी परिवार के जीवन-यापन के लिए पर्याप्त नहीं है। आदिवासियों का जीवन मुख्य रूप से झूम खेती पर निर्भर है। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस विधेयक के अधिकारों के अध्याय में झूम खेती करने वालो इन लोगों को लाभार्थी के रूप में शामिल किया जाए ताकि वे इस विधेयक को लाभ प्राप्त कर सके। झूम खेतिहर, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, कृषि करने का स्थल यहां से वहां बदलते रहते हैं। वे एक क्षेत्र में एक या दो वर्षों तक कोई उपज उगाते हैं और तीन वर्षों के बाद वे उस क्षेत्र से इतर क्षेत्र में खेती करने लगते हैं। वे इस नए स्थल पर झाड़ियों को साफ करके कुछ न कुछ बो देते हैं और उपज से कुछ लाभ हो जाता हैं वे किसी बड़े वृक्ष अथवा वर्षा-सिंचित वन को नहीं काटते हैं। इसलिए, उनकी जीविका झूम कृषि पर निर्भर है। हमें झूम खेतिहरों की पहचान कर झूम कृषि को उनकी आजीविका साधन के रूप में स्वीकृति देनी चाहिए। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस विधेयक में झूम खेतिहरों को शामिल किया जाए।

अब हम झूम कृषि और वनों के विनाश के बारे में विचार करते हैं। यदि हम घने जंगल में जाकर पहले के एजेंसी क्षेत्र अथवा अधिसूचित क्षेत्र में वन ग्राम अथवा राजस्व ग्राम देखें तो हम पाएंगे कि वहां साधारण आदिवासी परिवार निवास करते हैं। हमें उनके घरों में बैठने के लिए कोई कुर्सी नहीं मिलेगी। हमें सोने की चारपाई नहीं दिखाई देगी। आदिवासी फर्श पर सोता हैं उसके घर में फर्नीचर का कोई सामान नहीं मिलेगा। वनों के बीच निवास करने वाले आदिवासियों की ऐसी दुरवस्था है। यदि वे वनों का उपयोग और दोहन करना चाहें तो वे अपने मतलब के वनों का उपयोग कर सकते हैं और उन्हे अपने लिए आरक्षित कर सकते है, परंतु वे ऐसा नहीं करते हैं। यह सदियों से होता आ रहा है परंतु वनों की दुर्गति को वन विभाग द्वारा शह दी जा रही हैं

इस विधेयक के संबंध में मैं कुछ और सुझाव देना चाहता हूं। पृष्ठ 2 पर खण्ड 2 (ग) में "वन में रहने वाली अनुसूचित जनजातियों"

[डा. बाबूराव मिडियम]

को परिभाषित किया गया है। इसका तात्पर्य है "जो मुख्यत: वनों में या वनो से सटी हुई भूमि में निवास करते हैं।" मैं इसमें "वनों से सटी हुई" भूमि जोड़ने का सुझाव देता हूं। पृष्ठ 3 पर यह कहा गया है "ईंधनकाष्ठ और उसी प्रकार के, पत्थर स्लेट और बाउलडर्स जलाशयों से उत्पाद जिनमें मछली और अपतृण सम्मिलित है का लेप करे..." परंतु मैं उन्हें हटाने के लिए न कहकर उन्हें लघु उत्पाद में रखने के लिए कहता हूं। पृष्ठ 8 पर खण्ड 6(1) में "उस शर्त का संकल्प" के बाद "इस अधिनियम के अंतर्गत लाभग्राही भू धारकों की सूची" शब्द जोड़ें।

अंत में मैं कहना चाहता हूं कि, ग्राम सभा को इस अधिनियम के अंतर्गत लाभग्राहियों का निर्धारण करने का पूरा-पूरा अधिकार दिया जाए। मैं चाहता हूं कि समिति के स्तर पर ग्राम सभा को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाए। इसलिए, मैं सुझाव देता हूं कि इस अधिनियम के अंतर्गत बनाई जाने वाली समितियों के विभिन्न स्तरों पर उन लोगों को सम्मिलित किया जाए।

*[हिन्दी]*

**श्री कैलाश मैत्र** (बगहा) : सभापति महोदय, मुझे दूसरी बार सदन में बोलने का मौका मिला है। मुझे आश्चर्य इस बात का है कि आजादी के इतने दिनों बाद समाज में अन्तिम पायदान पर रहने वाले लोग जो जंगलों में रहते हैं, उनकी मुसीबतों की तरफ आज ध्यान दिया गया है। माननीय मंत्री जी जो यह विधेयक लाए हैं और संसदीय समिति ने जो जनजातीय समुदाय की तमाम समस्याओं को छुआ है, मैं उसका समर्थन करता हूं।

सभापति महोदय, जंगल में जनजातीय लोगों के अलावा गैर-जनजातीय लोग भी रहते हैं जिन्होंने आज तक जंगलों की रक्षा की है। इस सब के बावजूद आजादी के इतने वर्षों के बाद भी इन्हें कोई लाभ नहीं मिला है। जंगल से बड़ी-बड़ी जंगलों से लकड़ियां बाहर चली जाती हैं लेकिन जनजातीय लोगों को अपनी बेटी की शादी के फर्नीचर के लिये लकड़ी नहीं मिलती है जिसे वह अपनी बेटी को उपहारस्वरूप दे सकें। जंगल ही इन लोगों की जीवकोपार्जन का साधन है।

सभापति महोदय, बिहार राज्य में गांधी जी की कर्मभूमि पश्चिमी चम्पारण में टाइगर प्रोजेक्ट में जनजातीय लोगों को जो अधिकार मिला हुआ था, उसे छीन लिया गया है। इसके अलावा जंगल में पेड़ों के पत्तों से आदिवासी पतरौल बनाकर अपना गुजारा करता था, उससे भी उसे वंचित कर दिया गया है गरीब जनजातीय लोग सूखी लकड़ी बेचकर अपना गुजारा किया करता था, उससे भी उसे वंचित कर दिया गया है। आज जनजातीय व्यक्ति को हजारों गलत मुकदमों में फंसाकर रखा गया है। अधिकारी लोग समय पर कोर्ट में नहीं आते हैं लेकिन आदिवासी लोग जाकर लौट आते हैं। यह बहुत बड़ी समस्या है।

सभापति महोदय, जंगल की लाखों एकड़ जमीन है जिन पर वन नहीं हैं। परम्परागत तरीके से आदिवासी लोग जमीन जोता करते थे लेकिन वनाधिकारियों के जाते ही आदिवासियों को जमीन छोड़ने के लिये विवश किया जाता है। अगर कुछ आदिवासी लोग उन वनाधिकारियों की सेवा करते हैं तो वहीं जमीन फिर आदिवासी जोतते हैं। नेपाल की सीमा से लगे हुये जंगलों को चार भागों में बांटा जा सकता है जहां आदिवासी मूल के लोग रहते हैं। उन लोगों की जमीन छीने जाने से ये लोग माओवादी गतिविधियों में हिस्सा ले रहे हैं। कुछ आदिवासी वहां से पलायन भी कर रहे हैं। इसलिये माओवादी गतिविधियों का खतरा हमारी सीमा पर बढ़ता जा रहा है। यहां तक कि हजारों-हजार लोग रोजी-रोटी की तलाश में पंजाब, हरियाणा और देश के दूसरे हिस्सों में भटक रहे हैं वनाधिकारियों और माओवादी लोगों के बीच सांठ-गांठ से सारा जंगल उजड़ गया है। जिन लोगों ने वनों की रक्षा की, वे भूखों मर रहे हैं।

सभापति जी, मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने समाज के निचले तबके के लोगों के बारे में सोचा है और यह विधेयक लेकर आये हैं जिसका मैं स्वागत करता हूं। संयुक्त संसदीय समिति ने जिन सिफारिशों को दर्शाया है, मैं इनका भी स्वागत करता हूं। जिन आदिवासियों ने सूखी लकड़ी ली और उन पर मुकदमा चल रहा है, वे लोग अपना माल-मवेशी बेचकर मुकदमा लड़ रहे हैं, उन्हें इन गलत मुकदमों से बरी किया जाये। सरकार समाज के गरीब तबके के प्रति सचेष्ट है, उसके लिये मैं सरकार को लाख-लाख बधाई देता हूं और इस बिल का समर्थन करता हूं।

*[अनुवाद]*

**श्री आर. प्रभु** (नीलगिरि) : सभापति महोदय मुझे बारी से कुछ पहले ही बोलने की अनुमति देने के लिए धन्यवाद। मैं सटीक और सारगर्भित ढंग से अपनी बात रखने की कोशिश करूंगा।

वन-अधिकार संबंधी इस विधेयक को लाने के लिए सरकार की सराहना की जानी चाहिए क्योंकि यह उन कुछ विधेयकों में से एक

है जिन्हें, भिन्न राजनैतिक अभिमतों के बावजूद, पूरे सदन का समर्थन मिल रहा हैं हमारे विशाल देश के विभिन्न हिस्सों में, विभिन्न राज्यों में—फिर चाहे किसी राज्य विशेष के अलग-अलग हिस्सों में ही सही-कदाचित् कतिपय जनजातियों और समुदायों को अनुसूचित जनजाति मान लिया गया है और ऐसी ही पृष्ठभूमि के अन्य को अनुसूचित जनजाति नहीं माना गया है। इसी कारण सरकार यह संशोधन लाई है जिसके अनुसार परंपरागत रूप से वन में रहने वाले निवासियों को भी इसकी परिधि में ले आया जाए।

मैं थोड़ा अतीत की बात करूंगा। यह विधेयक गत वर्ष दिसंबर में पुर:स्थापित किया गया था और इसे एक संयुक्त संसदीय समिति को भेजा गया था जिसके सभापति, आंध्र प्रदेश वासी मेरे मित्र श्री किशोर देव थे। मेरा निवेदन यह है, महोदय, कि मैं इस विषय से जाती तौर पर जुड़ा हूं क्योंकि मेरे निर्वाचन-क्षेत्र के लोगों ने मेरे पास आकर इस आशय के अनेक प्रमाण और अभिलेख प्रस्तुत किए कि वन में रहने वाली अन्य जातियों, खासकर अनुसूचित जातियों और अत्यंत निर्धन तबके, को भी इस विधेयक के दायरे में लाया जाए।

अब मैं मुद्दे पर आता हूं। इस संशोधन में क्र.सं. 7 के तहत, कहा गया है कि 'अन्य पारंपरिक वनवासी' का आशय किसी ऐसे व्यक्ति या समुदाय से है जो 13 दिसंबर, 2005 के पूर्व, कम से कम तीन पीढ़ियों से उस क्षेत्र विशेष में रहता हो। फिर आगे उसमें पीढ़ी की परिभाषा देते हुए उसे 25 वर्षों की कालावधि से ईंगित किया गया है। मैंने पीढ़ियों का काल दस-पंद्रह साल तो निर्धारित होते सुना है, लेकिन यदि एक नई परिभाषा लाकर इसे 25 वर्ष कर दिया जाए और फिर कहा जाए कि-तीन पीढ़ियों से निवास करता हो- तो इस तरह हम 2005 से 75 वर्ष पीछे पहुंच जाएंगे; अर्थात् स्वतंत्रतापूर्व के काल में। अब स्वतंत्रतापूर्व की किसी स्थिति का हम यहां बैठकर विधायन कैसे कर सकते है? मुझे तो लगता है कि जैसे यह छपाई की गलती हुई है। मैं माननीय मंत्री जी से इसे कृपया पुन: देखने का आग्रह करूंगा। यदि यह वाकई छपाई की गलती है तो फिर सुधारना आसान है। कृपया विचार कीजिए और पीढ़ी का काल 10 या 15 वर्ष निर्धारित कीजिए, तो यह अधिक उपयुक्त परिभाषा बनेगी। हमें स्वतंत्रताकाल से परे जाने की जरूरत नहीं हैं

मेरे निर्वाचन-क्षेत्र में भी भारत के अन्य हिस्सों की तरह स्थिति है और दो समस्याएं हैं: एक तो वह समस्या जो हमारे यहां 'जन्मम' भूमि से जुड़ी है, जो नीलाम्बूर के महाराजा परिवार की संपत्ति थीं और अब मलाबार संपत्ति अधिनियम के तहत केरल के स्वत्वाधिकार में है। उनके पास लगभग ''लाख हेक्टेयर वनभूमि है। 1969 में तमिलनाडु सरकार और केरल सरकार ने 'जन्मम' अधिनियम को समाप्त करने वाले विधान लगभग साथ-साथ पारित किए। इस तरह से यह भूमि सरकार की हो गई। केरल ने तो अपने हिस्से की भूमि वन विभाग को सौंप दी लेकिन तमिलनाडु में इसको लेकर कुछ संभ्रम हुआ और कुछ भूक्षेत्र राजस्व विभाग को और कुछ वन विभाग को सौंपा गया। 1969 में यह अधिनियम आने के पूर्व बहुत से वनवासी यहां रहते थे, उनमें से कुछ को महाराजा की ओर से पट्टे पर भूमि दी गई थी कि वे पट्टेदार के रूप में वहां रहकर जीवन-यापन करें। कुछ लोग जो पीढ़ियों से राजपरिवार की सेवा में थे उन्हें भी गुजर-बसर के लिए कुछ भूमि दी गई थी। 1969 के बाद इस भूमि का निर्धारण तमिलनाडु में एक बड़ी समस्या बन गया कि यह वन भूमि है, राजस्व विभाग की भूमि है या कुछ और है। 1981 में उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दी गई और न्यायालय ने निदेश दिया कि समाप्त 'जन्मम' संबंधी अधिनियम के अंतर्गत आने वाली समस्त भूमि धारा 17 में वर्णित परिभाषा के अंतर्गत है और उक्त सभी जन राज्य सरकार को आवेदन करें; राज्य सरकार इन सभी आवेदनों की समीक्षा करे और तय करे कि यदि ऐसा दो-तीन पीढ़ियों से चल रहा हो तो उन लोगों को पट्टे दे दिए जाएं। इस बीच कई राज्य सरकारें आई-गईं लेकिन कुछ हुआ नहीं। आज पारित होने वाले इस विधेयक से इन सभी लोगों-अनुसूचित जातियों और इनसे भी बदतर स्थिति में पड़े लोगों, अनुसूचित जातियों तथा अत्यंत गरीब लोगों को अधिकार प्राप्त होंगे।

महोदय, इस सिलसिले में साठ के दशक में एक और समस्या आई-हरित क्रांति की। उस समय काफी बंजर भूमि और अन्य चारागाह थे जो वन या राजस्व विभाग से नहीं जुड़े थे बल्कि यह समस्त भूमियों ही बेकार पड़ी थी। आदिवासियों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य लोगों को इस भूमि पर लाकर अधिकाधिक खाद्य उपजाने को कहा गया। उन्हें उत्साहित किया गया। फिर इन गरीबों ने उस भूमि में मेहनत की, अन्न उपजाया, फसले खड़ी की और फिर अचानक बन विभाग ने उन्हें वहां से निकल जाने का आदेश दिया। जब श्री दीक्षित बोल रहे थे तो उन्होंने कहा कि जंगलों पर कब्जा जिन अमीरों का है उन्हें निकाल बाहर नहीं किया गया, केवल गरीबों को निकाला जा रहा है। यह एक सच्चाई है जिसे हम सभी को स्वीकार करना पड़ेगा। यही नहीं, एक और समस्या है कि इन बंजर और चारागाह के रूप में प्रयुक्त होने वाली भूमियों को 1970 में तमिलनाडु सरकार ने गलत ढंग से 'वनभूमि' के बतौर वर्गीकृत किया। अब हम इसी बात को लेकर लड़ रहे हैं कि आपने इनका वर्गीकरण ही गलत किया

[श्री आर. प्रभु]

है। इसलिए कृपया इसे देखिए। फिर, अधिकारी आए लेकिन वे स्थल पर नहीं गए। वे अतिथि-ग्रह में ही ठहरकर वर्गीकरण का प्रयास करते रहे।

महोदय, भारत भर में एक चीज तो एक सी हैं, भले ही हमारें रहन-सहन, रीति-व्यवहार या खान-पान भिन्न-भिन्न हो। यह कि वन विभाग के कर्मचारियों की उच्छृंखलता देश में सभी जगह एक सी ही है। उनका व्यवहार ऐसा होता है मानो वे खुद ही कानून हों और राज्य या केन्द्र सरकार का उनपर कोई नियंत्रण न हो।

महोदय, अनुमति दें तो मैं किसी का नाम लिए बगैर एक उदाहरण बताता हूं जिससे स्पष्ट होगा कि वे लोग किस हद तक दुर्व्यहार करते हैं। आपको विदित है कि हमारे ग्रामीण विकास मंत्री जी को वजह से देशभर में जिला ग्रामीण विकास समितियां बनी हैं और मुझे ऐसी दो समितियों का सभापति होने का गौरव मिला है। जब भी मैंने बैठक की तो पाया कि वन विभाग के कर्मचारी कभी भी इन बैठकों में नहीं आते। हमने आपत्ति व्यक्त करते हुए कहा कि यदि वे नहीं आते तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। फिर, आखिरकार अंतिम बैठक में वे पधारे। लेकिन मुझे पता भी नहीं चला कि वे आए थे। जनप्रतिनिधियों विधायक और जिला पंचायत अध्यक्ष कुछ ऐसी बात कह रहे थे कि ग्रामीण इलाकों की वन्यभूमि को गलत ढंग से वर्गीकृत करके वन विभाग वहां से लोगों को अनुचित तरीके से हटा रहा है, इत्यादि।

इसलिए, यह व्यक्ति बैठकों में कुछ नहीं कहता। मुझे अथवा जिला कलेक्टर को कुछ नहीं बताता है। वह उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त सक्षम प्राधिकारी को पत्र लिखता है, जिसमें यह उल्लेख होता है बैठक में कि चेयरमैन और जिला कलेक्टर तथा प्रत्येक व्यक्ति ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया है तथा मुझे मान-सम्मान के साथ जीवित रहने दें। इस अधिकारी की आयु केवल 28 वर्ष है तथा उसने पहला पद धारण किया है। परंतु वह इस प्रकार व्यवहार कर रहा है। इसलिए, आप अंदाजा लगा सकते है कि वनवासियों के साथ ये अधिकारी किस प्रकार का बर्ताव करते हैं। इसलिए, यह व्यापक विधेयक, जिसे आज सभा के समक्ष रखा गया है, वनवासियों चाहे वे अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जाति में, आदिवासी हों या कोई और के लिए बड़ा वरदान है।

समग्र विकास का यही अर्थ है। पण्डित जी के दिनों से लेकर जबसे हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई हम यह कहते आ रहे है कि देश में समग्र विकास होना चाहिए। परंतु जब तक हमारे गांव के, जनजातियों के तथा गरीब लोगों का समाज के दूसरे लोगो द्वारा उत्थान नहीं किया जाता तब तक इस देश का कभी भी विकास नहीं हो सकता है। हम 8.7 प्रतिशत विकास दर की बात कर रहे हैं। क्या आप सोचते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में 8.7 प्रतिशत की दर से विकास हो रहा है? नहीं हो रहा है। वे ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की बात कर रहे हैं। इसलिए यदि आप इसका औसत निकालें तो यह 8.7 प्रतिशत नहीं होगी। इसलिए, हमें ग्रामीण क्षेत्रों में कम-से-कम 5 से 6 प्रतिशत विकास दर प्राप्त करने का लक्ष्य रखना चाहिए। इसलिए, उस दिशा में यह एक बड़ा कदम है और हम इन लोगो को मान सम्मान के साथ जीने का तथा उनकी लघु जीविका बनाए रखने का अधिकार देंगे, ताकि वे अपना गुजर बसर कर सके।

मैं सरकार, विशेषरूप से श्रीमती सोनिया गांधी जी को बधाई देता हूं, जिन्होने अन्य वन निवासियों को भी सम्मिलित करने में अत्यधिक रूचि दिखाई। मैं हमारे प्रधानमंत्री, डा. मनमोहन सिंह जी को भी बधाई देता हूं। मैं पूर्णरूप से इस विधेयक का समर्थन करता हू।

*[हिन्दी]*

**श्री रवि प्रकाश वर्मा** (खीरी) : सभापति महोदय, आपने मुझे बहुत महत्वपूर्ण विधेयक पर अपनी बात कहने का मौका दिया, मैं आपका आभारी हूं। वाकई में माननीय मंत्री जी इस विधेयक को सदन में लाने के लिए बधाई के पात्र हैं। उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाया हैं जैसा कहा गया है बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति जिस ट्रेन में चढ़ने से रह गए, उन्हें उसमें चढ़ाकर दुबारा विकास यात्रा पर ले जाने की तैयारी हो रही है, यह बिलकुल सत्य है। हमारे माननीय वक्ताओं ने कहा है कि जंगलों को जो मैनेजमेंट हो रहा था, उनका माइंडसैट कहीं न कहीं ब्रिटिश माइंडसैट था। जिसके कारण, जिस तरह से जंगलों को मैनेज किया जा रहा था और उसके कारण जितने व्यक्ति जंगलों के बीच में फंसे हुए थे, वे बहुत परेशान हो रहे थे। यह एक ऐतिहासिक भूल का सुधार हुआ है और सच्चाई तो यह है कि वन विभाग के जो कर्मचारी रहे हैं, उनका जो काम करने का तरीका रहा है, आज उनकी जो असंवेदनशीलता है, उसकी बहुत बड़ी कीमत पूरे हिन्दुस्तान ने दी है और जहां-कहीं भी जनजाति के लोग रहते हैं, ट्राइबल लोग रहते हैं, वहां पर इतना जबरदस्त वन अधिकारियों ने शोषण किया है, इतने मुकदमें कायम किये हैं कि जनता के बीच में एक रोष व्याप्त हो गया है और नोर्थ ईस्ट में भी और हिन्दुस्तान के दूसरे क्षेत्रों में, जहां-कहीं भी जब सीमा के बाहर दमन हुआ है, वहां पर नौजवानों ने बन्दूकें उठा ली हैं और हमारी दृष्टि में ट्राइबल भी गलत

रास्ते पर निकल पड़े हैं और आज सरकार चिन्तित हो गई है कि कैसे हम उनको मुख्य धारा में लायें। यहां पर मैं इस बात को खास तौर पर दोहराना भी चाहता हूं कि हमारे पूर्व वक्ताओं ने जो बात कही है कि पिछले वर्षों में आज जब हम इस बात को तय कर रहे हैं कि हमारे सभी जनजाति के साथी, जो कि हमारी आजादी के आन्दोलन में भी साथी रहे हैं, हिन्दुस्तान की आजादी में भागीदार रहे हैं, उनको हम आगे बढ़ाना चाहते हैं, विकास की मुख्य धारा में लाना चाहते हैं तो इस बीच में जो भी मुकदमे उन पर कायम हुए हैं या जो भी प्रोसीक्यूशन की उनकी कार्रवाई उन पर हुई है, उसको वापस करने की भी कार्रवाई वैधानिक रूप से उन पर होनी चाहिए।

मैं ज्यादा लंबी बात नहीं कहना चाहता, मैं खाली कुछ मुद्दों की बात यहां पर कहना चाहूंगा कि जब जमींदारी खत्म हुई, जैसा कि हमारे पूर्व वक्ता भी बता रहे थे तो भारत सरकार इस दबाव में काम कर रही थी कि हमको करीब 25 परसेंट या 30 परसेंट या एक तिहाई भूखण्ड, जमीन हमको जंगल में बदलनी है, इसलिए जब जमींदारी खत्म हुई, तो बहुत से काश्तकार तो जान भी नहीं पाये कि कब सैक्शन चार की कार्रवाई हो गई, सैक्शन पांच की कार्रवाई हो गई, सैक्शन 20, जो कि फाइनल एक्वीजीशन होता है, वे जमीनें सब जंगल में निहित कर दी गई। आज भी वहां पर खेती हो रही है। वे निवासी, जो आज से नहीं, 100 साल से, 150 साल से उन जमीनों पर पल रहे थे, वे खेती कर रहे हैं। वहां जंगल नहीं हैं, हमने बहुत से मामले भारत सरकार को दिये, माननीय राष्ट्रपति जी के यहां भी अपील की गई, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। बहुत तनाव उन क्षेत्रों में व्याप्त रहा। मुझे यह उम्मीद है कि जिस तरीके से वे जमीनें नोटीफाई कराई गई थीं, मेरे अकेले जनपद लखीमपुर खीरी में लगभग 24 गांव हैं, जहां कम से कम 25 हजार आबादी रहती है, जो बकायदा खेती कर रहे है, वे जमीनें फोरैस्ट लैंड के तौर पर नोटीफाइड हैं और समय-समय पर वहां से एविक्शन की कार्रवाई वन विभाग के कर्मचारी भारी संख्या में पुलिस लेकर आते हैं और उनको निकाल कर बाहर करते हैं और जैसी कि सच्चाई है कि वह कार्रवाई शुरू होती है, लेकिन फिर पता नहीं कैसे, अज्ञात कारणों से रूक जाती है और लोग वहां पर आज भी कायम हैं। हम समझ सकते हैं कि कितना बड़ा भ्रष्टाचार का कारण, भ्रष्टाचार का जो कारोबार है, उस बीच में फल-फूल रहा है और किस तरह से जनता का शोषण किया जा रहा है

ट्राइबल तो बहुत ही कमजोर रहे हैं, उनकी शिक्षा का स्तर, उनके आगे बढ़ने का स्तर बहुत ही पिछड़ा हुआ रहा है। निश्चित रूप से आज वन विभाग के जो कर्मचारी हैं, उनके जो तौर-तरीके हैं, जितने असंवेदनशीलतापूर्ण व्यवहार उनके साथ में हो रहा है, वे भी तो बहुत ही ज्यादा शोषण के शिकार रहे हैं। मुझे इस बात को महसूस करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि यह जो वन ग्रामसभाएं हैं, इनको पंचायत का अख्तियार दिया जा रहा है और निश्चित रूप से इसमें सबसे अहम बात यह है कि खाली ट्राइबल ही नहीं, जो दूसरे लोग, जो दलित जातियों के लोग हैं या पिछड़ी जातियों के लोग हैं या दूसरे लोग भी हैं, वे लम्बे समय से ट्राइबल्स के बीच में रह रहे हैं, उनकी व्यवस्था का हिस्सा बन चुके हैं या जिन्होंने ट्राइबल लड़के-लड़कियों के साथ शादी की है, उनसे संबंध बन चुके हैं, उनको भी इस बात में आपने अख्तियार दिया है, यह एक अच्छी बात है और निश्चित रूप से मुख्य धारा से छूटे हुए लोगों को आगे बढ़ाने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। पंचायत के माध्यम से जो पंचायती योजनाएं हैं, उनको लागू करने के लिए जो विकास की योजनाएं हैं, उनको लागू करने के लिए यह एक अच्छा उपक्रम खड़ा हो गया है और मुझे आशा है कि आने वाले समय में ये जंगल के निवासी, वन निवासी हैं, इनकी जो सामाजिकता का स्तर है, जो ह्यूमन डैवलपमेंट इंडीकेटर्स हैं, उनकी शिक्षा का स्तर, उनके रोजगार का स्तर, उनकी स्वास्थ्य सेवाओं का स्तर है, उसमें सुधार हो सकेगा।...*(व्यवधान)* मैं बहुत जल्दी खत्म कर दूंगा। मेरे संसदीय क्षेत्र के कुछ मामले हैं, जिनको मैं उठाना चाहता हूं। उन सभी मामलों को इस कानून के माध्यम से मदद मिल सकेगी। मैं एक बात खास तौर पर कहना चाहता हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र में लगभग 134 गांव ऐसे हैं, जो दुधवा नेशनल पार्क के आसपास हैं या हमारे जो वन विभाग का जो खीरी नार्थ डिवीजन और साउथ डिवीजन है, उसके पास जंगल के बीच में हैं। ये सभी गांव भी वन ग्राम हैं। सच्चाई तो यह है कि इनके बीच में जो वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी हैं, उनके तौर-तरीके के कारण और उनकी समस्याओं के कारण टकराव की स्थिति पैदा हो गयी है। मैंने सरकार को भी इस बारे में लिखा था और मैंने सभी संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को अवगत कराया कि जो करेंट मारने वाली फेंसिंग होती है, वह जंगल तथा गांव के मध्य लगा दी जानी चाहिए। करीब 134 जो गांव है, अगर उनमें यह कार्य हो गया होता, तो जो टकराव की स्थिति बनी, वह रूक सकती थी। मैं आशा करता हूं कि आने वाले समय में पंचायती राज के माध्यम से वन के निवासियों की जिंदगी और रहन-सहन की स्थिति को ऊपर उठाने का मौका मिलेगा और हम इस कार्य को जल्दी कर पायेंगे।

मैं सैंक्चुअरी के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। जहां कहीं भी अभ्यारण्य बने हुए हैं, वाईल्ड लाइफ सैंकचुअरी बनी हुयी है और हमारे

[श्री रवि प्रकाश वर्मा]

यहां भी प्रोजेक्ट टाइगर दुधवा नेशनल पार्क है, वहां जो मैनेजमेंट हुआ है, उसमें इंसानों को बहुत ही निचला स्थान दिया गया है। जबकि सच्चाई है कि जो हमारे ट्राइबल्स हैं, जो जनजाति के भाई और बहनें हैं, यह उस ईको सिस्टम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। ये आज से वहां नहीं है, हजारों साल से उसी पर्यावरण क्षेत्र में निवास कर रहे हैं। निश्चित रूप से उन्होंने इसको नुकसान नहीं पहुंचाया है। यह बात बार-बार कही गयी है और मैं समझता हूं कि पहले भी यह बात उठायी जा चुकी है कि जो वन उत्पादों का कारोबार करने वाले लोग हैं, यह नुकसान उनके द्वारा पहुंचाया गया है। अगर किसी सैंक्चुअरी में शेर मर रहे थे, तो इसलिए नहीं मर रहे थे कि वहां लोग मार रहे थे, बल्कि दिल्ली में कोई संसार चंद बैठा हुआ था। जो उनको मार रहा था, हमें इस बात पर गौर करना चाहिए। हमारे यहां सुरमा एक ग्राम सभा थी, वहा थारू जनजाति के लोग रहते हैं। उन्हें वहां से बाहर निकालने का उपक्रम किया गया था, आज बीस-पच्चीस साल हो गये हैं, न तो उनके लिए मकान बना कर दिए गए हैं, न उन्हें बसाने की व्यवस्था की गयी है। लेकिन अब उनको उजाड़ने की तैयारी हो रही है। मैं समझता हूं कि जो नया कानून बना है, उसमें इस पूरी स्थिति को पूरी समग्रता के साथ देखा जाएगा। जो वहां के निवासी हैं, उनको अगर बाहर निकालना है, उन्हें कहीं बसाना है, तो पहले उनके लिए आवास और जमीन का पुख्ता इंतजाम मुहैय्या हो, उसके बाद ही उन्हें वहां से हटाने का प्रावधान कराया जाना चाहिए।

महोदय, मैं एक बात वन अधिकारियों के बारे में कहना चाहता हूं। वन अधिकारियों का यहां निवास करने वाली जनजातियों से बहुत ही सीधा रिश्ता अतीत में भी रहा है और आगे भी रहेगा। इनका जो रवैया और तौर-तरीका है, उसे देखते हुए मुझे लगता है कि एक स्पेशल कैडर की स्थापना आपको करनी पड़ेगी। जिससे वे ज्यादा संवेदनशील होकर जो नया बायो डाइवर्सिटी एक्ट बना हुआ है, उसकी स्प्रिट को ध्यान में रखते हुए और जो हमारे वन के निवासी हैं, उनके सम्मान को ध्यान में रखते हुए विकास की योजनाएं बना सकें। मैं इस बात के लिए आग्रह करना चाहता हूं कि जो हमारी फारेस्ट मैनेजमेंट की प्रणाली है या जो भी अफिलिएट अथारिटीज इसके अंदर हैं, वे बहुत ही संवेदनशील होकर, जो जमीनी मुद्दे हैं और जिस तरह से इंसान के लिए संविधान में वर्णित किया गया है "राइट टू लिव डिग्निटी," उसके अनुसार एक डिग्निफाइड लाइफ का अधिकार उनको दे सकेंगे।

इस बिल को लाने के लिए मैं आपका अभिनंदन करना चाहता हूं और समर्थन करता हूं।

*[अनुवाद]*

**श्री कौरिन रिजीजू** (अरुणाचल पश्चिम) : महोदय, मैं अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी विधेयक नामक इस ऐतिहासिक विधेयक का समर्थन करता हूं।

परंतु मुझे हैरानी है कि मैं कहां से आरम्भ करूं क्योंकि अंतिम क्षेत्र में अनेक संशोधन प्रस्ताव लाए गए हैं। इसलिए मैं अत्यंत भ्रमित हूं। पिछले दो वर्षों से हम इस विधेयक की रूपरेखा और क्या हो, इस संपूर्ण वाद-विवाद तथा चर्चा का अभिन्न अंग रहे हैं। परंतु अचानक, अपराह्न लगभग एक बजे जब ये संयोजन प्रस्ताव लाए गए तो मैं अत्यंत भ्रमित हो गया तथा इसकी कुछ धाराओं को समझ नहीं पाया। अंतिम क्षण मे अचानक बड़े पैमाने पर उलट-फेर किया गया। परंतु, मैं माननीय मंत्री महोदय को बधाई देता हूं क्योंकि उनके प्रयासों से ही यह विधेयक प्रस्तुत हुआ है और मूर्तरूप ले पाया है। व्यक्तिगत रूप से भी, मैं माननीय मंत्री महोदय का सम्मान करता हूं तथा सभा में यह विधेयक लाने के लिए उन्हें बधाई देता हूं

*[हिन्दी]*

इसमें बहुत सारी बातें कही गई हैं। मैं कुछ ऐसे मुद्दे उठाना चाहता हूं और मैं समझता हूं कि उनके बारे में बोलना जरूरी है। हमारे कुछ सदस्यों ने गुजरात और बाकी राज्यों के बारे में कहा। मैं श्री मधुसूदन मिस्त्री से कहना चाहूंगा कि जब आप गुजरात को देखते हैं तो आपकी दृष्टि ठीक है, लेकिन जब पूर्वोत्तर को देखते हैं तो आपको चश्मा बदलकर देखना पड़ेगा क्योंकि वहां की परिस्थिति अलग है। हर जगह के जंगल, जमीन और वातावरण अलग-अलग हैं। कानून भी वहां के लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए बनाना चाहिए। इस देश में तकरीबन दस करोड़ ट्राइबल्स हैं। आजादी के बाद अब जो बिल लाया जा रहा है, यह उनके लिए बहुत बड़ा जीवन दान है। मैं समझता हूं कि इसकी वजह से उन्हें जो लाभ मिलेगा, वह ऐतिहासिक होगा। कई जगह कहा गया कि ट्राइबल्स ऐनक्रोचर्स हैं। लेकिन इस बिल के एम्स एंड ऑब्जैक्टिव्ज में मंत्री जी ने कहा है कि - जनजातियां एवं वनों को अलग नहीं किया जा सकता है। मैं इसे मानता हूं। ट्राइबल्स से ज्यादा कोई नहीं जान सकता कि जंगलों की रक्षा कैसे होनी चाहिए। इसे आदिवासी ही समझ सकते हैं क्योंकि वे जंगल में रहते हैं, उसी के साथ पले-बढ़े हैं। इसलिए जब उन्हें एनक्रोचर्स का

टाइटल दिया जाता है तो इसे लोग गलत तरह से समझते हैं। उन्हें अधिकार देने के साथ-साथ उसमें जिम्मेदारी का प्रावधान होना चाहिए। मैं इस हाउस में क्लीयरली कहना चाहूंगा कि ट्राइबल लोगों में भी लोभ आ गया है। ट्राइबल लोगों में भी ऐसे लोग आ गए हैं जो पैसे कमाने के लिए जंगलों को खत्म करने पर तुले हुए हैं। इसलिए बिल में ऐसे प्रावधान भी रखने चाहिए जिससे राइट्स का ऐब्यूज और मिसयूज न हो। जब हम पूर्वोत्तर की बात कहते हैं, आपको डैडलाइन देनी चाहिए कि उन्हें कब से मान्यता मिलेगी। इसका निर्णय करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बांगलादेश के जितने इल्लीगल माइग्रेंट्स पूर्वोत्तर, खासकर आसाम से आ रहे हैं, यह बहुत बड़ा खतरा है। अगर हम ऐसे छूट दे देंगे जिसका भरपूर फायदा बंगलादेश से आए हुए इललीगल माइग्रेंटस उठाएंगे, तो यह देश की सुरक्षा के लिए भी खतरा है। बचपन में हम जिस रास्ते से जाते थे, वह बिल्कुल खाली था। हम कहीं भी रूककर आराम से खाना-पीना खा सकते थे और बैठ सकते थे। आज वह जगह पूरी औकूपाई हो गई है। उसे औकूपाई करने वाले कौन हैं? उसे औकूपाई करने वाले भारत के पड़ोसी नहीं हैं बल्कि ज्यादातर लोग बंगलादेश से आए हुए हैं। कानून बनाते समय इस बात की ओर ध्यान देना बहुत जरूरी है।

मंत्री जी, आप पूर्वोत्तर राज्य से आते हैं। आपको ज्यादा विस्तार से इस बारे में बताने की जरूरत नहीं है। मुझे मालूम है कि आपको इस बात का एहसास है। आपने जो कोर एरियाज की बात कही है, इसमें बहुत कन्फ्यूजन है। उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूं कि अरुणाचल प्रदेश में रिजर्व फॉरैस्ट किसी जमाने में डिक्लेयर किया गया है, अंग्रेज डिक्लेयर करके गए हैं। वहां की डीमारकेशन की कोई सीमा नहीं है। कहा जाता है कि पूरा फॉरैस्ट एरिया रिजर्व कर दिया गया है। वहां जो लोग रहते हैं, उन्हें अधिकार नहीं है। पंचायत आदि बन गई, फिर भी कहा जाता है कि आपको जमीन नहीं मिलेगी, क्योंकि यह रिजर्व फॉरैस्ट एरिया है। कहीं न कहीं इनवायरनमैंट फॉरैस्ट मिनिस्ट्री से ट्राईबल अफेयर्स मिनिस्ट्री की वार्ता होनी चाहिए, यह तय होना चाहिए कि कौन सा रिजर्व फॉरैस्ट एरिया है। हमने उसे रिजर्व फॉरैस्ट एरिया मानने की सहमति नहीं जताई थी। अंग्रेजों के जमाने में अपने आप उसे डिक्लेयर किया गया। उसे हमें मानकर चलना पड़ रहा है। कहीं न कहीं इसकी डैफीनेशन होनी चाहिए। मंत्री जी, कानून बनाते समय आप इस पहलू को भी नजर में रखिए। जैसे मैंने कहा कि ट्राइबल लोगों के एरियाज में रिसोर्सेज हैं, वह देश के हित में जा रहे हैं। जनजातियों द्वारा संशोधनों की रक्षा किए जाने के कारण देश ने अपने आपको समृद्ध बना लिया है। ट्राइबल लोगों ने देश के लिए यह बहुत बड़ा काम किया है। उस ट्राइबल एरिया में जब कोई परियोजना बनती होती है, कोई बड़ा प्रौजेक्ट बनता है, उस समय लोगों को जो डिसप्लेसमैंट होता है, उसके लिए रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन यानी रीसैटलमैंट का जो पैकेज है।...*(व्यवधान)* माननीय मंत्री जी अभी हमारी पार्टी के और कितने मैम्बर्स बोलने वाले हैं?

**सभापति महोदय** : अभी आपके छः माननीय सदस्य और बोलने वाले हैं।

*(व्यवधान)*

**सभापति महोदय** : आप थोड़ा समय का ध्यान रखिये।

**श्री कीरेन रिजीजू** : मैं समय का ध्यान रखकर ही बोल रहा हूं। उस परियोजना के तहत रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन ट्राइबल्स लोगों को मिलना चाहिए। उसका जिक्र इस बिल में नहीं किया गया है। आगे चलकर इससे बहुत बड़ा कन्फ्यूजन पैदा होगा, इसलिए इसको अभी ही क्लीयर कर लेना चाहिए। यदि आप इसे लागू करेंगे, तो इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता क्योंकि मैं जिस प्रदेश से आता हूं, हिन्दुस्तान का 50 प्रतिशत हाइड्रो पावर जनरेशन कैपेसिटी अकेले हमारे प्रदेश में है। सबसे ज्यादा हमको नुकसान होने वाला है। लेकिन हमें बिल लाने से खुशी है। हम इसके लिए तैयार हैं। हम परियोजना के खिलाफ नहीं हैं। हमारे यहां गांव में रहने वाला आदिवासी जो उस, खेती जमीन पर निर्भर करता है, उसकी जमीन जब उस परियोजना में डूब जायेगी, तो उसका ख्याल रखना बहुत जरूरी है।

सभापति महोदय, आपको पूर्वोत्तर का बहुत अच्छा ज्ञान है इसलिए आप मेरे से सहानुभूति जतायेंगे और मुझे दो-तीन मिनट एक्स्ट्रा बोलने देंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। इस बिल में शिफ्टिंग कल्टीवेशन की बात की गयी है। पूर्वोत्तर में करीब-करीब झूम कल्टीवेशन है। वहां यह बहुत जोर से चलता है। इस बारे में हमारे कुलीग्स ने कहा है। मंत्री जी को इस बारे में ध्यान रखना चाहिए क्योंकि वे मेघालय से आते हैं। आपको इस बारे में मालूम है। मुझे खुशी है कि इस संबंध में जो कमेटी बनायी गयी, उसमें सबसे ज्यादा महत्व ग्राम सभा को दिया गया। आपने यह भी कहा है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी का डिसीजन फाइनल और बाइंडिंग होगा। अब मेरा सवाल यह है कि उस कमेटी का हैड कौन होगा? ग्राम सभा तो उस जमीन से जुड़ी हुई है। लेकिन उसके किसी निर्णय को अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल और सब डिवीजन लैवल की कमेटी, उसके आगे स्टेट लैवल कमेटी है, लेकिन मुख्य रूप से डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी का डिसीजन फाइनल है। इसलिए हमारा कहना

[श्री कीरेन रिजीजू]

है कि उसका हैड नौकरशाही से न होकर जन-प्रतिनिधि होना चाहिए, नहीं तो वे लोगों की रक्षा नहीं कर पायेंगे। इसके साथ-साथ आपने बिल के अमैंडमैंट में, जो पेज-7, लाइन 28 में है कि चार हैक्टेयर की लैंड सीलिंग की बात कही गयी है। मेरा मानना है कि यह बहुत कम है। हमारे यहां चार हैक्टेयर की लैंड बहुत कम है। इसमें हम कुछ नहीं कर पायेंगे। हम जिस तरह से जीवन जीते आये हैं, उससे चार हैक्टेयर से कुछ होने वाला नहीं है क्योंकि वह पहाड़ी इलाका है। हमारी आपसे मांग है कि इस पर विचार करके इसे बदलना चाहिए।

आखिर में जैसे मैंने पहले कहा, उसको जोड़कर मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा कि जंगल, जमीन और आदिवासी तीनों एक दूसरे से जुड़े हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि आदिवासी खुद ही जंगल काट रहे हैं। कहीं-कहीं लोग हन्टिंग बहुत ज्यादा करते हैं।...*(व्यवधान)* मेरे साथ जो साथी बैठे हैं, उनसे मेरे मतभेद हैं क्योंकि वे बहुत ज्यादा .... *करते हैं। मैं इसका विरोध करता हूं। मैं बहुत शांतप्रिय आदमी हूं। मैं नहीं करता हूं।...(व्यवधान)**

**सभापति महोदय** : इसको काट दीजिए। यह लिखा नहीं जायेगा।

*(व्यवधान)*

**श्री कीरेन रिजीजू** : आपने कहा, तो उन्हें मानना पड़ेगा। मेरा मंत्री जी से कहना है कि हन्टिंग को रोकना पड़ेगा। अगर जंगल रहेगा तो हमारा जीवन सुखी रहेगा। अगर जंगल नहीं होगा तो हमारे जीवन का कोई उद्देश्य नहीं होगा।

**श्री मो. ताहिर** (सुल्तानपुर) : माननीय सभापति महोदय, श्री पीआर किन्डिया जी ने जो बिल पेश किया है, उसका मैं और हमारी बहुजन समाज पार्टी समर्थन करती है। आजादी के 59 साल बीत जाने के बाद आज यह काम हुआ, जो कि बहुत पहले होना चाहिए था। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी को आपाके माध्यम से मुबारकबाद देता हूं और इस बिल का पुरजोर समर्थन करता हूं।

बंजारों की शक्ल में खानाबदोश जिन्दगी जीते हैं, उनके अधिकारों को सफल बनाने का प्रयास इस बिल में किया गया है। हम लोग इससे बहुत खुश हैं कि उनकी जिन्दगी को बेहतर बनाने, बच्चे जो अभी तक शिक्षा से वंचित रहे हैं, आने वाले समय में उनको शिक्षा से वंचित नहीं रहेंगे। उनके बच्चों जो अभी तक कुपोषण के शिकार होते थे, जिनमें बड़े पैमाने पर बीमारियां फैलती थीं, टीके नहीं लगते थे, चिकित्सा सुविधा नहीं मिलती थी, उनको अब चिकित्सा सुविधा मिलेगी। मंत्री जी ने जो प्रयास किया है, उससे अब उनके साथ अन्याय नहीं होगा, उनको पानी, बिजली आदि सुविधाएं मिलेंगी और सारी योजनाएं उन तक पहुंचेगी और उन्हें लाभ होगा। अगर उनको समाज की मुख्यधारा में जोड़ना है तो उनके साथ इंसाफ करना होगा वरना उनकी जो बहुत बड़ी आबादी हमारे देश में है, अगर उनको काटकर देश का विकास करना चाहें तो वह इम्पॉसिबल होगा। उत्तर प्रदेश में और हमारे पड़ोसी राज्य उत्तरांचल में हमने देखा है कि ये लोग बंजारों के रूप में इधर से उधर जाते हैं, उनके बच्चों के पैरों में चप्पल और तन पर कपड़े नहीं होते हैं, ठंड से ठिठुरते रहते हैं। एकाध भैंस, बकरी, कुत्ते वगैरह लेकर वे टहलते रहते हैं। उनका जीवन खानाबदोश जिन्दगी होती है। आदिवासी, दलित और जनजातीय लोगों के साथ इंसाफ तभी होगा जब तक उनके दर्द को समझेंगे। अगर हम उनके दर्द को नहीं समझेंगे तो अभी आजादी के लगभग 59 साल बीते हैं, सैकड़ों साल और बीत जाएंगे, मगर हम उनके साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। हम जब उनका दर्द समझेंगे और एक पॉजिटिव सोच होगी तभी हम उनको समाज की मुख्यधारा से जोड़ पाएंगे।

अभी हमारे साथी माननीय सदस्य ने कहा कि असम में बहुत बड़ी संख्या में बांग्लादेशी लोग आते हैं। हम इसे मानते हैं कि हमारे देश में कुछ बांग्लादेशी लोग आते हैं, लेकिन इसमें ऐसा भी हो सकता है कि इस देश के मुस्लिम समाज को ही बांग्लादेश कहकर उन पर शक किया जाए तो यह गलत होगा। हिन्दुस्तान में वर्ष 1857 से लेकर बहुत से लोगों ने खून बहाया, हो सकता है कि वे भी उन लोगों में से हों और उनको हम बांग्लादेशी कहकर कहीं निकाल न दें। इसलिए, इसकी जांच होनी चाहिए, अन्यथा कभी ऐसा न हो कि हमारे देश के जो मूल निवासी मुसलमान हैं, उनके साथ नाइंसाफी हो जाए। मैं यह मानता हूं कि जो बांग्लादेशी लोग हैं, उनके साथ कोई नरमी नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो हमारे देश के मुसलमान है, जो जंगलों में पड़े हुए हैं, जो सैकड़ों सालों से रह रहे हैं, उनके साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। मैं अपनी बात को यही खत्म करते हुए इस बिल का पूरा समर्थन करता हूं।...*(व्यवधान)*

**श्री खारबेल स्वाईं** (बालासोर) : भारत के मुसलमानों का कोई भी विरोध नहीं करता है।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

**सभापति महोदय** : स्वाई जी, आप बैठिए, आप की ही बात को उन्होंने भी कहा है।

*[अनुवाद]*

**श्री प्रबोध पाण्डा** (मिदनापुर) : महोदय, मुझे यह अवसर देने के लिए आपको धन्यवाद। मैं कुछ ही मिनट का समय लेना चाहता हूं। मैं केवल कुछेक मुद्दे ही उठाना चाहता हूं।

महोदय, मैं विधेयक का समर्थन करता हूं। मेरे विचार से यह पहले ही काफी हो चुका है। बंगाली साहित्य में, हम सजीव चन्द्र द्वारा लिखित एक वाक्य से अत्यंत परिचित हैं। यह बंगाली में है, जिसमें यह उल्लेख है. "बनयेरा बने सुंदर, शिसुरा मातृ क्रोड़"

इसका अर्थ है "वन वासी वन में ही प्रसन्न रहते हैं तथा बच्चे अपनी मां की गोद में प्रसन्न रहते हैं।" वनवासियों और वनों को एक-दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है। वे एक दूसरे पर निर्भर हैं। वनवासियों की मदद के बिना, वनों को संरक्षित नहीं किया जा सकता तथा वनों के बिना वनवासियों का जीवन नहीं चल सकता। परंतु औपनिवेशिक शासन ने इस वास्तविकता की अनदेखी ही नहीं की बल्कि उन्होंने वन-वासियों के अधिकार छीन लिए, विशेषरूप से जनजातीय लोगों तथा देश के विभिन्न क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों के अधिकारों को छीना। बंगाल, उड़ीसा तथा कुछ अन्य राज्यों में हम ब्रिटिश राज के तथाकथित स्थायी बंदोबस्त से भली भांति परिचित हैं, जिसने जनजातियों तथा अन्य वनवासियों के अधिकार छीन लिया। इसलिए, इतिहास में विद्रोह को व्यापक स्थान दिया गया हैं सोनोटल विद्रोह, पेक विद्रोह तथा चुरूर विद्रोह को हमारे राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में विशिष्ट स्थान दिया गया है तथा स्वंतत्रता प्राप्ति के बाद हम उसी प्रथा का निवर्हन कर रहे हैं।

महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय तथा संप्रग सरकार को इस प्रकार का विधेयक लाने के लिए धन्यवाद देता हूं, जिसमें जनजातियों तथा अन्य परम्परागत वन निवासियों को वन अधिकार देने का प्रावधान है। यह विधेयक आजादी के 59 वर्ष बाद लाया गया है। यह एक ऐतिहासिक विधेयक है तथा इसलिए, मैं हृदय से इस विधेयक का स्वागत करता हूं।

संशोधन के अनुसार विधेयक में वनों में रह रहे अनुसूचित जनजातियों को वन अधिकार देने का प्रावधान किया गया है जिनके पास 13 दिसंबर, 2005 से पूर्व वन भूमि थी। इस विधेयक के अनुसार, एक वनवासी परिवार अधिकतम 2.5 एकड़ वन भूमि पाने का हकदार होगा। इस विधेयक में उनके लिए विशेष वन अधिकारों का भी प्रावधान किया गया हैं ग्राम सभा को पात्र व्यक्तियों का पता लगाने की प्रक्रिया आरंभ करने की शक्ति दी गई है। मैं इन सभी प्रावधानों का स्वागत करता हूं।

इसलिए, इस विधेयक का समर्थन करते हुए, मैं कुछेक मुद्दों पर माननीय मंत्री से स्पष्टीकरण मांगना चाहता हूं। मैं यह सुझाव देना चाहूंगा कि 'परम्परागत वन वासी' की परिभाषा में 'निवासी' जो वन भूमि के समीप निवास करते हैं तथा मुख्य रूप से वन भूमि पर निर्भर करते हैं, शब्द सम्मिलित किए जाएं। मैं आशा करता हूं कि मंत्री महोदय इस पर विचार करेंगे तथा कोई सकारात्मक बात कहेंगे। तत्पश्चात्, उन वर्गों के समुदायों के हितों, जो जीवित रहने तथा अपनी आजीविका के लिए वनों पर निर्भर हैं परंतु वनवासी नहीं है, को भी इस विधेयक के अधिकारक्षेत्र में लाया जाना चाहिए।

महोदय, विधेयक में अंतिम तिथि तो विनिर्दिष्ट की गई है, परंतु वनों के इर्द-गिर्द रहने वाले लोगों के लिए जिस तरह का साक्ष्य अपेक्षित होगा, उसके बारे में स्पष्ट नहीं किया गया है। बड़ी संख्या में वन निवासियों का अनधिकृत रूप से वन भूमि पर कब्जा करने का दोषी ठहराया गया है तथा उनके मामले न्यायालयों में लंबित हैं। बड़ी संख्या में लोगो को वन भूमि से पहले ही बेदखल कर दिया गया है तथा उन्हें दण्ड भी दिया गया है। उनका क्या होगा? मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि क्या वह भूमि उन्हें वापिस दी जाएगी। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह बात स्पष्ट करने का अनुरोध करता हूं।

मैं अब संशोधन प्रस्तावों पर आता हूं। मैंने आज परिचालित किए गए संशोधन प्रस्तावों का अध्ययन किया हैं संशोधन संख्या 5 में यह उल्लेख है:

> "पृष्ठ 3, पंक्ति 9 और 10 में, "ईंधनकाष्ठ और उसी प्रकार के पत्थर, स्लेट और बाउलडर्स तथा जलाशयों से उत्पाद जिनमे मछली, अपतृण" का लोप करें।

यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है। ठेकेदार एवं वन-माफिया वन संसाधनों का अनुचित लाभ उठा रहे हैं तथा हमारे वन को समाप्त कर रहे हैं। परंतु गरीब वन निवासी अपने जीवनयापन हेतु ईंधन के लिए लकड़ियां एकत्रित कर रहे हैं, इसलिए यह अधिकार जनजातियों को दिए जाने चाहिएं।

[श्री प्रबोध पाण्डा]

इसलिए, पत्थर, स्लेट तथा मलबा इत्यादि शब्दों का लोप किया जाए परंतु ईंधन के लिए लकड़ी तथा 'मछली, खरपतवार इत्यादि सहित जल निकायों' शब्दों को इस विधेयक में बनाए रखा जाए।

अब मैं संशोधन संख्या 7 पर आता हूं। इसमें यह उल्लेख है:–

"परम्परागत वन निवासी" से कोई सदस्य या कोई समुदाय अभिप्रेत है जो 13 दिसम्बर 2005 से पूर्व कम से कम तीन पीढ़ियों से प्राथमिक रूप से निवास करता रहा है और जो वनों या वन भूमि पर निर्भर है;

**अपराह्न 3.56 बजे**

[डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय *पीठासीन हुए*]

महोदय, ब्रिटिश शासन काल में भी कानून यह था कि परिवार का कोई भी सदस्य, जिसका 12 वर्ष तक भूमि पर कब्जा रहता है वह उस भूमि को पाने का हकदार होगा। इसलिए कागजों में जो उल्लेख किया जा सकता है। इसलिए मैं प्रस्ताव करता हूं कि 12 वर्ष उसकी पात्रता की अवधि होनी चाहिए।

अब, मैं दूसरे मुद्दे पर आता हूं, जिसके अंतर्गत लकड़ियों से वनवासियों को उचित हिस्सा प्रदान किया जाना चाहिए ऐसा उपबंध होना चाहिए।

मेरा अंतिम मुद्दा यह है कि अधिकांश वन क्षेत्रों, में माफिया राज है। वे वहां के स्थानीय निवासियों तथा कुछ क्षेत्रों में वन अधिकारियों की मिलीभगत से वनों को लूट रहे हैं। इसके बारे में सरकार का क्या कहना है? हम इस विधेयक को पारित करने की जल्दी में है। यह बिल्कुल सही है। अधिनियमन की आवश्यकता है। यह बात बिल्कुल सही हैं परंतु वन क्षेत्रों में माफिया राज चल रहा है। आप इसे कैसे नियंत्रित करेंगे? आप इस पर किस प्रकार रोक लगाएंगे?

मेरे विचार से मंत्री महोदय इन सभी बातों पर विशेषरूप से उन संशोधन प्रस्तावो जिनका मैंने उल्लेख किया है, पर विचार करेंगे। उल्लेख मैं दो बातों का उल्लेख किया गया है पहली 12 वर्ष की अवधि का उललेख किया जाना चाहिए तथा दूसरी ईंधन की लकड़ी इत्यादि के बारे में हैं विधेयक में ऐसा होना चाहिए। माननीय मंत्री जी को अन्य बातों जिनका उन्होंने पहले उल्लेख किया है, का लोप करें परंतु जिन बचतों का मैंने जिक्र किया है, वे बनी रहनी चाहिएं।

इन शब्दों के साथ, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और यह विधेयक लाने के लिए व्यक्तिगत रूप से माननीय मंत्री जी तथा सप्रंग सरकार का धन्यवाद करता हूं।

*[हिन्दी]*

**डा. रामेश्वर उरांव** (लोहरदगा) : महोदय, मैं इस बिल के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मुझे इस बिल का समर्थन करना ही चाहिए, क्योंकि एक आदिवासी होने के नाते मैं जानता हूं कि आदिवासियों का दर्द क्या है। सदियों से हम विस्थापित होते रहे हैं। जब से हिंदुस्तान आजाद हुआ है, कई बार हमें विस्थापित होना पड़ा है और हमारी जमीन हमसे छीनी जाती रही है। यह पहला मौका है जब हमें स्थापित किया जा रहा है, इसलिए मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

महोदय, सबसे पहले मैं यूपीए की चेयरपरसन श्रीमती सोनिया जी, प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह और श्री किन्डिया जी को, जिन्होंने यह बिल सदन में प्रस्तुत किया है, धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं जेपीसी के सदस्यों और जेपीसी के अध्यक्ष को भी धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि जब मूल बिल आया था; उसमें सिर्फ एसटी लोगों की बात की गई थी। अगर ऐसा होता, तो शायद एक बार फिर गैर-आदिवासियों के साथ अन्याय होता, जो सदियों से जंगल में रहते आए हैं। उनके साथ समाज की समरसता है, सिर्फ एसटी लोगों को जमीन पर अधिकार मिलता, तो शायद गैर-आदिवासियों के मन पर ठेस लगती, इसलिए जेपीसी के सदस्यों और जेपीसी के अध्यक्ष को एक बार पुन: बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा।

**अपराह्न 4.00 बजे**

महोदय, इतिहास में जाने की जरूरत है कि किस तरह से जंगल और आदिवासी अविभाज्य रहे हैं। पहले आदिवासी और दूसरे लोग जंगलों को फ्री में उपयोग करते थे। अंग्रेज लोग आए और 1864 में इंडियन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की स्थापना हुई। तब से आदिवासी और वन विभाग में सघर्ष चल रहा है। इस संघर्ष ने आंदोलन का रूप लिया। झारखंड के बिरसा मुंडा जी इसके लिए प्रसिद्ध हैं। फिर बस्तर में 1911 में आंदोलन का रूप लिया। झारखंड के बिरसा मुंडा जी इसके लिए प्रसिद्ध हैं। फिर बस्तर में 1911 में आंदोलन हुआ। जंगल पर राज के नियंत्रण को लेकर अंग्रेजों के खिलाफ आन्दोलन

हुआ। फिर कुमायूं में किसानों ने जंगल पर अधिकार को लेकर आन्दोलन किया था। जंगल पर अधिकार प्राप्त करने के लिए ही सारे संघर्ष हुए। जंगल और आदिवासी अविभाज्य हैं। इसके क्या मायने हैं? हमारा जीवन, संस्कृति और धर्म तीनों जंगल पर निर्भर करते हैं।

जुएल ओराम जी बोल रहे थे। उनका काफी भावनात्मक भाषण रहा। मैं और आगे बढ़ कर बताना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान की अन्य जातियों के सरनेम और गोत्र होते हैं। ये ज्ञान या दूसरे आधार पर होते हैं। तीन वेद जानने वाले को त्रिवेदी कहा गया और चार वेद जानने वाले को चतुर्वेदी कहा गया और जो सिर्फ पढ़े उसे पाठक कहा गया। हमारा क्या है, हमारा गोत्र कैसे जुड़ता है? हमारा टोप्पो है। इसका हिन्दी में क्या मतलब हुआ? हिन्दी में काठखोदवा हुआ जिसका मतलब है कि काठ में बैठकर जो पक्षी खोदता रहता है। उसे अंग्रेजी में वुडपैकर कहते हैं। जुएल ओराम जी का क्या गोत्र है मुझे पता नहीं क्योंकि मैंने उनसे पूछा नहीं है। कुजूर होते हैं, लकड़ा होते हैं जिसका मतलब टाइगर है। जितने भी हमारे गोत्र होते हैं वे वन्य प्राणियों,, पशु-पक्षी या पेड़ के साथ जुड़े होते हैं। उनके साथ हमारा भावनात्मक संबंध हैं आदिवासियों का जंगल के साथ अटूट संबंध है।

बड़े खेद की बात है कि जब बिल आने लगा तो वे लोग जिन के पुरखे टाइगर मार कर और डैड बॉडी पर पैर रख कर, कंधे पर बंदूक रख कर फोटो खिंचा कर ड्राइंग रूप में रखते हैं, उन पर्यावरणविदों ने हमारे खिलाफ बोलना शुरू किया। कहा कि इस बिल से जंगल और वन प्राणी दोनों नष्ट हो जाएंगे। मैं उनकी गलतफहमी को दूर करना चाहूंगा। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि ये वे नहीं थे, हम ही थे जिन्होंने जंगल को बचाया और जंगल में रहने वाले वन्य प्राणियों को भी बचाया। जो लोग पूरे देश में गलतफहमी फैला रहे हैं और जैसा जुएल ओराम जी ने कहा कि टाइगर वर्सिज ट्राइबल्स। यह बहुत अफसोस की बात है कि पढ़े लिखे और एलीट कहे जाने वाले लोग इस तरह की बात कर रहे हैं। इनसे देश को होशियार रहने की जरूरत है।

**सभापति महोदय** : आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं और विषय पर बोल रहे है लेकिन समय सीमित है, कृपया ध्यान रखें।

**डा. रामेश्वर ठाकुर** : यह हमारा सबजैक्ट है। इसमें ग्राम सभा के लिए व्यवस्था की गई है। नीचे तबके की डैमोक्रेसी को इसमें इनवॉल्व किया गया हैं ग्राम सभा का महत्व दूसरे लोग नहीं जानेंगे। ट्राइबल होने के नाते हम जानते हैं कि हमारा सारा काम ग्राम सभा से होता है। कहां क्या होगा और गांव में क्या होना चाहिए यहां तक कि शादी-ब्याह कहां तय होना चाहिए वह भी ग्राम सभा तय करती है। हम किताबें पढ़ते हैं कि लिच्छवियों के जमाने में वैशाली में गणतंत्र था लेकिन इसके बाद गणतंत्र खत्म हो गया। लेकिन आज तक आदिवासी समाज में गणतंत्र व्याप्त है। 1947 के पहले से है और आज तक है। ग्राम सभा का इतना महत्व है, और उसे सारे अधिकार दिए गए हैं जो बहुत अच्छी बात है। यह भी अच्छी बात है कि सब डिविजनल और डिस्ट्रिक्ट लैवल पर 50 परसेंट सदस्य पंचायती राज सिस्टम के होंगे। इससे ट्राइबल्स और फॉरेस्ट ड्वलैलर्स के राइट की भी रक्षा होगी। आपने समय की बात कही है तो बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा लेकिन इस मौके पर एक बात अवश्य बोलूंगा कि ट्राइबल्स और फॉरेस्ट ड्वलैलर्स बहुत इन्सेक्योर हैं। आज झारखंड में क्या हो रहा हैं इंडियन आर्मी नेतरहाट में एक फील्ड फायरिंग रेंज गुमला जिले में बनाने जा रही है। इससे दो सौ गांव उजड़ेंगे और यहां पर पीटीजी, प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप के लोग रहते हैं। हम लोग तो कुछ पढ़ लिख गए हैं और लोकसभा में भी चुनकर आ गए हैं लेकिन जिन लोगों ने पीटीजी को देखा होगा उन्हें पता है कि उनकी हालत बहुत खराब है, वे अभी भी हंटिंग एज में चल रहे हैं जबकि उनको हंटिंग करने के लिए कुछ मिलता नहीं है लेकिन उनकी एज वही है। अगर 200 गांव के पीटीजी को फील्ड फायरिंग बनाने के नाम पर वहां से हटा देंगे, विस्थापित कर देंगे तो जिस तरह से मछली बिना पानी के तड़प कर मर जाती है, इनकी स्थिति वही होगी। मैं भारत सरकार के रक्षा मंत्री से इस मौके पर मांग करता हूं कि वहां पर फील्ड फायरिंग रेंज हटा लें और इसे वहां स्थापित न करें।

एक माननीय सदस्य ने सही कहा है कि आदिवासी लोग एक ही चीज से त्रस्त हैं और वह फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है। एक बार फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने केस कर दिया, तो भले इसकी सजा एक महीने की है लेकिन केस दस साल तक लड़ना पड़ता है और बहुत ही मानसिक प्रताड़ना और आर्थिक हानि झेलनी पड़ती है। इस मौके पर भारत सरकार और मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि जितने भी फॉरेस्ट केसिस हैं, उन्हें विदड्रॉ किया जाए। इतना कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

**श्री शैलेन्द्र कुमार** (चायल) : माननीय सभापति महोदय, इस सदन में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी विधेयक, 2006 के विषय पर चर्चा चल रही हैं मैं इस बिल के समर्थन में

[श्री शैलेन्द्र कुमार]

बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मेरा यह सौभाग्य रहा है कि मुझे इस कमेटी में सदस्य रहने का मौका मिला और उत्तर प्रदेश में छोटे से वन विभाग मंत्री के रूप में सेवा करने का मौका भी मिला था। मैंने जनजाति या परंपरागत तरीके से रहने वाले आदिवासियों के दर्द को बहुत नजदीक से देखा है क्योंकि हम उनके बीच में ट्राइबल्स-डे या अन्य फंक्शनों में जाते थे इसलिए उनकी दुर्दशा को बहुत नजदीक से देखा और जाना है। मैं आज किंडिया साहब का, ज्वाइंट पार्लियामेंटरी कमेटी के सभापति श्री देव साहब का और माननीय सदस्यों का आभर व्यक्त करता हूं क्योंकि कई मीटिंग्स इसके लिए हुईं और बहुत जद्दोजहद से, समय-समय पर तमाम एनजीओज् को इकट्ठा करके बहुत सोच विचार और मंथन के बाद तमाम सुझावों के साथ इस विधेयक को पेश किया गया। मैं यूपीए सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि सही समय पर इस विधेयक को पेश किया गया है हालांकि बहुत पहले इस विधेयक को आ जाना चाहिए था, लेकिन अब यह आया है इसके लिए मैं बधाई देना चाहूंगा। यहां पर तमाम माननीय सदस्यों ने अपनी बातें रखी हैं और तमाम सुझाव सामने आए हैं लेकिन प्रेक्टिकल तौर पर देखा जाए तो उन आदिवासियों को या परंपरागत तरीके से रहने वाले लोगों को, जो जंगलों में रहते हैं, चाहे वे अल्पसंख्यक समुदाय, घुमक्कड़ जाति या चरवाहे से संबंधित तमाम प्रजातियां हैं, उनको प्रेक्टिकल रूप में सुविधाएं कैसे दे सकें, इस पर विचार करना होगा। रिपोर्ट में जो प्रतिवेदन आया है इसमें सभी बातें सम्मिलित हैं। आज देखा जाए तो पूरे हिन्दुस्तान में, चाहे किसी भी प्रदेश का मामला हो, जहां नकसलवाद या नौजवानों ने हथियार उठाए हैं, उसका मुख्य कारण यह रहा है कि दो, तीन या चार पीढ़ियों से समाज की मुख्यधारा से अलग रहे हैं। आज उन्हें समाज की मुख्य धारा से जुड़ने का मौका मिला है। उत्तर प्रदेश में भी कुछ नकसलाइट जिले हैं, जहां पर हमारे मुख्य मंत्री जी ने स्वयं जाकर उनके नेताओं से बात की और वहां पंचायती राज व्यवस्था के तहत उन्हें वोटर बनाया गया। जब उन्होंने पंचायती राज व्यवस्था में चुनाव लड़ा और समाज की मुख्य धारा में आये तब कहीं जाकर उन्हें सम्मान मिला और वहां का विकास हुआ। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में तथाइर्द-गिर्द जो भी प्रदेश हैं, जहां नकसलाइट एरियाज हैं...*(व्यवधान)*

**श्री तथागत सत्पथी** (ढेंकानाल) : क्या उत्तर प्रदेश में जंगल हैं।

**श्री शैलेन्द्र कुमार :** थोड़े बहुत जंगल हैं। लखीमपुर खीरी में हैं, इधर उत्तरांचल के बॉर्डर पर हैं।

**सभापति महोदय :** शैलेन्द्र कुमार जी, समय सीमित है, अन्यथा मुझे आपको रोकना पड़ेगा।

**श्री शैलेन्द्र कुमार :** सर, यह पूछने लगे, इसलिए मैंने बताया है आपने मुझे याद दिला दिया, इसलिए मैंने कहा है। जो लोग नौजवान हैं, उन्हें इससे बहुत अच्छा मौका मिलेगा। इसके कारण जो तमाम ऐसी गतिविधियां हैं, उन पर इस विधेयक के माध्यम से रोक लगेगी। इसके अलावा जंगल में जो आदिवासी लोग हैं, चाहे वे लकड़ी बीनकर अपना जीवनयापन कर रहे हों, चरवाहे के रूप में जानवरों को चराने का काम कर रहे हैं या कुछ लोग जंगलों से शहद निकालने का काम कर रहे हैं। इन सभी लोगों के अपने इस तरह के छोटे-मोटे धंधे हैं। इनसे जंगलों को कोई नुकसान नहीं होता, केवल जंगल से उनकी सुरक्षा होती है और उनसे जंगलों की सुरक्षा होती है। लेकिन हम यह भी कहना चाहते हैं कि देश में जो भी अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान हैं, उन्हें भी कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। हमारी प्राकृतिक सम्पदा अक्षुण्ण रहे। उसकी सुंदरता, संस्कृति और आदिवासियों की सभ्यता बरकरार रहे, इस बात को ध्यान में रखते हुए और इसमें इसका समावेश करके उसमें सुधार करने की बात कही है। इस विधेयक को उनके बारे में बड़े विस्तार से अध्ययन करने के बाद रखा गया है।

सभापति महोदय, मैं दूसरी बात कहना चाहूंगा कि हम लोग जंगलों में गये हैं। वहां हमने देखा कि उनकी बहुत बुरी हालत थी। ऐसा लगता था कि समाज और देश की मुख्य धारा से वे लोग अलग-थलग थे। आज जरूरत इस बात की है कि जो जीवन के लिए आवश्यक वस्तुएं हैं, उनके बीच उन तमाम वस्तुओं की उचित कीमत की दुकानें हों। उनके बीच में अस्पताल और स्कूल हों। उनके बच्चों की आज बड़ी दुर्गति हो रही है। उनके बच्चों के लिए वहां अस्पताल और स्कूल होने चाहिए। आई.सी.डी.एस. बाल विकास योजना को सैन्टर होना चाहिए। इसके अतिरिक्त जो अन्य सुविधाएं हम लोगों को मिलती हैं, चाहे वह दूरसंचार, विद्युत, तालाब, पीने का पानी, चैक डैम या पानी के तमाम सोर्सेज हों, उनकी व्यवस्था वहां होनी चाहिए। जैसे अन्य जगहों पर सुविधाएं होती हैं, वैसे उनके लिए भी होनी चाहिए।

इसके अलावा एक मुख्य बात मैं बताना चाहता हूं कि वहां के आदिवासियों से बात करने पर पता चला कि उन्हें सबसे बड़ी दिक्कत जंगलात के अधिकारियों और कर्मचारियों के कारण होती है। समय-समय पर उन्हें पकड़ लिया जाता है और उन पर फर्जी मुकदमे लगा दिये जाते हैं। एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि होने के नाते मैंने देखा कि बहुत से अधिकारी वहां के माफिया लोगों से मिले हुए थे। जिसके कारण आदिवासियों की हालत बदतर थी। आज जरूरत इस बात की है कि इन आदिवासियों की देखरेख करने के लिए एक अलग विभाग

बनाया जाए तथा अलग से अधिकारी नियुक्त किये जाएं, तभी हम आदिवासियों का संरक्षण कर सकते हैं और उन्हें शोषण से बचा सकते हैं।

एक अन्य बात मैं कहना चाहूंगा कि मैं इनके बीच में ट्राइबल्स डे पर गया था। ये लोग अपने हाथों से बहुत सुन्दर-सुन्दर वस्तुएं बनाते हैं, जिनमें ओर्नामैन्ट या घरेलू सजावट की बहुत सुन्दर वस्तुएं ये लोग बनाते हैं, जिन्हें हम लोग रोजमर्रा की जिंदगी में यूज करते हैं। मैं समझता हूं कि समय-समय पर ट्राइबल्स डे में इनके लिए अलग से एक बाजार हो, ताकि इनके द्वारा हाथ से बनाई हुई चीजों को बाजार में लाया जा सके। इनके द्वारा बनाई गई चीजों को प्रोत्साहित करने की जरूरत है। इस माध्यम से इन लोगों को रोजगार मिलेगा और उनकी आर्थिक उन्नति होगी। हमने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1972, वन संरक्षण अधिनियम, 1980 और जैव विविधता अधिनियम, 2002 लागू किये। उनमें इतनी ज्यादा शक्तियां थीं, जिनके कारण इनके ऊपर जुल्म और अत्याचार हुए, इससे हम इनकार नहीं कर सकते, इससे हम अलग नहीं हट सकते, इससे हम अछूते नहीं रह सकते। लेकिन आज बिल के पास हो जाने के बाद उन्हें बहुत बड़ी सुविधा मिलेगी। हमारे साथी बैसीमुथियारी बैठे हुए हैं; ये कुछ अमैन्डमैन्ट रखना चाहते हैं, मैं इनकी बातों को पहले से सपोर्ट करता हूं तथा मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि इनकी बातों को ध्यान से सुना जाए।

इन्हीं बातों के साथ सभापति महोदय आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देते हुए अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं।

*[अनुवाद]*

***श्री ए.वी. बेल्लारमिन** (नागरकोइल) : महोदय, मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं। जब यह विधेयक पारित हो जाएगा तो यह वन का उपयोग करने वालों के अधिकारों और जिम्मेदारियों के बीच एक उचित संतुलन स्थापित करेगा।

हमारी मातृभूमि एक प्रायद्वीप है जहां बहुत बड़े - क्षेत्र में पहाड़ियां, पर्वत और सभी प्रकार के वन संसाधन हैं, यहां उत्तर-पूर्व सीमांत क्षेत्रों और दूर तक फैली विंध्य सतपुड़ा और पश्चिमी घाट जैसी पर्वतमालाओं के कारण हमारा देश कुछ ऐसे बहुत थोड़े से देशों में से एक है जो वर्षा वनों का एक प्रमुख स्थल है। पश्चिमी घाट और उत्तर-पूर्व के ये वन हमारे देश की जलवायु को स्थिर रखने में योगदान देते हैं तथा इनमें हमारी भव्य जैव-विविधता विद्यमान है। इन वनों के क्षेत्र विशेष में एक अलग ही प्रकार की वनस्पतियां तथा जीव-जन्तुओं की प्रजातियां पाई जाती हैं उन्हें किसी प्रकार की हानि से स्थायी त्रासदी आ सकती है।

इस विधेयक के प्रावधानों का मुख्य उद्देश्य इन क्षेत्रों के समुदायों और जनजातियों को उनके पारंपरिक रूप में कायम रखने के लिए इन वनों के आसपास के प्रतिरोधक (बफर) वनों का बचाना तथा उनके जीव-जगत और वनस्पतियों की रक्षा करना होना चाहिए।

इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात इन वनों में रहने वालों का संरक्षण जीविका, स्वास्थ्य देखभाल और मूलभूत शिक्षा की गारंटी देना होना चाहिए। यहां दो प्रकार के वन-वासी हैं। एक तो वनों में रहने वाली अनुसूचित जनजातियां हैं जिन्हे वनों में रहने वाली जनजातियां अधिसूचित किया गया है, वे कई शताब्दियों से इन्हीं वनों में रह रहे हैं। उन्हें वनों में रहने वालों की तरह समझा और घोषित किया जाना चाहिए। वन प्राधिकारियों के कोई भी अधिकार या गतिविधियां उनके दैनिक जीवन और जीविका में बाधक नहीं होने चाहिए। एक क्षेत्र विशेष में वनों की गुफाओं में अपने समुदायों में रहते हैं। लेकिन जिस भूमि पर वे रहते हैं उसपर उनका कोई अधिकार नहीं है

वे खेती करते हैं परंतु इनके यहां उनके उत्पादों के विपणन के लिए कोई सुविधा नहीं है। वे एक वंचित और नि:सहाय के रूप में रहते हैं उनके यहां न तो पेयजल है, न ही मुख्य आहार है, न बिजली है यहां तक कि यात्रा करने के लिए सड़कें भी नहीं हैं। सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्राप्त बड़ी बड़ी उपलब्धियों के बारे में इन्हें कोई जानकारी नहीं है। प्राधिकारियों ने इन्हें टेलीफोन कनेक्शन या बिजली की लाइनें बिछाने की भी अनुमति नहीं दी हैं। संक्षेप में वे मुख्य भूमि से बिल्कुल अलग प्रकार का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। वे मुख्य भूमि से कटे हुए हैं ऐसी स्थिति में इस विधेयक को अंतिम रूप दिए जाने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाए कि इन लोगों को उनकी भूमि का अधिकार दिया जाए। इसी प्रकार इन्हें जीवन की अन्य मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएं।

उक्त प्रकार के वनवासियों के अतिरिक्त एक दूसरे प्रकार के वनवासी वे लोग हैं जो आसपास के क्षेत्रों व मैदानी क्षेत्रों से इन वनों में रह रहे है। उन्हें भी सामान्य जीवन के अधिकार और विशेषाधिकार प्रदान किए जाने चाहिए।

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[श्री ए.वी. बेल्लारमिन]

वनवासियों और वन प्राधिकारियों के अधिकारों और जिम्मेदारियों के बीच संतुलन स्थापित करते समय यह बात ध्यान में रखी जानी चाहिए कि स्थानीय क्षेत्रों में वन्य जीवन, वनों और जैव विविधता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली गतिविधियों को रोकने के लिए वनों के अधिकार प्राप्त लोगों को शक्तियां प्रदान की गई हैं। जल निकायों और पर्यावरणीय दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों की रक्षा होगी। यहां रहने वालों को भी जंगली जानवरों से बचाया जाना चाहिए जो अक्सर उनकी फसलों और जीवन को अपूर्णीय क्षति पहुंचाते है। जिन समुदायों का जैसे कि नीलगिरी में रहने वाले पोडर, कोई सहारा नहीं है उन्हें वरीयता दी जानी चाहिए।

*[हिन्दी]*

**सभापति महोदय** : माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि अभी भी लगभग 17 सदस्य और बोलने वाले हैं विषय ऐसा है जिस पर अधिकाधिक लोग बोलना चाहेंगे। समय सीमित है और उसके बाद हमें प्राइवेट मैम्बर्स बिल भी लेना है।

*[अनुवाद]*

यह आधे-घंटे की चर्चा है। अत: हमें आधे घंटे की चर्चा और गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य ही लेने हैं। अत: प्रत्येक सदस्य केवल पांच मिनट ही बोले।

**संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी)** : महोदय, आज सुबह यह निर्णय लिया गया था कि पहले इस विधेयक को निपटाया जाऐगा। उसके बाद, गैर सरकारी सदस्यों के कार्य और आधे-घंटे की चर्चा ली जाऐगी। हम उसी का पालन कर रहे है। लेकिन मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि यदि माननीय सदस्यगण लिखित में अपने भाषण देते हैं, तो उन्हें भी स्वीकार किया जा सकता है।

**सभापति महोदय** : यदि माननीय सदस्यगण चाहें तो वे अपने भाषण सभा पटल पर रख सकते हैं।

*[हिन्दी]*

**प्रो. महादेवराव शिवनकर** (चिमूर) : सभापति महोदय, पटल पर ले करना तो ठीक है। एक-दो लोग रखें लेकिन बाकी माननीय सदस्यों को भाषण करने का मौका मिलना चाहिए। इतना महत्वपूर्ण बिल है, सारा देश इस बिल की ओर देख रहा है, जो अधिकार हम इसके अंतर्गत दे रहे हैं।

**सभापति महोदय** : पहले यह बिल पास होगा। उसके बाद ही अशासकीय संकल्प या विधेयक लिया जाएगा। लेकिन पांच-पांच मिनट में अपनी बात समाप्त करनी है।

**प्रो. महादेवराव शिवनकर** : सर, पांच-पांच मिनट में हम अपनी बात कैसे समाप्त करेंगे?...*(व्यवधान)*

**श्री तापिर गाव (अरुणाचल पूर्व)** : मेरी स्पीच के समय ही आप हमेशा डिस्टर्ब करते हैं।...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**सभापति महोदय** : अब, श्री तापिर गाव बोलेंगे।

**श्री तापिर गाव (अरुणाचल पूर्व)** : माननीय सभापति महोदय, इस देश के जनजातिय समुदाय का संसद सदस्य होने के नाते हमें वास्तव में इस बात की प्रसन्नता है कि एक बहुत समय से लंबित यह ऐतिहासिक विधेयक पारित होने जा रहा है, हम माननीय जनजातिय मंत्री और उनके इन अधिकारियों का, जिन्होंने इसे तैयार करने और सभा में लाने के लिए अत्यधिक कार्य किया है, स्वागत करते हैं।

लेकिन, इस विधेयक में ऐसे कुछ मुद्दे हैं जिनसे मैं व्यक्तिगत तौर पर सहमत नहीं हूं इसका कारण यह है कि जब यह विधेयक इस सभा में रखा गया तो हमारे पास दो प्रारूप विधेयक थे। बहुत से संशोधनों को लेकर हम इस बात को लेकर भ्रमित थे कि किस पक्ष के संशोधनों को स्वीकार करें उन्हें अंतिम रूप से तैयार किया जाऐगा। यह वह कार्यवाही है जिससे हम इसमें कुछ ऐसे खण्ड और जोड़ सकते हैं ताकि हमारे देश के लोगों को इस विधेयक का वास्तविक रूप से लाभ मिल सके।

महोदय, मैं इस वन अधिकार विधेयक संबंधी संयुक्त संसदीय समिति से जुड़ा रहा हूं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि उन्होंने 40 बैठकें की और 15 से अधिक गवाहों को अपने कार्यालय में बुलाया और उनके साथ विस्तार से इस बारे में चर्चा की। लेकिन वे देश के जनजातिय क्षेत्रों का दौरा किए बिना ही दिल्ली के वातानुकूलित कक्षों में बैठकर इसे कैसे महसूस कर सकते हैं।? इसीलिए मुझे इसमें संदेह है। यह कार्य हमारे अधिकारियों और मंत्रालयीय कर्मचारियों ने दिल्ली में बैठकर

ही किया होगा। यदि हमारे अधिकारी तथा संयुक्त संसदीय समिति ने अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखण्ड, पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र के जनजातिय क्षेत्रों, गुजरात व अन्य स्थानों का दौरा किया होता तो यह बेहतर होता। लेकिन यह सैद्धान्तिक है जो कि बहुत सतही और देखने में सरल है। लेकिन वास्तव में यह विधेयक इस देश के जनजातीय लोगों की सच्ची भावनाओं को परिलक्षित नहीं करता हैं

अब, मैं मुद्दे की बात पर आ रहा हूं मैं इसपर लम्बा भाषण नहीं दूंगा। निर्धारित वर्ष के संबंध में, पिछले विधेयक में, जो संसद के सभी सदस्यों में परिचालित किया गया था, निर्धारित वर्ष वन अधिनियम, 1980 था। अब, दूसरे संशोधित विधेयक में यह 13 दिसम्बर, 2005 कर दी गई है हम किस पर भरोसा करें? अत: यह भ्रामक है।

इसलिए, मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि यदि निर्धारित वर्ष 2005 है तो इसे चार पीढ़ियों तक बढ़ा दिया जाए। यदि यह वन अधिनियम, 1980 से है तो हम तीन पीढ़ियों के लिए ही सहमत है। इस संशोधन विशेष के बारे में भी मैं पीढ़ियों के बारे में रोशनी डालना चाहूंगा। यह बताया गया है कि "इस खंड के प्रयोजनार्थ पीढ़ी का अर्थ 25 वर्ष की अवधि से है। भविष्य में इसकी गलत व्याख्या की जा सकती है। तीन पीढ़ीयों की गणना 25 वर्ष के अंदर-ही की जा सकती है। इसलिए मेरा माननीय मंत्री जी और इस सरकार से यह अनुरोध है कि इस बात का उल्लेख किया जाना चाहिए कि एक पीढ़ी का तात्पर्य 25 वर्ष से हैं इसमें एक शब्द को सम्मिलित किया जाना चाहिए। अन्यथा भविष्य में इसकी गलत व्याख्या होगी और इसका दुरूपयोग किया जाऐगा।

अब, मैं भूमि की अधिकतम सीमा पर आता हूं। भूमि की सीमा को दो दशमलव कुछ हेक्टेयर से बढ़कर चार दशमलव कुछ हेक्टेयर कर दिया गया हैं जनजातीय लोग वनों, अभ्यारण्यों और वन्य जीव अभ्यारण्यों के अतिक्रमणकारी नहीं रहे हैं, अपितु वन विभाग इस देश में पारंपरिक रूप से जनजातीय भूमि पर अतिक्रमणकारी हो गया है।

अरुणाचल प्रदेश का उदाहरण लेते हैं। लोग आदि काल से अरुणाचल प्रदेश और पूर्वोत्तर क्षेत्र में रह रहे हैं। केवल ब्रिटिश ही ऐसे लोग थे जो जमीनी वास्तविकताओं को जाने बिना देश के उस भाग में पहुंचे और वनों को आरक्षित किया। अत: उन्होंने जनजातिय भूमि और जनजातिय बहुल क्षेत्रों में अतिक्रमण किया। इसलिए, यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि भूमि की अधिकतम सीमा को चार हेक्टेयर तक ही सीमित कर दिया जाए। यह सीमा हटा दी जानी चाहिए।

मै इस बात को लेकर प्रसन्न हूं कि अधिकांश संशोधन संयुक्त संसदीय समिति की सिफारिशों से लिए गए हैं। संयुक्त संसदीय समिति के अंतिम भाग में इस बात की जोरदार सिफारिश की है कि इस विधेयक को इस देश के संविधान की नौवीं अनुसूची में सम्मिलित किया जाना चाहिए। लेकिन इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य, इसका महत्वपूर्ण भाग संयुक्त संसदीय समिति की सिफारिशों से नहीं लिया गया है। मेरा सरकार उसे यह विनम्र अनुरोध है कि वह इस विधेयक को नौवीं अनुसूची में सम्मिलित करे।

मुझे इन सब चीजों को बताते हुए दुख हो रहा है। मेरे मित्र ने भी कुछ बातें कही हैं। किंतु मैं उसके विस्तार में नहीं जाऊंगा। अब उनके पास केवल हवा सांस ही बची है...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री तापिर गाव : महोदय, हमारे पास 7.5 प्रतिशत आरक्षण है। थोड़ा और समय देने की कृपा करें।

अध्याय दो, खंड 3(1) में अंतिम भाग में यह उल्लेख किया गया है "किंतु उनमें किसी प्रजाति के वन्य जीव का शिकार करने और उन्हें फंसाने या उनका शरीर का कोई भाग निकालने का परंपरागत अधिकार नहीं है।"

इसका तात्पर्य है कि आदिवासियों को घास रखना चाहिए। घास को भी सीमित कर दिया गया है। यह इस तरह है जैसे घोड़े को घास खाने से रोक दिया जाय। आदिवासी हिमालय में कैसे जीवित रहेंगे? कानून आदिवासी क्षेत्रों के भीतरी इलाकों में पहुंच सकता है। किंतु उन क्षेत्रों में विकास कभी भी समय पर नहीं पहुंचेगा।

इस खंड से आदिवासियों को कठिनाई पेश आएगी। आने वाले समय में वन विभाग आदिवासियों के साथ पशुओं की तरह व्यवहार करेगा। 'निकालने' के बजाय इसे 'शामिल' किया जाना चाहिए। वहां 'शामिल किया जाना' होना चाहिए।

*[हिन्दी]*

अगर घोड़े से कहेंगे कि वह घास मत खाये, वैसे ही अगर टाइब्ल से कहेंगे कि वह ट्रैपिंग नहीं कर सकता, हंटिंग नहीं कर सकता,

[श्री तापिर गाव]

नदी से मछली नहीं उठा सकता तो ट्राइब्ल जीयेगा कैसे? इसलिए, मेरा यह विनम्र निवेदन है। इसलिये इस क्लॉज़ को एक्सक्लूड करने के बजाय इन्कलूड करना चाहिये।

मैं मुद्दे तक ही सीमित हूं। यह ट्राइबल राइट बिल है।... *(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**सभापति महोदय :** श्री गाव, मुझे पता है कि आप आदिवासी क्षेत्र से हैं परंतु आपके दल के चार और सदस्य बोलने वाले हैं।

**श्री तापिर गाव :** महोदय, मैं केवल दो बिंदुओं पर बोलूंगा। यह विधेयक पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोगों के लिए खतरनाक है। श्री दासमुंशी को लखनऊ में 1972-73 के अखिल भारतीय कांग्रेस समिति का सत्र याद होगा। श्री प्रणब-मुखर्जी ने भी सत्र में भाग लिया था क्योंकि वह भी एक सदस्य थें यह संकल्प लिया गया था कि बांग्लादेशियों को असम की मतदाता सूची में शामिल किया जाना चाहिए। वह दस्तावेज मेरे पास है। उनके पश्चात माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा आईएमडीटी एक्ट और फॉरिनर्स एक्ट समाप्त कर दिये गए थे।

अब, ट्राइबल फॉरेस्ट राइटस बिल में क्या यह ऐसा खंड नहीं है कि जिसमें आप असम में भी बांग्लादेशियों को समायोजित नहीं करने जा रहे हैं? मैं इस संबंध में माननीय मंत्री से एक स्पष्टीकरण अथवा आश्वासन चाहता हूं।

इसके साथ ही एक और खतरनाक बात है। हमें अन्य गैर-आदिवासी मित्रों, नागरिकों और वनवासियों को इस विधेयक में दिए गए शब्द में शामिल किए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। उनका समायोजन आदिवासियों के लिए हानिकारक नहीं है परंतु आदिवासी भूमि के संबंध में फर्जी दस्तावेजों के बनाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी क्योंकि आदिवासी अभी भी पर्याप्त रूप से शिक्षित नहीं हैं। इसके पश्चात, गलत दस्तावेज तैयार करके, जाली दस्तावेज इत्यादि के काम होंगे और गैर-आदिवासी जिन्होंने आदिवासियों के पशुओं और वनों का शोषण किया है, वे भूमि के बड़े भाग पर अधिकार कर लेंगे। परिणामस्वरूप, आदिवासी पुनः इस देश के अन्य कोनों में जाने के लिए बाध्य होंगे। यह एक खतरनाक कानून है। इसलिए मेरा माननीय मंत्री, श्री किन्डिया से विनम्र निवेदन है कि इन दो विधेयकों संशोधन विधेयक और पूर्व विधेयक पर विचार करते हुए इस खंड में सुधार करने की कृपा करें।

इस पर बहुत ध्यानपूर्वक विचार किए जाने की आवश्यकता है। अन्यथा, पूर्वोत्तर के हमारे सबसे वरिष्ठ सदस्य श्री किन्डिया को शिलांग और तुरा में खासी भाईयों को जवाब देना पड़ेगा कि उन्होंने यह कानून क्यों बनाया जो खांसी को ही नहीं बल्कि इस देश के सभी आदिवासी लोगों को भी हानि पहुंचा रहा है। इसलिए, मेरा माननीय मंत्री और संपग्र सरकार से विनम्र निवेदन है कि माननीय सदस्यों को वितरित इन दो विधेयकों पर विचार करते हुए इसमें इस सम्माननीय सभा में जो कहा है उस पर पुनः विचार करें।

इन्ही शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और आप का धन्यवाद करता हूं।

**श्री प्रशांत प्रधान (कॉटई) :** माननीय सभापति महोदय, मैं ऐतिहासिक ट्राइबल फॉरिस्ट राइट्स बिल के संबंध में कुछ बातों पर इस सभा का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मैं संयुक्त संसदीय समिति की सिफारिशों और प्रतिवेदन का स्वागत करते हुए इस विधेयक का समर्थन करता हूं। देश में कुल आदिवासी जनसंख्या में से केवल आठ प्रतिशत जनसंख्या वनों में रह रही है। वनों में रहने वाले लोगों यानी अनुसूचित जनजातियों, जो पीढ़ियों से वनों में रह रहे हैं और वन भूमि पर जिनका अधिकार है, के अधिकारों को अभी तक पर्याप्त मान्यता नहीं दी गई है जिससे वन में रहने वाले अनुसूचित जनजातियों के लोगों, जो कि वन पारिस्थितिकी तंत्र के बने रहने और इसके अस्तित्व के लिए अनिवार्य हैं, के साथ ऐतिहासिक अन्याय हो रहा है यदि वनों में रह रहे लोगों को बाहर निकाला जाता है तो इससे पर्यावरण असंतुलन पैदा हो जाएगा क्योंकि ये लोग वन्य जीवन के भी अभिन्न अंग हैं।

जहां तक मुझे पता है वनों और आदिवासी लोगों के अधिकारों का संरक्षण पश्चिम बंगाल में मेरे जिले मिदनापुर के आदिवासी लोगों की भागीदारी और प्रबंधन से शुरू किया गया था। हमारे राज्य पश्चिम बंगाल में विशेषकर मिदनापुर बांकुदा, पुरूनलिया और ऐसे अन्य जिलों में वनों तथा आदिवासी लोगों के अधिकारों के संरक्षण हेतु एक मंत्री को विशेष रूप से नियुक्त किया जाता है। यह माडल देश के अन्य राज्यों में भी अपनाया जाना चाहिए। मुझे कुछ सुझाव देने हैं।

मैं आदिवासी लोगों के अधिकारों की रक्षा और उनकी मांगों, उनकी आजीविका, उनकी स्थिति तथा उनके उत्पीड़न पर भी ध्यान देने के लिए यह विधेयक लाने हेतु संप्रग सरकार और इसके मंत्रियों को बधाई देता हूं। वन अधिकारी, वन ठेकेदार और माफिया कभी-कभी

आदिवासी लोगों का उत्पीड़न करते हैं परंतु यह अभीयान चलाया जाता है कि आदिवासी लोग वनों को नष्ट करते हैं। यह सही नहीं है। आदिवासी लोग वनों में रहते हैं। उन्हे वनों और वन उत्पादों यथा फलों, महुआ, चिरुली, शहद, साल-पत्तियों, तेंदु पत्ता इत्यादि से अपनी आजीविका प्राप्त होती है। वे वनों से इतना अधिक प्रेम करते हैं। इस संबंध में उनमें बेदखली का शक होता है। इसे रोका जाना चाहिए। मुझे आशा है कि इसे लागू करने से यह रुक जाएगा क्योंकि सिफारिशों में यह उल्लेख किया गया है कि उन्हे पट्टा अथवा लीज अधिकार दिए जाने चाहिए और लाभार्थियों की पहचान ग्राम सभा अथवा ग्राम पंचायत अथवा ग्राम समितियों द्वारा की जानी चाहिए और अंत में यह जिला समिति के कलेक्टरेट द्वारा भी चुनी जानी चाहिए। वे इसका पर्यवेक्षण कर सकते हैं। मेरी भी वही राय है जो श्री मधुसूदन द्वारा व्यक्त की गई है कि यह पीढ़ी-दर पीढ़ी हो रहा है। एक पीढ़ी का अर्थ है 25 वर्ष। स्वतंत्रता के पहले से वे वनों के भीतर रह रहे थे। मेरा विचार है कि एक पीढ़ी का अर्थ है 21 वर्ष और तीन पीढ़ी का अर्थ है 63 वर्ष और 63 वर्षों को बनाये रखा जाना चाहिए। इन सबको इस विधेयक को पारित करने के पश्चात अल्पावधि में लागू किया जाना चाहिए।

एक बार पुन: मैं मंत्री जी और संप्रग सरकार को बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि इस विधेयक को पारित करके वन अधिकार और आदिवासी लोगों के अधिकार बहाल हो सकेंगे।

**श्री के.सी. सिंह 'बाबा'** (नैनीताल) : महोदय, मुझे वन अधिकार विधेयक पर चर्चा में भाग लेने की अनुमति देने के लिए आपका धन्यवाद। मैं विधेयक में अन्य पारम्परिक वन निवासी जोड़ने के लिए माननीय मंत्री और संयुक्त समिति का धन्यवाद करता हूं।

महोदय, स्वतंत्रता के पश्चात ही विभिन्न राज्यों में लोगों का जनजातियों के रूप में वर्गीकरण किया गया इसका अर्थ है कि कुछ राज्यों में जनजातीय लोग संभवत: अन्य राज्यों में जनजातीय के रूप में वर्गीकृत न हों। उदाहरणार्थ उत्तराखंड के बुक्सा और थारू अन्य राज्यों में संभवत: जनजातीय न माने जाते हों और अन्य राज्यों के जनजातीय उत्तराखण्ड में संभवत: जनजातीय न माने जाएं। इसलिए, 'अन्य पारम्परिक वन निवासी' को विधेयक में शामिल करने से देश के विभिन राज्यों में रहने वाले सभी जनजातीय लोगों को अन्य वन निवासियों के साथ इस विधेयक में शामिल करने में मदद मिलेगी।

महोदय, उत्तराखण्ड एक ऐसा स्थान है जहां केवल 3.2 प्रतिशत जनजातीय लोग हैं हमारे मामले में कुछ भिन्नता है इसलिए अन्य वन निवासी एक बड़ी भूमिका निभाते हैं। उत्तराखंड में सदियों से संभवत: हजारों वर्षों से लोग अपने पशुओं, बकरियों इत्यादि को चराने के लिए पर्वतों से नीचे आया करते थें जब वे तराई और भाभर में नीचे यानी हिमालय के निचले पर्वतों पर आए तो वे "गोठ खत्ता और पड़ावों में रहे।"

*[हिन्दी]*

मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जो लोग अपने जानवर चुगाने के लिए पहाड़ से नीचे मैदानी क्षेत्र में आते थे और वे खत्ते, गोठ या पड़ावों में रहते थे, फिर वे गर्मियों में वापस पहाड़ पर चले जाते थे, लेकिन कुछ वर्षों बाद कुछ लोग वही निवास करने लगे यानी वहां पर रह रहे हैं, मेरा सरकार से यही निवेदन है कि अन्य जंगल के लोगों की तरह उनको भी ट्रीट किया जाये। विकसित ग्राम के लोगों की तरह उनको ट्रीट किया जाये और उनको भी उसी तरह की सुविधाएं दी जायें और उनकी जमीन को जो हमारे यहां खत्ते और पड़ाव के नाम से हैं, उनको रैगुलाइज़ किया जाये। आज तक वे फोरैस्ट लैंड में गिने जाते हैं। मेरा सरकार से यह अनुरोध है कि उनको फोरैस्ट लैंड से रेवेन्यू लैंड में कन्वर्ट किया जाये।

मैं आपको इसका उदाहरण भी दे सकता हूं हमारे यहां एक जगह बिन्दु खत्ता है। बिन्दु खत्ता एक ऐसी जगह है, जहां पर सड़कें भी हैं और स्कूल भी हैं, पर हमें फिर भी अड़चन आती है। कोई भी डैवलपमेंट हम वहां करना चाहें तो फारैस्ट की कोई न कोई अड़चन वहां पर लग जाती है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि बिन्दु खत्ता एक ऐसा खत्ता है, जो अभी भी फोरैस्ट के नाम से चलता है और उसके आसपास कोई भी फोरैस्ट नहीं है। उसको अगर फोरैस्ट बनाना भी चाहें, तो किसी हालत में आप फोरैस्ट उसको नहीं बना सकते। उसकी आबादी आज 60 हजार की है। हमारी ऐसी जो जगहें हैं, जो खत्ते हैं, जैसे हमारे यहां एक जगह बग्गा-54 है, वह जरूर जंगल के बीच में हैं, पर वहां पर हमारे पूर्व सैनिक लोग बसे हुए हैं और अन्य जाति इन्क्लूडिंग शैड्यूल्ड कास्ट्स के लोग बसे हुए हैं। फिर हमारे यहां एक अपर कोसी पापड़ी है, जिसको पूंछड़ी कहते हैं। वहां भी अलग-अलग जाति के लोग बसे हुए हैं और पुश्तों से बसे हुए हैं। सरकार ने उनको वहां पर बसाया था। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि हमारे यहां उत्तराखंड में बहुत सारी जगह ऐसी हैं, जहां वनों में लोगों को सरकार ने बसाया था। सुन्दर खाल में केवल दलित परिवार रहते हैं, रामनगर डिस्ट्रिक्ट नैनीताल में। रामनगर, डिस्ट्रिक्ट नैनीताल में पटरानी है, जहां केवल हमारे दलित परिवार वहां रह रहे हैं। चाजपुर में नई बस्ती हरिपुरा हरसान एक जगह है, वहां

[श्री के.सी. सिंह 'बाबा']

भी केवल हमारे दलित भाई रहते हैं। मालधन चौड एक ऐसी जगह है, जहां सरकार ने लोगों को बसाया है और वहां पर भी केवल दलित लोग रहते हैं। ये लोग जो हैं, ये वहां के ट्राइबल्स नहीं हैं, पर ये लोग अन्य वर्ग में आते हैं मेरा सरकार से यह अनुरोध है कि उनको भी उसी तरह से ट्रीट किया जाये, क्योंकि ये भी वन में ही रह रहे हैं और उनकी भूमि अभी तक रैगुलाइज़ नहीं हुई है। अभी तक फॉरैस्ट की भूमि में उनको रखा गया है और जिस कारण उनका कोई भी डैवलपमैंट का कार्य नहीं हो सका। आप यह समझिये कि हम उनको छोटा सा पेयजल का नल भी नहीं दे सकते हैं। आज के जमाने में, 21वीं सदी में अगर ऐसा हो तो यह बहुत अफसोस की बात है। हमारे यहां कुछ एरियाज़ ऐसे हैं, जहां ब्रिटिश शासन काल में टौंगियाग्राम के नाम पर लोगों को बसाया गया था। ये वे लोग थे, जो जंगल में काम करते थे। वे जहां जंगल में काम करते थे, उन्हें पड़ोस के जंगल में ही बसाया गया था, लेकिन आज वे बड़े-बड़े गांवों में परिवर्तित हो गए हैं। वहां आज अच्छी-खासी खेती होती है। इसी प्रकार हमारे यहां राम नगर डिवीजन है। राम नगर डिवीजन फारेस्ट कार्बेट एरिया में आता है। इसलिए मैं उसके बारे में बताना चाहता हूं कि उस डिवीजन में चोपड़ा आदि गांव है और इसी प्रकार से अन्य गांव भी हैं, जो अभी भी फारेस्ट में आ रहे हैं। कार्बेट नेशनल पार्क का नाम सभी ने सुना है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कार्बेट नेशनल पार्क के बफर जोन में जिन लोगों की राजस्व जमीन थी उन लोगों को बफर जोन से, फारेस्ट और पार्क के फायदे के लिए हटाया गया। उन लोगों को राजस्व की जमीन से हटा दिया गया। जमीन के बदले उन लोगों को वनों से जमीन दी गयी, लेकिन आज तक उसकी ठीक से नाप नहीं हुयी है। किसी की चार हैक्टेयर जमीन वहां थी, तो उसे वहां चार हैक्टेयर जमीन जरूर मिल गयी, लेकिन वहां राजस्व भूमि में सड़कें अलग से थीं। चूंकि वह राजस्व भूमि थी, लेकिन आज उनकी ही जमीन से सड़कें काटी जा रही हैं, क्योंकि वह फारेस्ट लैंड में है। इसलिए हम उनको स्कूल नहीं दे पा रहे हैं और अन्य विकास कार्य नहीं करा पा रहे हैं। पेयजल के लिए और पानी की टंकियां तक नहीं दे पा रहे हैं। वन भूमि के मामलों में हमारा उत्तराखंड थोड़ा सा भिन्न है। मैं सरकार से यही निवेदन करूंगा कि जो ऐसी जमीनें हैं, उनको रेग्युलराइज्ड किया जाए और राजस्व भूमि में रखा जाए।

आखिर में मैं इस बिल के संबंध में कुछ सुझाव देना चाहता हूं।

*[अनुवाद]*

जहां तक खंड 2(क) का संबंध है तो जिन वन्यजीव अभ्यारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों की पहले ही स्थापना की जा चुकी हैं और जहां अधिकारों का पहले ही निर्धारण कर दिया गया है, मुआवजा दे दिया गया है उन्हें "सामुदायिक वन संसाधन" की परिभाषा से बाहर रखा जाना चाहिए। उन्हें "महत्वपूर्ण वन्यजीव प्राकृतिक निवास" के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए।"

जहां तक खंड 2(ख) की बात है तो समिति द्वारा इस खंड के अंतर्गत किसी क्षेत्र को महत्वपूर्ण वन्यजीव प्राकृतिक वास के रूप में घोषित किए जाने की विधि भविष्य में अधिसूचित अथवा अभी तक अनिर्धारित क्षेत्रों में लागू की जानी चाहिए।

खंड 2(ण) के अंतर्गत वन भूमि से "अति निकटता" को और परिभाषित और स्पष्ट किया जाना चाहिए।

खंड 2(ण)(फ) का लोप किया जाना चाहिए क्योंकि यह वनों पर जबरन अतिक्रमण को वैध करने के समान है।

जहां तक खंड 3(1)(ग) की बात है तो लघु वन उत्पाद एकत्र करने के अधिकार को गांव की प्रचालित सीमाओं तक प्रतिबंधित किया जाना चाहिए जैसा कि खंड 2(क) में प्रस्तावित है। खंड 3(1) (ङ) के अंतर्गत आदिम जनजाति समूहों और कृषि पूर्व समुदायों की पहचान की जानी चाहिए और विधेयक में ही सूचीबद्ध किया जाना चाहिए।

खंड 3(4) के अंतर्गत ऐसी अवसंरचना के विकास के लिए फ्री-होल्ड भूमि खरीदी जानी चाहिए और वन भूमि का उपयोग नही बदला जाना चाहिए। परियोजना को वन भूमि की लागत पर चलाने की बजाय भूमि की लागत के परियोजना की लागत में जोड़ें।

अपनी बात समाप्त करते हुए मैं पुन: संप्रग सरकार, संयुक्त समिति और विशेषकर अपनी अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने वनों में रहने वाले लोगों जिनमे आदिवासी और गैर-आदिवासी दोनों शामिल हैं के साथ हुए ऐतिहासिक अन्याय को दूर करने के लिए यह ऐतिहासिक विधान लाने में विशेष रूचि ली।

मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

**डा. आर. सेनथिल** (धर्मपुरी) : महोदय, मैं पी.एम.के. पार्टी की ओर से अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी ( वन अधिकारों की मान्यता) विधेयक, 2006 का समर्थन करता हूं। संप्रग सरकार डा. मनमोहन सिंह के नेतृत्व में तथा श्रीमती सोनिया गांधी

के कुशल मार्गदर्शन में एक और उपलब्धि हासिल कर रही है। सरकार ने अपने मार्गदर्शन के रूप में न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाकर उसके अंतर्गत किए गये एक और वायदे को पूरा किया है। इसलिए, मैं इस विधेयक का हार्दिक समर्थन करता हूं।

महोदय, मैं विधेयक के प्रावधानों पर चर्चा शुरू करने से पहले सम्माननीय सभा को एक जानकारी देना चाहता हूं। पूरे विश्व में वन क्षेत्र कम होता जा रहा है। लेकिन उपग्रह से प्राप्त मानचित्रों से यह पता चलता है कि विश्व के कुछ भागों में वन क्षेत्र बढ़ा है। वर्ष 1983 से 2003 तक पूरे विश्व में एक वन के कुल क्षेत्र में 23 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, यह वन सत्यमंगलम है। इस वन के क्षेत्र में वृद्धि होने का कारण यह है कि इस क्षेत्र में वन लुटेरा वीरप्पन छिपा हुआ था। चूंकि वीरप्पन इस वन में छिपा हुआ था इसलिए किसी वन अधिकारी ने वन में जाने का साहस नहीं किया और इसलिए वह वनक्षेत्र बढ़ता रहा। ऐसा मेरा कहना नहीं है। ऐसा वीरप्पन को मारे जाने के पश्चात् 'दि हिन्दू' समाचार पत्र के लेख में छपा था। इसमें कहा गया कि जब तक वीरप्पन उस वन में रहा तब तक किसी भी वन अधिकारी ने वहां जाने का साहस नहीं किया और यह वन क्षेत्र दिन प्रतिदिन बढ़ता रहा लेकिन चूंकि वीरप्पन को मार दिया गया है इसलिए मैं बहुत चिंतित हूं कि अब वन अधिकारी वन में जाएंगे और वन का विनाश हो सकता है।

महोदय, मैं यह मुद्दा इसलिए उठाना चाहता हूं क्योंकि इस विधेयक पर मुख्य आपत्तियां उन लोगों ने की हैं जिनका मानना है कि यदि वनों को आदिवासियों और स्थानीय लोगों के भरोसे छोड़ दिया जाएगा तो वन नष्ट हो जाएंगे। मैं पुन: इस बात की फिर पुष्टि करना चाहता हूं कि वनवासी लोग प्रकृति से मिल-जुलकर रहते है और वे वनों में सुधार कर सकते हैं, जैसाकि हर किसी ने कहा है उन्हें विधेयक के प्रावधानो में यथा अंतर्विष्ट अधिकार देकर सरकार ने उनके प्रति किए गए ऐतिहासिक अन्याय को समाप्त कर दिया है। मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

महोदय, मैं केवल दो-तीन बातें कहना चाहता हूं। कई लोगों ने वन क्षेत्रों में रहने वाले अनुसूचित जनजातियों के लोगों के अधिकारों के बारे में आशंका व्यक्त की है। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि कर्नाटक के सीमावर्ती तमिलनाडु के पश्चिमोत्तर भाग को देखा जाए तो यह पता चलेगा कि वहां अधिकांश वन निवासी अनुसूचित जनजाति समुदाय के नहीं हैं अपितु वे अति पिछड़ा समुदाय के हैं। इसी प्रकार विरुधुनगर जिले की घुमन्त जनजातियों के लोग भी अनुसूचित जनजातियों के नहीं हैं। लेकिन ये लोग भी वनों में रहते हैं। यद्यपि मैं इस विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए मंत्री महोदय को बधाई देता हूं, तथापि मैं मंत्री महोदय से विधेयक में, यथाशीघ्र संशोधन करने का अनुरोध करता हूं ताकि ये अधिकार अनुसूचित जनजातियों के लोगों तक सीमित न रख कर वनों में रहने वाले सभी लोगों को दिए जा सकें।

महोदय, इस विधेयक में एक बहुत प्रशंसनीय प्रावधान है अर्थात पहली बार सरकार ने स्थानीय सरकार के महत्व को मान्यता दी है तथा स्थानीय सरकार को सभी अधिकार दिए हैं। सरकार ने ग्राम सभाओं के क्रियाकलापों पर नजर रखने के लिए अधिकारियों को अधिकार प्रदान किए है। मैं केवल यह सुझाव देना चाहता हूं कि ये अधिकार वन अधिकारियों के साथ-साथ जिला पंचायतों को भी दिए जाने चाहिए क्योंकि हमने निर्वाचित निकायों को अधिक अधिकार देने चाहिए क्योंकि हमारे निर्वाचित निकाय अधिकाधिक पेशेवर होते जा रहे हैं। इससे इस अधिनियम के प्रावधानों के क्रियान्वयन में तेजी लाने में सहायता मिलेगी जो अब तक नहीं देखी गई है।

महोदय, इन शब्दों के साथ ही, मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

*श्री मनोरंजन भक्त (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह) : माननीय सभापति महोदय, मैं श्री किन्डिया द्वारा प्रस्तुत विधेयक का समर्थन करता हूं। यह विधेयक वन क्षेत्रों में रहने वाले अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों के संबंध में बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे मालूम है कि भारत के राष्ट्रपति ने संसद में अपने अभिभाषण में कहा था कि वन क्षेत्रों में किए गए अतिक्रमण को नहीं हटाया जाना चाहिए।

मैं सरकार के इस दृष्टिकोण का समर्थन करता हूं और यह कहना चाहता हूं कि देश के अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ी जातियों तथा अन्य वन निवासियों द्वारा किए गए अतिक्रमण को हटाया नहीं जाना चाहिए। अंडमान और निकोबार द्वीप में गांधी नगर, शांति नगर, पश्चिम सागर, गायना डाबला, बाड़ा डाबला, बर्मा चाल, गिरिजीनाला तथा निकटवर्ती पहलगांव क्षेत्र हैं। वस्तुत:, इस विधेयक के पारित किए जाने की तारीख तक सभी अतिक्रमणों को नियमित किया जाना चाहिए तथा सभी कब्जाधारियों को विनियमित किया जाना चाहिए और उनका पुनर्वास किया जाना चाहिए उन्हें पेयजल, स्कूल, औषधालय तथा गरीब लोगों की जीविका के लिए सभी अन्य आवश्यक सुविधाएं दी जानी चाहिए।

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[श्री मनोरंजन भक्त]

मैं, इस विधेयक को पारित करके जनोपयोगी कार्यवाही करने के लिए भारत सरकार और संप्रग सरकार को धन्यवाद देता हूं।

मैं तहे दिल से इस बात का समर्थन करता हूं कि सरकार द्वारा किसी भी आदिवासी भूमि का अधिग्रहण नहीं किया जाना चाहिए। निकोबार जिले विशेषरूप से काछल द्वीप में किए जा रहे अत्याचारों को तुरंत रोका जाना चाहिए। मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

**श्री के. फ्रांसिस जार्ज (इडुक्की)** : महोदय, मैं विधेयक का समर्थन करता हूं और मंत्री महोदय द्वारा ऐतिहासिक अन्याय को दूर करने वाले विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए बधाई देता हूं। पहली बार वन निवासियों विशेषरूप से अनादिकाल से वनों में रहने वाले अनुसूचित जनजातियों के लोगों की समस्याओं के बारे में व्यापक दृष्टिकोण अपनाया गया है

महोदय, वन संरक्षण अधिनियम, 1980 जिसे ऐतिहासिक विधान कहा गया था के पारित होने के पश्चात् तथा इस विधान के अनुसार उच्चतम न्यायालय के निर्णय के पश्चात् जनजातिय लोगों तथा लम्बे समय से वन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के समक्ष कई समस्याएं आयी थीं। उस विधेयक में वन निवासियों को समाज के अन्य सभी वर्गों को प्रदान की गई मूलभूत सुविधाएं से भी वंचित रखा गया था। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में अनेक जनजातिय लोगों की बस्तियां हैं यथा इडुक्की जिले में इनामेलकुड्डी बस्ती जहां तक पहुंचने के लिए 18 कि.मी. का रास्ता तय करना पड़ता है।

महोदय, उन गरीब लोगों को अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए अपनी बस्ती से बाहर जाने-आने के लिए प्रतिदिन 36 कि.मी. की दूरी तय करनी पड़ती हैं। यदि उनके बच्चे स्कूल जाना चाहते हैं तो उन्हें रोज जंगली जानवरों जैसे हाथी, चीता आदि का सामना करते हुए 36 कि.मी. की दूरी तय करनी होती है। मैं उस बस्ती में गया हूं। उनकी केवल एक ही मांग है कि उनके लिए एक सड़क बनवाई जाए जो वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अंतर्गत नि:संदेह संभव नहीं थी। उनके लिए अन्य और कोई सुविधा नहीं है। उनके यहां टेलीफोन अथवा बिजली की कोई सुविधा नहीं है। नि:संदेह प्राकृतिक स्रोतों का जल वहां उपलब्ध है। लेकिन गर्मियों में उन्हें हाथी जैसे जंगली जानवरों का सामना करते हुए पानी के लिए भी दूर जाना पड़ता है। इसलिए यह आवश्यक है कि इस व्यवस्था को बदला जाए। जब हमारे देश में अन्य सभी वर्ग इन मूलभूत सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं।

तो वन क्षेत्रों में रहने वाले हमारे गरीब भाइयों के यहां ऐसी कोई सुविधा नहीं हैं। यह अन्यायपूर्ण है। इसलिए यह विशेष विधेयक, जिसमें लगभग सभी मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था की गई है एक स्वागत योग्य कदम है। पहली बार, कोई परिवर्तन किया जा रहा है। और मुझे आशा है कि इससे अलग-अलग पड़े वन क्षेत्रों में सदियों से रहने वाले इन गरीब लोगों की स्थिति में काफी सुधार होगा।

लेकिन एक दो मुद्दे ऐसे है जिनपर चर्चा की जानी चाहिए। जनजातीय लोगों के अलावा, वन क्षेत्रों में रहने वाले ऐसे और लोग भी है जिन्हे वन निवासी कहा जाता है। जहां तक केरल का संबंध है वहां पर वन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के बारे में एक सर्वदलीय समझौता किया गया है। उन्होंने वन क्षेत्र पर अवैध कब्जा नहीं किया है। उन्हें दूसरे विश्व युद्ध के दौरान "अधिक खाद्यान्न उपजाओ कार्यक्रम" (ग्रो मोर फूड प्रोग्राम) के अंतर्गत वन क्षेत्र में बसने के लिए प्रोत्साहित किया गया था। वे वहां काफी लम्बे समय से रह रहे हैं। जनजातीय लोगों के साथ उन्हे भी वन संरक्षण अधिनियम 1980 के पारित होने के बाद बेदखल किया गया हैं। केरल राज्य में निर्णय लिया गया था कि 1.1.1977 के पूर्व वन क्षेत्रों में बसने वाले सभी लोगों को उस भूमि का मालिकाना हक दिया जाना चाहिए जहां वह रह रहे है और उन्हे पक्का मालिकाना हक दिया जाना चाहिए। उच्चतम न्यायालय में यह मामला है और यह मामला अभी भी चल रहा है। सभी मालिकाना हक इस शर्त के साथ दिए गये है कि उच्चतम न्यायालय के अन्तिम निर्णय के बाद ही ये हक मान्य होंगे।

इस प्रकार व्यवहारिक दृष्टि से इस प्रकार के मालिकाना हक का कोई फायदा नही है क्योंकि वे लेन-देन नही कर सकते अथवा इनका किसी और प्रयोजन के लिए उपयोग नहीं कर सकते है। इसलिए इस प्रकार के अन्याय को ठीक किया जाए और वन क्षेत्र में रहने वाले सभी निवासियों को नियमित पट्टा दिया जाए।

अभी यह कानून दिसम्बर 2005 में प्रभावी होगा इसलिए वन क्षेत्रो के निवासियों को, चाहे वे गैर-जन-जातीय ही हो, भूमि का अधिकार अविलम्ब सुनिश्चित किया जाए और इस कानून को नौवीं अनुसूची में सम्मिलित किया जाए ताकि वर्तमान में उच्चतम-न्यायालय में लंबित मामले की तरह अन्य न्यायिक मामले दर्ज न हों।

एक अन्य मुद्दा ग्राम सभा की शक्तियों के बारे में है, जिसका जिक्र इस विधेयक में किया गया है। ग्राम सभा ऐसी निकाय होना चाहिए जो यह सुनिश्चित करे कि सभी लोगों को आधारभूत सुविधाएं प्रदान की जाए और प्रत्येक बसती में इन आधारभूत सुविधाओं की स्थापना के लिए कितनी भूमि प्रदान की जाए हैं ग्राम सभा की शक्तियां सरकार द्वारा बाद में किए जाने वाले किसी भी कानून से ऊपर होनी चाहिए।

चूंकि यह विधेयक अन्तिम रूप में पुरस्थापित किया है इसलिए इस विधेयक के महत्व और माननीय सदस्यों द्वारा पूछे गए स्पष्टीकरणों को ध्यान में रखते हुए सरकार को माननीय सदस्यों के द्वारा दिए गए सुझावों को स्वीकार कर लेना चाहिए।

इन्ही शब्दो के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

*[हिन्दी]*

**श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी** (कोकराझार) : आदरणीय सभापति जी, एसटी लोगों को जंगलों की जमीन पर हक दिलाने के लिए जो विधेयक लाया गया है, उस पर बोलने का मुझे मौका देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं इस विधेयक को टेबल करने के लिए मंत्री जी का भी आभार व्यक्त करता हूं। लेकिन, इस विधेयक के कुछ प्रावधानों का भी मैं विरोध करता हूं।

इसके साथ ही मैं इस बिल के उद्देश्यों और मुद्दों पर जोर देते हुए बोलना चाहता हूं कि एसटी लोगों को जंगलो की जमीन पर हक देने के लिए 13 दिसंबर, 2005 को जो बिल पेश किया गया था, वह बहुत अच्छा था। उसे ट्राइबल लोगों को अधिकार देने के लिए पेश किया गया था, लेकिन ज्वाइंट पार्लियामेंटरी कमेटी के पास उस बिल को रेफर करने के बाद, अब जो हालत बनी है, उनके सामने बहुत सी मुश्किलें पैदा हो रही हैं। मैं इस बात को दोहराना चाहता हूं कि हमारे नॉर्थ-ईस्टर्न रीजन में टोटल 8 राज्य हैं। इन आठ राज्यों में से केवल तीन राज्यों से ही सदस्य इस जेपीसी में लिए गए थे, शेष पांच राज्यों - असम, नागालैण्ड, मिजोरम, सिक्किम और अरुणाचल देश का कोई भी सदस्य इस कमेटी में नहीं था। जेपीसी की सिफारिश के आधार पर लाए गए इस विधेयक में जो नए-नए प्रॉविजन्स इन्सर्ट किए गए, वे हमारे नॉर्थ-ईर्स्टन रीजन के लिए खास तौर पर 6 शैड्यूल के प्रावधान के आधार पर जहां जहां जितनी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट कौंसिल्स और टेरीटोरियल कौंसिल्स हैं, जैसे बोडोलैण्ड टेरीटोरियल कौंसिल, कार्बी-आंगलांग ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट कौंसिल्स, खासी हिल्स ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट कौंसिल, गारो हिल्स ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट कौंसिल और मिजोरम राज्य में स्थित ऑटोनोमस कौंसिल्स स्थायी रूप से प्रचलित हैं, ऐसे अंचलों के लिए बहुत खतरनाक हो जाएगा। उन्हें बनाते समय वहां के लोगों को विश्वास में नहीं लिया गया, जो बड़े दुख की बात है। अगर जेपीसी का उद्देश्य अच्छा था तो हमारे नॉर्थ-इस्टर्न रीजन के विभिन्न ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट कौंसिल्स के रिप्रेजेंटेटिव्स से बात करनी चाहिए थी, उनके व्युप्वाइंट को सुनना चाहिए था, लेकिन नहीं सुना गया। उनकी कोई ओपिनियन नहीं ली गयी। इसलिए मैं मांग करता हूं कि मेरी तरफ से जो अमेंडमेंट्स पेश किए गए हैं, उनको स्वीकार किया जाना चाहिए। सबसे पहले मेरा अमेंडमेंट यह है कि सेक्शन 2 के सबक्लॉज (ओ) के प्रावधान को नॉर्थ-ईस्टर्न रीजन पर कदापि लागू नहीं किया जाना चाहिए।

*[अनुवाद]*

पूर्वोत्तर क्षेत्र के मामले में धारा 2 (ओ) के अधीन किए गए प्रावधान को हटाया जाना चाहिए अन्यथा, इस प्रकार के आधे अधूरे प्रयास से उस क्षेत्र में काफी कठिनाइयां और तनाव उत्पन्न हो सकते हैं। कुछ और समस्याएं उत्पन्न करने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए क्योंकि हमारा पूर्वोत्तर क्षेत्र पहले में ही काफी अशान्त और असुब्ध क्षेत्र बना हुआ है। इसलिए सेक्शन 2 के सबक्लॉज (ओ) में *[हिन्दी]* जो प्रावधान किए गए हैं, उन्हें बिल से वापस ले लेना चाहिए, खासकर हमारे पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए। हिन्दुस्तान के बाकी प्रदेशों और विभिन्न अंचलों में आप लोग इसे लागू कर सकते हैं, मुझे मंजूर होगा, लेकिन हमारे नॉर्थ-ईस्टर्न रीजन के ट्राइबल लोगों के ऊपर यह डेट्रीमेंटल क्लॉज है। उसे इम्पोज करके नॉर्थ-ईस्टर्न रीजन के लोगों को और ज्यादा दुख देने और वहां के जनजाति लोगों को ज्यादा भयानक परिस्थिति और विपति में धकेलने की कोशिश मत कीजिए। विधेयक के सेक्शन में रखे गए प्रावधान में

**अपराहन 5.00 बजे**

ग्राम सभा के बदले नॉर्थ-ईस्ट के क्षेत्र में जहां-जहां आटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट कौंसिल हैं, जैसे बोडोलैंड आटोनोमस टैरिटोरियल कौंसिल है, उन्हीं को ही उस प्रावधान का अधिकार देना चाहिए, क्योंकि हमारे बोडोलैंड आटोनॉमस टैरिटोरियल कौंसिल की अवधि के अंदर अभी तक पंचायत सिस्टम लागू नहीं किया गया हैं

*[अनुवाद]*

आपको इस गंभीर तथ्य की भी जानकारी होनी चाहिए कि आज की स्थिति के अनुसार पंचायती राज प्रणाली के पास सुरक्षित वनों के मामले में कोई अधिकार नही हैं। यह बिलकुल स्पष्ट हैं।

[श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी]

अपराह्न 5.02 बजे

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[हिन्दी]

जंगलों की जमीन के ऊपर ग्राम सभा को कोई ज्यूरिस्डिक्शन नहीं है।

[अनुवाद]

ग्राम सभा का सुरक्षित वनों के बारे में कोई क्षेत्राधिकार नही हैं ऐसी स्थिति में वन भूमि पर जनजातीय लोगों को पंचायती राज प्रणाली के अधीन विशेषकर इस कानून के लाभार्थियों की पहचान करने के संबंध में किस प्रकार समान अधिकार प्रदान किए जा सकते है? मेरी समझ में यह नहीं आ रहा है कि धारा 6 के अधीन विशेषकर पूर्वोत्तर क्षेत्र के संबंध में, जहां 1952 में ही स्वायत्त शासी जिला परिषद मौजूद हैं यह पंचायती राज प्रणाली किस प्रकार लाई गई है। अत: इस विधेयक को पारित करते समय इन गंभीर पहलूओं पर भी विचार किया जाना चाहिए। अन्यथा, पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोग इसका समर्थन नहीं करेंगे।

[हिन्दी]

अभी तक हम काफी तकलीफ बर्दाशत कर रहे हैं। फिर भी आप हमें और तकलीफ देना चाहते हैं।

[अनुवाद]

पूर्वोत्तर क्षेत्र के हमारे मित्र पड़ोसी देशों में उनके क्षेत्र में गैर-कानूनी आप्रवासियों की लगातार घुसपैठ के बारे में पहले ही बहुत कुछ बोल चुके हैं। विदेशों के अलावा वहां पर देश के अन्य विकसित भागों के लोग भी घुसपैठ कर गए हैं।

[हिन्दी]

ऐसी परिस्थिति में, ट्राइबल का क्या होगा, क्योंकि असम में जितना भी ट्राइबल बैल्ट और ब्लॉक थे, पड़ोसी देश और दूसरे राज्यों से आए लोगों ने उस पर कब्जा कर लिया है।

[अनुवाद]

महोदय, भारत सरकार ने 1960 में यू.एन. देवार आयोग का गठन किया था उस आयोग ने भारत सरकार से जनजातियों से ली गई भूमि को उन्हें वापस लोटाने के लिए अनेक सिफारिशें की थीं। लेकिन आजतक 40 वर्ष से अधिक बीत जाने के बाद भी उस आयोग की एक भी सिफारिश को भारत सरकार ने अभी तक लागू नही किया हैं। यह शर्मनाक बात हैं। मैं भारत सरकार से विशेषकर माननीय मंत्री जी से, जो पूर्वोत्तर क्षेत्र के ही रहने वाले हैं, अपील करना चाहता हूं कि कम से कम वह धारा 2(ओ) के अधीन रखे गए मेरे संशोधन के प्रस्तावों पर विचार करें। विधेयक की धारा 6 के संदर्भ में छठी अनुसूची के क्षेत्रों के संबंध में ग्राम सभा के स्थान पर बोडोलैण्ड क्षेत्रीय परिषद् की तरह स्वायत्तशासी जिला परिषद् और स्वायतशासी क्षेत्रीय परिषद की स्थापना की जाए।

कुल 36 संसद सदस्यों ने भारत के प्रधानमंत्री और संबद्ध मंत्री महोदय को एक ज्ञापन भेजा है जिसमें उनसे अनुरोध किया गया है कि संशोधन के लिए हमारी वास्तविक मांगों पर विचार किया जाए। अत: भारत सरकार को हमारे अनुरोध पर विचार करना चाहिए और विधेयक में हमारे संशोधनों को सम्मिलित करने का प्रयास करना चाहिए।

[हिन्दी]

मैं एक महत्वपूर्ण विषय पर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हिन्दुस्तान में विशेषकर नार्थ-ईस्ट रिजन में जितने अधिकृत फारेस्ट विलेज हैं, उन्हें रिवेन्यू विलेज में कंवर्ट नहीं किया गया है, जिसके कारण उन फारेस्ट विलेज में रहने वाले लोगों को विकास का कोई अधिकार और सुविधाएं नहीं मिल रही हैं तथा विकास का कोई काम नहीं हो पा रहा है।

[अनुवाद]

अत: मैं भारत सरकार से अपील करना चाहता हूं कि मौजूदा स्थिति को ध्यान में रखते हुए सभी विद्यमान चिन्हित वन गांवों को राजस्व गांवो में परिवर्तित किया जाए। वन और पर्यावरण की रक्षा और संरक्षण के लिए सी आई एम एफ की तर्ज पर एक केन्द्रीय बल गठित किया जाए जिसका मैं काफी लंबे समय से मांग कर रहा हूं। अत: सी आई एम एफ की तर्ज पर केन्द्रीय वन संरक्षण बल नामक एक बल का गठन किया जाए।

महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी से पुन: अनुरोध करता हूं कि वह हमारे संशोधन पर विचार करें और अनुसूचित जनजातियों और पूर्वोत्तर क्षेत्र के अन्य परम्परागत लोगों के बेहतर हित

में उन्हें विधेयक में शामिल करें, साथ ही मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

*[हिन्दी]*

**प्रो. महादेवराव शिवनकर** (चिमूर) : अध्यक्ष जी, अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी विधेयक, 2006 के संबंध में मैं बताना चाहता हूं कि जंगलों में रहने वाले आदिवासी एवं एससी, एसटी तथा ओबीसी को इससे पहले भूमि से कई बार बेदखल किया गया। हजारों लोग ऐसे हैं, जिनके घर सैंकड़ों सालों से वहां हैं, लेकिन उन्हें पट्टे की मल्कियत अभी तक नहीं मिली। वे खेती करते हैं, मगर रिकार्ड में भूमि जंगल की लिखी है, जबकि खेती भी कई वर्षों से करते हैं। उन्हें अतिक्रमित कहा गया, जिनके घर जंगल की भूमि पर है, लेकिन अब वहां जंगल नहीं है। इस विधेयक की दृष्टि से मेरी पहली मांग होगी कि उन्हें मल्कियत के पट्टे मिलें।

महाराष्ट्र के विदर्भ इलाके में जंगल भूमि, जिसे झुड़पी जंगल कहते हैं, जिसे अन्य भागों में चराई की भूमि कहते हैं, ऐसी भूमि पर झोपड़ियां हैं, खेती होती है, मकान हैं। 1955 में इस भूमि को वन भूमि में बदला गया, लेकिन बताया नहीं गया। ऐसी स्थिति में उन्हें बेदखल करना नाजायज है। कोर्ट में केस लम्बित है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि इन सब लोगों को एक टाइम बाउंड प्रोग्राम के अंदर 6 महीने के अंदर पट्टा देने की कृपा करें और इस विषय में राज्य सरकारों को भी सूचित किया जाए।

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि जो टाइगर अभ्यारण्य है, वहां वास्तविक रूप से गांव बसे हुए हैं। उनके बारे में आप क्या करना चाहते हैं, इसे आपको स्पष्ट करना चाहिए। तेंदू पत्ता, गोंद, महुआ आदि पर फारेस्ट विभाग का अधिकार है और राज्य सरकार इससे पैसा लेती है। पैसा भी बहुत कम मिलता है। मैं महाराष्ट्र का उदाहरण देता हूं, जहां केवल 40 करोड़ रुपया मिलता है। मेरी चौथी मांग है कि फारेस्ट प्रोड्यूस के सारे अधिकार ग्राम सभा को दे दें। फारेस्ट प्रोड्यूस से जो रेवेन्यू आएगा, वह ग्राम सभा का होगा, वह गांव का होगा। इससे उनका विकास तेजी से हो सकेगा।

महोदय, मैं केवल कुछ बिंदुओं पर प्रकाश डालूंगा। बहुत से लोग कहते हैं कि आदिवासियों ने जंगल काटे, यह सच नहीं हैं जंगलों में रहने वाले लोगों ने कभी जंगलों का विनाश नहीं किया। इस बारे में आप छानबीन करें। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि अनेक स्थानों पर राज्य सरकार के अधिकारियों ने जंगल काटे, वे सबसे भ्रष्ट हैं। इसलिए फारेस्ट के अधिकारियों पर नियंत्रण लगाएं। क्या इस संबंध में प्रशासनिक पहल की जा सकती है? जो लोग जंगल में रहते हैं, उनके पेड़ उस भूमि पर हैं, मैं महाराष्ट्र के बारे में कह रहा हूं, लेकिन उन पेड़ों को काटने का अधिकार उन्हें नहीं है। फारेस्ट विभाग उन्हें काट देता है और जो पैसा मिलता है, वह राज्य सरकार का होता है। इस बारे में केंद्र सरकार दखल दे कर फारेस्ट प्रोड्यूज, खेती और पेड़ हैं, उनके संबंध में पहल करे।

आपराधिक गतिविधियों के बारे में मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूं, क्योंकि किसी भी माननीय सदस्य ने इस बारे में नहीं कहा है। फारेस्ट में रहने वाले लोग अपराध नहीं करते हैं। अपराध माफिया के द्वारा कराए जाते हैं। वन अधिकारियों द्वारा भी अपराध कराए जाते हैं। इसलिए इसमें आपराधिक प्रावधान करने की आवश्यकता है। वनों में रहने वाले लोगों को छह महीने के भीतर मल्कियत के पट्टे दिए जाएं। जो वन उपज है, वह ग्राम सभा को दें। जो लोग वनों में रहते हैं, उनके रास्ते के लिए, स्कूल अस्पताल और पीने के पानी की जो उनकी मूलभूत जरूरतें हैं उन्हें पहुंचाने का काम करें। यह काम केन्द्र और राज्य सरकार का है।

इस बिल में काफी अच्छी बातें शामिल की गई हैं। सैक्शन 9 में इसका समावेश करना आवश्यक है। बांग्लादेशी, जो असम में बड़े पैमाने में हैं, 9 जिले पूरे के पूरे उनके हाथ में हैं। ...*(व्यवधान)* बांग्लादेशियों की छानबीन करने की आवश्यकता है। इस बिल के कारण धोखा हो सकता है। असम के जंगलों में छा न जाएं, उसके बारे में देखना होगा। जिला समिति में लोगों के प्रतिनिधि होने चाहिए। लोक सभा का सदस्य उसका अध्यक्ष हो, ताकि उसे ठीक से देख सके। जन प्रतिनिधियों की एक समिति होनी चाहिए। आपने समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।

**प्रो. चन्द्र कुमार** (कांगड़ा) : शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रैडिशनल फॉरेस्ट डैवलर्स बिल, 2006, जो माननीय सदन में रखा गया है, मैं उस चर्चा में भाग लेते हुए, इसका समर्थन करता हूं। एक संयुक्त समिति श्री किशोर चन्द्र एस. देव की अध्यक्षता में बनी थी, जिसमें बहुत से पर्यावरणविद, प्रोफेसर और दूसरे विशेषज्ञ लोगों ने अपने सुझाव दिए। उन सब को इलैबोरेट करके इस बिल में रखा है। मैं एक-दो बातें ट्राइबल लोगों के बारे में कहना चाहता हूं। हिमाचल प्रदेश का 1/4 एरिया ट्राइबल है जिसमें पांगी, भरमौर और लाहौल स्पीति शामिल है। वहां दो किस्म के ट्राइबल्स हैं - एक वे हैं जो वहां परमानैंटली सैटल्ड हैं और दूसरे किस्म के घुमन्तु हैं, जिन में गद्दी, गूजर और

[प्रो. चन्द्र कुमार]

बकरवाल आते हैं। वे सीजन के हिसाब से माइग्रेट करते रहते हैं। जब गर्मी होगी, तो हाई एलिवेशन के ऊपर चले जाते हैं। वे अपनी जान हथेली पर रख कर चलते हैं। गर्मी की ऋतु आएगी तो ऊपर की ओर जाएंगे और सर्दी की ऋतु आएगी तो वे हिमालय पर्वत के फुट हिल्स इलाकों की तरफ ज्यादा जाते हैं। मैं बताना चाहता हूं कि एंडरसन को जो सैटलमैंट हुआ था, उसमें सब के राइट्स रिकॉर्डिड है। जो लोग वहां सदियों से ट्राइबल्स के रूप में रह रहे हैं, उनको हर किस्म के राइट्स दिए जाते हैं। इस बिल में जो अदर राइट्स डवैलर्स के हैं और जो उसके नजदीक रहते हैं, उनको फॉरेस्ट में बहुत से राइट्स हैं। ट्रैडिशनल डवैलर्स ट्राइबल एरिया के बीच में रहते हैं, तब बात बनती है। वे वहां न रह कर, उसके पैरीफेरी में रहते हैं, तो उनको फॉरेस्ट के सारे राइट्स दिए जाते हैं। इस बिल की मंशा पूरी नहीं होगी अगर आप इसे ठीक से इम्पलीमैंट नहीं करेंगे - वे कौन से डवैलर्स हैं, वह नोटिफाइड एरिया है या ट्राइबल एरिया है? हिमाचल प्रदेश में जो ट्राइबल का एरिया है, वहां नॉन ट्राइबल आदमी जमीन नहीं खरीद सकता जबकि ट्राइबल का आदमी नॉन ट्राइबल एरिया में रहने वाले हैं, अगर ट्राइबल की परिभाषा में आते हैं और जैसा आपने कहा है कि कम से कम तीन जनरेशन या 20-25 साल तक लगातार रहने चाहिए, लेकिन आज वहां बड़ी ओपनिंग हो गई है। लाहौल स्पीति, पांगी और भरमौर में जमीनें बेनामी भी खरीदी जा रही हैं। दूसरों के नाम पर लोग जमीनें खरीदते हैं। वहां ट्राइबल्स इलाकों में बड़ी-बड़ी सड़कें बनाने की कोशिश की जा रही है। मैं चाहता हूं कि वहां के ट्राइबल लोगों को ही इसका हक दिया जाए, किसी भी बाहर के आदमी को बेनामी ट्रांजैक्शन करने का कोई हक न दिया जाएं इसके बारे में हमें सोचना होगा। आजकल हिल एरियाज ज्यादा एक्सप्लोर हो गये हैं उनमें बसने की मंशा हो गई है। सैंक्टयूरी एरियाज को एक्सप्लोर करें, जहां वाइल्ड लाईफ है उसे एक्सप्लोर करें। ईको टूरिज्म के नाम पर कहीं ऐसा न हो कि वहां के ट्राइबल लोग, बेनामी ट्रांजेक्शन के कारण उनकी रिकंस्ट्रक्शन का शिकार हो जाएं और स्वयं नौकर बनकर सारी उम्र रहें, इसलिए इस बिल में इसका प्रावधान होना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, जब 1980 में फॉरेस्ट कन्जर्वेशन एक्ट बना था, तब 1982 में हिमाचल प्रदेश में वन मंत्री था। स्वर्गीय राजीव गांधी, जो हमारे प्रधानमंत्री थे, उन्हें इकॉलाजी और एन्वायर्नमेंट से बहुत प्यार था। 1980 में जब यह बिल बना तब यहां पर एक कॉन्फ्रेंस हुई और बहुत से फॉरेस्ट मिनिस्टर्स यहां आए। उन्होंने कहा कि फॉरेस्ट में रोड्स को ओपन कर दिया जाए, पानी की स्कीमों को ओपन कर दिया जाए और लोगों को जमीनें दे दी जाएं। उस वक्त राजीव गांधी ने कहा था कि 1980 के कन्जर्वेशन एक्ट में प्रोवीजन किया गया है कि भारत सरकार की आज्ञा के बिना किसी भी चीज का निर्माण नहीं कर सकते। जंगलों में बहुत एन्क्रोचमेंट हो रहा है। लोगों को जंगल की जमीन का बहुत लालच है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप ट्राइबल लोगों को रहने के लिए जमीन देंगे भी तो मिनिमम रखना चाहिए। आपने चार हैक्टेयर रख दिया, हिली एरियाज में चार हैक्टेयर जमीन नहीं मिल सकती है। अगर हिली एरियाज में एक आदमी को चार हैक्टेयर जमीन देंगे तो कम से कम 60 कनाल जमीन आपको देनी पड़ेगी। वहां जंगल भरे हुए हैं इसलिए आपको पेड़ काटकर जमीन प्रदान करनी पड़ेगी। इसलिए मेरा आग्रह है कि ट्राइबल एरिया में, जहां नेशनल वाइल्ड लाइफ के सैंचुरी एरियाज और नेशनल पार्क्स हैं, वहां कई पशु-पक्षी की ऐसी दुर्लभ प्रजातियां हैं जो एक्सिंटक्ट होने जा रहे हैं।

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय :** देखिए, समय समाप्त हो गया है। आपने निर्धारित समय से अधिक समय ले लिया है।

*[हिन्दी]*

**प्रो. चन्द्र कुमार :** हिमाचल प्रदेश में कई पशु-पक्षियों के हैबीटेट्स खत्म होने जा रहे हैं और हम वहां कमीशन में यह बात प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि इसमें प्रोवीजन होना चाहिए कि जमीन नहीं है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को बफर जोन में रखा जाए और कोर जोन्स हैं, उन्हें अवाइड किया जाए।

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय :** मैं आपके विचारों की कद्र करता हूं लेकिन मुझे खेद है कि अब आपको अपनी बात समाप्त करनी होगी।

*[हिन्दी]*

**प्रो. चन्द्र कुमार :** अध्यक्ष महोदय, अंत में मैं टिम्बर राइटस के बारे में बताना चाहता हूं। पांच रुपए का स्टैंडिंग ट्री वहां के लोगों को राइट्स में दिया जाता है ऑनरेबल हाई कोर्ट ने उसे बैन कर दिया है। उनका कहना है कि इस तरह से टिम्बर राइट देंगे तो फॉरेस्ट में पेड़ों की समस्या हो जाएगी। इसलिए, मेरा आपसे निवेदन है कि जो अमेंडमैंट आप करेंगे वह कोर्ट में चैलेंज नहीं होना चाहिए। अगर

यह कोर्ट में चैलेंज होगा तो वहां के लोगों के राइट्स के ऊपर एन्क्रोचमेंट होगी। आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

*[अनुवाद]*

**श्री किन्जरपु येरननायडु** (श्रीकाकुलम) : अध्यक्ष महोदय, संयुक्त समिति द्वारा यथा प्रतिवेदित अनुसूचित जन-जाति और अन्य परंपरागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता विधेयक, 2006 का समर्थन करता हूं।

महोदय, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय से ही अनुसूचित जन-जातियों तथा अन्य पारंपरिक वन वासियों के एक बड़े वर्ग के साथ अन्याय होता आया है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण समूहों ने संयुक्त संसदीय समिति के प्रतिवेदन का स्वागत किया है। श्री किशोर चन्द्र देव की सभापतित्व वाली संयुक्त संसदीय समिति ने अद्भूत सुझाव दिए हैं तथा बहुत से सुझावों को उस विधेयक में शामिल भी किया गया है। यही कारण है कि मैं संयुक्त संसदीय समिति के सभापति, श्री किशोर चन्द्रदेव की सराहना करता हूं।

आजादी के समय से ही लोग उपेक्षित हैं। इस अधिनियम के द्वारा अब हम जन-जातीय लोगों तथा पारंपरिक रूप से वनो में रहने वाले लोगों को विधिक दर्जा दे रहे हैं। आजादी के बाद, सुधारों के बाद, वैश्वीकरण के बाद, हमने धन अर्जित किया है। इसमें कोई संदेह नही है। हर वर्ष हमारा सकल घरेलु उत्पाद बढ़ रहा हैं लेकिन यह धन निर्धनतम लोगों तक भी पहुंचना चाहिए।

आज भी, यदि आप जन-जातीय क्षेत्रों में जाएं और देखें, तो आज पायेंगे कि वहां अभी भी विद्यालय, सड़कें, बिजली और यहां तक की न्यूनतम मूलभूत सुविधाएं भी नहीं हैं। इस अधिनियमन के माध्यम से हम विलेज असेम्बली में ग्राम सभा पर विशेष ध्यान देना चाहते हैं। इसलिए, 1996 में उन्होंने पंचायत विस्तार अधिनियम पारित किया था, लेकिन हमें मुख्य रूप से ग्राम सभा पर जोर देना है।

वे जो कुछ करना चाहते हैं, इसके लिए उन्हें ग्राम सभा से अनुमति लेनी होगी, इसीलिए हमें इसे अनिवार्य बनाना है।

इस अधिनियम के पारित होने के बाद शीघ्र क्रियान्वयन के लिए इसे नौंवी अनुसूची में भी सम्मिलित कर दिया जाना चाहिए। अन्यथा, कोई न्यायालय में जाएगा और मुकदमेबाजी शुरू हो सकती है। इसलिए, मेरा यह भी एक सुझाव है।

यद्यपि वर्तमान विधेयक वन संबंधी संयुक्त राष्ट्र पारंपरिक जैविक विविधता मंच की प्रतिबद्धताओं और सिद्धांतों के अनुरूप है। इसलिए, इस विधेयक में भी हमने संयुक्त राष्ट्रके सभी दिशानिर्देशों का संकलन किया हैं

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं।

*[हिन्दी]*

**श्री सीताराम सिंह** (शिवहर) : माननीय अधक्ष महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। काफी लंबे समय के बाद इस देश के मूलवासियों के लिए यह बिल लाया गया है। यही आदिवासी, ट्राइब्स और जंगलवासी इस देश के मूल वासी है। वर्षों तक इनके लिए कोई नई सोच, नई सुविधा देने के लिए कोई कानून नहीं बनाया गयां यू.पी.ए. सरकार काफी सोच-समझकर इस विधेयक को लाई है, इसलिए मैं इसका समर्थन करते हुए दो-तीन मुख्य सुझाव इस संबंध में देना चाहता हूं।

पहली बात यह है कि जो लोग शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं या जो लोग वनों में बसते हैं, चाहे वे दूसरी जाति से आते हों, यह बहुत आवश्यक है कि दोनों को वनवासी का दर्जा मिलना चाहिए और इस कानून से दोनों को लाभ पहुंचना चाहिए। क्योंकि कई पुश्तों से जो लोग जंगलों में रह रहे हैं, जो लोग उस संस्कृति में पल रहे हैं, जी रहे हैं, ऐसे लोगों को ये अधिकार मिलने चाहिए।

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि इस कानून के माध्यम से सरकार इन लोगों को जो अधिकार दे रही है, उसमें इन लोगों ने पहले से पूरे देश के पैमाने पर करीब 17 हजार जंगल सुरक्षा समितियों का निर्माण किया हुआ है। इस बिल के माध्यम से सुरक्षा समितियों को वह अधिकार रहना चाहिए, क्योंकि जो लोग यह कहते हैं कि जंगल में रहने वाले ही जंगलों को बर्बाद करते हैं, यह बात सही नहीं है। जो जंगल के वासी है, वही जंगल की सही रक्षा करते हैं। यह अलग बात है कि वे उसी जंगल की लकड़ियों से अपना जीवनयापन करते हैं या फिर कुछ ऐसी चीजें हैं, जिनसे जंगल बर्बाद नहीं होता है, जो समाप्त होने वाली वस्तुएं हैं, वे उनका उपयोग करते हैं और अपना जीवन बसर करते हैं। मैं समझता हूं कि उन्हें इसका अधिकार रहना चाहिए।

तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि जो जमीन ये उन जंगलों में जोतते हैं, उन जमीनों पर इन्हें जो टाइटल मिलना चाहिए, कानून के द्वारा उन्हें ये टाइटल नहीं मिला है। हमारा सुझाव है कि सरकार

[श्री सीताराम सिंह]

के कानून के द्वारा उन्हें ये टाइटल मिलना चाहिए और उन जमीनों पर उनका अधिकार होना चाहिए।

चौथी बात मैं कहना चाहता हूं कि जो लोग जंगलों में बसे हैं, उनके लिए बुनियादी सुविधाएं बिल्कुल नहीं हैं। सरकार को उनके लिए सुविधाएं उपलब्ध कराने की पहल करते हुए वहां सड़कें बनानी चाहिए, पीने के पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, नई टैक्नोलोजी के युग में उनके पास टेलीफोन की सुविधा नहीं है, इसलिए उन्हें टेलीफोन की सुविधा भी मिलनी चाहिए। उनकी शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाने के लिए जंगलों में विद्यालय खोले जाने चाहिए, ताकि उनकी शिक्षा का स्तर बढ़े और वे बेहतर काम कर सकें।

महोदय, मैं एक बात साफ तौर पर कहना चाहता हूं कि वन में रहने वाले वनवासी जिन अधिकारों का उपयोग आज तक करते रहे हैं और जिन्हें सरकार ने मान्यता नहीं दी है, उसके लिए सरकार प्रयास कर रही है कि उसे कानून बनाकर मान्यता प्रदान करे, लेकिन इस पर एक बार और सोचना पड़ेगा। जो वनवासियों का अधिकार है, उस अधिकार में वन के अधिकारी और कर्मचारी अनावश्यक इंटरफियर करते हैं। मैं इस सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि पंचायती राज व्यवस्था के बारे में इसमें सोचा गया है। मैं सुझाव देना चाहता हूं कि जब वहां पंचायती राज व्यवस्था लागू की जाए, तो उस पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से अधिक से अधिक अधिकार उन्हें दिये जाए, ताकि वे लोग बेहतर ढंग से काम कर सकें।

इसके के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं।

*श्री नारायण चन्द्र बरकटकी (मंगलदोई) : मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं। देर आए दुरूस्त आए। यदि यह विधेयक पहले आ गया होता तो बंगलादेश से आने वाले घुसपैठियों द्वारा असम के कई वन क्षेत्र है अतिक्रमण से बच गए होते। यह स्वागत योग्य कदम है कि वन-क्षेत्र के गांवों में जन-जातियों को आवास दिए जायेंगे। मैं यह भी महसूस करता हूं कि पहाड़ी क्षेत्रों में 4 हेक्टेयर का जोत आर्थिक जोत के लिए पर्याप्त नहीं होगा।

पारंपरिक वन निवासियों के संबंध में मुझे कुछ आशंका है यद्यपि तीन पीढ़ियों की शर्त रखी गई है।

महोदय, असम के काजीराया, काजीरंगा ओरंगा और मानस जैसे राष्ट्रीय पार्कों तथा वन-भूमि का काफी अतिक्रमण हुआ है। ये अतिक्रमणकारी बंगलादेशी घुसपैठिये के अतिरिक्त और कोई नहीं है। यह आरोप लगाया जाता है कि घुसपैठियों ने गुप्त रूप से नागरिकता तथा पी.आर.सी. प्राप्त कर ली है।

इस संदर्भ में मेरा सुझाव है कि झूठी गवाही देने वालों के विरूद्ध सख्त दंडात्मक कार्यवाही की जाए। 1000 रुपये का जुर्माना बहुत ही कम है।

इसी दौरान अनेक वन भूमि पर लोग अवैध रूप से बस गए हैं। ऐसी वन-भूमि जहां पहले से ही लोग बस गए है के लिए इस विधेयक में किस तरह की कार्रवाई का प्रावधान है। इस मुद्दे को भी इस विधेयक में सम्मिलित किया जाना चाहिए। तथा अवैध रूप से बसे हुए लोगो से भूमि वापस लेने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए।

**श्री सर्वानन्द सोनोवाल** (डिब्रूगढ़) : महोदय, इस विशेष विधेयक के संबंध में मुझे तीन बाते कहनी है।

पहली तथा सबसे महत्वपूर्ण आशंका है कि इस विधेयक जिसे 2005 में अनुसूचित जनजाति वन अधिकारों की मान्यता विधेयक के नाम से लाया गया था, का नाम संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट के बाद बदल दिया गया था और अन्य पारंपरिक वन निवासियों को भी इसमें सम्मिलित करने पर विचार किया गया है।

महोदय, जैसा कि आप जानते है, मैं भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों की वर्तमान जनसंख्या की स्थिति के बारे में बोल रहा हूं सीमा पार से बड़ी संख्या में लोगो का आना जाना है। यहां तक की भारत सरकार भी अपने गहन आकलन के बाद, यह समझ गई है कि अधिकांश वन क्षेत्र के गांवो में संदिग्ध अवैध आप्रवासी रह रहे हैं।

भारत सरकार तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र की राज्य सरकारें भी उन अवैध आप्रवासियों की पहचान करने के लिए कदम उठा रही हैं। प्रश्न यह है कि एक बार यदि यह विशेष कानून पारित हो जाता है तो मैं समझता हूं कि यह उन अवैध आप्रवासियों के लिए संरक्षण का काम करेगा और मै समझता हूं कि उन्हें एक संवैधानिक सुरक्षा प्राप्त हो जाएगी। इसलिए, यह आशंका दूर की जानी चाहिए। अन्य विशेषरूप से तीन पीढ़ियों की बात करते रहे हैं और प्रत्येक पीढ़ी 25 वर्ष की हो, और इस बारे में स्पष्ट कुछ भी नहीं कहा गया है तथा इसके बारे में पूरी तरह जानकारी भी नही दी गई है। यही कारण है कि

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखा गया।

## इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http:#www.parliamentofindia.nic.in

### लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का लोक सभा टी.वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रात: 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

### लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण की प्रतियां तथा संसद के अन्य प्रकाशन, विक्रय फलक, संसद भवन, नई दिल्ली-110001 पर बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।